Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
I2OR Impact Factor : 6.650
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol. XI No. IV October-December 2021

Editor
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya
Ashok Ram

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
I2OR
Scientific Journal Impact Factor

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF
I2OR Impact Factor : 6.650
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol.XI **No.IV** **OCTOBER- DECEMBER 2021**

Editor in Chief
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya
Ashok Ram

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

Patron : **Dr. Lalji Tripathi,** *Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.*

Editor in Chief **: Dr. Anish Kr. Verma** *Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.*

Associate Editors : **Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Purusottam Lal Vijay, Mrs. Romee Maurya**

International Editorial Board : **Anna Malingdog,** *Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines*

Abdul Qayyum, *Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan*

National Editorial Board

Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. N.K. Singh, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.
Dr. Rajeev Kumar Singh, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttaranchal University, UK
Dr. Aparna Singh, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.
Dr. Pramod Kr. Shukla, Asst. Prof. Deptt. of Sociology,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunar, U.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kr. Tiwari, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Jitendra Singh Goyal, Academic Counseller, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.
Dr. Neeraj Tiwari, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.
Dr. Neearj Kumar Shukla, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttrakhand
Mr.Shivendra Kr.Maurya, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P
Mr. Sudhanshu Chaubey, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.
Mr. Manjul Trivedi, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

Advisory Board

Prof. Sushil Kumar Gautam, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Dr. Rama Shanker Pandey, Asst. Prof . B.Ed, Govt. P. G. College Jaiharikhal, Lansdowne, Pauri Garhwal, UK
Mr. Kuldeep Birwal, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee,Hariyana

Review Editor's

Dr. Kripa Kinjalkam, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College,University of Allahabad, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Vijay Sankar Dwivedi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University. Delhi
Dr. Surya Kant Tripathi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Archana Bhattacharjee, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Dinesh Kumar Tiwari, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.
Dr. S.K. Pandey, Asst. Prof., Dept. of commerce ,Y.D. (PG) College,Lakhimpur-Kheri ,U.P.
Dr. Chandra Prakash Dubey, HOD, LIS, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Dr Sugriv Singh, Librarian Univ. Employment, Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.
Dr. S. Kandasamy, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.
Dr. Vinod Kumar Saroj, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.
Dr. R. Panneer Selvam, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.
Dr. Vineet Kumar Guru, Assit. Prof., Department of History,GovernmentCollege,Bijawar,M.P.
Dr. Manoj Kumar Mishra, Asso. Prof. ,Dept. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.
Mr. Uday Pratap Singh, Asst. Prof., Dept. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.
Mr. Ashutosh Kumar Tripathi, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivala, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kumar Tripathi, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,S.M.R.D.P.G.College,Gazipur. U.P.
Dr. Anand Kumar, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.
Dr. Santosh Kumar Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology,M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Rajendra Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P
Prof. MC Sati, Department of Economics, HN.B. Garhwal University, UK
Mr. Kamlesh Goyal, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab
Dr. Arvind Kumar, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P
Dr. Pravin Kumar Tiwari, Asst. Prof., Department of Education., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P
Dr. R. Sekar, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvalluar Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.
Dr. Hemant Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Digree College, Phaphamau, Alla., U.P.
Dr. Naresh Kr. Verma, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana,Mahendergarh
Dr. Arun Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Digree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.
Dr. Amit Kr. Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.
Dr. Ram Narain Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar
Dr. Neetu Mishra, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.
Mrs. Vidya Verma, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt.Girls Degree College, Kannauj, U.P.

© Editor

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

Editorial

Higher education has been obviously playing a speculative role in the development of human beings including all spheres of life in all dimensions. Higher education is the most powerful tool to build the knowledge based society for the future. Education system in India can be dated centuries back to the age of Budha, but there has infect been substantial improvement in the higher education in both quantitative and qualitative terms. It is need to be viewed as a long term social investment for the promotion of economic growth, cultural development, social cohesion, equity and justice. There has been a phenomenal growth of higher education in India since independence. India's higher education system is the largest in the world in terms of number of institutions and is often cited as one of the main contribution in the economic improvement in India. In spite of having phenomenal growth in higher education sector , it has been facing many challenges such as financial and management, access, equity, relevance and reorientation of policies and programmes for laying emphasis and values, ethics and quality of higher education together with the assessment of institution and their accreditation. The development and present scenario of New education Policy in India is remarkable.

We comeup with this issue and tried to discuss the major problems and challenges that may help in transform the India. We express extreme gratitude to Proof reader Dr. Pankaj Singh, Dr. Sunil kumar , Dr. Anoop kumar,Mr.Pawan kumar Maury, Miss Namrata Verma and all other contributors who have contributed and devoted their essential insights and came up with their manuscripts for this issue which directly as well as indirectly is the contribution to the society.

Last but not least we are very thank-full to all the researcher and reader. We will be very happy if you give us or write up your valuable comments and suggestion.

Published Date 30-12-2021

Chief-Editor

Dr. Anish Kumar Verma

-

INDEX

स्वजागरण और प्रसाद के नाटक 1–2
डॉ0 अंजू सिहार
लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिवाह : बाल गंगाधर तिलक 3–5
डॉ0 अतुल गुप्ता
ग्वालियर नगर निगम के विकास का स्वरूप : एक अध्ययन 6–8
डॉ0 बबीता बाथम
जनसंख्या वृद्धि का कृषि के विकास पर प्रभाव (रोहतास जिला) के संदर्भ में 9–10
रुना नाज
वृद्धावस्था एक समस्या एवं प्रस्थिति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 11–12
डॉ0 दयाशंकर
रोहतास जिला में ग्रामीण बस्तियों के उत्पति एवं विकास : एक भौगोलिक अध्ययन 13–15
रवि शंकर राम
वैश्वीकरण के दौर में आने वाली चुनौतियां..... 16–18
डॉ0 अनिल कुमार एव डॉ0 योगेश कुमार मिश्रा
कृषि उद्योगों के विकास में नाबार्ड की भूमिका 19–21
डॉ0 महेश कुमार
बिहार के औद्योगिक विकास की बाधाएँ : एक समीक्षा 22–24
डॉ0 दीपनारायण यादव
जोत आकार एंव कृषि परिवर्तन एक भौगोलिक अध्ययन 25–26
अब्दुल कलाम एवं डॉ0 विरेन्द्र दुबे
समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी विमर्श 27–29
पूनम सिंह
नजीर अकबराबादी : एक मूल्यांकन 30–33
डॉ0 सुभाषचन्द्र गुप्त
'कार्य' का अवधाराणात्मक पक्ष : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 34–36
छाया वर्मा
नशीली दवाओं के प्रयोग करने की लत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 37–39
डॉ0 धर्मेंद्र कुमार सोनकर
'धर्म' जीवन की एक विधि : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 40–41
डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह
भारत में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य 42–44
डॉ0 चन्दन कुमार पाण्डेय
हिन्दी नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान 45–47
डॉ0 सुनील कुमार
शेख सलीम चिश्ती दरगाह का प्रबन्धन एवं कार्यशैली 48–49
यतेन्द्र सिंह
बुन्देली के विलुप्त होते शब्द एवं आगत शब्दों का अध्ययन 50–52
मोहन अहिरवार
पोषण में शिक्षा की भूमिका : समकालीन परिप्रेक्ष्य में 53–55
डॉ0 पूनम
मूकस् (MOOCs) के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों की भूमिका एवं महत्व 56–58
मनीष कुमार सिंह
धर्म का सामाजिक महत्व : एक समाजशास्त्रीय मूल्यांकन 59–61
डॉ0 छविनाथ प्रसाद
भोजपुर जिला में विकलांगता की समस्या के सामाधान के उपाय : एक भौगोलिक अध्ययन 62–64
सुदीप कुमार एवं डॉ0 मो0 नजीर अख्तर
बौद्ध धर्म के पूजनीय वृक्ष व उनका महत्व 65–66
डॉ0 चयनिका श्रीवास्तव

ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण 67–69
पूजा गुप्ता एवं डॉ0 अनिल सिंह
घरेलू हिंसा का महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव 70–72
जागृति शुक्ला एवं डॉ0 राज कुमार मिश्रा
एकात्म मानववाद 73–76
डॉ0 आलोक कुमार गुप्ता
सुशासन के प्रमुख तत्व : एक अध्ययन 77–79
सुधीर कुमार यादव
प्राचीन भारतीय धर्म : एक ऐतिहासिक विश्लेषण 80–81
पदमा गुप्ता
कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर दबाव और तनाव का सामना : एक समाजशास्त्रीय विवेचन 82–83
बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं डॉ0 जियाउर्रहमान खाँ
आचार्य रजनीश के दर्शन में विद्यार्थी 84–85
ज्योत्सना राय
महिला शिक्षिकाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव 86–87
श्रीमती प्रतिमा वर्मा एवं डॉ0 विलोक सिंह
निराला के काव्य में आधुनिकता के विविध स्रोत 88–90
डॉ0 राजेश कुमार एवं अनुपमा यादव
प्राथमिक शिक्षा में प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी एवं आधुनिक भूमण्डलीकृत विश्व 91–93
डॉ0 मुकेश मोहन
महिला पुलिस की उपादेयता : विभिन्न पुलिस आयोगों के दृष्टिकोण 94–96
डॉ0 डॉली
सातवाहन युगीन भारतीय कला 97–100
रीया सिंह एवं डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह
महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के सामाजिक–आर्थिक न्याय का तुलनात्मक संदर्भ 101–103
डॉ0 विकास कुमार शर्मा
शिशु शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका 104–105
डॉ0 राजेन्द्र बौद्ध
शास्त्रीय दृष्टि से गृह में शुभाशुभ मानवेतर प्राणी 106–107
डॉ0 मोहिन्दर नाथ शर्मा
कृषकों की आय को दोगुना करना : रणनीति और प्रगति 108–110
अंजनी कुमार मिश्र
वर्तमान समय में विद्यार्थियों के तनाव, समायोजन एंव उनकी अध्ययन आदतों पर
योग का प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 111–113
सन्त कुमार मिश्र एवं डॉ0 अजय कुमार दुबे
समतावादी पर्यावरण : बी० आर० अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में 114–117
शुभम प्रताप सिंह
विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके सृजनात्मकता से सहसम्बन्ध 118–119
वैभव सिंह एवं डॉ0 वीना सिंह
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वृद्ध व्यक्तियों की परिवार में बढ़ती समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 120–123
डॉ0 आनन्द सिंह एवं नैन्सी
साहित्य में किसान विमर्श : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 124–127
डॉ0 धीरज कुमार चौधरी एवं हिमांशु त्रिपाठी
यौन उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 128–130
डॉ0 अमजद अली सिद्दीकी
नैतिक मूल्य शिक्षा 131–132
डॉ0 रंजना सिंह
मोहन राकेश की कहानियों में विभाजन एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थितियाँ 133–135
मंजू यादव
महिला, सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय : एक नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन 136–139
रोमी मौर्या

INDEX

The Role of Social Media In Indian Politics 1-4
Dr. Vandana Sharma & Dr. Rizwan Ahmed Khan
Changing Patterns of Social Stratification in a North Indian Village 5-7
Sudhir Kumar
A Study of Role of 'Decentralized Planning Process' in Natural Resources Management in Madhya Pradesh 8-10
Dr. Akshay kumar jain
Understanding issues of gig workers in India : A Study of Food Delivery Workers 11-14
Jyoti Sharma
Best Practices in Academic Library and Services 15-17
Dr. E.V. Chandankhede
Development of Emotional Intelligence among students with Hearing Impairment 18-22
Shyam Sunder Mishra
The Effect of Pranayam Therapy Training as a Post- Covid Treatment on Lungs
Capacity of Women College Students 23-25
Dr. Bhawna Mittal
An Introduction' to'A Room of One's Own 26-29
Dr. Shubhi Bhasin
Disintegrated Imaginings Of Hopes : Baneful Familial Ties In The Novels Of Arun Joshi
Dr. Suneeta Upadhyay 30-32
Spirituality : Need of The Hour for Holistic Development of Youth 33-35
Dr. Vishal Dwivedi
Law And Policy Relating To Refugee Protection In India 36-39
Ms. Kiran Singh
The Effect of Smartphone on Students 40-42
Dr. Rakhi Deb & Dr. Shailendra Kumar Verma
Overview of Five Pillars of Strong Strategic and Security Relations
between India and United States of America 43-47
Ankur Aryan
The Tempest - A Study in Ethnic Disparity 48-50
Dr. Shiva Mahzavi
Paulo Freire : Investigating the role of Critical Pedagogy in the Neoliberal era 51-52
Mahima Yadav
Evaluation of Ground Water Problems of Jaunpur District, Uttar Pradesh 53-56
Dr. Archana Raje
Dr. B.R. Ambedkar : A Path of Buddhism 57-59
Dr. Aparana
Theory and Practice of Translation in Comparative Literature 60-61
Pratyush Chandra
Analysis about the role of ICT in Physical Education and Sports 62-64
Kriskna Kumar Vishwakarma
FDI in supermarkets in India : Boon or Bane? 65-67
Dr. Dhanashri Mahajan
Impact of the Implimentation of Smart Classroom at Secondary School in Bihar 68-72
Dr. Kamal Ahmad & Md. Mahtab Alam
A Study of Teacher's Opinion Regarding CCE System of Evaluation 73-76
Mr. Mohit Kumar Bharti & Dr. Bhed Pal Gangwar
Contribution of Women Organisations in the Emancipation of
the Status of Women in India : 1900 to 1947 77-79
Dr. Rachana Singh
School Climate in Relation to Students Satisfaction
and Academic Performance : A Study 80-83
Dr. Anuja Saluja

A Study on Difference Between Financial Performance of Shahbad Co-Operative Sugar Mill and Karnal Co-Operative Sugar Mill in Haryana 84-86

Parul Bamel

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 1-2

स्वजागरण और प्रसाद के नाटक

डॉ0 अंजू सिहारे*

*विभागाध्यक्ष, (सहायक प्राध्यापक), हिन्दी शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी, म0प्र0

सारांश : प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने देश में गौरवमय अतीत को अपने में नाटकों का विषय बनाया। उनके नाटकों में पौराणिक युग (जनमेजय का नागयज्ञ) से लेकर हर्षवर्धन युग (राज्यश्री) तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झाँकी देखने को मिलती है। शायद ही हिन्दी के किसी अन्य लेखक ने भारतीय संस्कृति, समृद्धि, शक्ति, औदात्य का ऐसा भास्वर चित्र प्रस्तुत किया हो। इन नाटकों में जो चरित्र उभरे हैं वे शील शक्ति और औदात्य के प्राणवन्त विग्रह हैं। इतिहास के प्रसिद्ध पात्रों में नया जीवन भर दिया गया है। गौतम, बुद्ध, चाणक्य, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं पर यह समझना भूल होगी कि उन्होंने केवल भारतीय संस्कृति के गौरव–गान के लिए नाटकों की रचना की थी। वस्तुतः उन्होंने इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से व्यंग्य–रूप में वर्तमान की समस्याओं का चित्रण और समाधान प्रस्तुत किया। इतिहास अपने को दोहराता हैं, इस उक्ति का बड़ा सुन्दर उपयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया है।

मुख्य शब्द : ऐतिहासिक, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, विश्वमैत्री, नारी–जागरण आदि।

प्रसाद जी का राजनीतिक स्वर, सांस्कृतिक जाग्रति लेकर उनके नाट्य साहित्य में ही मुख्यतः अभिव्यक्त हुआ है। प्रसाद ने भी संघर्ष के इसी युग में साहित्य–सृजना की है तो उसका चित्रण भी साहित्य के माध्यम से किया है। प्रसाद के नाट्य साहित्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने नाटकों में भारतीय साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र की गरिमा का अनुभूति प्रवण आवेगमय चित्र दिखलाया है। उनके नाटकों में राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता, विश्वमैत्री और जनजागरण की भावात्मक सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। **प्रसाद का चन्द्रगुप्त ठीक ही कहता है**:– "ये हमी लोगों के युद्ध है जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छन्दता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गाँवों को जलाना, उनके भीषण परंतु साधारण कार्य है। यदि हम "यवन" के स्थान पर "अंग्रेज" शब्द रखते तो भावना में कोइ अन्तर नहीं पड़ता। कहीं–कहीं इस युग के नाटकों में राष्ट्रीयता का स्वरूप अक्रामक भी हो उठा है। इसके दो उद्देश्य है– एक तो राष्ट्र–भावना को देश के गौरव और स्वातन्त्र्य रक्षा की ओर मोड़ना और दूसरा–विदेशी आक्रमण के समय देश की रक्षा की भावना को दृढ़ करना। भारत की अखण्ड राष्ट्रीयता का स्वप्न प्रसाद–युग में ही खुलकर अभिव्यक्त हुआ।[1]

पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि ब्रिटिश सरकार, धर्म, संप्रदाय, और भाषागत विभेद के आधार पर भारत में आपसी फूट डाल कर अपनी स्वार्थ–सिद्धी करती रही है। प्रसाद भी इस स्थिति से अछूते नहीं रहे। जैसे–जैसे स्वतंत्रता की लपटें देश में फैलती जा रहीं थीं, विदेशी शासक विभाजन नीति को प्रोत्साहित कर रहे थे। ऐसे अवसर पर प्रसाद ने कहा था–'यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेगें।'[2]

प्रसाद–युग के राष्ट्रीय आन्दोलन में नारी–जागरण का स्वर भी प्रमुख था। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पण्डित आदि अनेक नारियाँ राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ी थीं। पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतन्त्रता–संग्राम में भी निर्भीकता से भाग ले रहीं थीं। प्रसाद ने अनेक ऐसे नारी–पात्रों का निर्माण अपने नाटकों में किया है जो राष्ट्र के यज्ञ में आहुति देने के लिए तत्पर हैं। प्रसाद की 'अलका' धनुष चढ़ा कर विदेशी यवन सैनिकों को तीर मारती है। तक्षशिला के नागरिकों में राष्ट्रीयता का मन्त्र फूंकती है। 'कार्नेलिया' भाव–विभोर होकर भारत की महिमा का गीत गाती है :'अरूण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।'[3] प्रसाद की राष्ट्रीयता में उदारता और क्षमा को भी महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी की राष्ट्रीयता में भी ये दोनों तत्व प्रमुख रूप से हैं। यानि दोनों की राष्ट्रीयता प्रचलित अर्थों की राष्ट्रीयता से अधिक व्यापक और प्रशस्त है। राष्ट्रीय आदर्श में धर्म और क्षमा के भाव अन्तर्भुक्त हैं। शत्रु पर शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही राष्ट्रीय आदर्श की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रु के हृदय को भी अपनी उदारता और त्याग से जीतना–राष्ट्रीयता का लक्ष्य होना चाहिए। सबके अधिकारों की रक्षा भी हमारी राष्ट्रीयता की परिधि में आना चाहिए।[4]

इस देश में युगों से विदेशियों के आक्रमण होते रहें हैं। शक, हूण, मुसलमान जातियों ने इस देश में आक्रमण किया। अंग्रेजों ने इस पर बहुत समय तक छल–बल से शासन किया।[5] प्रसाद ने विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व से आंतकित भारतीय हृदय को शक्ति और अनुराग का अवलम्ब देकर, आशवस्त किया–आत्मबल का विश्वास दिलाया। विदेशियों के आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले चन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्त का चरित्र प्रस्तुत करके प्रसाद ने अखण्ड राष्ट्रीयता का स्वर ऊँचा किया।[6]

प्रसाद जी का 'सिंहरण' भी भारत की भौगोलिक एकता पर बल देता हुआ कहता है कि–'मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा।'[7] वास्तव में भारत का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत की समग्र शक्तियों ने एक होकर कभी विदेशियों का सामना नहीं किया। प्रसाद के नाटक चन्द्रगुप्त में चाणक्य की प्रेरणा, चन्द्रगुप्त की वीरता और सिंहरण तथा अलका की निष्ठा के कारण सारा आर्यावर्त एक हो गया। क्षुद्रक, मालव, पंचनद, यौधेय गणराज्य एक हो गये। स्कन्दगुप्त में भी राष्ट्रीय भावना तीव्र और प्राणवान है। हूणों के खिलाफ राष्ट्र एक हो गया। स्कन्दगुप्त कहता है–'मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। नीति और सदाचारों का महान आश्रय–वृक्ष–गुप्त साम्राज्य–हरा–भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो।'[8] जिस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण वे करना चाहते थे, उनमे आधुनिक भारतीय समस्याओं

का भी सम्मिश्रण है। उन्होने राष्ट्रीय एकता के विध्वंसक तत्वों 'भेदभाव' आदि पर सांस्कृतिक दृष्टि से तीव्र कुठाराघात किया है।[9] अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसाद ने अपने नाट्य साहित्य के माध्यम से स्वा–जागरण (राजनीतिक) का अपना दायित्व निभाया है।

सन्दर्भ :

1. शुक्ल, डॉ0 भगवती प्रसाद, प्रसादयुगीन हिंदी नाटक, म.प्र. हिंदी ग्रथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 17,
2. वही. पृष्ठ 18
3. वही. पृष्ठ 18–19
4. वही. पृष्ठ 20
5. वही. पष्ठ 244
6. वही. पृष्ठ 244
7. वही. पृष्ठ 244
8. वही. पृष्ठ 245
9. वही. पृष्ठ 255

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 3-5

लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिवाह : बाल गंगाधर तिलक

डॉ0 अतुल गुप्ता*

*सहायक प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय महाविद्यालय, सेहराई, अशोकनगर, मध्य प्रदेश

सारांश : तिलक के जीवनी लेखक टी.वी. पर्वते ने उन्हें 'लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिवाह' के रूप में संबोधित किया है। बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य था 'स्वराज' जो प्रत्येक भारतवासी का जन्म सिद्व अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाधा की परवाह न करतें हुए प्राप्त करना चाहते थे। वे राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते थे। अर्थात उनकी दृष्टि राष्ट्र का स्थान धर्म से ऊपर है। उनका झूकाव सर्व साधारण की और था, गांव की चौपालें उनकी अदालतें थी। प्रस्तुत शोध पत्र 'लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिवाह'–बाल गंगाधर तिलक' का उद्देश्य तिलक के प्रति दृष्टिकोंण को सामने लाना है इसके लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोंतों की मद्द भी लिया गया।

मुख्य शब्द : लोकतांत्रिक स्वराज्य, वैदिक, समकालीन, बौद्धिक, भवनात्मक आदि।

तिलक के ऊपर उल्लेखित विवरणोंपरान्त मैं यह सोचने पर विवश हूँ कि तत्कालीन परिस्थियों में एक गुलाम अपने विदेशी प्रभुओं को कैसे जीतेगा? क्या सेवा, प्रेम, अनुनय–विनय से ऐसा होना सम्भव है? और ऐसे ही अनेका – नेक प्रश्न मन में उठते है। इन प्रश्न के तर्क सगत उत्तर तभी सम्भव है जब हम यह देखें कि तिलक का बचपन किन परिस्थितियों में बीता? प्रारम्भिक संस्कार क्या थे? तिलक का चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? कैसे व किन परिस्थितियों उनकी स्वराज्य के प्रति राष्ट्रव्यापी दृष्टि विकसित हुई? आदि।

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जूलाई 1856 को कोंकण (रत्नगिरि) में हुआ। उनके पिता रामचन्द्र तिलक अध्यापक थे। पर उनका संस्कृत का ज्ञान इस कदर उच्च कोटि का था कि वे इसी कारण गंगाधर शास्त्री के नाम से विख्यात हुए। संस्कृत गणित, व्याकरण इत्यिादि विषयों में वे अपने आयु क बालकों से कहीं आगे थे। दस बारह वर्ष की उम्र में ही उन्हें वैदिक देवी देवताओं की प्रशंसा के कितने ही श्लोक और स्तुतियां कठंस्थ थी उन्होनें कालीदास भवभूति दंडी और भारवि की कृतियों का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया था। पिता रामचन्द्र शास्त्री का रत्ना गिरि से पूना आना तिलक के लिए बहुत ही लाभदयाक सिद्व हुआ क्योंकि यहाँ उन्हें बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। पूना आने पर पर तिलक को ऐग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में भर्ती किया गया। यहीं उन्होनें मौरीसन का वह इतिहास पढ़ा जिसकी बाद में अंग्रेजों के अत्यधिक पक्ष में और मराठों सिक्खों और मुसलमानों के एक पक्षीय विरूद्व होने के कारण उन्होनें अक्सर आलोचना की। तिलक परिवार के पूना बसने के कुछ माह पश्चात् ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और छः साल बाद पिता भी चल बसे। तब तिलक की आयु 16 वर्ष थी। पिता के बाद चाचा गोविन्द राव तिलक जो कि उनके संरक्षक थे, ने छोड़ी गई वसीयत के अनुसार 1873 के आरम्भ में डेकन कॉलेज में भर्ती करा दिया। इनके सहपाठी इन्हें मिं.ब्लट (स्काट के कैलिनवर्थ उपन्यास का एक पात्र) के नाम से पुकारने लगे थे। यह नाम उनकी स्पष्ट वादिता और बातचीत के कठोर ढंग को देखते हुए बिल्कुल उपयुक्त था। हर विषय का उनका अध्ययन गहरा और विस्तृत था और इसी से अपने प्रोफेसरों का सामना वे बड़े साहस से करते थे जिससे उन्हें कई बार अविनीत हुज्जती और घृष्ट तक समझ लिया जाता था। उनका संस्कृत का ज्ञान अपने प्रोफेसर डॉ0 कीलहोर्न में कहीं अधिक था।[1]

टी.वी.पर्वतें ने अपनी पुस्तक बाल गंगाधार तिलक में लिखा है गणित और संस्कृत उनके प्रिय विषय थे लेकिन उनकी वृद्धि किसी भी विषय की गहराईयों में समान सरलता से बैठ जाती थी। ज्योतिष के ज्ञान के लिए हाथ मे टेलिस्कोप लेकर प्रोफेसर छात्रो के साथ जागते हये रात काट देते थे। कॉलेज में तिलक के समकालीन लोंगों में सर महादेव वौनल, सांरगपाणि, जी.एस खपर्डे जो आजीवन तिलक के राजनीति सहयोगी बने वे थे गोपालकृष्ण आगरकर और वामन शिवराय आप्टे। लिखा है तिलक और आगरकर परस्पर इसलिए आकर्षित हुऐ थे कि उनम परस्पर अप्रतिम बौद्धिक और भवनात्मक सम्बन्ध थे दोनों ही अपने देश और समाज की दशा से चिन्तित थे और उनकी नवोदित देशभक्ति पूर्ण भावना बम्बई यूनिवर्सिटी के लॉ और आर्टस के ग्रेजुएट हो जाने पर डेकन कॉलेज छोड़ते–छोड़ते लगातार विचार–विमर्श से एक वास्तविक आसक्ति में विकसित हो गई थी, आगे लिखा है' तिलक और आगरकर देश सेवा में अपना जीवन लगा देने की विभिन्न योजनाओं पर सोच विचार करते रहते थे उन्होनें तभी सेवा और आत्मबलिदान का व्रत लिया था और उसे निभाया था।[2] वास्तव में देश भक्ति की भावना तिलक को घुटटी में मिली थी और इस दिशा में उनका चरित्र निर्माण बचपन से ही आरम्भ हो गया था। उनके घर–परिवार का वातावरण ऐसा था कि उससे आत्मविश्वास, सतर्कता, दक्षता और निर्णय, बुद्धि के साथ–साथ साहसिकता की पूर्ति सहज में हो जाती थी। बालक का पालन पोषण ऐसे ही वातावरण में हुआ उनके बाल मन पर तात्याटोपे, नाना साहब, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम और दिल्ली के मुगल शहजादों के किस्से कहानियों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होनें देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए जीवन अर्पित कर देने का निश्चय कर लिया।

तत्कालीन समय की दो घटनाओं का भी उनके तरूण मन पर गहरा प्रभाव पड़ा इनमें एक घटना मल्हारराव गायकवाड पर कर्नल फेरे को विष देने के प्रयत्न का आरोप लगाकर गद्दी से हटाने और मुकद्दमा चलाने की थी दूसरी घटना थी 1877–1878 का अकाल जिसमें 50 लाख व्यक्ति मक्खी मच्छरों की तरह मर गये थे उस समय तिलक बी.ए. के विद्यार्थी थे। उनकी कई रातें करवटें लेते कटी थी।[3] उन्हें इस बात का दुख था कि लोग बिना कुछ किए सब कुछ चुपचाप सह रहें है। उन्होनें

समझ लिया था कि वे मनुष्य की तरह जीवित रहने के अपने अधिकार को जता सकें इसके लिए उन्हें शिक्षित करना उनकी चेतना को झझोड़ना और आक्रोश को संगठित करना आवश्यक था। इन्ही प्रभावों से जीवन समाज और राजनीति के प्रति तिलक का दृष्टिकोण निर्धारित हुआ।

इसी दौरान तिलक निबंध माला मराठी पत्रिका के सम्पादक विष्णु कृष्ण चिपलूणकार के सम्पर्क में आये। राष्ट्रीय जीवन में निबंध माला के महत्व और उसके सम्पादक का परिचय टी.वी. पर्वते नें इन शब्दों में दिया है चिपलणकर की रचनाओं का महत्व लोगों को स्वयं अपना महत्व अनुभव कराने और अग्रेंजों के आगमन को एक शुद्ध वरदान क रूप में अस्वीकृत करने को उत्तेजित करने की योग्यता में निहित था। यद्यपि वे स्वयं अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजो भाषा साहित्य और इतिहास के दृढ प्रशंसक थे, लेकिन उन्होनें यह प्रतिस्थापित करने की भरपूर चेष्टा कि अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता से अपने परिचय के पूर्व भारत किसी भी प्रकार हीन संस्कृति या हीन सभ्यता का उत्तराधिकारी न था और अंग्रेजों को इस बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि केवल वही भारत में सुधारों के प्रचारक है उनके समय के और उससे पहलें के अंग्रेज लोग ऐसा सोचकर गर्व अनुभव करते थें। उन्होनें वक, मैकाले, मिल, फाकेट के वकत्वय स्मरण थे वे यह सिद्व करना चाहते थे कि यह केवल अर्ध सत्य है इसलिए भारतीयों को उनके दिखावटी महत्व को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए।[4]

तिलक चिपलाकर महोदय् के लेखों से बहुत प्रभावित थे उन्होनें अपनी योजना आगरकर के साथ चिपलूणकर के सामने रखी वे योजना से सहमत हुए और तीनों नें पहली जनवरी 1880 को न्यू इंगलिश स्कूल की स्थापना की जो बाद में डेकन एन्यूकेशन सोसायटी के रूप में विकसित हुआ। साथ ही मराठा और केसरी दैनिक का प्रकाशन क्रमश 2 और 4 जनवरी 1881 को प्रारम्भ हुआ।[5] चूकि प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य तिलक की विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी दृष्टि पर केन्द्रित है। अतः उनके प्रारम्भिक जीवन उस पर परिस्थितियॉ द्वारा पड़े प्रभाव को रेखाकिंत करने के पश्चात् शोध पत्र के मूल की चर्चा करना समी चीन प्रतीत होता है।

बाल गंगाधर तिलक देश सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित व्यक्तित्व थे और उनका उद्देश्य अपने विद्यालय द्वारा लेकर युवकों को तैयार करना था जो देशभक्ति की भावना से ओत–प्रोत हो मराठा और केसरी द्वारा वे देशवासियों में यह चेतना उत्पन्न करना चाहते थे कि भले ही किसी ऐतिहासिक घटना के कारण हमनें स्वराज खोया है पर उसे दोबारा हासिल करना हमारा जन्म सिद्व अधिकार है हमारे इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तत्कालीन समय में अंग्रेजी राज्य से जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उससे उन्होनें यह निष्कर्ष निकाला कि जनता को जागरूक करना ही देश पहचान का एक मात्र विकल्प है। साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने के लिए भी जनता को प्रेरित करने का जन्म का कार्य उन्होनें शुरू किया। तिलक एक निडर साहसी और बेलाग बोलने वाले पत्रकार थे जिनकी भाषा स्पष्ट सरल और सीधी और चोट करने वाली थो इसके साथ ही वे अपने दृढ़ निश्चय को कार्य कम देने में जुट गए। वे यह भलिभॉति जानते थे कि उन्हें पुरानी पीढी के उन लोगों से लोहा लेना पड़ेगा जो लोक सेवा का विल्ला लगाये है ब्रिटिश राज्य को एक बड़ा भारी उपकार या ईश्वरीय कृपा समझते है, लेकिन उनमें आत्म त्याग और कष्ट सहन करने के महान गुणो का सर्वथा अभाव था उदारवादी इन्ही से सम्बन्धित थे। यही कारण है कि नई विचारधारा तिलक विचारधारा अथवा उग्रवादी (Extremist) विचारधारा के नाम से विख्यात हुई।

इस सन्दर्भ में तिलक 'पूर्ण स्वराज्य' के पक्ष में थे उन्होनें कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्व अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेगें।[6] तिलक का विचार था कि विदेशी सरकार को भारत पर सामाजिक सुधार लादने का कोई अधिकार नहीं है। वे अंग्रेजों से अधिकार मॉगने के बजाए उन्हें निकालना चाहते थे परन्तु इसके लिए वे क्रान्तिकारी या हिसांत्मक उपायों की बजाए अहिंसात्मक आन्दोलनों के पक्ष में थे वे कहते थे कि भारत की सब बुराइयों का कारण विदेशी राज है। इसके जाने के बाद ही बुराइयों को ठीक किया जा सकेगा इसी तथ्य को चरितार्थ करते हुए अरविन्द घोष नें लिखा है' एक अधीन राष्ट्र स्वतंत्रता के द्वारा ही उन्नति के द्वार खोल सकता है। और स्वतंत्रता के लिए बलिदान की आवश्यकता है राजनीति की आराम की कुर्सी पर बैठकर विदेशी सत्ता नहीं हिलायी जा सकती भारत अपने पराक्रम और शक्ति से ही विदेशी शासन का विरोध कर सकता है'। घोष का यह कथन तिलक के राष्ट्रीय चिन्तन एवं उसके मन की व्यथा को भी उजागर करता है। तिलक अपने देशवासियों के रिवाजों संस्थाओं आदतों और तरीकों की निदा करते हुए कुछ भी लिखने अथवा बोलने में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनमें हीनत्व की भावना उत्पन्न होगी। किन्तु ऐसा कतई नहीं था कि वे सुधार या सुधारवादी कार्यो के समर्थक न हों लेकिन वे लोगों को उनके वैभवशाली अतीत और महत्व पूर्ण सांस्कृतिक उपल्बधियों का स्मरण करा कर उन्हें प्रेरित करना कहीं अधिक ठोस समझते थे। उनके विचार में विदशी शासन पर आक्रमण कर राजनीति सत्ता को हस्तगत करने पर शक्ति केन्द्रित करना और उसे सामाजिक सुधार के लिए प्रयोग करना सभी अन्य सामाजिक सुधारों से अधिक बुद्धिमता पूर्ण है उन्होनें अपने इस मत पर ऐसी अदालती कुशलता से तर्क किया कि उनके पाठकों या श्रोताओं को दृढ धारणा हो गई कि उनकी सब बुराइयों के लिए विदेशी सत्ता ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और व्यवहार में धैर्य तिलक का सांकेतिक शब्द था। लेकिन विदेशी सरकार के प्रति वे एक असंतुष्ट और अधीर आन्दोलनकारी का रूप ले लेते थे। जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना और किन्ही भी सुधारों के लिए साधन के रूप राजनीतिक सत्ता हस्तगत करना आवश्यक था। तिलक की योजनाओं में इनको निर्णयात्मक महत्व तथा निःसन्देह रूप से प्राथमिकता प्राप्त थी तिलक अपने अन्य विचार विरोधी साथियों गोखले व रनाडे सहित अन्य से भिन्न थे। ये लोग अंग्रेजी स्वशासन प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुधारों को प्रथम मानते थे इसी प्रकार के मतभेदों के चलते उन्होनें अपने आप को डेकन एज्यूकेशन सोसायटी से अलग कर लिया तथा मराठा केसरी के प्रकाशन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। अब उन्होनें स्वयं को सम्पूर्ण रूप से जन कार्यो में झोंक दिया और जनता की राजनीतिक शिक्षा को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया।[7] तिलक नें इन दोनों पत्रों को अपने लहू से सींचा इससे देश को जो लाभ मिला सो मिला उनके अपने व्यक्तित्व का विकास भी सही दिशा में और बड़ी तेजी से हुआ। टी.वी. पर्वते नें इस्तीफे की इस घटना को प्रोफेसर से प्रचारक का शीर्षक दिया है। और

अन्त इन शब्दों पर किया 1891 से केसरी और मराठा तिलक की मिलकियत बन गये थे कई साल तक उनमें घाटा होता रहा लेकिन इन पत्रों नें उनके जीवन क्रम को बहुत की प्रभावित किया। जनता की हर समस्या और हर शिकायत पर प्रति सप्ताह लिखते रहने से वे जन समस्याओं के प्रवक्ता और जननेता बन गये। जितना अधिक वे उनमें फॅसें उतना ही अधिक उनकी जनप्रियता में वृद्वि हुई, और जिस लगन तथा दृढ निश्चय से उन्होनें मंच पर और प्रेस में सामान्य जनों में पक्ष का समर्थन किया उससे वे पश्चिमी भारत के होनहार नेता समझे जाने लगे। इसके बाद तो जन समस्याओं को उठाना उनका एक क्रम ही बन गया 1890 से 1900 तक के दशक में वे एक जनप्रवक्ता के रूप में बराबर ऊॅचे उठते चले गये और उनके प्रति जन आस्था और जनश्रद्धा इतनी बढ़ी कि वे लोकमान्य तिलक के रूप में विख्यात हो गये।[8] उन्होनें 1896 में कपास करके विरोध में बहिष्कार आन्दोलन चलाया था। इसी दौरान 1896–97 में लाखो आदमी भंयकर अकाल की भेंट चढ़े तभी गिल्टीवाली प्लेग फैल गई कई शहरों और देहातों में इस महामारी का प्रकोप था और लोग दुस्साध्य भयंकर रोग से बहुत परेशान थे। लेकिन 1896–97 में उसने जो आफत आई उसके कारण शमशानों और कब्रिस्थानों में दाह संस्कार करने और दफनाने वालों की कतारें लग गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 नमम्बर 1897 को पुना शहर में 48 घंटे के अन्दर 134 केस और 94 मौते हुई और उस समय पुना के अस्पतालों में प्लेग उत्पीड़ितों की संख्या 634 थी उस साल बम्बई प्रेसी डेन्सी से 14257 केसों और 4882 मौंतो की सूचना मिली।[9]

तिलक नें जैसे पहले अकाल निवारण आन्दोलन संगठित करके लोगों की सहयता की थी वैस ही इस बार वे तन मन से प्लेग उत्पीड़ितों की सहायता में लग गये। उन्होनें अपने पत्रों लेखो द्वारा एक तरफ जनता को सावधान किया और भंयकर लोग से बचने के उपाय सुझाये और दूसरी तरफ निष्क्रीय विदेशी सत्ता की कड़ी आलोचना की। लोग अकाल की भॉति प्लेग जैसी महामारो में मक्खियों की तरह मर रहें थे, पर सरकार के कानों पर जूॅ तक नहीं रेंग रही थी वह अब भी इस ओर उपेक्षा का भाव अपनायें हुए थी।

समय बहुत तेजी से बीत रहा था। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य करवटें ले रहा था। तिलक नें 1916 तक स्वराज्य की अपनी धारणाओं को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल और व्यवहारिक बना लिया था। होम रूल आन्दोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमद नगर में उन्होनें कहा कि' स्वराज्य से अभिप्राय यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतीयों के हाथों में हो हम ब्रिटिश के सम्राट को राजा बनाये रखने में विश्वास रखते है।[10] उनकें ये विचार यथार्थ वादी दृष्किोण को उद्घटित करते है। तिलक ने ऐसा इसलिए किया की स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को संगठित किया जा सके। उनका आर्दश तो भारत के लिए सम्पूर्ण अर्थों पूर्ण स्वतंत्रता थी। तिलक की जीवनी के लेखक टी.बी.पर्वते के मतानुसार 'तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़े जाते है उनमें लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिवाह अवश्य जुड़ जाना चाहिए। तिलक नें भले ही जीवन के अंतिम वर्षो में स्वराज्य को लगभग उसी आशय से ग्रहण कर लिया था जिस आशय से उदारवादियों नें। किन्तु यहॉ महत्वपूर्ण तथ्य यह की उदारवादियों के लिए स्वराज अन्य राजनीतिक विचारों की भांति मात्र एक विचार था जबकि तिलक के लिए स्वराज्य उनका धर्म उनका जीवन और उनका प्राण था।'[11] इसी लिये तिलक जब अर्द्ध चेतनावस्था में थे तब उन्होने कहा था कि 'यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।'[12]

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बालगंगाधर तिलक नें न केवल स्वराज्य का नारा दिया वरन् त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन जीने का संदेश दिया वे इस हेतु जीवन भर प्रत्यन रत भी रहे। तिलक नें जैसे पहले अकाल निर्वारण आन्दोलन को जन सेवा के साथ–साथ निचले स्तरों, विशेषकर किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का माध्यम बनाया उसी तरह प्लेग निवारण आन्दोलन को भी जन जागृति का माध्यम भी बनाया। उनके केसरी मराठा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव का उद्देश्य भी यही था। उन्होनें जन समानस को अपनें गौरवशाली अतित स्मरण कराते हुये स्वराज्य पर जोर दिया। इस प्रकार ऊपर उल्लेखित घटनायें एंव कृत्यों में तिलक की राष्ट्रीय दृष्टि स्पष्टतयः उजागर होती है।

सन्दर्भ :

1. रहवर, हंसराज, तिलक से आजतक, निधी प्रकाशन, दिल्ली, 1980, पृ0 14,15
2. वही, पृ0 16,17
3. वही, पृ0 17,
4. वही, पृ0 18,
5. विपिनचन्द्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, क.न.पनिकर, सुचेता महाजन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हि.मा.क.नि.दि.वि.वि, 2008 पृ0 69
6. ग्रोवर, बी.एल., यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड दिल्ली, 2003, पृ0 331
7. Pattabhi Sitaramayya, Tha History of the Congress ,1935 edition,page no.165,166
8. रहवर, हंसराज, तिलक से आजतक, निधी प्रकाशन दिल्ली, 1980, पृ0 30, 31
9. वही, पृ0 32,
10. विश्वानाथ प्रसाद वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृ0 114
11. टी.वी.पर्वते, बाल गंगाधर तिलक पृ0 290
12. रामगोपाल, लोकमान्य तिलक, पृ0 239

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 6-8

ग्वालियर नगर निगम के विकास का स्वरूप : एक अध्ययन

डॉ0 बबीता बाथम*

*सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश

सारांश : यह अध्ययन ग्वालियर नगर निगम विकास की ओर बढ़ते कदम को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है। जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : प्राचीनकाल, धर्म दर्शन, भाषा साहित्य, कला आदि।

भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर एवं दक्षिण के मध्य स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीनकाल से ही महत्व रहा है। व्यापारिक आयात–निर्यात के अतिरिक्त धर्म दर्शन, भाषा साहित्य एवं कला की विविध प्रवृतियाँ एक भू–भाग से दूसरे को गई। उत्तर एवं दक्षिण भारत के स्थित होने के कारण तथा प्रचुर प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहा। 'ग्वालियर जिला जो ग्वालियर राजस्व संभाग में आता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी कोण में 26 13 उत्तरी आक्षांश एवं 78 12 पूर्वी देशान्तर के बीच में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3218.9 वग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.2 प्रतिशत है। इस जिले की प्राकृतिक विशेषता है कि यह दो अलग–अलग भू–भागों एक ग्वालियर और पिछोर तहसीलों के बडे भूखण्ड तथा दूसरे डबरा तहसील के छोटे भू–खण्ड से बना है। ग्वालियर तथा पिछोर तहसीलों के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में मुरैना जिला उत्तर पूर्व में भिण्ड जिला, पूर्व में दतिया जिला, तथा दक्षिण में शिवपुरी जिला है। ग्वालियर जिले के पूर्व में उत्तर प्रदेश का झाँसी जिला तथा दक्षिण में म.प्र. का भोपाल संभाग, उत्तर में उत्तर प्रदेश का इटावा जिला एवं पश्चिम में राजस्थान का कोटा जिला स्थित है। ग्वालियर जिले में कुल 523 ग्राम तथा 500 लगभग ग्राम पंचायतें हैं। ग्वालियर जिले में 3 तहसीले है गिर्द डबरा तथा भितरवार, जहां विकास खण्ड 4 नगर पालिका एक और एक नगर निगम। विभिन्न वार्डों में चल रहे एवं लंबित विकास कार्यों में से मई तक 75 कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 60 कार्य पूर्ण कर लिये गये है तथा 31 अन्य नवीन कार्य भी पूर्ण किये गये है इस प्रकार निगम द्वारा मई माह में कुल 91 विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। ग्वालियर शहर के विभिन्न वार्डों में नगर निगम द्वारा कराये जा रहे एवं लंबित पड़े विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कार्य की पूर्णतः की समयसीमा निर्धारित की गई थी जिसमें मई–जून 2016 को अनेक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। इसके साथ ही 30 जून 2016 तक 106 निर्माण कायों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सभी पार्षदगणों का सहयोग एवं सुझाव आवश्यक है। सभी पार्षदगण उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव प्रत्येक शनिवार को होने वाले विधानसभा स्तरीय बैठक में मुख्य समन्वयक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करा सकते है। मई 2016 तक ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लिये 17 कार्य, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 35 कार्य, ग्वालियर दक्षिण क्षेत्र में 17 कार्य एवं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में 6 कार्य सहित कुल 75 कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रकार जून 2016 तक ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लिये 24 कार्य, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 57 कार्य, ग्वालियर दक्षिण क्षेत्र में 16 कार्य एवं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में 19 कार्य सहित 106 कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुरार विकासखंड के ग्राम सरसपुरा, फूलपुरा, खेड़ी एवं दुहिया में 8.68 करोड़ से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन हो चुका है। पारसेन से सरसपुरा वाया अड़ूपुरा, सूरजपुर तक 233.57 लाख से डामर कीसड़क बनाई जाएगी। सरसपुरा में 12.85 लाख से पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। पारसेन से फूलपुरा तक 61.05 लाख से सड़क निर्माण व 7.80 लाख से ग्राम खेड़ी से वेरजा तक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। दानेबाबा का पुरा से दुहिया तक 292 लाख से सड़क बनाई जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर पूरी ईमानदारी और क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों को अंजाम दे रही हैं। इससे अंचल में भी विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4.29 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें ग्राम बिल्हेटी में 87 लाख रुपए की लागत से 33 केवीए बिजली सब स्टेशन एवं .42 करोड़ की लागत बनने जा रही बरेठा– सिहोली सड़क शामिल है। ग्वालियर को विकास के चरम पर पहुँचाने के लिये नगर निगम से लेकर भारत की संसद तक समन्वित प्रयास जारी हैं, अब ग्वालियर के विकास की बात प्रधानमंत्री के तक पहुँचना प्रारंभ हो गई है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नगर के अधोसंरचना विकास की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होती है। इसीलिये क्षेत्र के विकास में पार्षद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्वालियर शहर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य सम्पन्न हुए हैं। जिनके परिणामस्वरूप ग्वालियर की सूरत व सीरत दोनों बदले हैं। ग्वालियर देश के उन चुनिंदा शहरों में है, जिनमें एक ही दल की सरकार नगर से लेकर केन्द्र तक उसके विकास के बारे में प्रयासरत है एवं ग्वालियर विकास की ओर किस तेजी से अग्रसर हुआ है। ग्वालियर के डबरा व शिवपुरी दोनों प्रवेश द्वारों को सुधारने के लिये 100 करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार द्वारा शहर में सड़क, पानी, बिजली के लिये भी सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार के लिये विकास केवल एक मुहावरा नहीं है बल्कि यह एक मिशन है। जिसे पूरा करने के लिये पूरी सरकार कृत संकल्पित है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे विकास को गति मिल सकेगी। ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी और अमृत योजना में चुने जाने का भी शहरवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है इससे ग्वालियर स्मार्ट सिटी के रूप में देश के चुनिंदा 20 शहरों में भी अपना स्थान बना सकेगा।

ग्वालियर में विकास की बहुत संभावना है। इसके लिये नगर निगम ग्वालियर लगातार प्रयासरत है और हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश व भारत सरकार द्वारा भी ग्वालियर को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। ग्वालियर को स्वच्छ शहर के रूप में पहचान दिलाने के लिये ग्वालियर नगर निगम कृत संकल्पित है। इसके लिये नगर निगम द्वारा घर–घर कचरा संकलन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है ग्वालियर नगर निगम स्वच्छ ग्वालियर के संकल्प को पूरा कर सकेगा। भारत सरकार द्वारा ग्वालियर शहर को अमृत योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के माध्यम से शहर में पेयजल और सीवर लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण किया जायेगा। इसके तहत नगर निगम को 74 करोड़ रूपए की राशि भी प्राप्त हो गई है। ।

नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद ग्वालियर शहर के आस–पास की 31 ग्राम पंचायतों में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने से ग्वालियर शहर से सटे गाँवों में विकास के नए द्वार खुले हैं। नगर निगम ने पेयजल व सीवर की समस्या के स्थायी समाधान के। लिये 365 करोड़ रूपए की कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत ग्वालियर में शामिल नए 6 वार्डों की बसाहटों में भी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ग्वालियर शहर के सामने 20 शहरों में शामिल होने की चुनौती है।

ग्वालियर नगर व क्षेत्र का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यह मात्र राजनीति का ही केन्द्र नही रहा वरन संस्कृति के विभिन्न आयामों का पोषक केन्द्र भी रहा है। यही कारण है, जहां हमें ग्वालियर दुर्ग के विभिन्न कालों में हुए शासकों की अटूट कड़ी मिलती है। वहीं स्थापत्य, संगीत साहित्य एवं अन्य ललित कलाओं की भी उन्नत श्रृंखला भी दृष्टिगोचर होती है।एक समय था, जब ग्वालियर रियासत के समय विक्टोरिया मार्केट के सामने से सिंधिया राजवंश का जुलूस निकलता था। इसके अलावा इस बाजार में अंग्रेज अफसरों के अलावा रियासत के बड़े सरदार के परिवार शॉपिंग करने आते थे। 4–5 जून 2010 की रात को विक्टोरिया मार्केट में आगजनी की घटना घटी और देखते ही देखते विक्टोरिया मार्केट पूरा स्वाहा हो गया। किताबों की सभी दुकानें जल गईं। चूंकि घटना रात्रि में हुई इसलिए किसी की जान नहीं जा पाई।अब विक्टोरिया मार्केट अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। नगर इसके विकास कार्य पर 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर इसे सन् 2017 में पुनः स्वरूप में ले आयेगा। गम द्वाराराजसी वैभव और इतिहास की एक पूरी शताब्दी समेटे हुए, ग्वालियर के जयाजी चौक यानि महाराज बाड़े पर स्थित विक्टोरिया मार्केट में पांच वर्ष पहले जब आग लगी, तब से आज तक केवल फाइलों में इस धरोहर को फिर से बनाने की बातचली। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इस इमारत को फिर से बनाने का काम हो रहा है, लेकिन गति बहुत धीमी है।

आजादी के बाद इस मार्केट का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई मार्केट कर दिया गया, लेकिन पूरा अंचल इसे विक्टोरिया मार्केट के नाम से ही जानता था। पांच वर्ष पहले 4 व 5 जून की रात के समय अचानक आग लगी और यह पूरा मार्केट जमीदोंज हो गया। चूंकि आग रात के समय लगी थी, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहां बसे दुकानदार जरूर उजड़ गए। आज भी ये दुकानदार पटरी पर हैं या फिर घरों में बैठे हैं।

दोबारा बनाने की कवायद : विक्टोरिया मार्केट को फिर से मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू तो जरूर हुई है, लेकिन बहुत धीमी चाल से काम हो रहा है। वैसे इसके लिए 12.50 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसके लिए 3.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिस कंपनी को इसका काम मिला है, उसके इंजीनियरों का कहना है कि विक्टोरिया मार्केट इंडो–ब्रिटिश शैली का था और मूल स्वरूप लौटने में अभी दो वर्ष का समय और लगेगाइसी तरह बारादरी मुरार रोड, शमशान घाट का नवनिर्मित पुल नगर निगम द्वारा विकास कार्यों की श्रेणी में आता है। राजधानी नई दिल्ली और देश के बड़े–बड़े महानगरों की तर्ज पर ग्वालियर शहर में भी फ्लाईओव्हर बनाने की कार्ययोजना बनाई गई है। शहर के व्यस्ततम बाजारों एवं सड़क मार्गों पर यह फ्लाईओव्हर प्रस्तावित किए गए हैं।शहर में प्रस्तावित दो फ्लाईओव्हर स्थल हैं इनमें मुरार बारादरी चौराहे से जिला चिकित्सालय होते हुए नार्कोटिक्स कार्यालय के समीप तक और हजीरा चौराहे से चार शहर का नाका क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओव्हर स्थल शामिल है।नगर निगम के अधिकारियों ने मुरार नदी पर बनाए गए नए पुल के दोनों ओर की सड़क का जायजा भी लिया। लोक निर्माण खण्ड क्रमांक–1 एवं सेतु निगम के कार्यपालन यंत्रियों को हिदायत दी कि इस पुल के दोनों ओर की सड़कें तेजी से पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही कहा कि मुरार नदी के दोनों ओर सड़कों को चौड़ी करने के लिये समीप में बने एक भवन व आश्रम की वाउण्ड्रीवॉल जरूरत के मुताबिक पीछे करें। उन्होंने ठाठीपुर चौराहे से बारादरी मुरार तक सड़क के बीच में डिवाईडर लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मलगढ़ा तिराहे के विस्तार कार्य सहित अन्य विकास कार्य भी देखे।

विक्टोरिया मार्केट बाड़ा नया स्वरूप : नगर निगम ग्वालियर विकास की गति में श्रीमती माया सिंह ने लगभग 43 लाख की लागत से बनने जा रही आठ सड़कों का भूमि पूजन किया। इनमें वार्ड क्रं. –60 के अंतर्गत सैनिक कॉलोनी (बी व सी ब्लॉक) में पाँच सीसी सड़कें व पवनसुत कॉलोनी में 2 एवं वार्ड नं.–30 के अंतर्गत पटेलनगर में एक सीसी रोड शामिल है। यह सड़कें श्रीमती माया सिंह की विधायक निधि एवं पार्षद निधि से मंजूर हुई हैं। इन सभी सड़कों को बनाने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सीवर व पेयजल लाईन व्यवस्थित हो जाएँ। जिससे सड़कें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। उन्होंने स्थानीय निवासियों से आग्रह किया कि सड़कों को साफ सुथरा रखने में नगर निगम की मदद करें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिये मोहल्ले के पार्क तथा अन्य जगहों पर पेड़ लगायें और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लें।

मध्यप्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रही है। मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश मे अव्वल राज्य है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर शहर में पेयजल और सीवर नेटवर्क के लिये केंद्र सरकार 860 करोड़ रुपये देगी। साथ ही ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये हरसंभव मदद केंद्र करेगा।ग्वालियर शहर में पेयजल एवं सीवर नेटवर्क के लिये केन्द्र सरकार 860 करोड़ रुपये को मंजूरी देगी। ग्वालियर शहर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये 20 हजार 400 मकान बनाने के लिये भी धनराशि मंजूर की जायेगी। यह घोषणा केन्द्रीय शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने 14 जून को ग्वालियर में विकास पर्व–सह–अंत्योदय व किसान मेला को संबोधित करते हुये की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार 'राईट ऑफ लेण्ड' कानून बनाकर प्रदेश के हर जरूरतमंद को आवासीय जमीन का मालिक बनायेगी। ''भले ही अंचल की पहचान चंबल घाटी और उसके डकैतों के रूप में होती रही हो, लेकिन ऐतिहासिक विरासत को सहेजे हुए ग्वालियर देश का ऐसा शहर है, जहां पर जीवंत धरोहर और परंपराएं बहुतायत में हैं और इन्हीं धरोहरों को सहेजकर रखने और आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से ग्वालियर का विकास अब गति पकडने लगा है.

ग्वालियर को शिक्षा के साथ पर्यटन और औद्योगिक विकास का हब बनाने वाली योजनाएँ तेजी से जमीन पर उतारी जा रही हैं. इसीलिए अकेले ग्वालियर शहर को सुंदर बनाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचनाओं पर 500 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है की ग्वालियर महानगर में नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ गया है, लेकिन महानगर में कराए जा रहे विकास कार्य अभी भी बिना किसी योजना से कराए जा रहे हैं। यदि जिला प्रशासन एवं ग्वालियर नगर निगम योजना बद्ध तरीके से कार्य सम्पादित करेंगे तो स्मार्ट सिटी ग्वालियर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

सन्दर्भ :

1. दमध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 6, सन् 1965 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित एवं अन्तः स्थापित
2. 1961, म.पी.एच.जे. पृ0 41 चौसेसिंह विरुद्ध महापौर नगर निगम, ग्वालियर
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण मध्यप्रदेश, 24.04.1997
4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण मध्यप्रदेश 24.04.1997
5. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित
6. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18, सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश राज–पत्र असाधारण 21ध्4ध्1997
7. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 धारा 25 में वर्णित
8. शर्मा, अशोक, पूर्वोक्त पृ0 41
9. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापितः मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 29.09.1998
10. अवस्थी, आनंद प्रकाश : मध्यप्रदेश में स्थानीय प्रशासन, (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल) पृ0 281
11. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 2003 : मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 25.08.2003
12. जैन, पारसचन्द : मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं निगम, बाधता एण्ड कंपनी इन्दौर : 2009, पृ0 37
13. जिंदल, मदनलाल : मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956, . राजकमल पब्लिकेशन, इंदौर पृ0 92
14. Subs by M-P- Act no- 20 of 1998 published in M-P- Rajpatra (Asadharan) dated 29&08&1998
15. Subs by M-P- Act no- 20 of 1998 published in M-P- Rajpatra (Asadharan) dated 29&08&1998
16. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 47 (1)
17. Subs by M-P- Act no- 12 of 1995 published in M-P- Gazette (Fxctraordinary) dated 01-05-1995
18. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित : मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 30.05.1994
19. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र.12 सन् 2000 द्वारा अंतःस्थापित मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 2.5.2000?स्रोत– नगर निगम ग्वालियर

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 9-10

जनसंख्या वृद्धि का कृषि क विकास पर प्रभाव (रोहतास जिला) के संदर्भ में

रुना नाज*

*शोध छात्रा, स्नात्तकोतर भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

सारांश : प्रबंधक, उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में जनसंख्या का कृषि से सार्थक सम्बन्ध सर्वविदित है। वास्तव में देखा जाय तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। बोसफ ने विश्व में बदलती भूमि उपयोग प्रणालियों का अध्ययन कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जनसंख्या मे वृद्धि होने पर किस तरह एक जंगल परती (Forest Follow), झाड़ी परती(Bush Fallow), लम्बी परती(Long Fallow), छोटी परती(Short Fallow), एक फसली कृषि(Single Cropping), बहुफसली कृषि(Multiple Cropping) में परिवर्तित हो जाती है।

मुख्य शब्द : जनसंख्या, कृषि, पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण, संसाधन ह्रास आदि।

विश्व के समक्ष अनेक विकट समस्याओं में तीव्र जनसंख्या वृद्धि संभवतः शीर्ष पर है, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे इसे विविध अवांछनीय परिस्थितियों के मूल कारक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जैसे– गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, संसाधन ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण आदि की व्याख्या में सामान्यतः जनसंख्या अतिरेक आधारभूत कारक तत्व मान लिया जाता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता कि मूल अन्नोत्पादकों का बड़ा भाग ठीक से अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। दुर्भाग्यवश हमारे कृषि के क्षेत्रों में तो वृद्धि होती है, लेकिन उसका लाभ मात्र कुछ विशिष्ट कृषकों को ही मिल पाता है।

अध्ययन क्षेत्र : रोहतास जिला का गठन 10 नवम्बर 1972 को किया गया। रोहतास जिला बिहा में 24'30' उत्तरी से 25'20' उत्तरी अक्षांश एवं 84'31' पूर्वी से 84'40' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,847.82 वर्ग कि0मी0 है। जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.2 प्रतिशत है। समुद्र तल से इसकी औसत उँचाई 107.78मी0 है। इसके उत्तरी सीमा पर भोजपुर और बक्सर जिले पूर्वी सीमा जहानाबाद, अरवल, औरगाबाद तथा दक्षिणी सीमा पर झारखण्ड राज्य के पलामू और गढ़वा तथा पश्चिम भाग में कैमूर जिला स्थित है। इस जिला के दक्षिण, पश्चिम भाग से उत्तर–पूर्व की ओर सोन नदी गुजरती है, जो इसके लिए प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है।

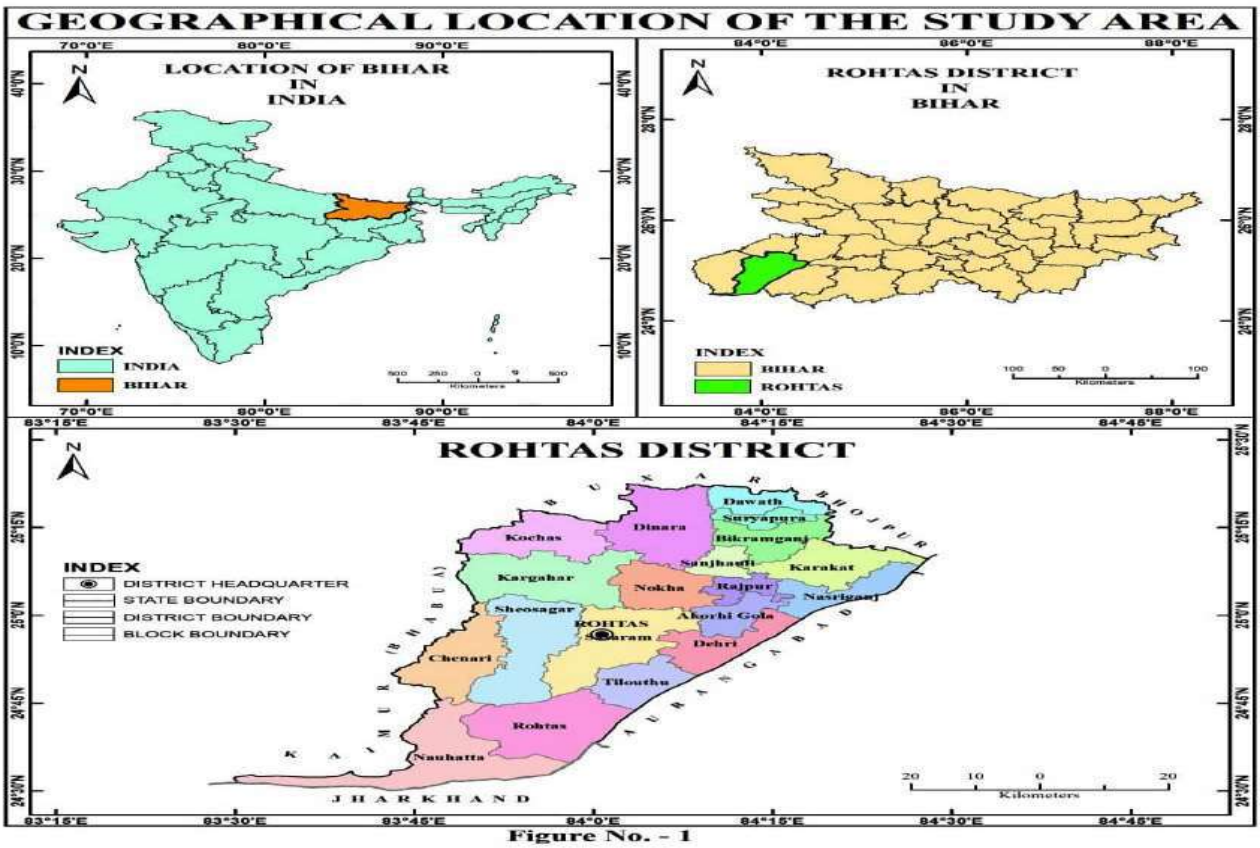

Figure No. – 1

भौगोलिक दृष्टि से जिला को दो भागों में बाँटते है–पहाड़ी और मैदानी भाग, सोन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके अलावा काव अन्य छोटी नदी है। रोहतास जिला पटना प्रमण्डल के अन्तर्गत आता है। जिसमें 19 विकास खण्ड एवं 246 ग्राम

पंचायत है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 29,59,918 है, जिसका 85.54% ग्रामीण तथा 14.46% नगरीय है। साक्षरता का प्रतिशत 73.37 जो बिहार में रोहतास जिला का प्रथम स्थान आता है। पुरूष साक्षरता महिला साक्षरता की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। जिले की कुल जनसंख्या का 18.13% अनुसूचित जाति तथा 1.05% अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है। इस जिला का सामान्य जनसंख्या घनत्व 638 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। जो राज्य के सामान्य औसत घनत्व (881 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0) से कम हैं। रोहतास जिला का नाम रघुवंशी राजा सत्य हरिशचंद्र के सुपुत्र 'रोहिताश्व' के नाम पर पड़ा है। 'रोहतास नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा हरिशचंद्र के सम्मान में उनके पुत्र ने इसे बसाया था। अतः आज उनका प्राचीन किला भी रोहतास गढ़के नाम से जाना जाता है।

जनसंख्या वृद्धि का कृषि के विकास पर प्रभाव : कृषि कार्य में जनसंख्या अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है। इससे श्रम की आपूर्ति, भूमि उपयोग की प्रविधि तथा कृषि उत्पादों की माँग प्रभावित होती है। कृषि से जनसंख्या का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। हार्पर (1945) के अनुसार मनुष्य खाद्यान्नों की लगभग सम्पूर्ण प्राप्ति भूमि से करता है। अतः जनसंख्या के अनुसार ही किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि एवं साक्षरता किसी भी कृषक समाज में कृषि में परिवर्त्तनों के लिये उत्तरदायी होती है। क्षुधा मानव को कार्य करने के लिये प्रेरित करती है तथा नये विचारों एवं कार्यों का कारण बनती है। कृषि पर जनसंख्या के आकार, घनत्व, साक्षरता, अप्रवास–उत्प्रवास तथा कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा प्रबन्धक, उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भी कृषि में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धान की कृषि के क्षेत्रों में प्रायः देखा गया है कि जैसे–जैसे जनसंख्या मे वृद्धि हुई है, धान के क्षेत्र, तकनीक तथा उत्पादकता में सुधार आता है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन एवं साथ–ही–साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कृषि और जनसंख्या क सम्बन्धों को दो रूपों मे देखा जाता है –

1. जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि भूमि का गहन उपयोग होने लगता है और तदनुसार कृषि तकनीक में परिवर्त्तन भी होने लगता है।
2. प्रबन्धक और उत्पादक के रूप में कृषि से सम्बन्धित जनसंख्या उसके विकास की नियंत्रक है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्वि ग्रामीण एवं कृषक जनसंख्या की स्थिति कृषि घनत्व तथा जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना ऐसे मानवीय कारक है जो कृषि के उत्पादन तथा उसकी गहनता को प्रभावित करता है। क्योकि जनसंख्या संबंधी विशेषताऐं ही किसी क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। तथा अपनी ज्ञान तथा तकनीक के सहारे बंजर भूमि को भी कृषि भूमि में बदल देता है। इसीलिए जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का परिणाम है कि रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। संसाधानों की उपयोगिता की दृष्टि से मानव की केन्द्रीय स्थिति है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह हमेशा प्राकृतिक संसाधनों का रूपान्तरण करके उनके साथ अनुकूलन की स्थिति तैयार करता है तथा सामंजस्य स्थापित करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पदार्थ का रूप बदल देता है, रूपान्तरण ही उसका मुख्य कार्य है। रूपान्तरण की मात्रा मनुष्य के बौद्विक, आर्थिक तथा समाजिक विकास पर निर्भर करती है।, इस रूपान्तरण में उसकी रूचि का होना आवश्यक है। प्रकृति जहाँ मनुष्य को छूट देती है वहाँ आपसी चयन के द्वारा उसका सर्वोतम उपयोग करने की कोशिश करता है। भौतिक वातावरण से प्राप्त प्राकृतिक ससाधनों में परिर्वतन एवं रूपान्तरण करने में वह तकनीकी ज्ञान एवं वैज्ञानिक उन्नति के तथ्यो की सहायता लेता है। उसके आधार पर वह मानसिक ज्ञान की सहायता लेता है। उसके आधार पर वह भौतिक वातावरण का उपयोग करने के लिए कभी कभी परिकल्पनाओं व नियमो का प्रतिपादन करता है, और उन्हीं नियमो एवं परिकल्पनाओं के सहारे आन्तरिक तथा वाहय अनुकुलन के लिए ऐच्छिक तथा अनिवार्य कार्य करता है, तथा संसाधनो से मानवीय आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करता है।

निष्कर्ष : जंगल परती एवं झाड़ी परती अति अल्प जनसंख्या एवं स्थानान्तरित कृषि से सम्बन्धित होती है, जिसमें कृषि तकनीक प्राचीन एवं कृषि गहनता न्यूनतम होती है। दूसरी तरफ घनी जनसंख्या के क्षेत्र में विकसित बहुफसली कृषि होती है। वर्ष में एक से अधिक फसल होना, उन्नत बीज सिंचाई, रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग तथा उत्पादन तकनीक में सुधार करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, भूमि उपयोग प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ हैं। जनसंख्या में वृद्धि से खाद्यान्नों की माँग के साथ–साथ रोजगार की समस्याएँ भी बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार की प्रणाली में परिवर्त्तन जनसंख्या मे बढ़ते दबाव के फलस्वरूप होता है। जिले को जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप जिले की कृषि प्रणाली में परिवर्त्तन हो रहे हैं, जिनको इस प्रकार के सूचकाँकों से ज्ञात किया जा सकता है–फसल के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि,दो फसली एवं बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि, परती एवं बंजर भूमि में ह्रास, परती एवं बंजर भूमि में ह्रास, कृषि यंत्रों के प्रयोग में वृद्धि, अन्य कृषि निवेशों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद इत्यादि के क्षेत्र में वृद्धि एवं खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में वृद्धि।

सन्दर्भ :

1. त्रिपाठी, रामदेव, जनसंख्या भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गारेखपुर
2. भगत किरन, (1984). जननांकी और भारत में जनसंख्या पुष्पराज प्रकाशन, इलाहाबाद
3. चन्दना, आर, सी. (1987). जनसंख्या भूगोल कल्याणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. लाल हीरा, 1993. जनसंख्या भूगोल, वसुनधरा प्रकाशन, गोरखपुर
5. चौहान, पी0आर0 एवं प्रसाद माहातम (2003). भारत का वृहदभूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर
6. Chandana, R.C. (2003) . Geography of Population Concept, Determinates and banarus Kalyani Publication, New Delhi.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 11-12

वृद्धावस्था एक समस्या एवं प्रस्थिति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 दयाशंकर*

*असि.प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, रोहित मेमोरियल पी.जी. कालेज, महादेवनगर, छापर, सुलतानपुर, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में वृद्धावस्था एक समस्या एवं प्रस्थिति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण का मूल्यांकन किया गया है। किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन विविध परिवर्तन को स्पष्ट करता है।

मुख्य शब्द : विकास, मानसिकता, रोग विज्ञान, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आदि।

वृद्धावस्था एक स्वाभाविक और प्राकृतिक स्थिति है। प्रत्येक बच्चा कुछ समय बाद युवा और फिर प्रौढ़ बनकर अन्त में वृद्धावस्था के स्तर पर पहुँच जाता है। वृद्धावस्था एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी समस्याएँ आमन्त्रण के रूप में व्यक्ति के पास पहुँच जाती है।[1] इस अवस्था में व्यक्ति के अन्दर उत्साह की कमी, क्षीण होती दृष्टि, श्रवण शक्ति का ह्रास, बढ़ती थकान आदि समस्याएँ अपने आप ही पैदा हो जाती है।[2]

विकास एवं क्षरण प्रकृति प्रदत्त दो गुण है जो समस्त प्राणियों को प्रभावित करते हैं। अतः मनुष्य ही इसका अपवाद नहीं है क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता को धीरे–धीरे कम करते हुए अन्ततः उसे जर्जर एवं व्याधिग्रस्त कर देती है। इस कारण से वृद्धों की मानसिकता भी विरोधाभास एवं अन्तर्विरोधों से ग्रस्त हो जाती है और वे अनेक गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वृद्धावस्था हमेशा दुःखदायी होता है। हेगेल[3] ने इस मत को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि ''वृद्धावस्था में व्यक्तित्व के विघटन, रोग विज्ञान सम्बन्धी प्रक्रिया की अपेक्षा प्राकृतिक अधिक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे उससे आधुनिक सकारात्मक नवीन व्यक्तित्व निर्माण संयुक्त कर दिया। उनके अनुसार एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने पहले से ही अपने आदेशों को क्रियान्वित करने की आशाएँ त्याग दी हैं का अनुभव किया है तथा भविष्य में किसी बात की आशा नहीं करता। इसके विपरीत वह विश्वास व्यक्त करता है कि वह उसे पहले से ही जानता है जो उस सब में जिसका वह सामना कर सकता है सामान्य तथा आवश्यक है।

परम्परागत भारतीय समाज में वृद्धों की प्रस्थिति उच्च रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में उनकी राय का विशेष महत्व रहा है। भारतीय[4] संस्कृति में बुजुर्गों को देवता तुल्य माना गया है। उनके पास पूरी उम्र का अनुभव अच्छे व बुरी परख के साथ–साथ भविष्य के प्रति सजगता कूट–कूट कर भरी होती है। वृद्ध पुरूष जब तक घर की दहजील पर मौजूद है वह परिवार के सदस्यों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। संयुक्त परिवार वृद्ध व्यक्तियों के सहारे ही खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं तथा अनुशासन के साथ–साथ एक दूसरे से भावात्मक रिश्ता भी कायम है। उनके प्रति सम्मान के मूल्य परिवार तथा समाज में प्रभावी रहें हैं। धीरे–धीरे विविध कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वृद्धों का भविष्य देखभाल की समुचित व्यवस्था से वंचित होता दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा की किसी ठोस व्यवस्था के अभाव में पारिवारिक विघटन तथा स्वार्थवाद के इस दौर में निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

वृद्ध माता–पिता को छोड़ने की समस्या आज हमारे देश में एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या का इस तथ्य से अनुमान लगा जा सकता है कि हिमांचल प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ कानून पारित कर दिया है। कानून यह प्रावधान किया गया है कि पुत्रों द्वारा वृद्ध माता–पिता को छोड़ने पर उन्हें जीवन–यापन भत्ता प्रदान करना पड़ेगा। इसी क्रम में महाराष्ट्र तथा गोवा सरकार ने भी बिल तैयार कर लिया है। अतः आज के आधुनिक परिवेश में यह बाल स्पष्ट है कि समाज में वृद्धजन को लेकर अनेक समस्याएँ विद्यमान है और इनमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। जहाँ एक ओर वृद्धजनों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वही दूसरी ओर औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण तथा संस्कारों के क्षरण के कारण वृद्धजनों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

वृद्धजन एवं युवा पीढ़ी के बीच वैचारित एवं व्यवहारिक मतभेद के कारण वर्तमान में युवा, वृद्धजन को अपनी सामाजिक व्यवस्था एवं जीवन शैली के अनुरूप नहीं मानते हैं। यह स्थिति सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी क्रम में परिवर्तन आ रहा है। साहित्य के अध्ययन से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि मानव विकास के जिस चरण पर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है वह है वृद्धावस्था। इसी कारण वृद्धजन अनेक विसंगतियों से ग्रस्त हैं तथा वे गहन समस्याओं का समाना कर रहे हैं।

वर्तमान युग में सामाजिक आर्थिक कारणों से वृद्धजनों की उपेक्षा एवं एकाकीपन की समस्या[5] गम्भीर हो गयी है। युवा पीढ़ी वर्तमान में प्रचलित जीवन मूल्यों एवं धारणओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, जबकि वृद्धजन अपने पूर्व प्रचलित मान्यताओं एवं मूल्यों को त्यागने में असमर्थ हैं। इससे युवाओं और वृद्धपीढ़ी के मध्य अन्तरपीढ़ीय संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है, अर्थ प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने पैतृक निवास स्थान को छोड़कर दूर जाकर बस जाता हैं, आर्थिक सम्पन्नता उसका मूल लक्ष्य होता है। ऐसी स्थिति में भौतिक जीवन मूल्यों से प्रभावित युवाओं के लिए वृद्धजन के प्रति सेवा सहयोग एवं सहानुभूति का कोई महत्व नहीं होता जिसकी पीड़ा वृद्धजन को भोगनी पड़ती है।

औद्योगीकरण[6] एवं नगरीकरण का प्रभाव अब सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। आज ग्रामीण युवा नगरीय क्षेत्रों की ओर निरन्तर पलायन कर रहे हैं। इस पलायन का प्रभाव पारिवारिक संरचना पर भी पड़

रहा है। इस पलायन से सुयक्त परिवार व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावित हुई ह। शहर में कार्यरत सदस्यों का परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बढ़ने लगी तथा वे प्रायः स्थाई रूप से शहरवासी बन गये। इनमें से अधिकांश लोग सीमित आर्थिक आय एवं शहरी जीवन खर्च के कारण अपने वृद्ध परिवारजनों की अपेक्षा करने लगे और ग्रामीण वृद्धों की व्यथा म वृद्धि होती गयी।

आज भारतीय ग्रामीण परिवार व्यवस्था का अध्ययन करने से पता चलता है कि वृद्धजनों की स्थिति उतनी दयनीय नहीं है जितनी कि नगरीय क्षेत्रों की है। गाँव में अभी भी सामाजिक मूल्य तथा आदर्शों के प्रति सम्मान है, लेकिन फिर भी नगरों के ही तर्ज पर आज का हमारा ग्रामीण परिवेश भी नगरीय परिवेश में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। संयुक्त परिवारों का अस्तित्व काफी हद तक टूट चुका है। पारिवारिक व्यवस्था में इस परम्परागत स्वरूप के विघटन के कारण यद्यपि वृद्धों के प्रभुत्व में काफी हद तक ह्रास हुआ। अध्ययनों से पता चलता है कि समाज व्यवस्था में परिवार एवं सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन पर सबसे अधिक प्रभाव औद्योगिक क्रांति का पड़ा है। इसके प्रभाव से मनुष्य के वैचारिक स्थिति पर अर्थ प्रधान व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है जो किसी विशेष समाज तक ही सीमित न रहकर प्रायः विश्व के सभी समाजों पर पड़ा। इससे परिवार का स्वरूप पारिवारिक सम्बन्ध एवं बुजुर्गों की पद–प्रतिष्ठा में पहले की अपेक्षा भारी बदलाव आ गया है।

उम्र के अन्तिम पड़ाव में वृद्धों के आर्थिक क्षमता का निरन्तर ह्रास होता है जिस कारण से वह आर्थिक रूप स परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो जाता है। उसकी मानसिक क्षमता की सक्रियता में अत्यधिक कमी आ जाती है और वह अन्य लोगों से सहायता व सेवा की अपेक्षा करने लगता है। ऐसे में जब बुजुर्गों के इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो वह स्वयं को अपमानित एवं अपेक्षित करने लगता है। ऐसी चिन्ता होना मौलिक तथा प्राकृतिक है क्योंकि जो आज युवा है कल उसको भी वृद्धावस्था में प्रवेश करना ही है। इसलिए इन्सान की मूल प्रवृत्ति अपने लिए सुख–सुविधा जुटाना भी है ताकि आने वाले कल को आज से बेहतर बनाया जा सके।

यदि वृद्धजनों क प्रति कर्तव्यों का पालन किया जाय तो इस अवस्था में होने वाली अनेक समस्याओं का निदान सम्भव है। जिस प्रकार से यूरोप में वृद्धों की समस्या का डटकर सामना कर रहा है उसी प्रकार भारतीय समाज भी अपनी स्वयं की ठोस भूमिका निर्धारित करे। इसके लिए शैक्षिक प्रचार प्रसार ही निर्णायक भूमिका अदा करता है और इससे वृद्धजनों की प्रस्थिति को ऊँचा उठाने में मदद मिलेगी।

अंत में रेंडल और टी. जर्मन के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों को भोजन, आवास, सुरक्षा स्वास्थ्य देखाभाल उपभोग के लिए आवश्यक, आवश्यकताएँ नहीं मिले तो बढ़ती उम्र के दुर्व्यवहार की समस्या को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। संसार की सभी जातियों को उम्र बढ़ने और वृद्ध लोगों को गरिमा से युक्त शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा लोगों को वृद्धजनों की समस्या और निदान के बारे में जागरूक होने की जरूरत है।

सन्दर्भ :

1. अग्रवाल, डॉ0 गोपालकृष्ण; भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ, पृ0 117
2. हेगेल, जी.डब्ल्यू.एफ.–10, सिस्टम डेर फिलासफी, पृ0 109
3. समाचार पत्र, अमर उजाला (माईसिटी), 2 दिसम्बर 2010
4. एवरबुख, ई.एस. साइकोलोजिकल डिसआर्डर्स इन एडवांस्ड ओल्डएज लेनिग्राड मोडित्सना पब्लिशर्स, 1969, पृ0 27–28
5. क्लार्क, एम. तथा बारबरा, जी.ए. 'कल्चर एण्ड ऐजिंग स्प्रिंग फील्ड', पृ0 111
6. सिंह, डॉ0 टी.वी. भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ, पृ0 116
7. अहूजा, डॉ0 राम; सामाजिक समस्याएँ, पृ0 114

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 13-15

रोहतास जिला में ग्रामीण बस्तियों के उत्पति एवं विकास : एक भौगोलिक अध्ययन

रवि शंकर राम*

*शोध छात्र, स्नात्तकोतर भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

सारांश : अधिवास मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृष्यों में एक अत्यंत उत्कृष्ट एवं ठोस रचना है जो भूतल पर स्थित गृह समूह एवं बसाव इकाई के रूप में दिखाई पड़ती है। अधिवास गृहों के समूह होते हैं। वास्तव में पृथ्वी के तल पर जहां भी कुछ गृह एक स्थान पर बना लिए जाते हैं उसे अधिवास कहा जा सकता है गृह ही अधिवास के सर्वप्रमुख घटक है। गृहों को परस्पर संयुक्त करने तथा एक अधिवास को अन्य अधिवास क्षेत्रों से जोड़ने के लिए मार्ग या सड़कें बनाई जाती है। अतः मार्ग अधिवास का दूसरा प्रमुख घटक है बाग–बगीचे खेत खलिहान पार्क खेल के मैदान आदि भी अधिवास से संबंधित होते हैं जिन्हें अधिवास के अन्य घटकों की श्रणी में रख सकते हैं।

मुख्य शब्द : सांस्कृतिक भूदृष्यों, अधिवास, सामाजिक, राजनीतिक कारक, धार्मिक विश्वास, रूढ़िवादी विचारधारा आदि।

अधिवास मनुष्य के तीन आधारभूत आवश्यकताओं भोजन वस्त्र एवं आश्रय में से एक है आश्रय का अभिप्राय निवास गृह से है जिसके समूहन से हो बस्तिया या अधिवास का उद्भव होता है। प्रख्यात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रूंश ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जिसमें प्रथम वर्ग के दो आवश्यक तथ्य गृह और मार्ग को माना है। उनके अनुसार मानव अधिवास मानवीय रचनाओं एवं क्रियाओं में सर्वाधिक स्पष्ट और दूर से ही दिखाई पड़ने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा ठोस रचना है। गृहों और मार्गों के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि का कृषि या पशुचारण जैसा आर्थिक उपयोग नहीं होता है। संभवतः इसी कारण से ब्रूंश ने इनके अंतर्गत प्रयोग की गई भूमि को मिट्टी का अनुतपादक प्रयोग कहा है।

अधिवास की प्रकृति सामान्यतः स्थाई प्रकार की होती है। कोई भी बसाव चाहे वह दो–चार गृहों की समूह हो अथवा सैकड़ों हजारों गृह वाली हो अधिवास कहलाती है। एस्किमों की बर्फ से निर्मित गृह समूहों और वन एवं घास क्षेत्रों की घास फूस की बनी कतिपय झोपड़ियों वाली आवास इकाइयों से लेकर पुरवा, ग्राम, नगर, महानगर, गृहनगर आदि समस्त बसाव इकाइयों को अधिवास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जहां एक ओर कुछ ही गृहों वाले पूरवा या पल्ली को अधिवास माना जाता है वहीं दूसरी ओर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों को भी अधिवास ही माना जाता है।

अध्ययन क्षेत्र : रोहतास जिला का गठन 10 नवम्बर 1972 को किया गया। रोहतास जिला बिहा में 24'30' उत्तरी से 25'20' उत्तरी अक्षांश एवं 84'31' पूर्वी से 84'40' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,847.82 वर्ग कि0मी0 है। जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.2 प्रति ात है।

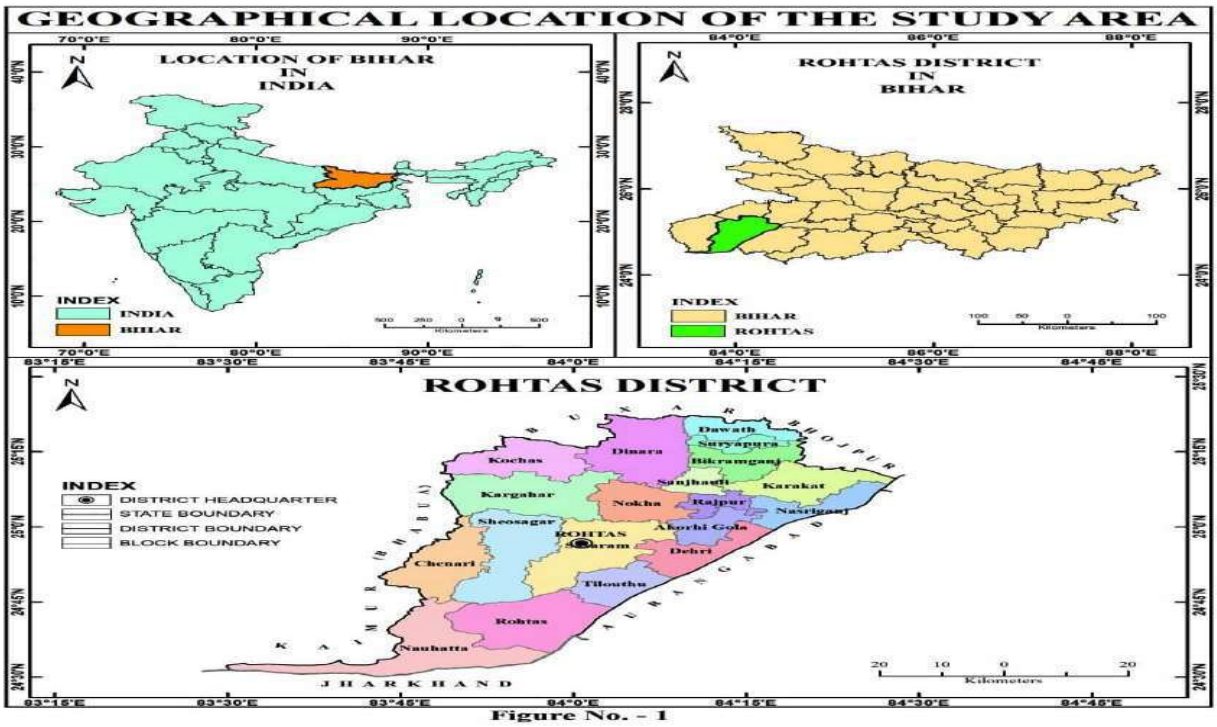

Figure No. - 1

समुद्र तल से इसकी औसत उँचाई 107.78मी0 है। इसके उत्तरी सीमा पर भोजपुर और बक्सर जिले पूर्वी सीमा जहानाबाद, अरवल, औरगाबाद तथा दक्षिणी सीमा पर झारखण्ड राज्य के पलामू और गढ़वा तथा पश्चिम भाग में कैमूर जिला स्थित है। इस जिला के दक्षिण, पश्चिम भाग से उत्तर–पूर्व की ओर सोन नदी गुजरती है, जो इसके लिए प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है।

भौगोलिक दृष्टि से जिला को दो भागों में बाँटते है–पहाड़ी और मैदानी भाग, सोन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके अलावा काव अन्य छोटी नदी है। रोहतास जिला पटना प्रमण्डल के अन्तर्गत आता है। जिसमें 19 विकास खण्ड एवं 246 ग्राम पंचायत है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 29,59,918 है, जिसका 85.54% ग्रामीण तथा 14.46% नगरीय है। साक्षरता का प्रतिशत 73.37 जो बिहार में रोहतास जिला का प्रथम स्थान आता है। पुरूष साक्षरता महिला साक्षरता की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। जिले की कुल जनसंख्या का 18.13% अनुसूचित जाति तथा 1.05% अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है। इस जिला का सामान्य जनसंख्या घनत्व 638 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। जो राज्य के सामान्य औसत घनत्व (881 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0) से कम हैं। रोहतास जिला का नाम रघुवंशी राजा सत्य हरिशचंद्र के सुपुत्र 'रोहिताश्व' के नाम पर पड़ा है। 'रोहतास नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा हरिशचंद्र के सम्मान में उनके पुत्र ने इसे बसाया था। अतः आज उनका प्राचीन किला भी रोहतास गढ़के नाम से जाना जाता है।

ग्रामीण बस्तियों के उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक : विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां भिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित हुई है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कारक सम्मिलित हैं। इन कारकों को अध्ययन की सुविधा अनुसार उल्लेख किया जाता है। मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियाँ दो प्रकार की होती है। सघन तथा विरल और यह दोनों प्रकार की बस्तियां भिन्न–भिन्न कारकों से प्रभावित हुई है।

प्राकृतिक कारक : बिहार के विभिन्न भागों में सघन बस्तियों के विकास को स्थल आकृतियां मुख्य रूप से प्रभावित की है। इस प्रकार की बस्तियों का विकास जलोढ़ मिट्टी से निर्मित समतल भाग मे हुआ है। जहां मिट्टियां उपजाऊ, मिट्टी में एकरूपता, सीमित क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने की क्षमता और बस्तियों की सुविधाओं के विकास के लिए भूमि की एकरूपता आदर्श होती है। यही कारण है कि भूमि की एकरूपता एवं सघन बस्तिया में सहसंबंध पाई जाती है। समतल मैदानी भाग में खासकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में सघन बस्तिया का विकास नदियों के किनारे स्थित ऊंची कागार पर होता है जो बाढ़ से मुक्त बसाव स्थल रहता है। ऐसे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम रूप में बनी ऊंचे टीलों पर सघन बस्तियां पाई जाती है। पेयजल की सुविधा खासकर जल स्तर बस्तियों के विकास को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जल स्तर धरातल के निकट होता है वहां कोई भी निर्माण कार्य सुलभ होता है। साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति भी अपनी पेयजल की सुविधा विकसित करने में सक्षम होते हैं और संपन्न व्यक्तियों के पेयजल पर आश्रित नहीं होते हैं। फलतः अर्द्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में सघन बस्तियॉ सुगम पेयजल के क्षेत्र में अन्य प्रकार की बस्तियों का विकास संभव हो पाता है।

आर्थिक कारक : सघन बस्तिया के विकास को आर्थिक कारकों ने भी निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत भूमि की उत्पादन क्षमता, मनुष्य को सहन करने की क्षमता, कृषि पद्धति, जमीदारी प्रथा आदि निहित है। अधिक उपजाऊ भाग में सीमित क्षेत्रों में खेती कर अधिक उत्पादन हो पाता है। कहीं–कहीं अनेक फसलें उगाई जाती है। सीमित क्षेत्र में अधिक लोगों का जीवन निर्वाह हो पाता है क्योंकि भूमि को मनुष्यों के लिए खाद्यान्न प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। कुछ फसल जैसे कि चावल का प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होता है और ऐसे फसल के उत्पादन क्षेत्र में सघन बस्तिया का विकास संभव हो पाता है। फलतः लोग अधिक संख्या में रहकर भी सीमित क्षेत्रों में खेती कर पाते हैं। यही कारण है कि प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व उपजाऊ मैदानी भूभाग में अत्यधिक है। यहां प्रतिवर्ष बरसात में नहरो के पानी से उर्वरता प्राप्त होती है और उत्पादन क्षमता बढती जाती है। कृषि के ढंग ने भी बस्तिया के प्रारूप को निर्धारित किया है। जहां की खेती प्राचीन ढंग से एक दूसरे की सहायता से संपन्न होती है वहां सघन बस्तियां पाई जाती है क्योंकि खेती के लिए खेत तैयार करने, बीज बोने, निकोनी करने, फसल काटने तथा अन्य कार्यों में एक दूसरे की सहायता लेते हैं। लोग बीज तथा आर्थिक सहायता के लिए भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और यह सुविधाएं मनुष्य समूह में ही बस कर प्राप्त कर सकता है। खेतों का विक्रयपन सघन बस्तिया के विकास को प्रभावित किया है। जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य के खेत कई जगहों पर बिखरे होते हैं वहां लोग उपयुक्त स्थल पर घर बना कर रहते हैं और चारों तरफ से बिखरे खेतों पर खेती करते हैं। जमीदारी प्रथा ने भी सघन बस्तिया को प्रभावित किया है। बसने के लिए और घर बनाने के लिए जगह, खेती के लिए भूमि, आर्थिक सहायता आदि के लिए जमींदार की इच्छा पर निर्भर रहना था और जमींदार अपने महल के चारों तरफ रैयतों को बसाता था। ताकि उससे सेवा ले सके और अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। यह प्रथा सघन बस्तिया के विकास को काफी निर्धारित की है।

सामाजिक तथा राजनीतिक कारक : सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां भी सघन बस्तिया के विकास को निर्धारित की है। इसके अंतर्गत धार्मिक विश्वास एवं संरचना, जाति की भावना, रूढ़िवादी विचारधारा, सड़क का विकास आदि सम्मिलित है। धर्म प्रधान क्षेत्रों में अनेक धार्मिक कारक सघन बस्तियों को प्रभावित करते हैं। जहां मूर्ति पूजा अथवा देवी देवताओं की जगह होती है वहां लोग उसके निकट बसते हैं ताकि वे प्राकृतिक आपत्ति के समय सुरक्षित रह सकें। ग्रामीण देवताओं के अतिरिक्त घरेलू देवताओं का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पूर्वज के निवास स्थान को जल्दी त्यागते नहीं है और कठिनाई के साथ सीमित जगह पर निवास करते हैं। अतः मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर तथा अन्य धार्मिक स्थल गांव के विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच धार्मिक उन्माद पैदा होता रहता है और कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़े भी करते रहते हैं। फलतः लोग समूह में बसना पसंद करते हैं खासकर अल्पसंख्यक लोग। धर्मों के अतिरिक्त लोगों में जातीयता की भावना भी पाई जाती है आर यह भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फलतः विभिन्न जाति के लोग समूह में बसते हैं ताकि

सुरक्षित अनुभव कर सकें। सघन बस्तिया के विकास को असुरक्षा के कारक जैसे ऐतिहासिक उत्तल पुथल अथवा बाह्य आक्रमण, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि भी प्रभावित किए हैं। पहले लोग बाह्य आक्रमणकारियों से भयभीत होकर समूह में बसते थे, कभी–कभी दीवारों से घेराबंदी करते थे। लेकिन जंगली खूखार जीवों, चोरी तथा डकैती के भय से आज भी लोग खुली जगह के बदले समूह में बसते हैं। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण सामाजिकता की सुविधा के लिए समूह में रहना पसंद करता है ताकि सामाजिक संबंध सुदृढ़ रह सके। सड़कों या आवागमन के विकास ने भी बस्तिया को प्रभावित किया है। पक्की सड़क की सुरक्षा से लोग उससे अलग हटकर नहीं बसते हैं।

विरल बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक : विभिन्न प्रकार की बिखरी बस्तियों को प्राकृतिक परिस्थितियां प्रभावित की है। सघन बस्तिया के विपरीत इसका विकास विषम स्थलाकृतिक क्षेत्रों में होता है जहां एक जगह विशाल बसाव स्थल नहीं होता, खेती के लिए विशाल समतल भूभाग नहीं होता बल्कि कटा छटा क्षेत्र होता है, छोटे–छोटे मैदान होत हैं और छोटी– छोटी नदियों से विभक्त बाहुफुट तथा छोटी नदियों के अगल–बगल छोटी–छोटी कृषि योग्य भूमि रहती है जिस पर सीमित लोगों का ही निर्वाह संभव हो पाता है। जहां जल स्तर धरातल के निकट होता है वहां बिखरी बस्तियां विकसित होती है। बाढ़ से मुक्त क्षेत्रों में भी लोग स्वेच्छा से यत्र तत्र घर बनाकर रहने में सक्षम होते हैं।

निष्कर्ष : ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित वासों का अस्तित्व तभी आया है जब से मानव ने संगठित होकर कृषि, खनन, वनोद्धम, मत्स्यकी, शिकार आदि पेशे सीखे हैं। पहले यह पेशे स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते थे। इसलिए आरंभिक अधिवास का निर्माण स्थानीय सामग्री से किया जाता था तथा किसी स्थान पर ग्रामीण अधिवास का विकसित या अविकसित होना प्राकृतिक तत्वों की अनुकूलता या प्रतिकूलता पर निर्भर करता था। प्राकृतिक तत्व जलवायु, धरातल, गृह निर्माण सामगो तथा स्थापत्य कला अधिवास के ढंगो व प्रकारों को प्रभावित किया है। यद्यपि ग्रामीण अधिवास का अपना निश्चित क्षेत्र होता है, परंतु वह दूर स्थित अन्य बस्तियों से भी संबंध रखता है। वह दूरस्थ बस्तियों से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजनीतिक दशाओं से जुड़ा रहता है। स्पष्ट है कि ग्रामीण अधिवास एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी बस्तियों पर भी निर्भर करती है। प्रायः प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या ही ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। ग्रामीण घर या अधिवास कलात्मक तो होते ही हैं वह बिना किसी योजना के बसाए भी जाते हैं। इनकी इतिहासोउत्पत्ति मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति के साथ जुड़ी है।

सन्दर्भ :

1. Pratap, R. growth & Regional Patterns of Industrial Complexes, Concept Publication, New Delhi.
2. Problem of Industrialisation in Bihar & Singh J.S.P., Bhoo Chintan Vol.-III, Nov. 1997.
3. Pratap R (1995) Growth and Regional Patterns of Industrial Complex, Concept Publication, New Delhi.
4. Karan, P.P. (1957) A Locational Pattern of the New Centres of the IndianIron and Steel Industry, Jour. Geog. 56, 366-374.Karan, P.P. (1958).
5. The Areal Distribution of Manufacturing in India, Jour.of Geog. 57, 294-300.
6. शाहाबाद डीस्ट्रीक्ट गजेटियर 1960 पृ0 11–12

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 16-18

वैश्वीकरण के दौर में आने वाली चुनौतियां.....

डॉ0 अनिल कुमार*
*एसो0 प्रो0/ सीनियर फैकल्टी ,एम0 जी0 एन0 सी0 आर0 ई0, हैदराबाद
डॉ0 योगेश कुमार मिश्रा**
**बी0 एड0 विभाग, मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : यह सार्वभौम सत्य है कि समय परिवर्तनशील है और इस समय की गति से प्रकृति के हर एक अस्तित्व का संबंध है समय के बदलाव के साथ हमारी आवश्यकताएं अपेक्षाएं जीवन मूल्य आदि बदलते रहते हैं इसी बदलाव के कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्यान्य जीवन मूल्यों में परिवर्तन होता रहा है आज हम वैश्वीकरण की अवधारणा को साकार कर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरियों को मिटा कर एक वैश्विक गांव की संकल्पना को गढ़ रहे हैं जहां विश्वस्तरीय सोच संपर्क तथा पारस्परिक लेनदेन लोगों के बीच अपरिहार्य होगा। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रचार प्रसार ने हमारी अनेकों समस्याओं को समाप्त करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है लेकिन काल के सापेक्ष आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भविष्य में करना भी पड़ेगा। इस चुनौती भरे दौर में हमारे समक्ष इन चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने तथा इनके चक्रव्यूह में फंसे मानव को इन को पहचानने और उसके उचित समाधान हेतु राह दिखाने की सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन यह चुनौतियां ही इंसान की रचनात्मकता को उत्तेजित करती हैं और सवालों के नए–नए समाधान को ढूंढने पर मजबूर करती हैं। जिंदगी में चुनौतियां डाल कर देखो अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताएं बाहर आ जाएंगी।
मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि।

मानव के अस्तित्व के साथ ही चुनौतियों से उसका साक्षात्कार होना आरभ हुआ और तभी से यह चुनौतियां लगातार अपना अस्तित्व बनाए हुई है। कुछ खत्म हुई कुछ की तीव्रता में तो कुछ की आवृत्ति में फेरबदल दिखा गरीबी आतंकवाद बेरोजगारी जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य जैसी अनेक समस्याएं समय के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो कुछ नवीन चुनौतियां मानव के सामने आ रही हैं जिनके बारे में इंसान और विज्ञान दोनों की समझ नगण्य है जिन के दुष्परिणामों की सीमाओं को हमें आँकना होगा ताकि हम अपने विज्ञान, तकनीकी, एवं आंतरिक संकल्प के बल पर इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। क्योंकि चुनौती कोई एक समस्या नहीं है हम आम तौर पर उन्हें मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जीत हासिल की जा सकती है यदि किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। आने वाले समय में जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा का विस्तार होगा। आज हमारा राष्ट्र जो विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है एक दिन विश्व का सबसे वृद्ध राष्ट्र में बदल जाएगा क्योंकि बूढ़ा होना उम्र बढ़ने की एक दशा या प्रक्रिया है जीवन में उम्र का बढना न रोका जा सकने वाला गुण है जो एक अनुवांशिक कार्यक्रम का परिणाम भी है लेकिन वैश्वीकरण के दौर में जिस गति एवं प्रकार से परिवार टूट रहे हैं उसका दुष्परिणाम वृद्धजनों को भुगतना पड़ रहा है । नई महगी चिकित्सा तकनीकी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की कमी तथा सेवा प्रदाताओं एवं रोगियों के बीच संप्रेषण की विषमता के दौर में बढ़ती उम्र की चुनौतियां व्यक्ति को लाचार बना देंगी। बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा ही व्यक्ति के लिए अभिशाप हो जाएगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच मौत का इंतजार व्यक्ति के जीवन का भयावह सच बन जाएगा क्योंकि वृद्ध जनों की सेवा सुश्रुषा हेतु परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं होगा वह मशीनों के सहारे जिंदा तो होंगे लेकिन परिवार के अभाव में उनके जीवन में नीरवता आएगी और वे जीने को अभिशप्त होंगे जहां सबसे कठिन कार्य मौत का इंतजार ही होगा।

जलवायु परिवतन की चुनौतियो से भी निपटना होगा। प्रकृति की गोद में सोए कार्बन को निकालकर खुले वातावरण मे छोड़ना मानव सभ्यता को एक दिन भारी पड़ जाएगा क्योंकि पर्यावरण ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा तोहफा है जिसका मनुष्य द्वारा मूल्य निर्धारण करना असंभव है। औद्योगीकरण की दौड़ मे बहु उत्पादन प्रणालियां ना तो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रही हैं और ना ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य तत्वों का सही मायने में उपयोग कर पा रही है जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है जिसका नकारात्मक प्रभाव मानव पशु पक्षी वनस्पतियों आदि पर दृष्टिगोचर होने लगा है भविष्य में अन्न कि नहीं वरन मानव के लिए शुद्ध जल और शुद्ध वायु की समस्या होगी और प्रकृति के लिए समस्या का कारण गरीबी नहीं अपितु अमीरी होगी जहां शुद्ध पर्यावरण के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर देना होगा 2020 की ऑक्सफैम व स्टॉकहोम पर्यावरण इंस्टिट्यूट के एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में विश्व के आधे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए 10ः सबसे अमीर लोग जिम्मेदार थे।

आधुनिकता के भौतिक लाभों को त्वरित गति से पाने हेतु अब मानव एवं मशीनों के सम्मिश्रण का दौर आने वाला है जहां मानव शरीर में ही विभिन्न मशीनों को स्थापित करके मानव की कार्य क्षमता को बढ़ाने की बात हो रही है लेकिन इन मशीनों के अस्तित्व में आने से प्रकृति के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में भी समाज को सोचना होगा उससे उत्पन्न न अभौतिक दुष्परिणामों से निपटने की हमारी सामाजिक सांस्कृतिक तैयारी शून्य है। मशीनीकरण से उत्पन्न पर्यावरण के ह्रास, बढ़ती बीमारियों वर्तमान में अवसाद व धैर्य की कमी से निपटने कि हमारे व्यक्तिगत स्तर के प्रयास भले ही सफल असफल चाहे जैसी कोशिश करें मगर एक समाज के तौर पर संगठित प्रयास गायब है मानव के मशीनीकरण से जहा उसका प्रत्यक्ष दिखने वाला कार्य सरल हो जाएगा वही जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से संभालने वाले तत्वों को नुकसान पहुंचाएगा मशीनीकरण का तार्किक परिणाम धनार्जन है

,आने वाले समय में मुद्रा एवं मशीनों के उपयोग से मानव में असमानता भी सामने आएगी भविष्य की गरीबी का मानक मानव द्वारा मशीनों का किया जाने वाला उपयोग होगा धनी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मशीनों एवं तकनीकी पर निर्भर होगा तो गरीब के पास इन चीजों का अभाव होगा और यही अभाव कालांतर मे उसे गरीबी की रेखा तक पहुंचा देगी तो आने वाले समय में मुद्रा से नहीं वरन मशीनों और तकनीकी के मानक पर अमीरी गरीबी का निर्धारण होगा।

आज जिस तरह से आतंकवाद एक वैश्विक समस्या की तरह सामने आया है उसी तरह से भविष्य में आतंकवाद का एक नया रूप ''आर्थिक आतंकवाद '' सामने आएगा जहां हमारी परिसंपत्तियों पर किसी और की गिद्ध दृष्टि होगी जो हर तरह से उस का हरण करने का प्रयास करेगा जिसमें बाजार भी शामिल होगा क्योंकि बाजार की स्वतंत्रता की अवधारणा आम आदमी को लूटना है बाजार समानता की बात एक सीमित दायरे में करता है बाजार की शर्त है कि हमें शोषण की पूरी छूट मिलनी चाहिए चाहे वह विज्ञापन के माध्यम से करें या उत्पाद की बिक्री के माध्यम से दाम बढ़ाकर यह आर्थिक आतंकवाद का उदाहरण है कि दवा की एक टेबलेट जिसके बनने की लागत रू3 होती है वह बाजार में पहुंचते ही रू50 की मिलने लगती है और बीमार व्यक्ति को खरीदना उसकी मजबूरी होती है यही आर्थिक आतंकवाद ह जहां मेरी अनुमति परिस्थिति के बगैर ही मेरी मजबूरी में मेरा पैसा बाजार के नाम पर लूटा जा रहा है और हम लाचार हैं इसी तरह से ऑनलाइन ठगी बैंकों से पैसे का अवैध हस्तांतरण आर्थिक आतंकवाद की श्रेणी में आता है जहां हम अनुमति तो नहीं देते हैं लेकिन उसके दष्परिणाम को भुगतने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह विज्ञान और तकनीकी के विस्तार से अपराध के नए–नए स्वरूपों का जन्म हुआ है। संचार साधनों की हैकिंग बैंकिंग एटीएम से आपकी अनुमति व संज्ञान के बगैर पैसों की निकासी या ऑनलाइन खरीददारी व्यक्ति के निजी जीवन में तकनीकी के माध्यम से से धमारी जैसे सेक्सटॉर्शन आदि अनेक प्रकार के नए अपराध सामने आ रहे हैं। जहां इसके वास्तविक अपराधियों का पता लगाना एक चुनौती होती है क्योंकि कभी–कभी ऐसे अपराधी देश की सीमाओं से परे रहकर भी इन अपराधों को अंजाम देते हैं।

समाज में विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित मशीनीकरण के विस्तार के कारण आर्थिक जीवन का भले ही विस्तार हो रहा है लेकिन सामाजिक जीवन का लोप हो रहा है मानव के जीवन में समाज का स्थान बाजार ग्रहण करता जा रहा है । जो चीजें कल तक समाज निशुल्क उपलब्ध कराता था आज बाजार उन चीजों का मूल्य वसूल रहा है और उसकी गुणवत्ता को समाज से बेहतर भी बता रहा है । बाजार आधारित व्यवस्था से समाज में असमानता बढ़ रही है और डर है कि इससे समाज की प्रतिस्पर्धा की भावना कहीं टकराव में ना बदल जाए। बाजारवाद के कारण ही व्यक्ति के जीवन में कला ,साहित्य ,विवाह, परिवार ,मेला, महोत्सव ,पर्व जैसी संस्थाएं अपने मूल भाव को छोड़कर बाजार आधारित सोच की तरफ बढ़ती जा रही हैं जिसका बोझ हमारी जेब पर पड़ता है जीवन में अब माता, पिता, पुत्री का महत्व संस्कारों व प्रेम पर बसी व्यवस्था से नहीं बल्कि बाजार आधारित व्यवस्था मदर्स डे फादर्स डे डॉटर्स डे के नाम पर प्रतिपादित हो रही है अब बाजार से करने लगे हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे और विज्ञापन हमें इसके लिए तैयार कर रहा है कल तक जो चीजें समाज व परिवार पर अवलंबित थी वह आज आज बाजारवाद पर अवलंबित हो गई है जिसकी तार्किक परिणति यह है कि जीवन में अब परिवार व समाज जैसी दोनों संस्थाएं कमजोर हो रही है जो कि कल तक सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन की सर्वश्रेष्ठ नियामक संस्थाएं थी। आर्थिकी के विस्तार से गरीब हर जगह संस्कृति सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं का भुक्तभोगी बन रहा है। वैश्वीकरण के तूफानी दौर में राष्ट्रो की शक्ति भी शनैः शनैः क्षीण हो रही है राजनीतिज्ञ शक्तिहीन हो रहे हैं और उसका स्थान व्यवसायिक व दवित्तीय संस्थान ले रहे हैं। आज संपत्ति का अंतरराष्ट्रीय करण न होकर केंद्रीकरण हो रहा है हम वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय करण को तरफ बड़े हैं लेकिन वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं या हमें बताया जा रहा है। आज सिर्फ पूजी ,तकनीकी, संसाधन ,वस्तु का ही वैश्वीकरण हुआ है। गरीबी भुखमरी बीमारी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रोजगार की समस्या अपने स्थान पर यथावत पड़ी है। वैश्वीकरण की अंधी दौड़ में काउंटर सोसाइटी या काउंटर कल्चर का समाज तैयार हो रहा है जो उस देश के समाज की मूल संस्कृति से अलग है और जो आगे चलकर कल्चरल लैग को पैदा करेगा। समाज के कमजोर होने का एक कारण सशक्त सरकारें भी हो रही है जो राजनीतिक बहुमत के नाम पर समाज की संवेदना का उपेक्षा करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं कर रही है। जबकि एक सशक्त राष्ट्र की यही पहचान होती है कि वहां सरकारें कमजोर व समाज मजबूत हो ।ऐसे वातावरण में राजनीतिक स्वच्छता समाज की आवश्यकता है क्योंकि स्वच्छता के अभाव एवं सत्ता के लोभ में राजनीति अपना उद्देश्य का देती है और ऐसी स्थिति में समाज का अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक है। हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि जनता लोकतंत्र को संचालित करने का कौशल साध चुकी है या देश का लोकतंत्र जनता पर इस कदर भार हो गया है कि जनता लाचार होकर लोकतंत्र को ढो रही है।

आज आधुनिकीकरण के इस दौर में मानसिक रोगों का विस्तार हो रहा है 1947 में जितना मानसिक दबाव एक पूर्ण व्यस्त आदमी पर था वह मानसिक दबाव आज कक्षा चार में पढ़ने वाले बालक पर पड रहा है ।हर साल पढ़ने वाले बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की दर इसकी गवाह है। पिछले वष 2020 में आईआईटी और आईआईएम के 241 बच्चों ने आत्महत्या कर ली जो कि आधुनिक शिक्षा व समाज दोनों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। सितंबर 2021 के बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 7000000 लोग आत्महत्या करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 15 से 19 वर्ष की युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। आत्महत्या के 90ः मामले मानसिक विकार के चलते होते हैं। तकनीकी जो मानसिक स्तर पर बच्चों को समय से पहले परिपक्वता प्रदान कर रही है वह उस वातावरण में तो बच्चे सफलता के लिए तो तैयार रहते हैं लेकिन उस जीवन में यह नहीं सिखाया जाता है कि असफलता का सामना कैसे किया जाए इस असफलता की स्थिति में वह अवसाद ग्रस्त हो जाता है। जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी के विस्तार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही मानव पूंजी अर्थात जनसंख्या का ह्रास होना आरंभ हो जाएगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा के कारण प्रजनन दर में लगातार गिरावट होगी 1950 में जो प्रजनन दर 4.7 थी जो कि 2017 में 2.4 ही रह गई जो अभी लगातार गिर रही है आने वाले समय में बच्चों से ज्यादा बुजुर्गों की जनसंख्या होगी। ''लासेंट'' की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 21 सौ में भारत की जनसंख्या 1 अरब हो सकती है रिपोर्ट का कहना है कि

2047 के बाद भारत की जनसंख्या गिरने लगेगी और जनसंख्या का गिरना किसी भी राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उथल–पुथल पैदा करेंगे जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा । तकनीकी आधारित विश्व व्यवस्था में शिक्षा व उसके पाठ्यक्रम के समक्ष भी चुनौतियां आएंगी शिक्षा का रोजगार से नहीं जुड़ने के कारण उसके विकल्प को खोजना पड़ेगा तथा इसका एक परिणाम यह भी होगा कि रोजगार के सृजन में असमर्थता के कारण भविष्य में भाषा एवं साहित्य इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र जैसे विषयों का विलोपन हो जाएगा तेजी से बदल रही दुनिया में काम करने वाले लोग भी उसी रफ्तार से बदल रहे होंगे। कृतिम मेधा व स्वचालन की अबाध गति ने पुरानी पीढ़ी को नए रास्ते पर चलने को मजबूर करेगा आज जो अवसर सामने आ रहे हैं उसमें पारंपरिक रोजगार मॉडल को छोड़कर कुछ अलग करना शामिल होगा आने वाले समय में युद्ध के नए क्षेत्र क्षेत्रीय सीमाओं से हटकर नागरिक समाज की तरफ जाएंगे जहां एक देश को परास्त करने के लिए राजनीतिक और पारंपरिक अनियमित और साइबर युद्ध के साथ–साथ अन्य प्रभावशाली तरीको जैसे भ्रामक समाचार ,कूटनीति, कानूनी पैतरेबाजी, चुनाव में हस्तक्षेप आदि का प्रयोग होगा जिसमें हिंसा का दायरा सेना से हटाकर राजनीतिक आर्थिक तकनीकी व नागरिक समाज की तरफ मोडा जाएगा । अब युद्धों में नए जमाने के हथियार होंगे जो महाविनाश के नहीं बल्कि आज आम आदमी के जीवन से निकटता से जुड़े होंगे। ऐसी लड़ाई के लिए हमें खतरे का यथार्थवादी एवं सटीक आकलन मुंह तोड़ नहीं तो कम से कम माकूल जवाब देने के लिए संसाधनों का आकलन पैसा तकनीकी हथियार मानव संसाधन आधी लड़ाई में लगने वाले इन संसाधनों की हर जगह और हर समय उपलब्धता व अपने रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन संसाधनों की चतुराई पूर्वक तैनाती करनी होगी।

जहां तक अपने अस्तित्व एवं व्यक्तित्व को बचाए रखने की बात है तो खुद में नव परिवर्तन लाने की जरूरत है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वायत्त एवं मानव रहित प्रणालियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे और जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति के जरिए तीव्र औद्योगिक विकास हो रहे होंगे जहां समानता सिर्फ एक मौलिक अधिकार नहीं होकर बल्कि एक शांतिपूर्ण समृद्ध व टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार होगी और हाशिए पर पड़ी क्षमता का उपयोग करने वाली व्यवसायीकरण नीतियां बनाना और सफल आजीविका के लिए इसके क्या मायने हैं इस पर पुनर्विचार जरूरी होगा। साथ ही प्रगति के लिए महत्वाकांक्षी होना आवश्यक होगा लेकिन अपनी प्रकृति रुचि योग्यता के अतिरिक्त में महत्वाकांक्षा आत्मघाती होगा।

सन्दर्भ :

1. बीबीसी, हिंदी समाचार, 20 जनवरी 2019 और 10 सितंबर 2021 का अंक
2. ऑक्सफैम और स्टॉकहोम, पर्यावरण संस्थान स्वीडन की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट
3. योजना पत्रिका अंक 9, जुलाई 2020, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
4. कुरुक्षेत्र पत्रिका, मासिक अंक 9 मार्च 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
5. लोढ़ा महावीरमल ...नैतिक शिक्षा विविध आयाम 2011, राजस्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 19-21

कृषि उद्योगों के विकास में नाबार्ड की भूमिका

डॉ0 महेश कुमार*

*एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एस. एन. एस. आर. के. एस. महाविद्यालय, सहरसा, बिहार

सारांश : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, अतः नाबार्ड जैसी विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ववर्ती कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम और ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 नवम्बर, 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया। कृषि और ग्रामीण कार्यों तथा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ऋण जरूरतों के पुनर्वित्त से जुड़े एक शीर्ष बैंक के रूप में 'नाबार्ड' भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहाकरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कुछ पर्यवेक्षी कार्यों को कर रहा है।

मुख्य शब्द : नाबार्ड, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंक, कुटीर उद्योग, वाणिज्यिक बैंक आदि।

देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, वहीं इन समस्याओं के समाधान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी अहम भूमिका है। अपनी इस भूमिका को बैंक सशक्त तरीके से तभी निभा सकते हैं, जब वे अपनी सेवाएं समाज के उस बड़े वर्ग तक पहुंचाएं, जो अब तक इनसे वंचित रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है। बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई है तथा बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदात्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, पर चिंता की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के एक बड़े वर्ग कम आय वाले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पायी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस हेतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह व ठेका कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसोचैम एवं आर्न्स्ट एंड यंग के सर्वे में कहा गया है कि देश में 14.8 करोड़ ग्रामीण परिवार में से 8.9 करोड़ परिवार कृषि से जुड़े है। इनमें से 4.6 करोड़ वित्तीय सेवा के दायरें से बाहर है। अध्ययन में कहा गया है कि कंपनियां कृषि उत्पादों के लिए जोखिम प्रबंधन तथा बाजार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती है जिससे किसानों एवं बैंक के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।[1]

बैंकिंग सेवाए और वित्तीय समावेशन : हाल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से एवं बैंकिंग सेवाओं में विशेष रूप से तीव्र प्रगति हुई है। फिर भी वित्तीय क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सबसे प्रारंभिक अवसरों और सेवाओं से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से असुरक्षित समूह जैसे कमजोर वर्ग और निम्न आय वाले वर्ग अब भी बाहर है। वित्तीय समावेशन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार ने डॉ0 सी. रंगराजन की अध्यक्षता में ''वित्तीय समावेशन पर समिति'' का गठन किया। इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 जनवरी 2008 को को प्रस्तुत की। वित्तीय समावेशन पर समिति ने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार परिभाषित किया है– ''असुरक्षित समूहों जैसे कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों द्वारा जब भी आवश्यकता हो, कम लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय से तथा पर्याप्त ऋण तक पहुंच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया''।[2] अन्य सिफारिशों के साथ–साथ समिति ने दो निधियां–वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की है। यह दोनों निधियां नाबार्ड में स्थापित की गई है।

वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं, जैसे– पेंशन, बीमा व पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्ग के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। अन्य शब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादो से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। वित्तीय समावेशन में ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। हालांकि वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम वित्तीय समावेशन से संबंधित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराएं।[3] इससे उनको वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और वे इसमें होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी कम है, जबकि वित्तीय साक्षरता की स्थिति तो ओर भी चिन्ताजनक है। ऐसी दशा में ग्रामीणों के बैंक खाते यदि खोल भी दिए जाएं तो भी वित्तीय जागरूकता के अभाव में उनका संचालन एवं उपयोग सही रूप में नहीं कर पाएंगे। वित्तीय समावेशन की ग्रामीण विकास में भूमिका को राज्य सरकारों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया है। अतः इनका सहयोग न मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

विगत वर्षों में, देश में गैर–पंजीकृत वित्तीय संस्थाएं, बैंक, चिटफंड, कमेटी इत्यादि के द्वारा गांव में धोखाधड़ी करने के मामलों में वृद्धि हुई है, जिस कारण वित्तीय मामलों में शंका एवं भय का माहौल बना है। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु शून्य

शेष आधारित खाते, बायोमैट्रिक एटीएम जैसे प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे खातों के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय तकनीक एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी का अभाव रहता है। ग्रामीण वित्तीय समावेशन में एक बड़ी चुनौती ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु ये बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा अपने व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने से हिचकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु आज इन बैंकों का उद्देश्य सामाजिक बैंकिंग से परिवर्तित होकर लाभोन्मुखी हो गया है। अतः ये बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी बदलाव भी वित्तीय समावेशन के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण वित्तीय समावेशन को सफल बनाने संबंधी सुझाव वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर देश क आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन में बैंकों को सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना होगा।

नाबार्ड के प्रमुख कार्य : नाबार्ड ने वर्ष 2008 में अपने संचालन मुनाफे एक आई. टी. निधि का सृजन किया है। इस फंड के अंतर्गत दिनांक 01.04.2012 तक 101 करोड़ रूपये की सहायता राशि संवितरित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विविध कार्यों को सहायता प्रदान की जा रही है– विस्तृत परियोजना विधि के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाएं इस निधि के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, कषि विज्ञान, वित्तपोषण संस्थानों, सामाजिक संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विभिन्न राज्यों में स्थित संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक एजेंट को ये परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, स्थायी आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों में उत्पादकता बढ़ाने, सूचना प्रसारण करना होता है। ये परियोजना समान्यतः 2 से 3 वर्षों के लिए मजूर की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस निधि के अंतर्गत कुल 18 राज्यों में 211 प्रस्तावों हेतु कुल 5.66 करोड़ रूपये की सहायता राशि मंजूर की गई थी। अब तक समेकित कुल 1282 परियोजनाओं को 80.82 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता मंजूर की जा चुकी है।[4] अनुमान है कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों में लगभग 4 लाख परिवारों को सीधे तौर पर शामिल किया जा चुका है।

कृषि और ग्रामीण कार्यों तथा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ऋण जरूरतों के पुनर्वित्त से जुड़े एक शीर्ष बैंक के रूप में 'नाबार्ड' भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहाकरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कुछ पर्यवेक्षी कार्यों को कर रहा है। सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें देता है। राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में ऋण निगरानी व्यवस्था का प्रबंध करता है। नाबार्ड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (6) के प्रावधानों के तहत राज्य सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करने की वैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नाबार्ड स्वैच्छिक आधार पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, आदि जैसी राज्य–स्तरीय सहकारी संस्थाओं का आवधिक निरीक्षण भी करता है। फसलों की उत्पादकता एवं अन्य कृषि कार्यकलापों को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं स्थानांतरण को महत्व देते हुए विकास नीति विभाग विविध कार्यों में सहायता देता है, जिससे कि किसानों को उन एजेंट के साथ सम्पर्क करने में आसानी हो जो इनपुट्स, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट, विस्तार, मार्केट इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करती है।[5] किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाए जाने तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से उनके द्वारा स्वीकृत पैकेज के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ववर्ती कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम और ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 नवम्बर, 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया।[6] कृषि और ग्रामीण कार्यों तथा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ऋण जरूरतों के पुनर्वित्त से जुड़े एक शीर्ष बैंक के रूप में 'नाबार्ड' भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहाकरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कुछ पर्यवेक्षी कार्यों को कर रहा है।

ग्राम विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांवों का समग्र विकास : नाबार्ड के ''ग्राम कार्यक्रम'' में ग्राम समुदाय के परामर्श से गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास की परिकल्पना है, जिसे सरकार तथा नाबार्ड के विविध विकास कार्यक्रमों के साथ मिलकर चलाया जाता है। इसमें तीन वर्ष की अवधि में गांव के संपूर्ण विकास के लिए योजना तथा विविध विकास कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर दिया जाता है। पहले चरण में यह कार्यक्रम 811 गांवों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 25 राज्यों के कुल 1068 गांवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम ने देशभर के बहुत से गांवों में ग्रामीण समुदाय के जीवन तथा उनके जीवन–स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कार्यक्रम की सफलता की कहानियां छत्तीसगढ़ में जिला रायगढ़ के कपूरतुंगा गांव, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के इरलापदु गांव तथा कर्नाटक में गडग जिला के कल्लिगनुर गांव में उदाहरण स्वरूप देखी जा सकती है।[7]

सहकारिता के लिए कोर बैंकिगं सोल्यूभान (सीबीएस) नाबार्ड ने सहाकारी बैंकिगं प्रणाली को सीबीएस में लाने मे मदद करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की परियोजना में 16 राज्यों और 03 केन्द्रशासित प्रदेशों में 205 बैंकों की 7088 शाखाओं में सीबीएस लागू किया गया।

नैबकान्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकान्स) ग्राहकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2012–12 के दौरान कंपनी ने परामर्श कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने परामर्श कारोबार में एक प्रभावशाली और विविधकृत प्रदर्शन किया और 25.75 करोड़ रूपये की आय अर्जित की। इसने विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और मूल्यांकन अध्ययन तैयार करके वाणिज्यिक कृषि परियोजनाओं में निजी निवेश और वित्तपोशण को बढ़ावा देने में मदद की।[8]

ऋण के मुख्य प्रयोजन कृषि क्षेत्र : कृषि और अनुशंगी गतिविधियां यथा लघु सिंचाई, कृषि भूमि विकास, मृदा संरक्षण, डेयरी भेड़, बकरी पालन, पॉल्ट्री, सुअर पालन, बागवानी, वानिकी, मत्स्यपालन भंडारण एवं मार्केट यार्ड बायोगैस और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्त्रोंतों रेशमपालन, मधुमक्खी पालन पशपालन और बैलगाड़ी कृषि प्रसंस्करण कृषि सेवा केंन्द्र इत्यादि में ऋण देने का प्रावधान नाबार्ड द्वारा किया गया है। शिल्पकार लघु और सूक्ष्म उद्यम हस्तशिल्प हथकरघा पावरलूम इत्यादि में नाबार्ड द्वारा ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

लघु और मध्यम अवधि के ऋण : आधुनिक कृषि जो पारम्परिक खेती से अलग है में उच्च उपज किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और महंगे कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवर्ती प्रकृति का पर्याप्त निवेश अपेक्षित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैको व अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम क अनुसार सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणो को पुर्नवित्त के माध्यम से उनकी तरलता को बढ़ाया जाएगा। महिला उद्यमी योजना के तहत अल्पवित्त संस्थाओं का समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे महिलाओं, महिला समूहो, संयुक्त देहता समूहों, स्वयंसहायता समूहों को आगे उधार दे सकें जिसमें कि वे ऐसी अर्ह सम्पतियों का सृजन कर सके जोकि एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम चलाने हेतु अपेक्षित है और कृषि इतर आय अर्जक गतिविधियां चला सकें। व्यावसायिक व्यक्तियों को उनकी दुकान, व्यापार, व्यावसायिक गतिविधियों, बचत, उद्यमों को चलाने, गैर–कृषि आयअर्जक क्रियाओं को चलाने, आवश्यक मशीन खरीदकर सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु ऋण की व्यवस्था के लिए भी अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अल्पावधि के तहत निम्नानुसार पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध हैः– राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के माध्यम से प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से व्यक्तिगत बुनकरों, हथकरघा बुनकर समूह, मास्टर बुनकरों, पारस्परिक रूप से सहायता प्रापत सहकारी समितियों और सहकारी क्षेत्र से बाहर की समितियों और निर्माता समूह की कार्यशील पूंजी और विपणन की अपेक्षाएं।

निवेश ऋण से आस्ति निर्माण के माध्यम से पूंजी निर्माण होता है। इसमें तकनीकी उन्नयन शामिल है। जिसके कारण उत्पादन उत्पादकता और कृषकों एवं उद्यमियों की वृद्धिशील आय में वृद्धि होती है। यह दीर्घावधि पुनर्वित सुविधा है। ऋण सामान्यतः 3 से 15 वर्षो के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित शिल्पकार, लघु उद्योग गौर कृषि क्षेत्र (लघु एवं सूक्ष्म उद्यम) हथकरघा हस्तशिल्प पावरलूम इत्यादि क्षेत्रों में आय उत्पादक आस्तियों का निर्माण करना है।

निष्कर्ष : हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा एवं स्वरूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा जबकि अन्य बैंकों की भांति इन बैंकों को भी स्वतंत्र निर्णय की छूट प्रदान की जानी चाहिए। नाबार्ड विशेषीकृत वित्तीय संस्था हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जरूरतों को पूरा करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड, कृषि एवं लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं। चूँकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, अतः नाबार्ड जैसी विशेषीकृत वित्तीय संस्थाआ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन बैंकों के मानव संसाधन विकास को भी उन्नत करना होगा क्योंकि ये बैंक भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था के स्थायी स्तम्भ हैं।

सन्दर्भ :

1. टेकाम, केशव एवं दहायत, तुलसीराम, व्यवसायिक कृषि से बदलता किसानों का तकदीर, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 03, पेज 31
2. कुमारी, सबीता, वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, पेज 41
3. सिंह, नरेन्द्र पाल एवं सिंह, लोकेन्द्र, गांव के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, पेज 32
4. वहाँ, पेज 34
5. कुमारी, सबीता, वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, पेज 42
6. डॉ0 सुरेन्द्र कटारिया, आर्थिक नीति एवं प्रशासन, मल्लीक एंड कम्पनीं (2007), जयपुर, पेज 118
7. नाबार्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, 2005 से 2012
8. कुमारी, सबीता, वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, पेज 44

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 22-24

बिहार के औद्योगिक विकास की बाधाएँ : एक समीक्षा

डॉ0 दीपनारायण यादव*

*एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, पार्वती साइंस महाविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

सारांश : वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बिहार के औद्योगिकीकरण के लिए ठोस और भरपुर प्रयास नहीं किए गए। बिहार सरकार ने इसका सबसे बड़ा कारण यह स्वीकार करते हुए बतलाया है कि स्वयं सरकार के पास भी पूँजी निवेश करने के लिए धन का अभाव है, राज्य की जनता के पास तो इसका है ही। बिहार सरकार ने आठवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत स्मारक पत्र में स्वीकार किया है कि न्यून आय, न्यून बचत और फलस्वरूप न्यून पूँजी निर्माण के कारण अपने विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की क्षमता बिहार के पास है ही नहीं। खनिज संसाधन रहित बिहार ओद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, यहाँ स्थानीय संसाधनों, कृषिक उत्पादों एवं सरलता से उपलब्ध अन्य संसाधनों पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग सीमित संख्या में पाए जाते हैं।

मुख्य शब्द :बिहार, औद्योगिक विकास, प्राथमिक उद्योग, वित्तीय सहायता, नाबार्ड आदि।

आर्थिक विकास के अध्ययन की प्रारंभिक अवस्था में यह देखा गया था कि अपेक्षाकृत गरीब देश अपने अधिकांश संसाधनों के प्राथमिक उद्योगों–विशेषकर कृषि और कभी–कभी खनिज संपति में लगाए हुए हैं जबकि विकसित धनी देश माध्यमिक उद्योगों–निर्माण उद्योग में। इससे आवश्यक किन्तु गलत निष्कर्ष यह निकला कि ऊँची आय प्राप्त करने का रास्ता निर्माणी उद्योगों का विकास हैं। अब यह व्यापक रूप से माना जाने लगा है कि अर्थव्यवस्था का साधनों का उपयोग संबंधी वितरण से संबंधित रूपांतरण उससे कहीं अधिक समक्ष प्रक्रिया है जितनी की प्रथम दृष्टिपात में प्रतीत होती है। उद्योगीकरण के कारण और उसके साथ आय में वृद्धि होती है। इसलिए उद्योगीकरण किया जाना वांछनीय है।[1]

खनिज संसाधन रहित बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, यहाँ स्थानीय संसाधनों, कृषिक उत्पादों एवं सरलता से उपलब्ध अन्य संसाधनों पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग सीमित संख्या में पाए जाते हैं। बड़े उद्योग बन्द हो चुके हैं। जीवित उद्योगों में कालीन एवं दरी निर्माण उद्योग कम्बल बुनाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, बीड़ी उद्योग, ईट उद्योग, गुड़ उद्योग, पीतल तथा तांबा के बर्तन बनाने का उद्योग, चावल मिलें, काष्ठ उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, चर्म उद्योग और दुग्ध उद्योग प्रमुख हैं।

बिहार में मानपुर प्राचीन उद्योग क्षेत्र है। यह हैन्डलूम उद्योग करीब 450 वर्ष पुराना है। उस समय के पटवा विभिन्न प्रकार का 'पिताम्बर' जो टसर सिल्क द्वारा निर्मित होता था, बनाते थे पर बाद में छोटानागपुर क्षेत्र से कच्चा सिल्क मँगाने तथा भागलपुर में इस उद्योग के विकास के कारण 1930 के बाद मानपुर के बने सिल्क कपड़े की माँग कम होती गई। इससे प्रभावित होकर ये पटवे 1950 के बाद हैन्डलूम कपड़े के उद्योग में लग गये। वस्त्र बुनाई उद्योग को अत्याधुनिक बनाने के लिए शहर के मानपुर इलाके में भारत सरकार ने पावरलूम सर्विस सेंटर नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान खोल रखा है। यहाँ वस्त्र बुनाई तकनीक में तीन एवं छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता के विभिन्न स्वरूप : बैंकों द्वारा उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों के परिमाण में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। अल्पकालीन ऋण उद्योगों की चालू अवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यागों के विकास तथा विस्तार हेतू पूँजी, की आवश्यकता होती है। इसका कुछ भाग नए पूँजी निगमनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा लाभों में पुनर्विनियोग के के द्वारा भी इनकी आंशिक रूप में व्यवस्था की जाती है।[2] शेष भाग की पूर्ति के लिए औद्योगिक कम्पनियाँ एवं विशिष्ट संस्थाओं पर निर्भर होती है। उद्योगों के विकास के पिछले तीस वर्षों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। नाबार्ड के ''ग्राम कार्यक्रम'' में ग्राम समुदाय के परामर्श से गांवों के सिमन्वित एवं समग्र विकास की परिकल्पना है, जिसे सरकार तथा नाबार्ड के विविध विकास कार्यक्रमा के साथ मिलाकर चलाया जाता है। इसमें तीन वर्ष की अवधि में गांव के संपूर्ण विकास के लिए योजना तथा विविध विकास कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर दिया जाता है। पहले चरण में यह कार्यक्रम 811 गांवों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 25 राज्यों के कुल 1068 गांवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम ने देशभर के बहुत से गांवों में ग्रामीण समुदाय के जीवन तथा उनके जीवन–स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।[3]

औद्योगिकीकरण की राह में बाधाएँ : औद्योगिकरण की राह में एक और बाधा है बिहार के स्थानीय बाजार का सीमित आकार होना। स्थानीय बाजार का यह सीमित आकार संरचनात्मक कमजोरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाजार के साथ–साथ औद्योगिकीकरण के संबंध को मन्दता समझने के लिए हमें ध्यान रचना चाहिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कृषि और उद्योगों के बीच में अगर कोई सम्बन्ध न हो तो औद्योगिकीकरण में अनिवार्य है। बिहार की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। उद्योग के विकास की एक शर्त है–पर्याप्त पूँजी की उपलब्धी। जाहिर है कि बिहार की पिछड़ी कृषि व्यवस्था इस पूँजी की पूर्ति नहीं कर सकती। उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर खनन क्षेत्र से ही उपलब्ध हो सकेगा, कृषि आधरित उद्योगों (जैसे–चीनी मिल) को छोड़कर।

बैंकिंग और गैर बैंकिंग स्रोतों से भी बिहार को अब तक अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम सहायता मिली है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े बतलाते हैं कि गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रति व्यक्ति सहायता का औसत भारत में 147 रुपया है जबकि बिहार में यह केवल 44 रुपया है।

कृषि ऋण के सन्दर्भ में भी जहाँ प्रति हेक्टेयर सहायता के रूप में अब तक तमिलनाडु को 465 रुपये, पंजाब को 437 रुपये, आन्ध्र प्रदेश को 353 रुपये और हरियाणा को 30.6 रुपये मिले, वही बिहार को केवल 133 रुपये ही मिले। इसी तरह से 1981 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद बिहार को प्रति व्यक्ति अग्रिम के रूप में 122 रुपये मिले जबकि महाराष्ट्र को 1032 रुपये, तमिलनाडु को 594 रुपये, कर्नाटक को 502 रुपये और हरियाणा को 475 रुपये मिले।[4] बैंकों में जमा और अग्रिम अनुपात का राष्ट्रीय औसत 3 और 2 का है जबकि बिहार में यह 5 और 2 है।

इसका अर्थ यह है कि बिहार में बैंकों में जमा धन तो अधिक होता है लेकिन बैंकों द्वारा बिहार में ऋण बहुत कम दिया जाता है और इस प्रकार यहाँ की जनता का जमा धन बिहार के विकास के काम में नहीं लगकर दूसरे राज्यों विशेष कर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अन्तरित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि बिहार की क्रयशक्ति दूसरे राज्यों में अन्तरित होती चली जाती है और स्वयं बिहार के लिए कम हो जाती है। इसके चलते बिहार में जहाँ बिक्रीकर की दर देश में सबसे अधिक है वहीं बिक्रीकर के रूप में प्रति व्यक्ति राजस्व सबसे कम है।[5]

औद्योगिक संरचना की कमजोरी को ही बिहार के औद्योगिकीकरण की राह में सबसे कठिन बाधा मानी जाती है। लेकिन यह निदान एक अर्द्ध सत्य है। बिजली, सड़क औद्योगिक केन्द्रों पर नागरिक सुविधाएँ बिहार में निसंदेह कम है। लेकिन देश के कई एक क्षेत्रों में औद्योगिक संरचना की उपलब्धि उतना कम है जितना कि बिहार में है। बम्बई स्थित नामी संस्था ''सेन्टर फार मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमि'' भारत के सभी राज्यों के लिए औद्योगिक संरचना की उपलब्धि का एक सूचकांक तैयार करती है जो राष्ट्रीय सूचकांक को 100 मानती है। भारत के 16 मुख्य राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ का यह सूचकांक बिहार से भी कम है। यह द्रष्टव्य है कि उनमें से 5 राज्यों में (कर्नाटक, उड़िसा, राजस्थन और तामिलनाडु) पूँजी निवेश का स्तर बिहार से कई गुणा ज्यादा है। इसलिए औद्योगिक संरचनात्मक कमजोरी का स्वीकार करते हुए भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में औद्योगिक प्रगति की राह में बाधाएं दूसरी भी है।[6] विशेष रूप से, ततीयक उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार और सरकारी व्यक्तिक तथा घरेलू सेवाएँ सम्मिलित है और माध्यमिक उद्योग अथवा निर्माणी उद्योग आर्थिक विकास की न तो आवश्यक दशा है और न पर्याप्त ही। किन्तु तब भी यह सामान्यतया उच्चतर आयो के साथ–साथ और उसका कारण भी हो सकता है। जो हो, किसी भी दशा में आर्थिक विकास साधनों का रूपांतरण अथवा पुर्नगठन चाहता है क्योंकि आय में वृद्धि आवश्यकताओं की प्रकृति में परिवर्तन लाती है।[7]

बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिए विशिष्ट प्रकोष्ठ : रिजर्व बैंक द्वारा बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिए एक विशिष्ट प्रकोष्ट की स्थापना की गयी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रुग्ण उपक्रमों (Sick Enteprises) के प्रति वित्तीय संस्थाओं के दृष्टिकोण में सुधार लाना है ताकि बिना विलम्ब के उनकी पहचान (Identification) की जा सके आर उनके पुनर्संस्थापन की दिशा में उचित उठाये जा सकें। यह प्रकोष्ट रुग्ण उपक्रमों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा उनके लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचे के निर्माण के विषय में उपयोगी सुझाव देगा तथा बीमार उपक्रमों के उपचार के क्षत्र में कार्यरत विभिन्न एजेन्सियों (बैंकों, वित्तिय–निगमों तथा सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी संगठनों) की नीतियों एवं कार्यप्रणालियों में समन्वय स्थापित करेगा।

अब रिजर्व बैंक द्वारा हेल्थ कोड प्रणाली (Health Code System) लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत उधार–खातों की बारीक छानबीन की जाती है ताकि मानीटरिंग के द्वारा समय से पहले ही रुग्णता के लक्षण पहचाने जा सके। भारत के पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) द्वारा जून 1988 तक 185 बीमार इकाइयों को पुनर्निर्माण किया जा चुका था। मई 1986 में भारत के औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) द्वारा लघु उद्योग विकास कोष (Small Industries Development Fund) की स्थापना की गयी। जहाँ तक विशाल एवं मध्यम बीमार इकाइयों का प्रश्न है इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) की स्थापना कर दी गयी है। यह एक अलग कदम जिससे बड़ी एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों में रुग्नता के लक्षणों की पहचान समय रहते उनका उपचार किया जाता है।[8]

लघु और कुटीर उद्योग की उन्नति के लिए प्रयास : बिहार सरकार के हैंडलूम कुटीर और लघु उद्योग विभाग का कहना है कि सरकार लघु और कुटिर उद्योग की उननति के लिए हरसंभव प्रयास कर रही ही है तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बुनकरों शिल्पकारों को भी सम्बद्ध कर उसकी सहायता पहुँचाने के लिए निर्देश दिया गया है। बुनकर के गाँवों को भी इंदिरा आवास योजना से जोड़ने वहाँ शौचालय की व्यवस्था करने बिजली देने स्वास्थ्य केन्द्र खोलने आदि का आदेश सरकार के स्तर से दिया जा चुका है। बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों का क्रय विभिन्न काराओं में रहे कैदियों के लिए किया जायेगा ताकि बुनकरों को अपने रोजगार में वृद्धि का सुअवसर हो।

गया जिला में वर्ष 1993–94 से लेकर वित्तीय वर्ष 2000–2001 तक प्रधानमंत्री रोजगार के अन्तर्गत कुल 3803 लक्ष्य के विरूद्ध 6777 आवेदन बैंकों को भेजे गये थे जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा 2677 लोगों को ही 2050.52 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। उसमें से 2058 लोगों के बीच 1601.56 लाख का ऋण भुगतान किया गया। इनमें से 236 आवेदन के बीच 214.86 लाख ऋण की स्वीकृति दी गयी है तथा 23 आवेदकों के बीच 12.58 लाख रुपये ऋण के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। लघु उद्योग मंत्री ने बताया कि 1995–96 तक इस जिला में कुल 8536 लघु औद्योगिक ईकाइयां निबंधित थीं जिसमें 47.924 लोगों को नियोजन प्राप्त था। 1996–97 से लेकर 2000–2001 तक 5 लघु ईकाइयां 833, टाईनी इकाइयां तथा 524 शिल्पीकृत इकाइयां निबंधित हुई। इस तरह कुल 9,798 इकाइयां निबंधित हुई जिनमें से गत वित्तीय वर्ष तक 9228 प्रकार के उद्योग जिले में चल रहे हैं जिनका कुल पूँजी निवेश 4462.99 लाख रुपया है। इन औद्योगिक इकाइयों में 48546 लोग नियोजित है। विविध कारणों से 570 इकाइयां बन्द पड़ी हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 में जनवरी माह तक एक लघु इकाई, 56 टाईनी तथा 73 शिल्पीकृत इकाइयों कुल 130 इकाइयों का निबन्धन जिला उद्योग केन्द्र गया द्वारा किया गया है और उससे 302 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।[9]

कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि–तकनीक मूलभूत सुविधा कोश (एटीआईएफ) के जरिए राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) इसे पूरे देश में चयनित विनियमित बाजारों में तैनाती योग्य आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण द्वारा लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ (एसएफसी) के माध्यम से स्थापित करेगा। इसके तहत वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की परियोजना के लिए 200 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की गई है। किसान और व्यापारी देशभर में पारदर्शी तरीके से इष्टतम दामों पर कृषि पदार्थो की खरीद/बिक्री कर सकें, इसके लिए 585 विनियममित बाजारों को आम ई–मंच के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा इसकी पहुच बढ़ाने के लिए निजी बाजारों को भी इस तरह से ई–मंच के उपयोग की अनुमति दी है।[10] हाल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से एवं बैंकिंग सेवाओं में विशेष रूप से तीव्र प्रगति हुई है। फिर भी वित्तीय क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सबसे प्रारंभिक अवसरों और सेवाओं से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विशेषकर असुरक्षित समूह जैसे कमजोर वर्ग और निम्न आयवर्ग वाले अब भी बाहर है।

निष्कर्ष : आय, बचत और पूँजी निर्माण की कमी तथा पर्याप्त योजना व्यय के अभाव के कारण बिहार पिछड़ेपन के दुष्चक्र में इस बुरी तरह फँस चुका है कि उसे निकल पाना अकेले बिहार की बलबुते की बात नहीं रह गई। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ऊँचा हो जाता है। इस स्थिति का यह परिणाम हुआ है कि कुछ खास मौसमों में और कुछ खास स्थितियों में तो स्थायी आधार पर इस राज्य से श्रमिकों का दूसरे राज्यों में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में प्रवास होता रहता है जिससे कि वे अधिक लाभदायी रोजगार पा सक। इस प्रकार बिहार राज्य अपने ही श्रम बल से वंचित रह जाता है जबकि यही श्रम बल दूसरे राज्यों के विकास लिए ठोस आधार प्रस्तुत करता है। ऐसे श्रम का राज्य के अन्तर्गत ही यदि उपयोग किया जायगा तो इससे राज्य के औद्योगिक विकास में सुविधा मिलेगी। वृहद उद्योगों के साथ हो साथ लघु एवं कुटी उद्योग तथा ग्रामोद्योग का उत्थान किया जाय। गाँव, जिला और प्रमण्डल स्तर पर छोटे–छोटे व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाय।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, श्रीधर, "आर्थिक विकास–सिद्धान्त, समस्याएँ एवं नीतियाँ, 1988, पृ.435
2. नारायण जयप्रकाश, औरंगाबाद जिला के लघु एवं कुटीर उद्योगों का औद्योगिक अध्ययन, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध–प्रबन्ध, 1993, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
3. कुमारी, सबीता, वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की
4. अग्रवाल, ए. एन., भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं आयोजन, 2001, दिल्ली, विश्व प्रकाशन, पृ.435
5. अग्रवाल, ए. एन., भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं आयोजन, 2001, दिल्ली, विश्व प्रकाशन, पृ. 480
6. वही, पृ. 489
7. सिंह, अमर कुमार, "बिहारः विकास की गाथा" बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1998, पृ. 200
8. प्रसाद, सुरेश नन्दन, औद्योगिकरण और औद्योगिक वस्तियों बिहार के रोहतास जिले के विशेष संन्दर्भ में, अप्रकाशित पी0–एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, 1988, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
9. हिन्दुस्तान पटना से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, 14 फरवरी, 2002
10. कुरूक्षेत्र, वर्श61, अंक 10, पेज 26

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 25-26

जोत आकार एंव कृषि परिवर्तन एक भौगोलिक अध्ययन

अब्दुल कलाम*
*शोध छात्र, (भूगोल विभाग), श्री दुर्गा जी पी0 जी0 कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़, उ0प्र0
डॉ0 विरेन्द्र दुबे**
**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, (भूगोल विभाग), श्री दुर्गा जी पी0 जी0 कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ, उ0प्र0

सारांश : कृषि का विकास विश्व में मानव सभ्यता के विकास के साथ प्रारम्भ हुआ। प्राचीन काल से लेकर आज तक जैसे–जैसे मानव सभ्यतायें विकसित होती गयी वैसे–वैसे कृषि में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी के तापमान और जलवायु में भी परिवर्तन के साथ कृषि में भी परिवर्तन हुआ है।

मुख्य शब्द : कृषि, तकनीकी विकास, वाणिज्यिक, जनसंख्या, औद्योगिक विकास आदि।

भारत सहित विश्व के सभी विकासशील देशों में पिछले चार दशकों में कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है साथ ही भूमि उपयोग, जोत आकार, शस्य प्रतिरूप, सिंचित क्षेत्र एंव उत्पादन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं प्राचीन काल में कृषि जीवन निर्वाह का साधन मात्र थी समय परिवर्तन के साथ मानव ज्ञान में वृद्धि हुई है जिससे नये–नये यंत्रों के विकास ने परम्परागत तरीकों का स्थान ले लिया है तथा तकनीकी विकास के साथ मानव पिछले कुछ दशकों से खाद्यान्न के साथ–साथ वाणिज्यिक कृषि करने लगा है। जोत आकार एंव कृषि परिवर्तन से सम्बंधित अध्ययन पुर्व में कई विद्ववानों द्वारा किया गया इस संदर्भ में इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डडले स्टाम्प[1] द्वारा किये गये कार्य को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जा सकता है इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से प्रस्तुत किया। लिस्बन के लिये बाल्किन वर्ग[2] ने अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक योजना प्रस्तुत की जो विश्व के सभी देशों के लिये सम्पूर्ण भूमि उपयोग की सूची के रूप में है। जिसे यूनेस्को का समर्थन भी मिला है इसके अलावा भारत में पश्चिम बंगाल के एसपी चटर्जी एंव पूर्वी उत्तर प्रदेश की भूमि उपयोग निर्धारण कार्य 1960 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मो0 शफी द्वारा किया गया।[3]

प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के साथ जोतों के प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है जोत आकार में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि एंव औद्योगिक विकास के साथ देखने को मिलता है। अधिवासों के विकास एंव उद्योगों की स्थापना परिवहन मार्गों के विकास से भी जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई है तथा जोत आकार छोटे हो गये हैं। वर्तमान समय में भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51 प्रतिशत भाग पर कृषि 4 प्रतिशत चरागाह 21 प्रतिशत पर वन तथा 24 प्रतिशत बंजर है। जोतों के आधार भारत में कृषक को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है।

सीमान्त कृषक : द्वारा निर्धारित एक हेक्टेअर से कम भूमि वाले किसान सीमान्त कृषक कहलाते हैं।

लघु कृषक : लघु कृषक से तात्पर्य वे किसान हैं जिनके पास एक हेक्टेअर से दो हेक्टेअर के मध्य कृषि भूमि है।

अर्ध मध्यम कृषक : दो हेक्टेअर से चार हेक्टेअर के मध्य कृषि भूमि रखने वाले कृषक को अर्ध मध्यम कृषक कहते हैं।

मध्यम कृषक : चार से दस हेक्टेअर जोत वाले किसान मध्यम के अन्तर्गत आते हैं।

वृहद कृषक : दस से हेक्टेअर अधिक भूमि वाले वृहद कृषक के अन्तर्गत आते हैं

दसवीं कृषि गणना 2015–16 के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार दो हेक्टअर से कम भूमि वाले छोटे और सीमान्त किसान भारत के कुल किसानों का 86.2 प्रतिशत है। जबकि कुल कृषि क्षेत्रफल का 47.30 प्रतिशत इनके पास है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना में छोटे एंव सीमान्त किसान 84.97 प्रतिशत थे जबकि इनके पास कुल कृषि भूमि का 44.31 प्रतिशत थी वर्ष 2015–16 में अर्द्ध मध्यम तथा मध्यम किसानों का प्रतिशत 13.22 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल का हिस्सा 43.61 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 कृषि गणना म बड़ी जोत (दस हेक्टेअर से अधिक) किसान 0.57 प्रतिशत और इनके पास कुल कृषि रकबे का 9.04 प्रतिशत था जबकि 2010–11 की गणना में वृहद किसानों की संख्या 0.71 प्रतिशत तथा कुल रकबा का 10.59 प्रतिशत था। वर्ष 1970–71 में औसत भू–स्वामित्व का आकार 2.28 हेक्टेअर 2010–11 में 1.15 हेक्टेअर तथा 2015–16 में औसत कृषि जोत का आकार घटकर 1.08 हेक्टेअर रह गया। इस प्रकार पता चलता है कि समय परिवर्तन एंव जनसंख्या वृद्धि के साथ जोत आकार मे कमीं के साथ जोत छोटे हो गये ।

जोत आकार एंव कृषि परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक : प्रकृति द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर पाये जाने वाले संसाधनों में भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि सीमित होने के कारण इसके क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं की जा सकती तथा इसके उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण तथा क्षेत्रफल में कमी के कारण अलग–अलग स्थाना के भूमि के उपयोग मे अन्तर पाया जाता है। इस परिवर्तन के लिये निम्न लिखित कारक उत्तरदायी है।

भौतिक कारक : भौतिक कारक के अन्तर्गत मुख्य रूप से जलवायु मृदा की ऊर्वरा शक्ति प्रभावित होती है इसके अलावा धरातलीय बनावट प्रवाह प्रणाली आदि।

मानवीय कारक : मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि से तथा पर्यावरण प्रदूषण, एंव सामाजिक राजनैतिक तत्व भी कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक कारक : वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो तीव्रगति से आगे बढ़ने की प्रकिया चल रही है। उससे सबसे अधिक प्रभावित कृषि क्षेत्र है।

कृषि शब्द लैटिन भाषा के एग्रीकल्चर (Agriculture) का हिन्दी रूपान्तरण है। यह दो शब्दों एगर (लैण्ड) तथा कल्चर (कल्टीवेशन) से बना है। संक्षेप में एग्रीकल्चर खेतों में फसलों के उत्पादन के लिये किया गया कार्य है। कृषि के अन्तर्गत फसलों का उत्पादन ही प्रमुख क्रिया मानी जाती है बल्कि कुछ विद्वावानों ने कृषि को फसलों तक ही सीमित रखा है परन्तु अधिकांश विद्ववानों ने कृषि के अन्तर्गत फसल उत्पादन के साथ बागाती कृषि एंव पशुपालन को भी सम्मिलित किया है।

खाद्य एंव कृषि संगठन के अनुसार 'कृषि के अन्तर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थाई घास मैदान तथा प्राकृतिक चरागाह के अलावा अन्य चरागाह को सम्मिलित किया जाता है'।

आक्सफोड शब्दकोष के अनुसार 'कृषि मृदा पोषण कला एंव विज्ञान है। जिसमें सम्बधित क्रियायें जैसे एकत्रीकरण पशुपालन जुताई तथा फार्मिंग आदि सम्मिलित है।

प्राचीन काल एंव वर्तमान समय में आज भी अनेक देशों में कृषि जीवन निर्वाह एंव स्थानीय पूर्ति के लिये की जाती है। लेकिन अनेक देशों में वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषि केवल खाद्यान्नों की पूर्ति ही नहीं अपितु उद्योगों के लिये कच्चे माल की पूर्ति भी करती है। अतः विकास के दूसरे चरण में जीवकोपार्जन के साथ उद्योगों के विकास का भी आधार बनजाती है।

भारत में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2009–10 तक देश की अधिक से अधिक श्रम शक्ति 53 प्रतिशत अर्थात 243 मिलियन लोग कृषि क्षेत्र म लगे हैं इस क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों में भू–स्वामी काश्तकार और कृषि श्रमिक जो खेतों में मजदूरी करते हैं शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ी है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड–19 महामारी के दौरान कृषि की विकास दर में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि होने से कृषि की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गयी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2019–20 में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.8 प्रतिशत था जोकि 2020–21 मे बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गया। 2003–04 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.77 प्रतिशत थी इसके बाद लगातार जीडीपी में कृषि की भागीदारी में गिरावट आने लगी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि कोविड–19 महामारी के दौरान रबी एंव खरीफ फसलों की कटाई एंव बोआई पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि कृषि क्षेत्र नें महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभाले रखा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन0एस0ओ0) ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधी के दौरान किए गये सर्वेक्षण के अपने 77 वें दौर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमि और पशुधन जोत और कृषि परिवारों की स्थिति का आंकलन पर एक सर्वेक्षण किया रिपोर्ट सितम्बर 2021 में जारी की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 में एस0ए0एस0 रिपोर्ट 2021 को शामिल किया गया जिसमें जोत के बढ़ते विखंडन को दर्शाया गया है इसमें घरेलू स्वामित्व वाले जोत का औसत आकार वर्ष 2003 में 0.725 हेक्टेअर से घटकर वर्ष 2013 में 0.592 हेक्टेअर और आगे 0.512 हेक्टअर होगया। वर्ष 2019 में छोटे किसानों की संख्या में अधिक वृद्धि हा गयी।

भारत कृषि प्रधान देश है आज भी भारत की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है वर्तमान समय में बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों ने कृषि स्थिति को और भयावह बना दिया है आने वाले समय कृषि, किसान, और भारत के लिये चूनौतिपूर्ण है। भारत में 80 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेअर से कम कृषि भूमि है और उसमें से 90 प्रतिशत मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं अतः भारत में बढ़ती आबादी, छोटे होते कृषि जोत, एंव जलवायु परिवर्तन ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है जिससे किसान अन्य व्यवसाय की ओर पलायन कर रहा है। कृषि क्षेत्र से पलायन कहीं न कहीं बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न कर रही है।

जोत आकार एंव कृषि परिवर्तन सम्बधी अध्ययन में भूगोल वेत्ताओं का प्रमुख कार्य भूतल पर भौतिक तथा मानवीय तत्वों के योग से उत्पन्न क्षेत्रीय प्रारूप तथा अन्तर्सम्बंधो को खोजना तथा समझना होता है।

भूगोल वेत्ताओं का सम्बध पृथ्वी सतह पर मानव के विभिन्न प्रभावों से है। तथा कृषि सर्वेक्षण भौगोलिक शोध हेतु एक अवयव है। विकास के प्रथम चरण में कृषि जीवकोपार्जन का साधन मात्र थी उत्तरोत्तर अवस्था में जीवकोपार्जन के साथ–साथ उद्योगों के लिये कच्चा माल उत्पादन करने का आधार बनी। इसलिये वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ कृषि आधारित शिक्षा देकर कृषि उत्पाद को बढ़ाना है साथ ही सिमटते जोत आकार में कृषि की नई तकनीकों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

सन्दर्भ :

1. स्टाम्प, एल0डी0 (1962) : लैण्ड ऑफ ब्रिटेन–इट्स यूज एण्ड मिस यूज
2. बाल्किनवर्ग, एस0वी0 (1949) : द प्रोजेक्ट फॉर वर्ल्ड बीफोर इन इन्टरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन एट लिस्बन
3. शफी, एम0 (1951) : लैण्ड यूटिलाईजेशन इन ईस्टर्न यूपी ए0एम0यू0, अलीगढ़
4. वार्षिक रिपोर्ट : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
5. वार्षिक रिपोर्ट : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 27-29

समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी विमर्श

पूनम सिंह*

*असिस्टेंट प्राफेसर, हिन्दी विभाग, गिन्दा देवी महिला महाविद्यालय, बदायूँ

सारांश : इस लेख का उद्देश्य है आदिवासी समाज के संघर्षों का उल्लेख करना। मुख्यधारा का समाज उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और उन्हें अपने ही जंगल, जमीन से निष्कासित कर रहा है। सत्ता भी एक तरफ उनका शोषण कर रही है तो दूसरी तरफ उनकी संस्कृति को नष्ट कर उनका अस्तित्व ही मिटा देना चाहती है। सरकारें भी पैसों की लालच में, आदिवासियों को विकास का भ्रम देकर पूँजीपतियों के साथ मिलकर उन्हें उनकी ही जगह से विस्थापित कर रही है। आदिवासी समाज पर इन सबका क्या दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, इस लेख में वर्णित हुआ है।

मुख्य शब्द : आदिवासो, समाज, जंगल, विस्थापन, विमर्श आदि।

इक्कीसवीं सदी विमर्शों की सदी है। इस समय कई वंचित समूह अपनी अस्मितागत पहचान हेतु निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाईयां किसी समाज या किसी समूह के विरोध में नहीं हो रही है, बल्कि अपने अधिकार और अपने अस्तित्व के लिये लड़ी जा रही हैं। इन अस्मितागत संघर्षों में आदिवासी संघर्ष एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरकर सामने आया है। आदिवासी विमर्श अपनी आंतरिक संरचना में सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्नों को अभिव्यक्त करता है। आदिवासी समाज की अस्मिता और अस्तित्व को परिभाषित करते हुये रमणिका गुप्ता लिखती हैं ''दरअसल आदिवासियों की अस्मिता का प्रश्न जहां उनके नाम की परिभाषा से गहरा सम्बन्ध रखता है वहीं वह उनकी सामाजिक संरचना और जीवन–यापन के साधन जल, जंगल, जमीन से जुड़ा है। उसका उद्गम उसकी पहचान को पुष्ट करता है तो उसकी विरासत, भाषा, शिक्षा, संस्कृति और जीवन शैली उस पहचान को जिंदा रखती है। इनकी रक्षा किये बिना उसकी अस्मिता की रक्षा नहीं हो सकती और इस सबके लिए, नेहरू के शब्दों में 'अपनी संस्कृति का उन पर थोपा न जाना' की नीति अपनाना जरूरी है हम आज तक उन्हें सिखाने की जरूरत ही महसूस करते रहे हैं, उनकी जनतांत्रिक और समतामूलक व्यवस्था से हमने कभी कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। आज दरकार है उनसे कुछ सीखने की, न कि उन्हें अपनी अधकचरी संस्कृति व सभ्यता सिखाने की।''[1] औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा अपने व्यापारिक और साम्राज्यवादी हितों के कारण भारत में जल, जंगल और जमीन का दोहन शुरू हुआ। जो आदिवासी जीवन पर सीधा हमला था। क्योकि यह उनके लिये केवल प्राकृतिक ससांधन मात्र नहीं था अपितु पूरा जीवन था। ऐसे जीवन पर हमला आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट के रूप में आया। जिसकी प्रतिक्रिया मे आदिवासियों ने प्रतिरोध प्रारम्भ किया। उनका प्रतिरोध 'चिपको आन्दोलन' और बिरसा मुंडा का 'उलगुलान' आन्दोलन प्रमुख है। आजाद भारत की विकास की योजनाओं में भी आदिवासियों के लिए उतनी जगह नहीं थी जिसके वे हकदार थे। वे विकास की तथाकथित योजनाओं से बेदखल कर दिये गये या फिर विकास की कीमत अदा कर राष्ट्र–राज्य की लोककल्याणकारी अवधारणा के शिकार हो गये। आज भू–मंडलीकरण, उदारवादी लोकतंत्र एवं मुक्त बाजार व्यवस्था में आदिवासियों के शोषण की तीव्रता बढ़ चुकी है। ऐसे में आदिवासी विमर्श, आदिवासियों की पहचान, अस्मिता और अधिकारों का एक लोकतांत्रिक, तार्किक और मानवीय अधिकार प्राप्ति की कोशिश है। जो मिथकों, सास्कृतिक धाराओं, राजनीतिक, सास्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साहित्यिक क्षेत्रा में आदिवासी प्रश्नों और सदर्भ से जुड़े हुये स्वरों की पहचान व खोज करता है। समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी जीवन की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से नब्बे के दशक से प्रारम्भ होती है। हिन्दी कविता में आदिवासी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाले कवियों मं हरिराम मीणा, अनुज लुगुन, महादवे टोप्पो, निर्मला पुतुल, विनादे कुमार शुक्ल, रामदयाल मुंडा आदि प्रमुख है। इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से आदिवासी अस्मिता एवं आदिवासी सस्कृति को बखूबी व्यक्त किया है। समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी समाज की अस्मिता को प्रमुख रूप से उठाया गया है। मुख्यधारा के लोग आदिवासियों की पहचान मनुष्य के रूप में न करके उन्हें वनवासी, जंगली और असभ्य समझता है। आदिवासी कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर 'अनुज लुगुन' की इस कविता के माध्यम से जाना जा सकता है–

वे जो सुविधाभोगी है
या मौका परस्त है
या जिन्हें आरक्षण चाहिए
कहते हैं हम आदिवासी हैं, वे जो वाटे चाहते
है। कहते हैं तुम आदिवासी हो वे जो धर्म
प्रचारक हैं कहते हैं
तुम आदिवासी जंगली हो'' [2]

अनुज लुगुन की इस कविता में एक तरफ आदिवासी समाज के नाम से होने वाली राजनीति का सकेंत है तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज और प्रकृति के अटूट सम्बन्ध का जिक्र है। आदिवासी विमर्श से जुड़े कई लेखक आदिवासी समाज से नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदिवासी समाज का संघर्ष, दुख–पीड़ा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वह उतनी प्रभावशाली न बन पड़ी है, जितनी की आदिवासी समाज से आने वाले कवियों की बन पड़ी है। नब्बे के दशक में कई सारे

आदिवासी कवि कविता के क्षत्रे में आये और मुख्यधारा की कविता में अपनी जगह बनाई। इससे पहले वे अपने ही बारे दूसरे के मुंह से सुन रहे थे। बाहरू साने वणे ने अपनी कविता 'स्टेज' में इसे अभिव्यक्त करते हुये लिखा है–

''हम स्टेज पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं उंगली के इशारे से हमारी जगह हमें
दिखाई गई वे स्टेज पर खड़े हो हमारा दुख, हमे ही बताते रहे हम बड़बड़ाए कान देकर वे
सुनते रहे और हमारे कान पकड़ कर
हमें ही धमकाया माफी मांगों नहीं तो'' [3]

जबसे आदिवासी समाज से जुड़े व्यक्ति कविता के क्षत्रे में सक्रिय होकर अपना सुख–दुख, संघर्ष को कविता में व्यक्त करना शुरू किये है तब से आदिवासी समाज की समस्यायें जीवंत रूप में दुनिया के सामने अभिव्यक्त होने लगी। घुसपैठ की समस्या, विकास और विनाश का खेल, पलायन और विस्थापन, आदिवासी स्त्री अस्मिता, प्रकृति एवं आदिवासी समाज, भाषाई अस्मिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समकालीन आदिवासी कविता में व्यक्त होने लगे है। समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी समाज की अस्मिता के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। विकास के नाम पर सत्ता लगातार उन्हें उनके मूल निवास से दूर कर रही है। अपनी ही जंगल, जमीन, घर से विस्थापित होकर वे शहरों में कम पैसों पर काम करने को मजबूर है। आदिवासी कवि 'रामदयाल मुंडा' अपनी कविता मे आदिवासियों के इसी दर्द को बयां करते हुये लिखा है–

''बन गया हूँ गीदड़ रहा दौड़ शहर की ओर मरने के
पहले या कि एक पेड़ विशाल शाल का, गिरा जा रहा
चीटा बीच मशीन आरा
देश के लिए कहते है विकास के लिए'' [4]

देश के विकास के नाम पर शूली इन्हें ही चढ़ाया जा रहा है, और बदले में इन्हें इज्जत, सम्मान और रोटी भी नसीब नहीं होती है। आदिवासी समाज के विस्थापन की समस्या सबसे भयावह है। देश में पूंजी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पूंजीपतियों ने कल–कारखाने खोलने के लिए जंगल काटना शुरू कर दिया। खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार आदिवासियों को उनके ही जमीन से बेदखल करने लगी। आधुनिकता के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है। जहां जंगल, झरना, शुद्ध हवा थी, आज वहां कारखाने और दमघोंटू हवा है। वंदना टेटे आदिवासी समाज से जुड़ी ऐसी ही कवियित्री हैं जिन्होंने अपने बचपन में प्राकृतिक सौन्दर्य देखा था, और उस सुन्दरता को जिया था। लेकिन वर्तमान में सूखी–नदियो, खेतों में खुदी माइंस को देखकर वो उदास हैं वे लिखती हैं–

''और जंगलों से गुजरती हवा गुनगुनाना गुदगुदाना
भलू गई हैं ..... और कविताओ की नदियों में
डूबने की इच्छा बंदूक की बटों
और बूटों के नीचे
कराहती रहती है दिन–रात [5]

जल–जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए अस्मिता का सवाल है। सरकार आदिवासियों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को दे देना चाहती है और आदिवासी किसी भी तरह अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते इसलिए इन दोनों में अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है।

आदिवासी साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से आदिवासी समाज के अस्तित्व, उनकी अस्मिता, सघंर्ष को व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। वह उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा सकंट बन गया है। वंदना टेटे अपनी इसी चिंता को व्यक्त करते हुये लिखती हैं–

''मैं भी टूटा हुआ पुल बनते देखना चाहता हूँ जो मेरे
गांव से तुम्हारे शहर को जोड़ता है.... डरता भी हूँ
पुल बनने से कि घूमता हूँ जिस जंगल मे निर्भय तुम
बेदखल कर दोगे मुझे भी [6]

सरकारी नीतियों ने आदिवासी समाज के सामने जो अस्तित्व का संकट खड़ा किया है उसे आदिवासी कविताओं में पूरी जीवंतता के साथ बयान किया गया है। आज जहां एक तरफ सरकारी नीतिया आदिवासी समाज को नष्ट कर रही हैं तो दूसरी तरफ वहीं ईसाई मिशनरियां उनका धर्मांतरण कराकर उनकी संस्कृति को उनसे छीनना चाहती हैं। ईसाई मिशनरियां उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देती है। भाषा, सस्कृति, जल–जंगल–जमीन यह चीजें आदिवासी समाज के जीवन से जुड़ी हैं इसलिए इन्हें बचाने की चिंता ही इन कविताओं में प्रमुखता से मिलती है। आदिवासी समाज प्राचीन समाज है। उनका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है किंतु इतिहासकारों ने आदिवासी समाज के इतिहास को ज्यादातर नजरअंदाज किया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक हैं। आज भी आदिवासी समाज बिरसा मुडा को भगवान की तरह पूजता है, उनसे प्रेरणा लेता है। आदिवासी कवि भुजंग मेश्राम लिखते हैं–

''बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा
घास काटती दंराती हो या लकड़ी काटती टांगी
यहां–वहां, पूरब–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण
खेतों की बयार बन कर
कहीं से भी आ मेरे बिरसा लोग तेरी बाट जोहते[7]

आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज सताया जा रहा है कवि बिरसा को याद कर रहा है कि वह आकर एक बार फिर आदिवासी समाज का उद्धार करें। भारतीय परंपरा के मिथकों और इतिहास में बहुत सारे आदिवासी पात्र हैं जैसे बिरसा, एकलव्य, शम्बूक आदि जिनके जीवन पर कविताएं लिखी गई हैं। आदिवासी विमर्श में आदिवासी समाज के अलावा आदिवासी स्त्री की अस्मिता का प्रश्न अलग से महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी समाज में बाहरी लोगों की घुसपैठ और बाजारवाद के प्रभाव के कारण अब आदिवासी स्त्री दोहरे शोषण का शिकार हो रही हैं। मुख्यधारा के लोग आदिवासी औरतों की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर उनका यौन शोषण करते हैं। निर्मला पुतुल लिखती हैं–

''देखो तुम्हारे ही आंगन में बैठ तुम्हारे ही हाथों बनी हंडिया
तुम्हें पिलाकर कोई कर रहा तुम्हारी बहनों से ठिठोली ये वे लागे
हैं जो हमारे ही नाम पर लेकर गटक जाते हैं हमारे हिस्से का
समुद्र''[8]

आदिवासी कविता में स्त्री की अस्मिता एवं प्रतिरोध का स्वर मुखर है। मानव समाज में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस समाज से उसकी भाषा छीन ली जाती है वो समाज अपनी संस्कृति से कट जाता है और मानसिक गुलाम बन जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आदिवासी समाज की भाषाओं को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। बार–बार विस्थापित होने से अपनी मातृभाषा से उनका रिश्ता टूटने लगा है। जसिंता केरकेट्टा इसी संकट को व्यक्त करते हुए लिखती हैं–

''मां के मुंह में ही मातृभाषा का कैद कर दिया
और बच्चे उसकी रिहाई की माँग करते–करते बड़े हो गए
मातृभाषा खुद नहीं मरी थी उसे मारा गया था[9]

समकालीन आदिवासी कविता की पड़ताल करने पर यह बात सामने आती है कि आदिवासी समुदाय का प्रकृति प्रेम, उनका विस्थापन, उनकी संस्कृति आदि सारे मुद्दे कविता में निहित हैं। आदिवासी कविता एक ओर आदिवासी अस्मिता से हमारा परिचय कराती है दूसरी ओर मुख्यधारा की कविता में अपना स्थान भी निर्धारित करती है। आदिवासी कविता में आदिवासी संस्कृति, उनके नृत्य, उनके गायन और उनके श्रम का सौंदर्य बोध झाकता है। सरकार और पूंजीपतियों द्वारा आदिवासी समाज का जो शोषण हो रहा है उसे भी समकालीन आदिवासी कविता रेखांकित करती है। भूमंडलीकरण एवं बाजारवाद ने किस तरह आदिवासी समुदाय को प्रभावित किया है इसकी भी पड़ताल समकालीन कविता करती है। आदिवासी समाज में बाहरी लोगों की घुसपैठ एवं विस्थापन की त्रासदी को समकालीन हिंदी कविता प्रमुख रूप से दर्ज कराती है। कुल मिलाकर आदिवासी विमर्श, आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व सबंधी संकटों और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। यह देश के मूल निवासियों के वंशजों के प्रति भेदभाव का विरोधी है। यह जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग करता है।

सन्दर्भ :

1. गुप्ता, रमणिका, आदिवासी अस्मिता का संकट, सामयिक प्रकाशन, 2013, पृ0–50
2. गूगल, अनुज लुगुन
3. गुप्ता, रमणिका (सं0), आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
4. वही, पृ0–42
5. टेटे, वंदना, कोनजोगा, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, 2015, पृ0–16
6. वही, पृ0–71–72
7. गुप्ता, रमणिका, आदिवासी लेखन, एक उभरती चेतना, सामयिक प्रकाशन, 2013, पृ0–19
8. मीणा सहाय गंगा, आदिवासी साहित्य त्रैमासिक पत्रिका अकं –4–5, 2015, पृ0–30
9. टेटे, वंदना, झारखंडी भाषा साहित्य, अखाड़ा पत्रिका, मार्च–मई 2015, पृ0–48

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 30-33

नजीर अकबराबादी : एक मूल्यांकन

डॉ0 सुभाषचन्द्र गुप्त*
*हिन्दी विभाग, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर, झारखण्ड

सारांश : नजीर की दृष्टि कबीरधर्मा है जिसमें जातिगत, सम्प्रदायगत, धर्मगत, समाजगत संकीर्णताओं के लिए कोई जगह नहीं है। मनुष्य को मनुष्यता का, समाज को सामाजिकता का और दुनिया को भाइचारे का पैगाम है उनका रचना–संसार। उनकी रचनाएँ एक ओर वर्ग–विभाजित समाज की तसवीर पेश करती हैं तो दूसरी ओर मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखने–समझने की उदात्त दृष्टि देती हैं।

मुख्य शब्द : इलाही, आशिक, बस्फ, मकसूद, मुराद आदि।

साझी संस्कृति यदि भारतीयता की पहचान है, तो इस पहचान को विस्तार एवं मजबूती प्रदान करनेवाले उर्दू के प्रतिनिधि कवियों में एक महत्वपूर्ण नाम है–नजीर अकबराबादी। सही मायने में, वे जितने उर्दू के हैं, उतने ही हिन्दी के भी। भाषा की दृष्टि से वे उर्दू के है, लेकिन उनकी कविताओं में जो व्यापक सरोकार है, वे संपूर्ण भारतीय समाज से जुड़े सरोकार हैं। वस्तुतः नजीर का महत्व जितना समाज व देश के संदर्भ में है, उतना ही साहित्य के संदर्भ में भी। नजीर मूलतः अरबी का शब्द है और इसका अर्थ है–उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल आदि। उनका जीवन और साहित्य दोनों ही प्रेरणावाही है, चेतनावाही है। अपने समय एवं समाज की चिन्ताओं को उन्होंने अपनी कविताओं के केन्द्र में रख, लोगों में एक स्वस्थ एवं मानवोचित चेतना विकसित करने का प्रयास किया है। इस तरह उनका नाम ही उनके रचनात्मक सरोकार का पर्याय बन गया है।

मध्यकालीन दरबारी संस्कृति वाले दौर में नजीर अकबराबादी राजसत्ता के साथ नहीं, जनता के साथ, खड़े होते हैं। उन्हें अवध (उत्तरप्रदेश) और भरतपुर (राजस्थान) के राजदरबारों से आमंत्रण मिला था, जिन्हें उन्होंने नामंजूर कर दिया था। उन्हें न ता आगरा छोड़ना मंजूर था और न दरबारी कवि बनकर राजसत्ता का चरण–गान करना। ऊपरी तौर पर यह एक साधारण–सी घटना लगती है, लेकिन वास्तव में यह घटना एक ओर उनकी अगाध प्रतिभा और लोकप्रियता को उजागर करती है और दूसरी ओर उनके निर्भीक व्यक्तित्व तथा जनता का सच्चा कवि होने का परिचय देती है। उन्होंने 95 वर्ष का लम्बा जीवन पाया था और इस दीर्घजीवन को सूफी संतों की तरह निर्विकार और अनासक्त रूप में जीया। वे जितने सहज इंसान थे, उतने ही सहज कवि भी। सहजता, सादगी और जन–सरोकार उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अवयव हैं।

1735 में दिल्ली में जन्में नजीर की कर्मभूमि और रचनाभूमि आगरा रही। आगरा का एक नाम 'अकबराबाद' भी है। आगरा की मिट्टी से उन्हें इतना लगाव रहा कि उन्होंने अपना उपनाम ही 'अकबराबादी' रख लिया। यह वही आगरा है जो मुगल बादशाहों की राजधानी रही है, जहाँ स्थापत्य कला का अनुपम सौंदर्य 'ताजमहल' गर्वोन्नत खड़ा है और जिसके पड़ोस में मथुरा और वृन्दावन जैसे शहर हैं जहाँ के कण–कण में कृष्णभक्ति का पावन स्वर अहर्निश अनुगूंजित है। इसीलिए आगरा और इसके आसपास की सांस्कृतिक सुगंध प्राणवायु की तरह नजीर की चेतना में रची–बसी है–**''आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है/मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है/मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है/शायर कहो, नजीर कहो, आगरे का है।''**

बुनियादी रूप से नजीर साझी संस्कृति के कवि हैं। सांस्कृतिक सद्भावना उनकी कविताओं का केन्द्रीय विषय है। यही कारण है कि उनके यहाँ इस्लाम के प्रति गहरी निष्ठा का स्वर है, तो हिन्दू–संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव भी है। वे जिस भावनात्मक तन्मयता के साथ हजरत अली साहब की चर्चा करते हैं, उसी हार्दिकता के साथ राम, कृष्ण, शिव, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा आदि हिन्दू–धर्म से जुड़े देवी देवताओं की भी चर्चा करते हैं। उनके यहाँ ईद, शब–ए–बरात आदि का उल्लेख मिलता है, तो होली, दीवाली, रक्षाबंधन जैसे हिन्दू–पर्वों के साथ–साथ भारतीय समाज के रीति–रिवाजों तथा संस्कार–उत्सवों की महत्ता का विवेचन भी है। शंकर का व्याह, जन्म कन्हैया, हरि की तारीफ, दुर्गा–स्तुति, सुदामा चरित्र आदि रचनाएँ सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक धर्म आदरणीय एवं अनुकरणीय है– यही चेतना नजीर की कविताओं की प्राणधारा है और यही चेतना 'सर्वधर्म समभाव' के लिए ठोस जमीन तैयार करती है। नजीर का रचनात्मक अभीष्ट ही है सर्वधर्म समभाव की सांस्कृतिक चेतना का फैलाव। इसीलिए वे एक ओर इस्लाम की अवधारणा के अनुरूप परमशक्ति की चर्चा करते हुए अपने अभाव, अपनी गरीबी एवं अपनी बेबसी को सामने रखते हैं–**''इलाही तू सत्तारो गफार है/मेरा याँ गुनाहों का अम्बार है/न हामी, न कोई मददगार है/अब इस बेबसी में तू ही यार है।''** तो दूसरी ओर हिन्दूधर्म के अनुसार ईश्वर के सगुण रूप का चित्रण करत हैं–**''मैं क्या–क्या बस्फ कहूँ यारों/उस श्याम बरन अवतारी के/किशन कन्हैया मुरलीधर/मनमोहन कुंज बिहारी के/हर आन दिखाएँ रूप नये/हर लीला न्यारी–न्यारी के/पत लाज रखैया दुखभंजन/हर भगति भगत अधारी के।''** इसके साथ ही समय–समय पर समाज को आध्यात्मिक संदेश देनेवाल संतों–महापुरूषों के प्रति भी नजीर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं–**''है कहते नानकशाह जिन्हें/वह पूरे हैं आगाह गुरू/वह कामिल रहबर जग में हैं/यूँ रौशन जैसे माहगुरू/मकसूद, मुराद, उम्मीद सभी/बर लाते हैं दिन ख्वाह गुरू/नित लुत्फें करम से करते हैं/हम सबको निरवाह गुरू/सब शीश नबा अरदास करो/और हरदम बोलो वाहे गुरू।''** इस तरह नजीर की रचनाओं में एक व्यापक

धर्म–दृष्टि है। इसीलिए उनकी कविताओं में पैगम्बर साहब भी हैं, राम भी हैं, ईसा भी हैं, गुरूनानक भी है और ऐसी ही व्यापक दृष्टि से साझी संस्कृति की उदात्त चेतना का विकास होता है।

नजीर अकबराबादी जन्म से भारतीय हैं और धर्म से मुस्लिम, लेकिन चेतना से वे पहले मनुष्य हैं तब और कुछ यानी हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि–आदि। वे न केवल मुसलमान हैं, न केवल हिन्दू हैं, न केवल सिख, बल्कि सभी धर्म उनमें हैं और वे सभी धर्मा में हैं क्योंकि नजीर सभी धर्मों का लक्ष्य एक मानते हैं। जिस तरह नदियों की जलधाराएँ एकत्रित हों विशाल समुद्र का आकार ले लेती हैं, उसी तरह नजीर के उदारवादी व्यक्तित्व तथा रचनाकर्म में विविध धर्मों के सारतत्व समाहित होकर धर्म के एक व्यापक अर्थ को उद्घाटित करते हैं, जो विश्व–मानवतावाद का आधार हैं। नजीर यह मानते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। वे अपने को पहले मनुष्य मानते है, तब हिन्दू–मुस्लिम आदि और मनुष्यता की रक्षा को ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मानते हैं–**''तू हिन्दू का दिल है/मुसलमान का भी दिल है/पर मेरे सीने में धड़कता/एक इन्सान का दिल है।''**

नजीर कट्टरता के विरोधी थे और उनकी जीवन–दृष्टि उदार एवं व्यापक थी। इसीलिए वे कुरान, गीता, बाईबिल आदि धर्मग्रंथों के विविध प्रसंगों को अपनी कविताओं से जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि वे इन धर्मग्रंथों के प्रसंगों की अमूर्त्त एवं जटिल व्याख्या नहीं करते, बल्कि वस्तुपरक, जीवनोपयोगी एवं समाज–सापेक्ष मीमांसा करते हैं। एक धर्म को बड़ा और दूसरे धर्म को छोटा समझने की प्रवृत्ति कट्टरता को जन्म देती है। नजीर सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं और जनसामान्य को जीवन की नश्वरता का बोध कराते हुए मानवोचित कर्म करने की सलाह देते है–**''क्या हिन्दू, क्या मुसलमान/क्या रिन्दों, कबीर काफिर/नक्कारा क्या, मुसब्बिर क्या/क्या खुशनसीब शायिर/कितने नजीर है हयाँ/इकदम कि हैं मुसाफिर/रहना नहीं किसी को/चलना है सबको आखिर/दो–चार दिन के खातिर/यहाँ घर हुआ तो क्या।''**

———————————

''जब चलते–चलते रस्ते में/यह गौन तेरी ढ़ल जायेगी/इक बधिया मेरी मिट्टी पर/फिर घास न चरने आयेगी/यह खेप जो तूने लादी है/सब हिस्सों में बँट जायेगी/धी, पूत, जमाई, बेटा/क्या बंजारन पास न आयेगी।''

नजीर ने मृत्यु पर, जीवन की नश्वरता पर अनेक कविताएँ लिखी हैं जिन पर अलग से लिखने की आवश्यकता है। उक्त उद्धरणों में जीवन की नश्वरता के अद्भुत बिम्ब रचे गये हैं। हालाकि ऐसी रचनाएँ एक तरह की आध्यात्मिकता को भी झलक देती हैं, पर उनका अध्यात्म पलायनवादी नहीं बनाता। वस्तुतः उनका अध्यात्मक कर्त्तव्यशील, श्रमशील एवं संघर्षशील बनाता है। समाज की बेहतरी के लिए किया जानेवाला श्रम, संघर्ष व कर्त्तव्य ही सच्चा मानव–धर्म है और सामाजिक कर्त्तव्यशीलता मनुष्य को धर्मान्ध होने से बचाता है। एक ऐसे दौर में जबकि सत्ता एवं साम्प्रदायिकता की गठजोड़ वाली राजनीति देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चरित्र के सामने खतरे पैदा कर रही है–ऐसे में नजीर की कविताओं के पुनर्पाठ एवं पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। एक पूर्णकालिक सांस्कृतिक आंदोलन के बगैर पुरानी पतिगामी व रूढ़िवादी मानसिकता से लोगों को अलग कर पाना संभव नहीं है। प्रतिगामी शक्तियाँ जनता के दिलोदिमाग को विशाक्त करने में सफल हो चुकी हैं। इसीलिए एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन को तेज करने की जरूरत है जिसको बहुत पहले नजीर समझ चुके थे–**''झगड़ा न करैं, मिल्लतों मजहब का कोई थां/जिस राह में जो आन पड़े खुश रहें हर आं/जुन्तार गले या कि बगल हो कुरआं/आशिक तो कलन्दर है/न हिन्दू न मुसलमान।''** इस तरह नजीर ने धर्म को जटिल एवं अबूझ दार्शनिकता से अलग सहज–सरल रूप में व्यावहारिकता की जमीन पर प्रतिष्ठित करते हुए समाज और देश के लिए प्रासंगिक बनाया है। धर्म को धरती के जीवन से जोड़ते हुए नजीर ने धर्म की जीवनवाही परिभाषा और स्वरूप को अपनी कविताओं में रखा है।

नजीर की एक महत्वपूर्ण काव्यकृति है–'**आदमीनामा**'जिसमें जीवन का जमीनी सच दर्ज है–''**दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी/और मुफलिसजदा है, सो है वह भी आदमी/नेमत जो खा रहा है, सो है वह भी आदमी/टुकड़े चबा रहा है, सो है वह भी आदमी।''** उक्त पंक्तियाँ एक ओर वर्ग–विभाजित समाज की तसवीर पेश करती हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखने–समझने की उदात्त दृष्टि देती हैं। हिन्दी और उर्दू में नजीर अपने दौर के संभवत' अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में गरीबी, अभाव, भूख, रोटी, मुफलिस आदि का दर्द प्रतीकों में नहीं, बल्कि सीधे–सीधे दर्ज है। वे जीवन को जीवनेतर मानदण्डों के सहारे नहीं जाँचते परखते, बल्कि जीवन को जीवन की शर्तों पर परखते हैं–''**रोटी न पेट में हो तो/ फिर कुछ जतन न हो/मेले की सैर ख्वाहिशें/बाग–ओ–चमन न हो/भूखे गरीब दिल की/ खुदा से लगन न हो/सच है कहा किसी ने/भूखे भजन न हो/अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां।''** नजीर धर्म, संस्कृति, दर्शन की असलियतों को सामने लाते हुए वे रोटी के लिए संघर्ष करते आम–अवाम की आवाज बन जाते हैं। निश्चित ही ऐसी ही कविताओं को मार्क्स ने मनुष्यता की मातृभाषा कही होगी। रोटी का प्रश्न? रोटी के लिए संघर्ष और देहतोड़ श्रम के बाद भी जरूरत के लायक रोटी न जुटा पाने की यातना उनकी रचनाओं में है। भूख इतनी निर्लज्ज, बेशर्म एवं जल्लादी होती है कि एक भूखे आदमी के लिए जीवन का, धर्म का, दर्शन का अर्थ ही बदल जाता है। वे समाज के उस वर्ग को पूरी संवेदना के साथ अपनी कविताओं में जगह देत हैं जो जेठ की तपती दुपहरी में तवे की तरह जलती सड़कों पर नंगे पाँव चलने को विवश है, जो पूस की सिहरनभरी रात चौराहों पर, नुक्कड़ों पर अधजले–अधबुझे अलाव के पास बिताने को मजबूर हैं, जो किसी वीरान में पड़े ठूहों–टीलों की तरह समाज के हाशिए पर सहमा संवादहीन परिस्थितियों में रहने को अभिशप्त है और जो जीता नहीं, बल्कि जीवन ढ़ोता है–''जब के हाल पे आती है मुफलिसी/किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी/प्यासा तमाम रोज बीती है मुफलिसी/भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी/यह दुःख वो जाने जिस पे/कि आती है मुफलिसी।'' मैनेजर पाण्डेय जी ने नजीर की चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण बात लिखी है–''**नजीर ने एक कविता पेट पर लिखी है, तो दूसरी**

पेट की फिलॉसफी पर। ऐसी कविताएँ वही लिखा सकता है जिसने गरीबी, भूख और मजबूरी का मंजर देखा हो और उसके दर्द को महसूस किया हो।''[1]

सरोकार की दृष्टि से नजीर की रचनाशीलता महत्वपूर्ण है हीं, भाषा की दृष्टि से भी प्रयोगशील एवं महत्वपूर्ण है। नजीर ने कबीर की तरह 'आखिन की देखी' को महत्व दिया है। उनकी भाषा, उनके बिम्ब, उनके मुहावरे, उनके प्रतीक–सब अपने समय के प्रचलित कविता के ढ़ाचे में जबर्दस्त तोड़–फोड़ करते है, लेकिन यह तोड़–फोड़ विध्वंशात्मक नहीं है, बल्कि सकारात्मक एवं नवनिर्माणात्मक है। भाषा की दृष्टि से नजीर ने उस परंपरा को व्यापकता दी है, जिसकी जमीन अमीर खुसरो ने तैयार की थी। वे अदभूत शब्द–शिल्पी हैं। वे एक ओर हजरत अलो साहब के वर्णन में अरबी–फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हिन्दू–संस्कृति से जुड़ी कविताओं में तत्सम शब्द एवं ब्रजभाषा दोनों का संतुलित एवं भावसंपन्न प्रयोग है। गुरूनानक देव की चर्चा में पंजाबी शब्दों की छटा है तो गरीबी, अभाव, मुफलिसी आदि से जुड़ी रचनाओं में भाषा का खुरदुरापन है। उनकी भाषा किसी धर्म या जाति से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनकी भाषा लोक–जीवन से यानी मानवीय मूल्यों को जगानेवाली भाषा है। उनकी भाषा में लोक–संस्कृति की समृद्ध एवं स्वच्छ छवि है तो अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों एवं विडम्बनाओं को भी उजागर करने में पूर्णतः सक्षम भाषा है। रामविलास शर्माजी ने लिखा है–''**नजीर की कविता इस बात की ओर संकेत करती है कि उर्दू में दरबारी कविता के अलावा एक और काव्य–परंपरा थी। इस दूसरी तरह की कविता में जनजीवन का चित्रण है और उसकी भाषा सरल उर्दू या सरल हिन्दी थी जिसे शहर के बाजारों में हिन्दू–मुसलमान आपस में काम लाते थे। दरबारों के खात्मे के साथ ही यह लोक–कविता की धारा तेजी से आगे बढ़ती है और हिन्दू–मुसलमान दोनों को अपने साथ बहा ले जाती है। इस तरह अंग्रेजी–राज कायम होने के समय तक एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी जो कठिन उर्दू से भिन्न थी और शहर के साधारण लोगों की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक थी। धर्म के आधार पर दो कोमों और दो भाषाओं का अभी सवाल नहीं था।..... सूफी कवियों की तरह नजीर ने बोलचाल की भाषा का अपनाया। इसीलिए अमीर खुसरों की तरह नजीर की चर्चा हिन्दी–उर्दू दोनों के साहित्यिक इतिहास में होती है।**[2]

नजीर का दौर सामंती दौर था। हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य पर दरबारी–संस्कृति का प्रभाव था। कविताओं के विषय श्रृंगारिक हुआ करते थे, लेकिन इसी परिदृश्य में हिन्दी और उर्दू दोनों में लोकधर्मी काव्य–धारा प्रवहमान थी। इस लोकधर्मी काव्य–धारा की भाषा सहज, सरल और पारदर्शी थी। सरल भाषा के कारण नजीर की कविता पर सपाटबयानी व कलाहीनता का आरोप भी लगा। पर नजीर जो लोक–संवेदना के कवि थे, इसलिए उनकी काव्य–भाषा भी लोकधर्मी है। उन्होंने बड़े द्वन्द्वों की रचनाएँ लिखी हैं, क्योंकि उन्हें संकेतों–प्रतीकों में कुछ कहना मंजूर नहीं था।

नजीर ने कविता को एक नयी भाषा दी। दरअसल भाषा का संबंध संस्कारों से होता है और भाषा के बने–बनाये रूपों को तोड़ना–बदलना एक स्तर पर अपने संस्कारों को तोड़ना–बदलना है। नजीर ने यह कठिन भूमिका निभायी और अपने समय के सत्तापक्षीय काव्य–रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी कविताओं को जन–सरोकार एवं लोक–भाषा से जोड़ा। उनकी कविता काव्यशास्त्र की परम्परागत रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि उन्होंने कविता की विषयवस्तु और उसके अभिव्यक्ति–रूप की एकता में जनता के जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं को मूर्त्त किया है। हालाकि उनके यहाँ कहीं–कहीं विरोधाभास भी है। वे एक ओर सामंती जीवन–मूल्यों का प्रखर विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर उनकी कविताओं में अभिजात्य सौंदर्य–बोध भी हें लेकिन समग्रता में देखें तो उनकी कविताओं के 'स्ट्रक्चर' में विरोधाभासी तत्व कहीं–कहीं दिखायी देते है, पर कविता का 'टेक्सचर' तो जन–सरोकार से ही जुड़ा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से नजीर की कविताओं की भाषा में त्रुटियाँ हो सकती हैं, लेकिन भावों–विचारों की अभिव्यक्ति में उनकी कविता संप्रेषणीय भी हे और संपूर्ण भी। नजीर के लिए 'कैसे कहना है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि 'क्या कहना है?' किसके लिए कहना हैं? यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी कविता तो जनता की पीड़ाओं से जुड़ी है, न कि दरबारी वाह–वाह से। इसीलिए उनकी कविता काव्यशास्त्रीय मानदण्ड को दरकिनार करते हुए जनता की दृष्टि से द्वन्द्वों का पुनराविष्कार करती है। कविता की भाषिक बनावट के अन्तर को हिन्दी में केशवदास और घनानंद की भाषाशैली के जरिए समझ जा सकता है। जब साहित्यकर्म का उद्देश्य केवल चमत्कारप्रियता और मनोरंजन हो, तब उसकी भाषा, जनभाषा नहीं रह जाती। नजीर की भाषा भारत की सामासिक संस्कृति की भाषा है, अपने दौर के आम आदमी के हर्ष–विवाद को व्यक्त करनेवाली भाषा है। नजीर की कविताओं में आदमी है, आदमी का जीवन है, जीवन की परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के विवरण हैं और साथ ही साथ एक आत्मसंवाद भी चल रहा है। रचना–संसार में भाषा की संरचना तब तक जीवंत नहीं हो सकती है, जब तक कि भाषा अपने सही परिप्रेक्ष्य से जुड़ नहीं पाती। कांति कुमार जैन ने नजीर को भाषा के हिन्दुस्तानीपन की ओर संकेत करते हुए बिल्कुल ठीक लिखा है–''**जो बात गांधीजी ने 20वीं सदी में सोची, उसी में 18वीं शताब्दी में नजीर अपनी कविता रच रहे थे। भारतेन्दु को हम भले ही आधुनिक खड़ी बोली गद्य का जनक कहें, पर आधुनिक खड़ी बोली काव्य के जन्मदाता नजीर ही ठहरते हैं।''**[3]

21वीं सदी के जटिल परिदृश्य में जबकि न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें समाज की बहुलतावादी सांस्कृतिक संरचना को तंग बनाने की लगाता कोशिशें कर रही हैं–ऐसे में सांस्कृतिक सद्भावना के कवि नजीर अकबराबादी पहले से ज्यादा प्रासंगिक नजर आ रहे हैं। मोटे तौर पर दुनिया में जो यातना–शिविरों का बनना जारी है, उनमें विश्व की चार प्रमुख संस्कृतियों की कमोवेशी भागीदारी है–पश्चिमी संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, चीनी संस्कृति और इस्लामी संस्कृति। प्रत्येक संस्कृति के अच्छे–बूर पहलू हैं। मसलन पश्चिम की संस्कृति के पास अपार संसाधन है, प्रचुर सामरिक अस्त्र–शस्त्र तथा आणविक शक्ति है, दुनिया के समृद्धतम देश इस लॉबी में है और एशिया, अफ्रिका तथा लैटिन अमेरिकी देशों को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने का एक लम्बा साम्राज्यवादी इतिहास है। हिन्दू संस्कृति के पास एक लम्बी विरासत है, दर्शन और अध्यात्म की समृद्ध सम्पदा है तो दासता, द्ररिदता व दोहन का काला अध्याय भी जुड़ा है, चीनी संस्कृति के पास हिन्दू संस्कृति की तरह एक प्राचीन विरासत है, 'कन्फ्यूसियस' द्वारा दिया गया एक दार्शनिक चिंतन है और इधर अपने को सुरक्षित चारदीवारी में रखते

हुए अपनी शक्ति को खिड़कियों के रास्ते बाहर निर्यात करने का नया सोच भी पनपा है। इस्लाम के पास पूरी दुनिया में अपने को फैलाने का लगभग 1500 वर्षों से चला आ रहा उत्साह बरकरार है और इधर जेहाद के नाम पर इस्लाम को माननेवाले एक हिस्से में मजहबी कट्टरता ने नये तेवर के साथ प्रवेश किया है, तो दूसरी ओर घातक अस्त्र–शस्त्र जुटाने की ललक भी पैदा हुई है। इन चारों संस्कृतियों की आपसी टकराहट से जो जटिल विश्व–परिदृश्य उभरकर सामने आया है–उसमें नजीर के जीवन–विवेक एवं उनकी काव्य–चेतना को फैलान की जरूरत है।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, मैनेजर; जनकवि अदम गोंडबी (आलेख), मासिक कल के लिए, दिसम्बर 2011 जून 2012 तक, पृ0–07
2. यादव, डॉ0 श्रीनिवास; रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि : एक मूल्यांकन, द्विमासिक पदमगंधा जनवरी–फरवरी 2020, पृ0–73
3. जैन, कांति; ताजमहल के पिछबाड़े का कवि नजीर अकबराबादी, मासिक हंस, नवम्बर 2000, पृ0–10

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 34-36

'कार्य' का अवधाराणात्मक पक्ष : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

छाया वर्मा*

*असि0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, हिन्दू कन्या पी0जी0 कालेज, सीतापुर, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन 'कार्य' का अवधाराणात्मक पक्ष : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन को रेखांकित करता है। प्राचीन काल में कार्य की समान अवधारणा का उद्देश्य मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। परन्तु आधुनिक औद्योगिक युग में कार्य की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन हुआ है, तथा इसकी मौलिक अवधारणा भौतिकवादी सुख–सुविधा की अत्यधिक प्राप्ति करना हो गया है। इसी भौतिकवादी सुख–सुविधा से कार्य–संतुष्टि का सम्बन्ध योग्यतानुसार एवं मनोवृत्ति के अनुसार कार्य प्राप्त करना होता है यह शोध पत्र विवरणात्क शोध प्रणाली पर आधारित है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : औद्योगिक युग, श्रम, सामाजिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सामाजिक पर्यावरण

आजकल लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में राष्ट्र निर्माण एवं उत्थान तथा समाज के कल्याण एवं उन्नति के लिए 'कार्य' को महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्य करने वाले व्यक्तियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु कार्य की दशाओं में सुधार करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित सम्मान व प्रतिष्ठा दी जाती है। इस प्रकार कार्य के प्रति धारणाएँ समय–समय पर बदलती रहती है।[1] कार्य का श्रम सामान्यतः समझने में सरल लगते हैं लेकिन इसको परिभाषित करना कठिन है। हेनरी अरबोन के अनुसार, ''श्रम के रूप में कार्य, थकान एवम् परिश्रम उत्पन्न करने वाला मांसपेशीय प्रयास या स्वतः चेतन तथा जानबूझकर किया गया प्रयास है।''[2] पी0 गिन्सबर्ग, ''कार्य एक मानवीय सकर्मक क्रिया है जो अपने उद्देश्य के लिए होती है तथा जिस पर समाज उसके मानदण्ड और उद्देश्य के रूप में क्रिया करता है।''[3]

डेलवार्डर ''कार्य कर्तव्यों, कृत्यों एव दायित्वों का संग्रह है। जो कि एक व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता है तथा अन्य सौंपे गए कार्यों से भिन्न होता है।''[4] कार्य करने की दशाओं का उद्योग, श्रमिक और उत्पादन की दृष्टि से अत्यन्त महत्व है, यदि काम करने की दशाएँ अनुकूल होंगी, तो श्रमिक मन लगाकर काम करेंगे इसका उत्पादन पर अच्छा असर पड़ेगा। इसके विपरीत यदि काम करने की दशाएँ उपयुक्त नहीं होती हैं, तो श्रमिक के मन और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। काम की अच्छी दशाएँ श्रमिकों की कार्य–कुशलता को ही प्रभावित नहीं करती, अपितु इसका सम्बन्ध श्रमिक के वेतन, उसकी प्रवासिता और औद्योगिक सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है।[5]

कार्य के प्रति प्रमुख रूप से तीन दृष्टिकोणों– समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्रीय रूप में समझा जा सकता है। वस्तुओं का उत्पादन, सम्बन्धित सेवाएँ तथा उनका वितरण इत्यादि मूल रूप से एक समूह प्रक्रिया है। साथ ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था सभी श्रमिकों को अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं में क्रय–विक्रय के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। 'मिलर' तथा 'फार्म' ''संकुचित अर्थ में 'कार्य' एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि प्रायः इसे अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ही किया जाता है। कारखानों में बहुत से लोग एक–दूसरे के निकट आते हैं और वे जब वे एकत्रित होते हैं, वे आवश्यक रूप से एक दूसरे के प्रति अन्तः क्रिया करते हैं। कोई भी काम जिसे एक सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है एक सामाजिक क्रिया बन जाती है।[6] इस प्रकार कार्य सम्बन्धी व्यवहारों का मूल्याकंन उन कर्त्ताओं की प्रतिष्ठा या सामाजिक महत्व के लिए शीघ्र ही किया जा सकता है। जो पुरस्कार उन्हें कार्य के बदले प्राप्त होते हैं वे सामाजिक होते हैं जैसे मित्रों के बीच प्रशंसा और प्रतिष्ठा। कार्य सभी के लिए मैत्री एवम् सामाजिक जीवन प्रदान करता है।

कार्य के मनोवैज्ञानिक आधार पर ही ''फ्रैन्सिस गाल्टन'' ने व्यवसायिक अन्तरों की व्याख्या स्वाभाविक योग्यता के अन्तर्गत प्रस्तुत की है; कोई व्यक्ति किस कार्य को पसन्द करता है, उसकी ओर श्रमिक का झुकाव क्यों है, उसमें कौन सी मनोवृत्तियाँ, क्षमताएँ, अभिरूचियाँ इत्यादि विशेष रूप से प्रभावपूण है, ये सभी पक्ष कार्य के प्रति एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। यहाँ तक की कार्य के अन्तर्गत प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरणा, दृढ़ता, थकावट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने इसे औद्योगिक मनोविज्ञान के रूप में विकसित कर दिया है।[7] वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकित करता है तथा अपने द्वारा किये गए काम के बदले में धन चाहता है। दूसरे शब्दों में, कार्य का आर्थिक पुरस्कारों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है।[8]

'कार्यक्षमता' प्रमुख रूप से किसी श्रमिक द्वारा किये गए कार्य की मात्रा, स्वभाव तथा उसे करने में श्रमिक द्वारा लगाए गए समय से है। दूसरे शब्दों में किसी कार्य को समान परिस्थितियों के अन्तर्गत जल्दी और अधिक मात्रा में तथा अच्छी प्रकार सम्पन्न करने को ही कार्यक्षमता कहते है। कार्यक्षमता किसी उपक्रम में किये जाने वाले सम्पूर्ण उत्पादन को प्रभावित करती है। अतः श्रमिक की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों को प्रमुख रूप से पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है– 1. श्रमिक के वैयक्तिक गुण, 2. कार्य दशाएँ, 3. सामाजिक एवं राष्ट्रीय वातावरण, 4. प्रबन्धकीय योग्यता, 5. अन्य।

श्रमिक के वैयक्तिक गुण के अन्तर्गत पारिवारिक गुण, व्यक्ति के जीवन में उसके माता–पिता की प्रमुख विशेषताएँ जन्म से ही होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, कार्य क्षमता तथा आदतें बहुत कुछ सीमा तक पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है साथ ही व्यक्ति के जातीय गुण, रहन–सहन का स्तर भी श्रमिकों की कार्यक्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

नैतिक गुण : जैसे श्रमिक ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ व अच्छे चरित्र वाला है तो निश्चित रूप से अधिक कार्यक्षम होता है। श्रमिक की सामान्य बुद्धि तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का भी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

कार्यदशाएँ : श्रमिक जिस स्थान पर कार्य करता है वहाँ की कार्य दशायें भी श्रमिक की कार्य क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है, जैसे– कार्यस्थान– कार्य करने का स्थान यदि स्वच्छ है, उचित प्रकाश तथा गर्मी और सर्दी से बचाव आदि की पर्याप्त व्यवस्था है तो श्रमिक की कार्य क्षमता अधिक होती है।

कार्य–अवधि : लगातार परिश्रम व कार्य में संलग्न रहने से भी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्य–अवधि में सुनिश्चित अन्तराल व मनोरंजन व्यवस्था प्रदान करने से श्रमिक की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

पर्याप्त व निश्चित मजदूरी : श्रम के बदले उचित मजदूरी प्राप्त होने के साथ–साथ नियमित होना भी आवश्यक है जिससे श्रमिक के रहन–सहन के स्तर में सुधार होने से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

अच्छे उपकरणों की उपलब्धि : अच्छे उपकरण से कम समय और कम परिश्रम में अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है जबकि घिसे–पिटे यन्त्रों द्वारा कितना भी प्रयास क्यों न किया जाय अच्छी वस्तुओं का निर्माण प्रायः सम्भव नहीं जिसका प्रभाव उसके मनोबल व कार्यक्षमता पर विपरीत होता है।

श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण : आर्थिक कल्याण कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं मनोरंजन गृह आदि की पर्याप्त व्यवस्था भी श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

कार्य परिवर्तन एवं पदोन्नति की सम्भावनाएँ : पदोन्नति एवं अधिक वेतन प्राप्ति की सम्भावना भी श्रमिक को अधिक परिश्रम व लगन से कार्य करने हेतु प्रेरणा प्रदान करती है।

वातावरण : वातावरण के अन्तर्गत जलवायु, ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव के सामाजिक जीवन के निर्धारण में अपना विशेष योगदान देती है। जैसे– ठंडी जलवायु वाले देशों में श्रमिकों की कार्य–क्षमता अधिक होती है जबकि गर्म देश में श्रमिक थोड़े समय कार्य करने के पश्चात् ही थक जाते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ तथा राजनैतिक परिस्थितियाँ भी श्रमिक की कार्य क्षमता पर अपना प्रभाव डालती हैं।

प्रबन्ध स्थिति : आधुनिक युग के अनेक प्रबन्ध विद्वानों का मत है कि प्रबन्धकीय स्थिति का भी कार्य क्षमता पर अच्छा या खराब प्रभाव पड़ता है। यदि प्रबन्धक कुशल, योग्य व अनुभवी है तो श्रमिक की कार्यक्षमता वृद्धि में सहायक होते हैं जबकि एक अकुशल प्रबन्धक नियन्त्रण व समन्वय उचित प्रकार से नहीं कर सकता है परिणामस्वरूप श्रमिक असन्तोष से कार्यक्षमता कम होती है।

अन्य तत्व : जैसे सेवानियोजन का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, यदि नियोक्ता श्रमिक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसकी वास्तविक कठिनाईयों को समझने व उसका समाधान का प्रयास करते है एवं उसके प्रति उदारतापूर्ण रूख अपनाते हैं तो श्रमिक के मनोबल में वृद्धि होती है जो उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होती है।

श्रमिक संगठन : संगठन के माध्यम से श्रमिक उचित वेतन, अच्छी कार्य दशायें प्राप्त करने में सक्षम होते है।

श्रमिकों का स्थायित्व : यदि श्रमिक स्थायी रूप से किसी एक उद्योग में ही कार्य करते है तो उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता में ये वृद्धि उनके सकारात्मक मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप होती है। उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु निर्धारित उपर्युक्त तथ्य श्रमिकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते है। मनोबल एक ''मानसिक अवस्था'' है, जो व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी समूह या संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की तत्परता व प्रेरणा प्रदान करती है। यह कर्मचारी को अपने सहयोगी क्रियाओं में अधिकतम संतुष्टि दिलाता है। उसे उत्साहपूर्वक कार्य में जुटे रहने की प्रेरणा देता है और उसमें सामाजिक भावना का विकास करता है। जिससे वह अपने निजी हितों को सामूहिक हितवर्धन के लिए न्यौछावर करने को स्वेच्छा से तैयार रहता है। अतः किसी भी उद्योग में मनोबल बनाए रखने के लिए कार्य सन्तोष अत्यधिक आवश्यक होता है। यदि कोई कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कार्य के गुण और मात्रा दोनों में हानि होती है। दूसरी ओर कार्य सन्तोष बढ़ने से कार्य के गुण और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। जिन कारखानों में कार्य सन्तोष पाया जाता है उनमें श्रमिकों का मनोबल ऊँचा दिखलाई पड़ता है अतः कार्य संतुष्टि के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है, जैसे– शिकायतों को सुना जाना और दूर किया जाना, कर्मचारियों की योग्यताओं और प्रगति की जाँच, रचनात्मक सुझावों का सम्मान, कार्य की मैत्रीपूर्ण समीक्षा, वेतनवृद्धि, अच्छे कार्य की प्रशंसा, योग्यतानुसार पदोन्नति, कार्य की उचित मात्रा, कार्य के लिए समान वेतन, कार्य की समस्याओं में सहायता लेने की स्वतंत्रता, अनुचित डाँट–डपट से मुक्ति, दैनिक कार्य घण्टों का सन्तोषजनक होना, आवास की सुविधा आदि का होना।

कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कार्य संतुष्टि बनाये रखने के लिए संस्थान में कुछ विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी होती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वेतन वृद्धि सभी जगह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य कारकों का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में भिन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कार्य सन्तोष उन सभी परिस्थितियों पर निर्भर है जिनका नीतिमत्ता पर प्रभाव पड़ता है।[10] कार्य की अवधारणा में समय–समय पर परिवर्तनों ने मौलिक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन किया है।

प्राचीन काल में कार्य की समान अवधारणा का उद्देश्य मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। परन्तु आधुनिक औद्योगिक युग में कार्य की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन हुआ है, तथा इसकी मौलिक अवधारणा भौतिकवादी सुख–सुविधा की अत्यधिक प्राप्ति करना हो गया है। इसी भौतिकवादी सुख–सुविधा से कार्य–संतुष्टि का सम्बन्ध योग्यतानुसार एवं मनोवृत्ति के अनुसार कार्य प्राप्त करना होता है, तथा ऐसा नहीं होने पर कुंठा की भावना से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है जो अनेक प्रकार की राष्ट्रीय समस्या का कारण बनाता है।

सन्दर्भ :

1. Sharma, R.P. and Jain, S.K. Industrial Sociolgy P.58
2. Henry Arvon, Lo Philosophic Du Travil Paris
3. Gisbert, P.: Preliterate Man
4. Yoder, Dale: Industrial Sociology, P. 94
5. Churye, Dr. D.S.: Industrial Sociology, P.70
6. The Sociology of Work., P.4
7. Industrial Sociology, P. 115
8. The Sociology of Work. P. 179
9. Sharma, Dr. R.D.; Industrial Sociology, P. 129, 133
10. Sharma, Dr. R.K.; Industrial Sociology, P. 138

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 37-39

नशीली दवाओं के प्रयोग करने की लत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 धर्मेंद्र कुमार सोनकर*

*एसो0प्रो0 समाजशास्त्र विभाग, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, महराजगंज, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन नशीली दवाओं के प्रयोग करने की लत को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेशणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : बार ब्यूरेटस, ट्रेक्यूलाइजर, अचेतन अवस्था, क्लोरों प्राइमाईमसिन प्रवोमेट प्रीप्राडोल, संवैगात्मक, थ्रोजाइन आदि।

आदत या लत के आधार पर दवाओं का प्रयोग जो व्यक्ति करते हैं उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो यह हमारी मानसिक सोच होती है। इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति आदतन किसी वस्तु का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से इन दवाओं का लेने का आदी हो जाता है तो उसको छोड़ना कठिन हो जाता है और न मिलने पर अजीब सी बेचैनी घबराहट भी महसूस करता है। इन दवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वास्तविक जगत से छुटकारा पा लेता है और जिस किसी भी कारण से इसका सेवन करता है उन परेशानियों से थोड़ी देर के लिए निजात पा जाता है। **नशीली दवा प्रयोग करने वालों की विशेषताएँ :**

1. दवा लेने वालों में प्रबल इच्छा होती है कि वह नशीली दवाओं को किसी भी तरह प्राप्त कर ले चाहे उसे उस वस्तु के लिये कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़ें।
2. दवा लेने वाला व्यक्ति इसकी मात्रा को क्रमशः बढ़ाता जाता है।
3. व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व शारीरिक रूप से इन नशीली दवाओं के वश में व पूर्णरूपेण इस पर निर्भर रहता है।
4. नशीली दवा का यह प्रभाव व्यक्ति व समाज के प्रगति में बाधा डालता है।

अल्कोहल (शराब) : शराब अनेक प्रकार का होता है। वैज्ञानिक इसे एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसके प्रयोग से व्यक्ति थोड़े समय के लिए नशे में हो जाता है। व्यक्ति के पूरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब व्यक्ति को अचेतन अवस्था में रखता है। इसका प्रभाव कितना कम या अधिक होगा इसका निर्धारण मदिरा की मात्रा पर निर्भर करता है। बोदका, जिन और व्हिस्की आदि का प्रभाव अधिक होता है। शराब या मदिरा की उपयोगिता अन्य नशीली दवाओं से भिन्न है। क्योंकि मदिरा अनेक समाजों में अलग–अलग रूप से वहां की संस्कृति से सम्बन्धित है। मदिरा का प्रयोग अनेक रीति–रिवाजों, धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। इसके प्रयोग का कुछ सामाजिक पक्ष भी है। जैसे प्रायः मदिरा पान करने वाले लोग एक साथ बैठकर पीते हैं। इससे व्यक्तिगत, सामाजिक सम्बन्धी भी बनते हैं। कुछ लोगों के लिए मदिरा साधारण सुखदायी सामाजिक क्रिया है। कुछ लोगां के लिए यह कार्य करने की क्षमता बढ़ाती है। कुछ लोग सेवन करने के उपरान्त भ्रान्त रहते हैं। और कुछ लोग सामाजिक व्यवहार भी करते हैं और कुछ लोगों के लिए अपने दुःख को भुलाने का साधन मात्र है।

लेकिन किसी भी आधार पर हम मदिरा के प्रयोग का विश्लेषण करें तो भारत में यह एक जटिल समस्या बन कर आती है। तम्बाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों के बाद मदिरा प्रयोग करने वालों की गणना द्वितीय है। मदिरा का प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है जो लोग मदिरा का प्रयोग थोड़े अंश में या फिर कभी–कभी करते हैं वे इसके सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करते है। यह किसी भी प्रकार बाध्यता से प्रभावित नहीं होते।[1] यदि भोजन के पहले थोड़ी मात्रा में मदिरा लिया जाय तो यह व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाता। कुछ लोग मनोरंजन के लिये लेते हैं। कहीं–कहीं पर तो धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। जनजातियों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना मदिरा का पूर्ण ही नहीं होता है। आजकल व्यापार विचार विमर्श के समय मदिरा का लोग सेवन लोग करते हैं।

ट्रेक्यूलाइजर : कुछ लोग जीवन में बहुत निराशा, उपेक्षा, कुन्ठा में जीवन व्यतीत करते हैं और सार्वजनिक रूप से साधारण व्यवहार नहीं कर पाते है तो वे ट्रेक्यूलाइजर का प्रयोग टेबलेट के रूप में करते हैं और कुछ व्यक्ति उच्च रक्त चाप के नियंत्रण के लिए करते हैं। वास्तव में यह मानसिक शान्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ हैं। यह गम्भीर मानसिक रोगों के काम में आती हैं। इनमें क्लोरों प्राइमाईमसिन प्रवोमेट प्रीप्राडोल का अधिक उपयोग किया जाता है। अनेक व्यक्ति उनके कारणों से ट्रैक्यूलाइजर का प्रयोग करते है।।

1. संवैगात्मक परेशानियों को दूर करने के लिए।
2. अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए।
3. अनेक दवाओं के प्रभाव को कम करने के लिए।
4. अधिक से अधिक नशा करने के लिए।[1]

ट्रैक्यूलाइजर का वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे थ्रोजाइन का प्रयोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को ठीक करने के लिए किया जाता है।[2]

कुछ उत्तेजक दवाईयाँ और उनकी विशेषताएं :

कोकीन : यह प्रकृति से प्राप्त किया जाता है और एरिथ्रोजइलोन कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों को सुखा कर पाउडर बना लेते हैं फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता

है। बाद में पेट्रोलियम ईथर द्वारा निष्कर्षण से पृथक कर लेते हैं। इसमें गन्धक का तेजाब मिलाकर मणिभ रूप में प्राप्त कर लेते हैं। काकीन रंगहीन घुलनशील पदार्थ हैं। यह प्रकाशीय सक्रीय पदार्थ है। यह मिथायलइस्टर ऑफ बेन्जायल एगोनीन है। इसमें मुक्त कार्बोजेलिक समूह होता है। इसके प्रयोग से क्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है और सिरदर्द रहता है।

मारफीन : यह भी प्रकृति में अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती है। अफीम के पौधों को पापावर सोमनी फेरम कहते हैं। इसके फल से रस निकाल कर सुखाकर अफीम बनायी जाती है। अफीम में बहुत से एल्कोलाइड होते हैं। उनमें से मारफीन एक हैं। मारफीन का निष्कर्ष या मिथिलीन क्लोराइड द्वारा किया जाता है। इस निष्कर्ष में मारफीन, कोडिनीन आदि प्राप्त होते हैं। बेन्जीन डालकर मारफीन पृथक कर लेते है। मारफीन का उपयोग शल्य–क्रिया में रोगी को बेहोश करने के लिए किया जाता है। मारफीन को फिनर्थिन, ट्राई फिनाइल ईथर, पिपरीडीन युक्त संयोजक माना जाता है। इससे पिपरीडीन, पेर्थिडोन और मेथेडीन दवाईयां बनाई जाती है।

हेरोइन : मॉफीन के साथ एसीटिक एनहाइडाइड की क्रिया से हेरोइन बनायी जाती है। इसका रासायनिक नाम डाइ एसीटायल माफीन है। यह मारफीन से दस गुना अधिक भाक्ति ाली है। इसलिए अधिक हानिप्रद है। यह कफ, दर्द, निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य बहुत है। इसलिए इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी होता है। यह मनुष्य को आसानी से आदी बनाता है।

कनेवीस उत्पाद : मरिजुआना, हशीश, गांजा, मेरीजन, ऐसे औशधि उत्पादन हैं जो भांग हेम्प के पौधे से उत्पादित किये जाते हैं। भांग का पौधा केनेविस से लिया जाता है। इस पौधे से डेल्टा जीटेट्रा हाइड्राकेनेपीनोल नामक चिपचिपा पदार्थ होता हैं। यही रसायन न ा का कारण होता है।

हशीा : हशीश मांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है। टहनियों के अन्त में गाढ़ा, काला चिप–चिपा सा पदार्थ जिसे हशीश कहते हैं। हशीश अधिकतर धूम्रपान द्वारा ली जाती है। परन्तु कभी–कभी इसे खाया जाता है। इसका प्रभाव भ्रुरू में धीरे–धीरे होता है किन्तु काफी देर तक रहता है।

ब्राउन शुगर : यह हेरोइन का अशुद्ध रूप है। इसे बनाने के लिए हेरोइन के साथ चूना, साइनेट, कुकेन आदि मिलाया जाता है। कुछ लोग हेरोइन के साथ जिंक आक्साइड धतूरा के बीज भी मिलाते है। यह केवल नशाकारक ही नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विष भी है।

एल0एस0डी0 : इसका पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाइ एथाइल इमाइड है। मानसिक तनाव कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार की नशीली दवा है।

सिलसेसाविन : यह मैक्सिको में पाये जाने वाले कुकुरमुत्ते, सिलसाइव मक्सिआना का सक्रिय तत्व है। इसका प्रभाव एल0सी0डी0 से कम होता है।

बार ब्यूरेटस : यह पदार्थ नींद लाता है। यह बेशेनल बार ब्यूरेटिक अम्ल से बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम 5–5 डाइ इलाइलवार ब्यूरिट्स है। वाद में ल्यूमिनल आर सकाजल दवाइयां बनायी गयी। बार–बार ब्यूरीट्स लेने से श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बीटा डाइ इथाइल एमिनो इथाइल 2–2 डाइ फिनाइल बेलरेट दवा नींद लाने वाला दवा से 39 गुना अधिक प्रभावशाली है।

कोर्टीसीन : शारीरिक पीड़ा मानव के लिए समस्या है। कई बार हड्डियों के बीच जो बेध होते हैं उनमें दर्द और सूजन आ जाती है। इसके लिए कोर्टीसीन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अधिक समय तक इसका सेवन करने से भारीर में खनिज पदार्थो के संतुलन में बाधा आ जाती है। जिससे अन्य समस्यायें उत्पन्न हो जाती है।

मादक द्रव्यों को बनाने की विधि व उनका प्रभाव : नारकोटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द नारकोटिकोसेस बना। जिसका अर्थ तुरन्त कर देना या चेतना शून्य कर देना होता है। हिन्दी में नारकोटिक्स के लिए व्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। साधारणतः नारकोटिक्स एक ऐसे पदार्थ को कहते है। जिसका सेवन पीड़ा कम करता है, निद्रा लाता है और अधिक मात्रा में लेने पर मदहोशी, अचेतना और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है।

औषधशास्त्र में नारकोटिक शब्द का अर्थ सामान्यतः अफीम तथा अफीम से व्युत्पन्न तत्व या उनके संश्लिष्ट प्रतिस्थापकों से लिया जाता है। नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिज एक्ट 1985 (व्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) के अनुसार नारकोटिक्स ड्रग्स का अर्थ अफीम तथा अफीम से व्युत्पन्न तत्व, पोस्ता तना के सन्द्रक गांजा तथा औषधी गांजा, कोका पत्तियां तथा कोका के व्युत्पन्न तत्व से है। उक्त अधिनियम में मन प्रभावी वस्तुओं के लिए एक अन्य शब्द साइक्रोट्रोपिक सब्टेन्स मन प्रभावी पदार्थ का अर्थ उक्त अधिनियम की सूची निर्विदिष्ट मन प्रभावी पदार्थ का अनसूचित में सम्मिलित प्राकृतिक संश्लिष्ट पदार्थ या प्राकृतिक तत्वों या लवणों या ऐसे पदार्थ अथवा तत्वों के संपाक से है।

यदि नारकोटिक्स शब्द को परिभाषा के सन्दर्भ में देखा जाए तो तीन प्रकार का नारकोटिक्स है।

1. प्राकृतिक मूल का नारकोटिक्स जो अफीम, मारफीन, कोडीन तथा एमेन है।
2. अर्थसंश्लिष्ट नारकोटिक्स जो हेरोइन, हाइड्रोमाफीन आक्सीकोडोन एवं इर्टफाइन तथा डिपरेन फाइन है।
3. संश्लिष्ट नारकोटिक्स जो मैपरडीन पैथीडोन एवं मैथाडोन तथा सम्बन्धित औशधि है।

परन्तु जैसा ऊपर बताया गया है नारकोटिक ड्रग एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सिज एक्ट 1985 में नारकोटिक ड्रग की परिभाषा अधिक विस्तृत है। और ऐसे पदार्थ जिन पर उक्त एक्ट लागू होता है का मुख्य वर्गीकरण है।

1. नारकोटिक ड्रग
2. साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिज के रूप में है।

हम अपनी सुविधाअनुसार सभी नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक का निम्नलिखित वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करते हैं।

1. अवसाद पदार्थ–इसमें अफीम, अफीम से व्युत्पन्न पदार्थ बारवियुरेटस
2. उत्तेजक पदार्थ
3. भ्रान्तिकारक या मति विभ्रात्मक पदार्थ

अवसादक पदार्थ : अवसादक पदार्थ ऐसे पदार्थ का यौगिक है जो केन्द्रीय तन्त्र का गतिविधियों को हटाकर उसे प्रभावित करती है। पिछले पृष्ठों में इसकी संक्षेप में थोड़ी बहुत चर्चा की गयी हैं

अफीम व अफीम से व्युत्पन्न तत्व : अफीम भारतवर्ष के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। सदियों से इसकी खेती की जा रही है। तथा सेवन किया जा रहा है। अफीम या पोस्ता के पौधे को अंग्रजी में ओपियम पौपी कहते है।

सन्दर्भ :

1. Rindesmith, A.R. (1968), "Addiction and opiates", Aldine, Chicageo.
2. Sethi, B.B. & Trivedi, J.K. (1979). "Drug abuse in a rural Population, Indian Journal of Psychiatry, 21 (3), 211
3. Sethi, B.B. &Manchanda, R. (1978), "Pattern of durg abuse among male students", Indian Journal of Psychiatry, 20, 166
4. Sulher-Land, E.H. & S. Gressey, D.R. (1965), "Principles of Ciminology, 6th edition, Bombay, Times of India Press"
5. Stark, R. (1975). "Alcoholism and Drug Addiction in Social Problem, p. 102, Torno, : Random House"
6. Singh G. (1979), "Drug use Among Medical Students-1, Prevalence and Pattern of User, Indian Journal of Psychiatry. 21 (4) 332
7. Shamnarayan, T.E. (1978), "A Study of Drug abuse Among College Students, Unpublished Project".
8. Sharma, Davis, Roy&Roy, A.K. "Hereditary Factors in psychases precipitated by connabis abuse", paper in 30th IPS conference, Abstracts", p. 90
9. Suresh Kumar, Ramchandran& Others, "Psychosocial & Behavioural Characteristics of Heroin (Brown sugar) Abusers", Paper in 30 IPS conference, "Abstracts", p. 89

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 40-41

'धर्म' जीवन की एक विधि : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह*

*एसो0प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, पं0 महादेव शुक्ल कृषक पी0 जी0 कालेज, गौर–बस्ती, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन 'धर्म' जीवन की एक विधि : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन को रेखांकित करता है। धर्म जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति को वास्तविक कर्त्तव्यों का बोध कराती है। भारतीय जीवन पद्धति में देश–काल, परिस्थिति के अनुसार जो भी व्यक्ति का कर्त्तव्य है वहीं धर्म है। धर्म व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में सहायक रहा है, यह जीवन को सम्पूर्णता प्रदान करता है। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है। जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : धर्म, नैतिक एवं धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक शक्ति, संस्कृति, सामायोजन आदि।

'धर्म' जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति को वास्तविक कर्त्तव्यों का बोध कराती है। भारतीय जीवन पद्धति में देश–काल, परिस्थिति के अनुसार जो भी व्यक्ति का कर्त्तव्य है वहीं धर्म है। धर्म व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में सहायक रहा है, यह जीवन को सम्पूर्णता प्रदान करता है। मानव व्यवहार को निर्धारित एवं नियन्त्रित करने में धर्म एक महत्वपर्ण अभिकरण है।[1]

धर्म मानव व्यवहार को विशेष प्रकार से नियंत्रित करता है, इसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। ''धर्म क्रिया भी एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ–साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है।''[2]

धर्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की स्थापना करना तथा व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। ''धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से सम्बन्धित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है।''[3]

धर्म मानव के आन्तरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता वरन् उसके सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ''धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है।''[4] धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति, प्रार्थना, पूजा या अराधना है। ''धारयतीति धर्म''।[5] जो समाज का, व्यक्ति का धारण करे वही धर्म है। वह धर्म की पहली परिभाषा है।

सर जेम्स फ्रेजर, ''धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों को संतुष्टि या अराधनीय समझता हूँ जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती हैं और नियंत्रित करती है।''[6] ''धर्म के साथ–साथ संस्कृति भी व्यक्ति के हर एक पक्ष को प्रभावित करती है। संस्कृति एक ऐसा है पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, और प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करता है।''[7]

''संस्कृति एक व्यवस्था जिसमें हम जीवन के प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, बहुत से भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परम्पराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं और अविष्कारों को सम्मिलित करते है।''[8] संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को सम्पन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। ''संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं।'' ब्रूम एवं सेल्जनिक संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते है।

''मेक्स इवर 1968 ''संस्कृति सभ्यता के बौद्धिक पक्ष से सम्बन्धित है या तकनीकी रूप में संस्कृति वह समुच्चय है जिससे व्यक्ति के शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक प्रथाएँ, विज्ञान और कला आदि सम्मिलित है।'' दार्शनिक 'केसिरर' एवं 'सोरोकिन'' तथा 'मेकाइवर' जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते है। 'लिण्डग्रेन' (1971), 'संस्कृति में समाज के व्यक्तियों में पायी जाने वाली वह व्यवस्थाएँ (जिनका विकास उस समाज द्वारा किया गया है) सम्मिलित है, जैसे– मूल्य, विश्वास, मानक, कौशल, संकेत आदि।'' व्यक्ति और संस्कृति का सम्बन्ध एक तरफा क्रिया नहीं है, वरन् दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते है। संस्कृति के व्यक्ति पर व्यापक प्रभावों के कारण समाज में स्थिरता और संस्कृति में निरन्तरता आती है दूसरी ओर व्यक्ति भी संस्कृति को प्रभावित करता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन आते है।'' आज का मानव विभिन्न प्रकार को समस्याओं से घिरा हुआ है। उसकी आवश्कताएँ अनन्त हैं। वह अपने साधनों में माध्यम से इन आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयत्नशील है। क्या वह इतना साधन सम्पन्न है कि अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आज की व्यवस्था में यह असम्भव ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, व्यक्ति मानसिक स्तर पर अतृप्त बना रहता है है, लेकिन फिर भी वह अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्य की सहायता से इन नई–नई समस्याओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के प्रयास को समायोजन की प्रक्रिया कह सकते हैं। 'शेफर' समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सन्तुलन बनाए रखता है।''

'शेफर' की परिभाषा से समायोजन के सम्बन्ध में मुख्यतः बाते दिखाई पड़ती हैः–

1. प्राणी की आवश्यकताएँ
2. आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ, जिसके पीछे अनेक प्रेरणाएँ कार्य करती है।

'आइजनेक 1992' ''सामायोजन वह अवस्था है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताओं, दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि हो अथवा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन दो अवस्थाओं में सांमजस्य प्राप्त होता है।'' समायोजन तीन बातों पर निर्भर करता है:–

1. व्यक्ति की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं और लक्ष्य आदि में समन्वय जितना अधिक होता है, समायोजन उतना ही अधिक होता है।
2. व्यक्ति की इच्छाओं विचारों प्रेरणाओं और लक्ष्यों की पूर्ति किस मात्रा में हुई है, उनकी पूर्ति जितनी ही अधिक होती है, व्यक्ति का समायोजन उतना ही अच्छा होता है। उनकी अति और अल्प पूर्ति का भी समायोजन का सूचक है।
3. व्यक्ति की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं और लक्ष्य सामाजिक मूल्यों और नियमों से कहाँ तक मेल खाते है। इनके मेल जितना ही अधिक होता है व्यक्ति का व्यवहार उतना ही अधिक समायोजित होता है। मेल जितना कम होता है व्यक्ति का व्यवहार उतना ही अधिक असमायोजित होता है। व्यक्ति जीवन में अपने बाह्य वातावरण तथा शरीर–क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता रहता है। किन्तु फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिससे वह अपने को समायोजित नहीं कर पाता क्योंकि आत्मा का विचार, अहं मूल्यों की भूमिका आदि ऐसे पक्ष है उसे पूर्णतः समपण करने से रोकते है।

समायोजन एक प्रकार की अन्तः क्रिया है जो व्यक्ति क्षमताओं अथवा योग्यताओं अथवा पर्यावरण के मध्य अनवरत होती रहती है। समायोजन करने की प्रकृति का सम्बन्ध व्यक्ति की संस्कृति, लिंग, आयु, सामाजिक आर्थिक दशा आदि से जुड़ा हुआ है। ये सभी कारक समायोजन प्रक्रिया को समायोजित करते रहते हैं।

'मॉसलों' तथा 'मिच्लिमैन' ने समायोजन को व्यक्ति की एक ऐसी विशेषता बताया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रत्यक्ष होता है, वह प्रतिक्रिया करता है तथा जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। इन दोनों व्यक्तियों के विचार में जीवन सम्बन्धी विचारधाराएँ दो प्रकार की होती है:–

1. वे समस्याएँ जो बाह्य वातावरण से सम्बन्धित होती है, इसकी प्रकृति जैविक तथा भौतिक होती है, जैसे–भोजन तथा सुरक्षा आदि।
2. दूसरे प्रकार के समस्याओं का सम्बन्ध व्यक्ति की संस्कृति से होता है जिसमें सभी प्रकार की मान्यताएँ, नियम, परम्पराएँ आदि आते है।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 राधाकृष्णन, धर्म और समाज, 1966, पृ0 104
2. B. Malinowaski, magic, Science and Religion and Other Essays. P.24
3. H. Johnson Sociology, A Systematic Introductin, P. 392
4. E.B. Taylor, Primitive Clture. P. 424
5. Edward B. Taylor, Primitve Culture John. Murray. London 1933 P.; 425-426
6. Sri James Frazer, The Golden Bough, Apridged Edition Macmillon Co. Ndew york P. 50
7. डी0 एम0 पोकाक, जातियों का संचरण ''माना'' मई 1955, पृ0 71–72
8. हिन्दू संस्कृति विशेषांक, पृ0 163

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 42-44

भारत में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य

डॉ0 चन्दन कुमार पाण्डेय*

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, (समाजशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, मौदहा, हमीरपुर, उ0प्र0

सारांश : भारत में यह बात हर कोई कहता है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात जहॉ नारी की पूजा की जाती है वहॉ देवता निवास करते हैं परन्तु वास्तव में नारी की स्थिति क्या है वह भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नारी घर से लेकर बाहर हर जगह पीड़ित है, शोषित है अपमानित है। नारी शक्ति का अपार श्रोत होते हुए भी शक्तिहीन है। ऐसे मे नारी की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं न्यायिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान कर पुरूषों के बराबर खड़ा करना उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनके प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण के परिदृश्य पर गहनतापूर्वक प्रकाश डाला गया है साथ ही महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार के प्रयासों की समीक्षा भी की गई है ।

मुख्य शब्द : समाज, महिला सशक्तिकरण, सरकार, शिक्षा, विकास, योजना, अधिनियम आदि।

दुनिया के सभी समाजों में महिला एंव पुरूष के बीच असमानता व्याप्त है। ये असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और न्यायिक सभी स्तरों पर देखने को मिलती है। महिला को हर स्तर पर पुरूष से कमतर माना गया है। पुरूष ही श्रेष्ठ है, उसके विचार उचित है इस प्रकार की धारणा की जकड़ में सभी समाज है। वास्तविक तौर पर एक महिला और पुरूष में जैवकीय अन्तर के अलावा कोई अन्तर नही है लेकिन सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा दोयम दर्जा दे दिया है। महिलायें अपनी जिन्दगी में हर मोड़ पर चाहे बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, मॉ के रूप में शोषित और पीड़ित होती रही है। और वर्तमान में भी है।

भारतीय समाज में तो सैद्धान्तिक तौर पर महिलाओं को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है परन्तु व्यवहारिकता के धरातल पर स्थिति एकदम उलट है। जहॉ महिला को देवीतुल्य माना गया है, जहॉ उसकी पूजा करने की बात की गयी है। उसी समाज में उसे चारदिवारी के अन्दर बन्द कर दिया गया है। उसके ऊपर बहुत सारी बन्दिशें लगा दी गयी, उसके साथ भेद–भाव की विभिन्न कुप्रथायें प्रचलन में आ गयी। लेकिन आधुनिक शिक्षा के प्रवाह और विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

21वीं सदी के प्रारम्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुये केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया तभी से सामाजिक और शैक्षणिक जगत में इस विषय में गहनता से अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ हुआ। यूँ तो महिलावादी आन्दोलनों और यू0एन0डी0पी0 आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं की सामाजिक समता, स्वतन्त्रता और न्याय के राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। और महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है।

महिला सशक्तिकरण क्या है? : इसकी चर्चा से पूर्व आइये हम सशक्तिकरण का अर्थ जानने का प्रयास करते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उस में ऐसी योग्यता आ जाती है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वंय ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहॉ महिलायें परिवार व समाज के सभी बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। अपनी निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिये महिलाओं को जागरूक करना एंव अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है।

- महिला सशक्तिकरण को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित करते हुये कहा जा सकता है कि इससे महिलायें शक्तिशाली बनती है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार तथा समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती है।
- समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हे सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।
- महिला सशक्तिकरण भौतिक या अध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं मे आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।
- महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं पुरूष प्रधान समाज के दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों ? : सर्वविदित है कि भारत एक पारम्परिक समाज है जहॉ पुरूषों को महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है। पुरूष हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, जबकि महिला घर व परिवार की जिम्मेदारी तक ही सीमित होती है। घर और परिवार से सम्बन्धित ज्यादातर निर्णय पुरूष द्वारा ही लिये जाते है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम होती है। विभिन्न प्रकार की पाबन्दियॉ अरोपित कर महिलाओं का जीवन नरकीय बना दिया जाता है। भारत में महिला आबादी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में जिस देश की आधी आबादी ही सशक्त न हो, उस देश को विकसित देश कैसे बनाया जा सकता है। इसलिये आवश्यक है कि सरकार, पुरूष और स्वयं महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाये।

भारत में महिलायें हर क्षेत्र में पिछड़ी हुयी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसके जड़ में जाने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि महिलाओं के प्रति निम्न सोच एवं भेद–भाव पूर्ण व्यवहार इनके पिछड़ेपन का मूल कारण है। इस भेद–भाव पूर्ण व्यवहार या असमानतापूर्ण व्यवहार का प्रारम्भ परिवार के स्तर से शुरू होता है। बचपन से ही लड़के और लड़की की भूमिका तय कर दी जाती है जिसमें लड़के को ज्यादा महत्व प्राप्त हो जाता है और लड़कियॉ पिछड़ती चली जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि परिवार के स्तर से लड़के और लड़की का भेद मिटा कर लड़की को भी लड़के की तरह आगे बढ़ने का मौका दिया जाये। वर्तमान समय में यह साबित हो चुका है कि अगर लड़कियों को भी लड़के के समान अवसर व सुविधायें दी जाये तो वे सभी क्षेत्रों में पुरूशों की बराबरी कर सकती है। और यह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से हीं सम्भव हो सकता है।

भारत में दहेज प्रथा, यौन हिंसा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी आदि ऐसी गम्भीर समस्यायें है जो महिलाओं के जीवन में राक्षसरूपी भूमिका का निर्वहन करती है। इन सभी समस्याओं पर तब तक काबू नही पाया जा सकता जब तक महिलायें सशक्त न हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है।

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाये गये कदम : भारतीय संविधान महिला को पुरूष के बाराबर अधिकार प्रदान करता है साथ ही साथ भारतीय संसद महिलाओं को समर्थ बनाने के लिये समय–समय पर कुछ अधिनियम भी पास किये है :–

1. **अनैकित व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956**
2. **दहेज निरोधक अधिनियम, 1961**
3. **समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976**
4. **मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट,1987**
5. **लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, 1994**
6. **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005**
7. **बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006**
8. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013**

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनायें भी संचालित कर रखी है जिनमें प्रमुख योजनायें है :–

1. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम :

1. बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी थी।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
3. इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेद–भाव को रोकने के साथ–साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

4. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिये राजीव गॉधी योजना (सबला) :

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत 1 अप्रैल 2011 को की गयी थी।

1. इस योजना के तहत भारत के दौ सौ जिलों से चयनित 11–18 आयु वर्ग की किशोरियों की देख–भाल ''समेकित बाल विकास परियोजना'' के अन्तर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम तहत लाभार्थियों को 11–15 (पोषण) और 15–18 साल (गैर पोषण) के दो समूहों में विभाजित किया गया है।
2. 11–15 आयु वर्ग की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है और 15–18 आयु वर्ग की लड़कियों को आयरन की गोलियॉ सहित अन्य दवाईयॉ मिलती है।

3. इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना :

1. यह मातृत्व लाभ योजना 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. इस कार्यक्रम के तहत नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिये दो किस्तों में 6000/– रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना :

1. इस योजना का प्रारम्भ 2004 में किया गया।
2. यह योजना उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम है।
3. इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75 प्रतिशत अनु0जाति/जन जाति/अन्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चीयों का दाखिला करना है।

5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :

1. इस योजना का शुभारम्भ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को किया गया।
2. इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन दिया जा रहा है।
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।

6. स्वाधार गृह योजना :

1. इस योजना को वर्ष 2001–02 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्यावृति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुर्नवास की व्यवस्था करना है।
2. इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाक शुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधायें प्रदान की जाती है।
3. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिये शारीरिक ओर मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है।

7. महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) :

1. इस योजना की शुरूआत 1986–87 में हुयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सके ।
2. इस कार्यक्रम के लिये 16 वर्ष या इससे ऊपर की बालिकाओं को शामिल किया जाता है।

8. कार्यशील महिला छात्रावास : बड़े शहरों या महानगरों में कार्यशील महिलाओं हेतु छात्रावास की सुविधा, सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

9. राष्ट्रीय महिला कोश : गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकतओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1993 में राष्ट्रीय महिला कोश का गठन किया गया। वर्तमान समय में यह कोश स्वयं सहायता समूहों द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किये हुये है।

10. वीमेन हेल्प लाइन स्कीम : महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये देश की विभिन्न सरकारों ने अपने –अपने राज्यों में वीमेन हेल्प लाइन नम्बर 1090 की शुरूआत की जो अत्यन्त कारगर साबित हो रही है।

उपरोक्त योजनायें महिला सशक्तिकरण की दिशा में महती भूमिका अदा कर रही है। परन्तु हम महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नही कर सकते जब तक पुरूष समाज अपनी सोच न बदले। महिला सशक्तिकरण के लिये पुरूषोचित मानसिकता को परिवर्तित करना होगा, महिलाओं को पुरूष के बराबर का दर्जा देना होगा, महिला पुरूष के भेद को बन्द करना होगा। तभी हम सच्चे अथा में सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त भारत की नींव रख सकेगें।

सन्दर्भ :

1. आहूजा, राम : सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2016
2. अग्रवाल, चन्द्रमोहन : भारतीय नारी एंव विविध आयाम, इण्डियन पब्लिशर्स, दिल्ली 2003
3. दोषी, एस0एल0 एवं जैन : भारतीय समाज : संरचना और परिवर्तन नेशनल पब्लिसिंग हाउस, जयपुर, 2002

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 45-47

हिन्दी नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान

डॉ0 सुनील कुमार*

*असि0 प्रो0 हिन्दी विभाग, श्री शालिगराम शर्मा स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रासना, मेरठ

सारांश : भारतेंदु काल (1868–1900) सन् 1857 के स्वातंत्र्य समर की विफलता के पश्चात् का पुनर्जागरण काल है। इस काल के रचनाकारों ने लोकजागरण का शंखनाद किया। इस काल के कवियों ने मातृभूमि, मातृभाषा और सांस्कृतिक गरिमा को निरूपित करते हुए भारतीय अस्मिता को स्थापित किया है। इस हेतु महाराणा प्रताप, शिवाजी व छत्रसाल इनके प्रेरणा–पुंज बने हैं।

मुख्य शब्द : नवजागरण, भारतीय संस्कृति, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पतन, पुनजार्गरण आदि।

नवजागरण का अर्थ : नवजागरण फ्रेंच शब्द 'रिनेसा' का हिन्दी पर्याय पुनजार्गरण दो शब्दों (पुनः +जागरण) के मेल से बना है जिसका अर्थ है फिर से जागना या नये सिरे से उन्नति करना। व्यापक संदर्भ में यह एक ओर प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का प्रयास है तो दूसरी ओर समग्र क्षेत्रों में नवजागृति के द्वारा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का भी प्रयास है।

नवजागरण का उदय : मध्यकाल में मुगल शासन के द्वारा जहाँ देश का आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पतन हो रहा था वहीं अंग्रेजी शासनकाल में भी यही क्रम जारी रहा। अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक स्थिति को भी चौपट कर दिया। धर्म और समाज अंतिम सांसे गिन रहे थे। संक्रमण के इस दौर में उन्नसवी शताब्दी की शुरुआत में अनेक सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आन्दोलन हुए जिसके परिणामस्वरूप भारत में नवजागरण का सूत्रपात हुआ। राष्ट्र ने अंग्रेजी शोषक शासन के क्रूर चेहरे को पहचाना, जिसने स्वदेशी माल को नष्ट करके विदेशी माल को भारत में खपाया, जिसके कारण बेरोजगारी व दरिद्रता बढ़ गयी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक आदि क्षेत्रों में नवजागरण का अभ्युदय हुआ। इसे ही कालांतर में भारतीय नवजागरण, पुनजार्गरण या पुनरुत्थान से संबोधित किया गया है। इसके प्रचार–प्रसार में विभिन्न विभूतियों का योगदान रहा है, जिनमें राजा राममोहन राय, देवेंद्र ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद श्रीमती ऐनीबेसेंट आदि प्रमुख हैं।

राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का पुरोधा माना जाता है। इन्होंने सन् 1928 में 'ब्रह्म–समाज' की स्थापना करके सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमानस तैयार किया तथा इनके आंदोलन ने देश के नवनिहालों को विशेष रूप से प्रभावित किया। राजा राममोहन राय के बाद देवेंद्र ठाकुर ने इस क्रांति को गति दी परिणामतः समाज–सुधार की दिशा में आत्मसंयम को आधार मिला। जाति और वर्ण–भेद को मिटाने तथा बहुविवाह को रोकने के प्रयास कारगर हुए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा–विवाह और नारी–शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन् 1867 ई0 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेद को अपौरुषेय कहा तथा वैदिक धर्म को सच्चा व सनातन धर्म निर्दिष्ट किया। उन्होंने 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना करके सत्य–अर्थ रूपी प्रकाश का मण्डन और असत्य रूपी अंधकार का खण्डन किया। उन्होंने स्वाधीनता की वकालत की। स्वामी जी ने जहाँ शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया, वहीं गुरुकुल शिक्षा–प्रणाली की आदर्श आधार–शिला भी रखी। आज प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसकी संकल्पना स्वामी जी ने अपने जीवन–काल में ही कर ली थी। वे लिखते हैं– ''इसमें राजनियम और जाति–नियम होना चाहिए कि पाँचवे अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के और लड़कियों को घर म न रख सकें। पाठशाला में अवश्य भेज देवें। जो न भेजें, वह दण्डनीय हो।''[1]

भारतेंदु युग को नवजागरण के नाम से ही जाना जाता है। इस काल के रचनाकारों ने लोकजागरण का शंखनाद किया। भारतेंदु स्वामी दयानंद के समकालीन थे। समाज सुधार की दिशा में दोनों की सोच लगभग समान थी। दोनों अस्पृश्यता को कलंक मानते थे। भारतेंदु जी के अनुसार–''धर्म हमारा ऐसा निर्बल और पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से या एक चुल्लू पानी से भर जाता है। कच्चे, गले, सड़े सूत व चींटी की दशा हमारे धर्म की हो गयी है।''[2] भारतेंदु क समकालीन सहयोगी रचनाकार प्रतानाराण मिश्र भी दयानंद से प्रभावित रहे। उन्होंने आल्हा लोकछंद की पंक्तियों में दुःख के साथ लिखा है–

मरत–मरत दयानंद मरिगे, हिंदू रहे आज लगि सोय।
पूत बिया हैं, पाँच बरस को, गहनै धरत फिरैं घर–बार।।
रुपया फेंकैं जल्लादन पर, घर भर दिये पतुरिया क्यार।
वेद मंगैने के चंदा के, सुनते नाम सूखि जिउ जाय।।[3]

''यद्यपि भारतेंदु रीतिकाल और आधुनिक काल के मध्य की कड़ी हैं तथापि उनमें मध्यकाल की परम्परा अल्प और आधुनिकता का आग्रह अधिक मिलता है। भारतेंदु काल (1868–1900) सन् 1857 के स्वातंत्र्य समर की विफलता के पश्चात् का पुनर्जागरण काल है जिसमें परम्परा का प्रवाह परिष्कार के रूप में प्रतिष्ठित है और आधुनिकता की आहट पुनरुत्थान की प्रतीति के रूप में अधिष्ठित है। यह हिन्दी का लोकजागरण है जिसमें भाषा और साहित्य हथियार के रूप में प्रयुक्त होते हैं।''[4] भारतेंदु के समय में देश जिस संकट से गुजर रहा था, उसका निराकरण समीक्षा के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में संभव नहीं था इसीलिए भारतेंदु ने उसे समाज के संदर्भ में देखा। उस समय की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक परिस्थिति के आधार पर उन्होंने साहित्य की सर्जना

की। ''भारतीय एकता, जाति–पाँति, छुआछूत, ऊँच–नीच, अमीर–गरीब, छोटे–बड़े के साथ ही विविध कुरीतियों व अंधविश्वासों से आबद्ध थी। इसे भारतेंदु ने महसूस किया और समकालीन साहित्यकारों को ऐसी ही रचनाओं की रचना के लिए प्रेरित किया। इस काल की हिन्दी रचनाएँ लोक–जागरण की प्रतीति प्रमाणित हुई।''[5]

भारतेंदुकालीन साहित्य में राष्ट्रीयता : भारतेंदुकालीन काव्य साहित्य राष्ट्रीयता को केंद्र में रखकर सृजित किया गया है। इस काल के कवियों ने मातृभूमि, मातृभाषा और सांस्कृतिक गरिमा को निरूपित करते हुए भारतीय अस्मिता को स्थापित किया। इस हेतु महाराणा प्रताप, शिवाजी व छत्रसाल इनके प्रेरणा–पुंज बने हैं। यह क्षेत्रीय विभूति नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक थे। ये पात्र वैसे तो अपने–अपने राज्यों की अस्मिता के लिए लड़े किंतु बाद में ये पूरे देश के लिए आदर्श पात्र बनकर सामने आये।

भारतेंदुकालीन कवियों ने युवाओं को लक्ष्य करके जो उद्‌बोधन किया वह अंग्रेजों के प्रति घृणा और आक्रोश का कारण बना। भारतेंदु जी ने व्यक्त किया कि अंग्रेज मीठी व चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा भारतवासियों के प्रति छल कर रहे थे। उन्होंने उनके तन–मन ही नहीं वरन् उनके अंतर्मन का भी शोषण किया है। यथा–

भीतर–भीतर सब रस चूसैं,
हँसि–हँसि के तन मन धन मूसै।
जाहिर बातन में अति तेत,
क्यों सखि साजन! नहीं अंग्रेज।।

भारतेंदु जी ने महसूस कर लिया था कि हम फूटपरस्ती के कारण ही परतंत्र हुए हैं। इसीलिए वे कह उठते हैं–

''जगत में घर की फूट बुरी।
फूटहिं सौ जयचंद बुलायौ,
जवनन भारत–धाम।।''[6]

भारत में विविधता को आधार मानते हुए वे कहते हैं–

''भारत में सब भिन्न अति, ताही सो उत्पात।
विविध देश मतहू विविध, भाषा विविध लखात।।''[7]

भारतेंदुकालीन भाषा सम्बन्धी विचार : भारतेंदु काल भाषा की दृष्टि से संक्रमणकाल रहा है यही कारण है कि इस काल का भाषा व साहित्य का फलक विस्तृत व बहुरंगी है। यदि एक ओर गद्य की भाषा और साहित्य की खोज की शुरुआत हुई तो दूसरी ओर समाज में एकता व भाई–चारे की भावना को प्रोत्साहित करने तथा अंधविश्वासों और कुरीतियों को हटाने की मुहिम भी इसी काल में आरम्भ हुई। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा की उन्नति पर जोर देते हुए लिखा है–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।

इस प्रकार इस काल के कवियों ने खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्रीयता एकता और सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का साधन माना है। इसीलिए हिन्दी राष्ट्रीय आंदोलन का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है।

सामाजिक चेतना : भारतेंदुकालीन साहित्यकारों ने लोकजागरण को महत्त्व दिया है। उन्होंने सामाजिक चेतना जागृति के लिए रूढ़ियों और कुप्रथाओं का विरोध किया है। भारतेंदुजी का मानना है कि–''बाल्य–विवाह, जन्मपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, बालकों से बर्ताव, अंग्रेजी–फैशन, स्वधर्म–चिंता, भ्रूण–हत्या और शिशु–हत्या, फूट और बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व योग्यता, पूर्वज आर्यो की स्तुति, जन्म–भूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत, हिन्दुस्तान की वस्तु हिन्दुस्तानियों को व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन और ऐसे ही और विषय जिनमें देश की उन्नति की संभावना हो, लिये जाएँ।''[8] भारतेंदुकालीन साहित्यकारों ने उनके मत का अनुशरण करते हुए स्वदेशी को अपनाने का आग्रह किया है। स्वदेशी को महत्त्व देते हुए बालमुकुंद जी लिखते हैं–

''अपना बोया आप ही खायें,
अपना कपड़ा आप बनावैं।
माल विदेशी दूर भगावें,
अपना चरखा आप चलावैं।।
बढ़े सदा अपना व्यापार।
चारों दिस हो मौज–बहार।।''[9]

समकालीन भारत की स्थिति को देखकर कवि भारतेंदु कहते हैं–

रोवहु सब मिलि आवहु भारत भाई।
हा! हा! भारत–दुर्दशा न देखी जाइ।।

''इस युग के साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास के मूल को लिया। अशिक्षा और अंधविश्वास के अंधेरे से आच्छन्न भारतीय समाज स्वतंत्रता के आलोक से असंपृक्त होता जा रहे था। जाति और वर्ग–भेद में बँटकर तथा कुप्रथा और कुरीति में सटकर देशवासी अपनी अस्मिता खोते जा रहे थे। संक्रांति के ऐसे क्षण को पढ़कर और समय क सच को गढ़कर भारतेंदुकालीन साहित्यकारों ने देश हित को सर्वोपरि माना। उन्होंने प्रत्यक्षतः राष्ट्रीयता के स्थान पर परोक्षतः लोक–जागरण का स्वर प्रखर किया।''[10] भारतेंदु जी ने जनमानस में प्रचलित लोकसाहित्य के महत्त्व को समझा और इसीलिए समाकालीन साहित्यकारों का लोकजागरण के लिए लोकगीत की शैली पर आधारित कविताओं की रचनाओं हेतु बल दिया। यथा–

''भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्‌बोधन प्रदान करने के उद्‌देश्य से 'जातीय संगीत' अर्थात् लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया।''[11]

इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोक नवजागरण में अपने साहित्य के द्वारा एक नवीन सूत्रपात किया। उनके इस प्रयास में उनके समकालीन साहित्यकारों ने भी अविस्मरणीय सहयोग प्रदान किया है। भारतेंदुजी ने मातृभूमि के प्रेम को व्यापक रूप से महसूस किया और हिन्दी को राष्ट्रवाणी के रूप में महसूस कराया। इस रूप में उनकी इस भावना से विदेशी माल का बहिष्कार व स्वदेशी को स्वीकार, शिक्षा का प्रचार–प्रसार, बाल–विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह का तिरस्कार, विधवा विवाह के पुनर्विवाह का प्रसार आदि के रूप में भारतेंदुजी का लोक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सन्दर्भ :

1. स्वामी दयानंद सरस्वती : सत्यार्थ प्रकाश, पृ0 274
2. शर्मा, हेमंत, भारतेंदु समग्र–सम्पादक, पृ0 877
3. विद्यालंकार, सत्यकेतु, आर्यसमाज का इतिहास (भाग–5) प्रधान सम्पादक, पृ0 349
4. पाठक, डॉ0 विनय कुमार, हिन्दी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि, पृ0 46–47
5. पाठक, डॉ0 विनय कुमार, हिन्दी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि, पृ0 47
6. पालीवाल, डॉ0 कृष्णदत्त, भारतेंदु : प्रतिनिधि रचनाएँ, सम्पादक, पृ0 247
7. भारतेंदु ग्रंथावली, पृ0–680
8. पालीवाल, डॉ0 कृष्णदत्त, भारतेंदु के श्रेष्ठ निबंध, सम्पादक, पृ0 38
9. गुप्त, बालमुकंद, स्फुट कविता, पृ0 126
10. पाठक, डॉ0 विनय कुमार, हिन्दी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि, पृ0 47
11. दृष्टव्य–कविवचन सुधा (मई–1979) भारतेंदु की विज्ञप्ति

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 48-49

शेख सलीम चिश्ती दरगाह का प्रबन्धन एवं कार्यशैली

यतेन्द्र सिंह*

*एम0फिल0 (इतिहास), नेट यू0जी0सी0(इतिहास), मकान नं0 73 इ, दीप नगर,वंशी बिहार मोड़, पश्चिमपुरी, सिकन्दरा, आगरा, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन शेख सलीम चिश्ती दरगाह का प्रबन्धन एवं कार्यशैली को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र ऐतिहासिक शोध प्रणाली पर आधारित है। यह अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता हैं।

मुख्य शब्द : प्रबन्धन एवं कार्यशैली, शिक्षा, परिजादा, दरगाह, मुगलकाल आदि।

अकबर ने पुत्र रत्न प्राप्ति के पश्चात दरगाह का निर्माण कराया था यह दरगाह अकबर ने मूलतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित कराई थी।[1] चिश्ती के दफन स्थल पर अकबर ने दरगाह का निमार्ण कार्य प्रारम्भ कराया, जिसका निर्माण कार्य सन् 1581 में पूर्ण हुआ।[2] अकबर के शासन काल में इसको (दरगाह की) चौरासी गांव दान में दे रखे थे[3] जिनसे प्राप्त आय के माध्यम से दरगाह की देखरेख, साजसज्जा एवं चिश्ती परिवार का पालन–पोषण होता था। मुगलकाल में दरगाह के सामने एवं दायें बायें मदरसे चला करते थे जिनमें अरबी एवं फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी।[4] सन् 1606 में जहांगीर ने कुतुबुद्दीन खान कोका को 5 लाख रू. दिए जिनकी सहायता से उसने सफेद संगमरमर के पत्थर (जो मकाराना राजस्थान की खान से लाया गया था[5]) से दरगाह के ढांचे में बिना कोई परिवर्तन किए निर्माण कार्य कराया[6] कुतुबुद्दीन खान 'कोका' शेख सलीम चिश्ती की पुत्री का बेटा था। सन् 1886 में दरगाह का बाहरी भाग पूर्णतः सफेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया गया।[7] सन् 1821 में ब्रिटिश सरकार ने चिश्ती वंशजों से मुगलों द्वारा दान में दिए गए गांवों को वापिस ले लिया तथा 10853 रू० तीन भागों में निर्धारित किए[8] –**1.** चिश्ती वंशजों का वजीफा एवं पेंशन **2.** दरगाह की मरम्मत के लिए **3.** दरगाह कर्मचारियों की तनख्वाय एवं धार्मिक मामलों के लिए खर्चा शामिल किया था।

वर्तमान समय में दरगाह की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए दरगाह कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष मौजूदा चिश्ती वंशज होते है।[9] यह कमेटी मुगलकाल से बनती रही है पहले यह कमेटी बंगाल रेग्यलेशन एक्ट सन् 1810 के तहत बनती थी, फिर धार्मिक मामलों से संबधित एक्ट 20 नवम्बर, 1863 के तहत जिला जज आगरा बनाते थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ बोर्ड सन् 1960 के तहत तथा वर्तमान में सन् 1971 के एक्ट के पेज नं० 1396 के यू० पी० सुन्नी वक्फ बोर्ड तहत बनती है।[10] वक्फ बोर्ड की कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में परिजादा अयाजुद्दीन चिश्ती उर्फ रईस मियां सज्जादा नसीन है।[11] वक्फ बोर्ड वर्तमान समय में दरगाह एवं जामा मस्जिद की देखरेख करता है।[12] चिश्ती दरगाह के धार्मिक मामलों को देखने वाले वक्फ बोर्ड का नं० 17। है।[13] वर्तमान मे वक्फ बोर्ड शासन प्रबंध कमेटी के निम्न सदस्य है–

1. अध्यक्ष – परिजादा अयाजुद्दीन चिश्ती उर्फ रईस मियां सज्जादा नसीन
2. सक्रेटरी दृ वुद्दरूद्दीन कुरैशी (पूर्व चौयरमेन नगर पालिका)
3. नवाब कुरैशी
4. मोहम्मद असलम (रिटायर्ड दरोगा)
5. शलील अहमद
6. मोहम्मद हयात्

दरगाह पर जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें 7: वक्फ बोर्ड को जाता है।[14] दरगाह के कर्मचारियों खादिम, फर्राश, दरबान आदि की नियुक्ति एवं पदच्युत का अधिकार मौजूदा सज्जादा नसीन का होता है। उन्ही की देखरेख में कर्मचारी कार्य करते है शाही जामी मस्जिद के इमाम की नियुक्ति भी सज्जादा नसीन करते है। मजार पर जो चढ़ावा चढाया जाता है उसके 93 प्रतिशत भाग पर मौजूदा सज्जादा नसीन का अधिकार होता है।[15] मजार पर चढ़ाई गई चादरों को सज्जादा नसीन गरीबों एवं मेहमानों में बांट देते हैं चढावे के रूपयों में हर वृहस्पतिवार को भण्डारा किया जाता है और चढावे का कुछ अंश वे (सज्जादा नसीन) गरीबों के बच्चों की शादी में दान दे देते है, तथा विशेष मौकों पर कर्मचारियों की मदद भी करते है।

उत्तर प्रदेश सरकार चिश्ती वंशजो को 25 रू० प्रति छात्र के हिसाब से वजीफा देती है।[16] दरगाह पर कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेतन मिलता – है यह वेतन उत्तर प्रदेश सरकार चिश्ती वंशजों यानि मौजूदा सज्जादा नसीन को एक मुश्त देती है जिसे सज्जादा नसीन द्वारा कर्मचारीयों में बांट दिया जाता है।[17] वर्तमान में चिश्ती दरगाह में कार्यरत कर्मचारियो की सूची– 1. मुख्य खादिम – हाजी मुकीम (खादिम इन्चार्ज या निरीक्षक), 2. खादिम – वुदद्रूद्दीन कुरेशी (पूर्व चौयरमेन नगर पालिका) 3. खादिम – नवाब कुरैशी 4. खादिम – अनवर 5. खादिम – बाबू भाई 6. खादिम –परवेज

दरगाह का मरम्मत कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा किया जाता है।[18] सन् 1923 से दरगाह के मरम्मत का कार्य विधिवत रूप से भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन कर दिया गया।[19] सिविल नं० 653/1994 वसीम अहमद सईद वर्सीज यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दरगाह के 100 मीटर के दायरे में कोई भी चीज न बिकने का आदेश दिया गया।[20] लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख (परवाह किए बगैर) यहाँ दरगाह के 100 मीटर के दायरे में दुकानें देखी जा सकती है जिन पर कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। सन् 1994

के लगभग वृहद् स्तर पर दरगाह में मरम्मत का कार्य किया गया।[21] मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2000 के अनुपालन में फतेहपुर सीकरी स्थित दरगाह शरीफ से विस्थापित दुकानदारों को दुकानों का आवंटन नवनिर्मित गुलिस्ता शापिंग कॉम्पलैक्स फतेहपुर सीकरी में दो चरणों में क्रमशः 25.06.07 एवं 03.08.07 को कर दिया गया है।[22] दरगाह की इमारत की साफ सफाई ए०एस०आई० (भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार) द्वारा ''मैडपैक थैरेपी' (मुल्तानी मिट्टी के फैशियल या मुल्तानी मिट्टी के उपचार) (ऐसे होती है मैडपैक थेरेपी – मैडपैक थैरेपी में सबसे पहले दीवारों और साफ किए जाने वाले हिस्सों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इसके बाद इसे कम से कम 48 घंटे तक या जब तक मिट्टी सूखकर उखड़ना शुरू न कर दे, लगे रहने दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिनों तक मिट्टी को अपने आप झड़ने दिया जाता है। अंत में धीरे–धीरे पानी की फुहारें डालकर मिटटी साफ की जाती है और संगमरमर निखर जाता है[23]) के माध्यम से वर्ष 2003–04 में की गयी थी, ताकि दरगाह के संगमरमरी हुस्न को बचाया जा सके।[24] दरगाह परिसर में धार्मिक मामलों जैसे पूजा आदि की सारी व्यवस्थायें वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है एवं परिसर में पर्यटकों की सुरक्षा का दायित्व भी बोर्ड के कन्धों पर है।[25] चिश्ती की दरगाह में मजार प्रबन्धन सज्जादा यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा ए०एस०आई० रूपी तीन स्तरीय प्रबन्ध तन्त्र कायम है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैनात एस०आई०एस० के डण्डाधारी सुरक्षा की औपचारिकता निभाते है जबकि रात में एक स्मारक परिचर व चौकीदार रखवाली करते हैं। तथा धातु खोजी तन्त्र डाक बंगले में धूल खा रहे हैं।[26]

परम्परागत सज्जादा नसीन जो धार्मिक रस्म अदा करता है और उसके नियुक्त किये गये खादिम मजार पर सज्जादा नसीन की तरफ से रहते है। इशा की नमाज के बाद मजार बन्द कर दी जाती है। मस्जिद और मजार की तमाम देखभल सज्जादा नसीन और उनके खादिम करते हैं।[27] दरबान, चौकीदार व फर्राश इये इशा की नमाज के बाद दरगाह के तमाम दरवाजे बंद कर देते है।[28] फर्राश मस्जिद की सफाई करता है। दरगाह के खादिम के अनुमान के मुताबिक विश्व के सैलानी 1500 से 2000 तक की संख्या में प्रतिदिन दरगाह में स्थित मजार के दर्शन करते हैं।[29] इतनी बड़ी संख्या में दर्शालुओं के आने के वावजूद दरगाह एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कोई पुख्ता बन्दोवस्त नहीं है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता ह कि दरगाह की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक दरगाह की प्रबन्धन एवं कार्यशैली में विभिन्न समय में भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चाहे वह अकबर के काल की बात हो या जहाँगीर के या ब्रिटिश काल की या फिर ए०एस०आई० एवं वक्फ बोर्ड की भूमिका तथा चिश्ती वशजों का नियन्त्रण सभी कालों में दरगाह के प्रबन्धन एवं कार्यशैली में बदलाव देखे जा सकते है।

सन्दर्भ :

1. पर्सी ब्राउन, इण्यिन आर्किटेक्चर (इस्लामिक पीरियड) प्र० सं० 105
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ई०एच०आई० 04 भारतः 16 वी से 18 वी शताब्दी के मध्य तक समाज और संस्कृति, प्र० सं० 45
3. परिजादा खुर्शीद अलीम चिश्ती सज्जादा नसीन (चिश्ती वंशज)
4. मास्टर कदीर (पूर्व दरगाह प्रबंधक)
5. डा० सुबिनों गंगोपाध्याय, मोन्यूमेन्ट्स ऑफ इण्डिया, प्र० सं० 47
6. भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, वर्ल्ड हेरीटेज सीरिज फतेहपुर सीकरी, प्र० सं० 63
7. वही , प्र० सं० 63
8. परिजादा अयाजुद्दीन चिश्ती उर्फ रईस मियां चिश्ती (चिश्ती वंशज)
9. परिजादा रईस मियां चिश्ती (चिश्ती वंशज)
10. वही
11. हाजी मुकीम। वर्तमान में दरगाह के मुख्य खादिम
12. वही
13. पट्टिका वक्फ बोर्ड कार्यालय फतेहपुर सीकरी
14. परिजादा रईस मियां चिश्ती सज्जादा नसीन (चिश्ती वंशज)
15. परिजादा रईस मियां चिश्ती (चिश्ती वंशज)
16. हाजी मुकीम। वर्तमान में दरगाह के मुख्य खादिम
17. वही
18. भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग फाइल सं0 भार0पुरा0सर्वे0–5 / सू0 / 07 / 26 भारत सरकार आगरा।
19. परिजादा खुर्शीद अलीम चिश्ती सज्जादा नसीन (चिश्ती वंशज)
20. वही
21. कार्यालय चिश्ती वंशज
22. दैनिक जागरण आगरा द्वारा प्रकाशित – 10.10.2007
23. वही – 16.01.2008
24. वही – 30 अक्टूबर, 2007
25. दरगाह के अन्तर्गत शोध
26. वही
27. मौजूदा सज्जादा नसीन
28. हाजी मुकीम (दरगाह खादिम)
29. वही

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 50-52

बुन्देली के विलुप्त होते शब्द एवं आगत शब्दों का अध्ययन

मोहन अहिरवार*

*शोध छात्र, भाषा विज्ञान विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

सारांश : भाषा का एक यह गुण रहा है कि वह सदा विकासशील रही है। उसमें नये– नये शब्द जुड़ते रहे हैं और भाषा समृद्ध होती रही है। भाषा और साहित्य का विकास संबंधित क्षेत्र की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है।

मुख्य शब्द : बुन्देली, हिन्दी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, आगत आदि।

गांव की उपभाषाओं म भी धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है। ''भाषा के परिवर्तन का यह परिणाम है कि आज की उपभाषा अथवा बोली अगली पीढ़ी के लिए समझ में न आ सके।''[1] डॉ0 धीरेन्द्र नयी बोली परिवर्तन के संबंध में लिखते हैं कि– यद्यपि अभी भेदों की मात्रा अधिक नहीं हो पाई है, किन्तु सम्भावना नहीं है कि ये बढ़ते ही जायेंगे और ''सौ–दो–सौ वर्ष के अन्दर ही ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब तुलसी, सूर आदि की भाषा को स्वाभाविक ढ़ंग से समझ लेना अवध और ब्रज के लोगों के लिए कठिन हो जायेगा, इस प्रगति का प्रारम्भ हो गया है।''[2]

शब्द भाषा की प्राण शक्ति है, भाषा के निर्माण का माध्यम है, विचार विनिमय का साधन है। ''एक भाषा में जितने अधिक विविधतापूर्ण शब्द होंगे, भाषा उतनी ही प्राणवान, श्रीसम्पन्न एवं विकसित होगी।''[3]

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र बहुत विस्तृत भू–भाग में फैला हुआ है। भाषा सिद्धांततः ''कोस–कोस पै बदलै पानी, चार कोस पै बानी।'' के अनुसार बानी में आंशिक परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक भू–भागीय क्षेत्र की कोई न कोई लोक भाषा अवश्य होती है। लोक भाषा ही लोक जीवन की विचार धारा की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। बुन्देलो के क्षेत्रीय रूपों में आंशिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है इसलिये समग्र बुन्देलखण्ड में बुन्देली भाषा में एकरूपता नहीं है। आंशिक विभिन्नता के रहते समस्त बुन्देलखण्ड की भाषा बुन्देली मानी गई है। बुन्देलखण्ड के उत्तर में ब्रजभाषा का क्षेत्र, पूर्व में कनौजी, दक्षिण में मराठी तथा पूर्व में बैसवाड़ी, बघेली है। दक्षिण–पूर्व में छत्तीसगढ़ी आदि मिश्रित रूपों में बुन्देली फैली हुई है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की झाँसी, जालौन, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर आदि को हृदय स्थली के रूप में विद्वानों ने मान्यता दी है।

बुन्देलखण्डी भाषा में पर्याप्त रसात्मकता है। यह रसात्मकता बुन्देली भाषा के प्रभावशील व मार्मिक छंदों के कारण ही है। बुन्देलखण्डी भू–भाग भले ही पथरीला, ऊंचा–नीचा हो, परन्तु बुन्देलखण्ड वासियों का हृदय अत्यन्त सरस है। इस बुन्देली क्षेत्र की भाषा में गाली भी 'जू' लगाकर दी जाती है। जैस – सारे जू, ससुर जू आदि। डॉ. भगवानदास माहौर ने बुन्देली के विषय में कहा था ''बुन्देली भाषा में कम लालित्य नहीं है। कहीं–कहीं तो बुन्देली के समक्ष ब्रजभाषा भी फीकी लगने लगती है।'' यह भाषा सरस और लालित्य मय होने का कारण है इसमें निहित मार्मिक शब्द हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि विद्वानों ने पर्याप्त ध्यान दिया है। ''निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति की मूल'' भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद की उक्ति को बुन्देली विद्वानों ने भी आत्मसात किया है। बुन्देली भाषा भी अन्य भाषाओं के समान नियमबद्ध है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधियां आदि में नियमबद्धता दिखाई देती है।

बुन्देली भाषा के कुछ मार्मिक शब्दों का प्रयोग वानगी स्वरूप अग्रांकित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण वाक्यों में प्रयोग देखिये। हम दुमगई में पर गये और तुम गुड़सरे में बिद गये। ऊखां ढुचंग लग गई। वे परे–परे गोंव गुलक रये। लरका खां गोचा लग गओ। सांस–मांस में बौ तौ भीत अठेटी है। ऐरा गैरा उतै का करें। हमाये घरै पई पांवने सुंदा नेवते हैं। जौ लरका भुवरिया दयें फिर ऊ बूंट भरी धरो है। बड़ी बऊ ने कन्न करो पत्ता पै गुर धरो। काउं चोंटिया लेव ना बकटौ भराव। चुनचुंटया आदमी सजौ नई होत। दुचनया की ना लेय चाय हगनगा की लै लये। सपाटें से चलो। असू बत्तू ना करौ। अबै तुमाई आंखें चेंधरी पै चड़ौतीं सो कनबूजरे पै घल गई, सो सूदे हो गये। बछिया कलुरिया हो गई और उसरिया हिरा गई। बचकें जइया, रवैला बरयाने फिर रये। जांदा अत्त साजौ नई होत। तुमें तौ आंदू लगे जई सें तुमायें सेंटा उर लगुवा बगुवा लगे। अकेले हमस ब तिड़ी विधार कर दें। ऊके संगै लगेंठा लगो रात सो बन्ता नई बनत। जांदा कुलकुटे ना करो। हमाये फामलें परौ तौ भेंमला चटा दें। देखत को टड़ांगिया धरो भौत ऊट–पटांग चलो तौ कौनउ दंद में विद जैव। बुखार तौ चिम्मस नई खा रओ। बादर भौत मसूसौ हतो। हमें गालन पै मसूसा हो गये। हम छिनमिनैंयन चले गये उर अछंगन लै गये। बुकलयाव ना गर्राट उतर जै। खुपड़याव ना करो उद जादो ना नखरयाव। ऊन खेत पवेदां बओ तो सो खिरबिरों हो गओ। हुरका घलै सो मुरका बगर जै। हमाये बग्गा में बिदौ जब बतांय। तुमें तौ हमाये आबड़ में चाय जब बिदनें, लरका जांदा उधम करत। ई नाया पै ना गरबौ, उरिया की छांयरी है। कचरेंदुवा का करै, दन्नोंसौ हांक दें। अड़ी पडो की बात हती सो तिड़ी फांस दई। हम बुकियां ऐंच लें। टेंटुवा से लग जें उर तुमाय टेंटें लगे। चोर नें भींत कुलया डारी। ऊलजलूज बकें सें का होनें। काय खों खुरखुन खूंद हमें, ऊजाबूजा तौ लै लेंन दो सो अब तौ लुखा लुखी हो गओ। लुक्क लुक्क काय मचाय, भुका भुकें में उठवौ साजौ होत। वौ घर अब तौ तीन तेरिया हो गओ। फोरा कुंठकी जांगा में हतो। ऊमें दूद निठुअई नैयां। गुट्ट वीद गई सो आ गये। ऊनें कुन्नस करी सो मंसा पूरी भई। खुद विलौरा ना करो। बट्ठठरी हो गई, जई सें विगूचन में पर गये। हमई खा तौ ओले–जोले पर गये, हमाई भांये जमाये। ममयावरें गये ते

हम। लट्ठ दें सो टिंगरे टूटजें। हमें पैलऊं जंसाई दै दई ती। राण कौ रौआ साजौ नई होत। वौ लरका भौत मुराटौ है। लुगाई लात की लतैया नोई। दमदम ना मचाव। सन्नाटौ छा गओ भ्यांयदे ना बोलौ।

इस प्रकार से बुन्देली के उपरोक्त कुछ शब्दों के गद्य में प्रयोग करने पर ज्ञात होता है कि बुन्देली के शब्दों में तथा मार्मिक शब्दों में पर्याप्त अर्थक्षमता तथा सामर्थ बोध है। इन शब्दों का प्रयोग मर्म में सीधा प्रभाव करता है और व्यक्ति को समझने में परेशानी नहीं पड़ती। बुन्देली मर्मज्ञ इसे भली–भांति जानते हैं कि बुन्देली भाषा में कितना लालित्य तथा भाव और विचारों की सम्पन्नता है।

बुन्देली भाषा अपने वृहद शब्द भण्डार के कारण सक्षम एवं परिपूर्ण है। वैदिक परम्परा के अनेक शब्द जो मानक हिन्दी में दृष्टिगोचर नहीं होते लेकिन बुन्देली में आज भी व्यवहृत होकर भाषा की प्राचीनता और उसके गौरवपूर्ण प्रदाय करने की सूचना देते हैं। यथा –

''अर्गल से व्युत्पन्न आगड़ /चरूक से चरुआ/संदान से साधना/चमू से चम्मू /चात्य से चमिया/मून से जूना/असिद से हंसिया/व्यंजन से बिजना/

धर्म से धाम शब्द इसी तथ्य के साक्षी हैं।''[4]

बुन्देली के विलुप्त होते सहस्त्रों शब्द हैं जिन्हें वर्तमान पीढ़ी समय ही नहीं सकती। यथा– लौलइयां लगबों– से आशय रात्री का समय प्रारम्भ होना, पीरे बादरों अर्थात् सूर्यास्त के पूर्व का समय। सिड़यानौ अर्थात् नमी खाया हुआ। रोनो अर्थात् कम नमक वाला भोज्य पदार्थ। ठनगन अर्थात नखरे करना। तींतौ अर्थात गीला। गदबद् अर्थात् दौड़ लगना या भागना। कुर्रु अर्थात दौड़ लगाना। खुरची अर्थात कंधे पर टांगने वाला बड़ा थैला जिसमें दो–तीन जेब हों। बसनी अर्थात रुपये रखने में प्रयुक्त। बिलात अर्थात् बहुत। किहरिया अर्थात पान–तमाखू रखने का छोटा पर्स। चोर बोर अर्थात् पानी से डुबा कर निकालना वस्त्र जिसमें पानी टपक रहा हो। अरुबा अर्थात् उल्लू। लुचई अर्थात पूड़ी। सूम अर्थात कंजूस। दांद अर्थात गर्मी, ऊष्णता। दॉय अर्थात दाबन। दुकना अर्थात छिपना। दूबरी अर्थात दुबली। दलांकना अर्थात दहाड़ना। दाबजू अर्थात पति का बड़ा भाई। दुहरो अर्थात दुहरा। देईरा अर्थात शरीर, देह। दौगारो अर्थात चौमासे की वर्षा। धकधकावो अर्थात हृदय का धड़कना। धौरी अर्थात् भूरे रंग की नतैत, नाते रिश्तेदार। निछक्कौ अर्थात निस्तब्धता। निपोर अर्थात् झंझट। ठिया अर्थात् निश्चित स्थान। डांग अर्थात् जंगल। ढ़िगां अर्थात समीप। तागा अर्थात धागा, डोरा। तक्का अर्थात् रोशनी के लिए दीवाल में रखा छिद्र। तुपक अर्थात् बंदूक। पच्छना अर्थात दक्षिणा। दलांकत अर्थात् दहाड़ना। दुबीचें अर्थात मध्य मे। धुस्सा अर्थात कम्बल का एक प्रकार। नरदा अर्थात नावदान। निन्ने अर्थात बिना कुछ खाये। निपोर अर्थात झंझट। परबेरू अर्थात पक्षी। पत अर्थात इज्जत। पन्ती अर्थात प्रपौत्र। पिरानो अर्थात दर्द होना। पुरखा अर्थात पूर्वज। फुकला अर्थात् छिलका। बतकाव अर्थात बातें करना। बरके अर्थात बचे। बर्राबो अर्थात नींद में बड़बड़ाना। बहरा अर्थात झाड़ू। बिरी अर्थात मचली। बिरहुत अर्थात ननद। बुलयाबौ अर्थात हंसी–मजाक करना। बैहर अर्थात हवा। भबूत अर्थात विभूति। भ्याने अर्थात कल। ''मटयार अर्थात मिट्टी मिश्रित अनाज। सेंतमेंत अर्थात् मुफ्त। सौकास अर्थात बहुत सबेरे। हरयाबौ अर्थात हरा होना। हार अर्थात खेत।''[5]

बुन्देली की शब्दावली में बड़े अच्छे बिम्ब मिलते हैं जो कि बोलचाल की भाषा में प्रयुकत होते हैं। जैसे –गंगा मसान सौ, मठा कैसो घूंट पीबौ, मैदरों सो फूलो, बिजूका सौ ठांड़ो, मिसरी सी घुरबौ आदि।

बुन्देली कहावतें जो बंधे हुए शब्दों में बुन्देली समाज के चिरसंचित अनुभव, ज्ञान का दृष्टिकोण की परिचायक हैं। कुछ कहावतें व्यग्य प्रधान हैं, कुछ आदर्शों के लिए प्रेरणा स्वरूप, कुछ सीख देने वाली तथा दिशा–निर्देश करने वाली तथा कुछ तथ्यों का खण्डन–मण्डन करने की क्षमता से ओतप्रोत सरल, सहज एवं स्वाभाविक कहावतें प्रस्तुत हैं। एक बानगी देखिए– 'अक्कल बिन पूत लठेंगर से, लरका बिन बऊ डेंगुर सी'। बुद्धि के बिना लड़का ठूंठ की तरह है और पुत्र के बिना बहू डेंगुर की तरह अर्थात एक विपत्ति। 'अड़की को दूद खपरिया में खोवा'। जैसा थोड़ा काम वैसा उसका परिणाम, जैसा साधन वैसी सामग्री। 'अथाई के लोग टिड़कना और नकटा नाऊ'। गॉव का नाई नकटा है और अथाई के लोग उसे देखकर तिनकते हैं क्योंकि नकटे को देखने से अशकुन होता है। जब किसी आदमी को देखकर चिढ़ लगती हो, परन्तु उसे पिंड न छुड़ाया जा सके तब कहते हैं 'आंए तो गॉव की सुवासिन, पै चिंदरती है' – गॉव की होकर भी इस प्रकार बात करती है मानों कुछ जानती ही नहीं, जानकर भी अनजान बनना। 'बिगनन अंसुआ नई आऊत' बुन्देलखण्ड में भेड़िये को बिगना कहते हैं, भेड़ियों को आंसू नहीं आते, कठोर हृदय मनुष्य को दया नहीं आती। इन कहावतों का ठेठ बुन्देली सौरभ मन को हर लेता है। बुद्धि के चोखे सूत्र बुन्देली शब्दों के साथ चार चॉद लगा देते हैं।

''बुन्देली शब्द वैविध्य की झॉकी एकाक्षरी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म द्वारा मानव मन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों, आचार–विचारों को समझा जा सकता है।''[6] बुन्देलखण्ड के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय कला कौशल, उद्योग धंधे, धार्मिक देवी–देवता, पर्व, उत्सव, मेले, नृत्य, संगीत, कृषि प्रधान जीवन पद्धति आदि के शब्दों का प्रचुर भण्डार भरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, आंगिक क्रियायें, भाववाची शब्दों के साथ दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्द भी हैं। गाय– बैलों पर देहात में पाये जाने वाले शब्द जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, बैलगाड़ी के हिस्से, पुरजे, कुम्हार के बर्तन, टोकरी आदि से संबंधित शब्दों के द्वारा ग्रामीण जीवन की झांकी देखी जा सकती है।

बुन्देली शब्द भण्डार विस्तृत और विशाल है। दिन पर दिन इनका प्रचलन बढ़ रहा है। नये–नये क्षेत्रों तथा विषयों के नये–नये एक से एक विचित्र शब्द भरे पड़े हैं। लोकगीत, कहावतें, लोकोक्ति, बुझौवल, आने–अटके गीातें से बुन्देली समृद्ध हुई है। बुन्देल का शब्द भण्डार व्यापक एवं व्याकरण से सम्पन्न है तथा बुन्देली वर्तमान भारतीय बोलियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज आवश्यकता है इन शब्दों के संकलन, अभिलेखीकरण एवं अचल विशेष की अमूल्य धरोहर के संरक्षण की तथा बुन्देली धरा पर जो शब्द फले–फूले हैं उन्हें यथास्थान देने की।

निष्कर्ष : बुन्देली शब्द रत्नाकर में कई संज्ञाओं एवं क्रियाओं के कल्पनातीत अपार भण्डार को देखकर मन चमत्कृत होता है। बुन्देलखण्ड बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में विस्तारित होने के कारण यहां की बोली तथा उसके रूपों पर अन्य बोलियों का प्रभाव पड़ा है। पुराने शब्द विलुप्त होते जा रहे हैं और आगत शब्द अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं अतः इनके संरक्षण–संकलन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

1. श्रीवास्तव, डॉ0 रामस्वरूप, बुन्देली साहित्य, रंजन प्रकाशन, आगरा, 1984, पृ. 20
2. वर्मा, डॉ0 धीरेन्द्र, हिन्दी भाषा का इतिहास, भूमिका
3. गुप्ता, डॉ0 सरोज, लोक जीवन में बुन्देलखण्ड : अस्मिता प्रकाशन, इलाहाबाद, 2014, पृ. 83
4. वही, पृ. 84
5. हंस, डॉ0 कृष्णलाल, बुन्देली और उसके क्षेत्रीय रूप : प्रयाग, 1997, पृ. 540
6. उपनिषद श्री : श्री कमल नयन कपूर, पृ. 45

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 53-55

पोषण में शिक्षा की भूमिका : समकालीन परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 पूनम*

***सहायक प्राध्यापिका, गृह विज्ञान, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0**

सारांश : यह अध्ययन पोषण में शिक्षा की भूमिका : समकालीन परिप्रेक्ष्य में रेखांकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। पोषण से तात्पर्य है भोजन की आपूर्ति इस मात्रा और प्रकार में हो कि शरीर के प्रत्येक कोश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, शरीर के अंगों तथा उनकी सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो सके तथा वे शरीर को कार्यरत रहने के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति करें। इस तरह से शरीर को स्वस्थ, हृष्ट–पुष्ट बनाए रखने के लिए उचित पोषण उपलब्ध होना चाहिए। उचित पोषण के द्वारा व्यक्ति के शरीर के आन्तरिक और बाह्य क्रियाएँ सुचारू रूप से क्रियाशील रहती है। उचित पोषण के द्वारा शरीर का उत्तम विकास होता है। अस्थियाँ और पेशियाँ पुष्ट रहती है। आन्तरिक क्रियाएँ उत्तम ढंग से कार्य करती रहती हैं। शरीर का डील–डौल उचित परिणाम में रहता है। दाँत तथा मसूढ़े स्वस्थ्य रहते है तथा बाल और त्वचा में चमक रहती है। आँखें कान्तिपूर्ण होती हैं तथा व्यक्ति में मानसिक और संवेगात्मक स्थिरता और संतुलन रहता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : पोषण, संवेगात्मक स्थिरता, आन्तरिक और बाह्य क्रियाएँ, निर्माणक तथा सुरक्षात्मक तत्त्व, हीनताजनित रोग आदि।

पोषण की स्थिति भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित होने के कारण व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के पोषण की स्थिति उसके शरीर के भार और स्वास्थ्य को देखने के बाद ही ज्ञात की जा सकती है। पोषण की स्थिति का ठीक अनुमान चिकित्सकों द्वारा उसके शरीर के विभिन्न परीक्षणों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि इसका प्रभाव, अतिशीघ्र, शरीर पर, बाहर और भीतर सब तरफ परिलक्षित होने लगता है। पर्याप्त रूप से पोषण न प्राप्त होने पर, व्यक्ति को देखकर कोई भी दूसरा व्यक्ति, आसानी से यह समझ सकता है कि इसके भोजन में कहीं–न–कहीं कोई त्रुटि है। यह सत्य है कि पोषण के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्त्व भी हैं जिनसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता हैं। जब व्यक्ति को अपनी विशेष आवश्यकता भर पोषण तत्त्व उचित अनुपात के परिणाम में प्राप्त होते है तो यह स्थिति उत्तम पोषण की स्थिति कहलाती है। इस आवश्यकता में सभी प्रकार के पोषक तत्त्वों, जैसे ऊर्जा देने वाले निर्माणक तथा सुरक्षात्मक तत्त्वों की दैनिक आवश्यकता तथा शरीर में आवश्यक संग्रह की गुंजाइश शामिल रहता है। अर्थात् शरीर के लिए, आवश्यक तत्त्वों की अधिकतम मात्रा (जो शरीर के अनुकूल हो) की प्राप्ति यदि भोजन से होती रहे तो ऐसी स्थिति को उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। उसके शरीर का भार, आकार और अनुपात पूर्ण रूप से सामान्य रहता है। शरीर का आसन स्वस्थ रहता है। शरीर सुगठित और सुडौल दिखाई देता है। पेशियाँ पूर्ण पुष्ट, विकसित और मजबूत रहती हैं तथा शरीर पर केवल अनिवार्य मात्रा में वसा रहती है। त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली पूर्ण स्वस्थ एवं चिकनी रहती है। अस्थियों और दाँतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाल कोमल और चमकदार होते है। आँखों में चमक और सुन्दरता रहती हैं दृष्टि क्षमतापूर्ण तथा स्वास्थ होती है। भूख अच्छी लगती है। शरीर में पाचनक्रिया अच्छी तरह से होती है। आन्तरिक क्रियाएँ जैसे पाचन, रक्त–संचालन एवं तन्त्रिका तन्त्र, श्वसन तन्त्र, विसर्जन तन्त्र सभी ठीक से और सामान्य ढंग से कार्य करते है। और शरीर निरोग रहता है। कोई कष्ट या पीड़ा नहीं रहती है। कार्य में उत्साह रहता है। जीवन में स्फूर्ति महसूस होती है। रोगनिरोधक क्षमता भरपूर रहती है। कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई नहीं होती है तथा व्यक्ति प्रसन्नचित्त, खुश, स्थिर चित्त, संवेगात्मक स्थिरता युक्त और संतुलित व्यवहार वाला होता है।

अपोषण में शरीर को, पोषक तत्तवों की मात्रा आवश्यकता से कम प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जब पोषक तत्त्व, शरीर की आवश्यकता के अनुपात में कम मात्रा में मिल रहे हो, तो ऐसी स्थिति, अपोषण की होती है। अपोषण की स्थिति में दो–तीन यो सभी पोषक तत्त्व आवश्यकता से कम होते है। हीनताजनित रोग में केवल एक ही पोषक तत्त्व का शरीर में अभाव रहता है, जबकि अपोषण की स्थिति में एक से अधिक तत्त्वों की शरीर में कमी हो जाती है तथा उसका प्रभाव शरीर के बाह्य स्वरूप पर तथा आन्तरिक क्रियाओं पर परिलक्षित होने लगता है। अपोषित व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी न होने के कारण वह अस्वस्थ, निर्बल और रोगग्रस्त रहने लगता है। उसे काम करने की इच्छा नहीं होती है। उसकी स्फूर्ति समाप्त हो जाती है तथा वह चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका बाह्य व्यवहार भी असामान्य हो जाता है और शारीरिक विकास रूक जाता है। वनज कम होनें लगता है तथा शरीर कान्तिहीन–सा दिखाई देता है।

कुपोषण, पोषण की वह स्थिति है जिसमें ''भोज्य पदार्थ के गुण और परिणाम में अपर्याप्तता होती है। कभी–कभी आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा भी हानिकारक प्रभाव शरीर में उत्पन्न होने लगता है तथा बाह्य रूप से भी उसका कुप्रभाव प्रदर्शित हो जाता है।'' जब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक विकास असामान्य हो तथा वह अस्वस्थ महसूस करें, या महसूस न भी करे तो भी भीतर से अस्वस्थ हो (जिस अवस्था को केवल चिकित्सक ही पहचान सकता है) तब स्पष्ट है कि उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप पोषक तत्त्व नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति कुपोषण की स्थिति कहलाती है। कुपोषण वह स्थिति है जिसमें भोज्य तत्त्वों के गुण और परिणाम में अपर्याप्त होती है तथा कभी–कभी आवश्यकता से आधिक उपयोग हो रहा होता है जिससे हानिकारक प्रभाव शरीर पर उत्पन्न हो जाते है। दूसरे शब्दों में, जब ऐसे भोज्य पदार्थो का आहार में समावेश हो , जिनसे पोषण की आपूर्ति शरीर की आवश्यकता से कम अथवा अधिक हो तो वह शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। ऐसी ही आहार

अवस्था को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण स्वास्थ्य की वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्त्वों के अभाव या आधिक्य से उत्पन्न होती है। कुपोषण विकसित, विकासशील तथा अविकसित सभी देशों में पाया जाता है। समाज के धनी और निर्धन, दोनों वर्गो में यह देखने को मिलता है। परन्तु विशेषतः से अभावग्रस्त क्षेत्रों में यह भीषण रूप से मौजूद रहता है। ऐसे क्षेत्रों में पोषक तत्त्तों की न्यूवता ही इसका प्रमुख कारक है। आहार सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अधिकांश जनता का भोजन, पोषक तत्त्वों की दृष्टि से अत्यन्त अपर्याप्त है। अपर्याप्तता, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों दृष्टियों से होती है। गरीबों की तो शारीरिक मांग की पूर्ति ही नहीं हो पाती है, अतः कमजोर आर्थिक स्थिति वाले निम्न और मध्यम वर्गो में कुपोषण की समस्या अत्यन्त विकराल रूप लेकर खड़ी है। इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों एवं गर्भवती और धात्री स्त्रियों पर पड़ता है। कुपोषणजनित व्याधियों को (जैसे मरासमस, क्वाशियोरकर आदि को) बच्चों का ''स्मंकपदह ज्ञपससमतच पाया गया है। किन्हीं देशों में कुपोषण की समस्या, अत्यधिक पोषण के कारण पैदा हो जाती है। जिन क्षेत्रों में खाद्यान्नों तथा वसा का बाहुल्य है वहाँ हृदयरोग, डायबीटीज और ओबेसिटी (मोटापे) के रोग कुपोषण के कारण ही अधिक पाए जाते हैं। धनी वर्ग के लोग भी भाजन सम्बन्धी अनुचित आदतों के कारण (जैसे मिठाइयों और घी–तेल में तले व्यंजन के अधिक प्रयोग का प्रचलन होने से) कुपोषण से पीड़ित रहते हैं जिन क्षेत्रों के दैनिक आहार में नियमित रूप से फल, सब्जी, सलाद, दूध, माँस, मछली के प्रयोग का प्रचलन नहीं है वहाँ कुपोषण की सम्भावनाएँ अधिक रहती है। दोषपूर्ण भोजन या पोषण तत्त्वों के असन्तुलन से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे कुपोषण के कुछ और कारण भी होते है। जैसे कभी– कभी कुपोषण का कारण, वहाँ का पर्यावरण भी बन जाता हैं प्रायः देखा जाता है कि भोज्य पदार्थो के भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने पर भी कुपोषण होने लगता है। इसका कारण वहाँ का वातावरण तथा परिस्थितियाँ है जो पर्याप्त एवं उपयुक्त भोज्य पदार्थोयुक्त आहार का उपभोग करने पर भी उसकी पौष्टिकता तथा लाभ से व्यक्ति को वंचित कर देती है। कुपोषण लगातार होते रहने से व्यक्ति को रतौंधी तथा आँखों के अन्य रोग हो जाते है, फेफड़ों के रोग जैसे प्लूरीसी, ब्रकौंकाइटिस आदि हो जाते है। तन्त्रिका तंत्र और रक्त संचरण तंत्र सम्बन्धी रोग हो जाते हैं । गोयटर रोग भी कुपोषण के कारण होता है। कान से पस पड़ना भी कुपोषण का परिणाम है। मोटापा, एथरोइस्क्लोरीसिस आदि रोग तथा इनसे उपजनेवाली विविध व्याधियों का कुपोषित व्यक्ति शिकार हो जाता है। शरीर की स्वस्थ वह है जिसमें न केवल रोगो की अनुपस्थिति हो अपितु सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता होती है। यद्यपि स्वास्थ्य तथा पोषण, समानार्थक नहीं हैं तथापि अच्छे पोषण के अभाव में स्वस्थ रहना असम्भव है। पोषक तत्त्वों की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति अच्छे पोषण में जरूरी है। अपर्याप्तता कई स्थिति में हो सकती हैं उसी के अनुरूप कुपोषण भी कई प्रकार का होता हैं कुपोषण का शरीर पर बड़े व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत एक गरीब देश है। यहाँ की गरीब जनता कुपोषण का शिकार है। प्रायः देखा गया है कि निर्धनता के कारण भारतीय गरीब जनता अपने घर की गर्भवती महिला को भी पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं दे पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि गर्भस्थ शिशु और माता दोनों के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते है। जहाँ बच्चा जन्म से ही अस्वस्थ उत्पन्न होता है। वहाँ के दुर्भाग्य के बारे में क्या कहा जाए? यह बात उन अल्पसंख्यको के बारे में नहीं कही जा रही है जो शिक्षित हैं, समझदार हैं, जो परिवार को नियोजित रखते है, जो आर्थिक दृष्टि से अच्छे है। बल्कि यह उस वर्ग के बारे मे बात है जहाँ परिवार बड़े–बड़े हैं, कमानेवाला एक है तथा जो अति निर्धनता और अज्ञानता के अन्धकार के माहौल में जी रहे है। भारत में ही नहीं बल्कि अन्य विकसित देशों में भी कुपोषण जनता है।

अज्ञानता को ही, आज जनता ने और सरकार ने सब दुःखो की जड़ माना है। यही कारण है कि सरकार ने अब समझाा है कि भारत के लिए वयस्क शिक्षा क्यों इतनीं जरूरी है। ज्ञान का प्रकाश ही जनता को समझा सकेगा कि परिवार छोटा क्यों रखना हैं? विशाल जनसंख्या की विभीषिका से परिवार से लेकर राष्ट्र तक, कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता हैं? कैसे उनका और उनके बच्चे का स्वास्थ्य बना रह सकता हैं? इसमें सन्तुलित भोजन का क्या महत्त्व है तथा भोजन के पोषक तत्त्तों को किस प्रकार सुरक्षित रक्षा जा सकता हैं? भ्रामक और मिथ्या आस्थाओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है तथा आहार सम्बन्धी आदतों को बदलना क्यों जरूरी हैं? स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही अच्छी तरह से कमा कर अपने घर के रहन–सहन के स्तर को विशेषकर भोजन–संबंधी स्तर को ऊँचा उठा सकता है और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को भी सुधार सकता हैं। इस तरह से ये सभी समस्यायें गरीबी दूर करना, स्वस्थ रहना आदि अन्तर्ग्रन्थित है तथा अन्योन्याश्रित हैं और सभी का एक मात्र उपचार है जनसामान्य का शिक्षित बनाना। अज्ञानता के कारण लोगों को पोषक तत्त्वों के महत्त्व की जानकारी नहीं हैं तथा उन्हें मालूम नही कि किस अनुचित विधि के प्रयोग से, भोजन बनाते समय, उसके अनेक पोष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाते है। कम मूल्य में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की जानकारी के अभाव मे ही लोग पोष्टिक तत्त्वों से वंचित रह जाते है और भोजन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं

कुपोषण का एक और भी महत्त्वपूर्ण कारण है कि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। गाँवों मे शिक्षा का अभाव है। अज्ञानता को अन्धकार है जिसमे रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास तथा मिथ्या आस्थाएँ और भ्रान्तियाँ पूरी तरह से फल–फूल रही है। इनके कारण लोग उपलब्ध वस्तुओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते है। भोजन सम्बन्धी भ्रामक धारणाएँ (जो सभी समाज, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ी रहती है) भी लोगों के द्वारा खाद्य–सामग्रियों के पोषक तत्त्वों का पूरा लाभ उठाने के रास्ते में बाधक होतो हैं सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि कुपोषण के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा आर्थिक और कुछ अन्यान्य कारण है। आहार संबंधी मिथ्या आस्थाओं, भ्रान्तियों का भी कुपोषण में योगदान रहता है। परिवार की भोजनशैली और निजी विशिष्ट प्रथाएँ तथा आदते भी इसका कारण हो सकती है। धार्मिक विचारों के कारण शुद्ध वेजीटेरियनर होना, माँड़ पसाना, सब्जियों के जलांश का प्रयोग नहीं करना, मोटा छिलका उतार देना, मिष्ठान तथा तले–छने व्यंजनो को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक समझना आदि बातें भी कुपोषण का कारण है। इनके द्वारा व्यक्ति अपने–आप ही, उपलब्ध पौष्टिक तत्त्वो को अपने प्रयोग में नही ला पाता है।

सन्दर्भ :

1. पारीक, डॉ0 आशा (2006), बाल विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
2. मूरजानी, डॉ0 जानकी नारंग, डॉ0 दर्शन कौर –मोहन, डॉ0 मणिका (2009) बाल विकास का मनोविज्ञान, अपोलो प्रकाशन, जयपुर
3. नौटियाल, डॉ0 जयप्रकाश (2007): बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
4. वनिता, मासिक, पी.टी.आई. बिल्डिंग, नई दिल्ली
5. आशारानी ब्होरा, लेडी हेल्थ गाईड, प्रकाश विभाग, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
6. मेरी सहेली, मासिक, 5 वीं, नइगामक्रास रोड, बादला, मुम्बई
7. सखी जागरण, दिल्ली प्रेस भवन, इ–3 झंझेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली
8. गृह लक्ष्मी, डायमंड मैगजींस प्रा0 लि0, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–11, नई दिल्ली
9. गृह शोभा, दिल्ली प्रेस भवन, झंझेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 56-58

मूकस् (MOOCs) के क्षत्र में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों की भूमिका एवं महत्व

मनीष कुमार सिंह*

*असि0प्रो0, लाइब्रेरी, हिन्दू पी0जी0 कॉलेज, जमानियाँ, गाजीपुर, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन मूकस् (MOOCs) के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों की भूमिका एवं महत्व को रेखांकित व स्पष्ट करता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : मूकस्, इन्टरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि।

प्रस्तावना (Introduction) : इन्टरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उदय तथा अत्यधिक उपयोग के कारण, पुस्तकालय की सेवाओं तथा शिक्षा जगत में दिन प्रतिदिन नये आयाम जुड़ते जा रहे है। साथ ही दूसरी ओर पाठकों का भी झुकाव ऑनलाइन शिक्षा तथा पाठ्यक्रमों सम्बन्धित जिज्ञासा को शांत कर रहे है। परिणामतः पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी ऑनलाइन शिक्षा की तकनीक तथा विधाओं के बारे में गहन रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पाठकों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहयोग तथा अच्छा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा की विधा में, मूकस् (MOOCs) एक नये अवतार के रूप में उदय हुआ है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा अन्य सभी विषयों में अपनी गहन् पहचान बना रहा है। पाठक भी मूकस् की विधा को बहुत ही व्यापक स्तर पर पसंद कर रहे हैं। इसी क्रम में पुस्तकालय एवं सूचना विभाग कर्मी भी मूक अवधारणा के प्रति आकर्षित हो रहे है। विभिन्न मूक में भागीदारी कर मूक की अवधारणा तथा उसकी विभिन्न सम्भावनाओं का आकलन कर रहे हैं। वे गहन रुप से यह विचार कर रहे है कि कैसे मूक की अवधारणा को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में मूकस् विकसित किया जा सके। मूक से सम्बन्धित गतिविधियों का कैसे सफल संचालन विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय द्वारा तथा कर्मियों द्वारा वृहत रूप से किया जा सके। उक्त कार्यो हेतु पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों की भूमिका एवं महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मूकस् का अर्थ (Meaning of MOOCs) : मूकस् का प्रारम्भ वर्ष 2008 में हुआ था जब स्टिफन डाउनस (2011) तथा जॉर्ज सीमन्स (2005) ने संयोजीकरण और संयोजी ज्ञान (2008) विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाया था। इस पाठ्यक्रम के लिए सिमन्स एवं डाउनस ने ब्लॉग्स, मंचों, विकी, फेसबुक आदि मंचों की विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग कर संयोजीकरण की सीमाओं तक पहुँचाया और इसमें 2200 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण कर प्रतिभागियों को बड़े स्तर पर भाग लेने की अनुमति दी गई। मैक्लेय और अन्य के अनुसार डेव कोर्थमेर तथा ब्रेमन एलेक्जेन्डर ने मेस्सिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स का प्रारम्भ किया था। लेकिन मेरिसव ओपन ऑनलाइन कोर्स व्यापक स्तर पर वर्ष 2012 में प्रचलित हुआ। पॅपनों के अनुसार "न्यूयॉर्क टाइम्स" ने वर्ष 2012 का मेस्सिव ओपन ऑनलाइन कोर्स वर्ष घोषित किया था। मूकस् चार शब्दा से मिलकर बना है जिसमें पहला शब्द मेस्सिव है जो कि व्यापक स्तर पर प्रतिभागियों की भागीदारी को व्यक्त करता है, दूसरा शब्द ओपन है जो यह व्यक्त करता है कि ये कोर्स सभी प्रकार के पाठकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के खुले हैं, तीसरा शब्द ऑनलाइन ह जो कि उन कोर्सो की केवल ऑनलाइन रूप में उपलब्धता को दर्शाता हैं। चौथा और आखिरी भाब्द कोर्स है जो कि कोर्सो की संरचना को इंगित करता है। अतः मूक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो कि विभिन्न प्रकार के स्त्रोतो से निर्मित होकर सभी प्रकार के पाठकों के लिए खुला होता है जिसमें असिमित पाठक ऑनलाइन रूप में किसी भी स्थान पर बैठकर भाग ले सकते है।

मूकस् के क्षेत्र में ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों की भूमिका (Lole of Library and Information Science Professionals in MOOCs) : मूकस् के क्षेत्र में ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी निम्नलिखित भूमिकाऐं निभा सकते हैं :

मूकस् अवधारणा की गहन जानकारी (Depth Knowledge About MOOCs Concept) : सबसे पहले पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को मूक अवधारणा की गहन् जानकारी होना अति आवश्यक है जिसके लिए वे मूकस् से सम्बन्धित प्रकाशित लेख तथा अन्य प्रकार के साहित्य को पढ़ सकते है। साथ ही मूकस् से सम्बन्धित प्रायोगिक जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी मूक में अपनी भागीदारी कर सकते है। इस भागीदारी से मूकस् अवधारणा, संरचना, डिजाइन तथा अन्य आवश्यक विषय वस्तु से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेगें जो कि मूकस् की अवधारणा तथा मूकस् सम्बन्धित गतिविधियों को सफल रूप में संचालित करने तथा मूक निर्माण में अति उपयोगी सिद्ध होगी।

मूकस् अवधारणा के प्रति जागरुकता (Awarness of MOOCs Concept) : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को चाहिए कि वे न केवल पुस्तकालय एवं सूचा विज्ञान कर्मियों में अपितु अन्य कर्मियों में भी मूक अवधारणा के प्रति जागरूकता पैदा करें। जिसके लिए वे कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर सकते ह जिसमें वे आपसी वार्तालाप, विशिष्ट व्याख्यान, संगोष्ठी, प्रशिक्षण आदि का उपयोग कर सकते है। मूकस् अवधारणा क्या है क्यों उपयोगी है तथा मूकस् को अपनाने के अन्य लाभों तथा सहयोग आदि के बारे में गहन सूचना दी जानी चाहिए। यह प्रयास तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी तथा अन्य कर्मियों मूकस् अवधारणा को समझने तथा मूकस् अवधारणा के प्रति जागरुक न हों। साथ ही उक्त जागरुकता अभियान के दौरान पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तथा अन्य समस्याओं का निराकरण भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए।

मूक सम्बन्धित टीम का निर्माण (Development of a Team for MOOCs) : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी, मूकस् सम्बन्धित एक अच्छी टीम का गठन करना चाहिए जिसमें विशय विशेषज्ञ, विडियो, ग्राफिक से सम्बन्धित विशेषज्ञ, अच्छा प्रवक्ता, मूकस् से सम्बन्धित गहन जानकार, मूकस् में रूचि लेने वाले व्यक्तियों आदि को भी भामिल किया जाना चाहिए। जिससे कि उक्त टीम निर्धारित समयानुसार, उद्देश्यानुसार तथा गुणवत्तानुसार मूकस् का निर्माण कर सके।

मूकस का निर्माण (Creation of MOOCs) : मूकस् की अवधारणा को समझने तथा मूक में भागीदारी करने के बाद पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित किसी भी विषय पर मूक का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह सलाह दी जाती है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूकस् के विषय का चयन पहले से उपलब्ध मूकस् की जानकारी प्राप्त करें, तथा पाठकों की प्रवृति तथा माँग को ध्यान में रखते हुए करें ताकि यह मूक ज्यादा से ज्यादा पाठकों को आकर्षित कर सके तथा वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी कर सके। उदाहरण के तौर पर, पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी सूचना साक्षरता पर मूक का निर्माण कर सकते है जो कि सभी प्रकार के पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही निर्मित मूकस् का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर विभन्न स्त्रोतों, और सेवाओं द्वारा किया जाना चाहिए। जिसके लिए संस्थाओं तथा पुस्तकालय की वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइटस्, फोरमस् आदि महत्वपूर्ण स्त्रोत सिद्ध हो सकते है।

मूक के लिए स्त्रोतो की खोज एवं उपलब्धता (Search and Provide Resources for MOOCs) : ग्रन्थालय एवं सूचना विभान कमी मूकस् निर्माण हेतु विभिन्न विषयों पर ओपन एक्सेस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न स्श्रोतों की खोजकर ग्रन्थालय की वेबसाइट पर विशयवार उपलब्ध करवा सकते है ताकि मूकस् निर्माता मूक निर्माण में उन स्श्रोतो का उपयोग कर सकें और अपना समय बचा सकें। ओपन एक्सेस (Open-access) स्त्रोत होने के कारण इस स्त्रोतों का उपयोग मूकस् निर्माण में कॉपीराइट स्त्रोतो की तुलना में बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी को निरन्तर प्रयास करने चाहिए तथा अद्यतन स्त्रोत मूकस् निर्माण हेतु मूकस् निर्माताओं की उपलब्धता करवाते रहना चाहिए।

कॉपीराइट समस्या का समाधान (Clearance of Copyright Problem) : मूकस् कर्ताओं को मूक निर्माण में कॉपीराइट स्त्रोतो को काम में लेने पर अधिकतर कॉपीराइट नियम की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वे कॉपीराइट स्त्रोतो को काम में नहीं ले पाते है इस समस्या के निदान के लिए ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को विभिन्न श्रोतो को क्रय करते समय मूकस् निर्माण में उक्त श्रोतो को उपयोग में लिए जाने का प्रावधान करवाना चाहिए। साथ ही पहले क्रय किये गये कॉपीराइट श्रोतो को मूकस् के निर्माण के लिए जाने हेतु भी प्रयास करने चाहिए। उक्त श्रोतो को कम मूल्य पर मूकस् निर्माताओं को उपलब्ध करवाने की अनु ंसा करनी चाहिए ताकि मूकस् विकसित करने में मूकस् निर्माताओं को कोई भारी समस्या का सामना न करना पड़े। कापीराइट नियम के बारे में भी विशेष व्याख्यान तथा कॉपीराइट अनुबंध प्रकाशका के साथ कैसे करें पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए।

मूकस् अवधारणा तथा ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कार्स(MOOCs Concept and Library and Information Science Course): ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों द्वारा मूक की अवधारणा को ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ताकि नये विद्यार्थियों को मूक की अवधारणा तथा उसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके आगे वे सभी मूक की अवधारणा के प्रति जागरुक तथा आकर्षित हो सकें और अपनी वांछित मूक में भागीदारी करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें एवं मूक की अवधारणा को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सकें।

मूक की विशय वस्तु की वैधता (Validation of MOOCs Contents) : ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूकस् के कन्टेंट की वैधता सिद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। मूक निर्माताओं की आवश्यकतानुसार मूक कन्टेंट में सुधार करने, ज्यादा सटीक श्रोत का उपयोग करने, सूचना को सही ढग से व्यवस्थित तथा दर्शाने आदि हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते है। इस प्रकार ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूक को अन्तर्राश्ट्रीय स्तर का बनाने म तथा अधिक महत्वपूर्ण एवं आदर्श बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मूकस् निर्माण की गाइड लाइन (Guidelines for MOOCs Development) : ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूकस् निर्माण हेतु तथा उसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुआ पर ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दिशा निर्देशों का निर्माण कर सकते है जिससे कि मूक निर्माता आसानी से मार्ग–दर्शन प्राप्त कर बिना किसी परेशानी के मूकस् का निर्माण कर सके। उक्त दिशा निर्देश एक आदर्श मूक निर्माण में सहायक होगें।

सतत् सीखने में सहयोग (Support for Continuous Learning) : विभिन्न प्रकार के पाठकों को सतत् सीखने तथा शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृति को बढ़ावा देने हेतु ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूकस् का उपयोग व्यापक रूप में कर सकते हैं क्योंकि मूकस् में असीमित पाठकों की भागीदारी तथा बिना किसी शिक्षण योग्यता, आयु, जाति, देश आदि विशेषताओं के कारण, पाठकों के लिए सतत् सीखने तथा शिक्षा ग्रहण करने एवं ज्ञान उन्नयन में बहुत ही अधिक सहायक है। वर्तमान में मूकस् पाठकों में बहुत ही लोकप्रिय है।

मूकस् गतिविधियों के लिए उचित वातावरण (Proper Environment for MOOCs activities) : ग्रन्थालय एवं सूचा विज्ञान कर्मी को अपने कार्यस्थल पर मूकस् सम्बन्धी गतिबिधियों के सफल संचालन हेतु पॉजीटिव तथा अच्छे वातावरण का निर्माण करना अति आवश्यक है ताकि पाठक मूकस् गतिविधियों में अधिक रूचि ले सकें तथा अपनी विभिन्न लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें।

मूकस् गतिविधियों का सफल संचालन (Successful Governance of MOOCs activities) : ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियो को मूकस् की गतिविधियों के सुचारू तथा सफल संचालन हेतु निरन्तर कार्य करने चाहिए। जिसके तहत मूक हेतु अच्छे वातावरण के निर्माण के साथ मूक में भागीदारो हेतु तथा अन्य कार्यो हेतु आवश्यक उपकरण कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि मूक सम्बन्धित पाठक मूकस् में वास्तविक रूप में

भाग लेकर अन्त तक मनोरंजन के साथ मूक में भागीदारी कर सफल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। साथ ही मूकस् पाठकों को मूकस् सम्बन्धित गतिविधियों हेतु फीडबैक देने का प्रावधान भी होना चाहिए तथा ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को पाठकों के फीडबैक के अनुसार आव यक सुधार भी समय–समय पर करने चाहिए।

ऑनलाइन सीखने का बढ़ावा (Encourgement for Online Learning) : आजकल मोबाइल के विकास के फलस्वरूप इन्टरनेट की सेवाओं में विस्तार के कारण अधिकतर पाठक ऑनलाइन सीखने हेतु ऑनलाइन कोर्सो में व्यापक स्तर पर भागीदारी कर रहे है जिससे कि वर्तमान में, वि वभर में पाठकों का झुकाव ऑनलाइन सीखने के प्रति ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि मूकस् ऑनलाइन सीखने की एक महत्वपूर्ण विद्या है और यह किसी भी पाठक को, किसी भी स्थान पर, तथा किसी भी समय ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है इसलिए मूकस् बिना किसी परेशानी के पाठकों को ऑनलाइन सीखने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी मूकस् के माध्यम से पाठकों का ऑनलाइन सीखने के लिए प्रेरित करने के साथ–साथ ज्ञान उन्नयन के लिए मूकस् को उपयोग में लिए जाने का सुझाव भी दे सकते है। मूक ऑनलाइन सीखने के क्षेत्र में वर्तमान में नये आयाम स्थापित कर रहा है।

मूकस् का संरक्षण (Preservation of MOOCs) : मूकस् विभिन्न प्रकार के स्त्रोतों, मूकस् प्लेटफॉर्म के उपयोग, संरचना द्वारा निर्मित किये जाते है। इस प्रकार प्रत्येक मूक की विद्या, तथा संरचना एक दूसरे मूक से भिन्न होती है इनमें से कई मूक बहुत लोकप्रिय एवं ज्ञान उन्नयन में सहायक होते हैं। इसलिए अच्छे तथा विविधता लिए हुए मूकस् का संरक्षण ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए तथा आव यकता पड़ने पर उक्त संरक्षित मूकस् का उपयोग मूकस् निर्माता तथा ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों के लिए मूकस् की विद्या, संरचना तथा मूकस् सम्बन्धित विभिन्न पहलओं को जानने के लिए तथा आदर्श मूकस् के निर्माण हेतु किया जा सकता है।

मूकस् निर्माण में अन्य संस्थाओं से सहभागिता (Collaboration with other Institutes for Development MOOCs) : सीमित संसाधन, नियमावली, तकनीकी कर्मचारी की कमी, स्त्रोत, सीमित बजट तथा अन्य कारणों के फलस्वरूप कई संस्थाओं में कार्यरत कर्मी मूकस् के निर्माण तथा गतिविधियो को संचालित करने में काफी परेशानी का सामना करते है। कम सहयोग के कारण भी मूकस् का निर्माण तथा गतिविधियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं करपाते है। परिणामतः अच्छे मूकस् का निर्माण नहीं नहीं हो पाता है। इसलिए ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को चाहिए कि वे मूकस् क्षेत्र में अतिक्रमण रखने वाली संस्थाओं, कर्मियों तथा मूकस् निर्माण में इच्छुक संस्थाओं के साथ सहभागिता कर अच्छी एवं आदर्श मूकस् का निर्माण करें। जो कि पाठकों को मनोरंजन के साथ ज्ञान उपार्जन का भी कार्य करें।

मूकस् की अवधारणा को एक विश्वसनीय स्त्रोत के रूप में स्थापित करना (Establishment of MOOCs Concept as a Reliable Sources) : ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी को न केवल मूकस् की अवधारणा को व्यापक रूप में वि वभर में फैलाना चाहिए बल्कि पाठकों तथा कर्मियो में मूकस् अवधारणा को एक विश्वसनीय श्रोत के रूप में स्थापित करने के भरपूर प्रयास करने चाहिए ताकि मूक की अवधारणा को एक विश्वसनीय अवधारणा के रूप में जाना जाऐ।

निष्कर्ष (Conclusion) : इस लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि मूकस् की अवधारणा ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों के लिए कई प्रकार के अवसर तथा चुनौती दोनो प्रदान करती है। साथ ही ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को व्यापक स्तर पर एक प्लेट फार्म प्रदान करती है जिसमें वे अपने व्यवसायिक विकास के साथ–साथ, अन्य कर्मियों को भी मूक की अवधारणा के प्रति जागरुक कर सकते है, और ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान म मूकस् निर्माण के साथ अन्य विषयों पर भी मूक के निर्माण करने हेतु अन्य कर्मियों का सहयोग कर सकते हैं। इसलिए ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान कर्मियों को चाहिए कि वे मूकस् द्वारा प्रदान किये जा रहे अवसरों का लाभ लेकर तथा चुनौतियों को दूर करके मूकस् की अवधारणा को अधिक व्यापक रूप में ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने के साथ–साथ मूकस् की अवधारणा को एक विश्वसनीय श्रोत के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूण भूमिका निभाऐं। साथ ही वे मूकस् के क्षेत्र में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने तथा मूक समस्याओं के निदान के केन्द्र के रूप में व्यापक स्तर पर कार्य करें।

सन्दर्भ :

1. MCAULEY (A) and others : The MOOC model for digital practice, SSHRC Knowledge Synthesis Grant on the Digital Ecomony, 2010
2. PAPPANO (L) : The year of the MOOC, New York Times, 2012
3. WU (K) : Academic libraries in the age of MOOCs. Reference Services Review : 41 (3), 2013, 576-587. DOI: 10.1108/RSR-03-2013-0015.
4. GORE (H) : Massive Open Online Course (MOOCs) and Their Impact on Academic Library Services : Exploring the Issues and Challenges. New Review of Acadmic Librarianship, 20 (1), 2014, 4-28.
5. MAHRAJ (K) : Using Information Expertise to Enhance Massive Open Online Course. Public Services Quarterly. 8 (4), 2012, 359-368
6. FREDRICK (K): MOOC-ing Around. School Library Monthly. 30 (5),2014,23-24
7. KOHN (K). As the Spirit MOOCs You: Massive Open Online Course and lllinois Libraries. ILA Reporter. 31 (5), 2013, 4-7
8. BARNES (C) : MOOCs : The Challenges for Academic Librarians. Australian Academic & Research Libraries. 44 (3), 2013, 163-175. doi: 10. 1080/00048623. 2013.821048.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 59-61

धर्म का सामाजिक महत्व : एक समाजशास्त्रीय मूल्यांकन

डॉ0 छविनाथ प्रसाद*

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ, उ0प्र0

सारांश : धर्म मानव समाज का ऐसा व्यापक, स्थायी एवं शाश्वत तत्व है, जिसको सम्यक रूप से समझे बिना हम समाज के रूप को समझने में असफल रहेगें। आज आधुनिक युग में मानव ने विज्ञान के सहारे अपने पर्यावरण पर काफी काबू (नियन्त्रण) पा लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई समाज या तो धर्मनिरपेक्ष हो गये या धर्म में रूचि नही रखते और धार्मिक विश्वासों की वैधता को स्वीकार नही करते। फिर भी धर्म आज भी अस्तित्ववान है और एक सार्वभौमिक तथ्य बनकर सामने खड़ा है। धर्म मनुष्य का अलौकिक शक्ति से सम्बन्ध जोड़ता है। इसका सम्बन्ध मानव की भावनाओं श्रद्धा एवं भक्ति से है। धर्म मानव जीवन के आन्तरिक पक्ष को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी बखूबी प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को भली–भाँति समझना एवं मानव समाज को समझाना है, ताकि आज का वैज्ञानिक मानव समाज धर्म को त्याग, अपना विनाश अपन हाथों स्वयं न कर सकें।

मुख्य शब्द : धर्म, धार्मिक विश्वास, आधुनिक युग, धर्मनिरपेक्ष, आध्यात्मिक शक्ति आदि।

'धर्म' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'धृ' धातु से हुई है। जिसका अर्थ है 'धारयते इति धर्मः' अर्थात् जिसे धारण किया जाय वह धर्म है। अति संक्षिप्त में 'धारण करना'। सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही धर्म कहलाता है।

एडवर्ड टायलर– ''आध्यात्मिक शक्ति में विश्वासों को धर्म मानते हैं।''

मैलिनोवस्की ने कहा कि– ''धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ–साथ एक व्यक्तिगत अनुभव है।''

हॉबल के अनुसार– ''धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानाववाद दोनों सम्मिलित है।''

स्वामी विवेकानन्द जी की वाणी है कि– (1) 'धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है।' (2) 'धर्म कल्पना की चीज नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है।' (3) 'सच्चे धर्म के क्षेत्र में, कोरे पुस्तकीय ज्ञान का कोई स्थान नहीं।'

ईमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक 'ELEMENTARY FARMS OF RELIGIOUS LIFE' में धर्म के प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विवेचना की है। आपने समाज को ही देवता माना है और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए दुर्खीम ने लिखा है कि, ''स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमन्वित समाज है।'' ईमाइल दुर्खीम 'विश्वासों' एवं 'अनुष्ठानों' को धर्म में सम्मिलित करते हैं। आपने कहा कि– ''धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों और आचरणों की वह सम्पूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है।''

आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी के दार्शनिक **डेविस ह्यूम** ने अपनी पुस्तक 'नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलिजन' में यह स्वीकार किया है कि प्राकृतिक शक्ति वाले देवताओं के भय से मनुष्य ने ईश्वर में विश्वास करना प्रारम्भ कर दिया ताकि इन शक्तियों को प्रसन्न रखकर वह किसी प्रकार की हानि से बच सकें। इस मत को स्वीकार करने वाले अन्य विचारकों में 19वीं शताब्दी के जर्मन–इंग्लिश विचारक **फ्रेडरिक मैक्समूलर** ने कहा कि धर्म का मूलाधार अभूतपूर्व और डरावनी शक्तियों में मनुष्य का भय पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार **गिडिंग्स** ने भी रहस्यमयी 'महान भयानक' शक्तियों में मनुष्य का सम्मान प्रदर्शित करना धार्मिक विश्वास को मूल माना है।' इसके अलावा **टॉयलर** ने 'आत्मा' में, मैरेट 'जीववाद' या 'मानववाद' में मैक्समूलर 'प्राकृतिक शक्तियों' में तथा फ्रेजर जादू–टोना की असफलताओं में 'धर्म' को ढूंढ़ने का प्रयास किया है। **टायलर** ने कहा कि– ''आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति, आकृति में कोहरा, चलचित्र या छाया की भाँति है।''उपर्युक्त विवरण के आधार पर संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में की जाती है।

धर्म हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। जिससे कि मानव और समाज दोनों अपनी स्वस्थ अवस्था में मौजूद रह सकें। धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका– (1) मानव व्यवहार पर नियन्त्रण करना। (2) मानव में सद्गुणों का विकास करना। (3) सुरक्षा की भावना पैदा करना। (4) पवित्रता की भावना का विकास करना। (5) धार्मिक संस्कार सिखाना। (6) व्यक्तित्व का विकास करना। (7) सामाजिक एकीकरण करना। (8) अपराध व समाजविरोधी कार्यों पर नियन्त्रण करना आदि में है। परन्तु यह विडम्बना भी समाज में देखने को मिलती है कि धर्म के नाम पर कभी–कभी लोगों को ठगा भी जाता है। जैसा कि **कार्ल मार्क्स** 'धर्म' को मनुष्य जाति के लिए **'अफीम'** मानते हैं, एक अध्यात्मिक शराब मानते हैं, जिसका पयोग पूँजीपति अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्रान्ति कर रहे श्रमिकों के लिए करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर मदहोश एवं बेहोश करते हैं। मीठी नींद में सुलाते हैं जिससे कि वे क्रान्ति न कर सकें। मार्क्स के अनुसार धर्म एक व्यर्थ की वस्तु है, मानव की प्रगति में रोड़ा है। परन्तु **मैक्स बेबर** का विचार है कि धर्म मनुष्य के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। जब यूरोप में प्रोटेस्टेण्ट धर्म का उदय हुआ तो पूँजीवाद ने जन्म लिया। क्योंकि धार्मिक आचार ही आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, अतः जब धर्म में

बदलाव आता है तो आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म मानव जीवन का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है।

धर्म के मौलिक लक्षण (विशेषताएं) : धर्म की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर धर्म की विशेषताओं को संकलित करने की कोशिश की गई है जो निम्नवत है–

1. **अलौकिक शक्ति में विश्वास** : **जॉनसन** का कथन है कि ''एक अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे प्रमुख तत्व है।'' विश्वास के बिना किसी भी प्रकार की धर्म का निर्माण और विकास नहीं हो सकता। धर्म के अन्तर्गत एक ऐसी शक्ति में विश्वास किया जाता है जो अलौकिक और दिव्य चरित्र की होती है। इसी विश्वास पर धर्म टिका हुआ है जो लोग इस प्रकार का विश्वास नहीं करते, वे नास्तिक कहलाते हैं। यह शक्ति साकार भी हो सकती है और निराकार भी।
2. **पवित्रता की धारणा** : जिस धर्म को लोग मानते हैं, उनकी दृष्टि में उस धर्म से सम्बन्धित सब कुछ पवित्र होता है। इस प्रकार से धार्मिक मनुष्य के विचार सदैव पवित्र होते हैं।
3. **प्रार्थना, पूजा या अराधना** : धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं, उससे लाभ उठाने व उसके कोप से बचने हेतु प्रार्थना, पूजा तथा अराधना करते हैं। हर धर्म के देवालय व विधियां भिन्न–भिन्न होती हैं।
4. **संवेगात्मक भावनाएं** : धर्म भावना प्रधान होता है, तर्क प्रधान नहीं। अलौकिक शक्ति के प्रति संवेगात्मक भावनाएँ होती है, जिनकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है।
5. **विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक** : धार्मिक क्रियाओं में अलग–अलग धर्म में अलग–अलग धार्मिक सामग्रियों, धार्मिक प्रतीकों, जादू–टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। जैसे– हिन्दू धर्म में हवन, पूजा–आरती, केले, पीपल आदि की पूजा व गंगाजल और तीर्थ स्थानों का विशेष महत्व है, तो ईसाई धर्म में बाईबिल, क्रास, मोमबत्ती आदि का। इसी प्रकार अन्य प्रतीकों या कुछ भौतिक वस्तुओं का समावेश भी धर्म के अन्तर्गत होता है।
6. **निषेध** : प्रत्येक धर्म में लोगों के व्यवहारों के नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध पाये जाते है। निषेध जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार, व्यभिचार, बेईमानी आदि नहीं करनी चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप समाज की संरचना संतुलित रहती है।
7. **धार्मिक संस्तरण** : सामान्यतः प्रत्येक धर्म से सम्बन्धित संस्तरण की एक व्यवस्था पायी जाती है। कुछ लोगों को संस्कारात्मक दृष्टि से उच्च एवं पवित्र समझा जाता है जैसे–पण्डे, पुजारी, पादरी, मौलवी आदि। कुछ लोगों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त है। जैसे–जो लोग धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करते।

उपर्युक्त विशेषताओं क विवेचनानुसार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि धर्म सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ एवं संतुलित बनाये रखने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाता है।

धर्म की सामाजिक उपयोगिता (लाभ) : धर्म संस्कृति का एक अंग है। यह मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है। यही कारण है कि हमें आदि काल से लेकर आधुनिक समाज तक सभी समाजों में धर्म देखने को मिलता है। धर्म के माध्यम से ही मानव अपनी जीवन के लिए कुछ संतोष बटोरने का प्रयत्न करता है। धर्म हमें अपनी उन समस्याओं का भी समाधान बता देता है जिन्हें कि विज्ञान भी नही सुलझा पाया है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पाप, पुण्य और ऐसी ही कितनी घटनाएँ हैं, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती है। धर्म नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करता है। नैतिकता का बोध मनुष्य में आत्म–नियन्त्रण की भावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से धार्मिक संस्थाओं का महत्व है। धर्म की सामाजिक उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओं पर समझ सकते हैं–

1. **सामाजिक संगठन का आधार** : सामाजिक संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के सदस्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों तथा निषेधों का पालन करें और अपने कर्त्तव्यों से बिमुख न हों। इन सभी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
2. **सामाजिक नियन्त्रण का प्रभावपूर्ण साधन** : धर्म समाज पर लगाम कसे खड़ा रहता है, जिससे कि समाज की संरचना संतुलित रहती है। मनुष्य एक बार राज्य के नियम कानून को तोड़ सकता है, परन्तु धार्मिक नियमों का उल्लंघन कर ईश्वरीय शक्ति का कोप–भाजन नहीं बनना चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद में जूता या चप्पल पहन कर नहीं घुस सकता, चाहे वह कितना भी विज्ञान युग में जीता हो।
3. **भावनात्मक सुरक्षा : पारसन्स** कहते हैं कि धर्म व्यक्ति को संकट की घड़ियों से सामंजस्य करने में योगदान देता है। वे धार्मिक विश्वासों, संस्कारों को व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने वाला टानिक मानते हैं। धर्म व्यक्ति को जीवन की सार्थकता बताता है, उसे निराशाओं से मुक्ति प्रदान करता है।
4. धर्म समाज में एकता पैदा करता है। धर्म समाज कल्याण को प्रमुख स्थान देकर सामाजिक एकीकरण में वृद्धि करता है।
5. धर्म सद्गुणों का विकास करता है। यद्यपि समाज में सभी सदस्य तीर्थस्थलों व मंदिरों आदि में नहीं जाते, परन्तु समाज के सदस्यों पर धर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है।
6. धर्म पवित्रता की भावना को जन्म देता है और अपवित्रता से दूर रखता है।

अतः हम कह सकते हैं कि धर्म एक ऐसी औषधि है जो समाज की सम्पूर्ण संरचना को विकलांग होने से बचाये रखा है। अर्थात् धर्म व्यक्ति का समूह में एकीकरण करता है, अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहायता करता है, निराशा के क्षणों में उसको ढाढ़स बंधाता है, सामाजिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति को जागरूक बनाता है, आत्मबल में बृद्धि करता है, एक–दूसरे के समीप आने को प्रोत्साहन देता है।

सुझाव : आज विज्ञान की प्रगति व वैश्विक युग के झंझावतों से धर्म रूपी महान अट्टालिका दिनों–दिन जमीदोज होती नजर आ रही है और मानो एक दिन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। परन्तु हमें यह नहीं साचना चाहिए कि मानव केवल यन्त्र चालित मशीन है, जो केवल तर्कों के आधार पर ही संचालित होता है। परन्तु इसके विपरीत मानव भय, प्रेम, घृणा, उत्साह, दुःख आदि कोमल भावनाओं का एक पुलिन्दा भी है। इन सब भावनाओं का आधार मात्र तर्क ही नहीं है। यदि धर्म के अतार्किक पक्ष को जो आधुनिक समाज में निराकार है तथा धर्म व्याप्त असंगतियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त कर उसे एक ठोस व तार्किक आधार प्रदान करें, तो धर्म हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके साथ–ही–साथ यदि सभी धर्म एकाकार हो जाय तथा केवल एक समूह अथवा सम्प्रदाय तक सीमित न रहकर उदार दृष्टिकोण अपनाए तो सम्पूर्ण मानव समाज का कल्याण सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार धर्म का नया रूप यन्त्रवत् मानव जीवन में तपते हुए रेगिस्तान में वर्षा की सुखद बौछारों द्वारा प्राप्त शीतलता के समान सिद्ध होगा।

सन्दर्भ :

1. सिंह, एस0डी0, 'धर्म का समाजशास्त्र', सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी–2005
2. उपाध्याय, बलदेव, 'भारतीय दर्शन', चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी–1979
3. दिनकर, रामधारी सिंह, 'संस्कृति के चार अध्याय', उदयान्चल राष्ट्र कवि दिनकर पथ, राजेन्द्र नगर, पटना, 1977
4. गुप्ता, एम0एन0 एवं शर्मा, डी0डी0, समाजशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. Baired Robert, "Religion in Modern India", Manohar Publication, Delhi-1995

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by** : SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor** : 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 62-64

भोजपुर जिला में विकलांगता की समस्या के सामाधान के उपाय : एक भौगोलिक अध्ययन

सुदीप कुमार*
*शोध छात्र, भूगोल विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार
डॉ0 मो0 नजीर अख्तर**
**शोध निदशक, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : आधुनिक तकनीक के प्रयोग से अनेक सहायक यंत्रों का विकास हुआ है, जो विकलांगता के प्रभाव को कम कर सकता है और विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, क्रच, ब्रेस, स्पिलंन्ट शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की सक्रियता काफी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार, प्रभावशाली श्रवण यंत्र की मदद से दैनिक कार्यकलाप के अनेक कार्य करने के लिए कुछ अवशिष्ट श्रवण वाले व्यक्ति की मदद की जा सकती है। निम्न दृष्टि सहायक यंत्रा काफी कम दृष्टि वाले व्यक्ति को पढ़ने, मुद्रण और अन्य कार्यकलाप करने में मदद कर सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप उनका पुनर्वास हो सके। तथापि, अनेक विकलांग व्यक्ति उन्हें खरीदने के लिए निधि प्राप्त करने की अपनी असमर्थता के कारण इन उपकरणों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

मुख्य शब्द : विकलांगता, पुनर्वास, शिक्षा व्यवस्था, अरण्य, शिक्षा तथा दक्षता विकास आदि।

परिचय : विकलांग व्यक्तियों को मदद करने और सहायता यंत्रों और उपकरणों को उनके पहुँच तक लाने के लिए सरकार पर बढ़ते दबाव के परिप्रेक्ष्य में एडिप योजना को जारी रखने और इस तरह संशोधित करने का निर्णय लिया गया है कि यह अधिक प्रयोक्ता–अनकूल हो सके। जरूरतमंद सहायक यंत्रों और उपकरणों से वंचित न हो, जो उनके सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए आवश्यक है। यदि वे, इस तरह कमाने वाले सदस्य हो जाते हैं तो वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के निकट होंगे तथा सम्मानजनक जीवनयापन करने और अपने कार्यकलाप जारी रख सकें। विकलांग बालकों को मुख्यधरा में जोड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति की शिक्षा के साथ–साथ ही उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा की मुख्य धरा में सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इससे विकलांग व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता की पुष्टि होती है। सारांशतः शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की अनिवार्यता ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। सभी व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता होती है। यही कारण है कि उनकी चिंतन शक्ति भी अलग–अलग होती है। मनोशारीरिक असमानताओं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यही कारण है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। इनमें अधिकांश सामान्य बालक व कुछ विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य व्यक्ति से इतना अधिक भिन्न होते हैं कि इनको अलग से पहचाना जा सकता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि विकलांग व्यक्ति की विशिष्ट व्यक्ति की प्रतिभा होती है।

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन क्षेत्र भोजपुर जिला $25^0$10′ उत्तर तथा $25^0$40′ उत्तरी अक्षांश और $83^0$45′ पूर्व तथा $84^0$45′ पूर्वी देशान्तर के मध्य लगभग 2395 वर्ग किमी० के क्षेत्र पर फला है। यह क्षेत्र मध्यवर्ती गंगा के मैदान का हिस्सा हैं। बिहार राज्य के प्राचीन शाहाबाद जिला/क्षेत्र का यह अंग रहा हैं। वर्तमान में भोजपुर जिला बिहार प्रांत के मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में अवस्थित है। जिसकी कुल जनसंख्या 27,20,155 (2011) है। सोन नदी पूरब में तथा गंगा नदो उत्तर में भोजपुर जिला की प्राकृतिक सीमाएँ बनाती हैं। उत्तर में गंगा नदी भोजपुर जिला को सारण जिला से तथा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से अलग करती है। पूरब में सोन नदी इसे भोजपुर जिला से अलग करता हैं। पश्चिम में बक्सर तथा दक्षिण में रोहतास जिला भोजपुर जिला से सीमाएँ बनाती है।(मानचित्र–1.1) भोजपुर जिला, आरा सदर, जगदीशपुर तथा पीरो, तीन उपप्रमंडलों में विभक्त है। यहाँ वर्त्तमान में (2017) 14, विकास प्रखंड है, जिनके नाम हैं– शाहपुर, आरा, बड़हरा, कोईलवर, संदेश, उदवन्तनगर, पीरो, चरपोखरी, गड़हनी, अगिआँव, बिहिया, जगदीशपुर, तरारी, सहारा कुल मिलाकर भोजपुर जिला में 6 शहरी क्षेत्र तथा 228 ग्राम पंचायतें है। भोजपुर जिला का मुख्यालय शहर आरा $25^0$34′ उत्तरी अक्षांश $84^0$40′ पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। यह इस जिला का सबसे बड़ा शहर भी है। भोजपुर जिला का निर्माण 1972 ई० में तत्कालीन शाहाबाद जिला के उत्तरी भाग को अलग कर हुआ था। उत्तरी भाग भोजपुर जिला तथा दक्षिणी भाग रोहतास जिला बना। कालान्तर में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 1991 ई० पुनः इसे दो भागों यथा–पश्चिमी भाग बक्सर जिला तथा पूर्वी भाग भोजपुर जिला के रूप में बनाया गया। 1972 से ही आरा भोजपुर जिला का मुख्यालय शहर बना रहा। भोजपुर जिला का नाम भोजपुर गाँव (वर्त्तमान में बक्सर जिला में) के नाम पर रखा गया जहाँ राजा भोज का निवास हुआ करता था। भोजपुर जिला एवं आरा शहर का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो यह साबित करते है कि इस जिला में प्रागैतिहासिक काल में भी लोग निवास करते थे। आरा शहर के नाम के पीछे भी कई किवदंतियाँ प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि आरा शहर को यह नाम संस्कृत शब्द ''अरण्य'' से मिला है। जिसका अर्थ जंगल होता हैं। यह नाम/शब्द प्रमाणित करता हैं कि प्राचीन काल में यहाँ (इस प्रदेश में) घना जंगल हुआ करता था। आज भी आरा शहर में शहर रक्षिका के रूप में ''अरण्य देवी'' मंदिर को देखा जा सकता है। आरा शहर के नाम के पीछे प्रचलित किवदंतियों का

वर्णन बुकानन ने भी अपने गजेटियर में किया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग 7वीं सदी में भारत आया था तब उसने वर्त्तमान मसाढ़, आरा शहर से 40 किमी० दूर (मो–हो–सो–लो–नाम से वर्णित) गया था। उसने वहाँ यह पाया कि इस गाँव में अधिकांश ब्राहम्णों का निवास था। परन्तु व बुद्ध के नियमों का पालन नहीं करते थे। अतः ह्वेनसांग मसाढ़ से निरास होकर वापस चला गया और आगे इस जिला में कहीं भी भ्रमण नहीं किया। मसाढ़ तथा आरा शहर जैन मंदिरों के लिए विख्यात हैं। ऐसा माना जाता हैं कि देश के किसी भी एक शहर में जैन धर्म के इतन मंदिर नहीं है जितने कि आरा शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में है। यहाँ जैन धर्म के लगभग 50 मंदिर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुर प्रदेश वीर बाँकुरा बाबू कुँवर सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह (1857) सिपाही जगदीशपुर गाँव (भोजपुर जिला) से ही संबंधित हैं।

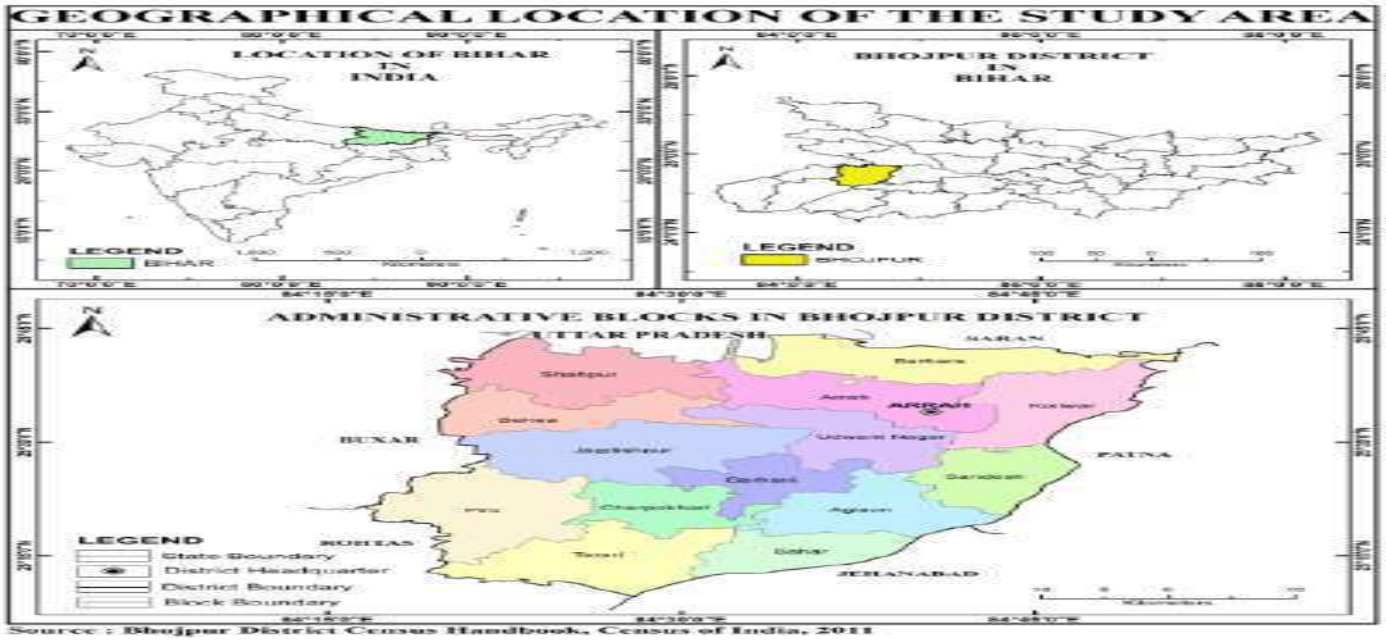

Source : Bhojpur District Census Handbook, Census of India, 2011

विकलांगता की समस्या :

1. **चलने में कठिनाई** : कोई बच्चा चलते–चलते झुक जाता है, टेढ़ा चलता है या चलने में लड़खड़ाने लगता है अथवा चलते–चलते गिर जाता है।
2. **पकड़ने में कठिनाई** : हाथ या अँगुलियाँ टेढ़ी–मेढ़ी होने के कारण बच्चा पकड़ने में कठिनाई महसूस करे या पकड़ते समय अंग नहीं मुड़ता हो।
3. **मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य की कमी** : किसी हल्की वस्तु को बच्चा आसानी से उठा लेता है, लेकिन भारी वस्तु को उठाने में कठिनाई महसूस करता है।
4. **लिखने में कठिनाई** : लिखने के समय हाथ हिलता या काँपता है, लिखते–लिखते रूक जाता है या अँगुली की मांसपेशियों के काम नहीं करने के कारण कलम या पेंसिल छूट जाती है।
5. **शरीर का पूर्णतः या आंशिक रूप से लकवाग्रस्त होना** : लकवाग्रस्त होने के कारण कई अंग कार्य करने में असमर्थ हैं, सूखा है, पतला हो गया है, या सुन्न हो गया है।
6. **शरीर का कोई अंग कट जाना** : शरीर का कोई भी अंग किसी भी दुर्घटना से कट जाता है या किसी बीमारी से जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अंग को काटना पड़ता है।
7. **शारीरिक विकृति** : किसी–किसी बच्चे को जन्म से ही शारीरिक विकृति होती है, जैसे कुबड़ापन, हाथ का टेढ़ा, छोटा, बड़ा होना, पैर घुमा होना, पैर छोटा–बड़ा होना, गर्दन टेढ़ी होना आदि। इसके अतिरिक्त कुछ निम्न अन्य कारण हो सकते हैं :1.एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कठिनाई 2. सीढ़ो पर चढने या उतरने में कठिनाई 3. प्रायः जोड़ों में दर्द की शिकायत 4. लचक के साथ चलना 5. शारीरिक व्यायाम के समय दर्द का अनुभव करना 6. वैशाखियों की सहायता से चलना।

विकलांगता की समस्या का समाधन :

मंदबुद्धि व्यक्ति (Mentally Retarded Person) : अस्थि विकलांग और मूक–बधिर व्यक्तियों की तरह मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को सरकारी चिकित्सा द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्रा प्रस्तुत करने पर सहयात्रा (Attendant) के साथ प्रथम, द्वितीय एवं शयन (Sleeper) श्रेणी की टिकट के खरीद पर रेल भाड़ा में 75–75 फीसदी की रियायत मिलती है। साथ ही प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मासिक टिकट की खरीद पर 50 प्रतिशत की।

विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्रा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय :

मिशन मोड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना : समन्वय करना, वित्तपोषण करना और उपयुक्त तथा लागत प्रभावी सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास और उपयोग में तकनीक का सीध अनुप्रयोग, शिक्षा तथा दक्षता विकास की प(ति जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि आसान–जीवनयापन और गतिशीलता, संचार, मनोरंजन तथा समाज में एकीकरण।

निष्कर्ष : **विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना** : निःशक्त व्यक्ति ;समान अवसर और अध्किारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारीद्ध अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कानून है और सामाजिक न्याय के प्रति भारत की वचनब(ता का परिचायक है। सामाजिक न्याय और अध्किारिता मंत्राालय, भारत सरकार की योजना कार्यक्रमों के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों के सरकारी समर्थन तक आसानी से पहुँच की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाती है। यह उन 95 प्रतिशत से अध्कि भारतीय विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करेगी जिन्हें अभी तक सेवाओं तक पहुँच नहीं थी। इसके अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव के क्षेत्रा एवं गुणों के आधर पर समर्थन की मात्राा 90 प्रतिशत तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

सन्दर्भ :

1. गौतम अलकाः (2008), भारत का वृहद भूगोल, शारद पुस्तक भवन, इलाहाबाद–2 पेज 56,7
2. तिवारी रामचन्द्र (2015), भारत का भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, अध्याय 4,5,6,7,99,50
3. सिंह, काशीनाथ सिंह, जगदीश 1976, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, तारा पब्लिशन, वाराणसी, पृष्ठ–33
4. सिन्हा, विश्वनाथ, मोहम्मद नाजिम, पाठक, चन्द्र शेखर एवं अहमद प्रिंस–पिफरोज (2015), बिहार का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. हुसैन माजिद(1997), मानव भूगोल, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, अध्याय 3,4,8

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by** : SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor** : 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 65-66

बौद्ध धर्म के पूजनीय वृक्ष व उनका महत्व

डॉ0 चयनिका श्रीवास्तव*

*असि0 प्रो0, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, परमेश्वर सिंह मेमोरियल पी0 जी0 कालेज, महाराजगंज, उ0प्र0

सारांश : मानव और प्रकृति का अन्योन्याश्रित सहसम्बन्ध है। इसीलिए विश्व में संस्कृतियों का विकास प्रकृति की गोद में हुआ है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष पूजा का अत्याधिक महत्व रहा है। 6 वीं शताब्दी ई0 पू में क्रान्तिदर्शी धर्म बौद्ध धर्म में भी वृक्षों का बहुत महत्व है। महात्मा बुद्ध ने सम्पूर्ण ज्ञान और अनुभव श्रमणशील जीवन में प्रकृति के सान्निकट रहकर प्राप्त किया था तथागत से जुड़ जाने से ये वृक्ष बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिये उपास्य हो गए। प्रस्तुत शोध पत्र में धर्म से जुड़े वृक्ष को रेखांकित करने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य इन वृक्षों की उपयोगिता और उनके पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। यह ऐतिहासिक शोध प्रणाली पर आधारित है।

मुख्य शब्द : बुद्ध, भंते, पांकड़, साल, अश्वत्थ, मुचलिन्द, परिक्षत्रक, वटवृक्ष, जामुन आदि।

वृक्ष की परम्परा भारतीय संस्कृति की उल्लेखनीय विशेषता रही है। हड़प्पा संस्कृति के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष से इस परम्परा के प्रतीकों का निदर्शन होना है। आगे चलकर वैदिक संस्कृति के देवमण्डल में वृक्ष देवता निरन्तर पूजित होते रहे। ऐतिहासिक काल में बौद्ध धर्म के आर्विभाव में तथागत के जीवन की विभिन्न चर्चाओं में वृक्ष सदैव महत्वपूर्ण रहे है। इन वृक्षों मे बोधिवृक्ष पीपल, पाकड़, वटवृक्ष, जामुन, आम ,बॉस, राजायतन, करेरि, मुचालिन्द परिक्षतक आदि का उल्लेख बौद्ध साहित्य म आता है। शोध पत्र में इनका उल्लेख बौद्ध साहित्य के सन्दर्भ में किया है, जिससे इनका पर्यावरणीय महत्व बौद्ध धर्म के प्रसंग में रेखांकित हो सके।

बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि सिंहल द्वीप सम्राट तिस्स, राज परिवार एवं देशवासियों की इच्छापूर्ति हेतु सम्राट अशोक की पुत्री भिक्षुणी संघमित्रा जब मूल बोधि क दक्षिण शाखा लेकर श्रीलंका की राजधानी, अनुराधापुर पहुँची तो राजा प्रजा एक साथ भाव विभोर होकर कह उठे। **एमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता, अहमपि ते नमस्सामिते, बोधि राजा नमस्थुते।**[1] यही गाथा सारे संसार के बौद्धा में आज भी प्रचालित है, जहाँ बुद्ध, धम्म, संघ की वन्दना के बाद बोधिवृक्ष आज भी बुद्ध दन्त धातु के समान महत्वूपर्ण राष्ट्रीय धरोहर के रुप का गौरव है। इस बोधिवृक्ष का महत्व तथागत के ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत बढ़ गया। बुद्ध के तपश्चर्या के अतिम चरण में गौतग निरंजना नदी के ततुपर पहुंचे। वहाँ उनके दृढ़ निश्चय को मार (सांसारिक कामनाएं) का भारी सामना करना पड़ा। मार विजय के पश्चात उनका मार्ग कट गया और निवृत्ति मिल गयी, यही दुःख का अन्त हो गया और पीपल वृक्ष बोधिवृक्ष हो गया, और बोधिराजा के रुप में प्रतिष्ठित हो गया। बुद्धत्व के बाद गौतम बुन्दने इसी स्थल पर एक सप्ताह प्रवज्जा सुख में बिताए। इस प्रकार तथागत के समान इसका यश है। महास्थाना में सर्वप्रमुख हो गया। बौद्ध जगत में इसका बहुत अधिक सम्मान है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि सम्राट अशोक बार–बार इस महाबोधि वृक्ष का दर्शन पूजा कर संतुष्ट होता। बोधिवृक्ष की जड़ के पास, जहाँ बज्रासन मुद्रा में बैठ कर तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पद चिन्ह अंकित करवाया। उसके समीप एक स्तम्भ पर इस प्रसंग को लिखवाया। इस स्थान पर आने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक निर्माणकार्य भी सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्थान को बोधगया कहा जाने लगा। यह गौरव मुगलकाल, ब्रिटिश काल में भी क्षीण नहीं हुआ और बौद्ध काल से आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है। बौद्ध कला में यह अंकन अनेक स्थलों पर प्रदार्शित है। तपश्चर्या के दौरान मार विजय का अंकन भरहुत स्तुप पर पदर्शित है। बोधिवृक्ष की पूजा का शिल्पांकन भरहुत स्तुप के पश्चिमी द्वार पर प्रदर्शित है।[2]

पाकड़ वृक्ष भी बौद्ध धर्म में पूजनीय है। महामाया को गर्भावस्था में वह प्रथम प्रसव अपनी माता के यहाँ होने के लिए वह अपने चार योजन दूर मातृस्थल देवदह के लिए चल दी। भीषण ग्रीष्म ऋतु में वह वाक्यों के लुंबिनी वन में पहुँच कर वह बन में टहलती हुयी एक संघ छाया वाले पाकड़ वृक्ष, जिसकी टहनियाँ जमीन की छू रही थी, के नीचे विश्राम के लिए ठहरी तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ यह घटना ललित विस्तार में वर्णित है– 'तब मायादेवी दायी भुजा फैला कर पलक्ष(पाकड़) वृक्ष की शाखा में जम्हाई लेती खड़ी हो गयीं तो पूरे दस मास बीतने पर माता कोख से सिद्धार्थ निकले।'

इस प्रकार पाकड़ वृक्ष गौतम के जन्म का साक्षी है। ललित विस्तार की बौद्धधर्म के पूर्ण विकास काल में हुयी थी। इसी पुस्तक में सिद्धार्थ को अपन पिता के साथ जामुन वृक्ष की छाया में बैठने का उल्लेख है। यह प्रसंग बौद्ध ग्रन्थों में बहुत लोकप्रिय है। सिद्धार्थ के तपश्चर्या के समय में वह उरुबेला प्रदेश में वटवृक्ष (बरगद) के नीचे ध्यानावस्था में बैठे थे। इसका अंकन विभिन्न गुहाओ में है।[3] इसक बाद तथागत एक सप्ताह मुचबिन्द वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हुए। इसी में एक नाग था जिसे मुचलिन्द नाग कहा गया है बौद्ध ग्रन्थ पालि अटठकथा में इसका वर्णन विस्तार से होता है, मुचलिन्द नागद्वारा गौतम बुद्ध को वर्षा और तूफान से बचाने की घटना, बौद्धधर्म में लोकप्रिय स्तूप के वेदिका में इस घटना का अंकन किया गया है।[4]

बोधि प्राप्त करने के बाद वर्षावास में तथागत के राजायतन वृक्ष के नीचे विश्राम का उल्लेख ललित विस्तार में है। यही पर मल्लिक द्वारा क्षिरीका वन(खिरनी के वन) में तथागत के दर्शन और उपदेश ग्रहण करने का उल्लेख है। गौतम के धर्मचक्र प्रवर्तन क दौरान राजगृह के प्रवास में आम्रवन का उल्लेख है। इसी प्रसंग में सघन छायादारे वर्द्धमान वृक्ष का उल्लेख है। जहाँ बुद्ध ने चक्रमण स्थल पर यमक प्रतिहाय किया। इसके बाद तथागत वहाँ से अन्तर्ध्यान होकर पण्डूक कम्बल शिला पर परक्षित्रक वृक्ष के नीचे वर्षावास बिताए। परिक्षत्रक को परिजात वृक्ष कहा जाता है। इसका विस्तार से वर्णन पाली अटठकथा में मिलता है।

इसी में करेरि वृक्ष या वरुण वृक्ष का उल्लेख है। जिसके नीचे श्रेष्ठी अनाथ पिण्डक ने कुटी बनाकर गौतम बुद्ध को दिया था। अष्टकथा में ही कौसम्ब कुटी का उल्लेख है, जिसके द्वार पर छायादार वृक्ष की द्वार पर छायादार वृक्ष था। तथागत के प्रथम शिष्य इस कुटी में विहार करते थे, तथागत वृक्ष की छाया में धर्मोपदेश देते थे इसका निर्माण भी श्रेष्ठी द्वारा ही किया गया था। सलल वृक्ष के नीचे कुटी या विहार का उल्लेख है। राजगृह के शासक द्वारा राजगृह में वेणुवन विहार के सम्मुख वेणु की सधन छाया में उपदेश लेने का उल्लेख साहित्य में मिलता है। तथागत के महायात्रा के अंतिम दिनों में मल्लों की राजधानी में हिरण्यवती नदी के तट पर उनका सालवन था, इस पल्लों द्वारा पक्तिढद करके रोपा गया था। इसे बुद्धकाम के पहले ही मल्लों का उपवत्तन कहा गया है। महापरिनिर्वाण सुत्त चर्चा में उपवत्तन शब्द का अर्थ पूर्व से उतर की ओर लगाये गये है।

तथागत के जीवन से जुड़े इन वृक्षों की पहचान में पाकड़, जामुन, पीपल, बरगद, आम बास, साल या साखू पहचाने गए है। विद्वानों ने राजायतन वृक्ष को खिरनी से, सलल वृक्ष को चीड़ से, करेरि को सीकाकाई वृक्ष से, मुचलिन्द को मुच्कुन्द से, कौसम्ब को कुसुम से परिक्षत्रक को परिजाति वृक्ष से, वर्धमान को बरगद से मिलाया गया है। बरगद की विशेषता है–सतत वृद्धिमान।

उपरोक्त उल्लेखों में बौद्धधर्म से जुड़े सभी प्रसंगों में लगभग चौदह प्रकार के वृक्षों का उल्लेख है। इनका अध्ययन करने पर लगा कि बोद्ध धर्म और प्रकृति का गहरा सम्बन्ध है। जिसमें सम्पूर्ण पर्यावरण हमारा मित्र हैं। वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा को प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे वेद, उपनिषद आरण्यक, महाकाव्य, पुराण, त्रिपिटकों और आगम ग्रन्थों में प्रमुखता से उठाया गया है। बौद्ध धर्म के विकास में कृषि, वन, वृक्ष प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तथागत के उपदेशों में पर्यावरण से जुड़े उदाहरण भरे पड़े है। बौद्ध शिक्षण में वृक्षों, मनुष्य पशु–पक्षियों का प्रकृति से निकटतम सम्बन्ध बनया गया है, जिसमें दृश्यमान और अदृश्य सभी प्रकार के जीवन–जन्तुओं के कल्याण के लिए सिद्धान्त को बनाया गया है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में पर्यावरण को क्षति न पहुँचाने का नियम है। बौद्धधर्म के आचार नियामक ग्रन्थ विनयपिटक में प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षों को नकाटने का निर्देश है। यहाँ तक कि भिक्षुओं द्वारा वृक्ष काटने पर उस पर पाराजिक नामक उपराध में दण्ड का विधान था– **महग्घरुक्खे द्दिदन्नमत्ते पराकिं।।** एक अन्य प्रसंग में विनय पिटक में उल्लेख है कि जरुरत न पड़ने पर भी कोई निरोगी भिक्षु तापने की इच्छा से आग जलाए तो उसे पाचित्रय अपराध कहा गया। इसके लिए भिक्षु को प्रायश्चित करना पड़ता था। बौद्ध परम्परा में वर्षा ऋतु में तीन महिने वर्षावाला है। जिसमें किसी भी भिक्षु को बाहर निकलने से मना किया गया है जिससे नयी वनस्पतियों, हरे तृणों को कोई क्षति न पहुँचे साथ ही एक इन्द्रिय वाले जीवों और वनस्पति को पीड़ा नही हो। सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य परम्परा में अनेक प्रसंगों में पर्यावरण की रक्षा हेतु अनेक प्रभावी उपदेश दिए गए है। जिसको आधार मानकर विश्व के अनेक राष्ट्रों में ऐसे व्यक्तियों को जागरुक करने का कार्य किया गया है, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने में रुचि प्रदर्शित की है।

भारत में बौद्ध काल से ही वृक्षों के रोपड़ और संरक्षण की लोकप्रियता बढ़ गयी। स्त्रियों और बिहारों के निकट बागीचे लगाए जाने लगे थे। नालन्दा और तक्षशिला के महत्वपूर्ण बागीचे का उल्लेख त्रिपिटक, अट्ठकथा और जातक कथाओं में मिलता है। इसमें वनों का उल्लेख है जैसे– श्रीवास्ती का आनन्द वन, साकेत का कपिलवस्तु और वैशाली का महावन, शाक्यों का लुम्बिनीवन, मल्लों का सालवन, वज्जियों का वेसाकल वन, चेदि का परिलेक्य वन, काशी का अम्बट वन आदि। अन्त में, वर्तमान वैश्विक महामारी के विकट काल में पर्यावरण, वृक्ष एवं पारिस्थितकी संतुलन का महत्व बेहद बढ़ गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं उपयोगी वृक्षों के रोपड़ का आन्दोलन चलाकर ही हम वर्तमान विश्व में प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. मित्र, भिक्षुबुट, 1999, बौद्धधर्म के समकालीन अनुयायी और बौद्ध केन्द्र, शकुन्तला प्रिन्टर्स, गोरखपुर, पृ0 322
2. कालसीवाल, मीनाक्षी, 2011, भारतीय मूर्तिशिल्प एवं स्थापत्य कला; राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ0 64
3. स्मिथ, विन्सेन्ट ए0 1969, ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एण्ड सीलोन, रुसीजाल तारापोर कला, मुम्बई प्लेट सं0– 16,20,21,22
4. उपाध्याय, वासुदेव, 2003, प्राचीन भारतीय स्तूप गुहा मन्दिर, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, पृ0 52
5. अग्रवाल, वासुदेव शरण, 2004, भारतीय कला, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, पृ0 168
6. Mitra.D. 1980, Duddist monuments, sahitya samwad, culcutta.
7. Majpuria and jashii, 1988, Religious and Useful Plants In India and NepaL, New Delhi.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 67-69

ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

पूजा गुप्ता*
*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, मर्यादा पुरुषोत्तम पी0 जी0 कालेज, मऊ
डॉ0 अनिल सिंह**
** असि0 प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, मर्यादा पुरुषोत्तम पी0 जी0 कालेज, मऊ

सारांश : भारत में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष प्रस्थिति वैदिककाल से ही प्राप्त थी परन्तु धीरे–धीरे सामाजिक परिवर्तन होने के साथ इनकी प्रस्थिति भी निम्न होती गई। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान 1931 में भारतीय कांग्रेस के 'मूल अधिकार' के संकल्प में स्त्री–पुरुष समानता को एक मार्गदर्शक सिद्धान्त के रुप में अपनाया गया। महात्मा गाँधी ने इस सन्दर्भ में कहा कि ''महिलाओं का शोषण–दमन पुरुषों की हित शिक्षा और महिलाओं द्वारा उन्हे स्वीकार किये जाने का परिणाम है'' स्वतंत्र भारत के संविधान में राष्ट्रीय आन्दोलन की भावना के अनुरुप स्त्रियों को न सिर्फ बराबरी का हक दिया गया बल्कि इसमें राष्ट्र को खास हक दिया गया कि वह स्त्री के हित में सकारात्मक उपाय अपना सकता है, इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह ऐसी परम्पराओं को त्याग दे जो स्त्रियों के मान–सम्मान के विरोधी हैं।

मुख्य शब्द : प्रस्थिति, वैदिककाल, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्था आदि।

भारतीय जनता ने राजनीतिक गुलामी से तो मुक्ति प्राप्त कर ली लेकिन वह जड़–जड़ तक व्याप्त रुढ़िवादिता से मुक्त नहीं हो पाई है। आज संविधान के लागू होने के 73 वर्षों बाद भी स्त्री–पुरुष के बीच गैर बराबरी मौजूद है। आज भी नारी दोयम दर्जे की नागरिक हैं। स्त्रियों के साथ हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई के तौर तरीके में नई धार आ रही हैं पिछले दो दशकों से उन कारकों को खोजने की निरंतर कोशिश की जा रही है जो स्त्री पुरुषों की व्यवहारिक बराबरी के विरोध में हैं। ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं, मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों को रेखांकित भी किया गया है, जो स्त्री और पुरुष के मध्य गैर बराबरी को प्रोत्साहित करते हैं।

महिला सशक्तिकरण : शक्ति से सशक्तिकरण का सिद्धान्त पोषित होता है। प्रचलित रुप में शक्ति का तात्पर्य किसी कार्य को कर सकने की क्षमता से है। सामाजिक सन्दर्भ में शक्ति का अर्थ अधिकार, आदेश देने की क्षमता, शासन करने या नियन्त्रित करने की ताकत या प्रभावित करने की क्षमता आदि से है। इस प्रकार सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है जहॉ शक्ति न हो या जहाँ पर कम हो वहाँ उसे और बढ़ा देना है। 'सशक्तिकरण' आज एक प्रचलित शब्द बन गया है, जिसका तात्पर्य अधिकार और शक्ति का विकेन्द्रीकरण है, तथा इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना ह, दूसरे शब्दों में अपना पक्ष न रख पाने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है।

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारना है। यद्यपि अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे कर्म क्षेत्र के किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरुषों से पीछे नहीं हैं चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, कूटनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि पुरुषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक अच्छे ढ़ंग से कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की सम्पूर्ण अवधारणा इसी परिकल्पना पर अधारित है।

ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : महिलाओं को राजनीतिक रुप से सबल बनाने हेतु सर्वप्रथम अप्रैल 1992 में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गईं, ताकि देश के राजनीतिक–सामाजिक जीवन में वे सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश के सभी प्रान्तों में ग्रामीण और नगरीय पंचायतों के सभी स्तरों पर महिला जनप्रतिनिधियों के रुप म कई लाख महिलाऍं अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

भारत में महिलाओं के कल्याण और विकास की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं, सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गईं हैं तथा महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई हैं, जिससे कि उनकी सहभागिता एक वांछित न्यूनतम स्तर तक बनी रह सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। परन्तु महिला विकास की इन नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पूरी ईमानदारी के साथ लागू किये बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना असम्भव सा प्रतीत होता है। महिला विकास हेतु सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन भी करना होगा। आज समय की मॉग है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नए सिरे से निर्धारित की जाए और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि वह सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों तक और सही क्षेत्रों तक पहुॅच सके।

इस प्रकार के कुछ व्यवहारिक कदम उठाने से इस उपेक्षित वर्ग में नई स्फूर्ति लाई जा सकती है। तथा देश के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास में इन लोगों की बहुत भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम् उद्देश्य की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकता है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था : स्वतन्त्रता पाप्ति के उपरान्त भारत को एक लोकतान्त्रिक गणराज्य के रुप में स्थापित करने का संकल्प लिया गया और लोकतान्त्रिक गणराज्य को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन से जुड़े लोगों की सत्ता में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उन्हें अपने भले–बुरे का फैसला स्वयं करने का अधिकार दने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। भारत के समग्र विकास के लिए नीति निर्धारकों ने जो समाधान प्रस्तुत किया उनमें पंचायती राज व्यवस्था भी शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का मूलभूत उद्देश्य ही भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था को मूर्त रुप प्रदान करना था।

1957 में जब बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया तो समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, इसी के साथ पूरे देश में विकास खण्डों का सृजन किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया।

भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल किया है। अप्रैल 1993 में प्रभावी यह संशोधन कई कारणों से इस देश की पंचायती राज व्यवस्था में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है, इस सवैंधानिक संशोधन की खास विशेषता यह है कि इसमें संविधान में ही ''प्रतिनिधित्व की गारण्टी'' निहित है। प्रतिनिधित्व की यह गारण्टी हाशिए पर कर दिए गए शुरुआती समूहों के लिए जिसमें से शायद सबसे बड़ा वर्ग महिलाओं का है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य हो गया है। आरक्षण केवल सदस्यों के स्तर पर ही लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह भी तय किया गया कि कम से कम एक तिहाई अध्यक्ष महिलाएँ हों, 73 वें संविधान संशोधन को लागू हुए 29 साल से भी अधिक हो गया और अब यह स्पष्ट है कि अगर सदस्यों के स्तर पर ही आरक्षण होता तो इतने आशातीत परिवर्तन नहीं होते, चूँकि पंचायतों पर ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने तथा विषयों की एक अच्छी खासी व्यापक सूची के बारे में इन योजनाओं (अनुसूची 11 में निहित 29 विशय हैं) और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डाल दी गई है, इसलिए इससे निर्वाचित महिलाओं को गॉवों के हालात बदलने के एक अनूठे अवसर के साथ–साथ अपने निजी विकास और सशक्तिकरण का मौका मिला है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने के 73 वें संविधान संशोधन के लगभग सभी प्रावधान स्त्रियों के सशक्तिकरण में मदद करते हैं।

भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति के सैकड़ा अध्ययन ने इसके औचित्य की पुष्टि की है। बुनियादी निष्कर्ष यह है कि स्त्रियों ने असाधारण रुप से अच्छा काम किया है। महिलाओं की आरक्षण वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर ही प्रभाव पड़ा हैं, बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाने की इनकी असमर्थता के बारे में कई भ्रान्तियॉ भी दूर हो गई हैं। इस तरह 73 वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरुप महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था : भारतीय समाज में निःसंदेह महिलाओं ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई बुलन्दियों को छुआ है तथा अनेक क्षेत्रों में स्वयं को सुदृढ़ता से स्थापित किया है, परन्तु आज भी समाज में महिलाओं की समस्याएँ बनी हुई हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की महिलाओं का, जिसे उस राष्ट्र की आधी आबादी कहा जाता है, का अत्यन्त योगदान होता है। यदि किसी भी राष्ट्र या समाज की महिलाएँ निष्क्रिय रहती हैं तो उस राष्ट्र या समाज के समुचित प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परन्तु वैदिक काल में महिलाओं की जो उच्च स्थिति थी, समय के साथ–साथ उत्तर–वैदिक काल से ही निरन्तर निम्नतर होती गई तथा मध्यकाल तक पहुँचते–पहुँचते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को और अधिक वदतर कर दिया। स्वतन्त्रता के पश्चात जब शिक्षा का प्रसार होने लगा, तब महिलाओं की स्थिति में धीरे–धीरे सुधार होने लगा, परिणाम स्वरुप वे राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर होने लगीं। महिलाओं ने अपनी सफलताओं के ऐसे झण्डे गाड़े हैं, कि पुरानी रुढ़ियॉ हिल गईं हैं। वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो, जहॉ महिलाओं ने अपना परचम ना लहराया हो। महिलाओं की स्थिति में आया हुआ अभूतपूर्व सुधार उन्हे हाशिये पर रखना असम्भव बना रहा है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार अब परिलक्षित हो रहा है।

आज के वैश्विक युग में महिलाएँ काफी आगे निकल चुकी हैं, शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय महिलाएँ आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहीं हैं। एक तरफ इन्द्रा नूई, किरन वेदी, मेधा पाटेकर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जैसी महिलाआ नें आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, सोनिया गॉधी, ममता बनर्जी, मायावती, उ0 प्र0 की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल इत्यादि ने इस पुरुष प्रधान समाज में अपना राजनीतिक काशल दिखाया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछें नहीं दिखाई देंगी।

भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा महिलाओं की पंचायतों में एक तिहाई भूमिका ने उनको राजनीतिक रुप से जागरुक करने के साथ समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया है तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास में महिलाओं को सहायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। इसके पीछे भारत के अतीत की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संस्कृति की यह मौलिक धारणा है– **''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''** परन्तु मध्ययुगीन नारियों को घर की चहारदीवारी में बन्द करने के साथ ही उन्हें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं की राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में नगण्य प्रतिनिधित्व है जबकि आज इस वैश्वीकरण के युग में देश की आधी आबादी को प्रत्येक क्षेत्र में समान सहभागिता की आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थाओं में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को विशेष संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के साथ ही उन्हे विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को साकार करने का कार्य शुरु हुआ। इन परिस्थितियों में देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के योगदान के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं ने इन संवैधानिक संशोधनों के जरिये महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।

परिणामस्वरुप सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रुप में महिलाएँ सफलता के नित नए सोपानों को प्राप्त कर रही है।

सन्दर्भ :

1. जोशी, आर0पी0 एवं नारवानी, जी0एस0, 2002, पंचायती राज इन इण्डिया इमार्जिंग ट्रेण्ड्स ए क्रास इण्डिया
2. कपूर, प्रमिला, 2001, इम्पावरिंग द इण्डियन वूमेन
3. सिंह, योगेन्द, द चेंजिंग स्ट्रक्चर आफ विलेज पंचायत
4. हसनैन, नदीम, 2004, समकालीन भारतीय समाज : एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य
5. त्रिपाठी, ममता मणि, 2013, पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 70-72

घरेलू हिंसा का महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव

जागृति शुक्ला*

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, मड़ियाहूँ पी0 जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0

डॉ0 राज कुमार मिश्रा**

**असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मड़ियाहूँ पी0 जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : इतिहास के सभी युगों में किसी न किसी रुप में महिलाओं का जीवन उपेक्षित और अपमानित होता आया है। लेकिन आज जैसे–जैसे समाज में समताकारी मूल्यों का महत्व बढ़ रहा है महिलाएँ स्वयं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होती जा रही है तथा प्रबुद्ध–जनों का ध्यान भी समाज के इस सबसे बड़े शोषित वर्ग पर केन्द्रित होने लगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रुप में घोषित करके महिलाओं को किसी भी तरह के शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए लम्बी चौड़ी घोषणाएँ कर दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि महिलाओं को अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए घोषणाओं और वायदों के रुप में जो प्रयत्न करते है व्यवहार में इस पुरुष–प्रधान समाज व्यवस्था में महिलाओं के शोषण के तरीके उनके जीवन को पहले से भी अधिक असुरक्षित बना देते है

मुख्य शब्द : घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण, दहेज उत्पीड़न, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, समताकारी मूल्य आदि।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1955 तथा 1956 में महिलाओं को विवाह, परिवार व सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी कानून बनाये गये जो महिलाओं की स्थिति को समाज में मजबूती प्रदान करते है किन्तु स्वतन्त्र भारत में भारत के इस आधी आबादी को समाज का दुर्बल वर्ग घोषित करके सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली लेकिन प्रश्न यह है कि सभी सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रयत्नों के बाद भी आज महिलाओं का जीवन समाज में घुट–घुट कर जीने को मजबूर क्यों हैं?

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा : घरेलू हिंसा से तात्पर्य परिवार के किसी भी महिला सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार है जो उसे शारीरिक या मानसिक रुप से प्रताड़ित करता हो तथा जिसे व्यवहार के निर्धारित मानदण्डों से विचलन के रुप में देखा जाता हो। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध महिलाओं के उस उत्पीड़न से है जो किसी महिला के निकट सम्बन्धियों जैसे– माता–पिता, सास–ससुर, देवर–ननद–जेठानी इत्यादि द्वारा किया जाता है ऐसी हिंसा का स्वरुप प्रायः छिपा होता है तथा साधारणतया इस तरह की हिंसा जब तक बहुत गम्भीर नही हो जाती दूसरे लोगों को उसकी जानकारी नही हो पाती है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा से आशय परिवार के किसी महिला सदस्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से बल प्रयोग करके किसी ऐसी वस्तु को लेना या किसी ऐसे व्यवहार के लिए बाध्य करना है जिसे वह अपनी स्वेच्छा से करना नहीं चाहती अथवा जिससे ऐसे शारीरिक आघात या मानसिक, भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा हो स्पष्टतः इस तरह की हिंसा की शिकार केवल महिलाएँ ही होती है इसलिए घरेलू हिंसा को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी कहा जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति : घरेलू हिंसा का स्वरुप अधिकांशः अप्रकट होता है जिसके कारण इसके सभी प्रकारों की सही जानकारी मिलना बहुत कठिन होता है इसके बाद भी उत्पीड़ित महिलाओं से सम्बन्धित होने वाले अध्ययनों से घरेलू हिंसा के जो स्वरुप सामने आये है उनमें दहेज यातनाएँ, शारीरिक प्रताड़ना, भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यहार नारी हत्या तथा कन्या भ्रूण हत्या वैवाहिक शोषण तथा विधवाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा आदि प्रमुख है। घरेलू हिंसा का पूराना रुप चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन आज के युग में महिलाएँ एक दोहरी हिंसा की शिकार है एक तरफ ऐसी सामन्ती परम्पराओं और व्यवहार प्रतिबन्धों से महिलाओं को जूझना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे छद्म तरीके निकाले जा रहे है जिनके द्वारा स्त्री जीवन को आतंकित करने के साथ ही इसे एक अशक्त जीवन बिताने के लिए विवश किया जा सके।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है :

दहेज से सम्बन्धित यातनाएँ व हत्याएँ : भारत में घरेलू हिंसा का सबसे घिनौना रुप दहेज से सम्बन्धित यातनाएँ व हत्याएँ है। यद्यपि दहेज निशेद्याज्ञा अधिनियम 1961 ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है परन्तु वास्तविकता यही है कि आज भी वधू –पक्ष से दहेज लेना जारी है इस सन्दर्भ में जब महिलाओं को अपने पति व पति के परिवार के सदस्यों से ताने सुनने पड़ते है अपमानित होना पड़ता है, मार–पीट हत्या तक की जाती है भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में वर्तमान समय में एक दिन में 16 महिलाओं व एक वर्ष में दहेज के कारण मृत्यु के मामले लगभग 7000 के पार कर गई है।

शारीरिक प्रताड़न : घरेलू हिंसा का एक रुप महिलाओं को शारीरिक रुप से प्रताड़ित करना है। एक नवविवाहिता जिस संरक्षण प्रेम और सहयोग की आशा लेकर नये घर में आती है वहाँ पति सास या परिवार के किसी सदस्य द्वारा पीटे जाने पर उसे कितनी असहनीय वेदना होती होगी। इसका हम सरलता से अनुमान नहीं लगा सकते जैसे–जैसे पुरुषों में नशा खोरी बढ़ती जा रही है उनके द्वारा अपनी पत्नी को पीटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

भावनात्मक, लैंगिक दुर्व्यवहार : पति व पत्नी का वैवाहिक जीवन का आधार भावना होता है यह भावना प्रेम, विश्वास व त्याग आदि पर आधारित है इसका तात्पर्य उस व्यवहार से है जो पत्नी के मन व आत्मा को आघात करे। इस सन्दर्भ में पत्नी को उन कार्यो के लिए बाध्य करना जो वह नहीं करना चाहती, दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपमानित करना बात–बात पर ताने मारना एवं गाली देना आदि आता है। यह एक तरह से मानसिक शोषण है जो शारीरिक यातना से कम पीड़ादायक नहीं है।

नारी हत्या और भ्रूण हत्या : घरेलू हिंसा का एक रुप नारी हत्या और भ्रूण हत्या है भारत में पूर्व में यह विडम्बना रही है कि यहॉ धार्मिक आधार पर कन्याओं के जन्म को अभिशाप माना गया है पहले के समाज में कन्या के जन्म लेते ही मार दिया जाता था जिससे परिवार उस पर सामाजिक और आर्थिक बोझ से बच सके। जब से विज्ञान ने मॉ के गर्भ में शिशु लिंग ज्ञात करना प्रारम्भ किया तभी से गर्भ में ही शिशु कन्या की भ्रूण में ही हत्या प्रारम्भ हो गया आज इसका परिणाम है कि भारत में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होता दिखाई दे रहा है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारण : घरेलू हिंसा किसी एक कारण का परिणाम नही है बल्कि अनेक कारणों का परिणाम है यद्यपि यह समस्या न केवल भारत की है बल्कि अन्य समाजों की भी है लेकिन भारत में बहुत लम्बे समय से ऐसी दशाऍं विद्यमान है जिनका घरेलू हिंसा की समस्या से विशेष सम्बन्ध रहा है। भारत के सन्दर्भ में घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण है–

1.पुरुष प्रधान समाज : भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने की वजह से पुरुष अपनी श्रेष्ठता, पुरुषत्व तथा शक्ति स्थापित करने के लिए नारी व बच्चों पर भॉति–भॉति के अत्याचार करता है जिसका मूल कारण भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था कही जा सकती है जिसमें पुरुष का अहम् उसे वर्चस्व स्थापित रखने के लिए ऐसे व्यवहार करने की प्रेरणा देता है जिससे पारिवारिक हिंसा बढ़ती है। पुरुषों के अहम् के कारण ही समाज में एक ऐसा पितृसत्तात्मक ढ़ॉचा खड़ा हो जाता है जिससे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पुरुषा का अधिकार हो जाता है और व्यावहारिक रुप से वह पुरुषों की सम्पत्ति मात्र बनकर रह जाती है ।

2.महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता के कारण जीवनयापन व भरण पोषण के लिए महिलाओं को अपने पति एवं परिवार द्वारा भॉति–भॉति के अत्याचार सहन करने पड़ते है। अशिक्षा को भी घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी कारक कहा जा सकता है, अशिक्षा के कारण महिलाऍं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नही होती वे यह नही जानती कि उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए कौन–कौन से कानून है अशिक्षा उन्हे घर की चारदीवारी में कैद एवं अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर कर देती है इन्ही कारणों से वे अपने सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को पाने से वंचित रह जाती हैं।

3.सामाजिक कुप्रथाऍं यथा बालविवाह, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेद्य, कन्या भ्रूण हत्या नारी हत्या आदि ऐसी है जिसकी शिकार महिलाऍं लम्बे समय से रही है यहॉ तक की इनसे सम्बन्धित होने वाले अन्याय व अत्याचार महिलाओं को चुपचाप सहन करने पड़ते है।

4.पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अमानवीय व संवेदनहीन व्यवहारों तथा अत्याचारों के लिए उत्तरदायी है जब परिवार में पति–पत्नी के स्वभाव में अन्तर होता है तो महिलाओं को पुरुषों के इच्छा अनुसार अपने विचारों और व्यवहारों में परिवपर्तन के लिए बाध्य होना पड़ता है जिससे पति–पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी आती है जिसके कारण परिवार में तनाव बढ़ता है।

5.घरेलू हिंसा का एक कारण महिलाऍं स्वयं है यानि महिलाऍं स्वयं अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा का प्रमुख कारण है क्योंकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं में अधिकांश ने हिंसक व्यवहार को अपने प्रति हिंसा नहीं मानती वे मानसिक रुप से इन व्यवहारों मार–पीट, गाली–गलौच देना व अपमान को सहन करने के लिए तैयार रहती है जिन महिलाओं में जितना अधिक सहनशीलता होती है उनमें घरेलू हिंसा का रुप उतना ही व्यापक होता है। महिलाओं के इस कमजोरी का सम्बन्ध स्वयं भारतीय समाज की उन सांस्कृतिक विशेषताओं से है जिन्होने महिलाओं में पुरुषों से कही ज्यादा सहनशीलता के गुण पैदा कर दिये है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त दहेज प्रथा, वैवाहिक नियम, संयुक्त परिवार, जातिगत व्यवस्था अपराध के प्रति महिलाओं की निष्क्रियता आदि सामाजिक प्रथाओं एवं आर्थिक जटिलताओं ने घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण योगदान दिये है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा (संरक्षण अधिनियम 2005) : महिला सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में केन्द्र सरकार ने यह अधिनियम लागू किया है भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए दण्ड के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए भी अधिनियम के प्रावधान किए गए है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है जो पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा की शिकार है किन्तु विभिन्न अध्ययनों से विदित हुआ है कि अधिकांशतः महिलाओं को आज भी इस क्रियान्वित कानून की जानकारी नही है इस कारण घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले दहेज उत्पीड़न कानून के तहत ही रिर्पोट किये जाते है।

जबकि उल्लेखनीय ह कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधान तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक कठोर है इससे सम्बन्धित मामले गैर जमानती संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आते है जिसमें पुलिस दोषी लोगों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही कर सकती है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 एव दहेज निरोधक अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1886, प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 जैसे अनेक कानून के प्रावधान किये गए है किन्तु भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति कानून बन जाने के बाद भी आज महिलायें हिंसा की शिकार हो रही है। हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिर्पोट में महिला हिंसा में 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। जो केवल एक वर्ष में हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिर्पोट में महिलाओं क विरुद्ध हिंसा से जुड़े मामलो पर चौकाने वाले रिकार्ड सामने आये है आयोग के रिर्पोट के मुताबिक साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की करीब 31000 शिकायते मिली थी जो 2014 के बाद सबसे ज्यादा है इनमें आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य के थे राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ो के मुताबिक 30864 शिकायतों में से अधिकतम 11013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार सम्बन्धित, 6633 मामले घरेलू हिंसा से संबन्धित, दहेज उत्पीड़न से संबन्धित 4589 शिकायते थी जिनमें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश म

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक 15828 शिकायतें दर्ज की गई इन ऑकड़ो से स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति कानून बन जाने के बाद भी आज महिलायें हिंसा का शिकार हो रही है।

घरेलू हिंसा का महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव : आज भी महिलाओं पर हो रहे अपराधों को नहीं रोका जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह हमारे देश का पुरुष प्रधान समाज की सोच है यह मानसिकता लोगों के दिमाग में इस कदर घर कर चुकी है कि लोग इसके चलते आये दिन महिलाओं पर अपराध करते रहते है जिसका महिलाओं के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है और महिलायें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रुप से काफी कमजोर हो जाती है जिससे उनमें सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और वे अनेक अनैतिक कदम उठाने को मजबूर हो जाती है।

1. घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मानसिकता पर नकारात्मक विचार इतना अधिक प्रभावी हो जाते है कि वे हिंसा का सामना करने के लिए अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं पहचान को बदलने का प्रयत्न करने लगती है हिंसा से बचने के लिए वह अपने पहले व्यक्तित्व की छाया मात्र रह जाती है तथा अपने ऊपर हो रहे अत्याचारा का विरोध नहीं कर पाती और अपने अस्तित्व व सम्मान को बनाये रखने में स्वयं को असहाय महसूस करने लगती है जिसके परिणामस्वरुप उनमे एकाकीपन व अपराध बोध जैसी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है जिससे धीरे–धीरे उनका वैयक्तिक विघटन होता चला जाता है और उनका स्थिर जीवन की मुख्य शैली से सम्बन्ध विघटित हो जाता है।
2. भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक स्वरुप के कारण समाज में पुरुष का वर्चस्व प्रधान है पुरुष अपनी इसी वर्चस्व के अहम में महिलाओं को कमजोर और असहाय मानकर उन पर अत्याचार करते है पुरुशों में यह अपेक्षा होती है कि महिलाएँ परिवार में उनके अनुकूल ही व्यवहार करें जब महिला पुरुष के अनुसार कार्य नहीं कर पाती या पुरुष एवं महिला के विचारों में अत्यधिक विभिन्नता होती है तो उनमें असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवार में पति–पत्नी के बीच तनाव इस सीमा तक बढ़ जाता है कि उसका स्वरुप हिंसात्मक हो जाता है जिससे महिलाएँ मानसिक रुप से काफी आहत होती है और वे अपने सम्मान एवं अस्तित्व को परिवार में किसी भी प्रकार न बनाये रख पाने कारण या तो घर छोड़ जाती है या फिर विवाह–विच्छेद या तलाक, आत्महत्या जैसी घटनाओं की तरफ कदम उठा लेती है जिससे उनके परिवार का विघटन हो जाता है।
3. भारतीय समाज में बहुत लम्बे समय से ही पुरुषों एवं महिलाओं के बीच लैंगिक विभेद होता रहा है महिलाओं को नैतिकता और व्यवहार के नियमों के रुप में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह पुरुष सदस्यों यहाँ तक कि अपने भाइयों की तुलना में भी अपने आप को अधीन समझने लगे जिससे वह घर की चहर दीवारी तक ही सीमित रहे और सामाजिक, आर्थिक एवं विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारों से वंचित रहे। इस प्रकार जब महिलाएँ खुद को पुरुषों से कमजोर समझने लगती है तो उनमें हीनता की भावना का विकास होने लगता है जिससे वे अपने अधिकारों और अपने अस्तित्व के लिए कोई कदम नहीं उठा पाती और खुद पर हो रहे अत्याचार को सहन करने के शिवाय और कोई विकल्प उनको नहीं दिखाई देता है।
4. घरेलू हिंसा के कारण जब महिलाओं में नकारात्मकता प्रभावी हो जाती है और परिवार या पति से जब दिन–प्रतिदिन हिंसक प्रक्रिया द्वारा आहत होती है तो उनमें परिवार एवं वैवाहिक सम्बन्धों से धीरे–धीरे भावनात्मक लगाव समाप्त हो जाता है किन्तु इस स्थिति में यदि उन्हे घर के बाहर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति भावनात्मक लगाव का अनुभव प्रतीत होता है तो वे उस लगाव के कारण समाज के मूल्यों के विपरीत अनेक ऐसी विचलित व्यवहार की ओर उन्मुख हो जाती है जिससे उनका जीवन और भी असुरक्षित हो जाता है।

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा का कोई एक कारण नही है यह अनेक कारणों का परिणाम ह सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि जिस परिवार की रचना में महिलाओं की भूमिका अद्वितीय होती है आज महिलायें उसी परिवार में हिंसा की शिकार है, जबकि समाज के अनेक स्वयसेवी संगठन एन0जी0ओ0 और सरकार द्वारा घरेलू हिसा को रोकने के लिए अनेक प्रयत्न किये जा रहे घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनाये जा रहे फिर भी महिलायें आज पहले से ज्यादा हिंसा की शिकार हो रही है क्योकि ये कानून वैद्यानिक रुप से तो बना दिये गये हैं किन्तु इनका व्यवहारिक पक्ष अभी उतना प्रभावी नहीं हो पाये है।

सन्दर्भ :

1. देसाई मीरा, 1957, वोमेन इन मार्डन इण्डिया, व्होरा एण्ड कं0 पब्लिकेशन, बम्बई
2. सिंह, अमिता, 2020, जेन्डर एण्ड सोसायटी
3. गुप्ता, कमलेश कुमार, 2005, भारतीय महिलायें शोषण उत्पीड़न एवं अधिकार
4. अग्रवाल, जी0 के0, 2021, सामाजिक विघटन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 73-76

एकात्म मानववाद

डॉ0 आलोक कुमार गुप्ता*

*असि0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, नवल्स पी0जी0 कालेज, कुसम्ही, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : 'एकात्म मानववाद' का अविर्भाव एक ऐतिहासिक विचार श्रृंखला की कड़ी के रूप में हुआ, जिसकी नूतन कड़ी पं0 दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत् 'एकात्म मानववाद' है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि में, भारत में विचार मंथन की प्रक्रिया को भारतीय राजनीतिक दर्शन की संकलित प्रयत्न की दिशा में चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत का अपना एक विशेषता है कि वह भिन्न–भिन्न मानवीय एवं सांस्कृतिक धाराओं को अपने में समाविष्ट कर लेता है। जिसमें राजाराम मोहन राय से लेकर पं0 दीनदयाल उपाध्याय तक का पाश्चात्य एवं भारतीय जीवन दर्शन, व्यवहार एवं तत्वज्ञान का संघर्षपूर्ण कालखण्ड का वैचारिक विशिष्टता सम्पन्न नवरसायन स्वरूप 'एकात्म मानववाद' भारतीय प्रखर मेधा का प्रतिनिधित्व करता है। वह भारत को भारत बनाए रखना चाहती है पर दुनिया से कट कर नहीं, जो भारत को आधुनिक बनाना चाहती है पर पश्चिम की प्रतिकृति नहीं, जो जागतिक ज्ञान–विज्ञान का उत्कर्ष चाहती है पर अध्यात्म को छोड़कर नही, जो संसार के नूतन प्रयोगों में योगदान करना चाहती है पर स्वयं को भूल कर नहीं।

मुख्य शब्द : एकात्म मानववाद, भारतीय राजनीतिक दर्शन, भारतीय जीवन दर्शन, तत्वज्ञान, अध्यात्म आदि।

वैचारिक मतभेद तो केवल तत्वों के अनुपात एवं प्रक्रिया का है। कुछ भारत को अविराम भारत एवं दुनिया को कमतर बनाना चाहते है, तो कुछ दुनिया बनाने के आग्रह में अतिशय भारत तत्व पर कमतर बल देने के आकांक्षी है। किसी की आधुनिकता पर ज्यादा जोर है तो किसी की मौलिकता पर, किसी का अध्यात्म पर ज्यादा जोर है तो किसी का पदार्थवाद पर, किसी को नये प्रयोग का बहुत उत्साह है तो किसी को प्राचीनता का ज्यादा आकर्षण है। इन समस्त वैचारिक मतभेदों को अपने में समाविष्ट कर चलने की आकांक्षा हर भारतीय चिंतक का रहा है। सफलता तो किसी को नहीं मिली क्योंकि प्रत्येक का अपना–अपना आग्रह भी रहा है।[1] उनकी दृष्टि में "विश्व का ज्ञान हमारी थाती है। मानव जाति का अनुभव हमारी सम्पत्ति है। विज्ञान किसी देश विशेष की जागीर नही, वह हमारे भी अभ्युदय का साधन बनेगा, किन्तु भारत हमारी रंगभूमि है। भारत की कोटिशः जनता पात्र ही नहीं प्रेक्षक भी है। जिसके रंजन एवं आत्मसुख हेतु हमें सभी भूमिकाओं का निर्धारण करना है। विश्वोन्नति के हम द्रष्टा ही नही, अपितु साधक भी है। अतः जहाँ एक ओर हमारी दृष्टि विश्व की उपलब्धियों पर हो, वही दूसरी तरफ हम अपने राष्ट्र की मूल प्रकृति, प्रतिभा एवं प्रवृत्ति को पहचान कर अपनी परम्परा और परिस्थिति के अनुरूप भविष्य के विकास क्रम का निर्धारण करने की अनिवार्यता को भी न भूले। 'स्व' के साक्षात्कार के बिना न तो स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है और न वह कर्म चेतना ही जाग्रत हो सकती है जिसमें परावलम्बन एवं पराभूति का भाव न होकर स्वाधीनता, स्वेच्छा और स्वानुभवजनित सुख हो। अज्ञान, अभाव तथा अन्याय की परिसमाप्ति और सुदृढ़, सुसंस्कृत एवं सुखी राष्ट्र जीवन का शुभारम्भ सबके द्वारा स्वेच्छा से किये जाने वाले कठोर श्रम तथा सहयोग पर निर्भर है।"[2] वास्तव में पाश्चात्य प्रयोगों में लौकिक जीवन की विशेषता के भारतीयकरण की प्रक्रिया का परिणाम ही पं0दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' है। उन्होंने पाश्चात्य जीवन की श्रेष्ठता को चैतन्य होकर स्वीकार किया है ताकि हम उसकी विकृति से प्रभावित न हो। उनका मत है कि पश्चिम के माह में लोग उसकी विकृति को ध्यान नहीं दे रहे है, वरन् भारत को पश्चिम की अनुकृति बना रहे हैं जिससे समाज में एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रहा है। इसलिए वे पाश्चात्य जीवन के अन्धानुकरण के प्रबल विरोधी है परन्तु वे सभी मानव प्रयत्नों का सम्मान करते हुए नूतन प्रयोगों में उनका उपभोग करना चाहते है।

पं0दीनदयाल उपाध्याय अटल विश्वास रखते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के सम्बन्ध में कहते है कि, "हिन्दमहासागर और हिमालय के परिवेष्टित भारतखण्ड में जब तक एकरसता, कर्मठता, समानता, सम्पन्नता, ज्ञानवता, सुख और शांति की सप्तजाह्नवो का पुण्य प्रवाह नही ला पाते, हमारा भगीरथ तप पूरा नहीं होगा।"[3] अपने राष्ट्रीय स्वत्व के साथ मानव सभ्यता की बेगवती धारा को समृद्ध करने की मनःस्थिति से जिस भारतीय संस्कृति को अपने चिंतन का आधार बनाया वही आधार स्वरूप 'एकात्म मानववाद' के रूप में प्रस्फुटित हुआ।

'एकात्म मानववाद' पं0दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन का वह फलश्रुति है जिसके रूप में उन्होंने भारत के नूतन निर्माण का स्वप्न देखा। इस दृष्टि से उनका चिंतन सांस्कृतिक है, क्योंकि मूलरूप में वे एक राजनीतिक न होकर समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के संवाहक एवं जनसंघ के सजग प्रहरी थे। उनकी स्वाभाविक आस्था थी कि भारतीय संस्कृति, जो कि हिन्दू संस्कृति है उसके अनुकूल ही भारत का नूतन निर्माण होना चाहिए। पं0दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर यथास्थिति के सम्बन्ध में लिखा है कि, "हमने अपनी प्राचीन संस्कृति पर विचार किया है किन्तु हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं है जो किसी पुरातत्व संग्रहालय के संरक्षक बन कर बैठ जाये। हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं अपितु उसे गति देकर सजीव तथा सक्षम बनाना है। हमें अनेक रूढ़ियों को छोड़कर बहुत से सुधार करने होंगे।..... व्यवस्था का केन्द्र मानव होगा। भौतिक उपकरण उस मानव के सुख के साधन होंगे साध्य नहीं। मानव की परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, सृष्टि और परमेष्टि से आत्मीय एकात्मकता होगी तथा मानव इन सभी से सह–अस्तित्व स्थापित करेगा।"[4]

पं0दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि रूढ़िवादी न होकर प्रगतिगामी थी। साथ ही उनकी दृष्टि भारतीय प्रकृति में समन्वयवादी थी। वे किसी विदेशी विचार को न तो एकदम हेय ही समझते थे, न ही हर स्वदेशी चीज को वरेण्य। इस सम्बन्ध में उनका ध्येय सूत्र था कि "हम मानव के ज्ञान और उपलब्धियों का संकलित विचार करें। इन तत्वों में जो हमारा है उसे युगानुकूल और जो बाहर का है उसे देशानुकूल ढ़ालकर हम आगे चलने का विचार करें।"[5]

यद्यपि समन्वयात्मक विचार–यात्रा में ही 'एकात्म मानववाद' का अभ्युदय हुआ। पं0दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना है कि "हमें ज्ञान का आदान–प्रदान विश्व के प्रत्येक देश स करने मे कोई संकोच नही होना चाहिए पर ऐसा करते समय हमें अपने जीवनमूल्यों को स्मरण रखना होगा।"[6] पं0दीनदयाल उपाध्याय जी ने बम्बई के अपने ऐतिहासिक भाषण में भी 'एकात्म मानववाद' की भावपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत किया है, "विश्व का ज्ञान और आज तक की सम्पूण परम्परा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेगे, जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ, सम्पूर्ण मानवता ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मकता का साक्षात्कार कर 'नर से नारायण' बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत, दैवी तथा प्रवहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व–मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। भगवान हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य में सफल हो, यही प्रार्थना है।"[7]

यद्यपि 'एकात्मता' भारतीय संस्कृति का केन्द्रस्थ विचार है। जिसमें पं0 दीनदयाल उपाध्याय का विचार 'एकात्म दर्शन' है किन्तु वह 'दर्शन' 'मानव' के लिए है। वे मानव को ईश्वर के विरूद्ध नहीं और न ही यंत्रवत् वरन् एक सम्पूर्ण एवं संवेदनशील इकाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहते है।[8] पं0दीनदयाल उपाध्याय जी ने 'एकात्म मानववाद' में व्यष्टि एवं समष्टि के पूरक सम्बन्धों को व्याख्यायित करते हुए लिखा है कि "व्यष्टि के बिना समष्टि की कल्पना करना भी सम्भव नहीं है, समष्टि के बिना व्यष्टि का मूल्य शून्यप्राय है। व्यष्टि ही समष्टि के उपकरण एवं ज्ञान तन्तु हैं। व्यष्टि के नश्ट होने से समष्टि का पंगु हो जाना स्वाभाविक है। समष्टि की पूर्णता का माध्यम और माप व्यष्टि ही होता है। अतः इसकी साधना समष्टि की आराधना से अलग नहीं हो सकती। शरीर के अभाव में किसी अंग की पूर्णता की कल्पना वैसे ही सम्भव प्रतीत नहीं होता जैसे कि शरीर को क्षति पहुँचाकर किसी अंग का सुख। फूल के अस्तित्व के पंखुड़ियों की शोभा बनाने में है तथा जीवन की साथर्कता पुष्प के साथ रहकर उसके स्वस्थ स्वरूप को बनाये रखने एवं उसे निखारने में ही है।[9] पं0दीनदयाल उपाध्याय की दृश्टि में व्यष्टि एवं समष्टि में विरोधाभास एक भूल है। मूलतः सत्य तो यह है कि व्यष्टि एवं समष्टि परस्पर अलग नहीं है। व्यष्टि का समष्टि के प्रति समपर्ण अत्यन्त आवश्यक है। परस्पर समपर्ण फलस्वरूप ही यह विकसित चेतना है जिसके हितों में विरोध नहीं, वरन् पूरकता होती है, समन्वय रहता है। व्यष्टि बिन्दु का विकास ही मानवता तक के सर्पिल या मण्डलाकार जीवन प्रक्रिया से हुआ है।[10] पं0दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति को 'शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय' मानते है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अभाव में व्यक्ति की सुखानुभूति एवं व्यक्तित्व का विकास असम्भव है। व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति अत्यन्त आवश्यक है। जिसकी पूर्ति आजीविका के साधन, शांति, ज्ञान एवं तादात्म्य–भाव से ही सम्भव है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रबल इच्छा ही उसे समाज के हित में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करती है।[11]

पं0 दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि में, समाज एवं परिवार की उत्तम धारणा तथा सामान्य जीवन यापन हेतु समाज के जनसामान्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। ऐहिक सम्पन्नता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की व्यवस्था समाज की नींव से होनी चाहिए। इन सब प्रकार की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नीचे के स्तर से प्रारम्भ करके ही ऊपर के लोगों को व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए ऊपर के जो लोग है, उनको मानव की सहज आवश्यकताओं में कुछ संयम रखना पड़े तो रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी को किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। परन्तु चारित्र्य निर्माण का काम तो इससे उल्टा ही चलता है। आज सम्पूर्ण समाज में जो लोग कुलीन वर्ग के है, उनसे यह संयम, सादगी तथा सदाचार का जीवन प्रारम्भ होकर समाज की नींव तक, धीरे–धीरे निर्झर झरता चला जाये, ऐसा जीवन बनाने की आवश्यकता है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय मानव जीवन को अर्थ–काम प्रधान मानते है। अर्थ प्राप्ति के बाद उसकी रक्षा और सम्बर्द्धन आवश्यक हो गया है। आवश्यक इसलिए है कि आज तक इच्छाओं की पूर्ति से कोई सन्तुष्ट नहीं हुआ है।इसी कारण इच्छाओं की तुष्टि हेतु अधिकाधिक साधन जुटाना, संग्रह करना, दूसरे की भूमि पर प्रहार कर उसके धन का अपहरण करना, यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। संसार मे चलने वाला उपभोगवाद इसी का परिणाम है। प्राचीनकाल में भी महापुरूषों ने सामंजस्यपूर्ण विवेचन करके कहा कि केवल अर्थ–काम की उपासना करना पशुवत् जीवन है, लेकिन अर्थ–काम से सर्वथा मुक्त होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उसकी चाह तो प्रत्येक मनुष्य में थोड़ी बहुत मात्रा में रहेगी ही रहेगी। परन्तु उसके द्वारा जीवन में असुरता न आ जाए, इसका उपाय ढूढ़ने की भी आवश्यकता है।

पं0दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है कि भोग से इच्छा कभी सन्तुष्ट नही होती है जिन वस्तुओं के संग्रह करके मनुष्य सुख ढ़ढ़ने की इच्छा करता है उन वस्तुओं में तो सुख देने की किंचित क्षमता ही नही होती है। वास्तव में सुख तो अपने पास है, बाहर से कुछ भी नही मिलता। हम तो अपने अज्ञानता के कारण यह कहते है कि उक्त वस्तु में सुख की अनुभूति है, किन्तु वास्तविकता तो यह होती है कि हम उस वस्तु को अभिप्राय बनाकर अपने ही आत्मिक महासागर के सुख को चखते है। इसी कारण यह कहा गया है कि बाहर किसी वस्तु में सुख निहित नही है, सुख तो अपनी अन्तरात्मा में संचित है। **"मुनष्य शरीरं सत्चित सुखम्"** अर्थात् शरीर सत्य है, चेतनामय है, सुखमय है। हम अपने भीतर का ही सुख भोगते है तथा वाह्य वस्तु पर उसका प्रदर्शन करते है। वस्तुतः यह ज्ञातव्य है कि धर्म की जो प्रचलित एवं प्रसिद्ध व्याख्या की गयी है कि, "जो समाज की धारणा करता है, समाज को सुव्यवस्था से रखता है, समाज के सभी प्रकार के लोगों को ठीक अपने–अपने काया में लगाता हुआ समग्र समाज के अभ्युदय के लिए, रक्षा के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए, सबके द्वारा परस्पर पूरकता से कर्म करवाने की जिसके अन्दर क्षमता है, वही धर्म है। ..... मन को संयमित कर, सुव्यवस्थित जीवन का निर्माण करे। अपने को सब प्रकार के

अवगुणों से परावृत, पराङ्गमुख एवं निवृत्त करता हुआ, बुद्धि को नियंत्रित करे। इस प्रकार का संयमित जीवन जीना भी एक धर्माचरण है।

अतएव धर्म ही राष्ट्र की बुद्धि है। जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र उत्तरोत्तर विकसित होते है। भूमि, जन, और संस्कृति इन तीनों तत्वों के संघात से उत्पन्न राष्ट्र की रक्षा अभिवृद्धि एवं समृद्धि जिन व्यवहारों से हो उनका अधिष्ठान ही धर्म है। धर्म से ही धारणा होती है। इससे ही अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। व्यष्टि से समष्टि के हितों का सामंजस्य भी धर्म से ही होता है। "धर्म तो एक व्यापक चीज है। यह जीवन के समस्त पहलुओं से सम्बन्ध रखने वाला है। जिससे समाज की धारणा होती है। उससे आगे बढ़े तो सृष्टि की भी धारणा होती है। यह धारणा करने वाली जो तत्व है, वही धर्म है।"

अधिकांशतः धर्म को मत या मजहब मानकर इसका गलत अर्थ लगाया जाता है। 'धर्म' तो अंग्रेजी भाषा के 'रिलीजन' का हिन्दी रूपान्तरण है। जिसका वास्तविक अर्थ वे सनातन नियम है जिनका पालन कर वह अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करता है। अतः धर्म का मूल तत्व तो सनातन है, किन्तु उसका विवरण देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। इस परिवर्तनशील संसार में धर्म ही वह परम तत्व है, जो स्थिरता लाता है। इसलिए धर्म को ही नियामक माना गया है, जिसमें समस्त प्रभुता निहित है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना है कि "अपने भीतर के अनेक गुणावगुणों, विकारों को भली–भांति नियंत्रित करके मानसिक सुव्यवस्था का निर्माण करना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस धर्म को अपने जीवन का आधार मानकर इसके अनुरूप अर्थ काम को नियोजित कर इस धर्म के सद्गुण–सम्पन्न जीवन का पूरी तरह से अपने भीतर अनुसंधान करते हुए परम लक्ष्य की नित्य उपासना करते हुए अन्तिम पुरूषार्थ–मोक्ष–की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना मनुष्य जीवन का सार है। यही परिपूर्ण मानव की कल्पना है। अर्थ–काम मात्र ही जिसके जीवन में है, वह अपूर्ण एवं विशृंखलित है। समाज की धारणा का विचार करने वाला, समाज पर आंच न आये– ऐसा गुणोत्कर्ष रखने वाला, समाज में विकृति उत्पन्न न हो– इस मात्रा में अर्थोपार्जन और कामोभोग को मर्यादित करने वाला, और फिर संयमित एवं एकाग्रचित्त अन्तकरण से अपने मनोनुकूल किसी भी प्रकार की उपासना पद्धति अथवा सम्प्रदाय का अवलम्बन कर, ईश्वर की किसी भी मूर्ति की उपासना द्वारा अंतिम लक्ष्य रूपी पुरूषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का सतत् प्रयत्न करने वाला ही परिपूर्ण मानव है, व्यवस्थित मानव है।

पं0दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रकृति, व्यक्ति तथा समाज के सहज सत्यों के विषय में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा संस्कृति के तत्वों के निष्कर्ष पर 'एकात्म मानववाद' की अन्तर्निहित प्रवृत्तियों को विवेचित किया। एकात्मकता, समग्रता, पूरकता तथा आत्मीयता की अभिधारणाओं में वे सत्य का दर्शन करते है। वस्तुतः जड़वाद के अधिष्ठान पर रचित संघर्ष, स्पर्धा, स्वतत्रता, समानता एवं बन्धुता की पृष्ठिभूमि पर ही उन्होंने अपनी एकात्मवादी अभिधारणा को विवेचित किया है। एक बौद्धिक वर्ग में 'एकात्म मानववाद' की व्याख्या करते हुए वे कहते है कि, "स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुता एक ही तत्व में अन्तर्निहित है, जिसे 'आत्मीयता' कहते है। मानव की आध्यात्मिक चेतना ही उसे समग्रता एवं पूरकता देती है। इस दृष्टि का चेतन तत्व 'आत्मीयता' है। हम किसी का 'पूरक' बनकर उस पर उपकार नहीं करते अपितु अपने आत्मीयजन के सहयोग का सुख प्राप्त करते है। 'सहानुभूति' मानवता का गुण है, 'आत्मीयता' के कारण ही सहानुभूति होती है।

पं0दीनदयाल उपाध्याय चतुष्ट्य पुरूषार्थों की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इसे तरूणोपाय की संज्ञा प्रदान की है 'धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरूषार्थों पर आधारित हिन्दू जीवन दर्शन ही हमें संकट से रक्षा कर सकता है। विश्व की समस्त समस्याओं का हल समाजवाद नही, हिन्दुत्ववाद है। यही ऐसा जीवन दर्शन है जो जीवन का विचार करते समय उसे टुकड़ो में विभक्त नहीं करता, अपितु सम्पूर्ण जीवन को एक ईकाई मानकर उसका विचार करता है। इसलिए समस्त व्यवस्था का हल 'एकात्म मानववाद' में समाहित है। इस प्रकार समन्वयात्मक, संगठित एवं एकात्मवादी कल्पना में व्यक्ति का व्यक्तित्व विभक्त नही हुआ। इस चतुष्ट्य पुरूषार्थ ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक क्षमतानुसार अपना जीवनादर्श चुनने का अवसर दिया और साथ ही उनके व्यक्तित्व को खण्डित नहीं होने दिया।

वस्तुतः 'एकात्म मानववाद' भारतीय संस्कृति का नूतन वैश्विक विचार प्रवाह का एक युगानुकूल व्याख्या है। पं0दीनदयाल उपाध्याय इसे भारतीय जीवन दर्शन की युगानुकूल व्याख्या करने का एक अभिनव प्रयास मानते है। 'एकात्म मानववाद' के तात्विक सार को पं0दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया है कि, ''हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र 'मानव' होना चाहिए। जो 'यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' के न्यायानुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में, भिन्न रूचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव शरीर, मन, बुद्धि व आत्मायुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरूषार्थ चातुष्ट्यशील, पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार 'एकात्म मानव' है जो एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। 'एकात्म मानववाद' के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।"

यह नितान्त स्पष्ट है कि आधुनिक युग की विभाजक प्रवृत्तियों, मानवीय समस्याओं, त्रासदियों एवं विषमताओं से निजात का एक ऐसा दिक्सूचक दृष्टिकोण एकात्म मानववाद है, जो प्राचीन भारतीय आदर्शों पर अवलम्बित है, किन्तु युगानुकूल सादृश्यता हेतु इनकी अभिव्यञ्जना नूतन स्वरूप में की गयी है। यह सादृश्य रूप में विचारधारा वैश्विक दृष्टि एवं जीवनानुभूति है। यह अवश्य ही सामष्टिक जीवन–दर्शन का एक महत्त्वाकांक्षी प्रत्याशा है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय महामनीशी, ऋषि द्रष्टा थे जिनके सम्मुख राष्ट्र एवं जनमन की मंगल कामना का भाव ही सर्वोपरि था। उनके जीवनोद्देश्य में सम्पूर्ण सष्टि एवं ब्रह्माण्ड के कल्याण का भाव निहित है जिसका सारस्वरूप स्तवन 'एकात्म मानववाद' है जो वर्तमान में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के व्यापक दृश्टिकोण को आत्मसात् करता है।

सन्दर्भ

1. पं0 दीनदयाल उपाध्यायः विचार दर्शन, खण्ड–7 व्यक्ति दर्शन, विश्वनाथ नारायण देवधर, सरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ0–75
2. डॉ0 महेश चन्द्र शर्मा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय : कर्तृत्व एवं विचार, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2015, पृ0–371
3. एकात्म मानव दर्शनः दीनदयाल उपाध्याय, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ0–75–76
4. पाञ्चजन्यः 21 फरवरी 1966, पृ0–10
5. एकात्म मानव दर्शनः दीनदयाल उपाध्याय, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ0–16
6. पाञ्चजन्यः 5 अक्टूबर 2015, पृ0–473
7. डॉ0 योगेश कुमार शर्मा, आधुनिक राजनीतिक विचारक, भाग–2 (आधुनिक स्वातंत्र्योत्तर) कनिष्ठा पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2001, पृ0–473
8. पं0 दीनदयाल उपाध्यायः विचार दर्शन, खण्ड–7 व्यक्ति दर्शन, विश्वनाथ नारायण देवधर, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ0–73
9. पं0 दीनदयाल उपाध्याय : विचार दर्शन, खण्ड–7 व्यक्ति दर्शन, विश्वनाथ नारायण देवधर, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ0–75
10. डॉ0 महेश चन्द्र शर्मा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय : कर्तृत्व एवं विचार, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2015, पृ0–373
11. डॉ0 महेश चन्द्र शर्मा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय : कर्तृत्व एवं विचार, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2015, पृ0–357

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 77-79

सुशासन के प्रमुख तत्व : एक अध्ययन

सुधीर कुमार यादव*

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, गनपत सहाय पी0जी0 कॉलेज, सुलतानपुर

सारांश : सुशासन का सर्वोच्च लक्ष्य आम जनमानस का कल्याण होता है। सुशासन एक मूल्ययुक्त एवं व्यक्तिपरक अवधारणा है। सुशासन देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक घटक है। लोगों के बहुआयामी हितों ने प्रशासन के क्षेत्र तथा दायरे को बढ़ा दिया है। सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है जो न केवल शासन को मार्ग पर भटकन से रोकता है, अपितु उसे जनोन्मुखी भी बनाता है। लोग सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कामकाजों के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कर सकने में समर्थ हों, इसके लिए उन तक अपेक्षित सूचनाओं के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना परमावश्यक है।

मुख्य शब्द : सुशासन, सभ्यता, विधि, अल्पसंख्यक, लोकतन्त्र आदि।

प्रो0 डोनहम ने सही कहा है–'' यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, तो यह मुख्यतः हमारे प्रशासन की असफलता के कारण होगा।'' प्रशासन के बढ़ते हुए अधिकार, कार्य तथा जवाबदेही ने इसके उत्तरदायित्वों को बढ़ा दिया है, साथ ही साथ लोगों की अपेक्षाएं भी तेजी से बढ़ रही है और इस प्रकार प्रशासन का सम्बन्ध लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों से हो गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विद्वानों, प्रशासनिक सुधार आयोगों आर नेताओं के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से सुशासन के तत्वों को निर्धारित किया गया है, लेकिन इस तथ्य पर आम सहमति है कि प्रशासन को नागरिक–केन्द्रित होना चाहिए। सुशासन के प्रमुख तत्वों को निम्न रूप में विश्लेषित किया जा सकता है–

विधि का शासन : सुशासन की प्राप्ति के लिए विधि का शासन एक अनिवार्य भार्त है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने अपने समकालीन 158 संविधानों का अध्ययन किया और निश्कर्श निकाला कि एक आदर्श राज्य में शासन करने का सबसे अच्छा माध्यम 'विधि का शासन' है। विधि का शासन केवल नागरिकों की स्वतन्त्रता की गारण्टी ही नहीं है बल्कि यह सरकार की स्वेच्छाचारिता को भी नियंत्रित करता है। किसी भी व्यक्ति को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अलावा जीवन तथा स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। **सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य' के मामले में बहुमत से निर्णय देते हुए' विधि के शासन' तथा 'लोकतन्त्र' को भारतीय संविधान का आधारभूत सिद्धान्त घोषित किया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद–368 के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।** विधि का शासन समाज के सभी वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। सुशासन की अवधारणा निःसन्दह नागरिकों के जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रसन्नता के अधिकार से सम्बन्धित है, इसे लोकतन्त्र में केवल 'विधि के शासन' द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कानून को निष्पक्ष ढंग से लागू करने के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका के साथ निष्पक्ष एवं ईमानदार एजेन्सी की भी आव यकता होती है।[1]

कानून एवं व्यवस्था : कानून के शासन की अनिवार्यता के साथ–साथ कानून–व्यवस्था को बनाए रखना सुशासन का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। एक बेहतर कानून–व्यवस्था जनमानस के लिए एक अच्छे समाज तथा अच्छे माहौल का निर्माण करती है। सभी नागरिकों को कानून–व्यवस्था को बनाए रखने में शासन–प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कर्त्तव्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना है। कौटिल्य कहते हैं'' यदि नागरिकों की सम्पत्ति चोरों द्वारा चुरा ली जाती है, यदि राजा इसे वापस नहीं ला सकता है, तो उसे अपने निजी कोष से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।''[2] कौटिल्य का यह कथन वर्तमान समय में राजनीतिज्ञों को एक अच्छा संदेश देता है। कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है, इसके लिए आम लोगों के जीवन–स्तर में सुधार किया जाना चाहिए तथा आर्थिक असमानता को यथासम्भव कम किया जाना चाहिए। कानून–व्यवस्था की नींव पर ही सुशासन का भवन खड़ा किया जा सकता है।

सहभागिता : स्त्री–पुरूष दोनों की सहभागिता सुशासन की मुख्य आधारशिला है। सामाजिक निर्णयों में भागीदारी करने वाले लोगों की योग्यता एक अच्छे समाज की मूल्यवान विशेषता मानी जाती है। वास्तव में जनसहभागिता सामाजिक मूल्यों को पहचान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जनता में समझ पैदा करती है।[3] सहभागिता को सूचित एवं संगठित करने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों की समान भागीदारी लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ है। जन भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में जनता न केवल सरकारों अथवा संस्थाओं बल्कि अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में अधिक शिक्षित एव जागरूक बनती है।

पारदर्शिता : स्वच्छ, स्वस्थ व संवेदनशील प्रशासन के लिए आवश्यक है कि शासन व प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता पाई जाए, इसलिए सुशासन हेतु खुलापन, सहभागिता, सूचना के अधिकार, नागरिक घोषणा पत्र व सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रभावी बल दिया जा रहा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बुडरो विल्सन के शब्दों में ''मेरा एक विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह खुला होना चाहिए न कि गोपनीय। मैं अपनी ओर से यह मानता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ वह सब कुछ किया जा सके जिसके बारे म कोई कुछ नहीं जानता हो।'' सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है जो न केवल शासन को मार्ग पर भटकने से रोकता है, अपितु उसे जनोन्मुखी

भी बनाता है। लोग सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कामकाजों के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कर सकने में समर्थ हों, इसके लिए उन तक अपेक्षित सूचनाओं के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना परमावश्यक है।

प्रभावभीलता और दक्षता : सुशासन प्रभावभीलता और दक्षता की मांग करता है अर्थात् प्रक्रियाओं और संस्थाओं द्वारा ऐसे परिणाम निकाले जायें जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हों और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करते हों। दक्षता न्यूनतम समय, श्रम व संसाधन में अधिकतम लाभ की प्रेरणा प्रदान करता है और इस प्रकार यह सतत् विकास की अवधारणा का पूरक है। दक्षता और प्रभावशीलता का उचित समन्वय होना आवश्यक है। सुशासन के सन्दर्भ में दक्षता का अभिप्राय है कि'' यह प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करती है और पर्यावरण की रक्षा करती है।''[4]

सुशासन उपलब्ध संसाधनों के दक्ष उपयोग के द्वारा, संसाधनों के निर्वहनीय उपयोग द्वारा और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए समाज की आव यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। निहित स्वार्थों की ओर से पर्यावरण पर और समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकास परियोजनाओं के पक्ष में डाले जा रहे दबावों का जब शासन के तौर–तरीके प्रभावी मुकाबला करते हैं तभी सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है।

समतामूलक एवं समावेशी : एक समाज की भलाई यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि उसके सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि उनकी उसमें हिस्सेदारी है और समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग–थलग महसूस नहीं करते हैं। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सभी सदस्य समान हों तथा उनको अपनी खुशहाली बढ़ाने, अपनी क्षमताओं को यथासम्भव विकसित करने, गरिमा और स्वतन्त्रता के साथ आजीविका के साधन प्राप्त करने, समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो। तभी सभी लोग यह महसूस कर सकेंगे कि समुदाय से वे भी जुड़े हुए हैं और कोई भी स्वयं का समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस नहीं करेगा और समाज का कल्याण भी सुनिश्चित हो सकेगा। सदियों पुरान पूर्वाग्रह तथा शोषणमूलक आर्थिक और सामाजिक संगठन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को जन्म देते हैं ओर समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर धकेल देते हैं। शासन की सफलता ऐसे पूर्वाग्रहों, कार्यकलापों और विचारों को बदलने की उसकी क्षमता में निहित होती है ताकि ऐसा सामाजिक परिवर्तन आए जो एक समतामूलक और समावेशी समाज की ओर ले जाए। समावेशन की यह प्रक्रिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ–साथ कमजोर वर्ग के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है।

उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही : सुशासन की अवधारणा में इसका केन्द्रीय स्थान है। जवाबदही सुशासन की मुख्य आवश्यकता है, न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को भी जनता एवं उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सामान्य तौर पर एक संगठन या संस्थान उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जो इसके निर्णयों ओर कार्यों से प्रभावित होंगे। पारदर्शिता और कानून के शासन के बिना जवाबदेही को लागू नहीं किया जा सकता है। बहुत कम देश और समाज अपनी समग्रता में सुशासन प्राप्त करने के करीब आए हैं। हालांकि सतत् मानव विकास को सुनिश्चित के लिए इसे आदर्श बनाने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि इसे वास्तविक रूप में प्राप्त किया जा सके। जवाबदेही की अवधारणा संभवतः एक मात्र महत्वपूर्ण कारक है जो नागरिकों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्रियाकलापों एवं भागीदारी से शासक वर्ग को नियन्त्रण में रखती है। उत्तरदायित्व को जन संतुष्टिकरण एवं सेवाओं के जवाबदेही पूर्ण वितरण के व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए।''[5]

ईमानदारी : ईमानदारी सुशासन की नींव होती है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग और अभिकर्त्ता जो राज्य संस्थाना को चलाते हैं, ईमानदार नहीं होंगे, सुशासन स्वप्न साबित होगा। सामान्य तौर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ बेईमानी के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि आम आदमी भी ईमानदार नहीं है, कर्मचारियों पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया जाता है, किन्तु कई बार लोग अपने गैर–कानूनी कार्यों को करने के लिए रिश्वत का प्रस्ताव देते हैं। कई बार तो कर्मचारियों को रिश्वत स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। दोनों पक्षों को ईमानदार होना चाहिए तभी सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है।

नेतृत्व के लिए भी ईमानदारी आवश्यक है। बड़े नेताओं एवं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार एवं भाई–भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। हालिया वर्षों में सी0बी0आई0 नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जाँच के बोझ तले दब गयी है। इस प्रकार के नेता और सरकारें सुशासन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? कुल मिलाकर, ईमानदारी के सन्दर्भ में आम आदमी का मनोबल गिर चुका है। इसलिए यह वर्तमान समय की मांग है कि नेता और प्रशासकगण को लोगों के समक्ष ईमानदारी का उदाहरण पेश करना चाहिए जिससे लोगों के अन्दर ईमानदारी को लेकर आत्मविश्वास गहरा सके। इस बात पर व्यापक रूप से सहमति है कि कुशलता एवं ईमानदारी की कमी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है और संगठनात्मक प्रभावशीलता को कम करती है।''[6]

भ्रष्टाचार मुक्त शासन : वर्तमान समय में भ्रष्टाचार को सुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यह लोकतन्त्र तथा विकास के लिए हानिकारक है। सुशासन और भ्रष्टाचार दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। प्रत्येक विकासशील देश में सिविल सेवा में भ्रष्टाचार एक सामान्य घटना मानी जाती है और भारत देश भी इसका अपवाद नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्स में प्रवेश कर चुका है। वास्तव में, यह जीवन का एक तरीका बन चुका है, इतना अधिक कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह लाइसेन्स लेना हो या शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेना हो या भर्ती अथवा अपने स्थानान्तरण के लिए प्रयास करना हो यह सब इन दिनों एक उद्योग बन गया है। विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों के बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों की जननी है।[7] काला धन तेजी से सफेद धन में बदला जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने अपने

पहले कार्यकाल (2014–19) में नोटबन्दी का बड़ा निर्णय लेकर कालेधन पर प्रहार किया था, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार के नए–नए तरीके खोज लिए जाते हैं।

हमारे देश में अपराधों की जाँच करने वाली एजेन्सियाँ भी पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है, उनमें अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। ये एजेन्सियाँ अपने स्तर से जाँच प्रारम्भ नहीं कर सकती हैं, जब सरकार द्वारा उनको अनुमति दी जाती है, तभी वे अपनी जाँच शुरू करती हैं। 'कोयला ब्लॉक आवण्टन घोटाला मामले' में सी0बी0आई0 जाँच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जाँच एजेन्सी दोनों को कड़ी फटकार लगायी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी0बी0आई0 पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विभिन्न जाँच एजेन्सियों को अधिकार सम्पन्न बनाए और उनके क्रियाकलाप में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकें। भ्रष्टाचार की बुराई की समाप्ति के लिए लोगों के अधिकार में वृद्धि आवश्यक है, लोगों की जानकारी में वृद्धि की जानी चाहिए। लोगों को शिक्षा एवं सूचना प्राप्ति के जो अधिकार मिले ह, उन्हें वास्तविक रूप में लागू किया जाना आवश्यक है। भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही आवश्यक है, जिसके लिए वर्तमान कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र एवं अनिवार्य रूप से दण्डित करने की व्यवस्था करनी होगी।

महिला सशक्तीकरण : किसी भी समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाना और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना सरकार का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। सशक्तीकरण का तात्पर्य किसी को अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही नहीं है बल्कि निर्णय–निर्माण में भी उसको शामिल किया जाना चाहिए। निःसंदेह कई संवैधानिक तथा सरकारी प्रयासों के बावजूद महिलाओं को आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। महिलाएं अपने अधिकारों तथा अवसरों का उपयोग केवल कागजों पर ही कर रही हैं, वास्तविकता में नहीं। अभी भी कई आम महिलाएं अवसरों से वंचित हैं। सुशासन के लिए आवश्यक है कि हमारी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका (विशेष रूप से पुलिस तथा न्यायिक तंत्र) को महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण गंभीरता से शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए। यह सुशासन की परीक्षा है कि महिलाएं कब घरों, कार्यस्थलों, बाजारों, स्कूल–कॉलजों आदि स्थानों पर अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। महात्मा गाँधी ने ठीक कहा है कि ''महिलाओं को अबला कहना निन्दनीय है, यह महिलाओं के प्रति पुरूषों का अन्याय है। महिलाओं के बिना घर, समाज, राष्ट्र यहाँ तक कि मनुष्यों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।'' पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे महिलाएं न कर सकती हों।[8] इसलिए महिलाओं की क्षमताओं को समझने एवं उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वतः सशक्तीकरण होगा।

सूचना का अधिकार : सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली की कार्यशैली को मजबूत, दृढ़ एवं व्यापक बनाते हैं। जनता द्वारा सूचना की प्राप्ति सुशासन का अति आवश्यक तत्व है। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को राजनीतिक और सरकारी कामकाज के बारे में जानना आवश्यक है। स्वभावतः यह सुशासन का हिस्सा बन जाता है और मानवाधिकार वं सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुशासन और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और एक की सफलता दूसरे पर निर्भर करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों तथा कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव हो सके।

यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जाँच के दायरे में लाता है, इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेह बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 अपेक्षित सफलता को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलकर आर0टी0आई0 अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

उपर्युक्त वर्णित सुशासन के प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त और भी तत्व हैं जैसे–सशक्त नेतृत्व, त्वरित एवं कुशल न्यायप्रणाली, रोजगार की सुविधा, सामाजिक न्याय, विकेन्द्रीकरण, ई–शासन, पर्यावरण संरक्षण आदि।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इन तत्वों का अनुपालन यदि ईमानदारी एवं गंभीरतापूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से सुशासन की दिशा में एक सार्थक एवं प्रगतिशील कदम उठाया जा सकता है एवं सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. बागची, कनक कान्ती, गुड़ गवर्नेन्स एण्ड डेवलेपमेण्ट : एन इण्डियन पर्सपेक्टिव, अभिजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009, पृ0–43
2. बर्थवाल, सी0पी0, गुड गवर्नेन्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2003, पृ0–35
3. बागची, कनक कान्ती, गुड गवर्नेन्स एण्ड डेवलेपमेण्ट : एन इण्डियन पर्सपेक्टिव, अभिजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009, पृ0–42
4. बागची, कनक कान्ती, गुड़ गवर्नेन्स एण्ड डेवलेपमेण्ट : इन इण्डियन पर्सपेक्टिव, अभिजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009, पृ0–43
5. चतुर्वेदी, टी0एन0, द इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई–सितम्बर 1998, वाल्यूम–XLIV, पृ0–631
6. गोयल, डा0 एस0एल0, गुड गवर्नेन्स : एन इण्टीग्रल एप्रोच, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ0–144
7. बर्थवाल, सी0पी0, गुड गवर्नेन्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2003, पृ0–17
8. गोयल, डा0 एस0एल0, गुड गवर्नेन्स : एन इण्टीग्रल एप्रोच, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ0–490

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 80-81

प्राचीन भारतीय धर्म : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

पदमा गुप्ता*

*शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : भारतीय समाज में 'धर्म' का बहुत अधिक महत्व है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामजिक स्तरीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुतः 'धर्म' व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और उज्ज्वल जीवन जीने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।

मुख्य शब्द : भारतीय धर्म, संस्कृति, कृषि, भारतीय साहित्य, वैदिक, लोककल्याण आदि।

भारतीय साहित्य में धर्म सम्बन्धी नियम और व्यवस्था का वर्णन हुआ है। आचार अथवा सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है तथा आचार से ही धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है।[1] आचार और धर्म को एक–दूसरे का पूरक मानकर आचार को ही परम धर्म स्वीकार किया गया है। मनु का कथन है कि वेद और स्मृतियों में निवृत है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। आत्महिताभिलाशी द्विज को इसमें प्रलयवान होना चाहिए।[2] 'धर्म' शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करने से है। महाभारत के अनुसार धारण करने वाले को 'धर्म' कहते है। धर्म प्रजा को धारण करता है।[3] इस प्रकार धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है जिसका आधार नैतिक नियम और सदाचरण है एवं इसी आधार पर सभी प्राणियों की रक्षा अथवा धारणा होती है। प्रारम्भिक वैदिक 'ऋत' की अवधारणा आर्यो ने सप्तसिन्धु में विकसित की थी। 'ऋत' सांसारिक व्यवस्था थी जो अपने विरोधी तत्व 'अनृत' में भी नैतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी।

प्रारम्भिक समस्त भारतीय सामाजिक और नैतिक विचारधारा 'ऋत' की अवधारणा से प्रभावित थी। 'ऋत' का अर्थ सांसारिक नैतिक विधि और यज्ञ की अवस्था से सम्बन्धित था, जो कालान्तर में धर्म से सम्बद्ध हो गया। इस तरह धर्म का अभिप्राय जीवन की ऐसी विधि है, जो नैतिक और सात्विक आचरण से सम्बद्ध है। वस्तुतः धर्म आचरण की संहिता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता है और अन्त में चरम उद्देश्य की प्राप्ति करता है।[4] आचरणगत नियमों का संग्रह ही धर्म है, जिसके तीन मूल कार्य है – 1. नियंत्रण, 2. व्यक्तित्व का उत्थान और 3. जीवन के अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करना। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों और व्यवहारों को संवर्धित करता तथा अपनी वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। ऐसी स्थिति में हिन्दू धर्म व्यक्ति के उन सभी गुणों, परिस्थितियों और कार्यों को अभिव्यक्त करता है जिनसे वह एक सुसंस्कृत मार्ग का अनुगमन करता है। जिन सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके द्वारा सामाजिक बन्धनों की स्थापना होती है, वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है, और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है।[5] इससे व्यक्ति के जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्म वही है, जो किसी को क्लेश नहीं पहुँचाता।[6] बल्कि लोककल्याण करता है। एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का सिद्धान्त है, जो समस्त नैतिक कार्यों का दर्पण अथवा नियम है। दूसरे अर्थ में धर्म को कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है।[7] जो समाज के संयत संगठन को लिए अपेक्षित है। ऐसी कर्तवयों और नैतिक नियमों के पालन से ही व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है, जिससे उसे लौकिक और पारलौकिक सुख मिलता है। अतः लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक सुख की प्राप्ति ही धर्म है। मूल रूप में धर्म कर्तव्यों की एक व्यवस्था की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने अन्तस् में आध्यात्मिक अनुभूति करता है तथा नैतिकता को जीवन में आचरित करता है।[8] स्पष्ट है कि धर्म का सम्बन्ध मनुष्य के विश्वास, नैतिक आचरण, व्यवहार और उसकी आस्तिकता से है जिसमें मनुष्य का सामाजिक जीवन नियंत्रित और विकसित होता है।

मनु के अनुसार धर्म के आधार स्रोत श्रुति (वेद), स्मृति (धर्मशास्त्र), सदाचार (अच्छे लोगों के व्यवहार) और आत्मतुष्टि है, जो धर्म के साक्षात् चार लक्षण है।[9] धर्मसूत्रों में वेदों, स्मृतियों तथा भीलगत व्यवहार को धर्म का मूल स्वीकार किया गया है।[10] वशिष्ठ ने मत व्यक्त किया है कि मनुष्य के सदाचार से अधिक महत्वपूर्ण वेद और स्मृतियाँ है।[11] निश्चय ही धर्म नैतिक आचरणों को अधिक महत्व देता है, किन्तु परम्परा से चली आती हुई धर्मशास्त्रीय व्यवस्था को भी स्वीकार करता है। वेदों और समृतियों में मनुष्य के लिए जो कर्तव्य निर्देशित है, उनका निष्ठापूर्वक पालन ही धर्म है। सदाचार, समय, परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तित होकर मनुष्य के गुणों को अंग बनता है। सभी देशों और जातियों के सदाचार भिन्न होते है। यह कोई आवश्यक नहीं कि भिन्न देशों और वर्गों के आचार अभिन्न हों। कुछ अर्थों में ये आचार भिन्न हो सकते है और अभिन्न भी। सम्भव है, आचारो के नाम अलग हों, किन्तु उनका मूलभूत अर्थ और नियम समान होता है। याज्ञवल्क्य ने श्रुति, स्मृति, सदाचार के साथ सम्यक् वांछा का भी निर्देश किया है।[12] सदाचार के अन्तर्गत सत्यता, हितकर प्रथाएँ, आचरण और नैतिक व्यवहार का सन्निवेश होता है। इस प्रकार धर्म का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और प्रशस्त है जिसमें शुचिता, सत्यता, दया, अनसूया, शुभ के प्रति प्रवृति, दानशीलता, सम्यक् श्रम और लोभहीनता स्वभावतः सन्निविष्ट हो जाती है। यह सही है कि वेदों के निर्देश विभिन्न युगों के लिए सर्वमान्य नहीं रहे है। संतोष के लिए कहा जा सकता है कि वेद सत्य है किन्तु समाज में स्मृतियों का भी व्यापक प्रभाव रहा है। अगर सभी वस्तुओं के लिए वेद प्रमाण हैं तो स्मृतियाँ भी। इस प्रकार जब श्रुति और स्मृति एक दूसरे का विरोध करती है तो उनमें कोई क्या प्रमाण हो सकता है। निश्चय ही, ये समस्त निर्देश मनुष्य के अभ्युदय निःश्रेयस् और कर्तव्य भावना को जागृत करने के लिए थे, जिससे

उसकी कार्यक्षमता, मानसिक योग्यता और आचारगत क्रिया विकसित हो सकें। हिन्दू विचारकों ने सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के अन्तर्गत धर्म के कई विभेद किए हैं। विशिष्ट धर्म से सम्बन्धित देश–धर्म, जाति–धर्म और कुल–धर्म[13] के अतिरिक्त शास्त्रकारों ने कई प्रकार के अन्य स्मार्त धर्मों का उल्लेख किया है।[14] वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म और नैमित्तिक धर्म। साधारण धर्म मनुष्य के मानवता–युक्त नैतिक धर्म से सम्बन्धित है। मानव मूल्यों का नियोजन साधारण धर्म के अन्तर्गत होता है, जो प्रायः सभी के लिए अनुकरणीय होता ह। समाज के सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे कैसे भी हो, इस धर्म का अनुसरण करना अपेक्षित था। यह धर्म समस्त मानव जाति से सम्बन्धित तथा उसके कल्याण के लिए क्रियाशील था। सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही था, मुक्ति प्राप्त करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के सद्‌गुणों का विकास करना भी आवश्यक था। सामान्य धर्म के 30 लक्षण निर्देशित किए गए है– सत्य, तप, शुचिता, दया, कष्ट–सहिष्णुता, नीर–क्षीर विवेक, मन पर नियंत्रण, इन्द्रिय संयम, ब्राह्मचर्य, त्याग, अहिंसा, स्वाध्याय, संतोष, सरलता, सम्यक् दृष्टि सेवा क्रमशः सांसारिक त्याग, लौकिक सुख के प्रति उदासीनता, मौन, आत्मचिन्तन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य का दर्शन और उन्हें अन्न पूजा और यज्ञ का अनुसरण, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा, पूजा और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण[15] साधारणतः सत्य, अहिंसा, ब्राह्मचर्य, दम, क्षमा, शुश्रूषा, शील, मधुर वचन, शरणागत रक्षा, अतिथिसेवा आदि गुण के साधारण धर्म कहे गए है।

भारतीय समाज के धर्म के साथ संस्कृति का भी विशेष महत्व है। संस्कृति है क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएँ मिलती है। एक बड़े लेखक का कहना है कि ''संसार भर में जा भी सर्वोत्तम बातें जानी या कहीं गई है उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है।'' एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि ''संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है।'' यह ''मन, आचार अथवा रूचियों की परिष्कृति या शुद्धि है।'' यह ''सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समा के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता हैं यह 'कृ' (करना) धातु से बना है। संस्कृति का शब्दार्थ है – उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए 'कल्चर' शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के 'कल्ट' या 'कल्टस' से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना।

संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अन्तिम उत्पादन हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। मनुष्य अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरन्तर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार, नवीन अनुसंधान और अविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊँचा उठता है तथा सभ्य बनता हैं सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट जाती है किन्तु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते है। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य का अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते है। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते है। सौन्दर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नति करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक् कृति संस्कृति का अंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और पथाओं का समावेश होता है।

सन्दर्भ :

1. महाभारत, अनुशासन पर्व, 54.9
2. महाभारत, उद्योग पर्व, 61.15, आचार फलते धर्मः
3. महाभारत, कर्णपर्व, 109.58
4. जिमर, फिलासफीज ऑफ इण्डिया, पृ0 28–35
5. महाभारत शांतिपर्व, 109.58
6. राधाकृष्णन, रिलिजन एण्ड सोसाइटी, पृ0 104
7. गोखले, इण्डियन थाट थ्रू दि एजेज, पृ0 25
8. पाण्डेय, द मीनिंग एण्ड प्रोसेस अव कल्चर, पृ0 97
9. मनु, 2.6
10. गौ0ध0सू0, 1.1.2
11. व0ध0सू0, 1.4.6
12. याज्ञ0, 1.7
13. महाभारत, शांतिपर्व, 104.20
14. मिताक्षरा, याज्ञ0, 1.1
15. श्रीमद्‌भागवत, 7.11.8–12

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 82-83

कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर दबाव और तनाव का सामना : एक समाजशास्त्रीय विवेचन

बृजेन्द्र प्रताप सिंह*
*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, शिब्ली नेशनल पी0जी0 कॉलेज, आज़मगढ़, उ0प्र0
डॉ0 जियाउर्रहमान खाँ**
**समाजशास्त्र विभाग, शिब्ली नेशनल पी0जी0 कॉलेज, आज़मगढ़, उ0प्र0

सारांश : भूमिका द्वन्द में एक महिला घर के कामकाज के साथ–साथ अपने कार्यस्थल के कामकाज का भी सफलतापूर्वक निर्वहन करती है समाज में कामकाजी महिलाओं का घर के अन्दर काम करने वाली महिलाओं की तुलना मे अधिक महत्व दिया जाता है उसका कारण यह है कि लोगों को कामकाजी महिला के मजबूत आर्थिक पक्ष का आभास होता है। यह समाज की पहले से चली आ रही उस भावना या मानसिक दशा का परिचायक है कि घरेलू महिलाएं केवल घर में बैठकर भोजन पकाती है और आरामपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं एंव विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : भूमिका द्वन्द, कामकाजी महिला, मानवाधिकार, रूढिवादी सोच एवं पूर्वाग्रही विचारों, पितृसत्तात्मक व्यवहार आदि।

महिलाओं कि वास्तविकता वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्लूइएफ) की 50 वीं सालाना बैठक से पूर्व मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन आक्सफेम ने रपट जारी की। जिसके अनुसार, दुनियाँ भर की औरते मिलाकर रोजाना 326 करोड़ घंटे बिना किसी पैसे के केअर करती है। उनके काम का योगदान इकोनामी मे करीब 19 लाख करोड़ रूपये है। यह रकम भारत के 93 हजार करोड़ रूपये के रक्षा बजट की बीस गुना से अधिक है। यह 19 लाख करोड़ की मोटी रकम चूँकि चुकता नही करनी पड रही। इसलिए इसका अहसास भी नहीं किया जाता' यद्यपि यह सही है कि घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं के कामकाज का सही मूल्यांकन नहीं होता। यद्यपि घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं के कामकाज के प्रभाव को रूपये पैसे से मूल्याकित नहीं किया जा सकता है। एक नवजात शिशु को समाजिकृत प्राणी में विकसित करने का कार्य घर के अन्दर रहने वाली महिलाएं अन्य लोगो की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से करती है फिर भी चूँकि यह भौतिकवादी युग है अतः प्रत्यक्ष रूप से वेतन के रूप मे प्रतिमाह धन अर्जित करने की क्रिया कामकाजी महिलाओं के कार्य के परिणामस्वरूप ही पाया जाता है। सम्भवतः इसिलिए समाज में घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं को महत्व अधिक देखने को मिलती है। घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं के कामकाज के लिए कोई औपचारिक नियम नहीं हाता घरेलू महिलाएं स्वान्तः सुखाय और अपनी इच्छानुसार घर के कामकाज को निपटाती है। इसीलिए उनमें तनाव या दबाव का प्रश्न नही उठता जबकि कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल के नियमों के अनुरूप प्रत्येक व्यवहार का संचालन करना होता है। यहाँ तक की कार्य को पूरा करने का समय भी अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाता है। इस स्थिति के कारण कभी–कभी दबाव या तनाव का होना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

भारत सरकार ने इधर के वर्षो मे एक नया विभाग अतिथ्य सत्कार उद्योग (Hospility Industry) का गठन किया है जहॉ महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अपने समकक्ष पुरूष कर्मचारियों की तुलना में आफिस कार्य के अधिक दबाव का सामना करना पडता है। पुरूष सहकर्मियों की रूढ़िवादी सोच एवं पूर्वाग्रही विचारों के कारण और संगठन के मालिकों के परम्परागत व्यवहार के कारण कार्यकारी महिलाओं को कार्यस्थल पर अनेक पकार की परेशानियों का सामना करना पडता है। एक नये अध्ययन में, जो महिला भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल और इण्डियन स्कूल आफ हास्पिटैलिटी द्वारा भारत के अतिथी सत्कार उद्योग में लिंग समानता की स्थिति का मूल्यांकन शीर्षक के अन्तर्गत एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार, व्यक्तिगत स्तर पर महिला कर्मचारियों की तुलना में काम के अधिक दबाव का सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की नेटवर्किंग क्षमताओं को कम कर के आंका जाता है। और यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान महिला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में कहा गया है कि सामूहिक स्तर पर सहकर्मियों की रूढ़िवादी सोच, पूर्वाग्रही विचार और मालिको के पितृसत्तात्मक व्यवहार के कारण भी महिला कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है, कम्पनी के स्तर पर परामर्श के अवसर कम होने से और नियोक्ताओं की लैंगिक रूढिवादिता भी एक बडी चुनौती बन जाती है अध्ययन मे पाया गया कि कामकाजी महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर एक कर्मचारी के रूप में और घर पर बच्चो तथा बुजुर्गो की देखभाल करने में भी कुशल हो। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारत के कामकाजी महिलाओं को अतिथ्य उद्योग के शीर्ष पर पहुचने के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता है अपितु संगठनात्मक और पारिवारिक समर्थन की भी बहुत जरूरत है।

कोरोना महामारी के कारण भी अधिकांश कामकाजी महिलाएं तनाव और दबाव का अनुभव कर रही है। लिंक्डइन के एक सर्वे मे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वे मे कहा गया है कि इस महामारी की वजह से देश की कामकाजी महिलाएं भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। सर्वे में शामिल 47 प्रतिशत महिलाओं ने कहा महामारी की वजह से वे अधिक दबाव व बेचैनी महसूस कर रही है। वहीं गहस्थाश्रम के पारिवारिक जीवन म पति और पत्नी को भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं लेकिन ये समस्याएं उस समय और अधिक जटिल हो जाती है जब इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध उन परिस्थितियों से

हो जिसमें गृहणी को जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर कामकाज के लिए जाना पड़ता है, गांव हो या कस्बा, शहर हो या महानगर हर जगह औरते कामकाज में व्यस्त नजर आती है। यह काम घर–गृहस्थी और चूल्हे–चौके का हो या खेतो, मिलो, दफ्तरों, स्कूलों और अस्पतालों में यह कार्य वह स्वेच्छा से करती है या मजबूरी में या किसी दूसरे (प्रायः पति) के अनुरोध या विवश करने पर उसका उद्देश्य आर्थिक आत्म–निर्भरता हो या व्यक्तित्व का विकास परिवार की आर्थिक स्थिति का सुधार या व्यावसायिक संतुष्टि, स्थिति कोई भी हो, नारी को घर और बाहर के कामकाज में समन्वय के अभाव के कारण प्रायः शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यह एक अति गंभीर व चिंता का विषय है कि पितृसत्तात्मक सोच के कारण नारियों को कमजोर मानकर उनकी कमजोर शारीरिक संरचना का लाभ उठाकर इस शोषण को अंजाम दिया जाता है। **सिमोन द बोवुआर** की पुस्तक **द सेकेण्ड सेक्स** में कहा गया **''स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है''** में कहा गया कि स्त्री का अपने हीन होने का एहसास गहरा हो गया है और यह धारणा सुदृढ़ हो गयी कि स्त्री दूसरे दर्जे की प्राणी समझी जाती है।[2] पुस्तक स्त्रीवादी विमर्श में बाइबल की तरह पढ़ी जाने लगी दोष उसका नारी के शरीर में पैदा होने में नहीं अपितु समाज में प्रचलित और मान्यता प्राप्त लैंगिक विभेद है।

स्त्री को समाज में समता तथा स्वतंत्रता मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्त्री का वस्तुकरण किया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री होने का अर्थ नारीत्व का होना है। नारीत्व की निरंतरता पर इतना बल दिया गया कि इस परिकल्पना के इतर या परे उसे समझना असंभव हो गया है। जब भी वह आबजेक्ट से सबजेक्ट बनने का प्रयास करती है, उसे दमन का शिकार बनना पड़ता है। अतः वह हमेशा 'अन्य' ही रहेगी और उसे दूसरे दर्जे का प्राणो ही समझा जाता रहेगा। समाज में उसका यही स्टेटस रहेगा, इसी कारण सिमोन अस्तित्ववादी, एंगस्ट और चयन की नैतिकता पर बल देती है। आधुनिक युग आत्म–विस्तार और अहं की तुष्टि का युग है। अपने अधिकारों के प्रति संचेतना और यौन–क्रांति का युग है इसलिए महिलाएं जो सुशिक्षित है, शहरों में रहती है और आधुनिकता अधिकार और नारी–मुक्ति के विचारों से प्रभावित है, इस बदलती हुई परिस्थिति से अधिक परेशान है, जिस रफ्तार से समाज में परिवर्तन हो रहा है उस रफ्तार का साथ न शरीर ही दे रहा है, न मन ही और न ही आत्मा।

परिस्थितियां बदल रही है लेकिन परम्पराएं नहीं, भविष्य के प्रति एक अनिश्चितता है, असुरक्षा और आतंक है, भविष्य का यह आघात न केवल मानसिक रोगों को ही जन्म दे रहा है बल्कि परिवार और स्वतत्व के विघटन को भी। आधुनिक वैवाहिक जीवन विवशता का अभिशाप बनता जा रहा है। शुरू–शुरू में जब महिलाएं छोटी या बड़ी नौकरी करती थी तो उन्हें चुनाव करना पड़ता था कि विवाह या व्यवसाय, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, पूर्व स्थिति का अवचेतन संस्कार अभी तक विवाह और व्यवसाय के द्वंद्व को नहीं भूल सका द्वंद्व की यह स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो जाती है जब नौकरी निजी स्थिति और सामाजिक हैसियत को सुदृढ़ करे और विवाह नारी को स्वतंत्र स्वत्व प्रदान करने मे असफल रहे और यदि स्वतंत्र व्यक्तित्व की भावना अधिक जड़ पकड़ ले तो जीवन उसके रास्ते में रूकावट बन जाता है। ऐसी महिलाएं जीवन को सम्पूर्ण रूप से जीना चाहती है उनके लिए बच्चों का पालन–पोषण या घरेलू कामकाज या **'सेकेण्ड सेक्स'** की हैसियत न केवल दूसरे दर्जे का कार्य बल्कि 'पुरूष प्रभुत्व' का प्रतिक बन जाता है। दोष इस समाज में परम्परावादी पुरूषों का भी कि वे इन सब कार्यो को न केवल दूसरे दर्जे का बल्कि केवल नारियों का नैसर्गिक कार्य समझते है। इसलिए जब कामकाजी महिलाएं इन सब कार्यो में पुरूष प्रधान समाज से सहयोग की मांग करती है तो परम्परावादी, रूढ़िवादी सोच के परम्परागत लोग इसे अपने 'पुरूषत्व' का अपमान समझते है। कुछ पुरूष अपने कामकाजी महिला के कार्यो में सहयोग करते है तो परम्परावादी और रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच रखने वाली उनके घर की महिलाएं ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि गृहकार्यो में कुशल और दक्ष केवल महिलाओं को ही होना चाहिए यह पुरूषों का कार्य नहीं है। इस परम्परावादी सोच के कारण कामकाजी महिलाओं में तनाव व दबाव की स्थिति पैदा होती है। नारीवाद की देश–काल की भिन्नता के अनुसार अनेक व्याख्याएं होती है। भारत जैसे देशों में उनका एक अन्य स्तर रहा है। नारीवाद के संबंध में दो मान्यताएं मुख्य रूप से विकसित हुई। पहली यह कि नारी जैविक रूप से भिन्न संरचना है। दूसरी मान्यता के अनुसार, उसकी पराधीनता क कारण सामाजिक व सांस्कृतिक ढ़ाँचे में है।[3]

सिमोन द बोउवार का कहना है कि **''स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है।''** लैंगिक असमानता व विभेद के प्रतिमान के कारण नारी को अपनी संस्थाओं से बुनियादी रूप से चुनौतो मिलती है, मिलती रही है और मिलती रहेगी। अनेक तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद नारी को आज भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतः भारतीय परिवार के दो स्वरूपों में पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार अब भो कुछ कबीलाई संस्कृति में जीवित है पर पितृसत्तात्मक परिवार सम्पूर्ण दश में देखे जाते है। परिवार पर पुरूष का ही आधिपत्य है। वही कर्ता है। वही श्रेष्ठ है। उसी की आज्ञा का पालन किया जाता है।[4] महानगरों में नौकरी करने वाली मध्यमवर्गीय महिला की त्रासदी किसी सजा से कम नहीं। सुबह जल्दी–जल्दी घर के काम, पूरे दिन आफिस में पिसना, बसों में धक्के खाना, भीड़ से अश्लील फिकरे सुनना, शारीरिक उत्पीड़न सहना, शाम को फिर घर–गृहस्थी। घरेलू महिला के काम को तो कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है, कामकाजी महिला के बोझ को जानबूझ कर भुला दिया जाता है। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपनी सफलता के परचम भी लहलहा रही है लेकिन हर तरफ उन्हें सिर्फ दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है।

सन्दर्भ :

1. राष्ट्रीय सहारा, 29 जनवरी, 2020
2. इस्सर देवेन्द्र, स्त्री मुक्ति के प्रश्न, संवाद प्रकाशन मुंबई, मेरठ, पेज नं0–15
3. योजना, नारी शक्ति, अंक : 09, सितम्बर, 2021, पेज नं0 – 39
4. वी0 एन0 सिंह, जनमेजय सिंह, नारीवाद, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पेज नं0–226

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 84-85

आचार्य रजनीश के दर्शन में विद्यार्थी

ज्योत्सना राय*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन दार्शनिक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन आचार्य रजनीश के दार्शनिक विचारों में विद्यार्थियों के व्यवहार को रेखांकित करता है और इस तथ्य को पुष्ट करता है कि विद्यार्थियों के महत्वाकांक्षी व्यवहार को अपनाने में शिक्षक तथा समाज की विशेष भूमिका होती है, इसलिए शिक्षक एवं समाज का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में महत्वाकांक्षा नहीं प्रेम का संचार करे तभी समाज का उन्नति होगा। इसलिए यह अध्ययन पूर्व में किये गये अध्ययनों से अलग है और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : विद्यार्थी, दार्शनिक विचारों, भूमिका, बोध, शिक्षक और समाज आदि।

विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का एक स्वर्णिम काल होता है। जीवन के इस पड़ाव पर विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं, समझते है, साथ ही जिन नैतिक गुणों को स्वीकार करते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं वही उनके व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह ऐसा जीवन होता है जिसमे विद्यार्थी सांसारिक दायित्वों से मुक्त होते हैं लेकिन उनके अन्दर एक अलग प्रकार का दायित्व होता है जिसे वह प्राकृतिक व्यवहार मानते हैं और सोचते है कि उनका व्यवहार उन्हें समाज के ऊँचे शिखर पर पहुचायेगा जिसका नाम है महत्वाकांक्षा। विद्यार्थियों के जीवन में महत्वाकांक्षा एक ऐसा रोग है जो विद्यार्थियों को अन्दर ही अन्दर खोखला करता है और इसका पता भी उन्हें नहीं चलता है।

आज के विद्यार्थी महत्वाकांक्षा को एक सकारात्मक रूप देते हैं उन्हें लगता है कि महत्वांकाक्षा का स्तर मस्तिष्क में जितना अधिक रहेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकेंगे। परन्तु वह भूल जाते है कि उनके महत्वाकांक्षा के पीछे उनकी नैतिकता, मूल्य, जीवन स्तर इन सब की डोर काफी कमजोर पड़ जाती है। आचार्य रजनीश विद्यार्थियों के इसी महत्वाकांक्षा को बार–बार कुदरने का प्रयास करते है महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा जब तक विद्यार्थियों के दिमाग से दूर नहीं होगा विद्यार्थी न तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ पायेगें न ही शिक्षा में प्रेम को पिरो सकेंगे आचार्य रजनीश कहते है कि विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से शिक्षा को समझना होगा जिसमे न तो महत्वाकांक्षा हो न ही प्रतिस्पर्धा। अगर स्थान हो तो केवल प्रेम का। शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही प्रेम है। जब तक विद्यार्थियों को महत्वाकांक्षा रूपी ज्ञान दिया जायेगा तब तक समाज का पतन होता रहेगा ऐसे समाज में विद्यार्थी नहीं क्रान्तिकारी पैदा होंगे जो दुनिया का सुख, चैन छीन लेंगे। इसमें विद्यार्थियों का दोष कत्तई नहीं है दोष है तो हमारी शिक्षा प्रणाली में और उसको विद्यार्थियों तक पहुँचाने वाले शिक्षकों में। हमारे समाज में जो शिक्षा प्रचलित है उसे हम पर्याप्त रूप नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह शिक्षा विद्यार्थियों को केवल लक्ष्य की ओर उन्मुक्त करती है विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। साल दो साल बाद जो परीक्षा होगी वो महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा भविष्य को महत्वपूर्ण बनाती है। वर्तमान से अधिक महत्वपूर्ण स्थान भविष्य को देती है और भविष्य के लिए वर्तमान की बलि चढ़ाती है और यही शिक्षा विद्यार्थियों की जीवन–शैली बन जाती हैं। विद्यार्थी हमेशा वर्तमान क्षण को भविष्य के लिए समर्पित करते हैं जो अभी मौजूद नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में रिक्तता पैदा हो जाता है और विद्यार्थियों को जीने की कला ही नहीं पता हो पाता है। इसलिए यह शिक्षा अधूरी है सतही है। यह सिर्फ ऐसे लोगों को निर्मित करती है जो रोजी–रोटी कमा सकते है। लेकिन यह शिक्षा कोई अंर्तदृष्टि नही प्रदान करती। इसलिए मेरी दृष्टि में यह शिक्षा केवल अधूरी ही नहीं बल्कि बहुत घातक भी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा और महत्वांकाक्षा की गहराई काफी हिंसक होती है, और पम विहीन लोगों को पैदा करती है। उनका अथक प्रयास यही होता है कि जीवन में कुछ हासिल करना है, जैसे– नाम, कीर्ति, विद्यार्थी हमेशा इसके लिए लड़ते रहते है संघर्षरत रहते है उससे उनका आनन्द मैत्री भाव सब खो जाता है। लगता है जैसे हर व्यक्ति पूरी विश्व के साथ लड रहा है। मेरा अर्न्तमन मेरे से प्रतिक्षण यही प्रश्न पूछता है कि आखिरकार विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान कौन करता है जो उन्हें हिंसक और लड़ाकू बनाये जिसका स्पष्ट उत्तर मिलता है शिक्षक और समाज। हम शिक्षक को ज्ञान का प्रसारक कहते है लेकिन सही अर्थो में वह ज्ञान का प्रसारक नहीं है, बल्कि वह ज्ञान को स्थापित और स्थायी रखने वाला है, जो उत्पन्न हो चुका है और जो हो सकता है, उसमें बाधा देने वाला है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को अतीत के घेरे में ही रखना चाहता है उससे बाहर नहीं उठने देना चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि हजार–हजार साल तक न मालूम किस–किस प्रकार की नासमझियां न मालूम किस–किस तरह के अज्ञान चलते चले जाते है। उनको मरने नहीं दिया जाता है और न ही उन्हें मरने का मौका दिया जाता है। समाज इस बात को समझाता है, इसलिए वह शिक्षक का शोषण करता है। सबस आश्चर्य की बात तो ये है कि इसका शिक्षक को बोध भी नहीं होता है कि उसका शोषण निरन्तर सेवा के नाम पर होता रहता है। शिक्षक और समाज का सम्बन्ध अब तक बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। शिक्षक और समाज का जो सम्बन्ध है उससे यह साबित होता है कि शिक्षक समाज का गुलाम है। समाज शिक्षक से यही चाहता है कि शिक्षक नये बच्चों के मन में पुरानी ईष्याएँ पुराने द्वेष, पुराने विचार जो हजारों वर्षो से चले आ रहे है उन्हें प्रविष्ट करा दे और शिक्षक इस कार्य को बड़े ही निपुणता के साथ करता है। शिक्षक के उपर यह बहुत बड़ो लांछना है कि हर सदी जिन बिमारियों से पीड़ित होती है उन बिमारियों को शिक्षक आगे आने वाली सदी में संक्रमित कर

देता है, और यही समाज चाहता है। समाज इसलिए चाहता है क्योंकि समाज का ढ़ाचा समाज के ढांचे से जुड़े हुए स्वार्थ समाज के ढांचे में जुड़े अन्धविश्वास ये ही मरना नहीं चाहते। ये भी समाज में ही रहना चाहते है।

आचार्य रजनीश का मानना था कि सही अर्थो में शिक्षक वही हो सकता है जिसमें विद्रोह की एक अत्यन्त ज्वलन्त अग्नि हो जिस शिक्षक के अन्दर विद्रोह की अग्नि नहीं है वह केवल किसी न किसी नीति का, स्वार्थ का, धर्म का, राजनीति का एजेन्ट होगा। शिक्षक के अन्दर एक ज्वलन्त अग्नि होना चाहिए ताकि वह विद्रोह कर सके, चिन्तन कर सके तभी वह अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखायेगा जिस दिन एक अध्यापक में विचार की अग्नि प्रवज्वलित होगी उस दिन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का स्तर कम होने लगेगा और एक नई ऊर्जा प्रेम का संचार होगा जीवन के प्रति आनन्द का अनुभव होगा। जीवन एक अदभुत फूल की भांति हो जायेगा जिसमें सुवास होगा सौन्दर्य होगा। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा एक दूसरे को प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देखकर हृदय उत्साह से भर जायेगा। मनुष्य की आत्मा मुक्त होने लगेगी, जिस अधकचरे विश्वास से हम घिरे है उसका बन्धन टूटने लगेगा, मन अपने आपको खोजेगा, व्यक्ति अपने आप में स्वतन्त्र हो जायेगा उस समय कोई जाति, कोई धर्म, कोई महत्वाकांक्षा, कोई प्रतिस्पर्धा या नकारात्मकता व्यक्ति के मन में नहीं फलीभूत होगी इन सबका स्थान नगण्य हो जायेगा और सब शान्त और आनन्दमय होकर एक दूसरे के प्रगति के आधार बनेगें। और सम्पूर्ण संसार आनन्दमय हो जायेगा।

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते है कि आचार्य रजनीश अपने दर्शन में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उनकी स्वतंत्रता को ज्यादे महत्व देते है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा विद्यालय द्वारा समाज द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है जिसमें महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की अधिकता है वैसे अधकचरे ज्ञान को छोड़ना होगा और एक ऐसे ज्ञान का चयन करना होगा जो विद्यार्थियों को आनन्द और सुख शान्ति से भर दे ताकि वो अपने उत्थान के साथ–साथ समाज का उत्थान कर सके।

सन्दर्भ :

1. सत्यार्थी, आनन्द, (2019), जीवन जीने की कला, डायमण्ड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली
2. ओशो (1994), शिक्षा : नए प्रयोग, डायमण्ड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली
3. ओशो शिक्षा और विद्रोह, डायमण्ड पॉकेट बुक्स, पृ0 5–9
4. ओशो, शिक्षा और जागरण, डायमण्डल पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, पृ0 25–28

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 86-87

महिला शिक्षिकाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

श्रीमती प्रतिमा वर्मा*

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर, उ0प्र0

डॉ0 विलोक सिंह**

**शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर, उ0प्र0

सारांश : वर्तमान में विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके निर्माता उसे आधुनिक बनाने का प्रयास न कर रहे हों। समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी आधुनिकीकरण की अवधारणा पिछले कुछ दशको से काफी लोकप्रिय हो गयी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा नवीन नहीं है। अध्ययन में पाया गया महिला शिक्षिकाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है।

मुख्य शब्द : आधुनिकीकरण, औपचारिक शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, श्रम–विभाजन, विकसित देश आदि।

''एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज'' में लिखा है कि आधुनिकीकरण हाल ही में विकसित कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि यह तो सामाजिक परिवर्तन की पुरानी प्रक्रियाओं के लिए नवीन शब्द हैं, जहाँ कम विकसित देश उन विशेषताओं को अपनाते हैं, जो कि अच्छे विकसित देशों के लिए सामान्य हैं।

आधुनिकीकरण को कभी–कभी हम बड़े ही संकीर्ण रूप में भी प्रस्तुत करते हैं जैसे – वह लड़की बड़ी ही अल्ट्रा माडर्न हैं या वह माडर्न परिवार है। इस अर्थ में आधुनिकीकरण का अर्थ हैं– अपने समाज की मान्यताओं को उल्लेखनीय रूप से त्याग कर अन्य किसी उन्नत समझे जाने वाले समाज की परम्पराओं तथा विचार आदि को ग्रहण कर लेना जैसे किसी लड़की का कपड़ों (जीन्स) में कैबरे डांस में भाग लेना आदि संकीर्ण अर्थ में आधुनिकीकरण माना जाता है।

आधुनिकीकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों का अन्य क्षेत्र शिक्षा है। शिक्षा मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों स परिवर्तित होती है। मात्रा की दृष्टि से शिक्षा संगठनों एवं इनमें भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिकीकरण से प्रतिबद्ध राष्ट्रों में प्रारम्भिक कदम सामान्य प्राथमिक शिक्षा का होता है। माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा के तीव्र प्रसार हेतु प्रचार किए जाते हैं। स्थानीय क्षेत्र अपने स्वयं के स्तर को बढ़ाने के लिए अपने स्कूल खोलकर भी शिक्षा में प्रसार की गति को बढ़ाते है। गुण की दृष्टि से भी शिक्षा में परिवर्तन होते हैं क्योंकि आधुनिकी समाज में जटिल श्रम–विभाजन के कारण कार्य के लिए व्यक्ति को तैयार करने हतु औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब अप्रेन्टिस की व्यवस्था अत्यधिक पुराणपंथी, धीमी और खर्चीली सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का रूप ऐसा बनाया जाता है, ताकि वह नए प्रकार की सामाजिक संरचना में कार्य करने के लिए व्यक्तियों को तैयार कर सके। पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाता है। शिक्षा धार्मिक की अपेक्षा धर्म–निरपेक्ष बन जाती है। तकनीकी प्रति की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है।

आधुनिकीकरण के कारण परिवार में होने वाले परिवर्तन को दो बातों पर निर्भर होना माना जा सकता है। प्रथम, सम्बन्धित समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और दूसरे, उस समाज के परम्परागत परिवारों का रूप क्या है? विभिन्न समाजों पर परम्परागत परिवार व्यवस्था अनेक प्रकार की होती है और अनेक परम्परागत परिवार आधुनिकीकरण के विरोधी नहीं होते। अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि परिवार के सदस्यों की भौतिक दूरियाँ उनके पारस्परिक भावनात्मक सम्बन्धों को कम नहीं करतीं। कभी–कभी परिवार एक व्यक्ति की गतिशीलता को बढ़ाता है। परिवार द्वारा व्यक्ति की सहायता और समर्थन किया जाता है ताकि वह गतिशील बन सके। परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति के सम्मान एवं आश्रय का लाभ उठा कर अन्य लोग गतिशील बन जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में अनामता एवं अलगाव के होते हुए भी पारिवारिक सम्बन्ध बने रहते हैं। आधुनिकीकरण के कारण परिवार में आने वाला एक परिवर्तन तो काफी स्पष्ट है कि ऐसा परिवार अपने अनेक कार्य अन्य सामाजिक इकाइया को हस्तान्तरित कर देता है। आदिम या परम्परागत व्यवस्था में आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और भावनात्मक क्षेत्र की सभी आवश्यकताएँ परिवार में पूरी की जाती थीं। आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप इनमें से अनेक उत्तरदायित्व अन्य सामाजिक इकाइयों जैसे सरकार, स्कूल अथवा व्यापार को सौंप दिये जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ जो मूलतः ब्रिटिश शासन से प्रारम्भ हुआ था, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अत्यन्त तीव्र गति से भारतीय जन–जीवन पर छा गया। भारत के परम्परागत रहन–सहन, खान–पान, भाषा, वेश–भूषा, स्थिति, त्यौहार, परम्पराएं, प्रथाएँ, जनरीतियों रूढ़ियों, लोक विश्वासों, ग्रामीण जीवनशैली, शिक्षा, व्यवहार प्रतिमानों, जाति–प्रथा, विवाह, संयुक्त परिवार, नातेदारी एवं सम्पूर्ण रूप से भारतीय जन–जीवन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पक्षों में आधुनिकीकरण की छाप किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती हैं। भारतीय जनजीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पूर्णतः अछूता रहा हो। अतः भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त बलवती एवं तीव्र रही है।

संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन : भारतीय समाज के परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति बहुत दयनीय थी, परन्तु वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस सम्बन्ध में जब उत्तरदार्त्रियों से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या संयुक्त परिवार में

महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा हैं? तो अधिकतर उत्तरदार्त्रियों का यह मत है कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यह तथ्य निम्न सारिणी संख्या– 3 : 1 से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या 3 : 1

संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन होने से सम्बन्धित

उत्तरदार्त्री	संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन होने से सम्बन्धित		योग
	हाँ	नहीं	
उच्च जाति	108 (98.19)	2 (1.81)	110 (100.00)
पिछड़ी जाति	115 (95.83)	5 (4.17)	120 (100.00)
अनुसूचित जाति	62 (88.57)	8 (11.43)	70 (100.00)
योग	285 (95.00)	15 (5.00)	300 (100.00)

उपरोक्त सारणी संख्या–3 : 1 से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति समूह के 110 उत्तरदार्त्रियों में से 98.19%उत्तरदार्त्री इस तथ्य को मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है जबकि 1.81% उत्तरदार्त्री इस तथ्य को नहीं मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

पिछड़ी जाति समूह के 120 उत्तरदार्त्रियों में से 95.83% उत्तरदार्त्री इस तथ्य को मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है जबकि 4.17% उत्तरदार्त्री इस तथ्य को नहीं मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

अनुसूचित जाति समूह के 70 उत्तरदार्त्रियों में से 88.57%उत्तरदार्त्री इस तथ्य को मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवतन हो रहा है जबकि 11.43% उत्तरदार्त्री इस तथ्य को नहीं मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

इस प्रकार सारणी संख्या– 3 : 1 से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अधिकतर उत्तरदार्त्रियों ने इस तथ्य को मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

निष्कर्ष : भारतीय समाज के परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति बहुत दयनीय थी, परन्तु वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। उच्च जाति समूह के 98.19 प्रतिशत उत्तरदात्री, पिछड़ी जाति समूह के 95.83 प्रतिशत उत्तरदात्री एवं अनुसूचित जातिसमूह के 88.57 प्रतिशत उत्तरदात्री इस तथ्य को मानती हैं कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। सम्पूर्ण उत्तरदात्रियों में से 95 प्रतिशत उत्तरदात्री यह मानती है कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। (सारणी संख्या 3 : 1)

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र की महिला शिक्षिकाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे है। अतः अध्ययन में निर्मित यह सहायक उपकल्पना कि ''कार्योजित महिलाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव (इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं के सन्दर्भ में) एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है, सत्य प्रमाणित होता है।

सन्दर्भ :

1. शिरोकोव ग.क. : भारत का औद्योगीकरण, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1976
2. श्रीनिवास एम0 एन0 :''संस्कृतिकरण'' आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, अनु0 जैन, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1975
3. एपसटेन टी0 एस0 : एकोनामिक डेवलपमेन्ट एण्ड सोशल चन्ज इन साऊथ इण्डिया, बाम्बे : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1962
4. श्रीनिवास एम0 एन0 : इण्डिया, सोशल स्ट्रक्चर, हिन्दुस्तान पब्लिशिंग कारपोरेशन (इण्डिया), 1980

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 88-90

निराला के काव्य में आधुनिकता के विविध स्रोत

डॉ0 राजेश कुमार*
*एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सेठ पी.सी. बागला (पी.जी.) कॉलेज, हाथरस, उ0प्र0
अनुपमा यादव**
**शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, सेठ पी.सी. बागला (पी.जी.) कॉलेज, हाथरस, उ0प्र0

सारांश : निराला के काव्य में मोहक कल्पना गीत माधुर्य, रोमांस की स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति के साथ–साथ प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी विशेषताएँ भी दृष्टिगोचर होती है। भावपक्ष के साथ–साथ उनके काव्य का कला पक्ष भी वैविध्य से भरा हुआ है। इसे हम क्रमशः रस योजना, अलंकार–विधान, भाषा–दृष्टि, प्रतीक–योजना, बिम्ब–विधान और गीति–योजना में अच्छी तरह देख सकते हैं। यद्यपि आधुनिक कविता रसात्मक काव्य के प्रतिमानों पर नहीं चलती, पर उसमें रसों की स्थितियाँ आती ही रहती है। निरालाजी ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, करूण, शांत, वात्सल्य का लौकिक तरीके से प्रयोग किया है।

मुख्य शब्द : वृहत्त्रयी, चतुष्टयी, स्वच्छन्दतावाद, आयाम प्रगीत, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पुनर्विचार, उपादान, रमणीय, कर्कश आदि।

निराला एक ऐसे विशिष्ट रचनाकार है, जो अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में निराले है। छायावाद की वृहत्त्रयी और चतुष्टयी में भी उनका सम्मानित स्थान है। इस वृहत्त्रयी और चतुष्टयी में अकेले वही ऐसे हैं, जो छायावाद की सीमाओं में बंधते नहीं। प्रगतिवादी चेतना उनके काव्य में आरम्भ से ही रही है। जो प्रगतिवादी कविता के मेल में बैठता है। कला के क्षेत्र में भी उनकी यही स्थिति है। तभी तो आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी जी लिखते है कि, "निराला जैसे अनेक क्षितिजों और दिगन्त–भूमिकाओं के कवि को वाद की सीमा में बाँधना और भी कठिन है। यद्यपि निराला छायावाद के प्रवर्तकों में परिभाषित होते हैं। निराला के साथ छायाबाद का सम्बन्ध ऐतिहासिक भूमिका पर बना था, परन्तु आरम्भ से ही उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ उनको छायावाद की सीमित भूमि से बाहर खींच रही थी।"[1]

निराला के काव्य में आधुनिक विविधता के प्रमुख आयाम स्पष्ट परिलक्षित होते हैं – निराला जी छायावाद के स्थापकों में से एक है। उन्होनें मोहक कल्पना, गीत–माधुर्य, रोमांस की स्वच्छन्द प्रवृत्ति को इतना आगे बढ़ाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है कि उससे छायावाद को उत्कर्ष मिला। उदाहरण स्वरूप 'जुही की कली' की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं –

"विजन–वन–वल्लरी पर सोती थी सुहाग–भरी
स्नेह–स्वप्न–मग्न–अमल–कोमल तनु–तरुणी
जुही की कली
दृग बन्द किये शिथिल पत्रांक में।"[2]

निराला ने कल्पना और कोमलता के कोने–कोने में अपनी कवि दृष्टि डालकर छायावाद को पूरी भाक्ति से आत्मसात् किया है, किन्तु वे आगे निकलकर प्रगतिवादी चेतना में आये अथवा यों कहें कि इस भावभूमि की कविताएँ भी वे बीच–बीच में लिखते गये। 'बादलराग' और 'विधवा' नामक कविताएँ इसी प्रकार की हैं–

"तिरती है समीर–सागर पर अस्थिर सुख पर दुःख की छाया।
जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।।"[3]

हिन्दी कविता के प्रगतिवादी स्वरूप के आगे चलकर भी निराला जी ने प्रयोगवाद की विशेषताओं को भी अपनाया है। सच तो यह है कि प्रयोगवादी काव्यशिल्प की सर्वाधिक सम्भावना यदि अज्ञेय जी के पूर्ववर्ती किसी रचनाकार में है, तो निराला जी में ही है। अतः आन्दोलनों की विविधता में निराला जी का व्यक्तित्व प्रशस्त दिखायी पड़ता है।

निराला के काव्य–लोक में जैसी विविधता काव्यालोक की है, वैसी ही काव्य रूपों के निर्धारण की भी है। प्रबन्ध प्रगीतों से लेकर छोटी–छोटी स्वतन्त्रता स्वरूपा मुक्तक रचनाओं तक वे अपना रचनाकर्म फैलाते हुए दिखायी पड़ते हैं। यद्यपि यह विशेषता अनेक कवियों के साथ होती है, पर निराला जी में यह विविधता सर्वाधिक है। उनके प्रगीत, गीत व छोटी रचनाएँ एक–दूसरे से रचना शिल्प की इतनी पृथकता रखते है। जैसे – रचना का कोई ढाँचा वे दुहराना चाहते ही नहीं।

लोक विख्यात रामकथा के अल्प चर्चित प्रसंग, 'शक्ति पूजा' को वे बंगला की धरती से और बंगला रामायण के पृष्ठों से हिन्दी काव्य में ले आये। राम का विशुद्ध मानवीय एवं सर्वथा स्वाभाविक रूप उन्होनें इस हद तक दिखाया कि वह समूची हिन्दी काव्य परम्परा में अन्यत्र कहीं ढूँढ़े न मिलेगा। उसी तरह 'पंचवटी–प्रसंग' उसी रामकथा पर आधारित प्रबन्ध कविता है। 'सरोज–स्मृति' कवि द्वारा रचित शोकगीत है, जो उसने अपनी अठारह वर्षीय पुत्री के दुःखद देहावसान से शोकाकुल होकर रचा है। 'यमुना के प्रति' नामक कविता लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। मुक्तक काव्य में 'सन्ध्या सुन्दरी', स्नेह निर्झर बह गया है' तथा 'भिक्षुक' जैसी सैकड़ों कविताएँ हैं, जिनका कलात्मक उत्कर्ष देखने योग्य है। सम्पूर्ण कविताओं में काव्य रूप पर विचार करने से निष्कर्ष यह निकलता है कि काव्य के रूप में पारम्परिक ढाँचे पर पुनर्विचार करना इन कविताओं के आकलन के लिए आवश्यक है।

निराला के काव्य में वर्ण्य–विषय की विविधता उनके व्यापक लाक–निरीक्षण और गहरे प्रेरणा–स्रोत का प्रमाण है। इसके साक्ष्य–स्वरूप कविताओं का विषयानुसार अवलोकन किया जा सकता है।

- विशिष्ट पात्रों पर आधारित प्रबन्धाश्रित कविताएँ – 'राम की शक्ति पूजा', 'तुलसीदास', 'पंचवटी प्रसंग', 'बुद्ध के प्रति'।
- आत्म वृत्तपरक कविताएँ – 'सरोज स्मृति', 'मैं अकेला'।
- दीन–दलितों–श्रमिकों की समस्याओं पर आधारित रचनाएँ – 'विधवा', 'भिक्षुक', 'बादल राग', 'जागो फिर एक बार' और 'नाच तू श्यामा'।
- आध्यात्मिक व्यंजना सम्बन्धी कविताएँ – 'तुम और मैं, तम के पार'।
- उद्‌बोधन – आहवान की कविताएँ – 'जागो फिर एक बार' और 'नाच तू श्यामा'।
- स्वच्छन्द प्रेम सम्बन्धी रोमान्टिक कविताएँ – ' जुही की कली', स्नेह निर्झर बह गया'।
- प्रकृति वर्णन सम्बन्धी प्रसिद्ध कविताएँ – 'सन्ध्या सुन्दरी', 'यमुना के प्रति', 'सखि बसन्त आया'।
- स्तुतिपरक लयात्मक गीत – 'वर दे वीणा – वादिनी वर दे', भारति जय विजय करे'।
- व्यंग्य – विनोद सम्बन्धी कविताएँ – 'कुकुरमुत्ता', 'नये पत्ते'।

जिस प्रकार कवि निराला का अनुभूतिलोक विविधता से भरा हुआ है, उसी प्रकार उनकी रचनाओं का कला – पक्ष भी वैविध्य से भरा है। स्वछन्द प्रेम के गीतों जैसे – जुही की कली, आदि में श्रृंगार है। 'राम की शक्ति पूजा' में उनका वीरोचित ओज वीर रस से भरा है। रौद्र उनके क्रान्ति चेतना सम्बन्धी गीतों में शान्त और करुण 'विधवा', 'भिक्षुक', 'स्नेह निर्झर' आदि कविताओं में है। 'सरोज–स्मृति' में करुण, वात्सल्य है और इस तरह रस की सारी विविधता एवं व्यापकता उनकी रचनाओं में है।

निराला की भाषा में भी वैविध्य दृष्टिगत होता है। उनकी भाषा में तत्सम और सामाजिक शब्दावली युक्त प्रधान भाषा भी प्रयुक्त हुयी है और अति सरल शब्दावली प्रवाहपूर्ण भाषा भी। दोनों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं –

"प्रतिपल परिवर्तित व्यूह–भेद कौशल समूह
राक्षस– विरुद्ध–प्रत्यूह–क्रुद्ध कपि विषम हूह
रावण–प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल
मूर्च्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल।[4]

वह' आता,
दो टूक कलेज के करता, पछताता पथ पर आता,
पेट–पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
'मुट्‌ठीभर दाने को, भूख मिटाने को
मुँह फटी–पुरानी झोली को फैलाता।"[5]

विशिष्ट प्राकृतिक उपादानों, जैसे बादल आदि से लेकर कुकुरमुत्ता जैसी अति साधारण और उपेक्षित वनस्पति पर उन्होनें प्रतीक–योजना आरोपित करके उसे काव्य–गौरव प्रदान किया है। उदाहरणार्थ प्रलय का प्रतीक 'बादल' –

"गरजों विप्लव के नव जलधर।
जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर
ये विप्लब के वीर।"[6]
क्रान्ति की प्रतीक श्यामा–

"एक बार बस और नाच तू श्यामा
सामान सभी तैयार,
कितने ही हैं असुर
चाहिए कितने तुझको हार ?"[7]

'स्नेह निर्झर' और 'नये पत्ते' नामक कविता में भी प्रतीक योजना की बहुलता है। निराला जी के काव्य में रमणीय और कर्कश बिम्ब दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होनें उभयात्मक बिम्ब भी रचे हैं। दोनों में उन्हें समान सिद्धि प्राप्त है। यहाँ उदाहरण द्रष्टव्य है –

रमणीय बिम्ब :

काँपते हुए किसलय, झरते पराग–समुदय
गाते खग नव–जीवन–परिचय तरु–मलय–वलय
ज्योति प्रताप स्वर्गीय–ज्ञान छवि प्रथम स्वीय
जानकी–नयन–कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय।[8]

कर्कश बिम्ब :

अनिमेश राम् विश्वजिदि्दव्य–शर–भड़ग–भाव
विद्धाड़ग– बद्ध कोदण्ड–मुष्टि खर–रुधिर स्राव।[9]

निराला की रचनाओं में अलंकारों की विविधता भी प्राप्त होती है उनमें प्राचीन काव्यशास्त्रीय अलंकार भी हैं और आधुनिक कविता वाले भी। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभाश, दृष्टान्त आदि अलंकार उनकी कविता में आये हैं। जैसे– मालोपमा के इस प्रसंग में उपमा का विस्तार द्रष्टव्य है –

"वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा–सी,
वह दीपशिखा–सी शान्त भाव में लीन,
वह टूटे तरु की छोटी लता – सी दीन,
दलित भारत की विधवा है।"[10]

निराला के काव्य के सन्दर्भ में जब विविधता की बात उठी है तो सबसे पहले गीत–रचना के लिए ही उठी है। उन्होनें प्रेम, भक्ति, राष्ट्रीय भावना तथा करुण सामाजिक प्रसंगों पर गीत लिखकर अपनी बहुमुखी अनुभूति का परिचय दिया है। नन्द दुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं कि, "निराला के गीत इतने वैविध्यपूर्ण हैं कि उन सबको सम्बद्ध करना आसान नहीं है। फिर भी रस की भूमिका पर उन्हें श्रृंगार, करूण और शान्त रस के गीत कह सकते है।"[11] राष्ट्रीय भावना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है –

"जागो फिर एक बार
प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें
अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार।"[12]

आचार्य हमारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के वैविध्यपूर्ण काव्य–कौशल पर अभिभूत होकर लिखा है कि, "उनका 'निराला' उपनाम बिल्कुल सार्थक है। क्या काव्य, क्या कहानी, क्या निबन्ध निराला का व्यक्तित्व सर्वत्र ही मौलिक तथा वैविध्यपूर्ण है। इतना अद्‌भुत व्यक्तित्व हिन्दी कवियों की वर्तमान दुनिया में है की नहीं।"[13]

अतः स्पष्ट कह सकते है कि निराला जी के साहित्य में आधुनिकता के विविध स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ते है। स्वतंत्रता का उद्‌घोष हो, देशप्रेम हो, नारी व्यथा हो, सामाजिक वैषम्य हो, दलित पीड़ा हो उन्होनें अपनी विविधतापूर्ण शैली में स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति विविधता से भरी हुई है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।

सन्दर्भ :

1. वाजपेयी, नन्द दुलारे, कवि निराला, वाणी वृत्तान्त प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–1965, पृ0 69
2. मदान, इन्द्रनाथ, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण–2008, पृ0 41
3. मिश्र, ज्याति प्रसाद एवं त्रिपाठी, राम प्रताप, सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संस्करण–2002, पृ0 375
4. त्रिपाठी, डॉ0 मदन मोहन, खाँ, डॉ0 शम्स आलम एवं लाल डॉ0 ज्ञान स्वरूप, आधुनिक काव्य–सुधा, ज्ञानभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–2012, पृ0 80
5. निर्मल, ज्योतिपसाद एवं शास्त्री, राम प्रताप त्रिपाठी, सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग संस्करण–2002, पृ0 102
6. वर्मा, डॉ0 आर0 पी0, निराला और छायावाद, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ इनोवेटिव सोशल सांइस, वोल्युम 3, जनवरी–मार्च, 2016, पृ0 102
7. निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी, अनामिका, राजकमल प्रकाशन, 8वां संस्करण, पृ0 109
8. वर्मा, डॉ0 आर0 पी0, निराला और छायावाद, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ इनोवेटिव सोशल सांइस, वोल्युम 3, जनवरी–मार्च, 2016, पृ0 79
9. वाजपेयी, नन्द दुलारे, कवि निराला, वाणी वृत्तान्त प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–1965, पृ0 64
10. मदान, इन्द्रनाथ, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण–2008, पृ0 153
11. कृष्ण विमल, छायावाद का सौन्दर्य शास्त्रीय अध्ययन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण–2005, पृ0 45

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 91-93

प्राथमिक शिक्षा में प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी एवं आधुनिक भूमण्डलीकृत विश्व

डॉ0 मुकेश मोहन*

*असि0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, एम0एच0पी0जी0 कॉलेज, मुरादाबाद, एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड वि0वि0, बरेली,उ0प्र0

सारांश : प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश करने के साथ ही अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते है। आधुनिक तकनीकी विकास तथा संचार के साधनों और भूमण्डलीकृत विश्व में अन्तर्निर्भरित व्यवस्था ने न सिर्फ लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया है अपितु उनके सामने अनेक प्रकार की नवीन समस्याओं का भी सूत्रपात किया है। हलांकि प्रतिस्पर्धी विश्व में और विकास की तेजगति के साथ चलने के लिये, अपने निमित्त संसाधनों का सद्उपयोग करने और उन पर नियन्त्रण करने के क्रम में ऐसे अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदाने करने का प्रयास कर रहें हैं जो स्वयं शिक्षित नही हैं। इस सम्बन्ध में बालिकाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, परम्परा, सामाजिक व लैगिक समूह, भूमण्डलीकरण आदि।

प्रस्तावना : भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी परम्परागत व्यवस्था को पुनरूत्पादित करने की है। परम्परा का यह बन्धन परिवर्तन को न सिर्फ सन्देह दृष्टि से देखता है अपितु उसका विरोध भी करता है। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसके प्रयाग के द्वारा व्यक्ति मानसिक व वैचारिक रूप से सहिष्णु होता है तथा परिवर्तन व प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवसीा इस वैचारिकी को प्रश्रय देती है। हलांकि परम्परागत समाज धर्म, जाति, जाति, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर अत्यन्त विभेदीकृत था तथा संसाधनों पर प्रभुत्वशाली वर्ग का ही अधिकार था। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा की मुख्य धारा से प्रथक सामाजिक व लैगिक समूह के विद्यार्थियों जिन्हें प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी कहा गया पर आधुनिक संचार तकनीकी तथा भूमण्डलीकरण की प्रक्रियाओं के प्रभाव को रंखांकित करने का प्रयास किया गया है।

समाजशास्त्रियों ने शिक्षा की सामाजिक सांस्कृतिक पुर्नउत्पादन में भूमिका की व्याख्या की। वहीं कुछ मार्क्सवादी एवं नव मार्क्सवादी विचारकों का मत है कि शिक्षा व्यवस्था, पूंजीवादी शासक वर्ग के हितों की पूर्ति एवं रक्षा करती है, उनके लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति तैयार करती है जिससे कि वे अधिक लाभ कमा सकें। पूँजीवादी व्यवस्था में शिक्षा शासक वर्ग की विचारधाराओं का हस्तांतरण करती है, जो पूँजीवादी व्यवस्था को न्यायोचित ठहराती है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रकार से विचारधारात्मक अस्त्र की भाँति कार्य करती है।

भूमण्डलीकरण मुख्यतः एक आर्थिक परिघटना है, परन्तु इसका प्रभाव समाज में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप में भी देखा जा सकता है। इसके सामाजिक प्रभावों ने न सिर्फ सामाजिक सम्बन्धों को बल्कि उन सम्बन्धों के आयामों, उनकी तीव्रता तथा सम्बन्धों के साधनों को भी बढ़ाया है। सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन के आधार पर, उत्तरदायित्व के नये प्रतिमानों का भी विकास हुआ है। इस भूमण्डलीकृत विश्व में पारिवारिक सम्बन्धों में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है, अब अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा तथा उनके भविष्य के प्रति अधिक तत्पर दिखाई देते हैं।

वस्तुतः इस भूमण्डलीकृत विश्व में अभिभावक अपने बच्चों की सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के प्रति अधिक चिंतित हुए हैं और इसलिए उन्होनें उनके निमित्त अपने शैक्षिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना प्रारम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में ऐसे अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग सामने आया है जो स्वयं तो शिक्षित नहीं थे किन्तु अपने बच्चों को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था कराने के लिए तत्पर हैं। भूमण्डलीकरण ने ना सिर्फ राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि की है, अपितु उनके मध्य असमानता तथा भविष्य में सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के प्रति प्रश्न भी खड़ा कर दिया है।

कृषि प्रधान भारतीय ग्राम्य समाज में शिक्षा और कृषि को दो अलग रास्तों के रूप में देखा जाता रहा है, परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक ऐसे अभिभावक देखे जा सकते हैं जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, और शिक्षा को कृषि का विकल्प मानने लगे हैं। इस प्रक्रिया में भूमण्डलीकृत विश्व के अनेक आयामों, यथा–संचार के साधनों, तकनीकी व प्रौद्योगिकी विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के प्रभाव स्वरूप अनेक सरकारी योजनाएं प्रारम्भ की गयीं, जिन्होनें शिक्षा के प्रति जनजागरण का काम किया।

शिक्षा के प्रति अभिभावक व समाज की यह जागरूकता पहले तो मात्र बालकों तक ही सीमित थी, और बालिकाओं के लिए गृह कार्य की दक्षता को ही उनके विकास का मापक समझा जाता था। किन्तु कालान्तर में वैश्विक स्तर पर महिलाओं को मिले अवसरों तथा उनमें महिलाओं द्वारा अर्जित की गई सफलता ने परम्परागत पुरूषवादी सोंच में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

भारत मे स्पष्टतः शिक्षा में लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। कई अध्ययनों एवं जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में स्त्री शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। अशिक्षित माता–पिता अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। क्योंकि वे उनसे गृहकार्य में दक्षता की अपेक्षा करते हैं इसीलिए बालकों की अपेक्षा उनका ड्राप आउट का प्रतिशत अधिक है और उपलब्धियाँ कम।

प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों के रूप में बालिकाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके लिए बहुत हद तक हमारा परम्परागत जड़ समाज उत्तरदायी है। परन्तु अब विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं भूमण्डलीकरण के परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा है। इस प्रकार बदलती

सामाजिक–राजनैतिक परिस्थितियों ने समाज के उस वर्ग को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का पयास किया जो अभी तक शैक्षिक रूप से पिछड़ा था। इस प्रक्रिया में भूमण्डलीकरण ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

शिक्षा के प्रसार में राजनैतिक प्रयासों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा के प्रति पाये जाने वाले परम्परागत दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा है, विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा–सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना आदि ने इसमें एक महत्वपूर्ण प्रेरणात्मक भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से अक्षम अभिभावक भी अब अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे हैं।

भूमण्डलीकरण के विभिन्न आयामों, यथा–संचार के साधनों, विज्ञान एवं तकनीकी एवं मीडिया के प्रसार ने भी अभिभावकों को शिक्षा के महत्त्व के प्रति जागरुक किया है। इन सबके परिणामस्वरूप परिवार तथा समाज में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति पाई जाने वाली परम्परागत सोंच में भी परिवर्तन आने लगा है। अब स्वयं अशिक्षित अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। यहां तक कि अब वे अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति तत्पर हैं।

प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों के रूप में बालिकाओं का प्रतिशत बालकों की अपेक्षा अधिक है। किन्तु सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणों एवं आधारभूत संरचना के अभाव में वे अपने बच्चों विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करन हेतु नहीं भेज पाते इसी कारण उच्च शिक्षा में आज भी बालिकाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। आज प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली छात्राएं भी प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट के कारण आगे की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं।

श्रीवास्तव एवं सिमहाद्री (1979) ने प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों की शिक्षा के प्रतिकी उत्सुकता एवं मानसिक योग्यता का अध्ययन किया। शोध का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी तथा गैर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की पढ़ने में तत्परता में पाये जाने वाले अंतर को ज्ञात करना तथा आयु, लिंग, बुद्धि के मध्य सम्बन्ध ज्ञात करना था। शोध के निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

- सभी कक्षाओं में गैर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों की अपेक्षा पढ़ने की उत्सुकता के क्रम में आगे थे।
- शिक्षा के प्रति की तत्परता एवं आयु में प्रत्येक में सार्थक सम्बन्ध था।
- दोनों समूहों में छात्राएं, छात्रों की अपेक्षा पढ़ने की तत्परता में उत्तम थीं।
- बौद्धिक क्षमता एवं पढ़ने की तत्परता में धनात्मक सम्बन्ध था।

पटेल (1989) ने प्रथम पीढ़ी विद्यार्थियों की समस्याओं पर शोध किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की संख्या अधिक है इनमे एस0सी0, एस0टी0 तथा ओ0 बी0 सी0 शिक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक थी। प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों में सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं पाई गईं। इसमें भी आर्थिक समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और यह भी ज्ञात हुआ कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करने में असमर्थ हैं।

सिंह (2007) के लखनऊ में किये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि प्रथम पीढ़ी तथा गैर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की समस्याओं एवं उपलब्धियों में सार्थक अन्तर है। प्रथम पीढ़ी में गैर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा समस्याएं अधिक तथा उपलब्धियां कम थीं। प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों के बालक तथा बालिकाओं की उपलब्धि में भी अंतर प्राप्त हुआ। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की उपलब्धि अधिक अच्छी थी, जोकि गैर प्रथम पीढ़ी में नहीं थी।

रोबर्ट (2008) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभिभावकों का निम्न शैक्षिक स्तर उनके बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पर सीधा प्रभाव डालता है इसके विपरीत शिक्षित अभिभावकों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों उत्तम होती है।

स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं और इसमें शिक्षा सम्बन्धी व शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। अतः शिक्षा ही वह प्रमुख आधार है जिससे महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है तथा उनके शोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

बुई कान्ह (2002) ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। इस अध्ययन के माध्यम से वह ऐसे शिक्षार्थियों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के कारणों तथा विश्वविद्यालय में उनके प्रथम वर्ष के अनुभवों का परीक्षण किया। इसमें प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों का गैर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों से तुलनात्मक अध्ययन किया। जिससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों को अन्य की अपेक्षा कालेज में समायोजन करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

डब्ल्यू इलियट इनमैन (1999) ने अपने लेख में अपने पूर्व के कई अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत की। निष्कर्ष यह निकला कि प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी गैर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों से भिन्न हैं। वे अकादमिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों ओर गैर प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की विभिन्नताओं का विश्लेषण करते हैं, और उनमें एक स्पष्ट अन्तर देखते हैं।

पूर्व के अध्ययनों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उनमें कई कमियां थीं। सर्वप्रथम पूर्व के अध्ययनों में अध्ययन से सम्बन्धित समग्र दृष्टिकोण का अभाव है, यथा– अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित, मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान से सम्बन्धित तथा शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षाशास्त्र से सम्बन्धित अध्ययनों को महत्व दिया है। प्रस्तुत शोध में समग्रतावादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी छात्राओं का अध्ययन उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को साथ लेकर करने का प्रयास किया जायेगा। उपलब्ध सम्बन्धित साहित्य में कई पद्धतिशास्त्रीय कमियां भी पाई गयी। उनमें सैम्पल का चयन या आंकड़ों के संग्रहण हेतु उचित विधियों का प्रयोग नहीं किया गया था। साथ ही पूर्व के अध्ययनों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण भी उचित प्रकार से नहीं किया गया था।

निष्कर्ष : प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य में इनका अध्ययन मात्र उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया गया है, उनमें उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षों को उजागर करने का प्रयास नहीं किया गया है। हमारे देश की आधी आबादी अर्थात बालिकाओं का अध्ययन भी प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों के रूप में पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। यदि इनसे सम्बन्धित कुछ अध्ययन हुए भी हैं तो वे मात्र उनके शैक्षिक प्रदर्शन तक ही सीमित हैं। उन अध्ययनों में प्रथम पीढ़ी छात्राओं से सम्बन्धित सामाजिक पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास नही किया गया है कि किन कारणों से आज तक उनके अभिभावक अशिक्षित हैं, तथा किन सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आज वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजना चाहते हैं ?

उपलब्ध सम्बन्धित साहित्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों की शिक्षा में एक प्रेरणात्मक कारक के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है। साथ ही भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उच्च तकनीकी विकास एवं विकसित जनसंचार के साधनों का प्रथम पीढ़ी छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण भी उपलब्ध नहीं है।

प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों को आधुनिक विश्व में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर हाल के कोविड–19 के वैश्विक प्रसार ने ऑनलाइन शिक्षा को ही आधार बनाया गया किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े होने के कारण प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी पहले तो तकनीकी यंत्रों को खरीदने में अक्षम थे वही दूसरी तरफ उनका तथा उनके अभिभावकों का तकनीकी क्षेत्र में निरक्षर होना उनके शिक्षण को सबसे बड़ी बाधा बना।

आज वैश्विक स्तर पर जब सभी समाज एक दूसरे के ज्ञान तथा प्रगति से लाभान्वित हो रहे है तथा परम्परागत प्रतिश्पर्धा की भावना के साथ सूचना प्रसार साधनों के अधिकाधिक प्रयोग से नवीन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की खोज कर रहे हैं वही प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी मात्र साक्षरता का स्तर प्राप्त करने हेतु संघर्षशील है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बड़ागॉव न्याय पंचायत के प्राथमिक स्कूलों के 50 प्रथम पोढ़ी शिक्षार्थियों का अध्ययन किया गया। शोध के निष्कर्ष के रूप में यह देखा गया कि अनेक समस्याओं के होते हुये भी प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थियों के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु तत्पर हैं तथा अनेक सरकारी, गैर सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों से प्रेरित हो रहे हैं और शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं।

सन्दर्भ :

1. Patel, L.K. (1988). "A study of the problems of first generation learners in standards I to IV Ahmedabad city. In M.B. Buch (Ed.) (1997). Fifth Survey of Research in Education. New Delhi : NCERT Vol.-II, P. 824.
2. Singh. B. (2007). "A study of General status in Relation to problems and achievement of third Graders. Indian journal of Educational Research Vol. - 26, No.-2.
3. Srivastava, A.K. Simhadri, R.A. (1979). " Test of Reading Readiness and mental ability in First Generation learners. Buch M.B. (Ed.). Third survey of Research in Educational Vol.-2 New Delhi NCERT.
4. Haralambuos, M. with R.M. Heald (2005). Sociology. Themes and perspectives, New Delhi : oxford University Press. Pg. 172-225.
5. Singh, Yogendra (2000). Culture change in India; Identity and Globlization. Jaipur. Rawat Publications.
6. Bui, Khanh Van T 2002 "First Generation College Students at a four-year University : Background Characteristics, Reasons for pursuing Higher Education, and First-Year Experiences". College Student Journal 41 (6/7):3-11.
7. Inman, W. ElliotTT, and Larry Mayes. 1999 "The Importance of Being First : Unique Characteristics of First-Generation Community College Students." Community College Review 26 (4): 3-18.
8. बॉटमोर, टी0बी0, अनुवादक : गोपाल प्रधान (2004) समाजशास्त्र : समस्याओं और साहित्य का अध्ययन, नई दिल्ली. ग्रंथ शिल्पी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
9. भारतीय समाज 'एन.सी.ई.आर.टी.' नई दिल्ली, 2007
10. सक्सेना, वन्दना, 2004, महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली
11. अंसारी, एम0ए0, 2000, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 94-96

महिला पुलिस की उपादेयता : विभिन्न पुलिस आयोगों के दृष्टिकोण

डॉ0 डॉली*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, (राजनीति विज्ञान), राजकीय महाविद्यालय, बदायूं, उ0प्र0

सारांश : राज्य में कानून एवं व्यवस्था के रख रखाव हेतु पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवर्तित परिस्थितियों में राजकीय पुलिस व्यवस्था में सुधार एवं उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु अध्ययन करने के लिए समय समय पर न केवल भारत के विभिन्न राज्यों ने बल्कि भारत सरकार ने भी विभिन्न पुलिस आयोगों का गठन किया जिन्होंने गहन अध्ययन के पश्चात् अपनी सिफारिशें सम्बंधित सरकारों को सौपी। प्रस्तुत शोध पत्र में इन आयोगों द्वारा पुलिस विभाग में महिला पुलिस की उपादेयता के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द : कानून–व्यवस्था, चिल्ड्रेन्स एक्ट, अपराध, पुलिस एक्ट, पुलिस आयोग आदि।

भारतीय पुलिस की गतिविधियों में महिला पुलिस का योगदान उतना ही पुराना है जितना भारतीय इतिहास। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जोकि 310 ई.पू. लिखा गया था ने महिलाओं की सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया।[1] हालांकि ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में नहीं आया है कि कब से महिलाएं नियमित रूप से पुलिस सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। भारत में महिला पुलिस संस्थान अति आधुनिक है। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक दौर से महिला पुलिस के उपयोग के विषय में रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के धर्मादेश इत्यादि में उपयोगी तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। रामायण में बताया गया है किस प्रकार सीता को महिला पुलिस की सुरक्षा व निगरानी में रखा गया था। इसी प्रकार सम्राट अशोक के धर्मादेशों में भी खुले रुप में प्रतिवेदिकाओं के विषय में बताया गया है जो कि राजकीय प्रकोष्ठ की घुसपैठियों से सुरक्षा व प्रतिदिन की सूचनाएं एकत्रित करती थी। वे तहखाने की सुरक्षा और आगंतुकों की सेवा सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य भी करती थी। इन प्रतिवेदिकाओं द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, मदद व बेसहारा तथा असहायों की रक्षा का कार्य करवाया जाता था।[2]

भारत में सर्वप्रथम 1938 में कानपुर में हुई मजदूर हड़ताल के दौरान महिला पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई।[3] विषम परिस्थितियों एवं संभावित घटनाओं से बचाव हेतु कानपुर में 1938 में महिला पुलिस की नियुक्ति की गई। सन 1938 में त्रावणकोर में भी मुख्य पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति की गई। स्वतंत्रता से पहले यह नियुक्तियां प्रमुख बंदरगाहों जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की गई। यद्यपि इनकी संख्या काफी कम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला पुलिस को नियमित रूप से स्थाई रूप में भिन्न–भिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान में सामान्य शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण, रोजगार के नवीन अवसरों ने महिलाओं के उद्धार की हड़बड़ी मचा दी। इस प्रकार की परिस्थितियों ने दो प्रकार से प्रभावित किया। प्रथम महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर के सभी क्षेत्रों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की, द्वितीय बड़ी संख्या में महिला व युवा अपराधियों को जन्म दिया। फलस्वरूप अपराध बड़ी संख्या में बढ़ने लगे।[4] सन 1972 में महिलाओं ने प्रथम बार भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया। महिला पुलिस कानून व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग देने लगी।[5]

परिवर्तित परिस्थितियों में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तनों के दृष्टिगत पुलिस विभाग में भी परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। अतः विभिन्न राज्यों ने अपनी राजकीय पुलिस व्यवस्था में सुधार तथा उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु अध्ययन करने के लिए विभिन्न पुलिस आयोगों एवं समितियों का गठन किया जिन्होंने गहन एवं विस्तृत अध्ययन के उपरांत अपनी सिफारिशें संबंधित सरकारों को प्रतिवेदन के रूप में सौंपी। राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। विभिन्न पुलिस आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस बलों में महिलाओं की उपस्थिति एवं उपादेयता के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग 1960– 61 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग का गठन प्रस्ताव सं0 426/VIII. ए–250.57, दिनांक 23 जनवरी 1960 द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री अजीत प्रसाद जैन (सांसद) थे। इस आयोग के गठन का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली एवं राज्य में पुलिस बल के प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं एवं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना था। इस आयोग ने सरकार को सौंपी अपने प्रतिवेदन में महिला पुलिस की उपादेयता के विषय में लिखा है–

"महिला पुलिस ने भर्ती, प्रशिक्षण एवं निरीक्षणीय नियंत्रण संबंधी विशेष समस्याओं को उठाया है। जब तक पुलिस बल की ओर सही प्रकार की महिलाएं आकर्षित नहीं होती हैं तब तक महिला पुलिस को पुलिस बल में भर्ती करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। हम इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति की गई है। पुलिस कार्यों से संबंधित कुछ ऐसी विशेषीकृत गतिविधियां है जिनमें महिलाएं प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं जैसे बाल अपराध एवं अनैतिक व्यापर।[6]

बिहार पुलिस आयोग–1961 : बिहार पुलिस आयोग का गठन श्री बी.पी. जमुआर (पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय एवं पूर्व कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय) की अध्यक्षता में सन् 1961 में किया गया। आयोग ने सरकार को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में कहा कि महिला पुलिस का प्रयोग विशेष रुप से महिलाओं का अनैतिक व्यापार एवं बाल अपराधियों से संबंधित मामलों में किया

जा सकता है। आयोग ने महिला पुलिस को पुरुष पुलिस से स्थानापन्न करने की सलाह नहीं दी है वरन महिलाओं को उन कर्तव्यों को करने की अनुशंसा की है जो वह पुरुषों की अपेक्षा अच्छे प्रकार से कर सकती हैं ।

इसके अतिरिक्त आयोग ने केवल ए.एस.आई एवं हेड कांस्टेबल के पदों की संस्तुति की तथा महिला पुलिस में कांस्टेबल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की। आयोग ने सुझाव दिया कि बिहार के बड़े जिलों में एक ए.एस.आई के अंतर्गत 9 महिला हेड कांस्टेबल की एक टुकड़ी प्रदान की जानी चाहिए।[7]

महाराष्ट्र पुलिस आयोग–1964 : महाराष्ट्र पुलिस आयोग की स्थापना सन 1964 में की गई थी जिसने सरकार को अपना प्रतिवेदन 30 मई 1964 को सौंपा। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के स्तंभ 18 में लिखा है कि वर्तमान में महिला पुलिस को दिए गए कर्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें स्कूल, बाजार एवं अन्य ऐसे स्थानों के समीप जहां जनता एकत्रित होती है, पैदल सड़क पार करने हेतु यातायात संबंधी कार्य, ऐसे मामलों में सहायता प्रदान करना जहां मृतक महिला के शरीर पर जांच की जाती है (मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु) आदि कार्य सौपें जा सकते हैं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने एवं उन्हें महाराष्ट्र के उन जिलों में लगाने की सिफारिश की है जहां भी नहीं है।[8]

दिल्ली पुलिस आयोग–1966 : दिल्ली पुलिस आयोग का गठन 5 नवंबर 1966 को श्री जी.डी खोसला (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय) की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के स्तंभ 32 में इस बात पर बल दिया है कि महिलाओं की पुलिस विभाग में न केवल नियुक्ति की जाए वरन इस बल का विस्तार भी किया जाए। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के स्तंभ 37 में लिखा है कि पुलिस सेवा में महिला पुलिस के लिए भिन्न प्रकार की भूमिका निर्वहन हेतु है एवं इन्हें प्रत्येक वृहद शहरी क्षेत्र में पुलिस बल का आवश्यक भाग होना चाहिए।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यदि सही प्रकार से भर्ती एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो इन क्षेत्रों में महिला पुलिस पुरुषों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।[9]

असम पुलिस आयोग–1969 : असम पुलिस आयोग का गठन अधिसूचना संख्या एच.पी.एल 152/68/85 दिनांक 21 मई, 1969 में श्री शांति प्रसाद (भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी) की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सन 1970 में सौंपा। स्तंभ 1 में आयोग का मत है कि असम में महिला पुलिस की उपयोगिता अधिक है क्योंकि राज्य मे महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पर्दा प्रथा लगभग अस्तित्वहीन हो चुकी है एवं राज्य के कई क्षेत्रों में महिलाओं ने सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जनजातीय समाजों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है।

स्तंभ 2 में आयोग ने सुझाव दिया है कि पुलिस में महिला पुलिस अनुभाग का धीरे–धीरे प्रसार किया जाए। वे प्राथमिक रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होंगी। आयोग ने सुझाव दिया है कि महिला पुलिस कार्मिकों को अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और जहां तक संभव हो उनकी नियुक्ति उनके गृह जनपदों में होनी चाहिए।[10]

पंजाब पुलिस आयोग–1961 : पंजाब पुलिस आयोग का गठन 11 मई सन 1961 में जस्टिस मेहर चंद महाजन (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत) की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने 30 अप्रैल 1962 में सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। पुलिस विभाग में महिला पुलिस की उपयोगिता के पक्ष और विपक्ष में अध्ययन करने के पश्चात् पंजाब पुलिस आयोग ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक जिले में एक एस.आई., एक हेड कॉन्स्टेबल एवं 15 कॉन्स्टेबल की महिला पुलिस की टुकड़ी नियुक्ति की जाए तथा उनको महिला बंदियों की तलाशी गिरफ्तारी एवं अनुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चों, विशेषतः यौन अपराधों में शामिल, के बयान दर्ज करना, सभाओं, जुलूस, आंदोलन एवं मेलो आदि के अवसरों पर महिलाओं की भीड़ को नियंत्रित करना, महिला बंदियों की निगरानी करना, सीमा पर पासपोर्ट आदि की जांच करना आदि कार्य सौपें जाने चाहिए। आयोग ने यह भी संस्तुति की कि महिला पुलिस के गठन के लिए पुलिस महा निरीक्षक के अंतर्गत एक महिला पुलिस अधीक्षक होनी चाहिए।[11]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग–1977 : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में सन 1861 के पुलिस अधिनियम की प्रासंगिकता, 1902 के पुलिस आयोग के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था के संबंध में वृहद अवलोकन हेतु भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या 24021/36/77– जी0पी0ए0 –1, दिनांक 15 नवंबर,1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष श्री धर्मवीर (भूतपूर्व राज्यपाल) थे। इस आयोग ने गहन अध्ययन के पश्चात् सरकार के समक्ष 8 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रथम प्रतिवेदन फरवरी 1979 में तथा अंतिम प्रतिवेदन मई 1981 में प्रस्तुत किया गया ।

आयोग ने नवंबर 1980 में प्रस्तुत पांचवें प्रतिवेदन के अध्याय 42 में पुलिस बल में महिलाओं की उपयोगिता के संबंध में प्रकाश डाला है। आयोग ने स्तंभ 42.9 में लिखा है कि पुलिस कार्य में अपराधों का अन्वेषण करना ऐसा पहलू है जिसमें महिला पुलिस को सक्रिय रूप से और सीधे तौर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्हें औरतों और बच्चों से संबंधित अपराधों के अन्वेषण का कार्य सुपुर्द किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें ऐसे अपराधों से संबंधित आसूचना कार्य में भी नियुक्त किया जा सकता है।

स्तंभ 42.10 में आयोग ने लिखा है कि महिला संबंधी मामलों में महिला पुलिस निरोधात्मक एवं अन्वेषणात्मक दोनों भूमिकाएं उपयोगी ढंग से निभा सकती हैं। वास्तव में इन मामलों की अन्वेषणात्मक कार्रवाईयों के साथ–साथ व्यपहरण, अपहरण, बलात्कार आदि में महिला पुलिस की नियुक्ति अति उपयोगी होगी क्योंकि शिकार हुई महिलाएं महिला पुलिस से खुलकर बात करने और ऐसे मामलों के अन्वेषण और अभियोजन में आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना देने में अधिक उत्सुक होगी।

आयोग ने चौथी रिपोर्ट के स्तंभ 27.10 में पहल ही उल्लेख किया है कि पुलिस का सारा दर्शन, संस्कृति और दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे पुलिस थाना विपत्ति ग्रस्त लोगों के लिए सहायता के एक सुलभ स्रोत की तरह दिखाई दे और उसी तरह काम करे। पुलिस थानों में महिला पुलिस की मौजूदगी उक्त प्रयोजन को पूरा करने में काफी हद तक सहायक होगी।

महिला पुलिस के प्रशिक्षण के विषय में आयोग ने स्तंभ 42.13 में लिखा है कि उपरोक्त स्तंभ में वर्णित कार्यों के सफल संचालन हेतु पुलिस बल में सही प्रकार की महिलाओं की भर्ती करने की आवश्यकता है। इन कार्यों में पर्याप्त शिक्षा की पृष्ठभूमि और स्थान वाली महिलाओं की भर्ती करने की आवश्यकता है ताकि जिन परिस्थितियों में उनको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए उनमें वे भावुकतापूर्वक प्रतिक्रिया कर सके। आयोग का विचार है कि महिला पुलिस के विभिन्न रैंकों को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शिक्षा उन्हीं पुलिस संस्थानों में दी जानी चाहिए जहां पर पुरुष पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि और विषय वस्तु वही होनी चाहिए जो उनके पुरुष प्रतिपक्ष की होती है। इससे भर्ती और प्रशिक्षण स्तरों में एकरूपता सुनिश्चित होगी। तथापि महिला रंगरूटों के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कतिपय संशोधन करने होंगे। कठोर बनने और शारीरिक शक्ति का निर्माण करने के पहलुओं पर जोर देने के बजाय महिला पुलिस के प्रशिक्षण में उनमें शारीरिक आत्मविश्वास पैदा करने और अपनी ड्यूटी के दौरान सभी प्रकार के मनुष्यों से निपटते समय उनको शारीरिक सुरक्षा तकनीक से सुसज्जित करने के लिए निर्देश होने चाहिए।

स्तंभ 42.14 में आयोग ने सिफारिश की है कि महिला पुलिस को सामाजिक बुराइयों का निदान और निवारण करने के योग्य बनाने के लिए यदि वे समाज विज्ञान के किसी संस्थान में सामाजिक कार्य का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं तो महिला पुलिस की उपादेयता काफी बढ़ जाएगी। महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की भांति प्रशिक्षित किए जाने के अलावा समाज कार्य संस्थानों में विशेष कार्यक्रम करवाने चाहिए ताकि वे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपनी सामाजिक भूमिका निभाने में सक्षम हो सकें। उन्हें यथा समय वे सभी ड्यूटी सौंपी जा सकती हैं और सौंपी जानी चाहिए जो अब पुरुष कर्मचारियों को सौंपी जाती है।

आयोग ने स्तंभ 42.15 में संस्तुति की है कि आगामी वर्षों में पुलिस के लिए अपनी संख्या और कामों में अधिक से अधिक महिलाओं को भर्ती करना और उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक होगा। साथ ही यह सिफारिश की है कि पुलिस बल में कॉन्स्टेबल रैंक के बजाय सहायक उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक के रैंक में महिलाओं को वरीयता देकर भर्ती किया जाए। सहायक उपनिरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को स्नातक होना चाहिए, सामाजिक कार्य में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। कार्यपालन के दौरान मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवाओं को भर्ती किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, बशर्ते कि कॉन्स्टेबल, ए0एस0आई और एस0आई के उपयुक्त ग्रेड के लिए वे उपयुक्त और योग्य हों।[12]

वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में जिस गति से महिलाओं और बालकों के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है तथा अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है ऐसी परिस्थिति में पुलिस बल में महिला पुलिस की उपयोगिता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। विभिन्न राज्यों के पुलिस आयोगों एवं राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदनों का सार भी यही है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा महिला पुलिस को सौपे गए कार्यों के विस्तृत विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि महिला पुलिस सामाजिक परिवर्तन की एक कड़ी सिद्ध हो सकती है। आयोग ने दुराचार या लैंगिक अपराधों जैसे बलात्कार, अनैतिक व्यापार तथा बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की कार्यवाही और छानबीन का कार्य महिला पुलिस को सौंपा है।अपराधी को सजा देने के लिए यह आवश्यक है कि साक्ष्य जुटाए जाए और उचित जांच की जाए। यह देखा जाता है कि औपचारिक जांच से किसी पुलिस अधिकारी के लिए सच्चाई का पता लगाना हर बार संभव नहीं होता इसलिए अनौपचारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर सकता है। यह महिला पुलिस का दायित्व है कि वह तथ्यों का पता लगाकर पीड़ितों की सहायता करे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने महिला पुलिस की भूमिका को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। महिला पुलिस की सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका की स्वीकारोक्ति इस ओर संकेत करती है कि महिला पुलिस सामाजिक परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 शर्मा, पी.डी., "इंडियन पुलिस–ए डवलपमेन्टल एप्रोच", रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली, (1977), पृ0 2
2. शाह, गिरिराज, "द एनसाइक्लोपिडिया ऑफ वूमेंस स्टडीज", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1992, पृ0 566
3. महाजन, अमरजीत, "ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए न्यू रोलरू इंडियन पुलिस वूमेन", दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1982, पृ0 38–39
4. महाजन, अमरजीत, वही, पृ0 42
5. विश्नोई, ओमराज, "महिला पुलिस–एक सर्वेक्षण", पुलिस पत्रिका,पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली, अंक जनवरी–मार्च, 1999, पृ0 8
6. उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, 1960–1961, पृ0 सं 54, स्तम्भ 116 व 117
7. बिहार पुलिस आयोग, 1961, पृ0 सं. 78, स्तम्भ–121,122,124
8. महाराष्ट्र पुलिस आयोग, 1964, पृ0 सं. 3
9. दिल्ली पुलिस आयोग, 1966 , पृ0 सं. 316–321
10. असम पुलिस आयोग, 1969 अध्याय– XI पृ0 379–282
11. पंजाब पुलिस आयोग, 1961
12. राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1977, अध्याय V , पृ0 71–75

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 97-100

सातवाहन युगीन भारतीय कला

रीया सिंह*

*शोध–छात्रा, प्राचीन इतिहास, बयालसी पी0जी0 कालेज, जलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह**

**शोध निर्देशक, बयालसी पी0जी0 कालेज, जलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : दक्षिण भारत में सातवाहन सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से बौद्ध कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इस काल में नये स्तूपों का निर्माण तथा पुराने स्तूपों का जीर्णोद्धार हुआ। ये दुर्भाग्य है कि उस समय के स्तूपों में से आज कोई भी अपनी पूर्ण अवस्था म प्राप्त नहीं है। भारतीय मूर्तिकला के विकास में आन्ध्र–सातवाहन युग का विशेष महत्व है।

मुख्य शब्द : आन्ध्र–सातवाहन युग, धार्मिक सहिष्णुता, अभिजात्यवर्ग, शुंगयुग, अमरावती का महास्तूप, शिल्प विधान आदि।

आन्ध्र –सातवाहन युग कला के विकास में आर्थिक सम्पन्नता विदेशों से समुन्नत व्यापारिक सम्बन्ध तथा समाज के विभिन्न वर्गो का योगदान विशेष महत्व रखता है। अमरावती में तो बहुत से ऐसे लेख मिले हैं जिनमें दाताओं ने अपने पुण्य में अपने माता–पिता, पत्नियों, भाइयों, पुत्र–पुत्रियों और पोतों पर पोतों तक को सहभागी बनाया है।[1] एक अभिलेख में एक अधिदर्शक का उल्लेख किया गया है, जिसके निर्देशन में कलाकारों द्वारा गुफा का निर्माण कराया गया था।[2] अमरावती के तक्षणों में धान्यकटक नगर द्वारा दिये गये अनुदानों का उल्लेख हुआ है।[3] अतः इस प्रकार की कला के विकास में राज्य प्रशासन, राज्य परिवार के सदस्यों और सामान्य नागरिकों में–ब्राह्मणों, अभिजात्यवर्ग के लोगों, कृषकों और व्यवसायियों तथा व्यापारियों के श्रणियों आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। शुंगयुग ने उत्तरापथ में जब बौद्ध कला में विकास की गति को तीव्र किया उसी समय दक्षिणापथ में आंध्र–सातवाहनों ने वैभवशाली में भी एक कलात्मक आन्दोलन एवं नवीन मूर्ति शिल्प का उदय हुआ। द्वितीय श०ई०पू० से तृतीय शताब्दी ई० के मध्य आन्ध्र–सातवाहनों के काल में बौद्ध कला में अभूतपूर्व उन्नति हुई जिसका प्रतिनिधित्व अमरावती एवं नागार्जुनोकोण्डा के स्तूपों पर उत्कीर्ण मूर्ति शिल्प करते है।

अमरावती कला : आन्ध्रप्रदेश के गुन्टूर जिले में कृष्णा नदी के दायें तट पर अमरावती का महास्तूप स्थित था। अमरेश्वर शिव के नाम पर बसा अमरावती छोटा ग्राम है, जिसका प्राचीन नाम 'धान्यकटक' था, जो सातवाहनों की राजधानी थी। अमरावती के बौद्ध महास्तूप का जो स्वरूप द्वितीय तृतीय शताब्दी में था वह–विश्व कि महान कलाकृतियों में स्थान पाने योग्य है।' किन्तु यह दुर्भाग्य है कि यह स्तूप भी पूर्णतः विनष्ट हो चुका है तथा इसके अवशेष ब्रिटिस संग्रहालय लन्दन, राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता एवं मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है।[4] फर्ग्युसन का कथन है कि मैकेन्जी द्वारा मूर्तियों एवं शिलापट्टों का विधिवत तैयार किया गया रेखाचित्र बहुत श्रेष्ठ एवं उत्तम है तथा भारत में वैसे अन्यत्र नहीं बने।[5]

अमरावती–शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण तथा मनोहारी अंकन महास्तूप के अण्ड पर लगे प्रस्तर–फलक वेदिका के स्तम्भों का अलंकरण तथा सूची एवं उष्णीष पर शिल्पांकित दृश्यों में दृष्टिगोचर होता है। अमरावती स्तूप के प्रस्तर फलकों' पर छत्र, बुद्ध पद–चिन्ह, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, भिक्षापात्र एवं स्तूप इत्यादि बौद्ध प्रतीकों का सुन्दर अंकन कला की दृष्टि से श्लाघनीय है। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं का आकर्षक अंकन अण्ड के चारों तरफ 10 फुट के पट्टों की एक श्रेणी में किया गया है।

शिल्प विधान की दृष्टि से अपरावती महाचैत्य की मूर्तियाँ भरहुत एवं सांची की मूर्तियों से भिन्न है। परन्तु ये मूर्तियाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त सुंदर तथा विभिन्न अभिप्रायों से युक्त है। बुद्ध का मूर्तरूप में अंकन यहाँ की मूर्तिकला में विशेष महत्वपूर्ण है। बुद्ध के प्रतीकों का शिल्पांकन पूजा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है।

अमरावती में शिल्पांकित स्त्री–पुरुष की क्षीण किन्तु लंबी काया यहाँ कि शैलीगत विशेषता है। पुरुषों के सिर पर पगड़ी, शरीर पर लम्बी धोती एवं उत्तरीय का रोचक अंकन किया गया है। इसकी भाव–भंगिमा तथा प्रत्यांगों का समायोजन इस शैली की प्रमुख विशेषता है यद्यपि आभूषणों के प्रयोग में न्युनता परिलक्षित होती है। 'तकनीकि–दक्षता' अमरावती शिल्प में पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होती है। 'पूर्णघट' का अंकन भी अमरावती शिल्प में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। पट्टिकाओं तथा वेदिकाओं में स्तूप, चैत्य, विहार, नगर एवं प्रासाद को स्थापत्य की अदभुत कुशलता के साथ उकेश गया है।

अमरावती स्तूप के चारों ओर कि वेदिकाओं एवं वेष्टिनी काफी लम्बी थी जिसमें फुल्लों से उत्कीर्ण सूचियाँ, उष्णीश तथा स्तम्भ एवं चार तोरण द्वार लगे थे। आयक, (आर्यक–पूज्य) उसे कहते थे जो प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा था। स्तम्भ को आधार प्रदान करना ही आयकों का उद्देश्य था। स्तूप के आधार से लगभग 20 फुट की ऊँचाई पर 'आयक बनाये गये थे। प्रदक्षिणापथ तक पहुंचने के लिए प्रत्येक आयक के अगल–बगल सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। आन्ध्र स्तूपों की अपनी विशिष्टता 'आयक' मंचों का निर्माण था। स्तूप की न केवल प्रदक्षिणापथ तथा वेदिका अपितु गुंबद (अण्ड) भी संगमरमर की पटियाओं से जड़ा गया था। गुम्बद के सबसे उपर एक मंजुषा थी जिसके ऊपर लौह–छत्र लगा था। यह अनुमान लगाया जाता है कि स्तूप का आधार बहुत बड़े आकार का रहा होगा। स्तूप का व्यास लगभग 162 फिट तथा वेदिका का घेरा 800 फीट था। इसमें 136 स्तम्भ नौ फिट ऊँचे तथा पौने तीन फीट ऊँची 348 सूचियाँ लगी थी।[6] कलापूर्ण नक्कासी सभी के ऊपर की गई थी। छत्र युक्त हर्मिक सबसे उपरी भाग पर थी। चार सिंहों कि मूर्तियाँ द्वार की वेदिका पर हैं। भीतरी भाग में दो सिंह आमने–सामने मुंह किए हुए तथा स्तम्भों के दो सिंह बाहर की ओर सामने मुंह किए हुए अंकित किये गये है। निश्चित रूप से

यह स्तूप अपनी पूर्णता में धार्मिक आदर्शों तथा अत्यन्त विकसित कलात्मक भावना पर आधारित स्थापत्य कला की ओजपूण शैली का प्रतिनिधित्व करता होगा। कलाविदों ने उत्कीर्ण शिल्प को चार भिन्न–भिन्न कालों से सम्बद्ध किया है।

प्रथम काल (ई०पू० 200–ई०पू० 100) : बुद्ध की मूर्ति के निर्माण की परम्परा इस युग में विकसित नहीं थी। बुद्ध को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वेदिका के उष्णीश पर महामाल्य को कन्धों पर वहन करती हुई बौनी यक्ष मूर्तियां बनी है। कभी–कभी गणेश की भांति हस्तिमस्तक युक्त लम्बोदर यक्ष मूर्तियां भी अंकित है जिन्हें गणेश मूर्ति की कल्पना का आधार कह सकते है। सिंह शरीर की गरूड़ मस्तक के साथ की आकृतियाँ आकर्षक एवं बलिष्ठ है। अनेक काल्पनिक रूपों का प्रश्रय कलाकार ने कला में विविधता उत्पन्न करने के लिए लिया है। यह स्तूप का स्थापना काल है जो, भरहुत परंपरा में चित्रित है। इस काल की स्त्री मूर्तियों में चौड़ी मेखला है। कायबन्धन जिसके ऊपर है। जंघे तथा नीचे की साड़ी पर दोहरी रेखाएं सलवटों को सूचित करती है। शुक्रान्त्रक प्रकार के कटिबन्ध का प्रयोग पुरुष मूर्तियों में है। यक्षों की भाँति इस युग की मूर्तियां सिर पर भारी उष्णीश एवं काना में वप्राकार कुण्डल से युक्त गले में कई प्रकार के हार बने है तथा नेत्रों को कुछ तिरछे चितवन युक्त बनाया गया है।

इस काल के शिलापट्टों पर अंकित दृश्यों में जटिलों का धर्म–परिवर्तन, बुद्ध की शारीरिक धातुओं का विभाजन, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञानप्राप्ति बुद्ध का पूजन, भिक्षापात्र की पूजा, हाथी आदि पशुओं द्वारा स्तूप पूजा तथा बुद्ध पादुका पूजन आदि उल्लेखनीय है।

द्वितीय काल (ई०पू०100–100 ई०) : यह समय सातवाहन सम्राट वाशिष्टी पुत्र पुलुमात्री का था।[7] इस समय भारतीय मूर्तिकला में तथागत की मूर्ति के निर्माण के साथ ही अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इस द्वितीय चरण में बुद्ध के प्रतीकों के साथ उनकी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। कई शिलापट्टों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकों द्वारा उकेरा गया है। ये बुद्ध मूर्तियां आध्यात्मिक शान्तभाव के साथ कटरा के बोधिसत्व मूर्ति के अनुरूप है। स्त्री मूर्तियाँ मथुरा कला से ओत–प्रोत है इनके शरीर पर वस्त्र झीने तथा गीले वस्त्र की तरह चिपके है। अचानक देखने पर मूर्तियां नग्न प्रतीत होती है। कलाकार ने इस काल के शिलापट्टों पर बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित कई घटनाओं का चित्रण किया है जैसे–मतंग जातक, दूत जातक, अंगुलिमाल डाकू की कथा तथा क्रोधावेश में उदयन की कथा आदि। कुछ अन्य अंकन भी महत्वपूर्ण है– रामग्राम स्तूप का उद्घाटन, बुद्ध द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तन, बुद्ध का धर्मोपदेश, मायादेवी का स्नान आदि।

तृतीय काल (150–250 ई०) : यह यज्ञ श्री सातकर्णी का काल था।[8] इसे चर्मोत्कर्ष काल भी कहा जाता है। इस युग के मुख्य दृश्यों में तथागत के भिक्षापात्र को नृत्य–गीत के साथ देवलोक ले जाना, नलगिरि हाथी को वश में करना, अजातशत्रु द्वारा बुद्ध का दर्शन करना, चक्रपूजा, बुद्ध की जीवन घटनाओं में राहुल का जन्म, बुद्ध का गृहत्याग, यशोधरा, शुद्धोधन का दूत–प्रेषण, बुद्ध का कपिलवस्तु में पुनरागमन, बुद्ध को मार द्वारा प्रलोभन का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल में स्तूप का संवर्द्धन वास्तु तथा शिल्प दोनों दृष्टियों से किया गया। सूचियों, स्तम्भों तथा उष्णीशों पर सुन्दर शिल्प उत्कीर्ण हुए है। स्तम्भों के बाहरी बाजुओं पर ऊपर अर्द्ध कमल, बीच में बड़ा कमल तथा मध्य में बुद्ध के जीवन की विविध घटनायें उत्कीर्ण की गई है। जातक ग्रन्थों से ली गई अनेक कथायें छज्जे के भीतरी बाजू के स्तम्भ, सूची आदि पर अंकित है।

बौद्ध प्रतीकों में पादुकापट्ट का आधिक्य है। अग्निस्कन्ध भी इसके साथ प्रदर्शित किये गये है। यहाँ बुद्ध के अतिमानवीय एवं दिव्य अनन्त स्वरूप का दर्शन सुलभ है। जैसी काम–कुमारों की लघु मूर्तियां गान्धार कला में है तथा बौनी यक्ष मूर्तियाँ भरहुत–सांची में है उससे कही अधिक विशिष्ट अद्भुत, रोचक एवं रूपसम्पन्न अमरावती की मालाधारी स्त्री–पुरुष मूर्तियाँ हैं। माला या पुष्पदान को अनेक रूपों में दिखाया गया है।

इस काल में सातवाहन साम्राज्य की लक्ष्मी सौन्दर्य, कीर्ति एवं सम्पत्ति के चरमोत्कर्ष शिखर पर थी। इसके प्रमाण अमरावती स्तूप के बहुसंख्यक उष्णीश सूची, वेदिका स्तम्भ, वेदिका एवं अण्ड भाग की शोभा पट्टी, आयक मंच, स्तूप पट्ट आदि शिल्प उपादानों से उपलब्ध होते है। स्तूप की 13 फीट ऊँची महावेदिका का निर्माण इसी काल में हुआ। स्तम्भों के विभिन्न भाग अनेक अलंकरणों से सम्पन्न है। इस पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ चक्षु एवं हृदय को आत्मलीन करने वाली है ये कही अधिक उभरी तो कही भित्ती रेखाओं के रूप में है। इनके अंगो में मोड़, लोच, लय, सरलता, तरलता एवं गति है जिनसे मूर्तियाँ सप्राण प्रतीत होती है।

चतुर्थ काल (200–250 ई०) : अमरावती मूर्ति शिल्प इस युग तक आते–आते रूढ़िग्रस्त हो गया जिस कारण किसी नवीनता का संचार न हो सका। मूर्तियों का निर्माण शिल्पियों ने परम्परागत रूप में किया जैसे उनके सम्मुख कोई आधार शास्त्र या आधार आदर्श हो जिसमें कलाकार कि मौलिकता, स्वतंत्रता या कल्पना का कोई स्थान न हो। इसकी सौन्दर्य भावनाएं दबी प्रतीत होती है। चित्रण या नाहरमुखी ग्रास अभिप्राय इसी युग की देन है। इसी युग में 'सीमन्तमकरिका' नामक आभूषण का प्रयोग दृष्टिगत होता है। सर्वप्रथम इसी युग में स्त्री–पुरुष आकृतियों पर मुक्ताफल–यज्ञोपवीत तथा सूक्ष्म मुक्ताहारों का प्रचलन शुरू हुआ।

अमरावती शिल्प में[9] तथागत के जीवन–दृश्य, नागों द्वारा रक्षित रामग्राम स्तूप, राहुल का उत्तराधिकार एवं माया के स्वप्न का अंकन कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। अमरावती इस समय ईक्ष्वाकुवंशी राजाओं के शासन में आ गया। नागार्जुनीकोण्ड के स्तूप का निर्माण भी इसी समय हुआ। पहले जैसा शिल्पकारी का स्तर रमणीय नहीं रह गया। मानव आकृतियाँ अधिक लम्बी व छरहरे बदन की बनाई गयी। इन्हें मोती की मालाओं से लाद दिया गया। झरोखों से झांकती हुई स्त्री–पुरुषों के मुखड़े बनाये गये। गोल घेरों में फूल पत्तियों की छोटी बेल बनाई गयी। अलंकरण में पहले जैसी सजीवता एवं सुंदरता नहीं मिलती। इस प्रकार अमरावती का महास्तूप भारतीय वास्तु की एक उज्जवलतम कृति, है। चारूत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इस महान कृति में दर्शनीय है।[10] कुमारस्वामी यहां की शिल्पकला को भारतीय कला का अत्यन्त विलासी एवं अतिसुकुमार पुष्प' मानते हैं।[11]

नागार्जुनीकोण्ड कला : तीसरी शताब्दी ई० में नागार्जुनी पहाड़ी पर स्तूपों का निर्माण किया गया था जिसे 'नागार्जुनीकोण्ड स्तूप' कहा जाता है। यहां सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी थी। नागार्जुनीकोण्ड का एक अन्य नाम 'विजयपुरी' भी मिलता है। इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे किन्तु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। इन्हीं की प्रेरणा से यहां स्तूपों का निर्माण कराया गया।

अमरावती तथा नागार्जुनीकोण्डा में उत्कीर्ण की गई बुद्ध के जीवन के अभिप्रायों में बहुत समानता है। दोनों ही स्थानों पर माया का स्वप्न, सिद्धार्थ का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, मारघर्षण, सम्बोधि के पश्चात बुद्ध का कपिलवस्तु में पुनरागमन और यशोधरा तथा राहुल से मिलना आदि उत्कीर्ण है। नागार्जुनीकोण्डा की कला को निम्न कोटियों में रखा जा सकता है।

(1) बुद्ध के जन्म के पूर्व का अंकन : अवदान एवं निदान कथाओं में बुद्ध के जन्म क पूर्व का जो विवरण है उसका अंकन यहां किया गया है। अन्य दृश्यों का अंकन भी महत्वपूर्ण है जैसे–बुद्ध का अवतरण, माया का स्वप्न तथा एक पट्ट पर शाल वृक्ष के नीचे माया देवी का अंकन है। वही स्नानघट, छत्र और लोकपालों की उपस्थिति का भी अंकन है। बुद्ध के आगमन का प्रतीक है छत्र, स्नानघट बुद्ध जन्म पर माया को स्नान कराने का बोधक है तथा लोकपाल जन्म के पश्चात बुद्ध को अंक में लेने के प्रतीक है।

(2) कपिलवस्तु में बुद्ध का होना : कुल देवता के सम्मुख सिद्धार्थ को ले जाना, ब्राह्मण असित द्वारा कुण्डली बनाकर उनका भाग्य फल बतना, राजदरबार का अंकन, बिलासी जीवन का त्याग, धनुष विद्या सीखना आदि एक पट्ट पर अंकित है तथा राजकुमार द्वारा गृहस्थ जीवन छोड़ सन्यासी वेश में वन गमन का अंकन अलग शिलापट्टों पर किया गया है।

(3) ज्ञान प्राप्ति तथा धर्मोपदेश : एक पट्ट पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे आसन पर बैठे है। मार अपनी दो पुत्रियों के साथ उन्हें विचलित करने में लगा हुआ है। देवों द्वारा बुद्ध से अनुरोध करना कि वे अपने ज्ञान को जनता तक ले जाये तथा बुद्ध का आसन पर विराजमान होना एवं उनके दोनों तरफ दो चामरग्राही व दो मृगों के अंकन के साथ दो राजकुमारों एवं दो भिक्षुओं का भी अंकन किया गया है।

(4) जातक कथाओं का उत्कीर्णन : प्रमुख जातक कथायें इस प्रकार है– घट जातक, दीघित जातक, दशरथ जातक, शिवि जातक, महापदुम जातक, चाम्पेय जातक, मांधाता जातक आदि। मांधाता जातक अति लोकप्रिय या तभी विभिन्न दृश्यों में इसे जोड़ा गया है। यहां एक दृश्य में सात लक्षणों वाले वक्रवर्ती राजा का अंकन किया गया है ये लक्षण है सेनापति, मंत्री, अश्व, गज, चक्र, रत्न एवं रानी।

(5) तथागत के जीवन के दृश्य : यहाँ नलगिरिहस्ति का दृश्य बहुत ही रोचकता के साथ प्रदर्शित है। द्रोण नामक ब्राह्मण के बारे में अंकन किया गया है। यक्षों और नागों के दमन कि भी चर्चा यहाँ की गई है। धर्मचक्रप्रवर्तन के भी दृश्य यहाँ अंकित किये गये है। लता, त्रिरत्न, पूर्णघट, कमल, स्वस्तिक, पुष्प के अलावा फूलों की माला को उठाये लोगों के झुण्ड यहां अंकित किये गय है। कहीं–कहीं पशुओं का झुण्ड भी अंकित है इनमें बृषभ, गज, मृग तथा व्याघ्रपंक्ति का अंकन बड़ा ही मनोहारी है। बड़े अलंकारिक रूप में हसों को भी उकेरा गया है। वृक्षिका तथा यक्षी की काया अत्यन्त कमनीय, भावभंगिमापूर्ण, तन्वंगी मादकता के साथ अलसाई तथा यौवन से परिपूर्ण अंकित की गई है। उनमें भावों का निस्सरण, अंगो की चपलता की कमनीयता एवं शारीरिक लोच अत्यन्त आकर्षक है।

यहाँ मिथुन मूर्तियाँ बड़ी कुशलता से उकेरी गई है। कलाकारों ने उनके भावों को व्यक्त करने का बड़ा ही सफल प्रयास किया है। इनमे प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही रूचिकर है। अंगों की कमनीयता, उतार–चढ़ाव, लोचपन सुकुमारता के कारण भाव प्रदर्शन अधिक मोहक प्रतीत होता है। यहां के अंकन में नारी में सम्मोहन, मादकता, यष्टिकाया, अंगों का भावपूर्ण प्रदर्शन, लचरपन, कमनीयता, विशिष्ट अंगों की पुष्टता आदि के कारण आकृतियाँ बड़ी आकर्षक बन गई है।[12]

नागार्जुनकोण्डा का मुख्य आकर्षण महास्तूप या महाचैत्य है। इसमें सिर्फ निर्माण कला की उन्नति ही नहीं बल्कि बौद्ध प्रतीकों का वास्तुकला में प्रयोग भी देखा जा सकता है। यह स्तूप वास्तव में एक शारोरिक स्तूप था। एक स्वर्ण तबरूक–पात्र (त्मसपूंतल) व अभिलेख इसके भीतर मिले है।[13] इस स्वर्ण पात्र में अस्थि अवशेष थे तथा अभिलेख यह संकेत देता है कि ये भगवान बुद्ध के है।

इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश का नागार्जुनकोण्डा स्थल एक महत्पपूर्ण बौद्ध केन्द्र होने के साथ–साथ भारतीय वास्तुकला व बौद्ध कला की भी महत्वपूर्ण धरोहर है। विश्व भर के बौद्ध यात्री यहां आते है तथा इस प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र के दर्शन कर पुण्य–लाभ प्राप्त करते हैं। यहां की कलाकृतियों को देख कर पर्यटक मुग्ध हो जाते है।

चैत्यगृह तथा बिहार : मौर्यकाल में पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा बिहार बनवाने की जो परम्परा प्रारंभ हुई सातवाहन काल में वह आते–आते चर्मोत्कर्ष पर पहुँच गयी। 'कीर्तिउत्कीर्ण' गुफा को तथा 'कीर्त्तिमुख' उसके प्रवेश द्वार को कहा जाने लगा। 'कीर्तिस्तम्भ' उन्हें कहा गया जो स्तम्भ गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर तैयार किये जाते थे। पश्चिमी भारत में सातवाहन काल में पर्वत गुफाओं को काटकर विहारों तथा चैत्यगृह का निर्माण किया गया। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता सम्बन्धी। शवदाह के पश्चात बचें हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गयी उसे ही प्रारम्भ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। चैत्य उपासना के केन्द्र इसलिए बन गये क्योंकि इन समाधियों में 'महापुरुषों' के धातु–अवशेष सुरक्षित थे। बौद्धों द्वारा इन्हें अपनी उपासना का केन्द्र बनाने के कारण चैत्यवास्तु बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गया। प्रारम्भ में चैत्य व स्तूप खुले में होते थे परन्तु बाद में उन्हें भवनों में स्थापित किया गया। इस तरह के भवन चैत्यगृह कहे गये। चैत्यगृह दो प्रकार के होते थे।

1. ऐसे चैत्य जो पहाड़ों को काटकर बनावाएं गये।
2. खुले स्थान में ईंट पत्थरों की सहायता से बनाये गये चैत्य।

बिहार उन्हें कहा गया जो चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाये गये। इस प्रकार चैत्यगृह स्तूपों के समीप बनाये गये प्रार्थना भवन (गुहा मन्दिर) होते थे। जबकि बिहार भिक्षुओं के निवास के लिए बने हुए मठ या संघाराम होते थे। गुहा बिहार लगभग 100 तथा चैत्यों कि संख्या कम मिलती है। चैत्यगृह में मुख्यतः तीन अंग होते थे–

1. मध्यवर्ती कक्ष (नाभि या मध्यवीथी)
2. मण्डप या महामण्डप
3. स्तम्भ

वी०एस० अग्रवाल के अनुसार 'बौद्ध धर्म का देवालय चैत्यगृह को कहना चाहिए' चैत्यगृह के आकार की तुलना ईसाई गिरजाघरों एवं हिन्दू मन्दिरों से की जा सकती है। मन्दिरों के गर्भगृह के समान स्तूप का भाग था तथा स्वयं स्तूप देवमूर्ति जैसा था। कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों की वास्तु तथा शिल्प का विकास चैत्यगृहों के ही आधार पर हुआ। पहले चैत्यगृह तथा विहार लकड़ी के बनते थे। कालान्तर में इन्हीं की अनुकृति पत्थर में उतार दी गई।

सातवाहन युगीन गुफायें हीनयान मत से सम्बन्धित है क्योंकि महायान का उदय इस काल तक नहीं हुआ था। हीनयान मत में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी तथा प्रतीकों के माध्यम से ही उनको पूजा जाता था। इस प्रकार गुफा में स्तूप को ही स्थापित कर उसकी पूजा होती थी। प्रमुख चैत्यगृह जो हीनयान धर्म से सम्बन्धित है–भाजा, पीतलखोरा, बेडसा, कोण्डाने, नासिक, अजन्ता तथा कार्ले। इस प्रकार सातवाहन युग में बुद्ध की प्रतिमा नहीं पाई जाती तथा उनका अंकन स्तूप, आसन, बोधिवृक्ष, पादुका आदि के माध्यम से ही किया गया।

पश्चिमी भारत के समान ही पूर्वी भारत में भी पर्वत गुफाओं को काटकर विहार बनाये गये। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप खण्डगिरि तथा उदयागिरि के गुहा विहारों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। खण्डगिरि में 16 तथा उदयगिरि में 19 गुफा है। खण्डगिरि कि प्रमुख गुफायें है– देवसभा, नवमुनिगुम्फा, अनन्तगुम्फा आदि। उदयगिरि की प्रमुख गुफायें–हाथीगुम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, मंचपुरी तथा व्याघ्रगुम्फा है। इन गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी ई०पू० में कलिंग क चेदिवंशी शासक खारवेल ने जैन भिक्षुओं के आवास हेतु करवाया था।

इस प्रकार सातवाहनयुगीन दक्षिण भारत ने संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। नागार्जुनीकोण्डा और अमरावती की मूर्ति–कला जहां एक तरफ बौद्ध धर्म के विविध पक्षों का उद्घाटन करती है तो वही दूसरी तरफ मानव के लौकिक जीवन के आनन्दमय एवं विनोदमय पक्ष से नाता रखती है। यहां जातक कथाओं के अंकन तथा बुद्ध के जीवन की घटनाओं में विशेष एवं गहन आध्यात्मिक चंचलता तथा भक्ति की संवेग धारा प्रवाहित हुई है। ऐसा मालुम पड़ता है कि जीवन के एक आवश्यक भाग के रूप में धार्मिक कला को निखारा एवं सँवारा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार की प्रतिभा को विकसित करने में नागार्जुनीकोण्डा का पर्वतों और जंगलों से घिरा मनोरम वातावरण भी काफी सहायक सिद्ध होता है।

सन्दर्भ :

1. Burgess, J.; The Budhist Stupas of Amaravati and Jagaggapeta, PP.86,87,91,96,100,103,105
2. Luders, List No.987.
3. Sivaramamurti, C; Amaravati Sculptures in the Madras Goverment Museum Bulletin of the Madras Government museum, General Section, IV, PP.275,285,20.
4. उपाध्याय, डॉ० उदय नारायण एवं गौतम तिवारी, 'भारतीय स्थापत्य एवं कला' पृ०–92.
5. अग्रवाल, वासुदेव शरण, 'भारतीय कला' पृ०–297.
6. श्रीवास्तव, के०सी०, 'प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति', पृ०–312.
7. शिवराम मूर्ति, अमरावती स्कल्पचर, इन मद्रास म्यूजियम, सं०–51.
8. फर्ग्युसन, टी एण्ड सर्पेन्ट वर्शिप, पृ०–261.
9. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृ०–311–12.
10. वाजपेई, के०डी०, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, पृ०–101.
11. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ०–71.
12. सहाय, डॉ० शिव स्वरूप, 'प्राचीन भारतीय मूर्ति कला' पृ०–140.
13. सिंह, डॉ० प्रिय सेन, 'भारत के प्रमुख बौद्धतीर्थ स्थल', पृ०–84.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 101-103

महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के सामाजिक–आर्थिक न्याय का तुलनात्मक संदर्भ

डॉ0 विकास कुमार शर्मा*
*सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी (राज.)

सारांश : यदि हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें इन दोनों शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली से अलग एक ऐसा संदर्भ दिखाई देता है, जिसमें महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर जैसे महान राजनीतिक विचारकों के दृष्टिकोण को समझना न केवल मानव अपितु राष्ट्र के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है। सामाजिक–आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के एक ऐसे ताना–बाना, एक ऐसे जीवन दर्शन से हैं, जिससे समाज में समानता भी हो और भातृत्व भाव भी स्थापित हो। जिस समाज में ना कभी वैभव एवं बेबसी के बीच तनाव हो, न अभावों में एक–दूसरे में आपसी टकराव हो। ऐसी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में यदि व्यक्ति को कुछ हासिल हो तो वह उसकी योग्यता, मेहनत, ईमानदारी, क्षमता एवं उसकी आवश्यकता के आधार पर प्राप्त हो, न की उसके जन्म, वंश, स्थान, विशषाधिकार एवं उसके प्रभाव के आधार पर मिलें। सामाजिक–आर्थिक न्याय की अवधारणा एक ऐसे जीवन दर्शन की मांग करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत हित का सामूहिक हित के साथ पूर्णतया सामंजस्य हो और व्यक्ति के स्वार्थ का समाज के लिए परमार्थ में पूर्णतया समावेश हो। सामाजिक समानता एवं विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा को समाहित किए हुए इन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ तभी सच्चे अर्थों में स्पष्ट होगा, जब समाज में सामाजिक–आर्थिक न्याय सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर आदर्शों के आधार पर स्थापित हो जाए।

मुख्य शब्द : सामाजिक–आर्थिक न्याय, महात्मा गांधी का दर्शन, वैभव, बेबसी, क्षमता प्रभाव आदि।

आज हमें यह बताते हुए नितांत हास्यास्पद लगता है कि, जहां एक और हम सामाजिक–आर्थिक न्याय की अवधारणा से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति के धेय वाक्य ''वासुदेव कुटुंबकम'' एवं ''सर्वे भवंतु सुखिन, सर्वे संतु निरामया'' जैसे आदर्शवादी एवं मानवीय मूल्यों को समाहित किए हुए हैं। वहीं, इन मानवीय मूल्यों का उद्घोषक देश भारत और उसके समाज का अधिकांश भाग स्वयं सदियों से अमानवीय यातनाएं भुगतता रहा है। यह समाज सदियों से वर्ण व्यवस्था, जातिगत ऊंच–नीच, जातीय अहंकार, आपसी सामाजिक टकराव, माननीय क्रूरता आदि के पाश में जकड़ा रहा है। यहां प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों, सामाजिक–धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक परिवेश आदि के आधार पर अमानवीय मूल्यों एवं व्यवहार को धर्मसम्मत एवं विधिसम्मत ठहराया जाता रहा है। यह ध्यान रहें, मानवीय मूल्यों और लोक कल्याण के विश्वव्यापी प्रचार–प्रसार के समर्थक देश में सामाजिक–आर्थिक न्याय की अवधारणा के सर्वथा विपरीत ऐसे अमानवीय मूल्यों का निरंतर अस्तित्व में रहना भारतीय सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की विसंगतियों को ही उजागर करता है।

यद्यपि यह भी सत्य है कि, आदिकाल से ही मनुष्य की गरिमा को आहत करने वाली अमानवीय व्यवस्थाएं भारतीय समाज में निरंतर अस्तित्व में रही है। तथापि यह भी सही है कि, आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय समाज में ऐसे सुधारक भी पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने समय–समय पर इन पुरातनपंथी पाखंडों, उससे उपजी अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमेशा खुला विद्रोह किया है। ऐसे ही प्रभावशाली राजनीतिक विचारको में महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम प्रमुखता से शामिल है। जिनके विचारों और कार्यों का प्रभाव एक आभामडल की तरह समाज पर स्पष्टतया दिखाई देता है। सामाजिक–आर्थिक न्याय की दिशा में दोनों के लक्ष्य लगभग समान होने के बावजूद भी महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के रास्ते अलग–अलग रहें। इन दोनों के मध्य समान लक्ष्य के लिए भी विपरीत अलगाव होने का मुख्य कारण, इनका जन्म, स्थान, उम्र, इनके पालन–पोषण का परिवेश, इनके अध्ययन–अध्यापन, समकालीन परिस्थितियां एवं इनका स्वयं का दृष्टिकोण रहा है। सामाजिक–आर्थिक न्याय के साध्य की प्राप्ति के लिए दोनों में लगभग समानता होने के बावजूद भी महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के साधनों, उनके तौर–तरीकों एवं उनके विचारों में आधारभूत एवं व्यापक असमानता प्रतीत होती है। मधु लिमये कहते हैं कि– ''महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व की विषमता संघर्ष का मूल कारण नहीं है। जन्म और पालन–पोषण की परिस्थितियों की भिन्नता इसका मूल कारण था, साथ ही उनके दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। विचारों की दृष्टि से दोनों में जमीन–आसमान का अंतर था।'' इस दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि, महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के जन्म की परिस्थितियां निश्चित तौर पर अलग–अलग रही है। दोनों की उम्र में केवल 22 वर्ष का अंतर था। जहां महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. में हुआ, वही डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 में हुआ था। इनके जन्म में इस अंतर का फर्क उनके चिंतन की भिन्नता का कारण

रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हां, इन दोनों के जन्म की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य इनके चिंतन की भिन्नता का कारण हो सकता है। महात्मा गांधी का जन्म एक उच्च कुलीन वैश्य एवं परंपरागत रूप से धार्मिक परिवार में हुआ है, जबकि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म एक सामाजिक रूप से पिछड़े, गरीब दलित परिवार में हुआ। जिनके परिवार ने बाद में कबीर पंथ स्वीकार कर लिया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधीजी के जीवन पर प्राचीन हिंदू धार्मिक परंपराओं का विशेष प्रभाव रहा, जबकि डॉ. अंबेडकर के जीवन को कबीर पंथ के कटाक्षवादी एवं विद्रोही स्वरूप ने प्रभावित किया।

महात्मा गांधी ने छुआछूत का पुरजोर विरोध करके भी प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार एवं उसका समर्थन किया। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित होने के कारण अनुदारवादी तथा अस्पष्ट प्रतीत होती है। हालांकि, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में सुधारवाद तो झलकता है लकिन उसमें परिवर्तन का मार्ग दिखाई नहीं देता है, वहीं डॉ. अंबेडकर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे। वे भारतीय समाज से जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था दोनों को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों में एक सुधारवादी और एक परिवर्तनवादी दृष्टिकोणों के बीच का अंतर भी दोनों की सहभागिता के मार्ग में बाधक रहा है।

महात्मा गांधी के सामाजिक–आर्थिक न्याय दर्शन का मूल लक्ष्य था– ''सर्वोदय'' जिसका अर्थ है, समाज के गरीब से गरीब, अभाव ग्रस्त व्यक्ति का पुनरुद्धार हो। इस प्रकार महात्मा गांधी सभी वर्गों के सहयोग से सभी वर्गों के संरक्षण एवं उनके उद्धार के आकांक्षी थे। वे चाहते थे कि, सवर्ण हिंदुओं की अंतरात्मा में परिवर्तन हो ताकि वे समाज के हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं। अपने इन्हीं विचारों के कारण महात्मा गांधी समाज के उद्धार के लिए सामंजस्यवादी एवं समझौतावादी भी प्रतीत होते हैं। जबकि डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण समझौतावादी नहीं होकर सुधारवादी रहा है। सामाजिक आर्थिक न्याय के अपने निश्चित लक्ष्य के लिए डॉ. आंबेडकर की योजना एवं कार्यक्रम स्पष्ट थे। वे सवर्ण हिंदुओं की अंतरात्मा जगाने, व उनके हृदय परिवर्तन के प्रति न तो कभी आशान्वित थे और न ही वे दलितोत्थान के किसी कार्यक्रमों में सवर्णों की अनुकंपाओं के आकांक्षी थे। ऐसा दिखाई देता है कि, गांधीजी के आशावादी और डॉ. अंबेडकर के आपसी संदेहों, दोनों के कार्य क्षेत्र की इकाइयों में अंतर, गांधीजी की समझोता, समरसता एवं सामंजस्यवादी प्रवृत्तियों ने तथा अंबेडकर के स्पष्ट संघर्षोन्मुखी रुझान के बीच के अंतर ने भी कभी दोनों को एक साथ, एक मंच पर आने नहीं दिया है।

महात्मा गांधी के सपनों के भारत ''रामराज्य'' एवं ''ग्राम स्वराज्य'' की अवधारणा के संदर्भ में भी दोनों के बीच बुनियादी मतभेद दिखाई देते हैं। जहां गांधीजी की मान्यता थी कि,– ''यदि गांव नष्ट होते हैं, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भारत का वैसा अस्तित्व नहीं होगा जैसा रहा है। विश्व में उसका संदेश ''वासुदेव कुटुंबकम'', ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' की अवधारणा एवं उसका चमत्कारिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा।'' वहीं डॉ. अंबेडकर ग्राम स्वराज्य को भारत के विनाश का कारण मानते थे। उनका मानना था कि,– ''मूल रूप से गांव ही सामाजिक असमानता, शोषण और अन्याय के केंद्र हैं।'' डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि,– ''जिन्हें गांवों के समुदायों को लेकर इतना गर्व है, वे यह नहीं देख रहे हैं कि, देश के अहम मुद्दों और देश की उन्नति में उनका योगदान नहीं के बराबर है।'' डॉ. अंबेडकर गांवों को एक अमानवीय और घृणा की बुनियाद के आधार पर स्थापित संस्था मानते थे। उन्होंने ग्रामराज को लोकतंत्र का विरोधी बताया और उसे दलितों पर सवर्णों का साम्राज्य स्थापित होना बताया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि, दलितों को गांव छोड़कर शहरों में स्थापित हो जाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर के ग्रामराज के प्रति विचार नागार्जुन के इस कथन से भी स्पष्ट हो जाते हैं, वे कहते हैं कि,– ''भारत के गांव–गांव में दक्षिण अफ्रीका है, कभी यहां भी कोई नेल्सन मंडेला पैदा होगा।''

आर्थिक संसाधनों के न्याय पूर्ण वितरण के संदर्भ में भी महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के विचारों में मूलभूत अंतर दिखाई देता है। जहां महात्मा गांधी अत्यधिक सद्भावना और आशावाद के चलते प्रन्यास सिद्धांत (ट्रस्टीशिप) का प्रतिपादन करते हैं और इस सिद्धांत के तहत वे कहते हैं कि, पूंजीपतियों को कभी भी अपने आप को संपत्ति का मालिक नहीं समझकर केवल उसका संरक्षक मानना चाहिए। सभी पूंजीपति अपने धन में से अपनी जरूरत का पैसा निकाल कर शेष संपत्ति को समाज के उत्थान एवं विकास के लिए समर्पित करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। वहीं, डॉ. अंबेडकर न पूंजीपतियों की दया पर निर्भर प्रन्यास सिद्धांत (ट्रस्टीशिप) के बजाय व्यक्ति को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले समाजवादी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं समर्थन किया है। डॉ. अंबेडकर के इस सिद्धांत में दया नहीं वरन व्यक्ति का अधिकारिक भाव प्रकट होता है।

ग्रामीण भारत, जातिप्रथा और छुआ–छूत के मुद्दों पर गांधीजी एवं डॉ. अम्बेडकर के विचार सदैव एक–दूसरे के विरोधी बने रहें। हालांकि, दोनों की यह कोशिश थी कि, देश को सामाजिक–आर्थिक न्याय और एकता प्रदान की जा सके। दोनों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अलग–अलग मार्ग भी बतलाए। गांधीजी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था से छुआ–छूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो यह पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधीजी ने गांव को एक पूर्ण समाज की उपमा देते हुए उसे विकास और उन्नति के केन्द्र मे रखा। वहीं गांधीजी के विपरीत डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत रखा। डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक छुआ–छूत जैसे अभिशाप नए–नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे। गांधीजी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की। गांधीजी के मुताबिक देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्रीयों के जरिए नहीं भरा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि, औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखते हुए विकसित किया जाए।

धम के संबंध में डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि, बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भ्रातृत्व की भावना विकसित करता है। यही कारण था कि, डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस

संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधीजी के विचारों से मेल नहीं रखते थे। महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि, धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है।

महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के चिंतन और दृष्टिकोण में इन भिन्नताओ और विरोधाभासों के बावजूद भी दोनों ही सदैव अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार थे। उनके लक्ष्य लगभग समान थे, भले ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उनके मार्ग अलग–अलग रहे हो। यदि हम सामाजिक समरसता एवं सामाजिक परिवर्तन की मनोदशा के हिसाब से देखें तो न तो गांधीजी की अत्यधिक आशावादी एवं हृदय परिवर्तन से परिपूर्ण अपेक्षाएं अनुचित थी और न ही डॉ. अंबेडकर की संदेह से परिपूर्ण आशंकाएं अनुचित थी। यदि महात्मा गांधी की अपेक्षाएं डॉ. आंबेडकर की आशंकाओं का वास्तविक समाधान कर पाती तो दोनों के मध्य वैचारिक विवाद एवं मत भिन्नता की गुंजाइश स्वत ही समाप्त हो जाती। जहां गांधी जी का विश्वास भारतीय दर्शन (श्रद्धा) एवं तर्क दोनों पर था, वहीं डॉ. आंबेडकर केवल पाश्चात्य दर्शन (तर्क) को महत्वपूर्ण मानते थे। यदि इन दोनों महामानवों के विचारों से हम समाज को वास्तविक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो आज समय की यह आवश्यकता है कि, श्रद्धा को अंधश्रद्धा व तर्क को कुतर्क में बदलने वाली प्रवृत्तियों को सामूहिक रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष : सामाजिक–आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह सर्वथा आवश्यक है कि, गांधीवाद एवं अंबेडकरवाद जैसे प्रतीकों, विरोधाभासी तर्कों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से न तो इनका राजनीतिक संस्थाकरण किया जाए और न ही इसे परस्पर प्रतिद्वंदी साबित करने की होड़ शुरू की जाए। तभी हम सच्चे अर्थों में इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से समाज को वास्तविक लाभ पहुंचा सकते हैं। महात्मा गांधी एवं डॉ. अंबेडकर के विचार प्रतिगामी होने के बावजूद कर्म के स्तर पर एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे द्वारा इन दोनों के सामंजस्यपूर्ण जज्बे को सलाम करते हुए इनके सकारात्मक सामंजस्यपूर्ण तर्कों को आत्मसात करना समय–सापेक्ष भी है और यह सामाजिक–आर्थिक न्याय एवं विकास की दृष्टि से सार्थक भी प्रतीक हो रहा है।

सन्दर्भ :

1. कौर, धनंजय, डॉ0 अंबेडकर–लाइफ एंड मिशन, पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई, 1990
2. जाटव, डी. आर., डॉ0 अंबेडकर– व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993
3. बाबासाहेब अंबेडकर– संपूर्ण वाड्मय, खड–1 भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993 पृष्ठ संख्या–81
4. डॉ0 अंबेडकर, हू वर द शूद्राज, थैकर एंड कंपनी, बम्बई, 1947, पृष्ठ संख्या– 8
5. डॉ0 बी आर अंबेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, थैकर एंड कंपनी, बम्बई, 1946, पृष्ठ संख्या– 137
6. मधु लिमये, डॉ0 अंबेडकर एक चिंतन, सरदार बल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 27
7. सिंह, डॉ0 रामगोपाल, भारतीय दलित समस्याएं एवं समाधान, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश, पृष्ठ संख्या– 72
8. जैन एवं फडिया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकशन, आगरा, पृष्ठ संख्या– 698
9. भगवान दास, (संपादक) डॉ. अंबेडकर के विचार, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश, पृष्ठ संख्या– 81
10. चौहान, डॉ0 संदीप सिंह, भारत में दलित चेतना : गांधी और अंबेडकर, आरबीएसए प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 92–93
11. नागर, डॉ0 पुरुषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1999
12. चतुर्वेदी, डॉ0 मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2015
13. सिंह, उपेंद्र, डॉ0 भीमराव अंबेडकर का सामाजिक राजनीतिक चिंतन, बाबा पब्लिकेशन, जयपुर, 2012

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 104-105

शिशु शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका

डा0 राजेन्द्र बौद्ध*
एसो0 प्रो0, शिक्षाशास्त्र विभाग, ए0पी0एन0पी0जी0 कालेज, बस्ती, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में शिशु शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका का मूल्यांकन किया गया है। बाल शिक्षा के लिए समर्पित गिजुभाई बालकों के सच्चे मसीहा और हमदर्द थे। बालकों के प्रिय शिक्षक होने के साथ–साथ, वे एक महान विचारक, शिक्षाविद, चिंतक और लेखक भी थे। प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं एंव विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : शिशु शिक्षा, संस्कृत भाषा, शिक्षा साहित्य, बाल साहित्य, बाल शिक्षा आदि।

शिशु शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका का का जन्म 15 नवंबर, 1885 को गुजरात के चित्तल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बघेला था। इनके पिता श्री भगवान जी बघेला ने अपना जीवन शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था और बाद में वकालत करने लगे थे, इनके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विजू भाई की माता श्रीमती काशीबा भी धार्मिक प्रवृति की महिला थीं। ऐसे परिवार में गिजूभाई में धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक था।

गिजुभाई का प्रवेश 5 वर्ष की आयु में वल्लभीपुर की प्राथमिक पाठशाला में कराया गया। इस पाठशाला का न तो भवन अच्छा था, मैं उसमें किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं थी। पढ़ने पढ़ाने की साज–सज्जा भी नहीं थी। शिक्षकों का व्यवहार निरंकुश शासकों की तरह था, बात–बात पर डांटना फटकार ना और जरा अपराध किया कि पिटाई शुरू हो जाती थी। बालक की गिजुभाई भाई पर इस धूल भरी पाठशाला और भय पूर्ण वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर उन्होंने कहा कि घोड़ों के अस्तबल जैसी इन धूल भरी शालाओं और मारपीट तथा वह दिखाने वाले इन बाल कत्लखानों की नींवों को बारूद से उड़ा दो।

बाल शिक्षा के जनक गिजुभाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी पाठशाला में पूर्ण की। इसके बाद इनको मामा के पास भावनगर भेज दिया गया। यहां इन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इसी बीच जब एक केवल 12 वर्ष के थे तभी इनकी शादी कर दी गई। किंतु पढ़ने में यह बहुत तेज थी इसलिए इनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा में प्रवेश किया। इस समय इनको परिस्थिति वश नौकरी भी करनी पड़ी। इसी दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया और 1906 में इनकी दूसरी शादी हुई। इन विषम परिस्थितियों में भी इनके पैर नहीं डगमगाए, उत्साह और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें।

गिजुभाई 1907 में पूर्वी अफ्रीका गए। यहां भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। साथ ही अपने कुछ मित्रों को अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने का अवसर मिला। ऐसा कार्य करने में इनको अपने अंदर छिपे शिक्षक का दर्शन हुआ। ले 1909 में स्वदेश लौटे और मुंबई में एक सेठ के यहां नौकरी करने लगे। इसी बीच वकालत करने का निश्चय किया और 1910 में मुंबई में ही कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। शिक्षा पूरी करने के बाद सुरेंद्र नगर में वकालत का कार्य शुरू कर दिया। ये 1913 में मुंबई के हाई कोर्ट में वकालत कार्य करने लगे। वकालत अच्छी चलने लगीं पर झूठ फरेब भरे इस कार्य से यह संतुष्ट नहीं थे। उसी बीच 1915 में ये भावनगर स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन के कानूनी सलाहकार बने। इस संस्था में गिजूभाई 100 सोलह में इस के आजीवन सदस्य बना दिए गए। इन्होंने 1916 में वकालत छोड़ दी और भावनगर स्थित बिना भवन हाई स्कूल में आचार्य के पद का कार्यभार संभाला। प्रीति सोमवार को घर पर शैक्षिक गोष्ठी होने लगी, तत्कालीन शैक्षिक समस्याओं पर चिंतन मनन लगा। दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में इनके द्वारा 1920 में, ढाई वर्ष से 6 वर्ष तक के शिशुओं की शिक्षा के लिए एक बाल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इसकी बागडोर स्वयं गिजूभाई ने संभाली। इस बाल मंदिर में बच्चों को खेलने कूदने, गाने बजाने, कविता सुनने सुनाने, बगीचा सवारने, प्रकृति निरीक्षण करने और साथ ही खेल खेल में पढ़ना, लिखना सिखाने के स्वतंत्र अवसर दिए जाते थे, बच्चों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। इस बाल मंदिर में 1922 में एक नया भवन बनाया गया।

शिशु शिक्षा के संदर्भ में गिजूभाई मारिया मांटेसरी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने मांटेसरी संघ की स्थापना की। गुजरात के भावनगर में 1925 में प्रथम मांटेसरी सम्मेलन हुआ। उसी वर्ष वहां पर एक अध्यापन मंदिर शिशु शिक्षक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई। साथ ही 2 शैक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया गया। गिजुभाई में शिशु शिक्षा साहित्य और बाल साहित्य सृजन गंगा अवधि में हुई। इन्होंने स्वयं शिशु शिक्षा साहित्य और बाल साहित्य की रचना शुरू की पर इसके लिए अपने साथियों को भी प्रेरित किया। यहां पर 1928 में गिजूभाई की अध्यक्षता में द्वितीय मांटेसरी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के बाद नए उत्साह के साथ कार्य शुरू हुआ। उसी बीच 1930 में गांधीजी का सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में गज्जू भाई ने भाग लिया पर एक शिक्षक सेनानी के रूप में। शरणार्थी शिविरों में अक्षर ज्ञान योजना और स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की। पर इनका शिशु शिक्षा से संबंधित लेखन कार्य निर्बाध गति से चलता रहा। इनका संपूर्ण साहित्य गुजराती भाषा में है। वर्तमान समय में इनकी प्रमुख रचनाओं का अनुवाद देश के कई भाषाओं में हो चुका है। बाल शिक्षा से संबंधित इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं– दिवास्वप्न, मांटेसरी पद्धति, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक, शाला में कलाकारी की शिक्षा भाग 1 वह 2, प्राथमिक शाला में चिड्डी

वाचन, प्राथमिक साला में शिक्षक, माता–पिता से और चलते फिरते। इन समस्त पुस्तकों में गिजुभाई ने जैसा समय देखा समझा वैसा लिखा है, इसलिए यह समस्त पुस्तकें गिजुभाई की प्राण कहीं जाती हैं। इसके साथ–साथ इन्होंने स्वयं और अपने मित्रों क द्वारा बाल साहित्य की रचना की। कुल मिलाकर संपूर्ण बाल साहित्य पर इनकी ओर उनके साथियों की 223 पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं। गिजूभाई से पूर्व में जिस बाल साहित्य की रचना हुई थी वह केवल उपदेश आत्मक है। गिजूभाई ने अपने साहित्य में उपदेश नहीं दिए हैं, इन्होने इन साहित्यिक पुस्तकों के द्वारा बच्चों को अच्छी–अच्छी बातें स्वयं खोजने के अवसर प्रदान किए हैं। यही इस महान बाल साहित्य के जनक की विशेषता है। इसलिए गिजूभाई बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं।

महात्मा गांधी और बाल शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका मे कई समानताएं थी। दोनों महापुरुषों का जन्म परतंत्र भारत में हुआ था। गांधी जी भारत की आजादी के लिए लड़े, गिजुभाई संपूर्ण भारत के बालकों की स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। सादगी और सरलता दोनों महापुरुषों के जीवन के अंग थें। वे देश की मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे। विशाल दृष्टि के कारण दोनों मानवीयताता से ओतप्रोत रहे। दोनों ने जो भी कुछ किया पूरी इमानदारी से समर्पण के साथ किया। गांधी जी की तरह गिजुभाई में भी सबको साथ लेकर चलने की निष्ठा रही। बाल शिक्षा के लिए समर्पित गिजुभाइ बालकों के सच्चे मसीहा और हमदर्द थे। बालकों के प्रिय शिक्षक होने के साथ–साथ, वे एक महान विचारक, शिक्षाविद, चिंतक और लेखक भी थे। गिजुभाई की अमृत वर्षा करने वाली लेखनी संपूर्ण भारत देश में ज्यादा लोकप्रिय हुई और माता पिता तथा अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए आशीर्वाद सिद्ध हुई। शीघ्र ही संपूर्ण भारत देश में गिजूभाई की ख्याति हो गई।

सन्दर्भ :

1. बधेका, गिजुभाई, (1987), प्राथमिक शाला में भाषा– शिक्षा, माण्टेशरी बाल शिक्षण समिति राजलदेसर
2. बधेका, गिजुभाई, (1987), मॉ बापों की माथापच्ची, माण्टेशरी बाल शिक्षण समिति राजलदेसर
3. बधेका, गिजुभाई, (1988), ऐसे हों शिक्षक, माण्टेशरी बाल शिक्षण समिति राजलदेसर
4. बधेका, गिजुभाई, (1988), प्राथमिक शाला में शिक्षक, माण्टेशरी बाल शिक्षण समिति राजलदेसर
5. बधेका, गिजुभाई, (1988), बाल शिक्षण जैसा मैं समक्ष पाया, माण्टेशरी बाल शिक्षण समिति राजलदेसर

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 106-107

शास्त्रीय दृष्टि से गृह में शुभाशुभ मानवेतर प्राणी

डॉ0 मोहिन्दर नाथ शर्मा*

*अस्सिटेंट प्रोफेसर, (संस्कृत विभाग), राजकीय मौलाना आज़ाद मैमोरियल कॉलेज, जम्मू, (जम्मू–कश्मीर)

सारांश : ईश्वर की सृष्टि धरा मानव, मानवेतर प्राणियों, नदी–नाले, पेड़–पोधों, पर्वत आदि का एक सुन्दर सङ्गम है। इनमें से हर कोई पृथ्वी की महत्ता एवं सुषमा का अभिवर्धक है। पृथ्वी का श्रेष्ठ प्राणी होने के कारण मानव का प्रकृति के स्थावर और जङ्गम दोनों अंगों के साथ अटूट सम्बन्ध है। आदिकाल से ही मानव कुछ विशेष प्राणियों जैसे गौ, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भेड़, बकरी, तोता–मेना आदि को अपने संरक्षण में रखता आया है। इनमें से कतिपय प्राणी जैसे तोता–मेना, बिल्ली आदि उसके मनोविनोद में सहायक होते थे, हाथी–घोड़ा आदि बोझ ढोने एवं सवारी के काम आते थे, गौ, भैंस, बकरी आदि दूध, दही, घी आदि की प्राप्ति में सहायक होते थे, जबकि कुत्ता गृह तथा क्षेत्र की रक्षा में सहायक होता था।

मुख्य शब्द : आदिकाल, आर्य जाति, मानवेतर प्राणियों, श्रीमद्भगवद् गीता, सम्प्रदायवादियों आदि।

सभी प्राणियों में गौ का आर्यों के जीवन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। प्राचीनकाल से ही गौ को गृह में पालना लाभदायक माना गया है। प्राचीन ग्रन्थों में गौ को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष– इन चारों पदार्थों को देने वाली कहा गया है।[1] ऋग्वेद के अनुसार गौ एकादश रूद्रों की माता, अष्ट वसुओं की कन्या और द्वादश आदित्यों की बहन है, जो अमृतरूप दुग्ध को देने वाली है–

माता रूद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः।[2]

अथर्ववेद में गौ को सभी सम्पत्तियों का घर बताया गया है– "**धेनुं सदनं रयीणाम्।**"[3]

श्रीमद्भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूपों के वर्णन प्रसंग में "**धेनुनामस्मि कामधुक्**" कहा है।[4] इस प्रकार वेदों से लेकर समस्त धार्मिक ग्रन्थों में और समस्त सम्प्रदायवादियों के धर्मग्रन्थों में एवं प्राचीन–अर्वाचीन ऋषि, महर्षि,आचार्य, विद्वानों से लेकर आधुनिक विद्वानों तक सभी की सम्मति में गोमाता का स्थान सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है। गौ के गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और गोदधि आदि सभी पदार्थ परमपावन, आरोग्यप्रद, तेजप्रद, आयुवर्धक तथा बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्य जाति के प्रत्येक श्रौत–स्मार्त शुभ कर्म में पंचगव्य और पंचामृत का विधान अनादिकाल से प्रचलित और मान्य है। अतः एक सद्गृहस्थ के लिए गृह में गौ को पालना परम लाभकारी है।

शकुनशास्त्र की दृष्टि से भी मानव जीवन में पशु–पक्षियों का विशेष महत्त्व रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य पशु–पक्षियों की. चेष्टाओं तथा उनके बोलने आदि से ही भविष्य की घटनाओं का अनुमान करता रहा है। पक्षी उड़–उड़ कर बहुत सी घटनाओं के विषय में जानकार होते हैं। इन जीव–जन्तुओं की अपनी भाषाएं हैं–जिन्हें मनुष्य समझ नहीं सकता, केवल चेष्टाओं तथा ध्वनियों के आधार पर कुछ अनुमान लगा सकता है। कुत्ता एक विशेष प्रकार की सूंघने की शक्ति रखता है, जो मनुष्य में कभी नहीं हो सकती। भूकम्प आने से पहले बहुत से जीव–जन्तु व्याकुल हो उठते हैं, सम्भव है कि प्रकृति ने इनके नाड़ी–संस्थानों में वह सूक्ष्म संवेदनशीलता भर दी हो कि ये भूकम्प आदि की तरंगों से अनुनाद (Resonance) कर सकते हों, इनकी अपनी भाषा है, जिससे ये मनुष्य को प्रत्येक दीखने वाली अथवा निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में बतलाने का प्रयत्न भी करते हों। भले ही आज तक हम बहुत वैज्ञानिक उपकरण बना चुके हैं और प्रकृति के काफी रहस्य समझने में सफल भी हुए हैं। परन्तु हम जीव–जन्तुओं की भाषा नहीं जानते। उन्हें जो इन्द्रियों की विशेष शक्ति से ज्ञान अनुभूति होती है वे उसे हमें बतलाने का प्रयत्न करते होंगे, परन्तु उसे हम समझने में असमर्थ हैं। इस प्रकार शास्त्रीय एवं व्यवहारिक दृष्टि से मानव जीवन के लिए पशु–पक्षियों की उपयोगिता अनादिकाल से बनी हुई है।

वर्तमान समय में तो मात्र मनोविनोदार्थ मानव कुछ पशु–पक्षियों के साथ इतना घुल–मिल गया है कि वह उन्हें अपने साथ भोजन कराने, साथ सुलाने एवं उनका आलिंगन, चुम्बन आदि करने में भी संकोच नहीं करता। यह सब चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से तो निषिद्ध है ही, प्राचीन शास्त्रों में भी इसके निषेध के पर्याप्त निर्देश मिलते हैं।

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, गृह में बिल्ली पालना हानिकारक होता है, क्योंकि उसके पेट में 'टी–गौन्डी' (Taxo plazma Gondi) नामक जीवाणु पाया जाता है, जो उसके मलद्वार से बाहर आ जाता है, और कमजोर शरीर को आसानी से संक्रमित कर देता है। अत्यन्त कमजोर जीवनी शक्ति वाले मनुष्यों को यह जीवाणु मस्तिष्क–ज्वर से ग्रसित कर उसकी मृत्यु तक का कारण बन सकता है। घर में गर्भवती स्त्री के होने पर बिल्ली पालना और भी अधिक हानिकारक है। 'टी–गौन्डी' नामक जीवाणु गर्भवती स्त्री व गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर उन्हें हानि पहुँचा सकता है। बिल्ली द्वारा खरोंचे या काटे जाने पर ज्वर की आशंका भी बनी रहती है।[5] गृह में बिल्ली से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में आधुनिक विज्ञान तो अभी सावधान कर रहा है, परन्तु हिन्दु धर्म के सत्शास्त्रों ने बहुत पहले ही गृह में बिल्ली के अशुभ प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि–"**मार्जाररेणुर्दैवं भुभं हरेत्**"[6] अर्थात् बिल्ली की धूलि शुभ प्रारब्ध का हरण करती है।

बिल्ली और कुत्ते के मल में पाये जाने वाले कृमि अगर किसी तरह शरीर में प्रवेश कर जायें तो उनसे आँखों, यकृत, फेफड़ों व मस्तिष्क में विकार हो सकता है। विशेषकर बच्चे इससे जल्दी प्रभावित होते हैं।

इसी प्रकार कुत्ते का सानिध्य भी अशुभ माना गया है, क्योंकि कुत्ते 'स्ट्रेप्टोकोकस' व 'साल्मोनेला' नामक जीवाणुओं के वाहक होते हैं जिनसे गले व पेट सम्बन्धी रोग की सम्भावना होती है। कुत्ते के काटने से हड़क रोग (रेबीज) हो सकता है, जो जानलेवा है।[7] महाभारत में इन्द्र, युधिष्ठर को कुत्ते के सानिध्य से होन वाले अशुभ प्रभाव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि, 'हे धर्मराज!' कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनका यज्ञ करने और कुआँ, बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच–विचार कर काम करो और इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है–

स्वर्गे लोके श्ववतां नास्ति धिश्ण्यांमष्टापूर्त क्रोधवशा हरन्ति।
ततो विचार्य क्रियतां धर्मराज त्यज श्वानं नात्र नृशंसमस्ति।।[8]

कुत्ते के खान–पान, स्पर्श व उसके जगह–जगह बैठने से गृहस्थ के खान–पान, रहन–सहन में अपवित्रता आती है। घर में मुर्गे को पालना भी अशुभ माना गया है क्योंकि इससे भी घर में अपवित्रता आती है तथा Bird Flu जैसे घातक रोग फैलने की आशंका रहती है। महाभारत में तो यह निर्देश है कि गृह में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस गृह का हविष्य ग्रहण नहीं करते हैं।[9] अतः कुत्ते को क्षेत्र इत्यादि की रक्षा के निमित्त रखना तथा उसको दूर से भोजन देना तो ठीक है, परन्तु उसको अपने साथ रखना, साथ घुमाना, तथा आलिङ्गन आदि करना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं है।

वास्तुशास्त्र के अनुसार, गृह में कबूतर पालना भी अशुभ माना गया है। भोज ने कबूतर को पाप की जड़, नीच पक्षी, तथा साक्षात् कालमूर्ति बतलाया है। उनके अनुसार गृह में कबूतर के प्रवेश करने से रोग एवं विपत्ति की वृद्धि तथा बन्धन होता है। इसलिए कबूतर के घर में प्रवेश करने पर यत्नपूर्वक प्रायश्चित करना चाहिये।[10]

वास्तुराज वल्लभ ने तो कबूतर के साथ–साथ उल्लू, बाज, बगुला, मुर्गा, गिद्ध, चील, श्रृगाल मृग, सूअर, सिँह एवं बन्दर इत्यादि के गृह में प्रवेश को अशुभ बताया गया है–

श्येनः कपोतवकपेचकभासगृध्राश्चिल्लुः श्रृगालमृगशूकरसिंहकीशाः।
इत्यादयो धनहरा भवने प्रतिष्ठा.....।।[11]

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि सृष्टि के आदिकाल से ही पशु–पक्षी मानव जीवन के लिए उपयोगी बने हुए हैं। अतः एक सद्गृहस्थ के लिए इन प्राणियों का पालन–पोषण करना अथवा इनको अपने संरक्षण में रखना सदैव हितकारी है। किन्तु शास्त्रीय एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से इन प्राणियों को अपने गृह में एक सीमा तक रखना ही लाभकारी है, उन्हें अपने साथ बिठाना, साथ खिलाना, आलिंगन एवं चुम्बन आदि करना किसी भी दृष्टि से हितकारी नहीं है। जबकि आधुनिक विज्ञान का यह भी मानना है कि यदि इन पालतू पशु–पक्षियों की समय–समय पर चिकित्सीय जाँच करवाई जाए और उनकी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाए तो मानव पर इनका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु इतना तो अवश्य है कि मानव जीवन में इन पशु–पक्षियों की उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता।

सन्दर्भ :

1. कल्याण, हिन्दु संस्कृति, अंक पृ० 604
2. ऋग्वेद 8/101/15
3. अथर्ववेद 11/1/34
4. गीता – 10/28
5. ऋषिप्रसाद, अप्रैल 2008, पृ० 28
6. नारदपुराण, पूर्वभाग 26/32
7. ऋषिप्रसाद, अप्रैल 2008, पृ० 28
8. महाभारत महाप्रस्थान० 3/10
9. ऋषिप्रसाद, अप्रैल 2008, पृ० 28
10. समराङ्गणसूत्रधार, 37/18–24
11. वास्तुराजवल्लभ, 10/19

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 108-110

कृषकों की आय को दोगुना करना : रणनीति और प्रगति

अंजनी कुमार मिश्र*

*शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, पी0जी0 कालेज मलिकपुरा, गाजीपुर, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन कृषकों की आय को दोगुना करना– रणनीति और को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों हेतु पुस्तकालय, सर्वेक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन, आदि का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है। यह अध्ययन समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : सर्वांगीण विकास, कृषकों, सतत् खाद्य सुरक्षा, नियोजित कार्यक्रम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि।

किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में उसके कृषि क्षेत्र का विकसित होना अति आवश्यक होता है। इसलिए कृषकों को रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है, ये देश की जीवन–रेखा होते हैं। इनके द्वारा ही सतत् खाद्य सुरक्षा का आधार प्रदान किया जाता है। कृषकों के द्वारा ही आज भारत आत्मसम्पन्नता व आत्मनिर्भरता के साथ–साथ बहुत से उत्पादों का निर्यातक भी है। इन्हीं सत्यता के साथ यह कटु सत्य है कि कृषक अपने ही उत्पादों का उचित लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त करते हैं। चतुर्मुखी विकास के आधार को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करते हुए अन्न और कृषि उत्पादों के भण्डारों के साथ कृषकों की आय भी बढ़े। 28 फरवरी 2016 को एक रैली को बरेली में उद्‌बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि– ''भारत जब 75वीं सालगिरह सन् 2022 में मनाये, तब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, यह एक मात्र चुनौती नहीं वरन् नियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधन और कार्यान्वयन सुशासन के सहयोग से इसे प्राप्त किया जा सकता है।''

बेशक यह महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी उद्‌देश्य साबित हो सकता है। जिसके लिए सरकार बहु आयामी ''सात सूत्रीय'' रणनीति का आह्‌वान किया है जो इस प्रकार है–

1. खाद्य प्रसंस्करण के सहयोग से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
2. गोदामों की संख्या और कोल्डचेन में निवेश के स्तरों में वृद्धि करना।
3. प्रत्येक क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता के आधार पर उच्च पोषणीय तत्वों और अच्छे उर्वरक बीजों की उपलब्धता को प्रोत्साहन देना।
4. समुचित सिंचाई पर विशेष फोकस प्रत्येक बूँद सर्वाधिक फसल के सिद्धान्तानुसार बनाना।
5. E-NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार को प्रोत्साहन और सभी 585 केन्द्रों पर विसंगतियों से मुक्त करते हुए ई–प्लेटफार्म की शुरूआत करना।
6. कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरूआत करना।
7. मधुमक्खी पालन हर मेढ़ पर पेड़, बागवानी, मछली पालन मुर्गीपालन डेयरी, पशुपालन आदि जैसी सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित तथा साथ ही सब्सिडी की व्यवस्था भो की जाए।
8. 13 अप्रैल 2017 को गठित कमेटी में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय विभाग के वरिष्ठतम अर्थशास्त्री, नीति आयोग के कृषि सलाहकार, बागवानी आयुक्त राष्ट्रीय कोल्डचेन विकास केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक और नीति अनुसंधान, संस्थान के निदेशक आदि कई अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल किये गये।

समिति की रिपोर्ट से कृषक आय वृद्धि के स्रोत :

1. उत्पादकता वृद्धि और उससे होने वाले लाभ, लाभकारी मूल्य और फसलों में न्यूनतम लागत कोल्डचेन में भारी निवेश और भण्डार गृहों की संख्या में वृद्धि के क्षेत्रों में ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।
2. ग्रामीण ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें और समग्र ग्रामीण विकास में निवेश को बढ़ावा देना और अग्रिम के लिए एक आर्थिक मॉडल से सरोकारिता पर बल देना जिससे पिछले वर्षों के आधार पर (2015–2016 से 2022–23) तक कृषकों की आय को बढ़ाया (दोगुना) किया जा सके। अर्थात् 10.41 प्रतिशत की वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
3. वर्ष 2002–03 से 2013 तक और अग्रिम वर्षों में भी कृषकों की वास्तविक आय में प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि है अतः आय को दोगुने से तात्पर्य संसाधनों और तीन गुने प्रयास से है। जिसका अर्थ हुआ कि वर्ष 2011–12 की कीमतों पर लगीाग 6,40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश हो सके।
4. इस निवेश का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्राप्त होगा। कृषि के लिए निवेश में 24 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी यदि आय को दो गुना करना है।
5. कुछ प्रमुख फसलों के लिए लाभकारी कीमतों तथा कृषि सम्बन्धी निवेश सामग्री पर सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन ढ़ाँचा तैयार करना और लागू करना।
6. कृषि में कृषि के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना।

कृषि के अतिरिक्त आय वृद्धि के साधन :

1. CPIAL (कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का उपयोग अस्फीति तथ्यों के रूप में किया गया है ताकि अनुमानित कृषि आय को वास्तविक आय में परिवर्तित किया जा सके।

2. CPIAL ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फिति को प्रदर्शित करता है।
3. 2011–12 से लेकर 2016 तक दो मामलों में कृषकों की आय में कमी हुई है पहला– स्थिर मूल्यों पर कृषि में मूल्य संवर्द्धन में वृद्धि नगण्य के बराबर हुई है। दूसरा– व्यवसाय में वृद्धि, कृषि उत्पादों को प्राप्त मूल्यों में वृद्धि 55–60 प्रतिशत अधिक थी। भारत सरकार ने अनुकूल की अवस्था के लिए प्रयासरत है।
4. बेहतरी के उद्देश्य से शुरू किया गया महत्वपूर्ण उपाय जिसका नाम है E-NAM।

सही मायने में आय को दो गुना करने के सम्बन्ध में DFI समिति के द्वारा दिया गया कथन सत्य है कि उत्पादकता वृद्धि, न्यूनतम फसल लागत और लाभकारी मूल्यों पर ध्यानाकर्षण, केन्द्रण की जरूरत है। इस सामरिक ढ़ाँचे में चार चिंताएं भी विचारणीय हैं।

जैसे– टिकाऊपन और सतत कृषि उत्पादन, उत्पाद का मौद्रिकरण विस्तार सेवाओं का पुनः मजबूतीकरण और कृषि को उद्यम के रूप में मान्यता देना। DFI समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं–

1. खेती, पशुधन, गैर कृषि व्यवसाय, वेतन की विकास दर और मजूदरी जो क्रमशः 3.8 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत व 1.6 प्रतिशत है के आधार पर अनेक क्षेत्रों में सुधार और प्रोत्साहन।
2. कृषि और कृषि विकास में निवेश के बीच सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करना ताकि कृषि के लिए सार्वजनिक निवेश विशेषतः कारपोरेट सेक्टर में निवेश में वृद्धि हो सके।
3. बाजार हस्तक्षेप और फसलोत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना।
4. विद होल्ड (with hold) की क्षमता में वृद्धि।
5. सूखे और गीले भण्डारण की बुनियादी अवसंरचना को और अधिक मजबूती प्रदान करना।
6. जल संरक्षण, एकीकृत खेती प्रणाली, वाटर शेड प्रबन्धन, जैविक खेती आदि को लागू करना।
7. सहायक कृषि जैसे– मधुमक्खी पालन, खाद बनाना, मशरूम की खेती, कृषि वानिकी, लाख की खेती आदि को प्रोत्साहित करना।
8. विस्तार कार्यों के लिए मानव शक्ति व आई.सी.टी. के समावेश पर बल दना।
9. नये बाजारों की पहल जैसे–इलेक्ट्रानिक व्यापार एकल लाइसेंसिंग प्रणाली, बाजार शुल्क पर चेक, अनुबंध खेती को बढ़ावा देना, कृषि मूल्य प्रणाली का गठन, प्रत्येक किसान की वैल्यू श्रृंखला में एकीकृत करना तथा 25 प्रतिशत विस्तार आत्मकर्मियों को विपणन के कार्य में लगाना आदि शामिल हैं।
10. अन्य संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देना।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

1. संस्थागत सुधार
2. तकनीकी सुधार

संस्थागत सुधार :

i. **उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए :** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परम्परागत कृषि विकास योजना।

ii. **प्रधामंत्री फसल बीमा योजना :** फसल और आय हानि की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिए और खेती में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए।

iii. **नदियों को जोड़ना :** उत्पादन और कृषि आय को बढ़ाने के लिए।

iv. **आपरेशन ग्रीन्स :** जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं जैसे–टमाटर, आलू, प्याज (TOP) की मूल्य अस्थिरता को संवर्धित करने हेतु।

v. खाद्य प्रसंस्करण को समग्र रूप से बढ़ाने के लिए पी.एम. किसान सम्पदा योजना।

तकनीकी सुधार :

i. E-NAM की शुरूआत–राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है। एकीकृत बाजार बनाने हेतु मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) मण्डियों को एक नेटवर्क से जोड़ना।

ii. कपास प्रौद्योगिकी मिशन।

iii. तिलहन, दलहन और मक्के पर प्रौद्योगिकी मिशन (TMOPM)
   - तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (OPP)
   - राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (NPDP)

iv. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)– यह फूलों, सब्जियों, कंद–मूल फसलों, मशरूम, मसाले, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बाँस को शामिल किया गया है।

v. चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

vi. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

vii. इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण (हर मेड़ पर पेड़) मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से सम्बन्धित योजनाएं भी लागू की जाती हैं।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कुछ बुनियादी चुनौतियों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं–

1. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
2. कृषि ऋण में सुधार
3. भूमि सुधार
4. सम्बद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा
5. फार्म मशीनीकरण
6. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार
7. वैश्विक बाजार में सम्भावनाओं की तलाश
8. श्रमिकों का पुनः आवंटन

सन्दर्भ :

1. अहमद, ए. एण्ड सिद्दीकी, एम.ई. 1967 क्राप एशोसिएशन पैटर्न इन दी बनीबेसिन, दी ज्योफर
2. अली, मोहम्मद, (1977); 'फूड एण्ड न्यूट्रीशन इन इंडिया' के केपी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3. अनुक्लीम, बी.ए. (1973); थियरी ऑफ ज्योग्रेफी इन कोरिया आरजे (एडि.) डायरेक्शन इन ज्योग्रेफी, मेथुईन लंदन पार्ट–1 चैप्टर–3
4. आर्थिक सर्वेक्षण–2018–19, 2019–20, एवं 2020–21.
5. आईसीएआर एण्ड बुक ऑफ एग्रीकल्चर
6. इग्नेटीफ, बी. एण्ड पेज, एच. आई. 1958; दी इफीसिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एफ ओ रोम
7. क्लार्क, सी. एण्ड हैसवेल, एम. 1967; दी इकोनॉमिक्स ऑफ सबसटेन्स कल्चर
8. कैरियल, बी.जी. एण्ड कैरियल, पी.ई. इक्सप्लोरेशन्स इन सोशल ज्योग्रेफी एडीशन बेसले पब्लिसिंग कम्पनी, (1972)
9. कोर, सतवंत, 1969; चेंजेज इन नेट सोन एरिया इन अमृतसर तहसील नेशनल ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया, वाल्यूम 15वां
10. कृषि मंत्रालय भारत सरकार
11. गांगुली, बी. एन. 1938; ट्रेण्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड पापुलेशन इन दी गंगाज बेली, लंदन
12. चौहान, डी. एस. स्टडीज इन यूटीलाईजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा (1966)
13. मौद्रिक प्रबन्धन और वित्तीय मध्यस्थता 2017–18, 2018–19, 2019–2020 व 2020–21.
14. नीति आयोग, भारत सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन (2017–2021).

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 111-113

वर्तमान समय में विद्यार्थियों के तनाव, समायोजन एंव उनकी अध्ययन आदतों पर योग का प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सन्त कुमार मिश्र*
*शोध छात्र, शिक्षक शिक्षा विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर, उ0प्र0
डॉ0 अजय कुमार दुबे**
**एसो0 प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : वर्तमान महामारी के समय में जहां विद्यार्थी वास्तविक अध्ययन अध्यापन को छोड़कर आर्टिफिशियल, वर्चुअल और ऑनलाइन अध्ययन को विवश हुए हैं वहीं कुछ विद्यार्थियों ने अपने माता–पिता या परिवार के किसी एक सदस्य को खोया है। विद्यार्थी अपने गिरते स्वास्थ्य एवं सामाजिक, शैक्षिक एवं शारीरिक परिवर्तन के परिणामस्वरुप तनाव में है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश के साथ उचित समायोजन बैठाने में असहज महसूस कर रह हैं जो एक समस्यात्मक पहलू है। जिससे उनके अध्ययन आदतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे उन्हें उबारने तथा तनाव मुक्त जीवन जीनेएवं वर्तमान परिस्थितियों से उचित समायोजन बैठाने में सहयोग की आवश्यकता है जिससे उनका शैक्षिक जीवन सरल, सहज एवं उज्जवल होकर सफलता की ओर अग्रसर हो सके जिसमें योग एक अत्यंत उत्कृष्ट एवं सफल भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द : समायोजन, वैज्ञानिक प्रगति, तर्कसंगत–व्यवहार, सहानुभूति, संस्कृति, विचार एवं मानवीय मूल्यों आदि।

आज हम तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्वेषणयुक्त विश्व में जीवनयापन कर रहे है। वैज्ञानिक प्रगति ने समूचे विश्व को बदल दिया है। प्रतिक्षण नित्य नये–नये आविष्कार हो रहे है, जिनसे मनुष्य के ज्ञान और विशेषाधिकारों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन मनुष्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा के कारण शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक तनाव भी बढ़ा है। अनिद्रा, मानसिक व्याधियाँ और सामान्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकारों में वृद्धि मानव में गुणवत्ता, तर्कसंगत–व्यवहार, सहानुभूति, संस्कृति, विचार एवं मानवीय मूल्यों आदि पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। स्वामी विवेकानंदने कहा है कि" शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है" शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह ही नहीं वरन मनुष्य को बदलने की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने पशुवत व्यवहार को त्याग कर मानवीय व्यवहार को ग्रहण करता है तथा दिव्य प्राणी बन जाता है। इसी प्रक्रिया को योग कहत हैं। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है "जोड़ना"। अध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाना तथा आधुनिक काल में योग से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। कांस्य युग में योगीराज की मूर्तिका प्राप्त होना प्राचीन भारतीय सभ्यता में योग का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त इस मूर्ति से यह पता चलता है कि प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता में भी योग एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विद्यमान था। नटराज की मूर्ति से यह पता चलता है कि संगीत एवं नृत्य भी योग साधना का एक अंग रहा । जिसका प्रयोग मनोरजंनध मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता रहा, विशेषकर विषाद रोगों में। उपनिषद में योग के 6 अंग– आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि बताए गए हैं। ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, प्रेम–योग, नाद–योग, कुंडली–योग, हठयोग, सांख्य–योग एवं अष्टांग–योग, मुद्रा एवं बंध–महाबंध, शांभवी, खेचरी, मांडवी, योनी, अश्वनी, पाटनी, काकी मुद्राएंएवं बंध–मूल–जालंधर एवं महाबंधको भी घेरण्ड संहिता में योग के अंग के रुप वर्णित किया गया है।

गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि–

योगयुक्तोविशुद्धात्माविजितात्माजितेन्द्रियः

मनोनिग्रह, आत्मशुद्धि, व वासना का त्यागकरके अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करना, इनके समुच्चय को योग कहते है।–

योगः कर्मसुकौशलम।(2/50)

अर्थात् कर्मों की कुशलता ही योग है किसी कार्य को कितने कुशलता एवं सजगता पूर्वक किया जाता है, वही सक्षमता योग कहलाती है।

समत्वं योग उच्यते।(2/48)

अर्थात् समभाव से कार्य करना ही योग है।

पतंजलि–योग में भी योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि–

योगश्चित्त वृत्ति निरोधः

चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण में रखना ही योग है।

प्राचीन योग विद्या ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण आयामों (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक व आध्यात्मिक)पर बल दिया है। योग का उद्देश्य जहां एक ओर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर को ऊंचा उठाना है। वहीं दूसरी ओर समायोजन स्थापित करके मनुष्य को आदर्श नागरिक बनाने में मदद प्रदान करना है। प्राणायाम के द्वारा जहां मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। वही मनुष्य को तनाव मुक्त भी किया जा सकता है।

वर्तमान महामारी कोविड–19 में जिस तेजी से तेजी से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। बहुत से कामगारों की नौकरी छूट गई है। व्यवसाय खत्म हुए है और दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से कहर बरपाया है। उससे परिजनों की मृत्यु भी काफी मात्रा में हुई, जिसका असर विद्यार्थियों पर पड़ना स्वाभाविक है। विद्यार्थियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, माता–पिता की महत्वाकाक्षायें, परीक्षा में उच्च अंक प्राप्ति, अध्यापक के प्रतिकूल व्यवहार, पारिवारिक, शारीरिक एवं विद्यालयी समायोजन का अभाव बहुत ऐसे कारण है जिससे कि विद्यार्थी तनावग्रस्त रहते है। कोविड–19 महामारी ने स्कूल से अलग होने को बच्चा को विवश कर दिया है। वायरस के पुनः वापसी से बच्चे वास्तविकता की जगह वर्चुअल और आर्टिफिशियल वातावरण में अध्ययनरत हैं। उनके अध्ययन के लिए ऑनलाइन माथापच्ची हो रही है तथा लगातार बैठने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। एंव नींद की कमी के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, विद्यार्थियों का खेल के मैदानों से दूरियां, संगी साथियों से न मिल पाना, घर की चारदीवारी के अंदर रहने के कारण भी विद्यार्थियों के तनाव में वृद्धि हुई है। गृहकार्य की अधिकता एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम को पूर्ण न कर पाने से भी बच्चों में परेशानी एवं कुंठा उत्पन्न हो रही है। चुनझियांगयांग व अन्य (2021) नेकोविड–19 महामारी में छात्रों के स्वास्थ्य एवं तनाव शैक्षणिक कार्यभार की भूमिका स्कूल से अलग होना एवं संक्रमण की आशंका पर शोध किया और पाया कि कोविड–19 के प्रकोप से सामना करने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपयोगों का प्रयोग करते हुए उन्हें मनोवैज्ञानिक अलगाव और संक्रमण केडर से तनाव उत्पन्न हुआ। तनाव की अधिकता होने से विद्यार्थियों को भूलने की बीमारी हो जाती है। वह आसपास के वातावरण के प्रति उदासीन हो जाता है। तनाव के कारण वह ठीक प्रकार से ना तो अध्ययन कर पाता है और ना ही विषय को ठीक प्रकार से याद रख पाता है। सामान्य बात को भी वह ठीक से नहीं समझ पाता, उसमें स्पष्ट विचार का अभाव हो जाता है। अज्ञात भय पनपता है और वह उल्टे सीधे विचारों से वह अपने आपको अंदर से घिरा पाता है। उनमें हास्य–प्रियता का अभाव होने लगता है। असामाजिक इच्छाएं जब अचेतन मन में दबा दी जाती हैं तो यह दबाव ही तनाव एवं मानसिक रोग का कारण बनता है तथा उसके साथ ही हीनता, बेचौनी, अनिद्रा, कल्पना में खोए रहना आदि विकृतियां उत्पन्न होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी मानाहै कि तनाव की प्रमुख कारण घटना या परिस्थिति उद्दीपक कारकों में एक होती है। सामाजिक परिवर्तन, नौकरी का छूटना, व्यवसाय का खत्म होना, प्रियजनों की मृत्यु आदि कारक इनमें प्रमुख है।ऐसे उद्दीपकों को आसेधक कहा जाता है । तनाव यदि दीघ अवधि तक रहता है तो व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है (योग शिक्षा एन.सी.ई.आर.टी 2015)। हंस शैली (1974)ने ¼GAS½General Adoption Syndrome के माध्यम से बताया कि मानव आसेधकों का स्वरूप चाहे जो भी हो वह एक समान ढंग से प्रतिक्रिया करता है तथा शारीरिक परिवर्तन के माध्यम से तनाव को शरीर के द्वारा निराकरण कर दिया जाता है। नही तो आसेधक द्वारा उत्पन्न हार्मोन का स्तर अधिक समय तक शरीर में बने रहने पर व्यक्ति में आँत में घाव, दमा, उक्त–रक्तचाप, कैंसर एवं मधुमेह होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

समायोजन का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक एवं बाह्य मांगों के मध्य समायोजन तथा संतोषजनक संबंध कायम रखना है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को समायोजन के रूप में परिभाषित करते हैं। मनोविज्ञान समायोजन का विज्ञान है। यह समायोजन गृह एवं विद्यालय तथा सामान एवं विशिष्ट दोनों क्षेत्रों में हो सकता है।जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन आवश्यक होता है विद्यार्थियों का विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए उनमें समायोजन क्षमता होनी चाहिए। उसे ऐसी परिस्थितियों में नहींरहना चाहिए जो असमायोजन को बढाती हो। बेल (1934)ने दो समायोजन अनुसूचियों एक विद्यार्थी तथा दूसरी वयस्कों के लिए रचना की तथा मानकीकरण का कार्य किया। उनके अनुसूची विद्यालय,गृह, समाज,संवेगात्मक एवं स्वास्थ्य में व्यक्ति का मापन करती है। विश्व में जितनी भी अनुसूचियां हैं वह सभी इसी अनुसूची पर आधारित है।

भारत और विश्व में हुए शोध–अध्ययन पर एक दृष्टिपात करे तो पाते है कि–वोल्टमर ई कोस्चिल, स्टुमैनएस (2021) नेजर्मनी विश्वविद्यालय ने तनाव मानसिक स्वास्थ्य का कोविड–19 के प्रभाव का अध्ययन किया उन्होंने पाया कि जो छात्र एवं योग कर रहे थे उनमें तनाव का स्तर योग न करने वाले छात्रों की अपेक्षा कम पाया गया। अमित कोट्स, नीलम शर्मा व अन्य (2009) ने तनाव के संबंध में शैक्षणिक परिवेश पर योग के प्रभाव का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि योग करने वाले प्रायोज्यों में निम्न तनाव पाया गया उन्होनेउच्च तनाव वाले छात्रों के अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। मुस्तफा व अन्य (2020)ने दक्षिण–पश्चिम नाइजीरिया की नर्सिग स्नातक विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता परिणाम का तनाव एवं अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि नर्सिग विद्यार्थियों ने शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक तनाव उनके प्रशिक्षण के दौरान महसूस किया गया जिसने उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित किया। हीना हाशमी व अन्य (2020) में भी तनाव प्रबंधन का उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि नियमित अध्ययन आदतें योग से छात्रों को तनाव प्रबंधन में मदद पायी गई। साहनी पूजा (2021)ने इलाज के दौरान तनाव संबंधी समस्याओं और उनके प्रबंधन और निराकरण में योग के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि योग करने वाले छात्रों में गैर योग करने वाले छात्रों की तुलना में अवसाद, तनाव एवं चिंता की कमी व मन की शांति अधिक पायी गयी। यूनेस्को रिपोर्ट(2021) भारत में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में लाकडाउन के दौरान तनाव का अनुभव हुआ है जिसे योगाभ्यास या ध्यान संगीत एवं अन्य शारीरिक व्यायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष : समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं एवं प्रेरणाओं तथा उनसे संतुष्ट करने वाले कारकों के बीच एक संतुलन कायम करना चाहता है। जिसमें व्यक्ति में वाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन की जरूरत होती है।(ए.के.सिंह, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान से उद्धृत) वहीं तनाव घटनाओं के प्रति ऐसी अनुक्रिया है, जो दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक रुप सेव्यक्तिको प्रभावित करता है।विजय क्षेत्री व अन्य (2021)ने कोविड–19 महामारी के दौरान भारतीय छात्रों में तनाव की व्यापकता का आकलन एक अध्ययन पर शोध किया। उन्होंने स्नोबाल प्रतिचयन प्रविधि का प्रयोग करके पूरे भारत के छात्रों (चे) पर्सिव्डस्ट्रेसस्केल से आनलाईन सर्वेक्षण किया और पाया कि महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने की जरुरत है। क्योंकि वे डर के कारण तनाव के साथ–साथ अपने भविष्य

को लेकर चिन्तित थे। हंस शैली (1979)ने तनाव शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि तनाव अकस्मात रूप से आया एक प्रतिबल है। जो मानसिक, सांवेगिक और व्यवहारिक जीवन को असंतुलित कर देता है। यह केवल नकारात्मक विचारों से नहीं आता, बल्कि सकारात्मक विचारों से भी आता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 11 जनवरी 2022 के बीच 1,47,492 बच्चों ने अपने माता–पिता या दोनों में से एक को कोविड या अन्य कारणों से खोया है। जिससे उनमें इस समय मानसिक तनाव व चिन्ता का पाया जाना स्वाभाविक है।कुछ समय पहले यह मुद्दा लोकसभा म भी उठा तथा मंत्रालय को एक एडवाइजरी भी जारी की और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने मनो–दर्पण नामक एक अच्छी पहल भी की है।

जब आप ध्यानात्मक होकर विचार श्रृंखला तोड़ते हैं अथवा मन को किसी विचार प्रक्रिया से दूर करते हैं तथा प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो मन विचार प्रक्रिया को रोक देता है और आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है। आत्मिक ऊर्जा, ऊर्जा का अनंत स्रोत होने के साथ–साथ देश काल से परे रहती है। इस समय प्राणी को किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता वरन् आनंद ही आनंद होता है। इसलिए साधना विचारों को एकीकृत कर तनाव को कम करता है। त्राटक–योग जो विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन में आंखों में हो रही जलन को कम करने में सहायक होगा वहीं दूसरी तरफ योगात्मक रूप से भुजंगासन,शवासन,एवं अर्ध मत्येन्द्रासन द्वारा चित्त को शांत रखने में भी मदद मिलेगी और महामारी से बचाव के साथ–साथ विद्यार्थियों में तनाव को कम करने में तथा वातावरण के प्रभावी समायोजन में भी सहायता प्राप्त होगी। यह नही कि योग शारीरिक रूप से विद्यार्थियों को सबलबनाता है।वरन् प्राणायाम, ध्यान–योग से उनकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है।इस प्रकार अब तक हुए शोध–अध्ययन के अवलोकन उपरान्त यह कहा जा सकता है कि योग तनाव को कम करने के साथ–साथ विद्यार्थियो की समायोजन क्षमता को बढाता है। जो आज की आवश्यकता भी है अतः सभी अभिवावको को कम से कम अपने बच्चों को शारीरिक व्यायाम, योग, साधना आदि को कम से कम प्रतिदिन एक घंटे जरुर कराना चाहिए। जिससे वे कोविड–19 के काल में विद्यार्थियों में तनाव को कम करने के साथ–साथ उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण से प्रभावी समायोजन एवं अध्ययन आदतों में वृद्धि किया जा सके।

सन्दर्भ :

1. Amit Kauts, Neelam Sharma,(2009) : Effect of yoga on academic performance in relation to stress. vol.2:1Pp.41-43 AvaliableDOI: 10.4103/0973-6131.53860.
2. BijoyChhetr, et al.(2021) Estimating the prevalence of stress among Indian students during theCOVID-19 pandemic: A cross&sectional study from India, Journal of Taibah University Medical Sciences (2021) 16(2), 260e267.
3. Yang C, Chen A, Chen Y (2021) College students' stress and health in the COVID-19 pandemic: The role of academic workload, separation from school, and fears of contagion.PLoS ONE 16(2): e0246676: https://doi-org/10-1371/journal.pone.0246676
4. Sahni PS, Singh K, Sharma N, Garg R(2021) Yoga an effective strategy for self management of stress-related problems andwellbeinduring COVID1lockdown:A cross sectional study.PLoSONE16(2):e0245214.https.//doi-org/10.1371/journal.pone.0245214
5. Malik and Javed(2021) Perceived stress among university studentsin Oman during COVID-19-induced e-learning .Middle East Current Psychiatry (2021) 28:49https://doi.org/10.1186/s43045-021-00131-7
6. Voltmer.E., Köslich-Strumann,S., Walther, A. et al.(2021): The impact of the COVID-19 pandemic on stress, mental health and coping behavior in German University students – a longitudinal study before and after the onset of the pandemic. BMC Public Health 21, 1385 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-021-11295-6
7. Yasmin, H., Khalil, S., &Mazhar, R. (2020).COVID 19: stress management among students and its impact on their effective learning. International technology and education journal, 4(2), 65-74.
8. UNSECO(2021): MindingOur Minds During COVID-19 HELPING SCHOOL GOING CHILDREN MANAGE THEIR MENTAL HEALTH https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374578.locate=en
9. सिंह अरुण कुमार(2016):उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास पृ0(755–784)
10. Jagran(2022).21ekg esa 1-47 yk,k cPpksa us ekrk firk ;k nksuks esa ls,d dks.kks;k-Available: https://epaper.jagran.com/epaper/17-Jan-2022-262-National-edition-National-html
11. योग शिक्षाः एन.सी.ई.आर.टी.(2015) पृ0 147.
12. भगवद्गगीता, गीता प्रेस, गोरखपुर
13. Mustapha et al(2021).;Implications of Stress and Study Habits on Academic Outcome of Undergraduate Nursing Students in Selected Universities in South&West, Nigeria JESBS],33(7): 1-14, 2020; Article no.JESBS-50146.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 114-117

समतावादी पर्यावरण : बी० आर० अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में

शुभम प्रताप सिंह*
शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सारांश : आदिकाल से ही भारतीय समाज में प्राकृतिक संसाधनों (वृक्ष पहाड़, जल, जंगल जमीन और वायु आदि) को देवतुल्य मानकर पूज्य माना जाता रहा है। जिसे हम इस सूक्त द्वारा समझ सकते हैं **माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्या** अर्थात् धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। लेकिन आधुनिक समय की उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर दिया है जिसका कारण समाज के उच्च वर्ग के तबके द्वारा बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन है जिसने समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्तियों के पर्यावरण संबंधी अधिकारों को हाशिये पर ला दिया है। जिसने आज यह अनिवार्य कर दिया है कि आज समतावादी पर्यावरण की बात की जाय। प्रस्तुत शोधपत्र में इसी विचारधारा को अम्बेडकर के नजरिये से देखने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दशकों से डॉ. अम्बेडकर को हमने एक महान राजनेता, संविधानविद् तथा दलितों के मसीहा के रूप म अपने अध्ययन क्षेत्र में स्थान दिया है जबकि उन्होंने इसके परे जाकर भी विभिन्न समाज केंद्रित मानदंडों को स्थापित करते हुए समतावादी पर्यावरण की बात भी की है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों पर सबकी समान और आसान पहुँच स्थापित हो सके और ऐसा करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने एक ऐसे लोकतंत्र की बात की है जहाँ न केवल राजनीतिक, आर्थिक न्याय हो बल्कि उसमें पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) के तत्त्व भी समाहित हों। लंबे समय तक, अंबेडकर के विचारों को निष्क्रियता की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया है तथा इसे मुख्यधारा के शिक्षाविदों से छिपा कर रखा गया। मुख्यधारा के भारतीय शिक्षाविद केवल दलितों के नेता के रूप में अंबेडकर की छवि को विकसित करने के लिए खुश थे। हालाँकि 1980 के दशक तक शैक्षणिक विमर्श के लिए अंबेडकर के विचारों को प्रसारित करने की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि उनके अधिकांश लेखन व्यापक रूप से प्रकाशित होने लगे और आम जनता के लिए सुलभ हो गए। आर्थिक विचार के क्षेत्र में अंबेडकर के योगदान, राजनीति, इतिहास, शिक्षा, धर्म आदि ने भारत और विदेश दोनों के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। हालाँकि मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए उनके विचारों की प्रासंगिकता को शायद ही कभी कोई पर्याप्त ध्यान मिला हो।

भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए अंबेडकर ने समकालीन समय में अधिक महत्ता हासिल की है। विशेष रूप से, समानता और समावेश पर उनके चिंतन ने उनके विचारों को प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बना दिया है परंतु वास्तविक रूप से अभी भी यह बड़ी आबादी के लिए अबोध हैं। प्रस्तुत शोध प्रस्ताव भारतीय पर्यावरणवाद के व्यापक संदर्भ में अम्बेडकर के विचारों को पहचानकर और उनका संदर्भ देकर प्रकृति सबके लिए और सबके लिए प्रकृति (Nature for All and All for Nature)' को स्थापित करने का प्रयास है। हमारे ऋषि–मुनि भी जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल, जमीन और जंगल है इसीलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है–**"वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः"** अर्थात् वृक्ष जल है, जल अन्न है अन्न जीवन है। जंगल को हमारे ऋषि आनंददायक कहते हैं अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु यही कारण है कि हिन्दू जीवन के चार महत्वपूर्ण आश्रमों में से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से ही है। पर्यावरण का विषय भारत में एक कम खोजा गया विषय है। हालाँकि, पर्यावरण पर सार्वजनिक संवेदनशीलता को विकसित करने और इस विषय पर अधिक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता के साथ यह जरूरी हो गया है कि अंबेडकर के विचारों को गंभीरता से खोजा जाए।

मुख्य शब्द : पारिस्थितिकी पर्यावरण, समतावाद, ग्रीन डिमॉक्रेसी, इन्वायरॉन्मेंटल एथिक्स आदि।

परिचय : पारिस्थितिकी चिंतन शैक्षणिक और सार्वजनिक प्रवचन में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई है। उभरते पारिस्थितिक संकट के समाधान खोजने के लिए नए विचारों को लागू करके इसके दायरे का विस्तार करना वास्तव में आवश्यक है। अम्बेडकर के विचार भारतीय पर्यावरणवाद को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनके विचारों से पता चलता है कि पर्यावरण को सामाजिक शक्तियों की गतिशीलता में स्थित होना चाहिए जो अंततः पर्यावरण के साथ मानव संबंधों की प्रकृति का निर्धारित करता है। अंबेडकर के विचार हमें याद दिलाते हैं कि मानव समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इक्विटी और जैव नैतिक भावना के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण शासन को तैयार किया जाना चाहिए। एक तरह से अम्बेडकर के विचार हमें पारिस्थितिक लोकतंत्र और समावेशी पर्यावरणवाद पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं, जिसका अर्थ है सभी के लिए पर्यावरण। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के साथ उनका जुड़ाव सामाजिक प्रक्रिया को देखने के लिए जैव केंद्रित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। इसका मतलब है कि मानव सहित सभी प्रजातियों का प्रकृति पर समान अधिकार है और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में भाग लेने के लिए सभी मनुष्यों की जिम्मेदारी है। निष्कर्षतः अम्बेडकर के पर्यावरण दर्शन को पर्यावरण के लिए सभी और सभी के लिए पर्यावरण के रूप में कहा जा सकता है। वैश्विक और स्थानीय दानों स्तरों पर इसकी प्रासंगिकता यह है कि अम्बेडकर की पारिस्थितिकी में योगदान के साथ यह एक पारिस्थितिक रूप से सशक्त समाज को आगे बढ़ाने में आवश्यक है।

अम्बेडकर ने अपने कई लेखों में स्पष्ट रूप से भारत में सामान्य प्रयोग के साझा संसाधनों के उपयोग में एक असामाजिक सामाजिक आर्थिक संरचना के प्रभाव को सामने प्रस्तुत किया है। उनकी प्राथमिक रुचि यह उजागर करना था कि जाति प्रणाली ने कैसे दलितों को आम साझा संसाधनों तक पहुंचने से रोका, जो उनकी राय में गरीबी और निर्धनता का मूल कारण था। अम्बेडकर के अनुसार, संसाधनों से दलितों के बहिष्कार का संचालन और वैधानिक असमानता की एक प्रणाली द्वारा वैधता प्रदान की गई थी, जिसे अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के रूप में पहचाने जाने वाले सैद्धांतिक आधार के रूप में मान्यता दी थी।

उपर्युक्त संदर्भों में निस्संदेह ही अम्बेडकर का विचार अपने आप में ज्वलंत पारिस्थितिक आयामों से संबंधित है जिन्हें सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करना आज की आवश्यकता है।

समतावाद की अवधारणा : सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में समतावाद (Egalitarianism) एक स्थापित लेकिन विवादित अवधारणा है। समतावाद का सिद्धांत सभी मनुष्यों के समान मूल्य और नैतिक स्थिति की संकल्पना पर बल देता है। समतावाद का दर्शन ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें सम्पन्न और समर्थ व्यक्तियों के साथ–साथ निर्बल, निर्धन और वंचित व्यक्तियों को भी आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हो सकें। समतावाद समाज के सब सदस्यों को एक ही ऋंखला की कड़ियाँ मानता है जिसमें मजबूत कड़ियाँ कमजोर कड़ियों की हालात से अप्रभावित नहीं रह सकतीं। उसका दावा है कि जिस समाज में भाग्यहीन और वंचित मनुष्य दुःखमय, अस्वस्थ और अमानवीय जीवन जीने को विवश हों, उसमें भाग्यशाली और सम्पन्न लोगों को व्यक्तिगत उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त करने की असीम स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। वस्तुतः समतावाद स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। इसे एक विवादित संकल्पना इसलिए कहा गया है कि समानता के कई स्वरूप हो सकते हैं और लोगों के साथ समान व्यवहार करने के भी अनेक तरीके हो सकते हैं।

समतावाद के दर्शन पर विचार करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे 'किस बात की समानता होनी चाहिए' तथा 'किनके बीच समानता होनी चाहिए।' यहाँ समानता के वितरणात्मक पहलू से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण सवाल यह भी है कि 'किन चीजों की समानता होनी चाहिए?' हालाँकि इन सवालों से जुड़े वाद–विवाद के संबंध में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है पर आम तौर पर विद्वानों ने समानता को मापने के तीन आधारों के बारे में बताया है : कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता और कैपेबिलिटी या सामर्थ्य की समानता।

कल्याण के समतावाद का सिद्धांत मुख्य रूप से उपयोगितावादियों के विचार से जुड़ा है। यहाँ 'कल्याण' को मुख्य रूप से दो तरीकों से समझा जाता है। पहले तरीके को **जेरेमी बेंथम** जैसे क्लासिकल उपयोगितावादी चिंतकों ने आगे बढ़ाया। इनके अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किये गये दर्द या कष्ट की तुलना में आनंद की कुल मात्रा ही उसकी खुशी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, किसी व्यक्ति के बारे में यह जानने के लिए कि वह अपनी जिंदगी में कितना सुखी है, हमें यह देखना चाहिए कि वह कितना ज्यादा खश है। कल्याण से संबंधित दूसरा तरीका, उपयोगितावाद से संबंधित हाल के लेखन में दिखाई देता है। इसमें कल्याण को इच्छा या वरीयता–संतुष्टि से जोड़ा जाता है। लोगों की कितनी इच्छाएँ या वरीयताएँ संतुष्ट होती हैं। इसके आधार पर लोगों का कम या अधिक कल्याण होता है। इसी बुनियादी अर्थ में उसकी जिंदगी बेहतर या बदतर होती है। हर व्यक्ति को इस बात में समर्थ होना चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से अपनी वरीयताएँ तय कर सके। वस्तुतः जो समाज कल्याण के समान रूप से वितरण में विश्वास करता है, वह इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता है कि एक व्यक्ति को कितना संसाधन मिलता है। लेकिन इस बात की चिंता जरूर करता है कि ये संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों जितनी संतुष्टि या खुशी देते हैं या नहीं। इस योजना की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि भले ही संसाधनों के वितरण में असमानता हो, लेकिन हर व्यक्ति का समान रूप से कल्याण होना चाहिए।

समतावादी पर्यावरण का अर्थ : समतावादी पूर्ण अर्थों में समानता चाहता है जहाँ हर कोई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान है,जबकि पर्यावरण शब्द परिआवरण के संयोग से बना है। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो, पर्यावरण अर्थात् वनस्पतियों प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु जल भूमि, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है।

सम्मिलित रूप में समतावादी पर्यावरण का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों पर समाज के अंतिम व्यक्ति का भी बराबर व प्रभावी समान अधिकार तथा इसके दोहन के क्रम में इसका विवेकपूर्ण दोहन किया जाना जिससे यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रह सके। अम्बेडकर ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत इक्चटी पर विशेष बल दिया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है, परंतु आशिक रूप से मजबूत लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकांश दोहन एवं दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि अन्य गरीब एवं वंचित लोग इनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं।

''तेन त्यतकेन भूंजिया ''–'ईशावास्य उपनिषद' इसका अर्थ है कि जो त्याग करते हैं. वे ही भोग पाते हैं। इसे हमें इस सन्दर्भ में लेना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन न करते हुए सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे यह संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रह सकें यही सही मायने में समतावादी पर्यावरण अथवा ग्रीन डिमॉक्रेसी है।

बी. आर. अम्बेडकर का समतावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण : हालिया दौर में हो रहे जलवायु परिवर्तन से बाढ़,सूखा,सुनामी,भूकम्प और वैश्विक–तापन से पिघलते ग्लेशियर के फलस्वरूप बढ़ते समुद्र के जलस्तर आदि ने मानवजीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है,इसके अतिरिक्त जैव विविधता और कृषि उत्पादकता भी गंभीर रूप से प्रभावित है। इन्ही पर्यावरणीय संकटों के समाधान हमें डा अम्बेडकर के चिंतन में देखने को प्राप्त होता है। बाबा साहब अम्बेडकर आरम्भ से ही प्रकृति के संसाधनों पर बिना किसी भेदभाव और असमानता के सबका बराबर अधिकार मानते है। आजादी के पूर्व भारत में निचली जाति के लोगों अर्थात् दलितों के अधिकार अत्यधिक सीमित थे न उनके पास जमीन थी न भोजन और न ही एक खुला परिवेश जहां वे बिना भेदभाव के स्वतंत्र रूप से साँस तक भी ले सके, यहाँ तक कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज जल के सार्वजनिक स्रोतों जैसे कुओं,जलाशयों तथा तालाब आदि तक भी उनकी पहुँच न थी। डा0 अम्बेडकर ने इस प्रकार से हो रहे शोषण को पहचाना तथा उसके लिए तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करते विभिन्न आंदोलनों तथा कानूनी लड़ाई के

माध्यम से जल जैसे साझा संसाधनो आदि पर सबकी सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित की। जिसमें उनके द्वारा किया गया महार आंदोलन सबसे प्रसिद्ध है।

अम्बेडकर ने इन्ही अनुभवों को ध्यान में रखकर संविधान को इस प्रकार से निर्मित किया था कि उसमें सभी के विभिन्न अधिकार जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणोय अधिकार सुरक्षित रहे। जिसके सारतत्व हमें प्रस्तावना, नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 48 आदि में देखने को मिलते है इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संविधान को जीवंत रूप में निर्मित किया था ताकि किसी के भी मूलभूत तथा सामाजिक अधिकारों को कानूनी तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो सके आगे चलकर अम्बेडकर जी के दर्शन पर ही केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड, जल प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अनुच्छेद 21 (जीवनानुकूल पर्यावरणीय दशा में पूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) को अधिनियमित तथा पुनर्परिभाषित किया गया है।

लेकिन तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद आज फिर से सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का शोषण होना प्रारम्भ हो यह पूर्व में हो रहे शोषण से इस रूप में भिन्न है कि इसमें प्रत्यक्ष तत्वों के बजाय अप्रत्यक्ष तत्वों का योगदान अधिक है इसे इस रूप में समझा जा सकता कि वर्तमान समय में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सक्षम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के वैभव और विलासिता के भौतिक संसाधनों जैसे– मोटर–कार, एसी, फ्रिज, विभिन्न प्रकार के कोस्मटिक पदार्थों से उत्पन्न हानिकारक गैसा, माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोबिड्स आदि ने ओजोन क्षरण, ग्लोबल वॉर्मिंग, जल के प्राकृतिक संसाधनों और खाद्य पदार्थों को प्रभावी रूप से प्रदूषित किया है। इन सभी पर्यावरणीय चुनौतियों से सार्वाधिक प्रभावी वर्ग शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग ही है क्योंकि इनके पास न तो इनके पास इनसे निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान है और न ही संसाधन। अमीर लोग भी इस संकट से प्रभावित है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम होने की वजह से कुछ भौतिक उपकरणों जैसे वाटर प्युरीफायर, एयर प्युरीफायर आदि तथा अच्छी चिकित्सक सुविधाओं तक पहच से वे इस प्रभाव को पूर्णतः समाप्त तो नहीं लेकिन कम करने अथवा सीमित करने में सक्षम है लेकिन हाशिए पर तो वे लोग है जिनके पास न तो इससे निपटने के लिए संसाधन है और न ही पर्याप्त जागरूकता जबकि वे ऐसी भयग्रस्त स्थिति के लिए उत्तरदायी भी नही है। इसी संदभ में डा अम्बेडकर के समतावादी विचारों की प्रासंगिकता पर विचार करने की आवश्यकता फिर से महसूस हो रही है यह नितांत आवश्यक हो गया है कि पर्यावरणीय समतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी वर्गों के पर्यावरणीय अधिकारों को सुरक्षित किया जाय। आज यह आवश्यक हो गया कि पर्यावरण में सबकी समान सहभागिता तथा अधिकार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नागरिक के कार्बन फुटप्रिंट को निर्धारित किया जाए तथा जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करे उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए और उससे एकत्रित धन को पर्यावरणीय अधिकारों से वंचित लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल्य समान है और प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति के संसाधनों में समान हिस्सेदारी है।

डा0 अम्बेडकर की 125 वीं जयंती पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की असफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों को 2016 में निधारित किया है जो अम्बेडकर के पर्यावरणीय दर्शन पर आधारित है जिसके लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शून्य भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य ,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, असमानता में कमी, भूमि और जल में जीवन तथा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन आदि शामिल है।

निष्कर्ष : नेचर पत्रिका के अनुसार समतावादी पर्यावरण को व्यवहारिक दर्शनशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय मूल्यों की आधारभूत अवधारणाओं के अध्ययन के साथ साथ जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं उसे बनाए रखने के लिये आस पास के सामाजिक दृष्टिकोण, कार्य एवं नीतियों जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।''

इक्कीसवीं सदी का मनुष्य, प्रकृति चिन्तन के विपरीत, अपनी नियति खुद गढ़ रहा है। वह अंतरिक्ष में कॉलोनी रोबो द्वारा चलित मशीने कम्प्यूटर जैसी बुद्धि का विकास करने के लिये लगातार प्रयासरत है। उपरोक्त नियति निर्धारण के कारण विश्व में उपभोग की प्रवृत्ति तथा विविध उत्पादनों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है जिसके कारण, वैश्विक पर्यावरण तथा स्थानीय मौसम पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके उदाहरण हैं वैश्विक ऊष्मता, ओजोन परत का हास, अम्लीय वर्षा समुद्र स्तर में वृद्धि वायु, जल तथा भूमि संक्रमण और मरुस्थलों के क्षेत्रफल में हो रही वृद्धि। यह यही नियति है जिससे बचने की बात पर्यावरणविदों ने अपने प्रकृति चिन्तन में कही है। डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण थी। उस सोंच में समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा गया है। उनका विश्वास था कि गरीबी और प्रदूषण एक दूसरे के पोषक हैं। डॉ0 अम्बेडकर का चिंतन प्राकृतिक संसाधनों के असीमित उपभोग तथा अंतहीन शोषण पर रोक लगाता है, यह उनकी पर्यावरण सम्बन्धी सोंच का सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉ0 अम्बेडकर की उपरोक्त सोंच उस कालखंड में विकसित हुई जब वैज्ञानिक जगत भी पर्यावरण के कुप्रभावों से लगभग अपरिचित था।

महात्मा गाँधी और अम्बेडकर के विचारों पर्याप्त अंतर्विरोध के बावजूद प्रकृति चिन्तन में के विषय में काफी समानता देखने को मिलती है गाँधी जी के लेखों तथा विचारों में पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिबोध तथा पर्यावरण पर काम करने वालों के लिए कालजयी मार्गदर्शन मौजूद है इसलिये उपभोक्तावाद से त्रस्त अनेक लोग गाँधी दर्शन में मुक्ति तथा विकास का मार्ग खोज रहे हैं। आज से एक शताब्दी पूर्व 1909 में गाँधी जी ने पश्चिमी समाज के आनन्द तथा समृद्धि की अंतहीन दौड़ को समूची धरती तथा उसके संसाधनों के लिए गंभीर खतरा माना था। उनके लेखो को हिन्द स्वराज में संकलित किया गया है इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिमी समाज को उनकी जीवनशैली के दुःप्रभावों के प्रति सचेत किया है इसके साथ ही उन्होंने भारतवासियों से अनुरोध किया है कि वे भौतिक लाभों के लालच में न उलझें। महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है– "पृथ्वी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिए पर्याप्त है किन्तु उनके लालच की पूर्ति के लियेनही। पृथ्वी, वायु भूमि तथा जल हमारे पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्तियाँ नहीं है। वे हमारे बच्चों की धरोहरे हैं। ये जैसी हमें मिली है वैसी ही उन्हें भावी पीढ़ियों को सौंपना होगा।"

वर्ष 1985 में स्टेटस ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट (Status of India's Environment) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें बताया गया कि अमीर लोग पर्यावरण का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं जबकि इसका खामियाजा गरीब, वंचित वर्ग विशेषकर आदिवासी एवं महिलाएँ भुगत रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों की आजीविका ही पर्यावरण पर निर्भर करती ह। इसीलिए आज यह नितांत आवश्यक हो गया है कि ग्रीन डेमाक्रेसी समतावादी पर्यावरण को धरातलीय स्थिति प्रदान की जाय।। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं आधुनिक तकनीकी विकास के कारण मानय प्रभाव में वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि पर्यावरणीय समस्याएं आज विश्व के समक्ष विकराल दैत्य के समान मुह फैलाए खड़ी हैं। वस्तुतः मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं दुरुपयोग किया है जिसके कारण पर्यावरण निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन जैसी समस्याओं का जन्म हुआ है।अतः संसाधनों की सततता, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति मानव की जिम्मेदारी से ही समतावादी पर्यावरण संबंधित है।

सन्दर्भ :

1. Admin, (2017), September 20, TICI Journals, Retrieved July 17, 2020. from http%//www ticijournals.org/green& democracy&relevance&of&ambedkars&ideas for & indian & environmentalism
2. Dr. Rajagopalan, Environment and Ecology, oak Bridge publication
3. Sharma, Mukul, Caste And Nature: Dalits and Indian Environmental Politics
4. Ambedkar, B.R. (2006), Buddha and his Dhamma, Siddharth Books, Delhi.
5. Grove, R. (1995), Green Imperialism: Conservation and colonial upansion, 1600 & 1860, Cambridge University Press, Indian Prints, New Delhi.
6. Guha, R. (1993), An Early Environment Debate: Making of the 1878 Forest Act, Indian Economic and Social History Review, Vol. 27, No. 1, 1993, pp. 65&84.
7. Guha, R. Alier J.M. (1998), Verities of Environmentalism: Essays North and South, Oxford University Press, New Delhi.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 118-119

विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके सृजनात्मकता से सहसम्बन्ध

वैभव सिंह*

*शोध छात्र, तिलकधारी पी0जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0

डॉ0 वीना सिंह**

**एसोसिएट प्रोफेसर, तिलकधारी पी0जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : भारत में विद्यार्थी एवं परिवार के अर्न्तसम्बन्ध एवं लगाव तथा इस अन्तर्सम्बन्धों के प्रभाव का अपना महत्व है। पारिवारिक लगाव एवं इससे विद्यार्थी के सृजनात्मकता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना आवश्यक है क्योंकि सृजनात्मकता किसी विद्यार्थी के जीवन की दिशा ही नही वरन् राष्ट्र की भी दिशा निर्धारण करता है, प्रभाव को जानने हेतु विद्यार्थी के पारिवारिक लगाव एवं सृजनात्मकता में सह सम्बन्ध का विश्लेषण किया गया, जिससे आगामी नवीन चुनौती हेतु विश्लेषणात्मक हल निकाला जा सके और विद्यार्थी एवं परिवार के अर्न्तसम्बन्धों/पारिवारिक लगाव के प्रभावों के प्रति लोगों को कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारी से परिचित कराया जा सके।

मुख्य शब्द : पारिवारिक लगाव, सृजनात्मकता, सहसम्बन्ध, शिक्षा, व्यक्तिगत मूल्य आदि।

प्रस्तावना : विद्यार्थियों के समक्ष वर्तमान में संसाधनों की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं, फिर भी विद्यार्थी द्वन्द की स्थिति में होते हैं, चुनौतियाँ नवीन हो या पुरातन उससे समाज में व्यवस्थित होने के लिए विद्यार्थी को सृजनात्मकता से स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है। जिससे वह चुनौती का सामना कर सके तथा सहज एवं सरलता से समस्या का हल स्वयं सृजनात्मक चिन्तन से कर सके। प्रत्येक विद्यार्थी प्रेम, स्नेह, अच्छे सम्बन्धों एवं सहयोग का अभिलाशी होता है, परिवार के लोगों का विद्यार्थी के प्रति लगाव उसे हमशा प्रेरणा एवं मनोबल प्रदान करता है। अब इस प्रेरणा या मनोबल का प्रयोग वह सृजनात्मक चिन्तन, समस्या समाधान आदि में कर पाता ह या नहीं, क्या उसका व्यक्तित्व हमेशा धनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण दृढ़ता से स्थापित रहता है यह एक प्रमुख जिज्ञासू विचार है। पारिवारिक लगाव समाज में पहले भी प्रमुख भाव था और जब तक समाज रहेगा तब तक इसकी यही प्रासंगिकता बनी रहेगी, परन्तु समयानुसार इसके प्रभाव को विभिन्न चरों के संदर्भ में जाँचना आवश्यक होगा।

समस्या की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि : विद्यार्थी के विकास में परिवार, समाज एवं उनके वंशानुक्रम, वातावरण ये सभी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। व्यक्तित्व के विकाास एवं संस्कार की पृष्ठभूमि परिवार से एवं उसके सामाजिक संयोजन में उसके पारिवारिक लगाव के प्रभाव का प्रमुख योगदान माना जाता है। पेस्टालाजी ने गृह को ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माना है तथा माता इस पाठशाला की प्रथम एवं मुख्य शिक्षिका मानी गयी है, वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थी परिवार से ज्यादा समाज में चुनौतियों को ग्रहण करता है और इसका हल स्वयं एवं परिवार के प्रेरणा स्रोत आदर्शों, विचारों एवं वैज्ञानिक चिन्तन से जानने का प्रयास करता है, यह कितना प्रभावी है क्यों प्रभावी है कितने समय के लिए प्रभावी है यह समय–समय पर परीक्षण करना आवश्यक है।

पारिवारिक लगाव : सहभागिता के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए मारिया माण्टेसरी ने गृह वातावरण एवं पारिवारिक लगाव को प्रेम युक्त एवं सहभागी वातावरण बनाने का सुझाव दिया तथा विद्यालयों को भी विद्यार्थियों का गृह कहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थी माता–पिता से अनुवांशिक रूप से अधिकांश गुण प्राप्त कर लेता है, परन्तु इसके संतुलित प्रभाव को परिवार का बच्चों के साथ सम्बन्धों के कारण परिवर्तित पाया जाता है।

माता–पिता विद्यार्थियों की विविध शैक्षिक क्रियाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं व्यवहार के प्रति अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग प्रतिक्रिया करते है। प्रतिक्रिया के उपरान्त विद्यार्थियों का उसके प्रति सहगामी क्रियाओं में सहयोग देना अपेक्षित होता है, परन्तु अनेक बार यह देखा गया है कि माता–पिता का विद्यार्थियों के साथ सम्बन्ध उनके प्रतिक्रिया स्वरूप में विविध प्रकार के व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रस्तुत करते रहे हैं, जो समाज, विद्यालय, परिवार, सम्बन्धियों के प्रति अलग–अलग हो सकता है।

शर्मा कल्पना (2013) ने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की दृष्टि में विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बढ़ने से, जैन, सिक्ख विद्यालयों के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत मूल्यों के अन्य पक्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शर्मा, कमल कुमार (2015) ने शोध में पाया कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों क सृजनात्मकता पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से आंशिक रूप से अधिक पाये गए।

कालिया देवेन्द्र (2016) ने शोध अध्ययन में पाया कि बी0एड0 के विद्यार्थियों में उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में सृजनात्मकता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। यही परिणाम निम्न मानसिकता वाले शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों में भी प्राप्त हुआ है।

वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों को सृजनात्मक चिन्तन एवं विचारों का धनी बनाना एक चुनौती है, परन्तु मानसिकता एवं शैक्षिक रूचि को बढ़ाने के लिए परिवार से विद्यार्थियों क सम्बन्धों के नवीन आयामों को समझना अति आवश्यक है जिससे नवीन समस्या का वर्तमान एवं भविष्य में निराकरण किया जा सके।

समस्या कथन : "विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके सृजनात्मकता से सहसम्बन्ध",

उद्देश्य : विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके सृजनात्मकता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना : विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके व्यक्तिगत मूल्यों में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

जनसंख्या एवं न्यायदर्श : प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में जनपद जौनपुर के समस्त तहसील के कक्षा–12 के विद्यार्थी है जो अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत् है तथा कक्षा–12 उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोड से उत्तीर्ण है, यादृच्छिक न्यायदर्श पविधि द्वारा समस्त तहसील से न्यायदर्श के रूप में कुल 240 विद्यार्थियों का चयन क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर बराबर–बराबर किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण : प्रस्तुत भोध कार्य में पारिवारिक लगाव मापनी हेतु **डॉ0(श्रीमती) जी0पी0 शैरी** तथा **डॉ0 जगदीश चन्द्र सिन्हा** द्वारा निर्मित एवं सृजनात्मकता मापन हेतु प्रो0 बी0के0 पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता मापनी का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीकी : प्रस्तुत शोध कार्य के संग्रहित ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पना का परीक्षण :

चर	N	Σx	Σx^2	Σy	Σy^2	Σxy	r
पारिवारिक लगाव	240	15119	508569	33089	4634345	2094047	+0.36
सृजनात्मकता							

विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव परीक्षण मापनी से प्राप्त प्राप्तांकों का योग (Σx) 15119 उनके प्राप्तांकों के वर्गों का योग (Σx^2) 508569 है तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सृजनात्मक परीक्षण मापनी के परीक्षण उपरान्त प्राप्त प्राप्तांक का योग (Σy) 33069 है तथा सृजनात्मकता प्राप्तांकों के वर्गों का योग (Σy^2) 4634345 है। विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव एवं सृजनात्मकता के प्राप्तांकों के गुणनफल का योग (Σxy) 2094047 है। प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक (r) + 0.36 जो निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध है (Low Positive Corelation) की श्रेणी का परिचायक है, अतः प्राप्त परिणाम से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव एवं सम्बन्ध के आधार पर विद्यार्थियों के सृजनात्मक क्षमता में निम्न ही सही परन्तु धनात्मक सहसम्बन्ध या प्रभाव देखा गया है, अर्थात विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव का उनके सृजनात्मकता पर पड़ने वाला प्रभाव धनात्मक पाया गयाा है परन्तु यह निम्न स्तर का है, इसका आशय यह है कि विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव बढ़ने से उनके सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है तथा पारिवारिक लगाव घटने से सृजनात्मकता भी घटती है। जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता को पारिवारिक सदस्य समझते हैं एवं उससे विद्यार्थियों को परिचित कराने एवं प्रोत्साहन देने में सकारात्मक एवं संवेदनशील भागीदारी निभाते हैं।

सन्दर्भ :

1. गुप्ता, प्रो0 एस0पी0 (2007) : आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन सहसम्बन्ध गुणांक, पृ0 453–457
2. भारद्वाज, ममता, (2008) : सृजनशील विद्यार्थियों के लिंग व सामाजिक–आर्थिक स्तर क सन्दर्भ में व्यक्तित्व, पृ0–23–28
3. श्रीवास्तव, निधि, (2010) : सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, पृ0–100–106
4. कालिया, देवेन्द्र, (2012) : बी0एड0 के विद्याथियों का उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में सृजनात्मकता, पृ0–79–82
5. शर्मा कल्पना (2013) : जैन एवं सिक्ख विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं विद्यालयी वातावरण के प्रभाव के सन्दर्भ में, पृ0–125–131
6. शर्मा, कमल कुमार (2015) : विद्यार्थियों के प्रजातांत्रिक मूल्य का सृजनात्मकता पर प्रभाव का अध्ययन, पृ0–60–66

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 120-123

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वृद्ध व्यक्तियों की परिवार में बढ़ती समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 आनन्द सिंह*

*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज, प्रयागराज, उ0प्र0

नैन्सी**

**शोधार्थी, समाजशास्त्र, ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज, प्रयागराज, उ0प्र0

सारांश : वृद्धावस्था मानव जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जिसमें समय के साथ एक व्यक्ति के प्रदर्शन, उत्पादकता और स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति के कारण मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है, जिससे वृद्ध लोगों की आबादी में भी तेजी से वृद्धि हुई है। परिवार के ढांचे में परिवर्तन आने से वृद्धावस्था के आश्रय के रूप में परिवार की संस्था धीरे–धीरे नष्ट होती जा रही है। संयुक्त परिवार में जहाँ वृद्ध व्यक्ति ही पारिवारिक निर्णय लेता था आज उसकी भूमिका बहुत कम हो गई है। अगर वृद्ध आर्थिक रूप से आश्रित नहीं है तब उसके परिवार में सम्मान, देखभाल और अन्य मामलों में सहभागिता है किन्तु अगर वृद्ध आश्रित है, तो उसे बोझ के रूप मे देखा जा रहा है। देश में अधिकांश वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। प्रस्तुत लेख में वर्तमान में वृद्धों की परिवार में स्थिति एवं अंतरव्यक्तिगत सम्बन्ध को समझने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : वृद्धावस्था, वृद्ध समस्याएं, संयुक्त परिवार का विघटन, पारिवारिक सहभागिता, एकांकीपन आदि।

परिचय : वृद्धावस्था का संबंध लोगों की बढ़ती उम्र से है। यह मानव विकास की ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की इंद्रियाँ कमजोर होने के साथ उनकी बहुत सी क्षमता घट जाती है। किसी भी समाज के संगठन एवं विकास में वृद्धजनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। विश्व में अधिकतर देश विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज समाज में एक नई समस्या उभर कर आई है, जो वृद्धों की समस्या है। परंपरागत समाज में वृद्धों का अहम स्थान था। वृद्धों से ही परिवार की पहचान होती थी और वृद्ध व्यक्ति जो निर्णय लेता था वही सर्वोपरि होता था, माना जाता था कि जो आयु में जितना बड़ा है, उसके पास सांसारिक ज्ञान अनुभव अधिक होता है और वह उचित निर्णय ले सकता है, मगर आधुनिक समाज में औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता ने सबसे अधिक प्रभावित पारिवारिक संरचना को किया है। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तन हुआ, शिक्षा के प्रसार एवं समानता के कारण महिलाएं अब केवल गृह कार्य ही नहीं बल्कि बाहर जाकर भी काम करने लगी हैं और वृद्धों की देखभाल जो परिवार में बहुत अच्छे से हो जाती थी, वह अब समस्या बन गई है। उनको कोई समय भी नहीं दे पा रहा है, इस वजह से वृद्ध एकाकीपन का शिकार होते जा रहे हैं। वृद्ध वर्ग समाज के अतीत और वर्तमान को जोड़ने में एक सेतु के रूप में कार्य करते थे परन्तु आज उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वृद्धों की जनसंख्या में भारत में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है – वर्ष 1901 में 12.1 मिलियन थी; वहीं 2011 में यह बढ़कर 104 मिलियन हो गयी और 2026 तक इनकी संख्या 173 मिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2000 से 2050 के बीच बुजुर्ग आबादी में 360% की वृद्धि होने की संभावना है। इसके ठीक विपरीत इसमें सहयोग करने वालों का जो अनुपात वर्ष 2001 में 8.4% था, वहीं 2011 में घटकर 7% रह गया और यह आशंका भी है कि 2026 तक यह महज 5.2% रह जाएगा। वृद्ध जीवन के इस अंतिम पड़ाव में परिवार के सदस्यों पर, मित्रो एवं पड़ोसियों पर शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा भावानात्मक रूप से निर्भर होते हैं। इस समय उनको इनकी बहुत जरूरत होती थी। समाज में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, कि वह उनकी समस्या को सुने और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई काम करें।

विगत कुछ वर्षों में अनेक समाजशास्त्रियों ने वृद्धजन की विविध समस्याओं का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया है। (भाटिया 1983, शाह 1999, जोशी 2011, दूबे 2011, मिश्रा 2014, प्रसाद 2017, दीक्षित 2017, कपूर 2018, अमीरी 2018, रफत 2018, पुरोहित 2019, पेढ़ारकर 2019, कुमारी 2020) परन्तु वृद्धावस्था के बहुत सारे पक्ष अभी भी अन्वेषित नहीं किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुऐ एक प्रयास है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधि : प्रस्तुत अध्ययन वर्तमान समय में वृद्ध व्यक्तियों की परिवार में बढ़ती समस्याओं पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत मुख्यतः यह जानने का प्रयास किया गया है कि वृद्धों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है ? तथा वर्तमान में परिवार में वृद्धों की स्थिति और उनके अंतर व्यक्तिगत संबंध का स्वरूप क्या है ? इसके लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद प्रयागराज नगर के 35 वृद्धों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया। अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का अनुसरण किया गया है। तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधि के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के द्वारा सामान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण :

तालिका संख्या–1
उत्तरदाता की आयु संरचना

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
आयु		
60–65	10	28.57%
65–70	17	48.57%
70–75	06	17.14%
80 से ऊपर	02	5.71% :
योग	**35**	**100%**

सर्वप्रथम तालिका संख्या 1 में उत्तरदाताओं की आयु संरचना को समझने का प्रयास किया गया है। तालिका में दिये गये विवरण से स्पष्ट होता है कि 28.57%, उत्तरदाता 60–65, 48.57% उत्तरदाता 65–70, 17.14% उत्तरदाता 70–75 एवं 5.71% उत्तरदाता 80 से ऊपर आयु समूह में है। अतः वर्तमान अध्ययन में लगभग आधे उत्तदाता 65–70 आयु समूह में है।

तालिका संख्या–2
उत्तरदाताओं की जाति

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
वर्ग		
सामान्य वर्ग	11	31.42%
अन्य पिछड़ा वर्ग	14	40%
अनुसूचित जाति	07	20%
अनुसूचित जनजाति	03	8.57%
योग	**35**	**100%**

उत्तरदाताओं के जाति के बारे में प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि 31.42% सामान्य वर्ग, 40% अन्य पिछड़ा वर्ग, 20% अनुसूचित जाति, 8.57% अनुसूचित जनजाति उत्तरदाता है।

तालिका संख्या–3
उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
एकाकी परिवार	31	88.57%
संयुक्त परिवार	04	11.42%
विस्तृत परिवार	–	–
योग	**35**	**100%**

प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि 88.57% उत्तरदाता एकाकी परिवार में और 11.42% संयुक्त परिवार में उत्तरदाता रहते हैं।

तालिका संख्या–4
आय का स्रोत

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
पेंशन भोगी	21	60%
गैर पेंशन भोगी	14	40%
योग	**35**	**100%**

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 60% उत्तरदाता के आय का स्रोत पेंशन है, और वहीं पेंशन न पाने वाले 40% उत्तरदाता हैं। पेंशन पाने वाले उत्तरदातों की स्थिति, पेंशन न पाने वाले उत्तरदाताओं की तुलना में बेहतर है।

तालिका संख्या–5
उत्तरदाताओं की पारिवारिक निर्णय में सहभागिता

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
पूर्णरूपेण	02	5.71%
आंशिक	19	54.28%
बिल्कुल नहीं	14	40%
योग	**35**	**100%**

इस तालिका में उत्तरदाताओं की पारिवारिक निर्णय में सहभागिता की चर्चा हुई है, जिसमें ज्ञात हुआ कि 5.71% उत्तरदाता का पारिवारिक निर्णय में पूर्णतः सहभागिता है, 54.28% आंशिक सहभागिता है, जबकि 40% लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनके घर में क्या निर्णय लिया जा रहा है।

तालिका संख्या–6

परिवार में उत्तरदाताओं से अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
अच्छा	09	25.71%
खराब	26	74.28%
योग	**35**	**100%**

परिवार में उत्तरदाताओं से अन्य व्यक्तियों का कैसा सम्बन्ध है इस पर चर्चा करने से ज्ञात हुआ कि 25.71% उत्तरदाताओं के साथ ही परिवार में अच्छा सम्बन्ध है, जबकि 74.28% उत्तरदाताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

तालिका संख्या–7

उत्तरदाताओं की देखभाल

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
बेटा और बहू	03	8.57%
पत्नी	21	60%
अन्य	**11**	31.42%
योग	**35**	**100%**

तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवार मे उत्तरदाताओं की देखभाल 8.57%, बेटा और बहू जबकि 60% उनकी पत्नी तथा 31.42% अन्य व्यक्ति उनकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार अधिकतर उत्तरदाताओं की देखभाल उनकी पत्नी करती हैं। शेष सदस्य आधुनिक समाज में अपने–अपने काम में व्यस्त हैं, किसी के पास उत्तरदाताओं की देखभाल करने का समय नहीं है।

तालिका संख्या–8

उत्तरदाताओं को नवीन पीढ़ी के द्वारा दुर्व्यवहार का सामना

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
हाँ	28	80%
नहीं	07	20%
योग	**35**	**100%**

अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि नवीन पीढ़ी उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। जिसमें 80% उत्तरदाताओं ने माना कि नई पीढ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है जबकि 20% उत्तरदाताओं का मानना है कि नहीं, सब अपने–अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार कोई नहीं कर रहा है।

तालिका संख्या–9

वृद्धावस्था के संदर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

सूचक	**संख्या**	**प्रतिशत**
एक सम्मानपूर्ण स्थिति	02	5.71%
आनन्दपूर्ण स्थिति	05	14.28%
अक्षमता का अहसास	07	20%
परिवार पर एक बोझ	07	20%
समस्या से ग्रस्त	14	40%
योग	**35**	**100%**

यह जानने का प्रयास किया गया है कि वृद्धावस्था के प्रति उत्तरदाताओं का स्वयं का दृष्टिकोण क्या है ? वृद्धावस्था के बारे में स्वयं उत्तरदाताओं का यह दृष्टिकोण है कि महज 5.71% उत्तरदाता परिवार में सम्मानपूर्ण स्थिति में है। जबकि 14.28% खुद को आनंदपूर्ण परिस्थिति में मानते हैं, 20% उत्तरदाता अक्षमता का अहसास करते हैं, 20% उत्तरदाता परिवार पर खुद को बाझ मानते हैं। जबकि 40% उत्तरदाताओं ने माना कि वह समस्याओं से ग्रस्त है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में वृद्धों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जो वृद्ध आर्थिक रूप से मजबूत (अर्थात् पेंशनभोगी) हैं उनका ख्याल, सम्मान, देखभाल और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है, जो खर्च में योगदान नहीं दे पाते उन पर कम ही ध्यान दिया जाता है। अधिकांश वृद्ध एकाकी परिवार में रहते ह, लेकिन उन्हें संयुक्त परिवार में रहना अधिक पसंद है। पारिवारिक निर्णय में उनकी सहभागिता कम हो गई है, पर अभी भी कुछ मामलों में उनसे राय ली जाती हैं। वृद्ध की देखभाल स्वयं या उनकी पत्नी के द्वारा ही अधिक किया जा रहा है। परिवार में वृद्धों से अन्य व्यक्तियों का संबध खराब हैं और उन्हें नई पीढ़ी से दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ रहा है। भोजन से वह संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें अकेले ही भोजन करना पड़ता है। अपने मन–मुताबिक कुछ खाना चाहते हैं तो अलग बनाना पड़ता है या बाहर से मंगवाना पड़ता है। नए मूल्यों एवं पुराने मुल्यों के असमांजस्यता के कारण भी दिक्कत आ रही है। कुछ का मानना है कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, अगर युवा पीढ़ी सही है तो उनकी बात मानना गलत नहीं है। अतः निश्चित रूप से आज आवश्यकता पारिवारिक सम्बन्धों, विशेष रूप से अन्तर्पीढ़ीय सम्बन्धों के पुननिर्माण की है तथा ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिससे वृद्धजन अपने लिए बनाये गये प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सके।

सन्दर्भ :

1. अमीरी, मोहम्मद (2018) प्राब्लम्स फेस्ड् बाय ओल्ड एज पीपुल द इण्टरनेशनल जर्नल आफ इण्डियन साइकोलॉजी, 6(3): 52–63
2. कपूर, राधिका (2018), प्राब्लम्स ऑफ द एज्ड पीपुल इन इण्डिया https://www/researchgate.net/publication/325144978
3. कुमारी, सुभद्रा (2020), भारतीय समाज में वृद्धों की समस्याओं के कारण एवं समाधान, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च : 6(10):779–783
4. जोशी, अरविन्द कुमार (2011), ग्लोबलाईजेशन एण्ड एजिंग इन इण्डिया, द इण्टरनेशनल जर्नल आफ सोशल क्वालिटी वाल्यूम 1, नंबर 1 (पीपी 33–44)
5. दीक्षित, उमेश कुमार (2017), वृद्धाश्रम एवं उनके निवासियों का समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक अध्ययनः सेवा सदन, प्रमोद वन, चित्रकूट के संदर्भ में काव इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स ह्यूमेनिटीज़ एण्ड सोशल साइन्स, केआईजेएएचएस /अक्टूबर–दिसंबर 2017 / वॉल्यूम–4 / आईएस एस–4 / ए2 पेज नं0 5–8, आईएसएसएनः 2348–4349
6. दुबे, अरूणा भसिन, सीमा गुप्ता, नीलिमा एण्ड शर्मा, नीरज (2011), ए स्टडी ऑफ एल्डरली लिविंग इन ओल्ड एज होम एण्ड विथइन फैमिली सेटअप इन जम्मू, स्टड होम कॉम, साइन्स, 5(2): 93–98
7. पुरोहित, पूर्वी (2019), पेंशनभोगी एवं गैर पेंशनभोगी वृद्धजनों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, जर्नल ऑफ केरण्ट साइंस, आईएसएसएन नं0–9726– 001ग, वाल्यूम–20, https://journal.scienceacad.com
8. पेंढारकर, सुषमा (2019), वृद्धजनों के सामाजिक समायोजन पर परिवर्तित होते सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, एन्थोलॉजी : द रिसर्च आरएनआई नम्बर– यूपीबीआईएल / 2016 / 68067,आईएसएसएनः2456–4397, वाल्यूम–4, इश्यू–2
9. प्रसाद, राजेन्द्र (2017), प्राब्लम्स ऑफ सीनियर सिटीजेन्स इन इण्डिया, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज़ एण्ड सोशल साइन्स रिसर्च, वाल्यूम–3, इश्यू 1; पेज नम्बर 35–37
10. भाटिया, एच0एस0 (1983), एजिंग एण्ड सोसायटी, ए सोसियों लॉजिकल स्टडी आफ रिटायर्ड पब्लिक सरवेन्ट्स, द रयाज बुक सेन्टर पब्लिशर, उदयपुर।
11. मिश्रा, निधि (2014), एजिंग इन इण्डिया : कंर्सन्स एण्ड चैलेन्ज, बोल्ड. यूनाइटेड नेशन्स, इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑन एजिंग, माल्टा बी, वाल्यूम 24, नं0–4, 5–11
12. रफत, ज़किया (2018), वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार में वृद्धों की स्थिति, शोध मंथन, पेज नं0 8, आर्टिकल नं0 2, https://anubooks.com! पेज आईडी 581, आईएसएसएनः (पी): 0976–5255
13. शाह, अरविन्द मणिलाल (1999), चेन्जेस इन द फैमिली एण्ड द एल्डरली, इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वाल्यूम 34, नं0–20, पी0पी0 1179–1182

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 124-127

साहित्य में किसान विमर्श : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 धीरज कुमार चौधरी*
*एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, ईश्वर शरण महाविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0
हिमांशु त्रिपाठी**
**शोध छात्र, इतिहास विभाग, ईश्वर शरण महाविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

सारांश : भारत में प्राचीन काल से हीं किसानों पर विभिन्न साहित्यों की रचना हुई है लेकिन ज्यादातर उच्च वर्गीय मानसिकता और सामंतवादी विचारों से प्रभावित थे। भक्ति काल के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया। सामाजिक मूल्यों का समावेश साहित्य में हुआ। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के उपज और स्वतंत्रता आंदोलन के दारान किसानों के वर्गीय चरित्र की संभावना को बनाए रखने के लिए किसानों को साहित्य के साथ साथ अन्य जगहों पर स्थान दिया गया। इसी का नतीजा था कि इसी दौरान कुछ ऐसे साहित्यकारों का उदय हुआ जिनके ज्यादातर विषय कृषि परिवेश और सामाजिक चिंतन से प्रेरित थे। प्रेमचंद, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि की रचनाएँ इसी बात को प्रदर्शित करती हैं। आजादी के बाद साहित्य की नई विधाओं का वृहत स्तर पर विकास हुआ। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता आदि विधाओं में वृहत स्तर पर रचनाएँ किसानों को लेकर लिखी गईं। किसान विमर्श को साहित्य की विभिन्न विधाएँ पूर्णता प्रदान करती हैं। साहित्य में किसानों से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं जैसे ऋण की समस्या, मौसम की अनिश्चितता, जमींदारों का शोषण, भूमि सुधार की समस्या, किसानों पर उदारीकरण का प्रभाव, हरित क्रांति से उत्पन्न असमानता आदि विषया से संबंधित विभिन्न रचनाएँ की गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य में किसानों की उपस्थिति समाज के अन्य वर्गों को साथ में लाता है और इनको एक अहम हिस्से के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य शब्द : कृषि प्रक्रिया, शोषण, साहूकार, साहित्य, किसान, विधा, विमर्श, अकाल, ऋण आदि।

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज के विभिन्न पहलुओं को हम साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं। साहित्य ही एक ऐसी विधा है जो समाज के प्रत्येक अवयव का चित्रण स्पष्ट रूप से कर सकता है। साहित्य का वर्णन करते समय साहित्यकार समाज के विभिन्न विषयों को अपने नजरिये से अपने विभिन्न रचनाओं में वर्णित करता है। साहित्य की विभिन्न विधाएँ हैं – उदाहरण के लिए उपन्यास, निबंध, कविता, कहानी आदि हैं। साहित्य में किसान विमर्श के बारे में वर्णन इन्हीं बिंदुओं के आसपास किया जाता है।

उपन्यास साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी भी वृत्ति, जानकारी, तत्व आदि का वर्णन उपन्यासकारों द्वारा अपने मंतव्य के आधार पर किया जाता है। उपन्यास में ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि विषयों से संबंधित चीजा का चित्रण किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष में भारतीय किसान भी उपन्यास का भाग बने हैं। उपन्यासों में कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याएं चाहे वो अकाल या वर्षा की समस्या हो या सिंचाई की समस्या हो या किसानों में आत्महत्या की समस्या हो, साहित्यकारों द्वारा दर्शाया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय जैसे–व्यक्तियों का स्थान आता है।

आजादी के पहले साहित्य में प्रसिद्ध उपन्यासकारों की श्रेणी में मुंशी प्रेमचंद का अग्रणी स्थान है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने किसान जीवन की स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है। किसान जीवन की विभिन्न समस्याओं को दर्शाने में ये उपन्यास अच्छा प्रयास प्रतीत होता है। इस उपन्यास में महाजनों और साहूकारों की शोषणकारी समस्या को बखूबी देखा जा सकता है। निम्न और उच्च वर्ग के संघर्ष को चित्रित करने में यह उपन्यास पूरी तरह सक्षम है। कर्मभूमि उपन्यास में भी किसान समस्याओं को देखा जा सकता है। शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया उपन्यास में गाँव में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा और जमींदारों द्वारा किए जानेवाले शोषण का वर्णन किया गया है।

शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया में किसान जीवन के बारे बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। शिवपूजन सहायने देहाती दुनिया में लिखा है कि "थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआँ बन जाती थी। मूंज की बटी पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर बांधा जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआठ और बड़ी मेहनत से खेत जोते बोये और पटाये जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम लोग हाथों– हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे –

ऊँच नीच में बई कियारी,
जो उपजी सो भई हमारी।[1]

यह प्रसंग हमें उपन्यास में कृषि प्रक्रिया के बारे में विमर्श की ओर ले जाता है कि कैसे एक साहित्यकार कृषि प्रक्रिया को अपने मर्म के माध्यम से वर्णन करता है। किसान के इर्द गिर्द होने वाली हर चीज का अच्छी तरह वर्णन करता है।

शिवपूजन सहाय मौसम की अनिश्चितता और उसके प्रभावों का वर्णन इसप्रकार करते हैं – एक दिन की बात है, आँधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे –

एक पइसा की लाई,
बाजार में छितराई,
बरखा उधरे मिलाई।[2]

शिवपूजन सहाय ने साहूकारी प्रथा का बहुत स्पष्ट वर्णन किया है कि कैसे वह किसानों का शोषण करते थे। चौधरी और जमींदार नाना और मईयां के चंगुल में फसे रहने से बाबूजी अच्छी तरह से उनको पहचानने लगे। हमारे नाना गरीबों को सताने वाले जबरदस्त जेठ रैयतों को नाकों चने चबवाते थे। उनकी कलम के कोर के मारे हुए कितने चौधरी लुट गए थे।[3]

प्रेमचंद ने सामान्य से सामान्य व्यक्तियों के जीवन से लेकर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों के जीवन को धैर्य के साथ तटस्थता और सूक्ष्मता से परखने का प्रयास किया है। यदि उन्होंने उच्च वर्ग में पूँजीपतियों, उद्योगपतियों और प्रशासन के अधिकारियों का चित्र प्रस्तुत किया है तो वहीं मध्य वर्ग के वकीलों, डॉक्टरों, संपादकों, क्लर्कों, जमींदारों के साथ साथ निम्न वर्ग के औद्योगिक और खेतिहर मजदूरों और कामगारों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। किसान जीवन के तो वे सच्चे चित्रकार थे।[4]

प्रेमचंद के उपन्यास की श्रेणी में गोदान अग्रणी स्थान रखता है। गोदान मूलतः ग्राम केंद्रित उपन्यास है और उसी रूप में माना जाता है। इसके कथानक का प्रारंभ अवध प्रदेश के बेलारी गाँव के एक छोटे किसान होरीराम और पत्नी धनिया की बातचीत से होता है। होरी साधारण किसान है और उसका जीवन संघर्षमय है।[5] प्रमचंद ने गोदान में साहूकारों के प्रभाव से कैसे होरी किसान से मजदूर बन जाता है, इसका सत्यपूर्वक वर्णन किया है। इसी बीच होरी की विपन्न दशा से पसीज कर हीरा की पत्नी पुनिया ने उसे सहारा दिया। होरी उसके खेतों में मेहनत करने लगा। कारण हीरा गाय को विष देने की घटना के बाद से ही गाँव छोड़कर गायब हो चुका था और पुनिया अकेली थी। अपनी बेटी धुनिया के कृत से नाराज भोला ने होरी से गाय के रुपये मांगे। होरी कहाँ से रुपये देता। भोला ने होरी के दोनों बैल खोल लिए। वह पूरी तरह कंगाली के कगार पर आ गया। उसने दातीदन से फरियाद की। वह आधे पर उसके खेत जोतने के लिए तैयार हुआ। जब ऊख की फसल तैयार हुई महाजनों ने एकत्र होकर सारी ऊख कटवा ली और बाजार में बिकवा दिया। होरी को महज 25रू मिले। शेष सब महाजनों के पेट में चला गया।[6] इस प्रकार का वणन प्रमचंद के उपन्यासों में किसानों के मर्म को साहित्य में बड़ी उपलब्धि के अंतर्गत माना जाता है।

किसान की ऋण की समस्या का संबंध महज उसकी जमीन से ही नहीं उसके समूचे जीवन चक्र से है। अज्ञान, अशिक्षा, समाज और धर्म के रूढ़िवादी संस्कार, बिरादरी, जायदाद और सबसे आगे मर्यादा को बचाए रखने वाली अन्य बातें भी हैं जो उसे कर्ज लेने पर मजबूर करती हैं। सतह पर उभरकर दिखाई पड़ने वाली चरित्र की दुर्बलताओं की सात परतों के भीतर उसकी आदमियत और इस आदमियत से जुड़े जो मूल्य हैं वे उसकी इस बर्बादी में अपना योगदान देते हैं। किसान की आदमियत उसकी सच्चाई और ईमानदारी भी उसे तबाह करती है। बर्बाद हो जाने पर वह ओछा नहीं कहलाना चाहता। गहराई में जाकर कथा के अंतर्गत प्रेमचंद ने किसान चरित्र की संपूर्णता को उभारा है और इसी के चलते किसान के जीवन चक्र को एक त्रासद स्थिति देने वाली कथा सजीव भी बनी है।[7]

कहानी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसान जीवन से संबंधित विभिन्न कहानियाँ लिखी गईं हैं। प्रेमचन्द की ज्यादातर कहानियों के पात्र किसान रहे हैं। पंचपरमेश्वर, दो बैलों की कथा, पूस की रात आदि कहानियाँ हैं जो किसानों के जीवन को यथाथ रूप से प्रस्तुत करती हैं।

सुजान भगत में प्रेमचंद ने किसानों के ऐश्वर्य और उसके चारों तरफ की स्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। सीधे–सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भाँति वे पहले अपने भोग–विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गाँव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। तीन वर्ष लगातार ऊख लगती गयी। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई दो–ढाई हजार हाथ में आ गये। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु–संतों का आदर–सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते, तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा–विभाग के अफसर, एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खशी के फूले न समाते। धन्यभाग! उसके द्वार पर अब इतने बड़े–बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुँह न खुलता था, उन्हीं की अब 'महतो महतो' करते जबान सूखती थी। कभी–कभी भजन–भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गाँव में आसन जमा दिया। गाँजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आयी, मजीरे मँगाये गये, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूँद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध–घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाये रहता, कहीं लोग यह न कहने लगें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गाँव में कुल तीन कुएँ थे, बहुत से खेतों में पानी न पहुँचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआँ बनवा दिया। कुएँ का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गये। जो काम गाँव में किसी ने न किया था, वह कर दिखाया।[8]

पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद न पंचायत प्रक्रिया को किसानोंसे जोड़ कर उनके न्याय भाग को दिखाया है। इस कहानी के यथार्थ को कुछ प्रसंगों के माध्यम से किसान विमर्श से जोड़ सकते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी–सी मिल्कियत थी, परन्तु उसके निकट संबंधिया में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे–चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर–सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गये। हलवे पुलाव की वर्षा–सी की गयी पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर

भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज, तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गये। अब बेचारी खालाजान को प्रायरू नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी। दो–तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है! बघारी दाल के बिना रोटियाँ नहीं उतरती! जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गाँव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा किबेटा! तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया– रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा– मुझे कुछ रूखा–सूखा चाहिए भी कि नहीं ? जुम्मन ने गम्भीर स्वर से जवाब दिया– तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़ कर आयी हो ? खाला बिगड़ गयीं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी।[9] इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई यथार्थवादी सामाजिक चिंतन से पूंर्ण लेखक ही अपने कहानी के माध्यम से वर्णन कर सकता है।

औपनिवेशिक काल के बारे में माखन लाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश अफसरों के द्वारा कर प्रक्रिया और शोषण को इस तरह प्रदर्शित किया है। किसानों से कर वसूल करने वाले अधिकारियों में खास–खास लक्षण होने चाहिएए यदि वे इस विदेशी शासन में अपनी तरक्की चाहते हों। ऐसे अधिकारी में वह गुण होना चाहिए कि वह पटवारी पर अधिक भरोसा करने वाला हो और देखता रहे कि पटवारी कभी किसानों के हित की ओर न झुक जाए। उसका काम है कि वह फसल के खराब होने पर, द्रवित न हो पड़े। यदि फसल केवल चार आना हुई हो तो उसमें 10–12 आना लिखने का नैतिक साहस होना चाहिए। चाहे पानी न बरसे, चाहे जरूरत से अधिक पानी बरसे, चाहे पाला पड़े, चाहे ओले गिरें, उसके ईमान को किसानों की परवाह न करके, सरकारी रोटियों की ही ओर झुकना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना हो पड़े, और 100–200 किसान मर गए हों, तो उसे सब से पहले 10–5 के मरने ही की रिपोर्ट देनी चाहिए, फिर उसके बाद मरने वालों की तादाद इस तरह बढ़ानी चाहिए, कि जनता की नजर में न आ जाए। यदि किसी अधिकारी ने रोटियों की अपेक्षा ईमान की, पेट की अपेक्षा सत्य की और अन्नदाता की अपेक्षा जीवनदाता की अधिक परवाह की, तो उसे निश्चय रखना चाहिए कि रिट्रेंचमेंट में यानी कम किए जाने वाले नौकरों में– पहला नंबर उसी का होगा। यदि उसका अफसर कृपालु हुआ तो किसी बहाने वेतन की कमी के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। और यदि कुछ भी नहीं हुआ, तो आगामी तरक्की की रुकावट तथा प्रतिकूल परिस्थिति के स्थानों में बार–बार बदले जाने में उसे कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। स्वाभावतः सरकारी अफसर, ईमान की रोटियों पर कब्जा नहीं करन देते, वे सहानुभूति को सर्वनाश की बहिन समझते हैं।[10]

माखन लाल चतुर्वेदी एक जगह ब्रिटिश किसान की तुलना को भारतीय किसान के साथ दर्शाते हैं। विलायत के लोग किसान नहीं, वहाँ तो 100 आदमी के पीछे 8 ही किसान हैं। पर तुम्हारे देश में क्यों प्रदेश में भी हर सौ आदमी पीछे 74.5 किसान हैं। तिस पर तुम्हारे देश में अकाल पड़ना शुरु हुआ और इंगलैंड में अकाल पड़ना बंद हुआ। और आज तुम्हारे देश में हर साल कहीं न कहीं अकाल है, और उनके देशवासी अकाल का नाम ही भूल गए। आसमान के बादलों, जमीन के ढेलों और किस्मत के खेलों को मत कोसो। जरा सोचा पहले तुम्हारे गाँव और नजदीक के शहर का लुहार किसानी करता था परंतु वही लोहा गलाता था, और लोहे संबंधी कीले–बिरंजी से लगाकर सब जरूरतें पूरी करता था। नाई की कैंची, छुरा, कटनी, बढ़ई की गुनिया, रंदा, आरी और बसूला, जुलाहे की गछली और रांछ, चमार की रांपी, मोडन और बकिया, सब तुम्हारे गाँव का लुहार बनाता था। उसकी स्त्री धौंकनी धोंकती और उसके छोटे बच्चे तक छोटे–मोटे काम करते। उसका एक भाई घन लगाता, एक भट्ठे पर बैठता, एक पानी चढ़ा कर चमक देता, एक बाजार में चीजें बेचने जाता। तब अधिक लुहारों की जरूरत होती। वे एक तो अपनी कमाई से पेट भर खाते थे, दूसरे किसान बन कर किसानों की आमदनी में हिस्सा नहीं बांटते थे। अब जब नाई, चर्मकार और बढ़ई, जुलाहा सबका सामान विलायत से आने लगा तब तुम्हारे गाँव के लुहार क्या करते? वे थोड़े दिन भूखों मरे, तुम्हें कोसते रहे। फिर लाचार होकर अपने भट्ठ, धौकनी, हथौड़े और अपनी कारीगरी के हाथ और अकल को नमस्कार करके, हल पकड़ कर किसान बन गए।[11]

कविता साहित्य विधा के माध्यम से प्राचीन काल से ही किसान और कृषि प्रक्रिया को कवियों द्वारा दर्शाया गया है। भक्ति काल के दौरान कविता में सामाजिक पहलुओं के अंतर्गत किसान भी एक भाग बने। सूरदास, कबीर और तुलसीदास की रचनाओं में इस स्थिति को प्रबलतम रूप में देख सकते हैं। आजादी के बाद के रचनाकारों में राम नरेश त्रिपाठी, केदारनाथ अग्रवाल, नागाजन आदि आते हैं। नागार्जुनने अपनी कविता के माध्यम से कृषि प्रक्रिया को दर्शाया है–

जनवरी का प्रथम सप्ताह.., खुशगवार दुपहरी धूप,
मैं बैठा हूँ....,अपने खेत में हल चला रहा हूँ,
इन दिनों बुआई चल रही है, इर्द–गिर्द की घटनाएँ ही,
मेरे लिए बीज जुटाती हैं हाँ, बीज में घुन लगा हो तो,
अंकुर कैसे निकलेंगे, जाहिर है
बाजारू बीजों की, निर्मम छँटाई करूँगा,
खाद और उर्वरक, और सिंचाई के साधनों में भी,
पहले से जियादा ही, चौकसी बरतनी है,
मकबूल फिदा हुसैन की, चौंकाऊ या बाजारू टेकनीक,
हमारी खेती को चौपट, कर देगी![12]

आजादी के बाद भी किसानों की दशा में अत्यधिक सुधार नहीं हुआ। अंग्रेजी राज के बाद जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण किसान को उऋण नहीं होने दे रहा था। केदारनाथ अग्रवाल ने अभिशाप जग का कविता में किसानों की

दशा को चित्रित किया। किसान के जीवन में कभी अकाल, कभी बाढ़ उसे चैन की सांस नहीं लेने देते। अकाल पड़ने पर किसान माया जाल का शिकार हो जाता है। वह अपने भाग्य को कोसता है। नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद कविता में इस स्थिति का चित्रण किया है। इसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 'सुखा' कविता और हरिवंशराय 'बच्चन' की कविता 'किसानिन के गीत' में किसान जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से किसान विमर्श को विभिन्न विचारात्मक पहलुओं के अंतर्गत शामिल करता है। किसानों क विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों से सम्बंधित मर्म साहित्यकारों द्वारा समाज के सामने रखा जाता है। संजीव कृत फांस उपन्यास इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में रोजाना समाचार पत्रों, टीवी पर, विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स आदि पर किसानों से सम्बंधित विभिन्न खबरें चलती रहती हैं। यह सभी किसान विमर्श की सार्थकता को सिद्ध करती हैं।

सन्दर्भ :

1. सहाय, शिवपूजन, 1959, देहाती दुनिया, ग्रंथमाला कार्यालय, पटना, पृ0 5
2. सहाय, शिवपूजन, 1959, देहाती दुनिया, ग्रंथमाला कार्यालय, पटना, पृ0 6
3. सहाय, शिवपूजन, 1959, देहाती दुनिया, ग्रंथमाला कार्यालय, पटना, पृ0 96
4. शर्मा, डॉ0 निर्मला, 2015, प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन, साहित्य संगम, लूकरगंज, इलाहाबाद, पृ0 40
5. मिश्र, शिवकुमार, 2011, प्रेमचंद की विरासत और गोदान, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 25,26
6. मिश्र, शिवकुमार, 2011, प्रेमचंद की विरासत और गोदान, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 28
7. मिश्र, शिवकुमार, 2011, प्रेमचंद की विरासत और गोदान, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 35
8. प्रेमचंद, 2013, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ खंड –2, सौमित्र प्रकाशन, अशोक नगर, इलाहाबाद, पृ0 114
9. प्रेमचंद, 2013, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ खंड –2, सौमित्र प्रकाशन, अशोक नगर, इलाहाबाद, पृ0 482
10. शर्मा, रामविलास, 2002, स्वाधीनता और समाजवाद–2 रूमाखन लाल चतुर्वेदी, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 87
11. शर्मा, रामविलास, 2002, स्वाधीनता और समाजवाद–2 रूमाखन लाल चतुर्वेदी, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 278
12. शोभाकांत, 2003, नागार्जुन रचनावली– 2, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 443,444

.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 128-130

यौन उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 अमजद अली सिद्दीकी*

*असि0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, मोहम्मद हसन पी0 जी0 कॉलेज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर महिलाएँ यौन उत्पीड़न को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं, उनका मन तो चीत्कार करता है लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते वे कुछ कह नहीं पाती हैं। वस्तुतः पुलिस और कानूनी तन्त्र के प्रति कामकाजी महिलाएँ इतनी शंकालु हैं कि वह चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जाती है। यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता हैं।

मुख्य शब्द :यौन उत्पीड़न, कामकाजी महिलाएँ, मौलिक अधिकार ,स्त्री–पुरुष समानता, कानूनी कार्यवाही आदि।

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का रास्ता जिन थोड़ी बहुत महिलाओं ने अपनाया भी, अन्ततः उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। विभिन्न कार्यालयों में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इसे आसानी से कहीं भी देखा जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में तो यह स्थिति और भी अधिक विकट है क्योंकि वहाँ उत्पीड़न पुरुष अपने आपको अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुरक्षित समझते हैं और उन्हें नौकरी आदि छूट जाने का भी कोई भय नहीं होता। छोटे स्तर के कर्मचारी तो अश्लील फब्तियाँ कसने से भी बाज नहीं आते हैं। कई बार पुरुषों द्वारा महिला कर्मियों के सम्मुख इस तरह की अश्लील बातें अप्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं कि महिलाकर्मी सार्वजनिक रूप से अपने आपको अपमानित महसूस करती है। निजी कार्यालयों में भी स्थिति कहीं अधिक भिन्न नहीं है। यहाँ भी पग–पग पर महिलाओं को उनके 'महिला' और 'भोग्या' होने का अहसास कराया जाता है। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न का एक दुःखद पहलु यह है कि यदि कोई पीड़ित महिला यौन–दुर्व्यवहार के प्रति आवाज बुलन्द करती है तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है, उस पर तरह–तरह के आरोप लगाए जाते हैं और तो और विरोध की स्थिति में पुरुष सहकर्मियों की तो बात ही छोड़िए, महिला सहकर्मी भी साथ देने को तैयार नहीं होती है।

ऐसा नहीं है कि केवल निम्न या मध्य–स्तरीय कामकाजी महिलाओं को ही यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता हो। वास्तव में उच्च–शिक्षित और ऊँचे पदों पर कार्यरत महिलाएँ भी पुरुषों की बदनीयत का शिकार होती हैं। एयर–होस्टेस जैसे प्रतिष्ठित पेशे में रहने वाली महिलाएँ भी यौन–दुर्व्यवहार का शिकार होती है। एक परिचित एयर होस्टेस टीना फर्नाडीस के अनुसार उड़ान के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रियों की अश्लील और अभद्र टिप्पणियाँ सुनने की अब तो आदत–सी हो गई है लेकिन कई बार तब बेहद शर्मनाम स्थिति पैदा हो जाती है जब कोई यात्री अचानक उनका हाथ पकड़ लेता है अथवा वक्ष–स्थल को स्पर्श कर देता है। कई बार तो कुछ यात्री टॉयलेट आदि में बेवजह बुलाकर वहाँ की अव्यवस्था की शिकायत करते हैं और एकान्त में उनके साथ बदसलूकी करने लगते है। टीना बताती है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान जब रात्रि–विश्राम के लिए वे किसी होटल में रूकती हैं तो अक्सर रात–भर यात्री और उनके सहयोगी तक दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। अक्सर उनके दरवाजे पर अश्लील बातें लिखी पर्चियाँ चिपका दी जाती हैं। एक अन्य एयर होस्टेस बताती है कि अक्सर अश्लील टिप्पणियाँ लिखी हुई पर्चियाँ हमारे हाथ में थमा दी जाती हैं अमेरिका जाने वाली उड़ानों की परिचारिकाओं को अक्सर ऐसी पर्चियाँ मिलती हैं जिनमें 'गो–टू फोर्टी–सेकेंड स्ट्रीट' (न्यूयार्क का रेडलाइट एरिया) की सलाह दी जाती है।

कुछ समय पूव उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी एक होटल अधिकारी को नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि कार्य–स्थल पर कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न करना, संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्रतापूर्वक व जीने के मौलिक अधिकार तथा स्त्री–पुरुष समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। अब सवाल उठता है कि कितनी महिलाओं को अपने इस संविधान प्रदत्त अधिकार की जानकारी है और कितने प्रतिशत महिलाएँ इसका उपयोग करती हैं? वस्तु–स्थिति यह है कि कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपने वैधानिक अधिकारों की ज्यादा जानकारी नहीं है और जिन महिलाओं को इसकी जानकारी है वे भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक कारणों से यौन उत्पीड़ित होने वाली महिला को ही समाज और उसके सहकर्मी दोषी ठहराने लगते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि पहले पीड़ित महिला ने ही आरोपी पुरुष को प्रेरित किया होगा, उसे बढ़ावा दिया होगा, तभी तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यौन उत्पीड़न की शिकार होने वाली महिला को ही समाज के सम्मुख शर्मसार होना पड़ता है और अपने अच्छे चरित्र की सफाई देनी पड़ती है।

कामकाजी महिलाएँ स्वस्थ माहौल में काम कर सकें, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आतंकवाद को खत्म करने के मकसद से सर्वोच्च अदालत ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में 13 अगस्त 1997 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिशा–निर्देश प्रतिपादित किए और स्पष्ट किया कि कामकाजी महिलाओं को कार्यालयों में यौन उत्पीड़न से बचाने के बारे में समुचित कानून बनने तक ये निर्देश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। सरकारी स्तर पर बरती जा रही लापरवाही के चलते कामकाजी महिलाएँ सर्वोच्च अदालत के दिशा–निर्देशों से अनभिज्ञ हैं उनकी इस अनभिज्ञता का फायदा कार्य संस्थानों की प्रबन्ध समितियों ने उठाया है। वे दिशा–निर्देशों के पालन में पूरी तरह से गंभीर नहीं है। अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच के लिए जाँच समिति का गठन किया भी गया तो उन्होंने सर्वोच्च अदालत के दिशा–निर्देशों को नजर अंदाज किया। कलकत्ता की एक कम्पनी में काम करने वाली एक औरत ने गुजरे साल अपने बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की। प्रबन्ध समिति ने लिखित शिकायत मिलने पर जाँच समिति गठित की। लेकिन प्रबन्ध समिति ने महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। अंततः उस समिति ने औरत के

आरोपों को बेबुनियाद बताया। यही नहीं, उसका ऐसे विभाग में तबादला कर दिया, जहाँ उसके करने के लिए बहुत ही कम काम था।

वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक आचार–संहिता तैयार की जा रही है। यह सभी सरकारी, गैर–सरकारी, निजी तथा अन्य अर्ध–सरकारी उपक्रमों को इस उद्देश्य के साथ जारी की जा रही है कि नियोक्ता अथवा विभाग अपने कार्य स्थल का वातावरण सौहार्द्रपूर्ण और स्त्री–पुरुष भेदभाव से मुक्त बनाएँगे, महिला कर्मचारियों की गरिमा, अधिकार व हितों की रक्षा करेंगे। आचार संहिता को तैयार करने के मूल में सुप्रीमकोर्ट के दिशा–निर्देश ही है। एक संस्था द्वारा देश भर के संगठित और गैर–संगठित और क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि कामकाजी महिलाएँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यौन उत्पीडन और अभद्र व्यवहार का शिकार होती हैं और सरकारी अथवा अन्य नियोक्ताओं की ओर से सम्बन्धित कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ घटने वाली अभद्र घटनाओं को रोकने अथवा शिकायत करने की स्थिति में उन पर कार्यवाई करने के लिए कोई दिशा–निर्देश नहीं है। 1991 में इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी और आग्रह किया कि कार्य स्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाएँ। 1997 में उच्चतम न्यायाय का यह महत्वपूर्ण निर्णय (विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान तथा अन्य, ए आइ आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011) प्रकाश में आया और फलस्वरूप यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक आचार संहिता तैयार की गई।

भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यौन उत्पीड़न की एक स्पष्ट परिभाषा तैयार हुई है जिसे यदि कामकाजी महिला और उसे नियुक्त करने वाले समझें और कार्यवाई करें तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है। भारत में कुल 'वर्किंग फोर्स' का 28.66 प्रतिशत महिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत महिलाएँ यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक देश में कुछ महिला कार्यबल का 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 81 प्रतिशत कृषि मजदूर है जिसके विषय में कभी कोई चिन्ता नहीं दर्शायी गई। ये कृषि मजदूर दोहरे शोषण का शिकार होती है। सामन्तशाही परंपरा और ठेकेदार परंपरा दोनों ही इनका भरपूर शोषण करते हैं। यही स्थिति खान–पान, बीड़ी, रेडीमेड, पोशाक, काँच उद्योग, माचिस, अगरबत्ती, भवन–निर्माण अथवा सड़क निर्माण में कार्यरत तथा अन्य उद्योगों में ठेकेदारी परंपरा के अन्तर्गत कार्य करने वाली दैनिक वेतन भोगी महिला मजदूरों की भी है।

इसी संदर्भ में हमें बाल मजदूरों जिनमें बालिकाएँ भी सम्मिलित हैं, को भी नहीं भूलना चाहिए। वे भी यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अर्थात् बालकों पर भी यौनाचार किया जाता है। 'सार्क' के एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत में कम उम्र के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है और विद्यालयों में उनकी उपस्थिति निम्नतम है। यह स्थिति एक विकासशील देश का ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जिसकी आर्थिक उन्नति में स्त्रियों और बच्चों का योगदान अनदेखा किया गया। यहाँ उस श्रम शक्ति को मान्यता देना तो दूर की बात है बल्कि स्त्री को आर्थिक और सामाजिक लाचारी समझकर शक्ति सम्पन्न प्रभुओं द्वारा शोषित भी किया जा रहा है।

अब उच्च स्तर पर कार्यरत महिलाओं की ओर देखें। हमारी विकासशीलता का परिदृश्य हमें ऐसा महसूस कराता है मानों उच्च स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत है, परन्तु ऐसा नहीं है। विश्व के अनेक विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में भारत में उच्च स्तर पर कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बंगलादेश से भी कम। एक सर्वेक्षण के अनुसार कनाडा में 42.2 प्रतिशत, अमेरिका में 42.00 प्रतिशत, चीन में 11.6 प्रतिशत, बंगलादेश में 5.1 प्रतिशत और पाकिस्तान में 3–4 प्रतिशत महिलाएँ उच्च स्तर का कार्य कर रही हैं, जबकि भारत में मात्र 2.3 प्रतिशत महिलाएँ ही उच्च पदों पर आसीन हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार की गई आचार–संहिता के अनुसार यौन उत्पीड़न एक ऐसा गंभीर अपराध है जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को आघात पहुँचाता है। शारीरिक सम्बन्धों के लिए आगे बढ़ना, यौन सहयोग की इच्छा और निवेदन, यौन सम्बन्धी टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दर्शाना, कोई भी अवांछित अनैतिक, शारीरिक, वाचिक अथवा अवाचिक यौन आचरण तथा यौनेच्छा को दर्शाते हुए भाव–भंगिमाएँ यौन उत्पीड़न के सूचक है। अन्तर्राष्ट्रीय फ्री ट्रेड यूनियन कंफेडरेशन के अनुसार यौन उत्पीड़न एक पुरानी समस्या है जिसे नए रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिकार–सम्पन्न व्यक्ति द्वारा अधिकार दर्शाने की गरज से लगातार किया जा रहा ऐसा उत्पीड़न है जो दूसरे कर्मचारी को भयभीत करता है अथवा दबाव डालता है और बदनाम करता है। यह एक प्रकार का अत्याचार है।

यौन उत्पीड़न सभी क्षेत्रों की महिलाओं को किसी–न–किसी रूप में पभावित करता है चाहे वह किसी भी उम्र की हो, किसी भी श्रेणी की हो। यह कहर आर्थिक रूप से मजबूर, विधवा, तलाकशुदा अथवा अविवाहित महिलाओं पर अधिक बरसता है। लिंग भेद की भेदभावपूर्ण नीति का शिकार अधिकतर औरत होती है और पुरुष प्रधान कार्यक्षेत्र में न केवल पदोन्नति और प्रोत्साहन से वह वंचित रह जाती है बल्कि अनेक बीमारियों, जैसे– अवसाद, अनिद्रा, तनाव, सिरदर्द आदि का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी पीड़ित महिला नौकरी छोड़ने पर भी मजबूर कर दी जाती है। जिससे उसे भविष्य में भी कार्य मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। यही नहीं, उच्च स्तर पर कार्य कर रही महिलाओं की कार्यक्षमता, प्रोन्नति के अवसर और उनका अधिकार क्षेत्र घटाने के उद्देश्य से उन्हें भी उत्पीड़ित किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी 27 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ की गई। 68.26 प्रतिशत औरतों ने मानसिक उत्पीड़न को स्वीकार किया। इन्हीं में से 32 प्रतिशत जवाब स्त्री–पुरुष भेदभाव के रूप में थे। जबकि 24.45 प्रतिशत ने माना कि उनके साथ अनैतिक बर्ताव होता है। केवल 3.54 प्रतिशत महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की और 84 प्रतिशत महिलाएँ तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न सम्बन्धी दिए गए आदेश से ही अनभिज्ञ हैं।

वास्तव में कार्यक्षेत्र का स्वस्थ वातावरण ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए काफी है, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। दूसरे भारत जैसे विकासशील देश में कार्यक्षेत्र को केवल सरकारी, गैर–सरकारी या अन्य उपक्रमों के दफ्तर ही नहीं समझना चाहिए बल्कि एक विशाल जन समुदाय जो किसी–न–किसी रूप में देश के विकास वृक्ष को अपने श्रम से सींच रहा है वह भी कार्यक्षेत्र का हिस्सा है जिसके लिए एक आचार–सहिता ही काफी नहीं है। विश्व के कई देशों ने यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाया है। हमें भीइस दिशा में सोचना होगा। यह आचार संहिता मात्र फाइलों तक न रहे बल्कि इसे साधारण जनमानस में प्रचारित करना चाहिए ताकि यह मात्र आचार–संहिता न होकर समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का आधार बनें।

सन्दर्भ :

1. राम आहूजाः सोशल प्राब्लम्स इन इण्डिया, पृ. 214.
2. एम. फोनसिकाः फैमिली एण्ड मैरिज इन इण्डिया, पृ. 30.
3. पी. वेनूगोपालः 'डिफरेंट फ्रामस ऑफ वायलेन्स एण्ड हासमेंट एगेन्स्ट वूमेन' इन इण्डियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वा. 29 (1–2), जनवरी एण्ड जुलाई, 2001, पृ. 1–7.
4. वाई.बी. दामलेः 'डाइवोर्स इन पूना डिस्ट्रीक्ट' रेफर्ड इन के.एम. कपाड़ियाः मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, पृ. 189.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 131-132

नैतिक मूल्य शिक्षा

डॉ0 रंजना सिंह*

*असि0 प्रो0, शिक्षाशास्त्र विभाग, बदी विशाल पी0 जी0 कॉलेज, फरूखाबाद, उ0प्र0

सारांश : प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये अपनी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों में नैतिकता की भावना के विकास हेतु शिक्षा को मुख्य साधन बनाता है। शिक्षा सदैव ही समाज के विकास में सहायक रही है। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं में कुछ जन्मजात अन्तर्निहित गुण होते हैं, शिक्षा के द्वारा ही नैतिकता का विकास किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : नैतिक मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, जीवन दर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि।

नैतिकता की भावना तभी कायम रह सकती है जब देश के भावी नागरिकों अर्थात् विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अन्दर नैतिकता की भावना विकसित हो। नैतिक मूल्य एक व्यापक शब्द है। जब किसी जनसमूह में समान इतिहास, परम्पराओं, आदर्शों के कारण सामान्य जीवन व्यतीत करने की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो उसे नैतिक मूल्य की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, ''नैतिक मूल्य एक ऐसी भावना है, जो सम्पूर्ण समाज के आदर्श आचरण का आधार स्तम्भ है।''

नैतिक मूल्य के अन्तर्गत मनुष्य की धारणायें, विचार, आकांक्षा, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि समाहित है। ये एक ओर मनुष्य के अन्तःकरण द्वारा नियन्त्रित होती है, तो दूसरी ओर संस्कृति एवं परम्परा द्वारा क्रमशः निस्सृत एवं परिपोषित होती है। यह भी कहा जा सकता है कि नैतिक मूल्य मनुष्य के अन्तरतम में जगती हुई वह शक्ति है, जो उसे एक विशिष्ट प्रकार से कर्म करने के लिये प्रेरित करती है और उसके आचरण को शासित करती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह नैतिक मूल्यों को बनाये रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। नैतिक मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धान्त और व्यवहार मानदण्डों को व्यक्तियों द्वारा दिया गया महत्त्व है। नैतिक मूल्य वह सत्य है जिसके लिए व्यक्ति जीता है और आवश्यकता पड़ने पर वह संघर्ष करने, दुःख सहने तथा मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। वस्तुतः नैतिक मूल्य समाज की वह धुरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व ह, क्योंकि उपयोगिता या कल्याणकारिता की भावना ही समाज को स्थिर बनाती है।

नैतिक मूल्य और चरित्र में अत्यन्त ही घनिष्ठतम सम्बन्ध है। चरित्र वह शक्ति है, जो नैतिक मूल्यों का पालन करने में सहायक होती है जिस व्यक्ति के पास जितना ही अधिक चरित्रबल होता है वह उतनी ही दृढ़ता से नैतिक मूल्यों का पालन करता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं, जो उसके जीवन चक्र को निर्देशित करते है। दूसरे शब्दों में, ''नैतिक मूल्य व्यक्ति के वे निर्देशन सिद्धान्त होते हैं, जो उसके सम्पूर्ण जीवन दर्शन व व्यवहार शैली को निधारित करते हैं।'' मानव अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ अपने समायोजन की प्रक्रिया में तरह–तरह के अनुभव प्राप्त करता है तथा अपने विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पर जीवन के कुछ सामान्य सिद्धान्त विकसित करता है। व्यक्ति द्वारा अपने लिये निर्धारित जीवन के इन सिद्धान्तों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नैतिक मूल्य वास्तव में मानव के व्यक्तित्व का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रतिबिम्बित करते हैं।

नैतिक मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणायें एवं आदर्श है, जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं की एक–दूसरे के साथ तुलना की जाती है। ये वे कसौटियाँ और व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे–बुरे, वांछित–अवांछित, सही–गलत, करणीय एवं अकरणीय का निर्णय किया जाता है। नैतिक मूल्यों में प्रत्येक समाज की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि देश के भावी नागरिक अर्थात् छात्रो में नैतिक मूल्य किस सीमा तक विकसित है। यदि छात्र नैतिक मूल्य की भावना से ओत– प्रोत है तो समाज उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहेगा अन्यथा उसे एक दिन रसातल को जाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेजों में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के क्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिसमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन सके।

मूल्य के सम्बन्ध में कोठारी आयोग (1964–66) के विचार :

1. कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप सभी शिक्षा संस्थाओं मे नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय।
2. विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक का व्यवहार आदर्शपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक बनते समय शिक्षकों को उन आदर्शों एवं मान्यताओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
3. निजी संस्थाओं में भी नतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेजों में इस बात पर चिन्ता प्रगट की गई है कि नैतिकता आधारित मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अतः शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन सके। मूल्य शिक्षा के नीति निर्देशक तत्त्व है, जो शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। इसके द्वारा शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की अनेक आवश्यकतायें होती हैं और ये उसके लिये लक्ष्य बन जाती है। लक्ष्यों में प्रतिस्पर्धा होती है, उनमें जो सर्वोत्तम होता है वह उसका आदर्श बन जाता है। समाज इन आदर्शों से सम्बन्धित

आदर्श नियम अथवा मापदण्डों का निर्माण करता है। जब ये आदर्श नियम अथवा मापदण्ड समाज के सदस्यों के अन्तःकरण में आन्तरिक तत्व का रूप धारण करते हैं तो इन्हें नैतिक मूल्य कहते हैं। नैतिक मूल्य वह सत्य है जिसके लिये व्यक्ति जीता है और आवश्यकता पड़ने पर वह संघर्ष करने, दुःख सहने तथा मृत्यु का भी स्वीकार करने के लिये तत्पर रहता है। कई महापुरुष जैसे सुकरात, ईसा मसीह एवं गाँधीजी के नाम इसी सन्दर्भ में श्रद्धा से लिये जाते हैं, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों के लिये ही जिये और इसी के लिये ही मृत्यु का वरण किया। हमारे इस आधुनिक युग के नागरिक भी इन महापुरुषों के चरणचिन्हों का अनुगमन करके नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। वर्तमान में छात्र ही भावी नागरिक हैं, अतः उनमें नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य है और यह शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि शिक्षा सदैव ही समाज के विकास में सहायक रही है।

छात्रों में नैतिकता आधारित मूल्यों में शिक्षा की आवश्यकता तो सदैव से ही रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। आज तो इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। आज स्थिति यह है, कि हमें मूल्यों का ज्ञान तो है परन्तु वे हमारे भावात्मक पक्ष के अंग नही हैं। आज आवश्यकता मूल्यों को भावना में उतारने की, उन्हें आचरण का आधार बनाने की है। समाज के अन्दर नैतिकता की भावना तभी कायम रह सकती है, जबकि देश के भावी नागरिक अर्थात् विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के मस्तिष्क के अन्दर नैतिकता के महत्त्व को विभिन्न तरीकों से भरा जाय और यह शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा देने के कार्य के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, परन्तु इसमें छात्र, शिक्षक व पाठ्यक्रम ही मुख्य रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। किसी राष्ट्र का निर्माण विधानसभाओं, कारखानों में नहीं होता है वरन् विद्यालय में होता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता तथा छात्र एवं छात्राओं के जीवन का भाग्यविधाता होता है। **एच0जी0 वेल्स** ने लिखा है कि– "शिक्षक इतिहास का निर्माता होता है। राष्ट्र का इतिहास विद्यालयों में लिखा जाता है और विद्यालय अपने शिक्षा की गुणवत्ता से भिन्न नहीं हो सकते।"

नैतिक मूल्यों की शिक्षा छात्र एवं छात्राओं में नैतिकता का विकास करती है। नैतिकता की शिक्षा अपने नैतिक मूल्यों को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। नैतिकता की शिक्षा मानव के सभ्य जीवन की निरन्तरता में सहायक सिद्ध होती है। अतः छात्रों में नैतिकता की भावना विकसित करना परम आवश्यक है। शिक्षा ही किसी राष्ट्र की उन्नति एवं विकास का आधार है। आज का बालक कल का भावी राष्ट्र निर्माता है, भविष्य में उसे एक नागरिक के रूप में अपने देश का नेतृत्व करना है, राष्ट्र के विकास का दायित्व भी उसी पर है। यदि सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नैतिकता आधारित मूल्यों की शिक्षा दी जाय तो छात्र–छात्राओं में नैतिकता की भावना आ जाती है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नैतिक–प्रेम की भावना जागृत होता है। देश के अन्दर नैतिकता की भावना तभी कायम रह सकती है जबकि देश के भावी नागरिकों अर्थात् विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मस्तिष्क के अन्दर नैतिकता की भावना विकसित हो, विद्यार्थियों के अन्दर नैतिकता के महत्त्व को विभिन्न तरीकों से भरा जाय और यह शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। अतः विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे इनका उचित विकास हो सके।

अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का व्यवहार अपने विद्यार्थियों के प्रति मानवीय होना चाहिए तथा उन्हें अपने विद्यार्थियों के साथ पारिवारिक सदस्य जैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वे अपनी भावनायें स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को एक पथ प्रदर्शक की भाँति विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बालक को इस योग्य बनाया जाय कि उसमें नैतिकता के प्रति सद्भावना जागृत हो। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से ही बालक अपने जीवन को प्रगतिशील बना सकता है और राष्ट्र के प्रति भी विकास में योगदान दे सकता है।

विद्यालयों में इस प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी नैतिकता की भावना से ओत–प्रोत हो जाय। छात्र एवं छात्राओं में नैतिक चेतना विकसित हो इसलिये प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये अपनी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों में नैतिकता की भावना के विकास हेतु शिक्षा को अपना मुख्य साधन बना लेता है। उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें विद्यालयों मे इस प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं में नैतिकता की भावना व्याप्त हो जाय।

मनुष्य के आचार–विचार को सही दिशा देने के लिये मूल्य शिक्षा का अध्ययन करना आवश्यक है। गाँधी जयन्ती, बाल–दिवस जैसे पर्व मानने हेतु मूल्य शिक्षा आवश्यक है। छात्र एवं छात्राओं के लिए आदर्श मानदण्ड स्थापित करने हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक दशाओं तथा विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराने हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। छात्र एवं छात्राओं में नैतिक चेतना विकसित करने के लिये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिक आचरण का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिकता के सम्बन्ध में महापुरुषों के व्याख्यान कराये जायें। छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किये जाये कि वे विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, साहित्यों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। छात्र एवं छात्राओं को भारत के सामाजिक तथा नैतिक इतिहास का ज्ञान कराने के लिये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। छात्र एवं छात्राओं में भावात्मक एकता, नैतिक एकता विकसित करने के लिये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, रामशकल, (1986), शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
2. वेदप्रकाश, (1994), मोरल डेवलपमेण्ट इन चिल्ड्रेन (अप्रकाशित) पी.एच.डी., इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. सारंगी (1994), मोरल एजुकेशन इन स्कूल्स–बेसेज एण्ड एम्प्लीकेशन्स, नई दिल्ली, दीप एवं दीप पब्लिकेशन्स
4. सिंह, ए.के. (1997), टेस्ट्स, मीजरमेण्ट एण्ड रिसर्च मेथाड्स इन विहेवियल साइन्सेज, भारती भवन, पटना
5. सिंह, डॉ0 बी0बी0 एवं पाहुजा, सुधा (2009), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास (2009), प्रकाशक– आर. लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेण्ट कालेज, मेरठ

Research Discourse (ISSN 2277-2014): An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 133-135

मोहन राकेश की कहानियों में विभाजन एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थितियाँ

मंजू यादव*
*नेट (हिन्दी) 78डी/9सी, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज,उ0प्र0

सारांश : मोहन राकेश के भारत–पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि बनाकर लिखी हुई कहानियों के अन्तर्गत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियाँ एवं त्रासदी को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। विभाजन के पश्चात् मनुष्य का मनुष्य के लिए जो आन्तरिक भाव था वह खत्म हो गया। उनकी इस प्रकार की कहानियों के अन्तर्गत 'परमात्मा का कुत्ता', 'मलबे का मालिक', 'क्लेम', 'कम्बल', 'कटी हुई पतंगें' इत्यादि। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। यह अध्ययन मोहन राकेश की कहानियों में विभाजन एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थितियाँ को रेखांकित करता है। जो समाज के लिए ज्ञान का संवाहक व प्रासंगिक हैं।

मुख्य शब्द : भारत–पाकिस्तान के विभाजन, साम्प्रदायिकता, आधुनिकता–बोध, मानवीय सम्बन्ध, भ्रष्टाचार, आदि।

'मलबे का मालिक' कहानी का गनी साढ सात साल पश्चात् भारत आया हुआ था। जब गनी पाकिस्तान की ओर मुख कर रहा था तब उसने अपने बेटे चिरागदीन, चिरागदीन की बीबी तथा चिरागदीन के बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहा था ''पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊँगा यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है।''[1] किन्तु चिरागदीन का यह विश्वास चारों तरफ फैली साम्प्रदायिकता की आग में जलकर भस्म हो गया। 'मलबे का मालिक' कहानी के विषय में डॉ0 सदन कुमार पाल ने 'मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिकता–बोध' के अन्तर्गत लिखा है कि ''विभाजन के नाम पर राजनीतिक हथकंडों के बीच मनुष्य की बर्बरता की करुण कथा है 'मलबे का मालिक'। यह मलबा गनी मियाँ के घर का मलबा नहीं है, बल्कि मानवीय सम्बन्धों, प्रेम, विश्वास और सद्भावना का मलबा है, जिसका मालिक आज का संवेदनहीन व्यक्ति (रक्खा पहलवान) है। इस कहानी के पात्रा के मूक क्रन्दन में भारतीय परिवेश के समाप्त होते मानवीय सम्बन्ध की करुण गाथा है।''[2] जब गनी को साढ़े सात साल पश्चात् भारत आने का मौका प्राप्त होता है तो वह एक बार फिर उसी मुहल्ले में जाता है जहाँ रक्खे ने भक्षक बनकर उसके बेटे, बहू एवं उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। किन्तु बेचारा गनी इस वास्तविकता से अनजान था वह रक्खे से उसी आत्मीयता से मिलता है जिस आत्मीयता के कारण रक्खे का विश्वास कर वह अपने बेटे एवं उसके परिवार को रक्खे के पास बेझिझक छोड़ गया था। गनी के इस आत्मीय व्यवहार ने रक्खे के भीतर स्थित अमानवीयता को गहरी पीड़ा प्रदान की। ''रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे–देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठा लच्छे को अपनी वैश्नोदेवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने पन्द्रह साल पहले की थी।''[3] इस प्रकार यहाँ मोहन राकेश ने विभाजन से उत्पन्न त्रासदी का आधुनिक–बोध कराया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय जनता ने जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना की थी उस कल्पना, आकांक्षा इत्यादि का ध्वंस हुआ जिसके फलस्वरूप उसका मोहभंग हुआ। भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि के पनपने से सामान्य मनुष्य की जो स्थिति हुई उसे वेदना, पीड़ा एवं राजनैतिक दाँव पेंच तथा भ्रष्टाचार आदि को मोहन राकेश ने अपनी कहानियों के अन्तर्गत व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। विभाजन के फलस्वरूप बरबाद हुए लोगों की स्थिति का वर्णन मोहन राकेश ने 'क्लेम' के अन्तर्गत किया है। यह मोहन राकेश की अत्यन्त मार्मिक कहानी है। हमारे समक्ष सरकारी तंत्र की निष्क्रियता तभी स्पष्ट हो जाती है जब ज्यादा क्लेम माँगने वालों को तगड़ी रकम की प्राप्ति होती है। ''मगर हमें पता था कि असली क्लेम भरेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सो वाहे गुरु का नाम लेकर हमने इस तरह फार्म भरा कि जायदाद की असली कीमत तो कम–से–कम वसूल हो ही जाए। मगर इन बेईमान ने फिर भी कुल साठ हजार का ही क्लेम मंजूर किया है।''[4] किन्तु जिन्होंने अपनी असली जायदाद का बढ़ा–चढ़ाकर क्लेम नहीं भरा था वे घाटे में रहे। ''मैं कहती रही कि जितना छोड़ आए हो, उससे ज्यादा का ही क्लेम भरो। मगर ये ऐसे मूर्ख थे कि हठ पकड़े रहे कि जितना था, उतने का ही क्लेम भरेंगे–पहले ही इतने दुःख उठाये है अब और बेईमानी क्यों करें? आज ये सामने होते, तो मैं पूछती कि बताओ बेईमानी करने वाले हैं या हम लोग सुखी हैं?''[5]जहाँ विभाजन की राक्षसी ज्वाला में साधु सिंह के ताँगे में बैठे लोग अपनी जमीन–जायदाद को लेकर जल रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ साधु सिंह जैसे लोग भी जल–भुन रहे हैं जिनके पास क्लेम करने के लिए न जमीन है और न ही जायदाद। साधु सिंह भी अपना घर, बीबी, आम का पेड़, अपने सपने आदि की प्राप्ति चाहता है। ''जैसे रुपये महीने का वह मकान सरसों के परिचय के कारण अपना मकान ही लगता था। हीरा ने कितनी ही बार क हा था कि पराये घ र में पेड़ लगा रहे हो, पाल–पोसकर एक दिन दूसरों के लिए छोड़ जाओगें। मगर यह कहाँ सोचा था कि वह घर इस तरह छूटेगा कि जिन्दगी भर उसके पास से गुजरना तक नसीब न होगा।''[6] यहाँ मोहन राकेश ने स्वतंत्रता पश्चात् भारत के भविष्य को लेकर सरकारी तंत्र की निष्क्रियता को आक्रोश एवं व्यंग्य के साथ प्रस्तुत करते हुए आधुनिकता–बोध प्रस्तुत किया है। **'कटी हुई पतंगें'** कहानी में मोहन राकेश ने विभाजन के पश्चात् जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उन परिस्थितियों में एक कमल–सी कोमल युवती की दयनीय स्थिति का आधुनिकता बोध कराया है। मोहन राकेश ने यहाँ राजकरनी की विभाजन से पूर्व तथा विभाजन के पश्चात् की स्थिति का वर्णन किया है। राजकरनी लाहौर के कृष्णनगर में रहती थी, जहाँ रवि उसके पड़ोसी के रूप में जीवन–यापन कर रहा था। राजकरनी अपने मुहल्ले में सबसे तेज लड़की की छवि बनाये हुए थी किन्तु विभाजन की मार उस बेचारी लड़की को इस प्रकार पड़ी की वह अपना जीवन निर्जीवता में यापन करने लगी थी। ''क्षण–भर के लिए जो लाली उसके चेहरे पर आयी थी, वह अदृश्य हो गयी और उसके स्थान पर वही निर्जावता फैल गई, जो पाँच साल से उसकी कोमलता को, उसके शरीर की चिकनाहट को, उसके कपड़ों की सफेदी को और उसकी रोटियों के स्वाद को खा रही थी, परन्तु

उस क्षण–भर की लाली ने जिन–जिन आखों को अपनी ओर खींचा, वे आँखें उसके चेहरे पर जमी रह गई। रवि न देखा कि उन आँखों में वही लूटने वाला भाव है, जो पतंग लूटने वाले बच्चों की आँखों में था।''[7] राजकरनी लाहौर में कृष्णनगर में 'बाघन' जैसे उपनामों से सम्मानित थी। ''वह लड़की जिसे कृष्णनगर के उस मोहल्ले की लड़कियाँ 'बिल्ली', 'बाघन', 'रिछनी', कहा करती थी, आज मरे हुए शिकार की तरह न कुछ सुन रही थी, न समझ रही थी।''[8] यहाँ राजकरनी की विभाजन के पश्चात् की दयनीय स्थिति के साथ–साथ समाज में लूटने की मानसिकता को उजागर किया है।

भारत–पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में जो हिन्दू परिवार रहते थे उन्होंने भागकर भारत की शरण ली,ऐसे ही एक शरणार्थी परिवार की परिस्थिति को माध्यम बनाकर मोहन राकेश ने शरणार्थी कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों की दयनीय हालत एवं समाज के भद्र, सज्जन लोगों द्वारा उनके किये जाने वाले शोषण को 'कम्बल' कहानी द्वारा मुखरित किया है। ''शरीर कम्बल से ढक गया। शीत का रोमांच बैठने लगा। नींद के अभिनय में जांघों–छातियों पर किसी के स्पर्श की उपेक्षा कर दी। इच्छा तो हुई कि आँखें खोलकर देखें पर रोंगटों की सम्भावित जड़ता। नहीं, नहीं, बाहर हवा पल रही है। ठण्डी–ठण्डी हवा![9] मोहन राकेश के उच्च वर्ग की घिनौनी मानसिकता को धारण किए हुए लोगों द्वारा निम्नवर्ग के लोगों के हो रहे शोषण का पर्दाफाश किया है। देश में स्वतंत्रता के पश्चात् जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसका यथार्थ चित्र मोहन राकेश ने **'परमात्मा का कुत्ता'** कहानी के द्वारा व्यक्त किया है। यहाँ एक बूढ़ा सरदार अपने बेटे की विधवा एवं उसके बच्चों के साथ सरकार से अपनी जमीन माँगने सरकारी दफ्तर में आया हुआ है। सरकार ने उसे जो जमीन दी है वह उपजाऊ नहीं है, जिसके सम्बन्ध में वह सरकार को अर्जी देता है कि उसे यह जो गड्ढा एलाट कर दिया गया है उसके स्थान पर उपजाऊ जमीन दे दी जाय। इन संदर्भ में उसके द्वारा दो साल से अर्जी करने पर भी सरकारी दफ्तरों की फाइलें आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ''दो साल से अर्जी दे रखी है कि सालों, जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा एलाट कर दिया है, उसकी जगह कोइ दूसरी जमीन दो। मगर दो साल से अर्जी यहाँ के दो कमरे ही पार नहीं कर पाई।''[10] यह सरदार विभाजन की त्रासदी को झेल चुका है। डॉ0 सदन कुमार पाल के अनुसार,**''परमात्मा का कुत्ता''** के नायक का आक्रोश आधुनिक व्यक्ति की उस मनःस्थिति को प्रकट करता है जो दो साल की दौड़–धूप के बावजूद व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करता है।''[11] वह अब भुखमरी और अभाव में और ज्यादा समय जी नहीं सकता और सरकार जमीन के लिए वक्त ले रही है। ''इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है! इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ आज यहीं पर अपना सारा घर–बार लेकर। ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। सात साल की भुखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे सौ मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप–दादों की अस्थियाँ गाड़ूँगा? अर्जी दी थी कि मुझे सौ मरले की जगह पचास मरले दे दो – लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी दो साल से वक्त ले रही है! मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है।''[12] दफ्तर में सभी कर्मचारी अपनी–अपनी मर्जी के मालिक होकर काम करते हैं। ''अन्दर हाल कमरे में फाइलें धीरे–धीरे चल रही थी। दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा। गजल दोस्तों को सुना रहा था, और दोस्त, इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गजल उसने शमा या बीसवीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है।''[13] यहाँ मोहन राकेश ने सरकारी कार्यालयों के कार्य कितनी लापरवाही से होते है उस पर व्यंग्य करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने दर्शाया है कि सरकारी तंत्र ऊपर से भ्रष्ट हो गया है। कमिश्नर साहब का आगमन होता है और वे अपने सरकारी कार्य का प्रारम्भ किस प्रकार करते हैं उसका भी राकेश ने बारीकी से वर्णन किया है। ''चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों परएक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर 'रीडर्स डाइजेस्ट' का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। **लेटीशिया बाल्ड्रिज** का लेख कि उसे इतावली मर्दो से क्यों प्यार है, वे पढ़ चुके थे और लेखें में हृदय की शल्य चिकित्सा के सम्बन्ध में **जे0डी0 रैटक्लिफ** का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ एक साथ ग्यारह खोलकर वे हृदय के नये आपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे।''[14] इस प्रकार मोहन राकेश ने यहाँ दर्शाया है कि सरकारी तंत्र में यदि आप रिश्वत देते है तो ही सरकारी अफसर आपके कार्य में दिलचस्पी रखते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जो कार्य तकरीबन–2 पूर्ण हो चुका था या दो साल में भी नहीं हो रहा था, जो फाइले अभी पाँच–दस साल का वक्त लेने वाली थी उनका कार्य सिर्फ आधे घण्टे में पूर्ण हो गया। उसने अन्य लोगों से भी कहा कि ''चूहों की तरह बिटर–बिटर देखने में कुछ नहीं होता। भौंको, भौंको, भौंको।''[15] यहाँ लेखक ने कथा–नायक द्वारा देश में फैली निष्क्रियता, रिश्वतखोरी आदि पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। ''इस प्रकार आधुनिक समाज में सरकारी दफ्तरों में व्याप्त रिश्वतखोरी और निरीह जनता के शोषण की प्रक्रिया का यथार्थ चित्रांकन मोहन राकेश ने 'परमात्मा का कुत्ता' में किया है।''[16] यह विभाजन के कारण उत्पन्न त्रासदी का आधुनिकता बोध प्राप्त होता है। **'आखिरी सामान'** के मिस्टर भण्डारी एक्साइज और टैक्सेशन में अफसर के रूप में नौकरी करते हैं। किन्तु वे अपने आपको बारह सौ की तनख्वाह प्राप्त करने लायक समझते थे, इसी कारण से ऐसी महत्वाकांक्षा भी रखते थे कि उन्हें बारह सौ की नौकरी प्राप्त हो। वे इस हद तक लालच के कीचड़ में फँस गये थे कि अपने आदर्शों को छोड़–छाड़कर रिश्वत लेने लगे थे। ''कालेज के दिनों के आदर्श गाहे–बगाहे उन्हें कुरेदने लगते थे। मगर धीरे–धीरे उनकी फिलोसोफी बदल गयी थी। अब वे कहते थे कि इंसान नीचे से दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने के लिए आवश्यक है कि इंसान पहले कुछ करने की स्थिति पर पहुँच जाए। किस रास्ते से वह वहाँ पहुँचता है, इसका महत्व नहीं है। नीचे की सतह से आदर्श की कोई आवाज नहीं है।''[17] उन्हीं रिश्वत के पैसों से वे अपनी हैसियत से दुगना खर्च करते थे। ''सोफासेट के लिए कवर का कपड़ा वे कलकत्ता स लाए थे और जिस दिन रेफ्रिजरेटर आया, उस दिन उन्होंने कमरे की कलर स्कीम बदल दी थी। पुराने परदों की जगह नये परदे लगाये थे। नौकर और चपरासी को पाँच–पाँच रुपये इनाम दिया था। उसके बाद नया–नया सामान उनके घर अक्सर आने लगा था। आज कालीन तो कल आलमारियाँ। घर में जितना सामान आ सकता था, उससे कहीं अधिक सामान ले आया गया। मिस्टर भण्डारी की जेब में भी काफी पैसा रहता था।''[18] मोहन राकेश ने यहाँ स्पष्ट रूप से यह भी दर्शाया है कि हमारे देश को खोखला करने वाली भ्रष्टाचार

रुपी दीमक समस्त सरकारी व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक लगी हुई है। ''आज तक कम्पनी का बिक्री टैक्स आधा करके तीन हजार वसूल किए जाते, तो बीस दिन बाद छापे में अफीम बरामद करके पाँच सौ हजार में छोड़ दी जाती।''[19] इतनी रिश्वत लेने पर मिस्टर भण्डारी के घर का नक्शा, उनके आदर्श आदि बदल गये। वे इतने गिरने लगे कि अपनी ही बीबी को उच्च पद की प्राप्ति के हेतु अतिथि के रूप में आए उच्च पदाधिकारी को सौंपने में किसी भी प्रकार की झिझक या शरम का अनुभव नहीं करते। दूसरी तरफ उच्च पदाधिकारी अफसर मिसेज भण्डारी की देह को किसी भी तरीके से प्राप्त करने के लिए वह मिस्टर भण्डारी को अपनी पहुँच से झूठे केस में फँसाकर मिसेज भण्डारी को प्राप्त करना चाहता है। ''निम्न मध्यवर्गीय और नौकरी–पेशा पुरुष आर्थिक दबाव से टूटकर रिश्वतखोरी को अपनाता है और उसे तर्क के आधार पर सही भी ठहराया है। पुरुष की यह मनःस्थिति आधुनिक परिवेश से उपजी है, जहाँ रिश्वत लेन–देन की प्रवृत्ति के पनपने के लिए उर्बर जमीन उपलब्ध है।''[20] यहाँ आधुनिकता–बोध प्राप्त होता है। मोहन राकेश की **'हवामुर्ग'** कहानी में भी राजनीतिक विषय को केन्द्र में रखकर व्यंग्य किया है। 'लेकिन इस तरह' कहानी की राजकरनी का भाईजी द्वारा शोषण किये जाने पर त्रस्त होकर राजकरनी आत्महत्या कर लेती है आज की पुरुष प्रधान व्यवस्था में नारी की स्थिति के विषय में 'कटी हुई पतंगें' में मोहन राकेश ने यथार्थ चित्रण किया है। इस विषय में डॉ0 सदन कुमार पाल का मंतव्य है कि ''आज के पुरुष प्रधान अर्थ की भूमिका वाले समाज में नारी 'कटी हुई पतंगें' की राजकरनी जैसी है जो अपनी जमीन से उखड़ी और पुरुष की लोलुप दृष्टि से बंधी हुई है।''[21] यहाँ मोहन राकेश ने अपने उच्च पद के सहारे शोषण कर रहे उच्च पदाधिकारी की तरफ निर्देश करते हुए आधुनिकता बोध स्पष्ट किया है। **'जख्म'** का जख्मी नायक जिस पीड़ा, दुःख, त्रास, घुटन से गुजर रहा है वह केवल उसके ही नहीं बल्कि उन समस्त मनुष्यों के जीवन की है जो वर्तमान समय में इस परिस्थिति में जीवन–यापन कर रहे हैं और इस सरकारी तंत्र से असन्तुष्ट है। इस प्रकार व्यंग्यात्मकता में यहाँ आधुनिकता–बोध स्पष्ट होता है। एक अन्य कहानी **'जानवर और जानवर'** के अन्तर्गत पादरी फिशर के द्वारा अपने यहाँ नौकरी करती मणि नानावती और अनीता मुखर्जी का शोषण होता हुआ दिखाया गया है। ''वह पादरी अपनी संस्था पर सम्पूर्ण एकाधिकार जमाये हुए है और अपने दबदबे के बल पर सबका शोषण करता है।''[22] इस प्रकार आधुनिकता–बोध कराया है। 'एक ठहरा हुआ चाकू' के द्वारा मोहन राकेश ने जनता की अपनी सुरक्षा के लिए चुनाव के दौरान जिन लोगों को चुना और जो लोग जनता की रक्षा के लिए सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ पद, सत्ता की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे लोगों की मानसिकता का आधुनिकता–बोध कराने का सफल प्रयत्न किया गया है।

निष्कर्षतः मैं यह कह सकती हूँ कि मोहन राकेश ने भ्रष्टाचार, विभाजन जैसी प्रवृत्तियों से निर्मित परिस्थितियों द्वारा अपनी कहानियों को अत्यन्त बारीकियों के साथ जीवन्त किया है। वर्तमान समय में सरकारी व्यवस्था में घूसखोरी, निष्क्रियता, अन्याय आदि फैल गये हैं, इन सब स्थितियों में वर्तमान समय के सामान्य मनुष्य के लिए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना महज एक स्वप्न मात्र बन गया है। ''मोहन राकेश जिस व्यंग्य का सहारा लेते हैं वह पाठक को भीतर तक विचलित कर देने के लिए काफी होता है।''[23] मोहन राकेश ने अपनी कहानियों द्वारा विभाजन, भ्रष्टाचार एवं उससे उत्पन्न त्रासदी तथा विभिन्न पहलुओं का यथार्थ रेखांकन किया है।

सन्दर्भ :

1. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 229.
2. पाल,डॉ0 सदन कुमार, मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिकता–बोध,पृ0 62.63.
3. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 230.
4. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 110.
5. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 110.
6. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ,, पृ0 111.
7. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 459.
8. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 459.
9. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 334.
10. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 323.
11. पाल, डॉ0 सदन कुमार, मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिकता–बोध, पृ0 64.
12. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 323.
13. अनीता राकेश, सं0,माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ,पृ0 322–323.
14. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 326.
15. बसन्त कुमार परिहार, मोहन राकेश के साहित्य में सामाजिक यथार्थ, पृ0 69
16. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 176.
17. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 175.
18. अनीता राकेश, सं0 माहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ, पृ0 175.
19. पाल, डॉ0 सदन कुमार, मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिकता–बोध, पृ0 63.
20. पाल, डॉ0 सदन कुमार, मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिकता–बोध, पृ0 70.
21. बसन्त कुमार परिहार, मोहन राकेश के साहित्य में सामाजिक यथार्थ, पृ0 51
22. मोहन राकेश – ओम प्रभाकर, कथाकृति,पृ0 245.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :** SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol . XI, No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 136-139

महिला, सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय : एक नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन

रोमी मौर्या*

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र मे महिला, सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय : एक नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया हैं। यह अध्ययन एक नवीन दृष्टि, सोच–समझ और ज्ञान देता हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और संपोषणीय विकास भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही चर्चित विषय के तौर पर परिलक्षित हो रहा है। महिला– सशक्तिकरण एक धीमी और लम्बी प्रक्रिया है– यह परिवार और समुदाय के साथ शुरू होती है। इससे महिलाओं में समान अवसर मिलते हैं और ये विश्वास पैदा होता है कि वो अपने अधिकारों के लिये लड़ें और वो हासिल करें जो उनके लिये सही है वहीं संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का ह्रास किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर बल दिया जाता हैं। यह अध्ययन शोधार्थीयों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : महिला–सशक्तिकरण, संपोषणीय विकास, राजनैतिक शक्ति, सामाजिक संरचना, लोकतांत्रिक विकास आदि।

'महिला' शब्द की व्युत्पत्ति ही पुरुष जीवन में महिला के स्थान व स्थिति, पद व प्रतिष्ठा, कारण व कारक, सूचक है। पुरुष 'धर्म' ही तो है, जिसे नारी 'महि' अर्थात् धरा, जो पुरुष रूप 'धर्म' को आधार देती है, आगार देती है, आचार देती है, विलास देती है। 'महिला' दो शब्दों से बना शब्द है – पहला 'महि' अर्थात् 'उत्सव' व दूसरा शब्द 'इला' अर्थात् जननी– अर्थात् महिला वह जो 'उत्सव' की जननी है। इस प्रकार महिला का पदार्पण पुरुष जीवन में उत्सव रूप होता है व शिव, सुन्दर व शोभन की सुकोमल आगार रूप पुरुष की शक्ति है। यह पुरुष जनित, सेवित, पालित, रक्षित शक्ति होती है, जो रचना विधा रूप, सृजन साधन व साधना शृंगारित रूप होती है, जिसमें साम है, कला है, सुगंध है, स्मिता है, रास है, रंग है। यह महिला 'स्त्री भी कहलाती है, जो स्थित रहती है और सदा पुरुष के लिये 'अस्ति' अर्थात् अस्तित्वमान रहती है, अर्थात् पुरुष में स्थित रहकर, परुषार्थ अपनी स्थिति बनाकर पुरुष को आनन्दित करने में सदा अपनी 'स्थिति' मुदित भावमय बनाये रखती है, जो यह मानती है कि उसका अस्तित्व ही पुरुष के लिये है और उसका सम्पूर्ण जीवन समग्र आत्मीयता के साथ पुरुष को समर्पित है, वह पुरुषमय है, पुरुष जननी है, पुरुष जनित है, पुरुष सेवित है, पुरुष रमित है, पुरुष प्रणीत है, पुरुष फलित है, पुरुष संरक्षित है। इस भावना के साथ महिला व पुरुष वरण हो, ता जीवन आनन्द निकुंज हो सकता है– ऐसा भाव जागृत हो। समाज की ऐसी संस्कारिता हो, भावना में भगवान् हैं, महिला के लिए पुरुष भगवान हो, तो पुरुष के लिये महिला भगवती, पुरुष वेद हो, तो महिला सरस सरस्वती, पुरुष वेग हो तो महिला सहज सरित्[1] 'महिला' शब्द, जो समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी कल्पना से रहित कोई समाज नहीं हो सकता वह समाज की निर्मात्री है और सृष्टि व सभ्यता का शुभारंभ है।[2]

महिला सशक्तिकरण : सशक्तिकरण से अभिप्राय उस राजनैतिक शक्ति से था जिसको राजनैतिक रूप से किसी संस्था को संवैधानिक रूप से प्रशासनिक नियम द्वारा प्रदत्त किया गया रहा हो। इसके पश्चात् सशक्तिकरण की अवधारणा का प्रयोग अन्य समाज विज्ञानों में बढ़ा।[3] महिला सशक्तिकरण या सबलीकरण शक्ति के आयामों की ओर अपने को इंगित करता है। महिला सशक्तिकरण सबलीकरण की कुंजी उसके स्वयं तथा शक्ति संरचना के ऊपर नियंत्रण में छिपी है। शक्ति संरचना पर नियंत्रण के फलस्वरूप ही उन्हें अन्य स्तरों पर लिंग समानता, भागीदारी, संसाधनों की प्राप्ति, भौतिक कल्याण आदि स्वाभाविक रूप से स्त्री को प्राप्त हो जायेगी। नारी सशक्तिकरण का अर्थ घरेलू और सामुदायिक दोनों शक्ति संरचनाओं में नारी की शक्ति को बढ़ाना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे वीते भी मानते हैं कि महिला सबलीकरण के पोछे मुख्य धारणा शक्ति संबंधों के पुनर्निर्धारण द्वारा समाज परिवर्तन है। सशक्तिकरण को जागरूकता निर्माण और वृहद स्तर पर सहभागिता में क्षमता विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें निर्णय निर्माण शक्ति में हिस्सेदारी के साथ ही उसके नियंत्रण और परिवर्तन की प्रक्रिया में भी हिस्सेदारी देना सम्मिलित है। इस तरह महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है जो कई विरोधाभासी अन्तसम्बन्धों और सामान्य अनुभव तत्वों से अभिभूत हुई है।

पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना में पुरुष मानसिक संकीर्णता से मुक्त नहीं है फलस्वरूप विषम आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से कुंठित एवं पीड़ित महिला कई विषमताओं को झेल रही है। आज के युग में आत्मनिर्भर होते हुए भी वह सुरक्षित नहीं है। महिला सशक्तिकरण सम्पोषणीय विकास का प्रमुख लक्ष्य है। पितृसत्तात्मकता महिलाओं को अनेक प्रकार से शक्तिहीन बना देती है।[4] महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होने, उन्हें साधनों तक पहुँचने से रोकने तथा निर्णय लेने वाले पदों में सहभागिता को सीमित करने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख हैं। नियंत्रण के यह स्वरूप महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं।

सशक्तिकरण एक फैशनेबल अवधारणा बन गई है। पूर्व में यह शब्द राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। राजनैतिक विज्ञान में इसका सीमित उपयोग किया गया, क्योंकि इस विज्ञान मे सशक्तिकरण से अभिप्राय उस राजनैतिक शक्ति से था जिसको राजनैतिक रूप से किसी संस्था को संवैधानिक रूप से प्रशासनिक नियम द्वारा प्रदत्त किया गया रहा हो। इसके

पश्चात् सशक्तिकरण की अवधारणा का प्रयोग अन्य समाज विज्ञानों में बढ़ा।[5] सामान्य तौर पर सशक्तिकरण की अवधारणा को दो रूपो में व्याख्यायित किया जा सकता है– एक आयामी और बहुआयामी। राजनैतिक शक्ति पर केन्द्रित महिला सशक्तिकरण का माडल एक आयामी है क्योंकि यह नारी के अपने शरीर, यौनिकता और संस्थागत संसाधनों पर नियंत्रण तक सीमित है जबकि सबलीकरण की बहुआयामी अवधारणा नारी सशक्तीकरण के लिए अधिक संभावनापूर्ण है। राजनैतिक आयाम के अलावा सशक्तीकरण के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। ये सभी आयाम एक दूसरे में इस तरह गुंथे हुए हैं कि किसी एक को अन्य के स्थान पर ज्यादा महत्व देने से काम चलने वाला नहीं। अतः सशक्तिकरण की बहुआयामी अवधारणा जो नारियों को सभी प्रकार की क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देती है, को एक आयामी राजनैतिक शक्ति केन्द्रीय अवधारणा के स्थान पर अपनाने की आवश्यकता है।[6]

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जागरूकता पैदा करने की और सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में शक्ति और निर्णय की क्षमता में विकास करने की। महिला सशक्तिकरण एक चेतनशील, लगातार तथा व्यापार स्तर पर महिलाओं के आत्मविश्वास एवं क्षमता में निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। सशक्तिकरण महिलाओं को लोकतांत्रिक विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी हेतु समर्थ बनाती है। यह प्रक्रिया महिलाओं को शक्तिहीनता आर गुलामी से मुक्त करती है और उनके अंदर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता हेतु अति महत्वपूर्ण क्षमता का विकास करती है।

सशक्तिकरण का अर्थ मुख्य रूप से उसकी जड़ों में ही सम्मिलित हैं, जिसका तात्पर्य 'शक्ति और सत्ता' को देना है। वास्तव में सशक्तिकरण एक संकेत है, शक्ति के देने और उत्थान की तथा सभी को समान अवसर देने की।[7] सशक्तिकरण व्यवहारिक रूप में असमानता के अस्तित्व, शक्ति के संबंधों को नारीयता के आधार पर शक्ति के साधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए चुनौती देता है।

सेकुलर (1993)[8] सशक्तिकरण को एक व्यापक सिद्धान्त मानते हैं जो वैयक्तिक तौर पर गोपनीय है, किन्तु यह सामूहिक विकास कार्यों एवं राजनैतिक और संवैधानिक क्रियाओं में जागरूकता के माध्यम से लोगों को चेतनशील और विकसित बनाता है। **कोनजर और कानूनगो (1988)**[9] यह अनुभव करते हैं कि सशक्तिकरण आत्म क्षमता की भावना के उत्थान की प्रक्रिया है। **भट्ट (1989)**[10] का दृष्टिकोण है कि महिला सशक्तिकरण संघर्ष और विकास की एक रणनीति है। **पेंगी (1989)**[11] का मूल्यांकन यह है कि महिला सशक्तिकरण राजनैतिक गतिविधियों में व्यक्तिगत बाधाओं और सामूहिक धवीकरण को चुनौती देकर समाज में समान शक्ति संबंधों की स्थापना पर जोर देता है। **एडन और बोस (1990)**[12] का दृष्टिकोण यह है कि सशक्तिकरण महिलाओं और पुरुषों के बीच में घरेलू और सामाजिक स्तर पर शक्ति संबंधों की पुनर्संरचना है। **किलर और मिडवे (1991)**[13] सशक्तीकरण के तत्वों से परिचय कराते है। जिसमें वे आत्म–सफलता में वृद्धि, स्वेच्छा का अधिकार और स्रोतों पर नियंत्रण की संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में सशक्तिकरण की व्याख्या करते हैं। **कालमैन (1992)**[14] के अनुसार सशक्तिकरण घरेलू स्तर से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की पूर्व स्थिति है।

यूनीसेफ (1993) सशक्तिकरण को कल्याण, समान अवसर, आत्मविवेक, सहभागिता और नियंत्रण की समानता के संदर्भ में पारिभाषित करता है। **हेलन** (1993)[15] सशक्तीकरण को आर्थिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। **सिंह** (1993)[16] का मूल्यांकन यह है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य कुछ करने का अवसर प्रदान करने और स्रोतों के ऊपर नियंत्रण से है। **सेकुलर और हाशमी** सशक्तिकरण (1993)[17] की पहचान उसके कुछ खामोश तत्वों के माध्यम से करते हैं, जिसमें वे आत्म चिंतन, भविष्य की ओर दृष्टि, गतिशीलता और दूरदृष्टि, आर्थिक सुरक्षा, घरेलू स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता की स्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र म प्रभावी रूप से सक्रिय होने की क्षमता और असंगठित क्षेत्रों में सहभागिता को सम्मिलित करते हैं। **वटलीवाला (1994)**[18] सशक्तिकरण को पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह शक्ति संबंधों के अस्तित्व और शक्ति के स्रोतों के ऊपर नियंत्रण को चुनौती देने वाली प्रक्रिया है। **लीला दूबे (1994)**[19] सशक्तीकरण के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए व्याख्यायित करते हैं कि यह स्वायत्त, निर्णय बनाने की शक्ति के विपरीत एक वैकल्पिक शक्ति है, जो कि पुरुषों की प्रभुसत्ता से स्वतंत्र है। **यू.एन. डी.पी.** (1994) सशक्तिकरण को महिलाओं के दिए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों के रूप में पारिभाषित करता है। **होलोकोम** (1995)[20] का दृष्टिकोण यह है कि सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, महिलाओं की सहभागिता की, नियंत्रण में हिस्सेदारी की, कुछ करने के संवैधानिक अधिकार की और निर्णय प्रक्रिया में उनके प्रभाव की। **कार्ल** (1995)[21] सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो सामूहिक जागरूकता के विकास में, क्षमता विकास में, कौशल विकास में, सहभागिता और नियंत्रण में तथा निर्णय प्रक्रिया की शक्ति में और लिंग समानता के लक्ष्य तक पहुँचने की क्रिया में सम्मिलित है। **कार और अन्य** (1996)[22] में यह दृष्टिकोण देते हैं कि सशक्तिकरण महिलाओं के लिए आर्थिक बढ़त और शक्ति की सौदेबाजी है। **राव** (1996)[23] ने निम्न तत्वों के आधार पर सशक्तिकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह महिलाओं की शारीरिक और सामाजिक दशाओं में सुधार, निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं मे समान अवसर, स्रोतों पर नियंत्रण और उस बढ़त को बनाये रखने की प्रक्रिया है। **आंद्रे बिताई** (1999)[24] सशक्तिकरण को सामाजिक रूपान्तरण के एक तत्व के रूप में अति महत्वपूर्ण क्रिया मनाते हैं और उसे पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि सशक्तीकरण एक संस्तरण की प्रक्रिया है, जो कि सत्ता प्रतिष्ठानों में पदक्रम में विभाजित करने पर जोर देता है तथा उसमें महिलाओं की समानता पर जोर देकर एक आधारभूत समाज की रचना पर जोर देता है।

माइकल फूको[25] के अनुसार शक्ति और कुछ नहीं बल्कि ज्ञान है। अर्थात् दूसरे शब्दों में जिसके पास शक्ति ह उसके पास ज्ञान भी है। वे अपनी व्याख्या को सशक्तीकरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं द्वारा व्याख्यायिक करते हैं –

1. शक्ति को सीखा नहीं जाता, न ही रखा जाता है या जिसको एक व्यक्ति ग्रहण करता है या छोड़ देता है बल्कि शक्ति का प्रयोग अनेकानेक दृष्टिकोणों से किया जाता है।

2. शक्ति संबंधों को आर्थिक, प्रक्रियाओं, ज्ञान के संबंधों एवं लैंगिग संबंधों के रूप में देखा जा सकता है।
3. शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है अर्थात् शासक एवं शासित के बीच एक पक्षीय विरोध ही शक्ति संबंधों का प्रमुख आधार नहीं है। इस अर्थ में बहुआयामी संबंधों को ध्यान में रखकर परिवार, सीमित समूहों और संस्थाओं आदि के उत्पादन में संबंधों को समझना होगा।
4. शक्ति संबंध उद्देश्यपूर्ण एवं अविषयपरक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ शक्ति संबंधों को आर्थिक प्रक्रियाओं, ज्ञान और लैंगिग संबंधों के स्रोतों में निहित पाया गया।

फूको ज्ञान की वृद्धि को सशक्तिकरण का मुख्य आधार मानते हैं क्योंकि इससे शक्ति या ताकत को बहुआयामी संबंधों की ओर संकेत के माध्यम से समझा जा सकता है। महिला सशक्तीकरण के सिद्धान्त को प्रधान[26] एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके व्यवस्थित स्रोतों और क्रियात्मक रणनीति के माध्यम से उन महिलाओं को जो शक्तिहीन है और हासिए पर है, उनके उत्थान हेतु एक हस्तक्षेप है। यह विचार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उन्नयन म शिक्षा, आय और स्रोतों तक पहुंच पर जोर देता है। प्रधान के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्तिहीन व्यक्ति जीवन के विविध आयामों पर वृहद नियंत्रण प्राप्त करता है जिसमें शारीरिक, मानवीय, बौद्धिक और आर्थिक स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमे विश्वास की वैचारिकी, मूल्य और दृष्टिकोणों पर नियंत्रक को भी सम्मिलित कर सकते हैं। सेन और भाटियावाला[27] यह मत देते हैं कि सशक्तीकरण का तात्पर्य एक महान आत्मविश्वास से है और एक आन्तरिक चेतना के उस हस्तान्तरण से जो हमारी पहुंच के स्रोतों के अवरोधों और पारम्परिक वैचारिकी के परिवर्तन को समाप्त कर हमारे उत्थान का मार्ग प्रस्तुत करती है।

रोनाल्ड[28] यह मत देते हैं कि सशक्तिकरण एक जमीनी स्तर की प्रक्रिया है जो सर्वोत्तम तरीके से उत्थान करती है। रोनाल्ड यह अनुभव करते हैं कि शक्ति की ज्यादातर संरचनायें उस सवाल पर निर्भर है कि कैसे शक्ति का वितरण समाज में किया जाये और साथ ही इस शक्ति के सिद्धान्त को समझने हेतु एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो कि किसी चीज के परिणाम पर ही अपने को केन्द्रीयता न करके स्वयं में ही एक प्रक्रिया हो।

सामान्य तौर पर यह वास्तविक सत्यता है कि सशक्तीकरण की बहुत ही भिन्न व्याख्यायें की जाती है। सर्वप्रथम, इसे श्रम शक्ति में सहभागिता के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन निरीक्षण से यह स्पष्ट रूप से परलक्षित होता है कि श्रम शक्ति में सहभागिता सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि शोषण और अत्याचार की स्थिति अभी भी परिवर्तित नहीं हुई है।[29] सशक्तिकरण के प्रति जो नवीन दृष्टिकोण आया है वह विकास की रणनीति की ओर देखता है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में सहभागिता के रूप में देखता है। महिलाओं के सशक्तीकरण में जो प्राथमिक लक्ष्य है वह ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जिसमें वे अपने जीवन पर स्वयं अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। किलर और मिडवे[30] यह पाते हैं कि सशक्तिकरण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि कर उन्हें निर्णय प्रक्रियाओं में अपने स्वतंत्र अधिकारों के प्रति समर्थ बनाने और अपने शोषण के विरूद्ध चुनौती देने और उन्मूलन हेतु प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी सशक्तिकरण को सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करता है। इसके अनुसार राज्यों की विकास–प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों का विकास है न कि केवल उनके लिए। खासतौर से निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी पूर्ण सहभागिता में वृद्धि हो जो उनके जीवन के आकार को प्रभावित करती है। लेकिन इसी समय संयुक्त राष्ट्र ने एक दूसरा यांत्रिक दृष्टिकोण सशक्तिकरण के बारे में प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि हमें महिलाओं की क्षमताओं का निवेश कर उन्हें उनकी इच्छानुसार सशक्त करना चाहिए सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि निश्चित तौर पर संपूर्ण विकास प्रक्रियाओं के लिए और स्वयं उनके आर्थिक विकास हेतु। लेकिन **ओक्सफोम**[31] के मतानुसार महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न और जुल्म तथा असमानता के विरूद्ध चुनौती है। सशक्तिकरण अत्याचार के विविध प्रकारों के लिए एक चुनौती है जो कि समाज के करोड़ों वंचितों को एक ऊर्जा दे रही है अपनी असमानता को दूर कर समाज के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए और अपने मानवीय अधिकारों के अवराधों को अस्वीकार करने के लिए है जबकि इसके विपरीत मैरीली कार्ल[32] का दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण के प्रति एकदम विभिन्न और अनुभवों पर आधारित है। इनके अनुसार महिला सशक्तिकरण एक ऐसा पद है जो कि बहुत ही उच्च स्तर पर उपयोग किया जाता है परन्तु इसे यदा–कदा ही परिभाषित किया गया है।

प्राथमिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के पद का प्रयोग, समाजवैज्ञानिकों ने स्रोतों पर और निर्णय प्रक्रियाओं पर महिलाओं के नियंत्रण के रूप में किया। ज्यादातर सशक्तिकरण की व्याख्या इसी आधार पर की गई। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है और एक मुद्दा भो या समस्या भी, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोगों को दे दी जाए। सशक्तीकरण लगातार चलने वाली एकत्रित एवं एकांकी प्रक्रिया है और यह व्यक्तिगत उत्थान हेतु एकत्रित या सामूहिक प्रयासों की ओर इशारा करती है। प्रायः महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है जो कई विरोधाभासी अंतर सम्बन्धित और अनुभवजन्य तत्वों में सम्मिलित है जैसे कि–

1. महिला परिस्थिति, भेदभावपूर्ण व्यवहारों, उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूकता फैलना, साथ ही एक समूह के रूप में और लिंग असमानता पूर्ण व्यवहारों के प्रति सजग करना।
2. घर और समुदाय में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि करना।
3. पुरुषों और महिलाओं में समानता हेतु सकारात्मक क्रियाओं का क्रियान्वयन।
4. योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रियाओं, संगठनों में प्रबन्धन तथा पस्तावों से संबंधित कार्यों और संस्थानों में उचित सहभागिता हेतु उनकी क्षमता और कौशल में वृद्धि करना।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण जागरूकता पैदा करने की और सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में शक्ति और निर्णय की क्षमता में विकास करने की एक प्रक्रिया है। सशक्तिकरण महिलाओं को लोकतांत्रिक विकास प्रक्रियाओं में

भागीदारी हेतु समर्थ बनाती है। यह प्रक्रिया महिलाओं को शक्तिहीनता और गुलामी से मुक्त करती है और उनके अंदर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता हेतु अति महत्वपूर्ण क्षमता का विकास करती है।

सन्दर्भ :

1. अंसारी, एम.ए.: राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जायपुर, 2000, पृ.149.
2. स्याल, शान्तिकुमार: नारीत्व, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1998, पृ. 108.
3. जेनबबान, वूमैन ऐम्पावरमेंट, थ्योरीरिकल थ्रस्ट, इण्डियन जनरल ऑफ सैक्यूलरिज्म, अप्रैल, 2001.
4. केडिया, कुसमलता, स्त्रीत्व: धारणायें एवं यथार्थ, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2004.
5. जेनबबान, वूमैन ऐम्पावरमेंट, थ्योरीरिकल थ्रस्ट, इण्डियन जनरल ऑफ सैक्यूलरिज्म, अप्रैल, 2001
6. कार्ल, मारली, वूमेन एण्ड एम्पावरमेंट, पारटीसिफेशन एण्ड डिसीजन मेकीन, लंदन, 2002.
7. गिरी, एस. मोहिनी, इमेन्सिपेशन एण्ड एम्पावरमेण्ट ऑफ विमैन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2000
8. स्यूलर, एस.आर. एण्ड हसलेनस, एस.एम., डिफाइनिंग एण्ड स्टडीइंग इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन : ए रिसर्च नोट फ्राम बंगलादेश, जेएसआई वर्किंग पेपर नं. 3, अर्लगटन, वी.ए. 1993.
9. कोनजर, जे.ए. एण्ड कानूरगो, आर.एन., द इम्पॉवरमेंट प्रासेस : इनटीग्रेटिंग थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस एकादमी ऑफ मैनेजरमेंट रिव्यू, 13 (3), 1988, पृ. 471–482.
10. भट्ट, ई., टूवर्ड्स इम्पॉवरमेंट वर्ल्ड डवलपमेंट, 17 (7), 1989, पृ. 1059–1065.
11. पेग्गे, ए., द इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन इन आर. गिलीन, ए.फरगूरन : द वूमेन एण्ड इण्टरनेशनल डवलपमेंट, एनुवर बोल्डर, वेस्टएराइव प्रेस, 1989.
12. इल्सन, डी. एण्ड बोस, के., मेल बायस इन द डवलपमेंट प्रासेस, न्यूयार्क, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991.
13. केलर, बी. एण्ड मैब्बे, डी., पॉलिसी एण्ड प्लानिंग फॉर द इम्पावरमेंट ऑफ जैमबियास वूमेन फारमर्स, कनेडियन जर्नल ऑफ डवलपमेंट, 1991, पृ. 75–88.
14. कोलमेन, एल., टूवर्ड इम्पावरमेंट वूमेन एण्ड पॉवरमेंट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, यू.के. बार्डर वेस्टइराइव प्रेस कं., ऑक्सफोर्ड, 1992.
15. हेलन, ओ., डेडिकेटेड लाइल्स: वुमेन आर्गनाइजिंग फॉर ए फेरर वर्ल्ड, यू.के., ऑक्सफोर्ड, 1993.
16. सिंह, समर आर., रूपेट्स ऑफ ए स्ट्रींग : वुमेन्स वेज वर्क एण्ड इम्पावरमेंट एमंग फिमेल टी प्लानटेशन वर्कर्स ऑफ श्रीलंका, द जर्नल ऑफ डवलपमेंट एरियॉस, 27 (3), अप्रैल, 1993, पृ. 329–340.
17. स्यूलर, एस.आर. एण्ड हसलेनस, एस.एम., डिफाइनिंग एण्ड स्टडीइंग इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन : ए रिसर्च नोट फ्राम बंगलादेश, जेएसआई वर्किंग पेपर नं. 3, अर्लगटन, 1993.
18. बाटलीवाला, श्री लाथा, द मिनिंग ऑफ वेमेन्स इम्पावरमेंट : न्यू कॉन्सेप्ट्स फ्राम एक्शन इन सेन, गीता एण्ड अदर्स, पापुलेशन पॉलिसिस रिवनसिडर्ड, हेरार्ड सिरीज ऑफ पापुलेशन एण्ड इण्टरनेशनल हेल्थ, कैम्ब्रिज मॉस, 1994.
19. दुबे, लीला(1994) : विसबिल्टी एण्ड पॉवर : ऐसेस ऑन वुमेन इन सोसाइटी एण्ड डवल्पमेंट, न्यू दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
20. होल कॉम्ब, एस., मैनेजिंग टू इम्पॉवर : द जर्मन बैंकस एक्सपीरियन्स ऑफ पोरेसटी एलेरेशन, लन्दन, जेड बुक्स लि., 1995.
21. कार्ल, एम., वुमेन एन इम्पावरमेंट: पार्टिसिपेशन एण्ड डिसिजन मैकिंग, लन्दन, जेड बुक्स लि., 1995.
22. कार, एम.एम. एण्ड आर. जब्बावाला, स्पीकिंग आउट: वुमेन्स इकोनॉमिक इम्पावरमेंट इन साउथ एशिया, आगा खान फाउन्डेशन एण्ड यूनिफेम, लन्दन, आई.टी. पब्लिकेशन, 1996.
23. राँव, एन., इम्पावरमेंट थ्रू आर्गनाइजेशन वूमेन वर्कर्स इन द इनफॉरमल सेक्टर, इण्डियन जर्नल ऑफ जेण्डर स्टडीस, 13 (2), 1996, पृ. 171–197.
24. आन्द्रे, बेताई, इम्पावरमेंट, एकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली, मार्च, 1999, पृ. 589–97.
25. माइकल फूको, बीअन्ड स्ट्रक्चरलिज्मि, ब्रिंगटन. 1976.
26. प्रधान, वीना, मिजरिंग इम्पावरमेंट : ए मेथीडोलाजी अप्रोच डेविलपमेंट, वाल्यूम 46, जून, 2003.
27. सेन और भाटियावाला, इम्पावरिंग वुमेन फार रिर्पोडगतीव राइट, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क., 2000.
28. रॉ लैण्ड्स जे., इम्पावरमेंट एक्सामिन्ड, डवलपमेंट इन प्रैक्टिसेस, ऑक्सफोर्ड, 1995.
29. इलसन, डी., मेल प्राइस इन द डवलपमेंट प्रासेस, न्यूयार्क, मैनचसटर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991.
30. केलर, बी. एण्ड मैब्बे, डी.: पॉलिसी एण्ड प्लानिंग फॉर द इम्पावरमेंट ऑफ जैमबियास वूमेन फारमर्स, कनेडियन जर्नल ऑफ डवलपमेंट, 1991, पृ. 75–88.
31. ओक्सफोम, द ओक्सफोम हैंडबुक ऑफ रिलीफ एण्ड डेवलपमेंट, ऑक्सफोड., 1995.
32. कार्ल, मैरीली, वुमेन एन इम्पावरमेंट : पारटीपेशन एण्ड डिसीजन मेकीन, जेड बुक्स, लंदन, 1995.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 1-4

The Role of Social Media In Indian Politics

Dr. Vandana Sharma*
*Principle G.D.M. Girls Degree College, Budaun, U.P.
Dr. Rizwan Ahmed Khan**
**Assistant Professor, Jagran School of Law, Dehradun, UK

Abstract : When the first Lok Sabha elections were held in India, the direct role of the Indian electorate was minimal. Because at that time neither people had such a wide appetite in political activities nor did they have so much facilities that everyone cold use their vote. But the election commission of India also reduced this shortcoming to a great extent. When for the first time as the role of the election commission expanded. The media also started leaving its mark. Media plays an important role in politics as it influences public opinion and helps define and take up the issues. It can keep the powerful in check by seeking transparency in their actions. Suppose if a government were to control all the information regarding its own actions,won't it escape all accountability.Thus an independent media is an effective check on government power and citizens. The rise of internet in the early 1990s, has led to the increase in the world's networked population.The networked population has greater access to information , more opportunities to engage in public speech and a better ability to undertake united action. Social media has become a fact of life for civil society world over, involving many actors regular citizens, activists, non – government organizations, telecommunications firms, software providers and also government at large. Internet the most in India, will this social media change the wave of Indian politics. In this paper we well discuss what has been the impact of social media in Indian politics and what is the impact of social media on other areas other than Indian politics.

Keywords : Social media , Federal democratic, Telecommunications firms, Movements, Politics etc.

Introduction : India is regarded as the quasi federal democratic republic where anything everything is possible in the periphery of early declaration. Starting from the 1780 till today the Indian media were ornamented with different mode and approach and also burns with the orders/instructions of different media giants but truth always comes up with flying different hue. In a broad brain the media can be of print and electronic but if we dive deep the reach are unlimited. Starting from newspaper, magazine, radio, television, cinema, mobile, internet based waves sites (social media, new media) the Indian media along with different developed country media are promoting itself with time and situations. This huge industry performing smoothly its task and responsibilities on the pillars of advertisement, subscription, and sales of copyright materials.

Many news papers were published in India too.The first major newspaper was **The Bengal gazette**which was started in the year 1780. The newspaper was started by james augustus hickey (The father of Indian press) The newspaper started from Calcutta and published news from the areas under British Raj. Bombay samachar started as a weekly in 1822 to primarily inform the readers about ship movements and commodities and gradually evolved into a true city newspaper with a focus on trade that it is today. Fardunjee Marzban, a parsi scholar started the publication four years after the Bengali newspaper samachar darpan was launched to become the second non English newspaper published in india.

Along with this prominent freedom fighters in India also published some important news papers of their own. who played an important role in changing the direction of Indian politics. Mahatma Gandhi, Dr. Bhim Rao Ambedkar, Bal Gangadhar Tilak ,Aurobindo Ghosh, all started many newspapes and magazines .

The radio broadcasting was initially initiated in the year 1927 but in 1937 it was awarded with the name of all India radio and since 1957 it has been called Akashvani Prasar bharti in 1997 a public service broadcasting came as an autonomous body under Prasarbharati, act to take care of the all India radio and Doordarshan. The terrestrial format of broadcasting was started as the experimental basis in delhi on 15th September 1959 with a small transmitter and a makeshift studio but in the year 1965 the regular basis of transmission started as a part of all India radio. From that juncture is still on. The film in india begins with the screening of auguste and louslumiere moving picture in Bombay in july 1895.

Social media and the constitution of India :

What is social media ?

The best way to define social media is to break down in two terms media and social. Media is an instrument on communication like a newspaper or a radio, so social media would be a social instrument of communication.

"The press is the only tocsin of a nation .when it is completely silenced .... all means of a general effort are taken away." Thomas Jefferson

The more time you spend in India ,the more you realize that this country is one of the worlds greatest wonders-a miracle with a message. And the message is tha democracy matters." Thomas friedmann

Article 19(1) of the constitution of India also confers on the citizen of India the right to "freedom of speech and expression" the freedom of speech and expression means the right to express one's convictions and opinions freely by word of mouth ,writing ,printing, pictures or any other mode. It also includes the right to propagate or publish the views of other people. Article19(2) provides for a number of grounds for imposing reasonable restrictions on this right. These are the interests of the sovereignty and integrity of india, the security of the state , friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. only content that falls within these parameters as authorized by law could legitimately be considered objectionable. Rather than defining a new category of objectionable speech what therefore would be useful is to assess all of India,s laws and policies as they relate to freedom of expression against these standards set by the constitutions.

Social media has the power to reach the masses and distribute information, which in turn has resulted in everyone acting as a watchdog, scrutinizing the powerful and exposing, mismanagement and corruption. Several cyber crimes, defamation, invasion of privacy, incitement of offences, racist remarks, stalking, abuse, hacking, harassment and many more cab be easily committed through social media and one such objectionable content is uploaded, it becomes viral and consequently, very difficult to contain.

In the year 2008 India has used social media for the first time at the time of Mumbai attack and is 2009 national election. With the advent of social media the format of Indian politics are ornamenting itself with new format and helping the different political parties to fetch their ideas and intention to the 38% youth as well as the rest of Indian. Social media are the main instrument in the hands of Indian politics to motivate and convince with the idea and information. The tranquil result of 2014 loksabha election and 2015delhi legislative election can noted and total responsibilities goes to the social media.

The social media can be classified in to different forms like blogs, microblogs ,photo sharing, social networks, video sharing, virtual worlds, social bookmaking, product reviews etc. The social media has become the members of every households and with taking the benefits of that the political parties are spreading their own feet. The social media has also became the instrument in the hands of pressure group as well the citizen of the country to restrict from doing anything injustice and improper. The social media also take the simple task to more critical note without any justification and as a result it sometimes taken with a negative note. Starting from illiterate to exponent, everyone is the member of social media and according to the accumulation of knowledge the person will treat with the post. few sub conscious miscreants are glued with social media to spread the rumors and pollute the tranquil environment for a specific benefits and in doing so they sometime get success and sometime face the bitter. With the help of social media every political parties are spreading its root to every households and it is not that they are spreading with fore but people are accepting with the periphery of entertainment. 2014 Loksabha election and 2015 Delhi Legislative election are most important example of use of social media. Live debate , agenda setting, dissemination of political ideas etc. Can easily be reached blink of time.

Impact of social media in Indian politics and other areas :

Election and social media : Social Media and politics are most important and too integral part of the democracy and one cannot be expected without others. Media allows its citizens to take smooth and prospective part in the process of different election procedure. Politics and media are two different tire of democracy and without proper balance the vehicle called democracy cannot be used or dive. With the advent of media the politics become more possible than early and every information and decision can be communicated to the citizen in right time and situation .without media politics cannot be expected and without politics media too cannot be dream of . starting from the announcing the date to till result the media works as the most effective and most important part and it too works after that too. In the run of globalization and modernization the media must be well developed and

media person must be well knowledged to go parallel otherwise one will lack behind to others and there may be some collision. Convergence has made everything possible and affordable too.

Now coming to Lok Sabha elections of 2014 will wide spreading social media change the fate of political parties. The analysis of Indian demographics needs to be studied . the internet penetration in India is not very high but the number of users in increasing very fast. As per the research conducted by the IAMAI and IMRB international in June 2013, the internet usage has gone up drastically with 190 million active users in June 2013. Out of these 130 million are urban users and 60 million are rural areas. NRI population of India is 25 million .this population is active user of social media. When taking about age profile of voters facts indicate that India will be going for polling in 2014 with a younger electorate. The age group of 18-35yrs now constitutes 31.3% of the population (census 2011). According to the census of 2011 ,India population is 121.01 crore , out of which urban population is 377,105,760(31.16%) according to internet and mobile association of India (IAMAI) about 74% of all internet users in Urban India use social Media. This indicates that social media can play a vital role in influencing urban Indian population. But the rural India population is 833,087,662 or 68.83%. thus a large majority of Indians live in rural areas with literacy rate of 68.91%. Previous election have shown that the rural voter influences the results. Voting by rural people has always been more than by the urbanites. Analysis of the above figures show that since rural population is more but literacy rate is less they are less likely to be influenced by social media, which not only requires literacy, but also a person should be tech savvy. Moreover, in India there are multiple factors which influence an individual voting decision Indian voters. Both urban and rural keep caste, religion, community sentiments above all other considerations.

In the matter of democratic election in the unbiased mass media are most essential. This cannot be categorized as the free and fair election procedure by casting a vote in proper condition but to make the people will informative and well educated about political parties, different policies, candidates, elections process, so that voters can make independent choice at the time of casting their valuable votes. Without the existence of independent media and free and fair elections, India would not be able to describe itself as the world largest democracy. Being the fourth pillardemocracy media should perform its responsibilities as the watchdog more consciously at the time of election, prior to the rise of modern electronic media the political information was fetched through print media or by direct personal contacts. But with advent of modern forms of mass media the election process has become simpler and speedier . in the eon of modernization and globalization the relationship politics and media are inseparable and cannot be expected their disperse from one another.

Digital democracy : Democratic values can evolve when people have freedom of expression. In this way social media enables the concept of digital democracy through these platforms of freedom.

Setting accountability : Social media acts as an instrument that can question the seemingly invincible governments, make them accountable and bring sustained change driven by people beyond one vote in years.

Giving voice : Social media has enormous power to keep people informed. This can be seen, when social media played a critical role in the Arab Spring in places like Tunisia, it was heralded as a technology for liberation.

Civic engagement : Social media's implications for civic engagement are profound as many people tend to discuss and debate news over these platforms.

Social Media and C-Governance : Social media has led to the emergence of citizen led governance (C-governance) in India. Anti corruption movement by Anna Hazare and protests followed by Nirbhaya gang rape were channelized through the social media. These events garnered enormous national and global support by involving the common man.

Anti–corruption Movement : Anna hazare initiated a satyagraha (fasting for a nobel cause) movement for passing a stronger anti corruption Lokpal bill in the Indian parliament . He started hunger strike when the demand was rejected by Indian government. The movement attracted attention in the media, millions of supporters inside and outside of India. People showed support through social media such as facebook and twitter. Online signature campaigns like avaaz got more than 10 lakh signatures in just 36 hours. This led government to seriously consider the introduction of Lokpal bill in parlimanet.

Delhi Rang Rape : The 2012 Delhi gang rape and number case involved a rape and fatal assault that occurred on16 December 2012 in munirka a neighbourhood in south west Delhi . which made peoples collective anger to blast and come out on streets. Nationwide protests at India Gate are in New Delhi was a peoples movement and it was the scruples of the people who made them come out and demand justice for Nirbhaya. Social media played a

pivot role in mobilizing people to India Gate. No doubt T.V. was telecasting all the developments in the case but is was mobile phone which was updating those setting on streets. The massive protests led the government to set up justice verma committee to bring changes in rape law. Later on the criminal law (Amendment Bill 2013) was passed by the Lok sabha on 19th march ,2013 and by the Rajya Sabha on 21st March ,2013. The amendments brought stricter punishments for the rapists.

Telangana Movement : The recent development on Telangana issue depicts a clear picture of how the social media is influencing administrative issues on 30 july 2013, the congress working committee approved recommending a motion for a separate Telangana to the central government accepting the 57 year old demand of people of region. The telangana movement was bolstered with the active participation of students way back in 1969. Since then students movement has been a backbone to spread the movement across the 10 districts of telangana and making a people movement . social media has played a big role in student movement several facebook communities have been set up which helped bring the people together.

Social media has also enabled greater political awareness and organization which has in some cases rewritten entire political landscapes. The impact has been seen both in Indian political scenario and overseas.

Conclusion : The advent of social media has enabled an unprecedented empowerment and engagement of the(AAM AADMI) for expressing political opinions. A positive development of social media emergence has been that the youth is talking about the political issues. Earlier the political discussions were restricted only to those who read newspapers, watched news channels or participated in discussions in nukkad of a village or clubs. But now social networking has made the youth of India to sit up and discuss political issues. They spend time to analyze and discuss politics. They now have views on the happenings of political events and they also influence the administrative decision making. But getting the youngsters together to vote in elections and using social media as a platform to help political parties is still a pipeline dream .social media revolution in the Indian political space is real tangible and accelerating. Though it may bring in huge changes immediately but still it will play an important role in creating political awareness, which in itself is a huge step forward for a developing country like India.

References :

1. Census of India 2011 Report , The registar general and census commissioner, India, New Delhi, Ministry of Home Affairs, Government of India
2. Foulger, M. (2013). Social media's role in the 2012 US election : Obama breaks twitter records posted in the news and events parent category on November 7, 2012
3. Vargas. J.N. (2012). The political power of people is greater than the greater than the people in power : A memoir by weal ghonim published by Houghton Mifflin Harcourt.
4. Mishra kaveri (2013). "Impact of social media in Karnataka assembly elections a myth"
5. India mobile association of India, (2013). Research report "Internet in India 2013"
6. Narasimhamurthy, N. (2014) use and rise of social media as election campaign medium in India, Retrieved from
7. https:/www.researchgate.net/publication/311948076_Analyzing the impact of internet in Rural India.

Bibliography :

1. Why are India's media under fire'' BBC news .12 January 2012.
2. Sharda, P.V.1989.- Impact of Television on Rural areas, communicator, vol.25
3. Hena Naqvi (2007). Journalilsm and mass commnunication. Upkar Prakashan. pp.42-ISBN978-81-7482-108-9.
4. S.B.Bhattacherjee (2009). Encyclopaedia of Indian events and dates sterling publishers Pvt.Ltd. pp.A119.ISBN978-81-207-4074-7.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 5-7

Changing Patterns of Social Stratification in a North Indian Village

Sudhir Kumar*
*Assistant Professor, Department of Sociology, Government Degree College, Muwani, Pithoragarh, Uttarakhand

Abstract : The study of Social Stratification has developed as an important field of sociological inquiry. In this context the present study focuses upon the following specific questions. First, what was the traditional pattern of social stratification in the rural society? Second, what is the pattern of social stratification in the rural society in the present context? And the third, what are the main factors which have contributed to the change in the traditional pattern of social stratification. All the above issues have been studied at a micro level i.e. in a rural setting of Western U.P. The empirical study reveals that there is still a wide gap between the respondents of the different castes according to the land holding, education and the adopation of the various development programmes. Many of these are searching the employment in the urban areas. Some mobility has been possible.

Keywords : Social Stratification, Rural society, Inequalities, Class polarization, Bourgeoisiefication etc.

Introduction : The study of Social Stratification has developed as an important field of sociological inquiry. In Indian society inequalities not only exist in the most extreme form but are also visible in almost every sphere of life though some changes have been taking place as several measures have gone into since independence. In order to study these changes in the patterns of inequalities in a systematic way sociologists have used several concepts. We speak of stratification when a society is more or less clearly divided into a number of groups or categories which are arranged in a hierarchical order. In case of rural India these categories are still recognized largely in terms of castes (Andre Betellie, 1972 :123). There is whole range of relations in rural India centering on the ownership, control and use of land. He has identified at least three forms of inequality: (1) between landlords and tenants, (2) between landowners and wage labour and (3) between large, medium and small proprietors. Some of the sociologists and social anthropologists have studied social stratification in various parts of the India and defining the criteria of stratification in the rural society. Some of them may be quoted here.

The mode of production debate highlights the issue related to the nature of agrarian class structure and differentiation of peasantry. Their studies refer to the forces and factors of class polarization, exploitation, bourgeoisiefication of the peasantry and pauperization of the rural working class. Thus the basic concern is the study of origin, structure and change in caste and class in India. Now the increasing tendency is to analyse social stratification from a pluralistic conceptual frame work by treating both conflict and consensus as two dimensions of the same reality (K.L.Sharma, 1997:38-41).

Statement of the Problem : Whether overwhelming inducement of factors and forces have changed to some extent the above categories in the present times? How the change, whatever, how the tacking can be understood by the categorization as described? Constitute the trust for inquiry. In this context the present study focuses upon the following specific questions. First, what was the traditional pattern of social stratification in the rural society? Second, what is the pattern of social stratification in the rural society in the present context? The third, what are the main factors which have contributed to the change in the traditional pattern of social stratification? The fourth how far and the emerging pattern can be understood by the native categorization used and proposed by earlier authors.

Area of study : The above issues have been studied at micro level in a rural setting in Western U.P. namely village Dulkhara in Bulandshahr district. The district lies in western part of Uttar Pradesh, which is located between the Yamuna and Ganga Doab. According to 2001 census, the total population of the village is 2972 and 1637 is the recorded number of voters as per electoral list (2007). The village consists of 388 households. The religious composition of this village is made of Hindu (343 households) and Muslim (45 households). Each religious group is divided into the different castes. There are 13 castes in all in the village. Hindu religious group consists of nine castes i.e. Brahamin(2), Rajput(68), Jat(17), Saini(48), Dhamar(24), Kumahar(34), Jatav(123), Dhobi(19) and Balamiki(8). Muslim religious group consists of four castes i.e. Ansari(24), Badai(3), Luhar(2) and Fakir(7). Each local caste group of Dulkhara village comprises of one or several lineages- patrilineal and patrilocal groups. Each lineage has been named or nicknamed after a prominent member. These groups are known as *Khandans*. The village is divided into 41 *Khandans*. Prestige of the *Khandan* plays an important role in

the social stratification. To take note of the facts interview, general observations and case study methods were used. The fieldwork was done during the later part of the year 2007.

Methodology of Identification : At the present time there is no general agreement among sociologists as to what factor or combination of factor delineates a social class. In this way social stratification is to be considered as based on income, occupation, status perception, community power, cultural difference or a combination of these. Thus the most promising theoretical development of the past few years has been the increasing recognition of the range of alternative factors in stratification and their possible relationship and combinations. This may be labelled as the multidimensional approach to class phenomena (Gordon,1963: 89). We have identified four local socio-economic categories in this village. These categories are *Maladar Kisan, Gentlemen Kisan, Gujara-Karne-Waale* and *Mazdoor log*. These categories are different from one another on the bases of land ownership and control of land, use of labour, size and nature of construction of the houses, education in the family and adoption of the various development programmes.

Traditional Pattern of Social Stratification : Traditionally, the pattern of stratification in India, which was based on caste system, did not permit status mobility on any extensive scale, although in exceptional cases mobility did take place, the means for such mobility were migration of castes to distant regions, improvement in caste's status through accumulation of wealth(Singh,1977:139). Traditionally, there were 13 castes in the entire village. The religion composition of this village was made of Hindus and Muslims. Agriculture was a commom occupation for Rajput, Jat and Ansari caste. They did not cultivate the land them self. They had Naukers and sharecroppers. A few families of Rajput,Jat and Anasir were Zamindar. Rajput was the dominant cast, but they were not numerically preponderant. They hah more land in his hand in this village. One Khandan of Jat family came from the other village, after some time they had equal land, prestage and social status like the Rajput. In this way Rajput and Jat were placed at the highest level in land ownership. Mostly Saini families owned the 10 to 15 Bighas of land and grows vegetable in their field. Only one Saini family hah claimed their status of Rajput and Jat. Tha jajmani system was exist in this village. Lower castes of this village persons like Balamiki, Dhobi, Kumahar, badi and Luhar provides services to Brahamin, Rajupt, Jat and Ansari. Jatav caste families were providing the service as Naukar in the Rajput and Jat. The Balamiki families, all of them subsist their earning through their traditional scavenging work within the village. Dhobi were washer man, Kumahar were potter. Among Muslims, only artisan castes such as Badi were associated with carpenter, Luhar were associated with blacksmith. The functions of Babi and Luhar were required in repairing and manufacturing agricultural tools and implements.

Emerging Pattern of Social Stratification : In the present context above traditional pattern we find native categories of *Maladar Ksisan, Gentlemen Kisan, Gujara-Karne-Waale* and *Mazdoor log*. The *Maaldar Kisan* is one who has independent land holding and works in the fields with the help of Mazdoor or Naukar. They have the ownership of more than 45 bighas of land and have agricultural implements like tractors, thrashers, electrified tube wells, auto vehicles like car and motorcycle etc. They employ on average two Naukar. Naukar receives his daily food and his dress half yearly or annually. There are 11 Maaldar Kisan householdes in this village. Out of 11, 5 Maaldar Kisan households belong to Rajput caste, 4 belong to Jat caste and 2 belong to Jatav caste. The Maaldar Kisan and their children are using advance communication equipments like mobile phones and landline phones. We have found that all types of modern entertainment amenties like T.V. with D.V.D. player, newspaper, radio etc are also available in their houses.

A new class of *Gentlemen Kisan* is also observable is not only recruited from a wide range of castes and traditional strata but it is also attracting people by its wide variety of skills and experiences in rural society. They do not longer belong to the traditional landowning upper castes. They are the people who have retired from civil, teaching and military services and have invested their savings in agricultural farms. They constitute a 'new type' namely Gentlemen Kisan, who often successfully uses their wide range of knowledge, experience and social contacts to develop a viable organization on their farms. By inheritance they owned 10 to 18 Bighas of land. They bought some land fore the money/fund they earned at their retirement. Now they cultivate 18 to 26 Bighas of land. They are more educated in comparison to others. Childern of Gentlemen Kisan goes for education to the Montansary School and English medium in another village. There are 38 households of the Gentlemen Kisan in this village. Out of 38, households of Gentlemen Kisan 5 belong to Rajput caste, 4 to Jat caste, 6 to Saini caste, 4 to Kumhar caste, 12 to Jatav caste, 3 to Dhobi caste and 4 to Ansari caste (Muslim).

Gujara-Karne-Waale Kisan own 8 to 35 Bighas of land. They have the ownership or without ownership of the both the means of production and tools of production for cultivation. Some of the households in this category also have employed a Naukar. The family members of such Kisans work on the field, but, in the peak season they also hire Mazdoor. They do not own of tractors and thrashers but they do have diesel engines, electrified tube wells and rubber tiered wooden cart etc. Besides these farm implements, they also have four to five buffaloes and cows as milk cattles and sell their milk. They are neither in a position to go for improvement of their land nor could they afford new technology. Childern of Gujara-Karne-Waale kisan goes for education to the local primary school and Montansary School. They themselves are not more educated. They are at the most educated up to high school. Mostly, they are benefitted for the rural development programmes like credit cards. Some of such households are depend on the moneylenders for the credit needs. There are 164 households of the Gujara-Karne-Waale kisan. Out of 164, Gujara-Karne-Waale kisan households 2 belong to Brahmin caste, 51 to Rajput caste, 9 to Jat caste, 30 to Saini caste, 16 to Kumahar caste, 29 to Jatav caste, 17 to Dhobi caste, 15 to Ansari caste, 3 to Badhai caste and 2 to Luhar caste.

Mazdoor-log is one category which is popular in the local parlances who sell their labour in agriculture and other allied activities. In this way, Mazdoor log play a vital role in the process of production. Their distribution is also found in nine castes. There are 175 households of the Mazdoor-log. Out of 175, households 7 belong to Rajput caste, 12 to the Saini caste, 24 to Dhimar caste, 14 households belong to the Kumahar caste, 80 households belong to the Jatav caste, 9 to Dhobi caste, 8 to Balimiki caste, 14 to Ansari caste and 7 to Fakhair caste. The Mazdoor-log are further divided into two sub-categories i.e. Naukars and daily wage laborers. The Naukars are employed on contract basis for ten or twelve months in a year with advance payments without interest. Daily wage labours employed only for certain days on piece rate or on daily wages. The normal daily wage rate in the village for male labourers is Rs 100 per day and for female labourers is Rs.70 per day. At the time when wheat and sugarcane are harvested, the village faces acutule shortage of Mazdoors. Now a days Mazdoor come from Bihar as well as West Bengal. Some of the Mazdoor of this village in the potato season go to the near by villagess. The traditional occupation of the Kumahar and Dhimar castes have undergone changes. Kumahar were traditionally known for earthen pottery making. Now some Kumahar families are engaged in the photo grapy and bus driver.

Conclusion : By now the position has become more significant in the wake of the credit facilities and increase new contracts with state agencies and banks have become more meaningful. Rajput and Jat castes person have utilized the credit facilities from the formal institutions. But the remaining others castes depend upon these castes. Thus actual control over the panchayat is now in Rajput and Jat hands. But Jatav and Ansari castes persons are also play a significant role in the panchayat election because they have more numerical strength in comparison others castes.The traditional power structure has been changed with formal character and new power groups emerged. Today, power does not always go with ascriptive status. It largely depends on a variety of factors, such as land holding, economic as well as numerical strength, modern education, contract with the urban areas and government functionaries and political parties.

References :

1. Beteille, Andre 1972:"Agrarian Relations in Tanjor District South India", Sociological Bulletin, Vol.2, No.2, pp: 122-151
2. Beteille, Andre 1974: Studies in Agrarian Social Structure, London, Oxford University Press
3. Bose, Pradip kumar 1995:"Transformation of Class Structure in Contempory Rural India", in K.L. Sharma (ed.), Social Inequality in India, Jaipur, Rawat Publications, pp: 279-296
4. Gordon, Milten M. 1963: Social Class in American Sociology, New York, Mcgraw-Hill
5. Jain, Ravindra K. 1977:"Classes and Classification among the Peasantry of Central India: Relations of Production in Village Parsania Madhya Pradesh", Sociological Bulletin, Vol.26, No.1, pp: 91-115
6. Mukherjee, Ram Krishna 1957: The Dynamics of Rural Society, Berlin, Academic Verlag
7. Ouden, Den J.H.B. 1979:"Social Stratification as Expressed Though Language: A Case Study of a South India", Contribution to Indian Sociology, Vol.13, No.1, pp: 33-59
8. Pathy, Jaganath 1995:"Social Stratification in an Orissa Village", in K.L. Sharma (ed.), Social Inequality in India, Jaipur, Rawat Publications, pp: 347-368
9. Sharma, K.L. 1997: Social Stratification and Mobility, Jaipur, Rawat Publications
10. Shah, S.M. 2005:"Rural Class Structure in Gujarat", in A.R. Desai (ed.) Rural Sociology in India, Bombay, Popular Prakashan, pp: 287
11. Singh, Yogendra 1974:"Sociology of Social Stratification", in ICSSR's, A Survey of Resear Anthropology, Vol.I, Bombay, Popular Prakashan, pp:311-382

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 8-10

A Study of Role of 'Decentralized Planning Process' in Natural Resources Management in Madhya Pradesh

Dr. Akshay kumar jain*
***Assistant Professor (Economics), Govt. Chhatrasal College, Pichhore Distt- shivpuri, M.P.

Abstract : To manage the natural resources in the rural India according to the need of the villagers and stakeholders may change the situation of the both poor and natural resources. The possible way for this is to keep the people in the centre of the planning process, who are directly related to these resources.A large part of the country's rural poor people live in the state, in which natural resources have deteriorated to a critical level. Project staff did not care that what problems villagers had but they planned the projects as they wanted and wished. This study makes an overview of the 'Decentralized planning Process' its process and impact on the development of the rural areas so far. The concept of 'Decentralized Planning' was introduced in the Seventh Five Year Plan. Planning Commission Govt. of India directed that each state Government will earmark specific outlay as un-tied fund of the State Plan outlay for 'Decentralized Planning' it was also directed by the commission to formally constitute District Planning Offices.A 'Decentralized Planning' is a process in which decision-making is distributed amongst various group of people or localized within units. 'Decentralized Planning' is held in contrast to centralized planning where economic information is aggregated and used to formulate a plan for development, investment and resource allocation by a central authority. The state government introduced 'Decentralized Planning Process' from the financial year 2001-02 and it has been converted in decentralized and participative planning for the year 2010-11. It has been introduced as a master plan in the five district of MP and applied in the whole state in the next year. 'The Decentralization Planning Process' is creating a solid foundation on which people can build a sustainable future for both themselves and the unique ecological environment on which they depend. It is this long-term commitment, often slow, with setbacks, that helps create the most favorable conditions for sustained development.

Keywords : Natural Resources, Decentralized planning Process, Decentralized planning, TSG, Gramsabha, Gram Panchya etc.

Natural resources are the foundation from which rural poor people can overcome poverty. Poverty is still very much a rural problem. One in five of the world's inhabitants-some 1.2 billion people live in extreme poverty and 75 percent of these live in rural areas. Their livelihoods depend on natural resources, their capacity to use and manage them effectively and the institutional environment in which natural resource management strategies are designed and implemented. Rural poor people are not just 'the poor'; they have faces and names. They are real people: poor farmers, poor fishers, poor nomads and poor women producers. Overcoming poverty means individual and collective empowerment, strengthening productive and income generating capacities and increasing opportunities. This require a clear understanding of the activities of poor people and of the natural, social, economic and political environment in which the live. It also requires supportive policies, institutions services and investment. A large part of the country's rural poor people live in the state, in which natural resources have deteriorated to a critical level. Project staff did not ask what problems farmers had, but rather what they wanted to do and how they wished to do it- and each has effectively applied lessons learned in the previous project, shifting from supply-to demand-driven service management by communities.

Many committees and commission have strongly advocated adoption of 'Decentralized Planning' approach among these the committee headed by Balwant Rai Mehta (1957), took the first step. This lead was followed among others by Ashok Mehta (1978), Hanumant Rao (1984), GVK Rao (1985) and Ramachandran (2006). The concept of 'Decentralized Planning' was introduced in the Seventh Five Year Plan. Planning Commission Govt. of India directed that each state Government will earmark specific outlay as un-tied fund of the State Plan outlay for 'Decentralized Planning' it was also directed by the commission to formally constitute District Planning Offices. Following these instructions District Planning Offices were formally established in 1988-89 in the state. The 73rd and 74th amendment of the constitution made compulsory to make district plan. The state government introduced 'Decentralized Planning Process' from the financial year 2001-02 and it has

been converted in decentralized and participative planning for the year 2010-11. It has been introduced as a master plan in the five district of MP and applied in the whole state in the next year. A 'Decentralized Planning' is a process in which decision-making is distributed amongst various group of people or localized within units. 'Decentralized Planning' is held in contrast to centralized planning where economic information is aggregated and used to formulate a plan for development, investment and resource allocation by a central authority. 'Decentralized Planning' can take shape both in the context of rural areas as well as in urban areas also.

Usually this implies some form of democratic decision-making within the area, in the form of economic democracy. Recent proposals for 'Decentralized Planning' have used the term participatory planning to highlight the co-operative and democratic character of this system and to contrast it with centralized planning associated with the former Soviet Union. 'Decentralized Planning' has been proposed as a basis for socialism and has been advocated by democratic socialists and anarchists who advocate a participatory form of socialism while rejecting Soviet-type central planning. Some writers (eg. Robin Cox) have argued that decentralized planning allows for a spontaneously self-regulating system of planning in turn, decisively overcomes the objections raised by the public.

Some decentralized participation in economic planning has been implemented in various regions and states in India, most notably in Madhya Pradesh and Kerala. Local level planning agencies assess the resources and needs of people who are able to give their direct input through the Gram Sabhas (village-based institutions) and the planners subsequently seek to plan accordingly.Under this process Technical Support Group (TSG) are formed to facilitate the villagers. Each TSG facilitate 2-3 Gram Panchyats or 4-6 Gram-Sabhas. Each TSG contains 5-6 well qualified, trained and specialist members who are related to the different core sectors ie Education, Health, Energy, livelihood, agriculture, infrastructure etc. apart from this active NGOs, volunteers, janabiyan parishad also included in. TSG does not make the plan but only facilitates to the villagers. The TSG divides whole village in four categories named- SC/ST, Women, Disabled, Other and discusses separately with them to find their problems, resources and possible solutions. The following planning process adopted, **1.** Identification of issues by Gram Sabhas, based on the vision of the Panchyat, which has already been prepared or is discussed simultaneously with Gram Sabhas **2.**
Determination of solutions by working groups and standing committees (Gram Vikas Samiti or Gram Niyojan Dal) of the village Panchyats. **3.** Prioritization of solutions and fund requirements by standing committees of village Panchyas resulting in the preparation of the first draft village panchyat plan. **4.** Reconsideration of the draft plan in the second Gram Sabha meeting. **5.** Finalization of the sectoral plans by standing committees. **6.** Finalization of the village Panchyat plan by the full meeting of the Panchyat.

One of the missions of 'Decentralized PlanningProcess' is to reduce rural poverty "Enabling the rural poor to overcome poverty" pervades its strategic framework for 2012-2017(12^{th} five year plan). Its experience has demonstrated that, secure access to natural resources and to the technologies to exploit them productively and sustainably are important steps in the process of poverty reduction. Indeed one of the main core objectives of decentralization planning is "improving equitable access to productive natural resources and technologies". Community-based natural resource management is the focus of over 50 percent of the decentralized planning process. This process addressed a wide range of natural resource development issue- land, water, forests, fisheries and rural institutions. Governance, culture and partnership also assumed greater roles.

The Technical Support Groups have empowered communities to rebuild their livelihoods based on natural resources and to restore their 'lost' knowledge- using the communities' cultural identity and pride as driving forces for change. Water is at the heart of subsistence and production in semi-arid areas – both for human and livestock use and for irrigation. During the field survey and analysis of DPP data it has been found that hand pumps, Samudiyakkoop, Kapildharakoop and a large number of small dams were proposed for water storage. Due to discuss among the farmers about technological change and increase the capacity of farming communities to undertake their own development activities a large number of farmer demandedagricultural machinery, manure and hybrid seeds consequences tomato, onion and garlic cultivation area is increasing rapidly in the district Shivpuri.

Planting trees for fuel wood is not always the best way to solve energy shortages in remote, rural poor communities. When the need is immediate and forest resources are badly depleted, one alternative in such circumstances is biogas. It is advised to the villagers. Farmers needed support during this process, so well-

respected local leaders and women (members of SHGs) were trained to provide advice on cultivation practices, run on-farm trials and disseminate information. 'Short-chain' market linkages were also established by Agriculture department and Mandi Board to connect rural production to urban demand for produce. The local mining community also proved to be a good market. The provision of drinking water to over 500 Panchyats in district Shivpuri and the construction of over 25,000 latrines not only reduced domestic drudgery for women and improved household hygiene, but also served as incentives to bring about change in community attitudes and behaviour. 'The Decentralized Planning Process' approach is to involve communities as a whole and to empower them to take responsibility for the changes by offering financial and technical support. 'Gram Niyojan Dals' were formed within village communities to facilitate the process, and a large number of households had mobilized towards the managing and maintaining of natural resources.To apply the 'Decentralized Planning Process' the first and most critical hurdle was to harness the strengths of communities to enable them to fully participate in the planning, construction and, ultimately, the operation and maintenance of the schemes. This was a key ingredient missing from most past planning processes.

However, local capacity needed strengthening to make the best use of participatory methods. To overcome this problem many training programmes were organized for public representatives (JilaPanchyatSadasya, JanpadSadasya, Sarpanch, Panchs etc.), local leaders, NGOs, TSGs and local government servents (Patwari, Teacher, Anganwadi Workers, Health workers, Panchyat secretary etc.) at district and JanpadPanchyat level. The second problem was that planning process should be simple and free from typical economic termology so that villagers could easily understand it. To solve this problem simple participatory and Gram Sabha model adopted. The third problem was to ensure a good return on investment in terms of productivity and income and this required optimum use of Natural Resources in point of view sustainable development. For the sake of example a mix of crops may meet both local food needs and the demand for high-value cash crops for urban markets, such as groundnuts and vegetables.'Decentralized Planning Process'includes activities of construction of new buildings, stop-dams, schools, puliya, roads etc. and rehabilitation of existing irrigation infrastructure; domestic water supply and sanitation facilities; marketaccess roads; village extension services; farmer-managed on-farm trials; technical training for farmers and district government staff; credit facilities; general strengthening of local institutions such as Panchyats also.

Less tangible is the change taking place in the mindset of the people. Gram Sabhas and SHGs have instilled a sense of confidence in communities, and the groups are now seen as a means of breaking with the past. 'The Decentralization Planning Process' is creating a solid foundation on which people can build a sustainable future for both themselves and the unique ecological environment on which they depend. It is this long-term commitment, often slow, with setbacks, that helps create the most favorable conditions for sustained development.

References :

1. Manual for Integrated District Planning, Planning Commission of India, New Delhi,2008
2. Leena Gaikwad, Mika Iwaoka, Saloni Tandon, Sereena Singh, Decentralised District Planning in MP, Role of Technical Support Groups, Indian Institute of Forest Management, Bhopal, 2013.
3. Gramin Vikas Mantralaya-barshik Report 2014-15, GraminVikas Mantralaya, Bharat Sarkar,2015
4. Mangesh Tyagi, Working Paper on District Decentralised and integrated planning Madhya Pradesh, poverty Monitoring and Policy Support Unit (PMPSU) MP state Planning Commission, Bhopal, 2014.
5. Kumud Sharma, National Policies for Natural Resources Management Marginalization of Poor Rural Women.
6. Madhya Pradesh Development Report, Planning Commission, Government of India, Academies Foundation New Delhi, 2011.
7. Prof. R.S Deshpande, Prof. B. Chakravorty, Report of The Working Group on Decentralization Planning in Agriculture for XII plan, Planning Commission of India, 2011.
8. Yojana, Ministry of information and Broadcasting Govt. of India, New Delhi, March-2007
9. Graminvikaskenayekshitij, Subah Singh yadav, Manak publications pvt. Ltd. Delhi-1994
10. Census-2011, Govt. of India
11. Singh N, Women's participation in local water governance: Understanding institutional contradictions. Gender,Technology and Development (Special Issue on 'Gender and Environmental Governance'),2006
12. Decentralized Planning Experience in Madhya Pradesh, M.PState Planning Commission,2012-13
13. Aditya shashtri,"Fiancial inclusion in Madhya Pradesh A study with reference to rural population" Journal of Business Manaement and social sciences research, vol.3,No 12, dec.2014.
14. The Economic Times, Delhi and Mumbai.
15. पंचायिका, मासिक पत्रिका म0प्र0 शासन

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 11-14

Understanding issues of gig workers in India : A Study of Food Delivery Workers

Jyoti Sharma*
*Ph.D. Scholar, Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow, U.P.

Abstract : In this fast-paced life and busy work schedule, we want everything at our doorsteps. This demand gave birth to many start-ups and the growth of the gig economy. It also led to the increase of digital labour platforms, cloud computing, and platform workers. The workers faced issues of poor social protection coverage, and this was more highlighted during the COVID-19 pandemic. This research paper will discuss issues pertaining to gig economy workers by analysing secondary resources such as newspaper reports, research and government policies.

Keywrods : Gig economy, platform workers, Covid-19 pandemic, Workers issues, Social protection etc.

Introduction : The busy work-life and fast pace life have made us accustomed to ready-made goods, whether it is food, raw materials, or clothing, and we expect everything to arrive at our door within minutes. These lifestyle changes led to the growth of the gig economy. In a gig economy, a high number of individuals work as independent contractors or in part-time or temporary roles. A gig economy results in cheaper, more efficient services for those willing to use them, such as Uber or Airbnb. People who do not use technical services such as the Internet may be left behind as the benefits of the gig economy become unavailable. Cities have the most established services and are the most firmly rooted in the gig economy (The Investopedia Team, 2022). With the advent of the "Gig Economy," "Platform Economy," or "Gig Work," this paradigm has undergone a dramatic upheaval. The work comprises non-standard income-earning activities performed outside of traditional, long-term employer-employee relationships and is typically undertaken for a short period of time or on a project basis (*What Is a Gig Worker?*, n.d.). Gig work includes both online and offline labour, such as freelancing for brief periods of time or looking for work using mobile applications. The gig economy has changed the way people think about work. However, this is only true for a subset of online employees. These employees are digitally savvy and can provide services remotely. The bigger platform economy, which includes tangible services that have become a part of everyday life in cities, follows a distinct trend. Workers in the platform economy are considered self-sustaining entrepreneurs, despite the fact that they provide services on behalf of other well-established firms. Initially, gigs provided fair pay for food delivery workers as part-time or full-time employment. However, this is no longer the case. Companies recruit and fire platform economy workers with little or no social and health coverage commitments (Deloitte 2018). These assurances are especially important for a rising country like India, where the young population aged 15 to 64 years old accounts for 67.27 per cent of the population as of 2020 (O'Neill, 2022).

The busy life and fast-paced metropolitan life gave birth to many startups like Swiggy and Zomato. These start-ups provide food delivery services to doorsteps. It is a software application in which customers can order food, and it allows restaurants to accept and manage orders placed over the internet. It is believed that India's online food delivery market will be worth US $21.41 billion by 2026, up from the US $4.66 billion in 2020, and the online food delivery industry will grow at a CAGR of 28.94% from 2020 to 2026 (*India 21.41 Billion Online Food Delivery Market to 2026: Focus on Bangalore, Delhi NCR, Mumbai, Hyderabad, and Pune*, 2021). Changes in lifestyle and eating habits are driving India's online delivery market. People in India choose ready-to-eat meals at a lower cost due to their hectic schedules and increased discretionary cash. Food delivery alternatives have grown in popularity, particularly in metropolitan areas, due to the ease with which they can be obtained with a single click. Furthermore, increased digitization among millennials and an increasing share of working women in India are pushing India's online meal delivery trends. Furthermore, COVID-19 lockdowns have benefited India's online food delivery sector by satisfying the desire to dine outside. Contactless delivery services have been offered by a number of major firms, including Zomato, McDonald's Corporation, and Domino's Pizza Inc (*India 21.41 Billion Online Food Delivery Market to 2026: Focus on Bangalore, Delhi NCR, Mumbai, Hyderabad, and Pune*, 2021).

Though this industry is growing at a very fast rate, the issue of employee safety and security needs to be addressed. Employees frequently complain about job insecurity, variable pay, low base pay, a lack of long-

distance return bonuses, and alleged absences of first-mile pay (Sodhi, 2021). The first section of the paper discusses the gig economy in India. The second section of the paper layouts issues faced by gig workers. This paper will analyse secondary resources such as newspaper reports, research conducted on gig workers and government policies made for gig workers.

Gig Economy in India After the United States, China, Brazil, and Japan, India has surpassed them to become the world's fifth-largest labour market for gig workers. With 15 million qualified workers, India accounts for over 40% of all freelance work accessible globally, bolstering the ever-increasing demand for contract-based jobs or the freelancing industry (Tayal, n.d.). According to an ASSOCHAM study, India's gig economy would develop at a 17 per cent CAGR to reach the US $455 billion by 2024, with the potential to grow at least twice as fast as pre-pandemic estimates (Tayal, n.d.). Another prediction is that by 2025, India will have 350 million gig jobs, providing a great opportunity for job seekers to thrive and adapt to changing work dynamics (Tayal, n.d.). India has a very large availability of cheap labour, which gives businesses an opportunity to extract maximum benefits from workers.

The concept of the gig economy has a lot of pros and cons. First, the gig economy is flexible. Many independent employees in the gig economy find that their situation gives them a great deal of flexibility. There are several alternatives for gig economy employees, ranging from working the hours they choose to work where they want. Workers are frequently able to work at times and on days that suit them and their requirements. Some people may find that early mornings on weekends are the best time to get their work done, which may not be possible with typical employment. Workers are frequently offered the option of working from a remote office or from home. Second, gig economy workers have a diverse set of tasks to do. Instead of the same, repetitive duties to be completed each day, each project or gig may have a variety of components that make the work exciting. Workers may discover that they are more enthusiastic about projects and are able to be more creative with their job since it offers new task everyday. Apart from the many pros of the gig economy, it has many cons as well. First, benefits are not included in the majority of gig economy work. The workers employed usually work on a part-time basis or on the basis of a contract; therefore, many benefits and many company policies are not given to workers. Second, the workers are responsible for their own personal expenses required for work. For instance, they are supposed to use their own laptops, cell phones, bikes, etc. Third, some employees may find the remote, disconnected lifestyle of the gig economy to be an issue. Often, freelancers do not come into the office or workplace, and so they miss out on the many social aspects that happen in the office or workplace. Gig economy workers usually find themselves spending their days alone, working from home or a remote location. While this increases flexibility, it may also lead to isolation from coworkers and a sense of being excluded. Fourth, workers in the gig economy have to constantly look for their next gig or be prepared for changes in their present one. This might cause stress since most individuals value feeling secure and stable in their jobs. Workers in the gig economy may suffer sudden changes in their positions, such as getting laid off or having their compensation reduced.

Issues faced by workers : During the pandemic, the distribution agents of different platform economic services served as critical service providers. However, delivery people delivering food and goods throughout cities were subjected to unfavourable inspection by officials when they stepped out during lockdowns. In 2020, there were multiple strikes by gig economy employees hired by platforms such as Uber, Ola, Swiggy, and Zomato (Ranipeta, 2020). Many delivery partners work long shifts, driving around tiny roads, risking bad weather, speeding over freeways, and delivering late at night, often dealing with nasty clients, only to make a few extra dollars (Tandon & Bansal, 2019). The lack of safety equipment for platform economy employees may be interpreted as disrespect for their right to a safe existence. Workers' earnings were also lowered as a result of a fall in the number of orders at the start of the epidemic since food delivery was prohibited. The absence of the cash-on-delivery option also contributed to the reduction as clients adjusted to digital payments. Because of the first decline in online meal delivery, food service personnel had to travel more for free. They had to endure long waits in order to reach the minimum number of orders required to earn a good living (Ranipeta, 2020). According to research conducted by Behera et al. (n.d.), 47 per cent of full-time delivery employees work more than 12 hours each day. Furthermore, 39 per cent of part-time delivery partners work 5 to 8 hours per day, and 42 per cent work more than 12 hours per day. Peak ordering hours, such as lunch and supper, with appealing client incentives, contribute to these employees' lengthy working hours (Behera et al., n.d.). The mass suspension of

delivery agents in Bangalore in 2019 was caused by the lack of an effective redressal process. Suspensions were employed as a disciplinary tactic against disgruntled or protesting employees (Medappa, 2021). Suspensions are also said to occur without warning. Workers are also unable to voice any counter-concerns.

An article published in The Hindu discusses how workers working in the gig economy are frequently referred to as the "future" of employment, but its mistreatment of delivery riders shows a shadowy underbelly of poor salaries and no rights. The drill for gig workers is to accept the order on the application, pick the order, and deliver the order to the customer's location. Receive 35rs per batch and 20rs per order. This was the everyday routine for Varadarajan, a food delivery executive who started working in Chennai in April 2018. The distance was less than 4 kilometres for each delivery, and he was guaranteed an extra 80rs if he performed 20 deliveries. He rarely got to make 20 deliveries, so he never received the extra rupee incentive (Nanisetti, 2021). The total net income takes into account factors such as waiting time and distance travelled (Sodhi, 2021). According to a Swiggy spokesman, a delivery worker's earnings are divided into three categories: per order payment, which is related to criteria such as distance travelled and time spent; surge income; and performance bonuses (Sodhi, 2021). Swiggy also stated that their delivery personnel would earn more than 20% more in July 2021 than they did in January 2020 (Sodhi, 2021). So, in a city like Mumbai, a full-time delivery man who works at least 12 hours a day may make Rs 700-1,000 per day, but must spend Rs 400 on petrol (Sodhi, 2021). According to a delivery guy, Zomato also offers them an incentive of roughly Rs 200 if they make at least Rs 575 each day, while a part-time worker would receive Rs 100 for earning at least Rs 275 (Sodhi, 2021). There is no official security for gig workers in India. However, the government of India has included gig workers in the labour law reforms under the social security code. In 2019, the Code of Social Security gave platform economy workers a legal definition and recognition. The word "gig worker" is defined in the Code as a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationships (*THE CODE ON WAGES, 2019 NO. 29 OF 2019 MINISTRY OF LAW AND JUSTICE Vlk/kkj.k Izkf/kdkj Ls Izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY La*, 2019).

The mentioned commitment shall be made by self-assessment and submission of a document demonstrating the number of gig workers associated with it at the start of each fiscal year by June 30th of each year (Tayal, n.d.). The government also appears to realise the importance of gig worker security by establishing the National Social Security Board, which will regulate the welfare of gig economy employees and include five members from aggregator organisations and five representatives from gig workers. According to the Code, the union government must also establish a social security fund for gig economy workers (Tayal, n.d.). However, the code does not include laws regulating wages, occupational safety, and industrial relations under social security legislation.

Conclusion : E-commerce and e-business are two of the fastest-growing industries in the country. These platforms are growing more with the advent of digitalisation, which has further led to the growth of gig workers in India. Many start-ups, as discussed above, provide employment to people but lack the means to provide social security. Various incidents of workers being harrs have been reported.

Finally, it can be stated that the number of gig workers in India is steadily expanding. As a result, a strong regulatory structure that recognises their rights and obligations is essential. Although the Social Security Code of 2020 is a good start in the right direction for safeguarding and regulating such platforms or gig workers, several challenges remain, such as a lack of occupational safety laws and minimum wages, among others. Enabling such a large section of the economy to go unchecked is a huge injustice to these people. In many ways, a legal structure that treats gig workers as though they are normal employees is desperately needed.

References :

1. Behera, A., Harshula, Kaul, V., Sharma, B., Relan, N., & Prakash, A. (n.d.). *Understanding Food Delivery Platform: Delivery Persons" Perspective*. TISS. https://tiss.edu/uploads/files/Online_Food_Delivery_Platform.pdf
2. Biju, A. M. (2021, October 6). *Identifying Food Delivery Workers - A Legal and Human Rights Perspective*. SPRF. https://sprf.in/wp -content / uploads / 2021 / 10 / SPRF - 2021 Identifying – Food – Delivery -Workers_Final-1.pdf
3. Chowdhury, S. (2021, December 13). *Supreme Court Issues Notice On Gig Workers' Plea For Benefits As Workers Of Apps Like Uber, Ola, Zomato, Swiggy Etc*. Live Law. https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-issues-notice-on-gig-workers-plea-for-benefits-as-workers-of-apps-like-uber-ola-zomato-swiggy-etc-187508

4. *THE CODE ON WAGES, 2019 NO. 29 OF 2019 MINISTRY OF LAW AND JUSTICE vlk / kkj.k izkf/kdkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY lañ*. (2019, August(8).e-Gazette. https://labour.gov.in / sites / default / files / THE % 20 CODE % 20 ON % 20 WAGES%2C%202019%20No.%2029%20of%202019.pdf
5. Guide, S. (n.d.). *INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCE AND INNOVATION*. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCE AND INNOVATION. https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Legal-framework-of-Start-ups-in-India-Zomato-A-case-study.pdf
6. *India 21.41 Billion Online Food Delivery Market to 2026: Focus on Bangalore, Delhi NCR, Mumbai, Hyderabad & Pune*. (2021, May 17). GlobeNewswire. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/17/2230423/28124/en/India-21-41-Billion-Online-Food-Delivery-Market-to-2026-Focus-on-Bangalore-Delhi-NCR-Mumbai-Hyderabad-Pune.html
7. The Investopedia Team. (2022, March 31). *Gig Economy Definition*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp
8. Iqubbal, A. (2021, April). *FOOD DELIVERY WORKERS IN INDIA:*. Digital Empowerment Foundation. https://www.defindia.org/wp-content/uploads/2021/04/swiggy-zomato-delivery-workers-india-entrepreneurs-labour.pdf
9. Medappa, K. (2021, March 24). *Bengaluru Zomato worker Kamaraj got a chance to defend himself. Others are not as lucky*. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/zomato-delivery-partner-suspension-food-app-7240416/
10. Medappa, K., Ray, R., & Hussain, S. (2020, November 21). *Confronting Precarious Work
 Beyond social security for platform workers*. ALICE News. https://alicenews.ces.uc.pt/?lang=1&id=31680
11. Nanisetti, S. (2021, AUGUST 21). *Poor wages, punishing hours, and lack of labour rights make food delivery a thankless gig*. THE HINDU. https://www.thehindu.com/society/poor-wages-punishing-hours-and-lack-of-labour-rights-make-food-delivery-a-thankless-gig/article36012013.ece
12. O'Neill, A. (2022, January 19). • *India - age distribution 2020*. Statista.
13. https://www.statista.com/statistics/271315/age-distribution-in-india/
14. *The Pros and Cons of the Gig Economy*. (2018, August 31). Western Governors University. https://www.wgu.edu/blog/pros-and-cons-gig-economy1808.html#close
15. Ranipeta, S. S. (2020, June 9). *App-based drivers, delivery executives protest for adequate safety gear, better income*. The News Minute. https://www.thenewsminute.com/article/app-based-drivers-delivery-executives-protest-adequate-safety-gear-better-income-126197
16. Sodhi, T. (2021, August 14). *'We are slaves to them': Zomato, Swiggy delivery workers speak up against unfair practices*. Newslaundry. https://www.newslaundry.com/2021/08/14/we-are-slaves-to-them-zomato-swiggy-delivery-workers-speak-up-against-unfair-practices
17. Tandon, S., & Bansal, V. (2019, September 18). *The loneliness of the delivery man*. Mint. https://www.livemint.com/news/india/inside-the-lives-of-food-delivery-riders-1568800031736.html
18. Tayal, H. (n.d.). *REGULATING THE GIG ECONOMY IN INDIA: HOW SECURE ARE GIG WORKERS?* SUPREMO AMICUS. https://supremoamicus.org/wp-content/uploads/2022/01/Haini-Tayal-.pdf
19. *What is a gig worker?* (n.d.). Gig Economy Data Hub. https://www.gigeconomydata.org/basics/what-gig-worker

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 15-17

Best Practices in Academic Library and Services

Dr. E.V. Chandankhede*
***{Librarian}Jagat Arts, Commerce & I.H.P science College, Goregaon

Abstract: The internet and web technology has changed the way people communicate ,interact,acquire, share knowledge , search, investigate and participate in the creation and re-use of content. In the preliminary stage web, technology didn't have future facilities for user to internet web 1.2 environment , users read what others wrote. However now web 2.0 environment, facilitates users to express their views and publish them online through service like Blog and Wikis. In other word technologies migrate 'read –only' to 'read-and write'. According to changing scenario academic libraries should take initiations of the broad activities to enhance the socio-economic position of the document in the library. Library should be customer focused . Customer focused library grant is designed to study library service and service attitudes from a retail perspective. Best practice from retail were applied to library space utilization , service philosophy and service visibility.

Keyword: Digital library, Academic library, Innovative service, CAS, SDI, Learning resource, Information and communication technologies(ICT), Lis services etc.

Introduction : A great number of academic institutes have come up in our country during the last two decades especially in the field of higher education and library and information center is an integral part of higher educational institute. Library and Information Service play a major role in enhancing the quality of teaching , learning and research. In the era of high-tech learning , the library and information center as a learning resource is taking up increasingly more academic space and time in the lives of true learner.The main factor behind the change in information and communication technology(ICT).

According to the NAAC best practices in library and information service series 2006 "The present information and communication technologies(ICT) have made a tremendous impact on the function of the academic libraries. The development and changes in the ICT have changed the users expectations from the academic library in different ways. To effectively meet the demands of the end users, the academic library need to identify the adopt good and best practices and benchmarks which will ultimately enhance the value based service of the libraries in an academic environment .

"Librarian is a jack for all subjects" in other words "Librarian is a jack for all information and communication technology (ICT) which is related to quality service" for managing the new environment and its demand , the human resource in the library need to be equipped with necessary skills and competencies to satisfy the high level and ever-growing multifarious needs of the users. In the past libraries were reactive in nature now shifting proactive and likely to be active in near future. So it is necessary and demand of the time the library professional, compatible according to the scenario otherwise we lose our place in society.

Online Dictionary of library and information science(ODLIS) describes best practices as "In the application of theory to real life situation, procedure that when properly, applied consistently yield superior result and are therefore use as reference point in evaluation of the effectiveness of alternative method of accomplishing the same task. Best practices are identified by examining empirical evidence of success." According to Oxford Advanced Learners Dictionary "best practices as quality of high standard, excellence, highly improved , outstanding , par excellence service. It means way of doing something that is usual or expected way in a particular organization or situation, guidelines for good practices. In this process of developing best practices we take action rather than good ideas, and we improve pour skills."

Best practices in Library Services : The internet and web technology has changed the way people communicate, interact, acquire, share knowledge, search, investigate and participate in the creation and re-use of content. In the preliminary stage web, technology didn't have future facilities for user to internet web 1.2 environment , users read what others wrote. However now web 2.0 environment, facilitates users to express their views and publish them online through service like Blog and Wikis. In other word technologies migrate 'read –only' to 'read-and write'. According to changing scenario academic libraries should take initiations of the broad activities to enhance the socio-economic position of the document in the library. They should create an

environment the condition for keeping abreact of new and latest knowledge and use of modern technology achievements in the field.

The best practices in academic libraries are classified under the following broad areas:

1. **Collection and maintenance**
   - 1.1 Collection development and maintenance.
   - 1.2 Library books exhibition.
   - 1.3 Compact storage of less used collection.
   - 1.4 Library opening timing according to user needs.
   - 1.5 Extended library open hours.
   - 1.6 Collection of e-documents.
   - 1.7 Information literacy program for collection.
   - 1.8 Promote Public-relation of collection.
   - 1.9 In-house publication about the collection.
   - 1.10 Effective presentation of collection in rotational manner.
   - 1.11 Reading habits enhancing books.
   - 1.12 Reading material on competition exams like NET/SET & PSC/UPSC etc.
   - 1.13 Employment news paper and magazines.
2. **Services**
   - 2.1 User education .
   - 2.2 Initiation of fresher.
   - 2.3 User orientation
   - 2.4 Best User award for Motivation.
   - 2.5 User statistics for awareness.
   - 2.6 Electronic reference services.
   - 2.7 Online circulation services.
   - 2.8 E- publishing services.
   - 2.9 Online/Offline Database searching.
   - 2.10 Public relation services.
   - 2.11 User feedback and suggestion.
   - 2.12 Book reservation service.
   - 2.13 Journals and articles on wheels services.
   - 2.14 CAS/SDI services.
   - 2.15 Indexing and abstracting services.
   - 2.16 Table of contents services for new arrival documents.
   - 2.17 Celebrating the local occasion as a reading motivational event.
   - 2.18 Marketing of the library service.
   - 2.19 Library ,website, homepage and WEB-OPAC services
   - 2.20 Broadband internet center.
   - 2.21 Online translation,repragraphy, and referral services
   - 2.22 Wi-fi facility.
   - 2.23 Mobile SMS and mail alert services for circulation activities.
   - 2.24 Mobile library.
   - 2.25 Informational services through social media like facebook, twitter etc.
3. **Management and administration**
   - 3.1 In-sevicesprogrammes.
   - 3.2 Observation of other library services.
   - 3.3 Staff promotion policy.
   - 3.4 Maintenance of service area.
   - 3.5 Special deposit scheme.
   - 3.6 Users participation programmes.
   - 3.7 Proper and sufficient function.

3.8 Adopt total quality management(TQM).
3.9 Staff user meet.
3.10 Staff manuals.
3.11 Right to information service.
3.12 Commitment to continuous improvement of quality services.
3.13 Distributions of useful handouts.
3.14 Library Committee formation.

4. Use of technology in library

4.1 Computer and internet access.
4.2 Database creation using international standard.
4.3 A strong and dynamic library website.
4.4 Android application for library services.
4.5 CCTV surveillance.
4.6 Fulfill online/offline article and information request of user.
4.7 Value added services.
4.8 Ddevelop virtual presence.
4.9 Library networking and institutional repository.
4.10 Cope with technical failures.
4.11 Provide global technological environment.
4.12 Making to the path finder to the library.
4.13 Cloud based technology.
4.14 WhatsApp and Hike, etc application to exchange information as a text, image,video,sound etc.
4.15 RFID technology for library services.

For academic library and information center NAAC has developed the following set of best practices:

1.Computerization of library with standard software. **2.** Inclusion of sufficient information about the library in the academic prospectus. **3.** Compiling student/teaching statistics. **4.** Displaying newspaper clipping and a clipping file maintained periodically. **5.** Career /employment information services. **6.** Internet facility to different user groups. **7.** Information literacy programmes. **8.** Suggestion /innovation drop box. **9.** Displaying new arrivals. **10.** Conduct book exhibition on different occasions. **11.** Organizing book talk. **12.** Annual best use and user awards for students. **13.** Organizing competitions annually. **14.** Conduct user survey periodically. **15.** Repeat important information in a variety of ways.

The librarianship is a public service and the librarian should have all the qualities which a good salesman process viz. Politeness,patience and tolerance. In the recent times, it has been well realized that for faster pace of socio-economic development ,it is not only necessary to promote scientific and technological research but to disseminate information at faster pace to the targets of their utilization.

Conclusion : Library should be Customer focused.Customer focused library grant is designed to study library services and service attitudes from a retail perspective. Best practices from retail were applied to library space utilization, service philosophy, and service visibility. Most academic libraries have the facility of internet resources which supplement the print collection of library.These changes are substantial. The problem with us is that many changes we come across, we immediately take it as a part of routine. Internet facility helps in saving time, repetition and redundancy, time lag and delays. We can communicate with information service providers within no time in case of any problem, change or add new things to existing collection or services. Library management has to become more integrated through software. Librarians will have to study the potential of library software as many features are still not known to us. Positive mind set of library staff is also very important for satisfactory and innovation library services.

References :

1. Ruth, R. (2008), Digital libraries and digitization: an overview and critique .Policy feature in education .6,5-21.
2. Ansari, M.A.(2003). Digital library: needs , technology and benefits. ITA bulletin .38,22-26.
3. Singh,D.V.(2011). Scholarly open access Resources and services on the web. Journal of Indian Library Association,42(2-3),22-28.
4. Strand, E., Mehta, R., and Jairam, R. (1994).Applications thrive on open systems standards. Standard view,2(3),148-154.
5. Kuny, T., and Cleveland,G. (1998). The digital library :myths and challenges .IFLA Journal ,24(2),107-113.
6. Ian, H.W., and David , B.(2003). How to build a digital library. London: Morgan Kaufman Publishers.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 18-22

Development of Emotional Intelligence among students with Hearing Impairment

Shyam Sunder Mishra*

*** (**Director and Head, Department of Special Education, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University) Prayagraj, U.P. India) and Research Scholar (Special Education), NGD(DU)

Abstract : The government of India made several provisions on legislations for the children with hearing impairment. A number of NGOs, GOs involves working in the field of rehabilitation of children with hearing impairment. A number of special schools are also established in all over the India. Several special teachers are employed to teach these children with hearing impairment. But the progress in their academic achievement is still not the point of expected satisfaction. Intelligence is the inborn capacity of children. Even children with hearing impairment with similar intelligence as the normal hearing children have but they are low in their academic achievement. The aim of the present research study was to critically explore about the development of Emotional Intelligence among Normal hearing and students having hearing impairment. It also further explores to study the impact of deafness in the development of emotional intelligence and the impact of students who are studying in different settings such as Inclusive and special school set up.

Keywords : Emotional Intelligence, Hearing Impairment, EQ, Special and Inclusive Education etc.

Introduction : "Emotional intelligence is the ability to perceive emotions; to access and generate emotions so as to assist thought; to understand emotions and emotional knowledge; and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth" in four ways such as (i) Perceive or sense emotions, (ii) Use emotions to assist thought, (iii) Understand emotions, and (iv) Manage emotions. In order to become more emotionally intelligent, it is necessary to develop the following five skill domains:

Self awareness: The ability to know one's emotions, strengths, weakness, drives, values, & goal and recognize their impact on others while using get feelings to guide decisions.

Self-motivation: Self-motivation involves our ability to keep our actions goal-directed even when distracted by emotions. Self-motivation necessarily includes being able to delay gratification, and avoid acting in impulsive ways.

Emotional management: Emotional management involves our ability to control the feelings and express so that they remain appropriate to a given situation. Becoming skillful at emotional management requires that we can cultivate skills such as maintaining perspective, being able to calm ourselves down, and being able to shake off out-of-control grumpiness, anxiety, or sadness.

Empathy: Empathy involves our ability to notice and correctly interpret the needs and wants of other people. Empathy is the characteristic that leads to altruism, which is our willingness; put the needs of others ahead of our own needs.

Relationship Management: Relationship management involves our ability to anticipate, understand, and appropriately respond to the emotions of others. It is closely related to empathy.

Models of Emotional Intelligence :

Ability Model of Emotional Intelligence : Mayer and Salovey (1997) introduced the model of emotional intelligence, according to which some abilities emerged relatively early in development than others. There are four branches of abilities in this model which are arranged from more basic psychological process to a higher one, in a more integrated way. Each branch of abilities is further subdivided into four sub-representative abilities. As per this model of emotional intelligence people with high emotional intelligence progress more quickly.

Perception, Appraisal, and Expression of Emotion: It refers to the ability: to accurately identify one's own emotions, feelings and thoughts, and those of others in one's social surroundings. The ability to successfully communicate these feelings and emotions through verbal and nonverbal means, specific needs related to those feelings and become able to discriminate between the accurate and inaccurate expression of emotions.

Emotional Facilitation of Thinking: This branch deals with those abilities through which emotions work on the thought process. Which aids to have multiple perspectives and it also helps to generate emotions on demand to better understand.

Understanding and Analyzing Emotions: It includes the ability to understand the complex information and messages convey through one's emotions and to label them appropriately. It also covers the ability to comprehend the simultaneous blends of emotions and to reason about their sequences.

Reflective Regulation of Emotions: This is the highest branch of this model that starts with the ability to remain open to emotions, express them regardless of its nature, and learn from them. This reflective process of reasoning assists in developing emotional insight into the regulation of emotions in self and others.

Mixed Model of Emotional Intelligence :

Goleman Model of Emotional Intelligence : Goleman(1998) presented a mixed model of emotional intelligence, having five dimensions which were further divided into twenty-five emotional competencies discussed in the emotional competence frame work in his second book entitled "Working with Emotional Intelligence". They are as follow**:**

Consequently, this model assists an individual to think over emotions intelligently and regulate the overflow of emotions in a positive direction before reacting to any situation.

Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence : Bar-On (2006) introduced the term "Emotional-Social Intelligence" as a broader construct rather than emotional intelligence or social intelligence. According to Bar-On (1997, 2006) conceptualization of emotional-social intelligence comprised of such emotional and social competencies, skills and facilitators that can be described into five key components, which are further subdivided between his model. These are as following:

Intrapersonal Skills: It is the ability to know about your own internal identity, ones possess feelings and emotions and a capacity to express them as successfully as could reasonably be expected. These skills are further subdivided into five areas: self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, independence, and self-actualization.

Interpersonal Skills: It comprised the abilities to comprehend others" emotions, feelings, and desires. These competencies assist in maintaining mutual agreeable relationships and alliances. Further, it can be subdivided into - empathy, social responsibility, and interpersonal relationships.

Stress Management: It includes the ability to regulate ones impulsive behavior by choosing to respond to the situations rather than to react over them instinctively. This domain comprised two sub-areas: stress tolerance and impulse control.

Adaptability: It is the ability to be flexible with the changing situations in the external reality by making an objective equilibrium between ones feeling and thinking. It includes three sub-areas: reality-testing, flexibility and problem- solving.

Emotional intelligence of hearing impaired : Hearing impairment occurs when there is problem or damage in any part/s of the ear. Hearing impairment does not mean total deafness (Friz and Smith, 1985). The primary problem of hearing impairment is difficulty in understanding speech needed for communication. The essence of hearing impairment is its effect on communication resulting on cognitive, speech, language and psychological development (Verson & Andrews, 1990). Section 2 (l) of Persons with Disabilities (PWD) Act 1995 defines "hearing impairment as loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies".

The great majority of hearing impaired students has hearing parents. Hearing parents of hearing impaired (deaf) children have varying skills in their ability to communicate with those children. Because the constant use of sign language by hearing people is rare and hearing impaired (deaf) children cannot overhear spoken conversations, there are many types of message that are not readily available to hearing impaired (deaf) children. Hearing impairment (Deafness), itself may limit some avenues of incidental learning which promote aren't-child and teacher-child communication and social and emotional competence. In addition, there are many hearing parents who have lower expectations of their children because they are hearing impaired (deaf). The parents of disabled children, demonstrated that there are three major themed\s that influence the extent to which parents encourage autonomy in their children (Kdellegrew,1994):

- Cultural beliefs (e.g., the school is fully responsible for teaching the child particular skills, or disabled children are not capable of performing particular skills).
- Ecological constraints (e.g. lack of time).

- Inaccurate perceptions of their child's ability (e.g., underestimating their ability to do something).

The study showed that, as a result of these major themes, many disabled children are not provided with opportunities to develop self-care skills. An additional complication is that their involvement with their hearing impaired (deaf) children is compounded by the need to be able communicate with them. To ensure that parents of hearing impaired (deaf) children enhance their children's EQ skills rather than hinder their development, schools need to take on the responsibility for training parents as well.

Emotional Intelligence and its impact on communication : The intrapersonal communication realm of emotional intelligence concerns what a person generally refers to as the "inner self." It determines how in touch with one's feeling a person is, how good one feels about oneself and what one is doing in life. Success in this area means that a person is able to express his or her feelings, live and work independently, feel strong, and have confidence in expressing one's ideas and beliefs. This realm consists of Emotional Self-Awareness, Assertiveness, Independence, Self-Regard and Self Actualization.

Communication and positive interpersonal relationship skill is the ability to establish and maintain mutually satisfying relationships that are characterized by intimacy and by giving and receiving affection. Mutual satisfaction includes meaningful social interchanges that are potentially rewarding and enjoyable and characterized by give and take. This skill involves sensitivity toward others. It is associated with the desire to cultivate friendly relations with others and also to feel at ease and comfortable in such relations and to possess positive expectations concerning social intercourse.

Good, supportive friends are among life's greatest rewards. They are the people a person turns to in times of happiness and distress, or simply to talk about life's daily hassles. Give and take in these vital relationships is the key to building successful relationships. Individuals who only give are experienced by others as being too compliant and lacking self-regard. Those who only take in a relationship are ultimately experienced by others as selfish or bullying. Both the individuals – those who give too much and those who take too much – are generally unsuccessful in building solid relationships. Close interpersonal relationships add to the richness of life and provide valuable support in times of need.

Education and Emotional Intelligence : It would be stating the obvious to say that human beings are more complex than animals. Human beings enjoy a significant advantage over other animals in their long period of infancy, childhood and adulthood. This makes it possible for the individual to make a conscious and sustained effort for receiving education. Education is an essential pre-requisite for a happy, smooth and fruitful life. It meets the day-to-day needs of a child and also prepares him for his future life.

Education is a continuous process. Every individual remains a learner through his life span. It is imparted through informal ways, by the family, society and community and formally through schools and colleges. In classrooms, education is formal and controlled either Methodical as well as Structured. A teacher helps the child to explore the new world of knowledge that is unknown to him and also helps in developing his innate traits to the fullest potential through practice and training.

Development of Emotions : Parents can help their children to develop EQ by encouraging them to identify their emotions and understanding how these feelings can be changed and how they are connected to their action **(Bar-On and Parker, 2000; Kuebli, 1999).** Schools want to learn more about emotional intelligence because it may hold the key to proper teaching methods that maximize a student's learning ability.

Emotional intelligence develops in the following ways:

- Offer regular community meetings where students can discuss issues and come up with solutions.
- To develop in students a sense of belonging and community.
- Provide staff models of exemplary behavior.
- To develop a sense of responsibility for their actions.
- To teach that consequences, positive or negative, will occur as a result of the choices they make.
- To develop interpersonal relationships and skills.
- To increase self .- esteem.
- To teach problem-solving skills
- To improve communication skills.

- Provide support services, e.g., alcohol and drug awareness workshops / presentations, support groups, workshops / training on social issues.
- To impart accurate information and resources on topics that impact students' well-being.
- To promote well-informed decision making by students by developing an awareness of the consequences of their choices.

Theories of Emotional Intelligence :

Salovey and Mayer's (1997) model of emotional intelligence theory is developmental according to which complexity of emotional skills grows from the first to fourth tier of abilities. However, all the mental abilities they describe fit within the general matrix of self and other's recognition and regulation. However, Salovey et al. (2003) refer emotional intelligence as the ability to perceive and express emotions, to understand and use them, and to manage them for development of personal growth. It is conceived as to have four dimensions or branches: they perceive emotion, using emotion to facilitate thought, understanding emotion, and managing emotion.

Measurement of Emotional Intelligence : Daniel Goleman's Emotional Intelligence Performance Model is a cluster of skills and competencies, which are focused on four capabilities: self-awareness, relationship management, and social awareness. Goleman argues that these four capabilities form the basis of 12 'subscales' of EI.

Bar-On explained Emotional Intelligence (1996) saying that it reflects our ability to deal successfully with other people and with our feelings. He developed the BarOn EQ-i after 17 years of research, and this inventory is the first scientifically developed and validated measure of emotional intelligence that reflects one's ability to deal with daily environmental challenges and helps predict one's success in life, including professional and personal pursuits. (BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i). (Abraham, 1999) It was published by Multi-Health Systems in 1996 as the first test of its kind.

EIS - SANS measuring Emotional Intelligence tools given by **Dr. Arun Kumar Singh and Dr Shruti Narain** based upon Mayer and Salovey (1990, 1993, and 1995) article. Their first article presented the first model of emotional intelligence. As a result of the growing acknowledgement by professionals of the importance and relevance of emotions to work outcomes, the research on the topic continued to gain momentum, but it wasn't until the publication of Goleman's (1995) best seller " Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ" that the term became widely popularized and entered the mainstream. He argues in his book that IQ contributes only about 20% to success in life, and other forces contribute to the test. After extensive review of literature, following four dimensions were finally included in constructing this scale. Their brief description is given below:

Understanding emotions : An individual's capacity to identify emotions in one's and others physical states, feelings, and thoughts.

Understanding motivation : A high achievement drive together with the tendency to be optimistic and take initiative.

Empathy : Ability to identify oneself mentally with others and to understand a person or thing accurately and read how other people feel, understand their perspectives, develop others, leverage diversity, read the mood of a group, discern political realities and a tendency to take an interest in the lives of others.

Handling relations- To be able to manage and handle relations with others in a better way.

Factors affecting Emotional Intelligence :

Intrapersonal ability Shearer (2006) defined intrapersonal ability as an ability to think about and understand one's self, to be aware of one's strengths and weaknesses and to plan effectively to achieve personal goals, reflecting on and monitoring one's thoughts and feelings and regulating them effectively. It is the ability to monitor one's self in interpersonal relationships, be aware of and understand one's emotions, feelings and ideas and to act with personal efficacy.

Interpersonal ability It is defined by Shearer (2006) as the ability to recognize the feelings of other people that are facilitated by linguistic skill. It is the ability to be aware of and understand others' emotions and feelings. Skill in managing relationships with other people is also a factor Factors affecting emotional intelligence.

Stress management It is defined as the ability to be flexible and alter one's feelings with changing situations (Day and Livingstone, 2005). It consists of abilities like delaying or resisting an impulse. Those with high stress management are generally calm and work well under pressure; they are rarely impulsive and can usually respond to a stressful event without an emotional outburst.

Adaptability Day and Livingstone (2005) defined adaptability as the ability to be flexible and alter one's feelings with changing situations. It consists of abilities like being to adjust one's emotions and behavior to changing situations or conditions. Adaptability involves skills related to management of change. Managing change involves the ability to manage stressful situations in a relatively calm and proactive manner.

General mood It is defined as the ability to feel and express positive emotions and remain optimistic (Bar-On, 1997). It represents the ability to enjoy life and maintain a positive disposition. Higher levels on general mood feel satisfied with their lives and maintain a positive outlook.

Academic achievement and Emotional Intelligence : In the 1940s and 1950s, there were several attempts to find a substantial relationship between achievement and personality, but these attempts did not meet much success (Barton, Dielman & Cattell, 1972). However, in 1968, Cattell and Butcher tried to predict both school achievement and creativity from ability, personality, and motivation. The authors succeeded in showing the importance of personality in academic achievement however could not link motivation to it.

In 1972, Barton, Dielman and Cattell conducted another study to assess more fully the relative importance of both ability and personality variables in the prediction of academic achievement. One of the conclusions they reached was that IQ together with the personality factor which they called conscientiousness predicted achievement in all areas. What was tested under personality was among others whether the student is reserved or warmhearted, emotionally unstable or emotionally stable, undemonstrative or excitable, submissive or dominant, conscientious or not, shy or socially bold, tough minded or tender minded, zestful or reflective, self assured or apprehensive, group dependent or self sufficient, uncontrolled or controlled, relaxed or tense. We can easily see that most of these factors are included in the components of emotional intelligence.

In 1983, Howard Gardner introduced his theory of Multiple Intelligences, which opened doors to other theories like Emotional Intelligence. Teaching emotional and social skills is very important at school, it can affect academic achievement positively not only during the year they are taught, but during the years that follow as well. Teaching these skills has a long term effect on achievement. (Elias et al.1991).

Conclusion : The study was useful in identifying the emotional intelligence among the school going children. This has also had the greater application in terms of those children who has the emotional, behavioral, and other associated problems in school. Such a problem can be identifying as early as possible with adequate planning and measure to be undertaken. Further, this will give an idea how to have the proper treatment and rehabilitation program. This study is most effective towards all school going children who needs regular assessment and intervention to achieve better academic goals in life.

References :

1. Best John W., Kahn James V. (2006), Research in Education, IXth Ed. Prentice – Hall of India Private Limited, New Delhi.
2. L. Pujar, S.Patil (2019)-Emotional intelligence among Hearing Children, Karnatka.
3. Fateme Dehghan, Zahra Alizadeh, (2020)-The relationship between Emotional intelligence and Mental health with social anxiety in blind and deaf children.
4. Akef Abdullah Al- Khateeb(2020), Emotional intelligence levels among Hearing- impaired and Visually Impaired Students in Jordan.
5. Tarannum, M. and Khatoon,N. (2009), Self-esteem and emotional stability of visually challenged students, *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 35(2): 245-266.
6. The Mental Health Act (1987), The Mental Health Act, 1987. New Delhi: Government of India, reported in Disability and the Law Network: Human Rights law Network: New Delhi.
7. National Trust Act (1999), The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act,1999. New Delhi: Government of India, reported in Bare Act with short notes, Universal Law Publishing House Co.Pvt.Ltd., Delhi**.**
8. PWD Act (1995), The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. New Delhi: Government of India, reported in Bare Act with short notes, Universal Law Publishing House Co.Pvt.Ltd., Delhi.
9. RCI Act (1992), The Rehabilitation Council of India Act, 1992. New Delhi: Government of India, reported in Disability and the Law Network: Human Rights law Network: NewDelhi.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 23-25

The Effect of Pranayam Therapy Training as a Post- Covid Treatment on Lungs Capacity of Women College Students

Dr. Bhawna Mittal*
*Associate Prof. & Head, Physical Education Department, Raghunath Girls PG College, Meerut

Abstract : Yoga is an important concern for all human beings since it contributes to their happy and healthy life. During Covid-19 pandemic, Yogic exercises are extremely helpful in increasing body immunity as well as helpful in maintain physical fitness after post covid situations. In the present study, an attempt is made how to improve lungs capacity of post covid patients of women college students through Pranayam practice. Yogic exercises can help a person to improve physical and mental health and provide firm control over body and mind especially to overcome most of dangerous diseases. The purpose of the present study was to find out the significant effects of Pranayam Practices on Lungs capacity of women college students who were covid patients before 90 days.30 subjects were selected randomly from 3 women colleges of Meerut District. Spirometer test were used for the assessment of Pranayam training programme. To find out the significant effect of Pranayam training programme on Lungs capacity of women students,'t-test' was used as statistical tool. The level of significance was set at 0.05 levels. The result revealed that there was significant effect of Pranayam practice on lungs capacity of women students after post covid conditions.

Keywords : Pranayam, Lungs capacity, covid patients, post covid problems etc.

Introduction : Yoga is extremely necessary now a days to remain fit, healthy and well being. It has proved that yogic exercises can cure diseases. Through yogic practices there is possible of gentle stretching of the muscle, massaging of internal organs and toning the nerves throughout the body hence many diseases, even so called incurable can be eliminated of eased. The Covid-19 crisis that has changes the ways we work and live. As gyms remain closed, open parks remain restricted, people are looking for indoor workouts to burn calories and stay fit. As a form of exercise that can be easily practised, yoga has found new converts during pandemic. Even though countries have vaccinated a section of their population a strong immune system remains the only recourse for people against corona virus. Along with relaxation, exercise and meditation, pranayam or breathing control is a major pillar of yogic practice. The regular practice of Pranayam is known to increase Chest wall expansion and lung functions. Yoga treatment is called Auto treatment method. The kind of bodily movement with mental concentration, it is now being realised in all over the world that yoga is not only for better development of mind, socio control and moral aspects but also a therapy. Yoga is the science practiced in India since ancient times. Modern medical science tries to achieve optimum physical and mental health of the individual through preventive, curative & rehabilitation approach. From Dec 2019, covid pandemic has spread all over the world and numorous people all over the world suffered from this communicable disease. Covid-19 diseases has specially infected lungs of the body and after post covid rehabilitation, many people took consider Pranayam training as therapeutic modality.

Pranayam is control and regulation of breath. From the Sanskrit word "Prana" the Pranayam has derived. Prana means Vital force and Ayana means the control of Prana. So Pranayam means the control of the vital force by concentration and regulated breathing. It is called soul of Yoga.It is necessary for purifying the body and mind and strengthens the systems especially respiratory system. So the present study was planned to investigate the effect of 4 weeks Pranayam training on the Lungs capacity of post covid patients.

Objective of the study : To find out the effect of 4 weeks regular Pranayam Training program on the lungs capacity of the subjects.

Hypothesis : There will be significant difference appear on college women student's (post Covid patients) lungs capacity variable.

Sampling and Methodology : The present study was experimental. To achieve the objective of the study, 30 women students of 17-25 aged were selected from 3 women colleges of Meerut district, who were suffered from Covid-19 before 90 days. Before starting of the training, pre- test was conducted. The duration of training was 4 weeks in which everyone receives training for 6 days per week and 45 min per day.

Keeping in mind the objective of the study that Pranayam training program was prepared in such a way which helps to improve the lungs capacity variable. Following training Programme were performed by the subjects for 4 weeks daily in the morning.

(Pranayam Training Program -4 weeks)

S.No	Day	Yoga asana
1	Monday	Om chant and Prayer Anulom and vilom pranayam, Nadi shodhan Pranayam. Meditation and Om chant.
2	Tuesday	Om Chant and Prayer Anulom and vilom Pranayam Bhramri pranayam Meditation and om chant
3	Wednesday	Om chant and prayer Nadishodhan pranayam Bhastrika Pranayam Meditation and Om chant
4	Thuresday	Om chant and Prayer Nadishodan pranayam, Ujjai Pranayam Om Chant and Shavasana.
5	Friday	Om chant and Prayer Anulom and Vilom Pranayam Suryabhedi Pranayam, Om Chant and Shavasana.
6	saturday	Om chant and Prayer Nadishodhan Pranayam Bhramri Pranayam Bhastrika Pranayam Shavasana.

Before starting the training, we have taken pre-test on lungs capacity variables by Spirometer. After 4 weeks of Pranayam training, lungs capacity variables were recorded again and were compared using single sample group t-test.

Observation and Results :

Table -1

Variables	Group	N	Mean	Sd	df	't 'ratio
Lung capacity	Pre test	30	25.80	3.16	29	18.84*
	Post test	30	29.27	3.42		

*Significant at 0.05 level

On the selected subjects pre-test with respect to measure the selected variables was conducted at very first stage of study than as far as experimental treatment is concern. The 4 weeks training programme was administered as per scheduled and then post test was conducted to measure same variables with the help of reliable tools of measurement to find out the significant difference and to find out the suitable Pranayam training programmes for women students. Significant differences were found in Lung capacity which showed above in table-1 and showed the positive effects of Pranayam training for improve the capacity of lungs. By the pre-test and post test scores, It is evident that there is significant effect appeared after the Pranayam training on Lungs capacity variables of women students.

Discussion and Conclusion : It is evident from the result of the study that significant differences were found in Pre-Test and Post test of Lungs Capacity, which showed that positive effect of Pranayam training on selected variables of post covid women students The findings of the study are proved that daily Pranayam practice can be cure and improve the lungs capacity related problem of women students.

The objective of the study was to find out the significant difference on the effect of Pranayam training on Lungs capacity variables of the subjects. The result revealed that there is a significant difference appears on lungs capacity variable after the Pranayam practice.

References :

1. B.E. Pruitt and Jane J.Stein (1999). Health styles. U.S.A. Allyn and Bacon Publiction.
2. Clarke, H.H.' Application of measurement to health, physical education and recreation ',New Jersey, prentice –Hall Inc. Englewood cliffe,1976.
3. Mathew, D. K, :'Measurement in physical Education 'Fifth Ed.)Philadelphia W.B Saunders Company, 1978.
4. Ananda,Sri, The complete Book of Yoga Harmony Of Body and Mind.Orient paperbacks.Madarasa Road,Kashmere Gate,Delhi,1999.
5. Bhunia,B.(2015)Yoga,Physical Education & Sports are Essence for Health and Wellness in the Modern Life of 21st Century.
6. Bucher,Chales A,"Foundations of Physical Education".8th Ed.,The C.V. Mosby Co.,St. Louis 1979.Sharma P.O. ,Yoga ,Yogasana and Pranayam for Health,Navneet Publication(I)Limited Ahemdabad 1984.
7. Sarkar S. Ghosh A. Ghose M.and B.K.(2010), the effect of six weeks of selected yogic practices and aerobics exercise on flexibility and balance for boys under 14 years. AMASS. Vol 02,No 02, pp) 01-06
8. Singh, G.K (2008), A study of Physical, Physiological and Psychological characteristics of national Level Basketball Players. Unpublished Ph.d thesis .B.H.U.
9. Birtwistle, G.E. and D.A Brodie 1991.Children's attitudes towards activity and perceptions of physical education .Health education Res., 6:465-478.
10. Verma J.Praksah .A text book on sports statistics, Venus Publication Gwalior,India, 2000 ISBN 81-87645-03-2.
11. Choudhary D. And A. Mohd.(2012). Effect of yoga training on physiological characteristics of college students. Horizon Palaestra,vol 1 no -1
12. Fox, K,R(1999). The influence of Physical activity on mental well being,Public health Nutrition," (3A),411-418.
13. Hagger M.(1997) Children's Physical activity levels and attitudes towards physical activity. European Physical Education Review 3, 144-164.
14. H.R Nagendra;et.al.pranayam-the art and science,2003-2nd edition.
15. H.S.Nayar,R.M. Mathur. Effects of yogic exercises on human physical efficiency. Indian J.Med. Res.63. 1975, 1369-1376
16. http://www.biospectrumindia.com

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 26-29

An Introduction' to'A Room of One's Own

Dr. Shubhi Bhasin*
*Assistant Professor, Gindo Devi Mahila Mahavidyalaya, Budaun, U.P.

Abstract : Literature is often referred as a mirror of society. The happenings of the day today life are faithfully depicted in literature with amalgamation of imagination which further benefits the society and indeed is a matter of research since ages. Women writers in Indian demanded their rightful place in the society. Kamala Das is an example of it. She with confidence criticised the patriarchal society in which chauvinism prevails at every quarter of life. Her poem 'An Introduction' is critically analysed in this paper in the context of the rights of women. 'A Room of One's Own' is an extended essay by Virginia Woolf which demands space for women writers in literary arena, adominated entity by men. Woolf suggests that the absence of female fiction is a result of a lack of opportunities rather than a distinct absence of talent. This paper also discusses the significance of Virginia Woolf's essay in today's context.

Keywords : Amalgamation, Patriarchal society Feminine sensibility, Emotional, Hurt and Humiliation etc.

Introduction : Kamala Das, the representative of feminine sensibility in Indian English Poetry was born in 1934. Her maiden name was Madhavikutty. She was educated at home and was denied the privilege of regular school and college education on account of her gender. At the age of fifteen she was married to K. Madhav Das. She could not find emotional fulfilment in marriage, which, she soon realised, is a male dominated institution. Her frustration, want of love and sufferings are frankly and sincerely expressed in several of her poems and her autobiography 'My Story'. Kamala Das writes in Malayalam and English with equal ease, mastery and command. Her poetry is characterised by frankness, clarity and openness. Her poetic output consists of three volumes of poetry- 'Summer in Calcutta' (1965), 'The Descendants' (1967) and 'The Old Play House' (1974). She contributed to various reputed journals and magazines. DevendraKohli writes: "Courage and honesty are the strength of Kamala Das' characters and her poetry."[1]She showed the way to the women poets in India. Her poetry is confessional and she shows her own frustration and failures in a male dominated world. She successfully restored her individuality and feminine identity through her rebellious nature. K. N. Daruwalla writes about her poetic themes:

"Kamala Das is pre-eminently a poet of love and pain, one is talking the other through the near- neurotic world. There is an all pervasive sense of hurt throughout, love; the lazy animal hunger for the flesh, hurt and humiliation are the warp and woof of her poetic fabric. She seldom ventures outside the personal world."[2]

Kamal Das has deftly created a sterile, arid, dehumanised and exploitative world where women are exploited and crushed. She raised her voice against the conventions and restrains of society which are meant to exploit women in a male- made world. She was a social rebel who opposed the norms of society which have chained the women and restricted their movements.

Virginia Woolf was an English writer, one of the most important modernist 20th-century authors and a pioneer in the use of 'stream of consciousness' as a narrative device.She was born in January 1882 at 22 Hyde Park Gate, London and lived there until her father's death in 1904.Her mother was the famous beauty Julia Prinsep Stephen and her father Sir Leslie Stephen was a notable author, critic and mountaineer. Although both parents disapproved of formal education for females, writing was considered a respectable profession for women, and her father encouraged her in this respect. She despite all the hardships became a critically acclaimed novelist and essayist and a founding member of an intellectual circle known as 'The Bloomsbury Group'. She suffered from severe mental distress which results in mental breakdown and her several suicide attempts. Her famous novels include 'The Voyage Out', 'Mrs Dalloway', 'To the Lighthouse', 'Orlando' and 'The Waves'. She is also known for her essays and 'A Room of One's Own' (1929) is one of the most famous essays by Woolf. Her works hold a prominent place in the 1970s movement of feminist criticism. She has been an inspiring figure despite her mental illness. "Psychiatry had little to offer Woolf, but she recognised that writing was one of the behaviours that enabled her to cope with her illness."[3]

She keeps on writing even when she found herself surrounded by depression and loneliness. Throughout her life, Woolf struggled hard and witnessed the biased treatment given to females on account of their gender.

She was even became the victim of sexualabuse at a very tender age. Woolf provides description of her early life in her autobiographical essays 'Reminiscences' (1908), '22 Hyde Park Gate' (1921) and 'ASketchofthePast' (1940). In most of her works, Woolf's female characters adapt themselves in order to satisfy the male dominated role of women as art objects. In Woolf's novels the female characters are found split into two selves: the male subject as surveyor and the female object as the surveyed. These characters are created in accordance with the patriarchal society's image of women. Woolf intends the female artist to move outside the male culture. She wanted to presents the underlined networks or relations between the female artist and the patriarchal society.

Discussion : Indian woman writers like ShashiDeshpande, Arundhati Roy, Anita Desai, Kamala Das etc. witnessed initial rejection, dejection and shackles in their way of writing it is depressing to note that these women writer witnessed severe criticism in their journey of writing; they climbed the ladder of success in painful way. Kamala Das an iconoclast in Indian writers worked on the lines of Virginia Woolf. She hailed from the family where male chauvinism echoed at every walk of life. Das wrote openly about her love, marriage and inner soul in her poems and especially in her autobiographical novel 'My Story' she opened her heart which was earlier barred by hegemony of males. In 'My Story' Kamala Das has described how fifteen year old bride was forcibly submitted to the greedy passion of vainglorious husband. Kamala Das poems epitomize the dilemma of the modern Indian women who attempt to free her sexually and domestically from the role bondage sanctioned to her from the patriarchal society. "Kamala's poetry embodies agonies of women emerging from that state of subjugation and bondage and seeking to establish their identity and the self."[4]

Das' protested against the prevalent systems of the society in which women are always seen as inferior. She tried to explore her own identity and freedom. She crushed all the shackles which bound women to move out of their homes to get equal share in the society. She has been bold and honest in sharing her experiences and the facts which are truly the experiences of most of the women in the society only they prefer to remain silent to pacify with their male counterparts. Kamala Das has demanded space for women in the society. She could not bear the pains of her loneliness as she knows it well that each and every woman has untapped power in them. According to her, women should get not only the share of responsibility but also the privilege of being a partner in the bond of marriage. She demanded the justifiable rights to women and she wanted them to fly high in the wings of their own individuality and identity. In her poems she shows the identity crisis through which she underwent. Her identity as an Indian, as a women, as a wife, as a poet everything comes under doubt. She was loud enough to share her personal and private experiences in the context of larger and harsher realities of life which were quite painful for her.

In 'An Introduction', Das explores her complex emotions regarding the system of controlling her life and the lives of countless women sufferers. She also has the experience to back up her assertions about freedom and oppression as she played a critical role in the establishment of Indian feminist movement. 'An Introduction' was published in her first collection, 'SummerinCalcutta' in 1965. 'An Introduction' begins with the speaker, Das, stating that she knows all the male leaders of India. Their names are a part of her, a tribute to their overwhelming power. This contrasts significantly with the lack of power she felt growing up and getting married at fifteen. She struggles with her identity and is finally able to step away from the traditional role of wife. Das describes the way that men are able to move through the world with a solid identity. They are allowed to adhere to their choices and emotions.Das discusses powerful themes of feminism, equal rights, freedom, and marriage in 'An Introduction'. This poem is a very clear feminist statement that advocates for free choice for all women. The poem is an autobiographical verse of Kamala Das that throws light on the life of a woman in the patriarchal society. This is a confessional poem. This is in regards to every aspect of life but the poet puts a special emphasis on marriage. She compares and contrasts the roles of men and women in society and explains how in her life there are multiple rules which she is forced to obey, and surrender before them. She boldly states that her freedom is restricted in the name of cultural practices she states-

"Then … I wore a shirt and my
Brother's trousers, cut my hair short and ignored
My womanliness. Dress in sarees, be girl
Be wife, they said. Be embroiderer, be cook,
Be a quarreller with servants. Fit in. Oh,
Belong, cried the categorizers. Don't sit

On walls or peep in through our lace-draped windows.
Be Amy, or be Kamala. Or, better
Still, be Madhavikutty." [5]

Undoubtedly the poem is based on her personal experiences as a woman in patriarchal society. To ignore her womanliness, she wore her brother's dresses, cut her hair short. She did so because she could not endure the pain of being a woman in this male-dominated society. It seems that she was desperate to come out of the cursed womanhood. Posing herself as a rebel against the traditional Indian society, she defies the set rules and regulations of the society and wants to free herself from the bondage of so called restrictions imposed on women since time immemorial. The elders would not tolerate her extrovert attitude and would even scold her and tell her to follow the norms of the traditional aspects of womanhood. The poet speaks about her depressed life and her disappointment she faced in the present situation. Gripped with loneliness she wanders alone from one place to the other. She experiences guilt and feels that her painful exposures are completely her own as she had favoured the essence of individuality.

'A Room of One's Own' is an extended essay by Virginia Woolf, first published in September 1929. This work is based on her lecture on the topic of women and fiction. The essay argues for both a literal and figurative space for women writers within a literary tradition dominated by men. In fact literature is merely an example, the distinction which females witness at every step of life is beyond measure and description. They are biasedly judged for their actions in the society. Whatever they do there is always a pool of criticism against them. Woolf discusses the troubled relations between women and fiction. Woman is the centre and the target of interest insociety.In 'A Room of One's Own' Woolf mingles her thoughts with her real life. She highlights the strong requirement on the part of women to takes their rights on the equal share with men. The essay narrates the way females lived through the Elizabethan period and how they were unable to obtain education with the exceptions of those of the upper class because females of high fortunes were tutored at home. Woolf boldly announces that "a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction."6thShe dramatizes that mental process in the character of an imaginary narrator ("call me Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael or by any name you please—it is not a matter of any importance") who is in the same position, wrestling with the same situation like that of her. Mary Beton, her fictional narrator, experienced exclusion when she was not allowed to enter the library of all men's college, in Oxbridge.Thus through this work Woolf has showed her own experiences. She wanted to make this world a place where the male and female voices may have been equally treated. Despite her incessant efforts to bridge the gap between the males and females rights and space, she remained unsuccessful in making this dream of equality- a reality. Through the fictionalised character of 'Mary' – who visits the British Museum to find out about everything that has ever been written about women – Woolf builds the argument that literature and history is a male construct that has traditionally marginalised women. Woolf refutes the widely held assumption that women are inferior writers, or inferior subjects, instead locating their silence in their material and social circumstances. According to Woolf, centuries of prejudice and financial and educational disadvantages has over -burdened women and crushed their creativity. Woolf was conscious of her place in the tradition of women writers. She was completely disillusioned with the patriarchal, discourse and its cultural implications. Her determination to maintain the dignity of her gender could at times even attempt her in to the inartistic faults of exaggeration and overemphasis. Woolf narrator, Mary Beton, mentions that the writer ApharaVehan marks a turning point in literature as she is perhaps the first female writer who was earning on her own through her writings. Mrs Behan was forced under some unfortunate adventure and untimely death of her husband to make her living by her writings. By this implication, Woolf suggests that Aphara Behan provides a good example of how literary creativity runs hand in hand with material self -sufficiency. Thus the theme of financial independence dominants the whole essay. Woolf knows it well that there is a strong link between the financial position and the intellectual space which should be provided to women.

In her essay, Woolf uses metaphors to explore social injustices and comments on women's lack of free expression. Talents of women lay waste in absence of support from society. Woolf suggests them to move ahead of their own without looking for outer assistance otherwise their talent retain untapped in them.The tone of this essay is full of resentment and discontent.Turning to history, she finds so little data about the everyday lives of women that she decides to reconstruct their existence imaginatively. The figure of Judith Shakespeare is generated as an example of the tragic fate. A highly intelligent woman would have met with under those

circumstances. In light of this background, she considers the achievements of the major women novelists of the nineteenth century and reflects on the importance of tradition to an aspiring writer.She writes of a woman whose thought had "let its line down into the stream"7th.As the woman starts to think of an idea, a guard enforces a rule whereby women are not allowed to walk on the grass. Abiding by the rule, the women lose her idea. Here, Woolf describes the influence of women's social expectations as mere domestic child bearers, ignorant and chaste. The control of literature has been granted to men as a consequence of this patriarchal domination. Woolf closes the essay with an exhortation to her audience of women to take up the tradition that has been so hardly bequeathed to them, and to increase the endowment for their own daughters.

Conclusion : Kamala Das has been audacious in declaring that a woman should not merely be seen as a daughter, wife, and mother or as any other specific role assigned to them rather they should be given their own individuality so that they could work according to their free will and break up the shackles of taboos which bound them. Her sympathetic understanding, explication and revelation of the problems of the Indian women in general, obviously make her feminist. The energetic verses of Kamala Das erect several worlds. Her poems show the aspirations, longings and desires of woman in different roles as wife, lover, mother and granddaughter and each role constitutes of different demands and perspective on the people around her. She shares her experience through imagination and reality and defines the emotions, relationships, hopes and despair. Virginia Woolf has also pictured the true condition of women in the society. It shows how culture and tradition has dominated the women folk in the patriarchal society. The steps should be taken by women only to improve their lot. They themselves have to take the charge of their work and move progressively for the economic freedom of their own that would, according to Virginia Woolf, be a first step for their freedom.She describes the influence of women's special expectation as merely domestic child bearer, ignorant and chaste. She wanted to give women intellectual potential as their own right. She wanted to provide abundant opportunities to women which may result in the corpus production of fiction by them. For decades literature has been dominated by the patriarchy and women have been marginalised in this context. Both the writers presented the women's, aspirations and yearnings in their works. They both knew it well that the intellectual and cultural progress of women would definitely change the course of society.

References :

1. Dr.Satish Kumar, "Indo-Anglian Poetry a critical study of the poet, Agra: Publisher Lakshmi NarainAgarwal.
2. ibid
3. VikipediaDalsimer, Katherine(May 2004). Virginia Woolf American Journal of Psychiatry.(252 wikipedia).
4. Manmohan K. Bhatnagar, Feminist English Literature, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 2002.
5. Dr.Satish Kumar, "Indo-Anglian Poetry a critical study of the poet, Agra: Publisher Lakshmi NarainAgarwal.
6. Woolf, Virginia (1935) [1929]. A Room of One's Own. London: Hogarth Press.
7. ibid

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 30-32

Disintegrated Imaginings Of Hopes : Baneful Familial Ties In The Novels Of Arun Joshi

Dr. Suneeta Upadhyay*
***Assistant Professor, Department of English, N.K.B.M.G. (P.G.) College, Chandausi, Sambhal, M.P.

Abstract : In contemporary society familial relationship has become increasingly complicated, fragmented, and union of incompatibility. Any clash in these relationships not only causes a dilemma to the individuals but upsets the tender chords or threads of human bonds ensuing commotion of social orderFamilial bond is not only social security but also confirms and secures our position as human beings. D.H. Lawrence observes : The great relationship for humanity will always be the relationship between man and woman. The relation between man and man, woman and woman, parent and child will always be subsidiary. (Lawrence, 1972:130)

Keywords : Imaginings, Indian novelists, Dilemma, Institution of marriage, Disharmonious filial relationships etc.

Arun Joshi has skillfully manipulated various aspects of 'the great' man-woman relationship and also the 'subsidiary' filial relationship. Arun Joshi's Billy Biswas feels alienated from his wife Meena because she fails to understand his deep existential anguish, his primitive Urkraft. Billy'sand Babu's estrangement from their parents are striking examples of disturbed, disharmonious filial relationships. Sindi and Som Bhaskar are estranged from all intimate relations because every relation seems tenuous and futile to them. A clash between husband and wife is dealt with in Arun Joshi's novel. In his *The Foreigner,* Sindi Oberoi is quite against the institution of marriage. Though he loves June and cannot live without her, he tries to remain so detached from the world that he denies the proposal of marriage by June. In *The Strange Case of Billy Biswas,* Billy is not satisfied with his wife, Meena. He leaves his home and becomes a primitive where Bilasia makes him happy. In *The Apprentice,* Ratan Rathor is unhappy with his wife. Som Bhaskar in *The Last Labyrinth* is totally neutral to his wife, Geeta.

Arun Joshi is one of the very few Indian novelists in English who have successfully revealed the subtleties and complexities of contemporary Indian life. He has produced very compelling works of fiction sensitively alive to the predicament of modern Man. Joshi has ably delineated the unfortunate consequences of the absence of values and faith in life. In fact, he has rarely excelled in exemplifying the existential dilemma of the present-day world. He has also worked out various dimensions of pressures exerted by the complex characters and demands of the society in which modern man is doomed to live. This awareness of man's rootlessness and the consequential anxiety is the keynote of Joshi's unique vision of the plight of modern man.

The Foreigner presents detachment as a possible panacea for life's problems. Sindy's moral growth depends, in fact, upon his search for detachment. The detachment which Sindi so resolutely cultivates to overcome his painful memories and meaninglessness of life becomes a source of deeper agony to him. It is his detachment that is responsible for the tragedy of Babu and June. "All along", Sindi himself confesses, "I had sought only detachment. I had driven a man to his death, Sindi's detachment does not seem to be wise. Explaining the reluctant of her love to Babu June tells Sindi: You are so tied up with your own detachment it makes little difference whether you love or you don't. She further protests: "I had wanted to belong to you, but you didn't want. You are so self-sufficient there is hardly any place for me in your life – except perhaps as a mistress" (Joshi, TF, 1974:158) Sindi's obsession with the notion of detachment makes him shrink from his responsibilities. Like Camus Meursault, he is always bored with the world, and like Neil of Philip Roth's *Good-Bye Columbus,* he does not want to shoulder even ordinary responsibilities. He muses if his detachment and objectivity have been of any value in life. He had all along tried to speculate. Lastly, Sindi realizes that "sometimes detachment lies in actually getting involved." The reason for Sindi's failure is not difficult to get. As he himself suggests: "Life is not a business account ... once your soul goes bankrupt no amount of plundering can enrich it again" (TF,1974:160)

The Strange Case of Billy Biswas and *The Apprentice* suggest different approaches to counteract life's meaninglessness. As Billy's example testifies, if one is able to establish a rapport with the primitive forces in the world of nature, one can get rid of all problems of life. In *The Apprentice* Joshi has suggested another remedy to life's problems, which is within the easy reach of the common man. Ratan comes to realize – and rightly so – that life may well be a zero, but one needs not to be negative. He learns ultimately, the lessons of humility and resignations to the will of God, doing what he can "without vanity and without expectations and also without cleverness." (Joshi.TA,1974:20) He becomes conscious of the folly of his earlier life and undergoes the most difficult presence of

his earlier life and undergoes the most difficult presence of his earlier misdeeds. Every morning on his way to the office, he sets on the steps outside the temple and wipes the shoes of the congregation. He says : I never enter the temple. I am not concerned with what goes on in there. I stand at the doorstep and I fold my hands, my hands smelling of leather and I say things. Be good, I tell myself. Be good. Be decent. Be of use. (TA,1974:146) Ratan's conversation may sound somewhat unnatural and rather extreme. But it is very much possible under the circumstances of his life and has been found to take place more than once both in literature and actual life. An absolute humility and genial acceptance of life as it is can undoubtedly create an inner center of peace and serenity for the individual.

The Last Labyrinth considers more patiently the questions raised in the earlier novels. The protagonist Som Bhaskar is a modern millionaire who is guided by reason and not by faith, curious to know the secret of life. He tries to probe into "that core of loneliness around which all of us are built."(Joshi,TLL,1981:54) He wants to solve the riddle of existence by knowledge but the unwavering faith has been given as a sensible substitute for rationalism. It is the understanding born of suffering and humiliation that seems to have been presented as a solution to life's meaninglessness in this novel. The novelist suggests that a mere rational approach will not do. Life's problems being what they are, we have no option but to trust and pray if we want to lead a really peaceful life.

Arun Joshi's novels are thus increasingly bold attempts to discover the meaning of life. They try to devise ways and means for eliminating the discrepancy between the individual's pursuits and his fulfillment. Joshi's heroes are lonely and misfits in the world in which they have to live and face the meaninglessness of life. Though they are not religious and saintly, they are humble enough to learn the lessons life teaches them. They try to face the challenges of their meaningful life by outstripping the narrow confines of their distraught selves. One may establish a tenuous relation among different solutions put forth by Joshi, but there is no real progression of thought from novel to novel. He seems to be groping for the solution to face the meaninglessness of life, and his search for it, in its present state, remains indeterminate. His novels nevertheless go a long way in affirming the value of meaningfulness in life. They seem to indicate that one can realize the essence of life by liberating the self from the clutches of mercenary civilization and by paying due heed to the aesthetic calls of the inner being. Soon after receiving the Sahitya Akademi Award Joshi told an interviewer that in his novels he tried to explore that mysterious underworld which is the human soul. His novels delineate the spiritual agony of his lonely questers. Life'smeaning, according to Joshi, lies not in the glossysurfaces of pretensions but in the dark mossy labyrinths of the soul. Billy's predicament becomes a strange and special case when the reader comes to know that Billy's was a split personality split between primitive and "civilized".

The rest of the narrative shifts between his success and failure, his frustration and resentment and we see him land himself into a disaster. Finally, he musters up the strength of his inner self and describes to face life with all its problems and difficulties. Joshi's fictional world is the revelation of a world where man is confronted by the self and the questions of his existence. His search is directed at the inscrutable region of the human psyche and he enters into that mysterious region of uncertainty and inscrutability. An analytical study of the novels of Arun Joshi suggests that the portrayal of human relationships is a dominant concern of these two contemporary writers. The emotional bond between man and woman in Arun Joshi's novels is one of the familial and filial disharmonies that create an identity crisis for their protagonists. For Arun Joshi, a sense of foreignness and restlessness at the existential level become the root cause of their estrangement from the self and society.

Arun Joshi reveals the inner atmosphere of his protagonists so skillfully that it becomes universal in his creative smithy. We read his novels and feel that the writer is opening out what is going on within our own hearts. What is more exciting about him is the truth that he attempts a serious probe into the existential problems of mankind by fixing the lens of his focus on certain individualistic characters. There is a clash between husband and wife, in *The Foreigner;*Sindi Oberoi is quite against marriage. Though he loves June and cannot live without her, he tries to remain so detached from the world that he denies the proposal of marriage by June. In *The Strange Case of Billy Biswas*, Billy is not satisfied with his wife, Meena. He leaves his home and becomes a primitive, While in *The Apprentice*, Ratan Rathor is tired of his wife, Som Bhaskar in *The Last Labyrinth* is totally neutral to his wife, Geeta.

Arun Joshi's characters put individuality above everything else. He presents the individualistic view of their characters. Sindi as well as Billy provides more value to their viewpoints and paysa heavy price for it. Sindi's rigidness becomes the cause of June's and Babu's death as Billy's bold step toward his natural urge leads him to his own death. Arun Joshi's novels are increasingly bold attempts to discover the meaning of life. His Characters try to devise ways and means for eliminating the discrepancy between an individual's ways and means for eliminating the discrepancy between an individual's pursuit and fulfillment. Joshi's heroes are lonely and misfits in the world in which they have to live and face the meaninglessness of life. Though they are not religious or saintly, they are humble enough to learn lessons taught to them by life's problems. While experiencing the normal claims of love and hatred,

doubts and dilemmas, they try to face the challenges of their meaningless life by outstripping the narrow confines of their distraught selves.

Lack of communication between the spouses is the bane of all marital relationships in Arun Joshi's World. He underlines the importance of communication in maintaining balanced relationships. Lack of communication destroys the marital bond of Billy and Ratan Rathor. In fact, we should not seal our lips to those we have opened our hearts. Silences on issues of mutual concern create baseless suspicions and mortifying doubts leading to disillusionment and disharmony in *The strange Case of Billy Biswas.* For healthy concord in marital relationships, adopting and adapting, understanding, allowance for each other's natural faults and follies an imaginative foresightedness is essential. Arun Joshi's protagonist Sindi Oberoi also considers marriage a lust for possession.

The portrayal of filial ties has its own fascination its own intriguing charm in the worlds of these two novelists. Both focus upon the abiding nature and far reaching influences. Both focus upon the abiding nature and far reaching influences of these tenuous links between parents and children. We do not find a wholesome, satisfying emotional interaction between the parents and children. It is clear in the novels of Arun Joshi that they are largely full of struggle, tension, and conflicts in all of his novels. There are tense filial ties and dissatisfaction at every level in child-parent relationships. There are fathers not satisfied with their children and children, though they have great respect for their parents, are not content with their parents. In the first novel, *The Foreigner,* the father Mr. Khemka, sends Babu to America to study engineering. But Babu does not do well there and fails. The fear of an overpowering father disheartens him. He has no dreams of his own. He cannot marry a nice and noble girl because she is of American origin. Mr. Khemka becomes angry when he comes to know that Babu has married June-a fact which ultimately leads to the unnatural death of Babu. In *The Strange Case of Billy Biswas,* Billy studies anthropology, while his father, Mr. Biswas, thinks that his son of doing engineering at a western university. He becomes very much angry when he knows that Billy has done Ph.D. in Anthropology. While his father Mr. Biswas thinks that his son is doing engineering at a western university. He becomes very angry that Billy has done a Ph.D. Mr. Biswas is unhappy only because his son cannot be a collector like Billy's friend' Romesh Sahai.

The above thematic study of some of Arun Joshi's novels suggests that the portrayal of familialrelationships is a dominant concern of the novelist. The modern and sensitive individuals in his novels are in a ceaseless quest for a meaningful life in their domestic as well as in social milieu. Actually, harmonious matrimonial and filial relationships play important role in developing our personality and carving our identity. Arun Joshi tries to depict this truth in his novels. In lack of proper communication, their protagonists feel isolated, aliened, and lonely. Communication gap breeds problems of identity and their characters and involved in seeking their identity.

References :

1. Lawrence, D.H. 1972. "Morality and the Novel." *20th Century Literature Criticism: A Reader,* ed. David Lodge. London: Longman Group Ltd.
2. Joshi Arun. 1974.*The Apprentice*New Delhi: Hind Pocket Books.
3. Joshi Arun. 1981.*The Last Labyrinth*. New Delhi: Orient Paperbacks.
4. Joshi Arun.1974. *The Foreigner* New Delhi: Hindi Pocket Books
5. Joshi Arun. 1971.*The Strange Case of Billy Biswas*New Delhi: Hind Pocket Books.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 33-35

Spirituality : Need of The Hour for Holistic Development of Youth

Dr. Vishal Dwivedi*

***Associate professor & Head, Department of Teacher Education (B.ed.) Y.D.P.G. College, Lakhimpur-Kheri (U.P.)

Abstract : Our country has the largest population of youth with instable mind and we quote it everywhere with pride. But a question arises here that do we have majority of those youth who have peaceful minds, positive energy, contentment, values and ethics, accountability and responsibility. The answer will be probably a big NO. Today's youth live a hectic and pressure filled life, full of tension, restlessness, greed and what not. They are unable to live peaceful life because of cut- throat competition. They want to get success at any rate. Hence they are suffering from mental chaos and depression. They have no self control. Materialistic world is controlling them. They are unable to command their thoughts hence they go to wrong path. This is a big question how to show them right path so that they can lead a happy and peaceful life and make a good nation.The answer to this problem lies in the word **SPIRITUALITY**. Generally people in society have misconception about the word spirituality, they think it is for old age and children, adolescents, youth have nothing to do with it. But actually it is needed the most in early age till adulthood because it teaches us how to control our mind, greed, desires etc. In this paper the author has tried to show the importance of **SPIRITUALITY** in the life of our youth.

Keywords : Spirituality, Emotional intelligence, Stimulus, Meditation, Ashtang Yog etc.

"**Education is not filling the mind with a lot of facts and diverse knowledge……perfecting he instrument and getting complete mastery of one's own mind is the ideal of education." – Swami Vivekanand**

Introduction : Our country has the largest population of youth and a large percentage of this population is facing turbulence, restlessness and chaos in their mind. Here a question arises, do we have majority of those youth who have peaceful minds, positive energy, contentment, values and ethics, accountability and responsibility. The answer will be probably a big NO. Today's youth live a hectic and pressure filled life, full of tension, restlessness, greed and what not. They are unable to live peaceful life because of cut- throat competition. They want to get success at any rate. Hence they are suffering from mental chaos and depression. They have no self control. Materialistic world is controlling them. They are unable to command their thoughts hence they go to wrong path. This is a big question how to show them right path so that they can lead a happy and peaceful life and make a good nation.

The answer to this problem lies in the word spirituality. Generally in society when the word spirituality is used, it refers to old age persons. It is said that when a person gets retired from worldly affairs, he needs spirituality. Children and youth have nothing to do with this. But it is a misconception of the word spirituality. It is very important because it teaches us how to control our mind, desires, emotions and temptation etc. In other words we can say it teaches us self- control. It is a process of complete transformation of personality.

That's why even corporate world is adopting spirituality today because they have realized that without SQ (Spiritual Quotient) there is no use ofIQ(Intelligence Quotient) because an intelligent person cannot take good decision until his mind is peaceful. Successful leader is one who understands emotions of his subordinates , this is known as EQ (Emotional Quotient), that measures emotional intelligence which comes from SQ. Emotional intelligence is defined as the ability to perceive, use, understand, manage and handle emotions. So it is necessary to keep your cool. There are several ways to control one's emotions which are creating turbulence in one's mind. I try to prove this by an example:- As we drive a car and we are fully aware to avoid an accident in the same way we are the driver of our mind and we must know which type of thoughts and emotions are coming in our mind. If we are able to discriminate between positive and negative thoughts, we have the freedom to choose the correct one hence we create our destiny. For this self-awareness is essential by which self- regulation is possible and that only comes from spiritual knowledge and practice.

Higher Education Research Institute at the university of California at Los Angeles had a project on spiritual development in higher education. A report published by the institute found that efforts were being made many colleges and universities to make the faculty and staff acquire skills for promoting spiritual development in

students. (HERI 2007,p.1). The first national longitudinal study of undergraduate's spiritual growth among US students reported:

- Increase in the level of spirituality through programmes such as self reflection and practice of meditation.
- Programmes dealing with "inner selves" facilitating academic pursuits and leadership skills and intellectual self confidence.(Astin, Astin& Lindholm,2010,p.2).
- In the United Kingdom, Ofsted, UK (2018, p.40) states that the spiritual development of students is shown by their ability to be reflective about their own beliefs, religious or otherwise, that inform their perspective on life and their interest in and respect for different people's faiths, feelings and values.

In psychology there are several laws given by **Thorndike(1920)**. One is principle of multiple response. **S :** (STIMULUS), **O :** (ORGANISM), **R :** (RESPONSE)

This theory tells us how people behave in a set pattern. How they learn by doing various responses and by this they learn.

I'd like to say in this regard that there is conditioning of mind which develops by repeating a task, an idea, again and again and it becomes our habit. Without breaking this conditioning we can't come out from our comfort zone. But the one who finds the space between stimulus and response, knows one's power to choose the right response that leads to one's freedom and growth. Most of the time when we come out of our confort zone we feel fear and we return to our previous position. But if we continue without caring this fear, learning begins and we will reach the step that is real growth. This growth defines us as a totally different person.The biggest defect we human beings have is our short sightedness. We don't see what we could be. For example if a person is chasing behind his sensuous pleasure and he gets angry on trifles. In my opinion, he must study and apply the following verses of **Bhagavad-Gita :**

"The man dwelling on sense objects develops attachment for them,. From attachment springs up desire, and from desire ensues anger, from anger arises infatuation,from infatuation, confusion of memory, from confusion of memory, loss of reason and from loss of reason one goes to complete ruin."– **Bhagavad-Gita (2/62 & 63).**

"But the self controlled practicant, while enjoying the various sense objects through his senses, which are disciplined and free from likes and dislikes, attains placidity of mind." – **Bhagavad-Gita (2/64).**

"With the attainment of such placidity of mind, his sorrows come to an end and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God." – **Bhagavad-Gita (2/65).**

He will realize soon that his downfall is inevitable if he doesn't follow the above mentioned message of Lord Krishn.Every different test that comes your way is not a test, but a learning experience that will make you more and more powerful. This is because in overcoming that test you will use your mind in different ways and come to a positive solution. But to achieve this stage one will have to keep one's mind cool and calm. It will be possible through only by joining the path of spirituality. Spirituality is nothing but a manual of life. It teaches us the art of living.

Arjun says to Lord Krishn, " The mind is very unsteady, turbulent, tenacious and powerful, therefore I consider it as difficult as controlling the wind." **–** (**Bhagavad-Gita, 6/34).**

Most of us are like Arjun who are unable to control mind that's why we are easily fascinated by worldly pleasure.

Krishn replied that the mind is undoubtedly unsteady and difficult to control but it can be managed by practice (of meditation) and detachment.– (**TheBhagavad-Gita,6/35).**

On April 3,1900, Swami Vivekanand in his lecture delivered in the United States, pointed out that meditation starts with Dharna, concentrating the mind upon an object. (Advaita Ashram,1985,p.228).

Youth must know the power of meditation if they want to excel in life. Generally people think that meditation is a boring practice that creates passiveness. But it is not so. It is of two types- one is active and the second one is passive. In active meditation we pay our full attention on what we are doing and it gives you the power to see the things as they are. Passive meditation means when you are tired of working continuously for hours and your mind does not work properly then sit silently and see your breath. During this process many thoughts will come and go. Don't go with those thoughts; just observe them. After some time frequency of

thoughts will be less and you will feel relaxed and refreshed. Now you are ready to face challenges ahead with full zeal and enthusiasm.

As you cannot see your face in turbulent water similarly you cannot take decision with restless mind. By practice of meditation your mind will be at peace and its strength will be increased. So power of decision making increases and restlessness comes to an end.

This proves that the word spirituality is not related to saints only. It is equally important for materialistic persons also. If you want to groom your personality you must adopt spiritual practice in your daily life. I give you another example why we need spiritual practice ?

As computers and smart phones work faster when they have more space. But when we download lots of applications and files they hang because of less space. We need to restart and refresh them. But if problem persists, we need to format them for free space. Our mind works in the same manner. When we have lots of unnecessary information it hangs and we get disturbed and depressed. Spiritual practice like yog and meditation is just like formatting our mind to work smoothly.

Maharishi Patanjali suggested *Ashtang Yog* in Patanjali Yog Darshan saying, "*Yamniyamasanpranayampratyahardharnadhyansamadhyaoashtavangan*" **– (Yog Darshan,2/29).**

In the above mentioned sutra, eight steps have been suggested viz. *Yam,Niyam,Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharna, Dhyan and Samadhi.*

These eight steps must be adopted for self control.

We are chasing behind our senses.

"Our senses are like horses, their objects are like roads, mind is rein, intellect is charioteer and soul is the Master of this body (vehicle)." **– (Kathh Upnishad).**

If we (intellect) control rein (mind), horses (senses) will be tamed and we reach on supreme goal, that is attainment of liberation. And this is the ultimate goal of education. Education is that which liberates.

In other words we will not indulge in bad practices. We will be able to say "**NO"** even to the biggest temptation or allurement. Hence we can maintain our character and justify our birth on this earth.

As Abraham Maslow mentioned hierarchy of needs in his theory of self actualization. **1.** Physiological Needs **2**. Safety Needs **3.** Belongingness Needs **4.** Prestige Needs and **5.** Self-actualization Needs.

This must be kept in our mind while living our lives that we are on this earth for a special purpose of self-actualization, not for materialistic pleasure only. Food, sleep, fear and sex is common in animals and human beings. What makes human beings superior is his wisdom to discriminate between truth and falsehood, moral and immoral. This must be explained to our youths. According to Tagore (1917,p.145), meditation brings individual closer to the eternal being.

At last I would like to suggest that energy of our youth should not be drained by chasing materialistic pleasure, on the contrary it must be plugged and channelized in positive way so that our nation can rise high in every sphere of life. Once we have full control on our mind , horses of our senses won't be able to harm us. This is what the purpose of spirituality is. According to Sri Aurobindo, (1998,p.445),it corrects the restless wandering of the mind and trains it its simple form. Spirituality is the foundation of the Indian mind.

References :

1. Advaita Ashram (1985). The Complete Works of Swami Vivekanand-Vol.4.(12th ed.) Calcutta.
2. Astin,A.W., Astin,H.S.,& Lindholm,J.A. (2010). Key Findings from the First National Longitudinal Study of Undergraduates' Spiritual Growth. Higher Education Research Institute, University of California, Los Angeles.
3. Kathopnishad. Gorakhpur: Gita Press.
4. Patanjali. Yog Darshan. Gorakhpur: Gita Press.
5. Pathak,P.D.(2019). Psychological Perspective of Education. Agra: Agrawal Publication.
6. Garde,L.N.& Poddar,H.P. (1992). Kalyan Yogank. Gorakhpur: Gita Press.
7. Singh, A.K. (2001). Educational Psychology. Patna: Bharti Bhawan.
8. Sri Aurobindo.(1998). Essays in Philosophy and Yoga (The complete works of Sri Aurobindo Vol.13). Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
9. The Bhagavad-Gita. Gorakhpur: Gita Press.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 36-39

Law And Policy Relating To Refugee Protection In India

Ms. Kiran Singh*
*Assistant Professor/Research Scholar, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow, U.P.

Abstract : India has had a well-established custom of giving security to displaced people. It has followed an exceptionally liberal policy for refugees. In the absence of a refugee specific legislation, these statutes are also applied to the refugees in India. India continues and will continue to be the host country since times immemorial for a large number of refuges not only from neighbouring countries but from other parts as well due to its geographic location, democratic government, religious tolerant society and goodwill. India though is not a signatory of the 1951 Refugee convention but it has ratified a number of other human rights treaties which imposes obligations to provide protection to refugees. The main finding of the present article is to highlight the necessity for enacting a definite regulation in the light of national security at one hand and refugee protection on other hand. This article also makes an attempt to bring light the plight of refugee seeking asylum in the country, whose fate is left to the discretion of executive and their ad hoc administrative policies by stressing on India's need for specific municipal law, if not ready to ratify 1951 convention.

Keywords : Tolerant society, Asylum, Refugee, Administrative Policies, Liberal policy etc.

Legal Framework In India : Currently, refugees in India are considered as aliens or foreigners. The municipal laws directly applicable to them are *the Foreigners Act of 1946, the Registration of Foreigners Act of 1939, the Passport (Entry into India) Act of 1920, the Passport Act of 1967, the Extradition Act of 1962, the Citizenship Act of 1955* amended recently in 2019, *and the Illegal Migrant (Determination by Tribunals) Act of 1983.*[1] *India does not have specific laws regarding to the Refugees. However, India does have the* Refugee and Asylum (Protection) Bill of 2009. But the main legislation that supports Refugees and Asylum is the Foreigners Act of 1946.

Constitutional Provision Relating To Refugee's In India : Constitution of India are applicable to the refugees when they are in India. The most important Article is *Article 21* which deals with *Right to Life and personal liberty*, it applies to everyone irrespective of whether they are a citizen of India. *Article 14* guarantees the person right to equality before the law. *Article 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 20, 22,25-28, 32, 226* also available for non-citizens of India including Refugees.

Treatment given to the Asylum people were divided into three heads-

1. **National Treatment :** The national treatment to the asylum people is same as the citizens of India. There are certain Articles in the Constitution of India, which takes care of the Fundamental Rights of all people in India.
2. **Treatment that is accorded to foreigners :** This head, there are rights which are related to the housing problems, movements, etc.
3. **Special treatment :** This treatment includes the identity and travel document under article 28, exemption from penalties under article 3(1) of the 1951 Refugee Convention.

In the case of *Louis De Raedt vs. Union of India*, the court held that the fundamental rights to life, liberty, dignity are available to non-citizens of India.

[2]In the case of *Visakha vs. State of Rajasthan*[3], the court has held that "*International Conventions and norms are significant for the purpose of interpretation of the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Articles 14, 15 19(1)(g) and 21 of the Constitution and the safeguards against sexual harassment implicit therein*".

First, there is the ***UDHR (Universal Declaration of Human Rights),*** Article 14(1) of which states: "Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution."

Neither *the Citizenship Act, 1955, nor the Foreigners Act, 1946*, deals with the issue of refugees. It's clear that India is not a signatory to either the *1951 Convention on the Status of Refugees or the 1967 Protocol*[4], the principles of international law relating to refugees must be taken as incorporated directly into Indian constitutional law*via Article 21*. This obligation becomes even clearer in view of the fact that India has acceded to the *ICCPR, the CRC, and CEDAW*. None of the provisions of *the Foreigners Act, 1946, the*

Registration of Foreigners Act, 1939, the Passport (Entry into India) Act, 1920, or the Passport Act, 1967, deals in any manner with refugeelaw.

The Registration of Foreigners Act, 1939 provides for the registration of foreignersin India. It is based on the provisions of the Foreigners Act, 1864, the British Aliens Registration Act, 1914, and the British Aliens Order, 1920. The Act empowers theCentral Government to make rules regarding the procedure for foreigners to reportto a prescribed authority about their presence, movements, departure and proof of identity.

The Foreigners Act, 1946 addresses the entry, presence and departure of foreigners to and from India**. Section 3(1)** of the act allows the Central Government to make provision either generally or with respect to all foreigners or with respect to any particular foreigner or any prescribed class or description of foreigner, for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India or their departure therefrom or their presence or continued presence therein.

In *Hans Muller Nuremberg vs. Superintendent Presidency Jail*[5], the Supreme Court stated that implicit in the right of expulsion are a number of ancillary rights, which include the right to prevent any breach of order and the right to use force and to take effective measures to fulfill these objectives.

In *The State of Assam vs. Katwas Khan*[6] ,the Under secretary to the Assam Government, Passport Department, directed the Superintendent of Police to serve a notice on the accused, asking him to leave Assam within 15 days from the date of receipt of the notice. The Guwahati High Court held : *As a matter of fact, the power to make a deportation order has been delegated to the Government of Assam. A notice of deportation, commonly called a "quit notice", emanating from the level of the Government of Assam, Passport Department, to the Superintendent of Police to serve notice to a particular person/foreigner was not a delegation of power under Section 12 of the Act. The letter did not indicate that the Government delegated the power to the Superintendent of Police, as it was a notification by the state government by virtue of Section 12 delegating the power to act under Section 3(2). The delegation of the authority must be specific and express. Hence it was held that the notice issued by the Superintendent ofPolice was without jurisdiction.*

The Citizenship Act, 1955 : Part II of the Constitution and the Citizenship Act, 1955 define citizenship and prescribes several rules for its acquisition. Articles 5 to 9 of the Constitution define citizenship at its commencement.. However, it is unclear about the stateless individual who is recognised as a refugee by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and will be able to invoke citizenship.

The Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019, which was passed recently, updates the existing Citizenship Act, 1955, in order to provide Indian citizenship to minority communities fleeing persecution from neighbouring countries. It seeks to offer citizenship to Hindus, Parsis, Buddhists, Sikhs, Jains, and Christians from Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan. The clear intention behind bringing it, is to grant citizenship to Hindus fleeing persecution in Muslim-majority countries neighbouring India, which was clearly mentioned in the election manifestos of the present ruling party.

The Act has created a climate of tension in the country, as it violates the basic principles and secular values of the Constitution since it proposes to club religion and citizenship together. The CAA and NRC were strongly opposed not only by the Muslim population of the country, but also sparked several protests across the educational campuses. Along with this, several states also passed resolutions against it.

The United Nation Commission On Human Right (Unchr) : UNCHR based in New Delhi, the nation's capital. The problems faced by the government in relation to the refugees are, to some extent, sorted by the UNHCR. It undertakes the task of determination of refugee status for asylum seekers from non-neighbouring countries. It identifies the large number of stateless people present in India. Once recognized, the Afghan, Palestinian, Burmese and Somali refugees receive protection under it[7]

Violation of indian penal code, 1860 : The Indian Penal Code (IPC), 1860 applies equally to nationals, refugees and other foreigners. A refugee may be charged under *Sections 418, 419, 420, 468 and 471* of the IPC when, for example, she has attempted to mislead Indian authorities by using fraudulent travel documents.

Protection Of Human Rights Act, 1993 : The Protection of Human Rights Act, 1993 provides for the establishment of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions and Human Rights Courts with the purpose of protecting human rights in the country. Article 12 lists the functions of NHRCUnder *Section 13 of the Act, the Commission has the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908*

when inquiring into a complaint. Chapter V of the Act establishes the State Human Rights Commissions, and Chapter VI establishes the Human Rights Courts.The NHRC has taken an interest in issues relating to refugees.[8]

Refugee Policy of India : Perhaps best described in the words of refugee law expert, B.S. Chimini, India's asylum and refugee policy is nothing short of a "strategic ambiguity". It seems to be a policy which on the one hand embodies the principle of '*Vasudeva Kutumbakam'*. and welcomed Tibetan refugees and Tamil refugees from Sri Lanka, providing them with shelter and support but seems to be averse to the prospect of safety and security of those fleeing from other countries, like the Rohingya from Myanmar.

In August 2021, the Taliban captured Kabul and took over Afghanistan after the U.S. announced a sudden military exit from that country. It resulted in an exodus of Afghan nationals across the world and especially into neighbouring countries, including India. Although the Indian Ministry of Home Affairs took action to manage this influx of 'refugees' by means of an emergency visa, it reignited an old debate on the missing Indian refugee policy.

The lack of guidelines and procedure in a State can result in the authorities forcibly returning refugees to their country of origin, where they may be persecuted. This is in violation of the internationally recognised principle of *non-refoulement*. To avoid violating this important norm, it is therefore imperative for a State to have a clear and uniform policy and procedure for the determination of refugee status.

Although India has not signed the 1951 Convention, It has on various occasions extended protection to refugees in her territory; however, there is no consistency in the procedure for determining refugee status. While India has taken care of large-scale refugee influxes from neighbouring countries and recognised them on a *prima facie* basis, others have been treated as ordinary foreigners. This recognition is not based on any law but on ad hoc policies. UNHCR mandate refugees are not considered to be "refugees" under Indian law.[9]

Since the Indian government has no uniform procedure for determining refugee status and providing assistance to refugees, there is no Central Government body that deals with refugees. Instead, various departments under the central and state governments handle the cases of refugees recognised on an *ad hoc* basis by the Government of India.

The Need For A Specific Refugee Legislation : To provide effective refugee protection, India must develop a national framework. There is an immediate need for refugee law.

First, there is a direct need to increase the knowledge among the general public, the lack of which at the moment causes them to be hostile towards the refugee population. The tolerance for any foreign element in the local population is very low, owing to Indian history of colonialism. The country is always at a guard in this regard.

Second, India has also been a victim of transnational terrorism which largely affects the cross-border movement of people[10]. The absence of specific legislation is one of the reasons for the threat of terrorism faced by the country.

Third, illegal migration causes problems for the local community, create employment issues and also impact the socio-demographic profile of the receiving state. India's deportation policy is also ineffective in dealing with the issue properly.

Conclusion : One of the main reasons for India not signing the refugee convention is that at the end of cold war, has been security-related. Making things international level official can create a mass movement of people through its borders which will have a strain on the infrastructure as well as the resources. India, being the largest democracy and still in the developing phase, can only take so much pressure to sustain and not mess up its demographic balance. Besides, India has been in the good books when it comes to refugee intake and already does what it can do best so the need for ratification to the convention is chalked out when viewed from this perspective. But on the other hand, refugee crisis has become a humanitarian issue, which every State has to commit to, giving importance to its humanitarian and human rights aspect. This can be done by improving and maintaining standards of registration and profiling, strengthening the services provided for people with special needs, better access to education for children, better health services for one and all, etc.

Since *non-refoulement* is not a part of India's legal statutes, a refugee entering illegally faces the prospect of being arrested and prosecuted accordingly. What can be done by the authorities of the first encounter is investigation and satisfaction as to what purpose does the refugee has for entering the state. A step on that basis shall be taken with further investigation of the identity of the person, with the help of the concerned authorities and UNHCR.

Moreover, since India follows a dualist approach in the implementation of international law, the incorporation of principles like the *non-refoulement* into the municipal laws is important for their implementation and adherence thereto[11]. All the policies that govern the refugee approach today are largely biased and discriminatory, which goes against the fundamental tenets of law like the right to equality. A legislation will solve many problems starting from the arbitrariness that exists with respect to varied treatment mechanisms, all ad hoc, which the country adheres to; the inefficient and slow process of status determination; the inhumane treatment; the lack of rights; and the implementation of international principles via municipal incorporation.

References :

1. Sen 2003; Madnani 2018: 1089
2. Louis de Raedt vs. Union of India 1991 AIR 1886, 1991 SCR (3) 149
3. Visakha vs. State of Rajasthan (1997) 6 SCC 241.
4. These two international legal instruments are the magna carta of international refugee law. The definition of Refugee as provided in the 1951 Convention is the most widely used refugee definition in the world. The Convention also contains the cardinal principle of international refugee law namely the principle of non-refoulement and the minimum standard of treatment of refugees. The Protocol of 1967 removes certain temporal and geographical limitations of the 1951 Conventio
5. (1955 [SC] AIR 367)
6. (1989[2] GLJ 338),
7. 480 U.S. 421 (SC: 1987).
8. National Human Rights Commission vs. State of Arunachal Pradesh, 1996 (SC) AIR 1234
9. https://www.unhcr.org/about-us/background/45dc19084/cartagena-declaration-refugees-adopted-colloquium-international-protection.html
10. Binod Khadria, Perveen Kumar, Shantanu Sarkar and Rashmi Sharma, International Migration Policy: Issues and Perspectives for India, IMDS Work. Pap. Ser., Dec 2008.
11. Shuvro Prosun Sarker, Protection of Refugees in India: Quest for National Refugee Law, RLI Wor. Pap. (2014

Bibliography :

1. Acharya, Bhairav. (2016). “The Future of Asylum in India: Four Principles to Appraise Recent Legislative Proposals”.
2. NUJS Law Review 9 (3-4): 173- 228. Amnesty International. (2019). “Refugees, Asylum Seekers and Migrants”. Accessed 30 June 2021, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/ refugees-asylum-seekers-and-migrants/. Bhuiyan, Jahid Hossain. (2013).
3. “Protection of Refugees through the Principle of Non-Refoulement”. In An Introduction to International Refugee Law, edited by Rafiqul Islam and Jahid Hossain Bhuiyan, 99-131.
4. Chimni, Bhupinder Singh. (2003). “Status of Refugees in India: Strategic Ambiguity”. In Refugees and the State Practices of Asylum and Care in India, 1947-2000, edited by Ranabir Samaddar, 443-471. New Delhi, India: Sage Publications Pvt. Ltd.
5. “India needs a proper refugee law, not a CAA suffused with discriminatory intent”. The Wire, 20 December 2019. Accessed 16 June 2021, https://thewire.in/law/india-needs-a-proper-refugee-law-not-acaa-suffused-with-discriminatory-intent. Goodwin-Gill, Guy S. (2014).
6. “The International Law of Refugee Protection”. In The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, and Nando Signa, 1-14.
7. “Protection of Refugees in India”. International Journal of Research in Social Sciences 7(10): 420-433. Islam, Rafiqul. (2013).
8. “The Origin and Evolution of International Refugee Law”. In An Introduction to International Refugee Law, edited by Rafiqul Islam and Jahid Hossain Bhuiyan, 13-36. Leiden, The Netherlands: Brill
9. SOCIAL & POLITICAL RESEARCH FOUNDATION CURATED VOICES Lok Sabha. (2019). Report of the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016. New Delhi, India: Lok Sabha Secretariat. Accessed on 18 September 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_ parliament/2016/Joint%20committee%20report%20on%20citizenship%20(A)%20bill.pdf.
10. The Gazette of India. Accessed 20 September 2021, https://egazette.nic.in/ WriteReadData/2021/227219.pdf
11. Sarker, Shuvro Prosun. (2017). “Refugee Law in India: The Road from Ambiguity to Protection”. ILI Law Review II (Winter Issue): 303-307.
12. Saxena, Prabodh. (2007). “Creating Legal Space for Refugees in India: the Milestones Crossed and the Roadmap for the Future”. International Journal of Refugee Law 19 (2): 246-272.
13. Sen, Sarbani. (2003). “Paradoxes of the international regime of care: The role of the UNHCR in India”.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 40-42

The Effect of Smartphone on Students

Dr. Rakhi Deb*
*Assistant prof., Department of Education, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, U.P.
Dr. Shailendra Kumar Verma**
**Associate Professor, Department of Education, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, U.P.

Abstract : The use of a smartphone is gradually becoming a compelling learning tool used to enhance teaching and learning in education. It ensures flexible course delivery, and makes it possible for students to access online learning platforms, access course resources and interact digitally. Use of the internet and social media has both positive and negative impact on students' personal and social life. Sometimes heavy use of the internet leads to waste of time and depression among students. Smartphones not only create problems but are also very dangerous for students, especially children. They are becoming addicted to the internet. Due to excess use of the internet and smartphone, most side effects are falling on children.

Keywords : Smartphone, Internet, Addiction, Digital era, Information etc.

The digital era has arrived. This digital age's evolution has had an impact on almost every aspect of our lives. And the internet is a product of this digital age. The internet has become an indispensable tool for people and plays an important role in our daily lives. The internet has socially, politically, economically, and emotionally connected us all. For the entire world, the use of technology in many fields such as the workplace, business, defence, and health is seen as a necessity to keep up with the times. It is now widely used in school and at home. Smartphones, laptops, tablets, computers, and smart televisions can all connect to the Internet. In March 2021, the total number of internet users in India will be 825.30.

With the internet, everyone now has access to information from all over the world and can obtain it with a single click. Through the easy availability of information on the Internet, everyone now has the opportunity and access to improve their knowledge, physical, cognitive, and social abilities. The internet has become the most convenient and rapid means of communication between people. Everyone can now communicate with people in any part of the world, thanks to our social media sites.

As we all know, the internet is a treasure trove of knowledge and information. The Internet has the most trustworthy, relevant, and high-quality content. There are numerous blogs and videos available on the internet that provide the most up-to-date and relevant study material.

Students rely on the Internet to complete their academic assignments, projects, quizzes, and presentations. Many universities around the world have opened free courses for the benefit of students, which are also available to them at no cost. This is a huge benefit for students because they can get lectures and video sessions for free. The Internet benefits not only students but also teachers. They can conduct research and deliver lectures using the internet. There are thousands of research papers and books available on the internet, and teachers will undoubtedly benefit greatly from this.

During the Covid pandemic, when the entire world was in disarray and all offices, shops, and educational institutions were closed, the teaching and learning process was still taking place all over the world via online classes.

True, the Internet is one of the most significant recent advances in information technology. It has evolved into such a useful tool that it has aided in the process of transforming the world into a global village. The use of the Internet has a significant impact on students' academic achievement and social life.

True, the Internet is one of the most significant recent advances in information technology. It has evolved into such a useful tool that it has aided in the process of transforming the world into a connected global community . The use of the Internet has a significant impact on students' academic achievement and social life. Despite all the positive influence of technology on academic performance, research has shown that excessive Internet use has a negative impact on one's health and wellbeing, social relationships, and educational outcomes.

According to Saha and Guha (2019), the internet has grown massively as a communication platform among the young generation. The majority of students accessed the internet via mobile phone. They spend at least one hour per day chatting on the internet. The use of the internet and social media has an impact on

students' personal and social lives in both positive and negative ways. Students' excessive use of the internet can result in time waste and depression.

The Internet is unique in that it is available to anyone. Teenagers outnumber the elderly as Internet users, but the majority of the negative consequences fall on children. While chatting, most of the children watch lewd content, which has a negative impact on them. Children are now frequently keen to do what they are forbidden to do. They satisfy their mind by watching what they are not permitted to watch in front of others, and this is where the disorientation begins. True, there are many invaluable tools available on the internet for adults to use for their work and business, and for children to use for their studies.

Due to the Covid 19 epidemic, when educational institutions around the world were closed for an extended period, teaching was done solely online. Teachers and students relied solely on computers or smartphones for this. People nowadays are more reliant on smartphones than computers because most of them do not have computers. It is not possible for everyone to have a computer because it is highly priced, so most people use smartphones because they cannot only be used as a communication medium but also for other activities like paying bills, booking flights, transferring e-mails, and so on. The figure projected for smartphone users in India is expected to exceed 748 million by 2020, and the internet penetration of smartphones in India has reached 54%, up from 23% in 2016.

According to Rouse (2019), a Smartphone is a cellular phone with an integrated computer and other features not previously associated with telephones, such as operating systems, web browsing, and the ability to run software applications. "Students can use phones for many purposes such as photography, Bluetooth project material between group members, receiving SMSs, and email reminders from teachers," write Hartnell and Heym (2008). Learners can also connect remotely to school learning platforms, record readings from teachers, and access revision sites on the Internet using their smartphones. Furthermore, they can receive lectures online, download learning materials in any format (video, text, or audio), and gain knowledge any day at any time.

Students typically use smartphones for the below mentioned purposes:

- Easy access to an App Store : Smartphones run a variety of educational software applications. It has the ability to provide features, particularly multimedia capabilities, in the preparation of lecture content and dissemination to students. The best feature of a smartphone is its access to an app store. An app store is a programme that allows users to find and install software on their computer or mobile device (computer Hope, 2019). Smartphones have become an important part of children's lives today. Everything is done on a smartphone, from online classes to submitting homework, tests, assignments, or projects.
- Data rate and consumption are both low : Due to competition, various telecommunication companies keep their data rates low, so that people use more and more of their data, and when using the internet on a smartphone, the amount of data consumed is also reduced.
- Portability, cost and availability : In the market, the smartphone starts at around $3000, which is very affordable. Anyone with a small amount of money can purchase a new phone. One of the primary reasons why many students own and use smartphones is their ease of access and cost and availability.

Apart from that, some people have tainted this technological benefit by uploading inappropriate stuff, which has negative consequences on our psyche. Children and teenagers are easily drawn to and involved in inappropriate activities. Be it the expanding trend of social media, cybercrime through gaming apps like Blue Whale, or sites with abusive content, all of these have a profound psychological influence on children. Children nowadays have access to cell phones 24 hours a day, 7 days a week, and there is no one to keep an eye on them.60 per cent parents do not monitor their children's use of technology and 75 per cent children are free to use technology in their bedrooms.The sleep of these children in the age group of nine to ten years is being affected due to the interference of technology, which affects their studies.

Conclusion : Day by day hi-tech technology and its easy availability has changed the way children study. Now they do not use much intelligence for study. The reason is, due to internet they get all the information at one click, so they do not have to remember anything. They solve the most difficult questions of maths within a minute with the help of mobile, which has now become a minicomputer. Now they do not need to do multiplication on rough paper or learn tables, the result is that children have forgotten to read in the normal way. They cannot do even simple calculations without a calculator.

Due to mobile Children's mind is not able to get rest, their mind is engaged in it 24/7. Sometimes playing games, sometimes on social sites, sometimes searching for something. Due to lack of peace and relaxation of the mind, their behaviour becomes aggressive. Sometimes they become furious and irritable even during a simple conversation with someone. Such children are not able to mix quickly with any other, the company of others makes them uncomfortable. He always likes to be alone even. They donot want to go outside or play with their friends. Due to excessive use of mobile, problems like depression, attachment disorder, attention deficit, autism, bipolar disorder, problematic child behaviour are increasing in children.The excessive use of the smartphone is associated with impaired cognitive functions and mental health problems of students. Hence it very imperative to understand the use of smartphones among the young students and its effect on their learning activities.

References :

1. Haug, S., Castro, R. P., Kwon, M., Filler, A., Kowatsch, T., & Schaub, M. P. (2015). Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. *Journal of Behavioral Addictions*, 4(4), 299–307. https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.037 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®],
2. Jain K, Kakkar N. Mobile phone addiction among youngsters. *Sch Res J Interdiscip Stud.* 2013;8:473–79.
3. Kedem, Carmella. (1999). The social impact of the internet on our society. Retrieved August 30, 2006, From http://www.math.umd.edu/~bnk/CAR/project.htm.
4. Kumar ,A.,Chandrasekaran, V.,Brahadeeswari, H. (2019). Prevalence of smartphone addiction and its effects on sleep quality: A cross-sectional study among medical students. *Industrial Psychiatry Journal*, 28(1), 82-85 https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_56_19 [Crossref], [PubMed],
5. Mokoena, S. (2012). Smartphones and regular cellular phones: assessing their impact on students' education at the University of Zululand. Doctoral dissertation, University of Zululand.
6. Neha R, Kate N, Grover S, Khera N, Basu D. Does excessive use of mobile phones in young adults reflect behavioural addiction? *J Postgrad Med Educ Res.* 2012;46:177–82.
7. Sawnani S. Is your child a smartphone addict? [Last accessed on 2013 Dec 14 01.24PM IST]. Available from: http://www.timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/computing/Is-your-child-a-smartphoneaddict / articleshow / 27351496.cms .
8. https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/mobile-phone-students-355284-2016-12-02
9. https://healthwealthvaastu.com/use-misuse-of-mobile-phones/
10. https://studycorgi.com/the-internets-effects-on-students-lives/

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 43-47

Overview of Five Pillars of Strong Strategic and Security Relations between India and United States of America

Ankur Aryan*
***Ph.D. Research Scholar, Department of Political Science, Central University of Haryana, Mahendragarh

Abstract : India and USA have common values and interests as members of diversity, mobility, pluralism, and plural democracies. Indian and American share the core values of individual liberty, hard work and enterprise, free society, human rights, and the rule of law. Rather than just advantages, these values are the basis of a friendship of conviction. We also want to ensure that territorial and maritime disputes are settled peacefully in accordance with international law. We want to promote rule of law and democratic principles.Five Pillars point of India-USA relations1. Energy and Climate Change 2. Education and Development 3. Economy 4. Trade and Agriculture 5. Science and Technology and Health and Innovation and now our foreign policy towards America have been completely hovering on the above five pillars. Now our Research paper on various agreements and discussions of our high level dignitaries. They discussed on these issues apart from the above five pillars Civil Nuclear cooperation, Defense cooperation, Counter terrorism and internal security, People to People ties, Cultural cooperation.Significantly, there has been strong, resolute and sustained cooperation from the major stakeholders of each of our countries in the many changes of government and right now, despite all this, we are still asked, Is America a reliable partner that will continue to work in this area? or What will be the next major plan to take our relationship forward? Although these questions are inappropriate, they are still a sign of concern and we have to address them.

Keywords : India, USA, Bilateral, Defense, Security, Strategic Relations, Cooperation, Five Pillars etc.

Introduction : The India-USA Strategic Partnership is designed to strengthen the two countries and have a beneficial effect on the region. It includes the principles outlined now and is welcome to work with any nation that adopts them.The IndiaUSA and together have made a lot of progress in the last 20 years. In addition to our defence cooperation and joint military exercises, we are working on the High Technology Cooperation Group, the next step in our strategic partnership, the historic civil nuclear agreement, a nearly six-fold increase in India-USA trade, defence technology and trade plans, and India as a major defence partner. We know things are going well when we stop questioning our commitment to this cooperation and stop looking for other ways to justify its relevance. We've created a solid foundation for a strategic collaboration that can have large, beneficial effects well into the next century, after looking back over the last two decades. It's time to build on this foundation in a thoughtful but generous way.We have to move on from our growing miseries and create what is right for both of us in the long run something for the region that helps shape the enduring structure.

Make sure the Strategic Partnership has a solid foundation. As a result of America's longtime commitment to a free, secure, and open Indo-Pacific area, the region's stability and spectacular economic growth have been strengthened. In order to maintain a rules-based international order, the United States will remain committed to the region. We'd be delighted to have the government of India join us in this endeavor. According to Tillerson, the Indo-Pacific region is one of peace, stability, and growing wealth, rather than one marred by conflict and exploitative economic policies. For this, work with like-minded nations on the basis of tenacity and regional building. International law, free trade, and peaceful dispute resolution are all things in which we have a stake as a global community. It is our shared values and common interests that guide our vision for the Indo-Pacific region. Located in this region are the world's most populous and fastest-growing economies. Multiple significant commercial restrictions exist in the region's oceans. Natural resources in this area are plentiful, making it a hotspot for international trade and investment. For more than a decade, US and Indian officials have rated security and military cooperation as one of the most important aspects of transformed bilateral relations, with the bilateral defence partnership being viewed as "an anchor of global security" and India's growing role as a net provider of security in the Indian Ocean region.

Objective of Research Paper :

(A) To Know Briefly Outline Five Pillars of India and USA Relations That Can Provide the Framework For Our Strong Partnership.

(B) To know India-USABilateralSecurity and Strategic Contemporary Relations.

Security Relations on a Bilateral Basis : Combined military exercises involving all branches of the military have become commonplace. Furthermore, defense trade has emerged as a key aspect of the bilateral relationship: India is now a big buyer of arms on the world market and a profitable potential customer for American firms. Since 2008, the two countries have inked defense contracts worth at least $20 billion (in current terms), up from $500 million the year before. As previously stated, India's regional strategy has emphasized the 'Quad' consultative system from 2020. However, US law enacted in 2017 (known as 'CAATSA,' see below) aims to oppose US rivals, particularly Russia, and might result in sanctions against India for its purchases of Russian defense equipment. Differences over Afghanistan strategy and US concerns about India's democratic collapse are two other potential points of contention. The US and India inked a 10-year defense framework agreement in 2005, establishing plans for multilateral operations, expanded two-way defense commerce, and increased prospects for technology transfers and co-production. The contract was strengthened and renewed for another decade in 2015, and it called for four subgroups of the existing bilateral Defense Policy Group (DPG, founded in 1995) to serve as the principal instrument to oversee the US-India strategic defense collaboration. The DPG mechanism was not used by the Trump administration.

President Obama classified India as a 'major defence partner' during Prime Minister Modi's 2016 visit to Washington, DC (MDP). Designed specifically for India, the MDP aims to "raise defence trade and technology sharing with India to a level commensurate with that of our closest allies and partners" and "institutionalise improvements taken by the US to assure robust defence trade and technological collaboration." For export licences to India, this categorization was created in part to carry over the presumption of approval from the previous administration's policies. By the year 2021, Secretary of Defense Austin had stated that India's MDP status would be "more operationalized." As of 2018, Indian companies can purchase military and dual-use technologies without needing a licence from the Commerce Department's Strategic Trade Authorization Tier-1 programme. USA The United States and India's defence collaboration has been explicitly approved by Congress, and Congress has attempted to influence the scope and direction of this cooperation. National Defense Authorization Act of 2017 (NDAA) Section 1292 mandated that the Secretary of State and Defense work together to increase defence and security cooperation with India. US-India defence cooperation in FY2019 (P.L. 115-232) has been revised to better identify and remove obstacles to more rapid progress.

Cooperation in Intelligence and Counter-Terrorism : Both United States and India's Joint Working Group on Counterterrorism (CT), established in 2000, is one of the longest-running discussions between the two nations. A third U.S.A.-India Designations Dialogue, held virtually in September 2020, brought together the State Department Coordinator for Counterterrorism and his counterpart from India's External Affairs Ministry to discuss counterterrorism cooperation, including intelligence sharing, between the two countries. These terrorist organisations have been singled out by both parties as requiring "immediate, persistent, and irreversible action" by Pakistan. This includes a "strong condemnation" of cross-border terrorism in all of its forms. According to the State Department's Country Reports on Terrorism 2018, "continued shortcomings in intelligence and information sharing adversely hampered state and central law enforcement authorities in India." India's security agencies are skilled at disrupting terrorist threats despite major gaps in intelligence and information exchange, according to the 2019 version. Indian security officers have received anti-terrorism training from the United States for more than a decade.

It was co-chaired by the United States Homeland Security Secretary and India's Home Minister in 2011. The project has aimed to encourage agency-to-agency interactions on counternarcotics, counterfeit money, illicit finance and transnational crime, infrastructure security, transportation and trade, coastal security, and large-city policing. According to reports, a draught plan to establish six new working subgroups in the areas of illicit finance, financial fraud, counterfeiting and cyber information, megacity policing and information sharing among federal government, state government, and local law enforcement agencies was finalised at a mid-2018 meeting. Progress appears to have been hampered by disagreements on data localization. In March 2021, officials from

both countries resolved to restart the Dialogue and "explore key concerns including as cybersecurity, developing technology, and combatting violent extremism."

Multilateral Export Controls and Nuclear Weapons Proliferation : There are currently 150 nuclear warheads in India's arsenal, as well as a triad of functioning delivery vehicles, according to public sources. It's also worth noting that India has a large stockpile of high-enriched uranium and continues to produce weapons-grade plutonium. Over 5,000 kilometres away from India, China's eastern population centres can be targeted by Indian ballistic missiles. Some have argued that India's long-standing policy of not using nuclear weapons as a first resort has been weakened by New Delhi's 2003 statement that it could use nuclear weapons in reprisal for chemical or biological attacks. Indian nuclear material and installations have not been subjected to IAEA safeguards under the Non Proliferation Treaty.The international Nuclear Suppliers Group (NSG) decided in 2008 to remove India from elements of its export guidelines that needed such safeguards, based on Washington's request. India joined three important multilateral export control regimes during the 19-month period ending in January 2018 the Missile Technology Control Regime, the Wassenaar Arrangement, and the Australia Group. Since 2011, the NSG has been exploring India's admission, with US support, but China is one of the countries who is blocking it.

Economic and Commercial Relations : This brings me to the economic and commercial relationship, which I believe is an essential component of any successful strategic alliance. India's economy is booming as it becomes more integrated into the global marketplace. As a result, the relationship between the United States and India in terms of commerce and investment is growing. As of 2020, bilateral trade is expected to reach $135 billion, up from just $40 billion in 2010. Goods and services may flow freely both ways because our marketplaces are so large. This trend toward more reciprocal trade is already underway.All of the United States trading partners need to work together in order to create a fair and balanced market. Trade with India is a major worry for us, and we are concerned about the deficit. We applaud India's efforts to advance its reform agenda, market access, and intellectual property protection. It is in our interest to collaborate with India to quickly address any trade or investment problems. For Prime Minister Modi's long-term economic progress, we believe that free and fair trade will help. It's encouraging to see Prime Minister Narendra Modi's commitment to making India a better place to do business.'Make in India' and 'America First' do not conflict. There are many benefits to investing in each other's markets rather than putting strategic glasses on our economic connection, but let me go ahead and argue that it is time to place strategic glasses on this relationship like we have done for our defence partnership. Doing business in China is becoming increasingly challenging for many American enterprises. While some businesses in the area have decided to reduce their output, others are searching for new markets.As an alternative base for American businesses in the Indo-Pacific, India has the potential to exploit critical opportunities through trade and investment. India will be seen as a regulatory market with increased efficiency and openness as Prime Minister Modi's economic and regulatory reforms accelerate. Growth and development will be boosted as a result of this. As trade liberalisation and reforms continue, Indian producers will be better equipped to integrate into the global supply chain, resulting in more jobs being created faster.

Private sector investment in greater infrastructure and connectivity will be bolstered as more countries open their markets to American goods and services. It's possible that new technologies developed by U.S. corporations could aid the ambitious ambition of India's government to establish 100 smart cities across the country. An American joint venture is building locomotives that meet global emission requirements in order to upgrade the Indian Railways, and civil aviation is another area where expanded cooperation would benefit both countries. The robust growth of our economic ties will undoubtedly strengthen the India-US relationship, along with a broader and deeper long-term commitment from the United States of America.

Energy and Environment Relations : Another pillar is the expanding strategic cooperation on energy and environmental issues. Increasing population, increasing wealth, and increasing urbanisation will all increase India's energy demands in the years to come if the country is to continue expanding and developing in a sustainable and comprehensive manner. It's in the best interest of the United States and India to form a comprehensive energy partnership. Nuclear power is included as well as clean fossil fuels and technologies such as smart grids, energy storage, and renewable sources of energy. In fact, the United States shipped its first big crude oil supply to India last year. For India's attempts to further expand domestic sources of energy and energy security, the United States may provide services, infrastructure, and technology that are necessary.The Strategic

Energy Partnership between the United States and India will be held at the ministerial level in the first half of the year. We eagerly await Perry's arrival in India as Energy Secretary. We need to work together to improve electricity and energy conservation. An increasing number of American corporations are helping to stabilise India's expanding electricity infrastructure by bringing in cutting-edge technology and expertise. Additional collaboration is taking place on the rules, regulations and financial investments that are needed to build a long-term and profitable grid, as well. India and the United States have a long-standing environmental partnership that spans to both land and sea. On the marine biodiversity front, there are scientific exchanges, as well as collaboration on mining and pollution in the sea. Our fisheries and coastal towns will be able to thrive for years to come as a result of this.

Science, Technology, and Health Relations : The fourth pillar of our partnership focuses on sustainable and inclusive growth for the welfare of our people. This includes work important to science, technology, and health. Our US-India Science and Technology Fund has helped fund many innovative projects, including those to advance health care, environmental reform, and agricultural modernization and in space beyond Earth, NASA and ISRO scientists often collaborate, demonstrating that our partnership really knows no bounds.

In addition to their direct influence on our people's health and safety, these challenges have an indirect impact on their economic productivity and general social well-being, making them a shared responsibility. So, we're constantly seeking for innovative strategies to prevent and treat disease. Currently, we are working together to create vaccines for tuberculosis, dengue, and other diseases that pose a threat to the global population. As part of the Global Health Security Agenda, including antibiotic resistance, we are also working on illness screening, preventing and fighting epidemics, and streamlining disease detection. HIV/AIDS and other infectious diseases are also addressed in our health care strategy.

Regional Cooperation : Final pillar of our strategic alliance is regional collaboration to promote security and well-being. The following are a few examples of how we can work together. Afghanistan is the first country in which we both have a strong desire to see peace and development. Afghanistan's National Unity Government and democratic institutions are a priority for our leaders, and we will continue to work with them. We're all putting in a lot of money to help rebuild Afghanistan and give it a brighter future. Additionally, these activities aid in the elimination of terrorist safe houses in the region. Multilateral operations with other like-minded countries, such as Japan and Australia, are another area of our cooperation. Since our first joint naval exercise with Malabar, our trilateral dialogue has grown significantly. A quadrilateral meeting with Australia was conducted for the first time in ten years to discuss our vision for the rule-based Indo-Pacific. All of our democratic allies should be encouraged to join us in developing international groups.Similarly, we need to step up efforts to boost connectivity inside South Asia, which is one of the world's least economically integrated areas. For the first time, the United States is looking into how our assistance programmes may be used to help regional national infrastructure projects. Other countries and bilateral development institutions should also be involved in financing infrastructure projects in the region. Another area of focus is humanitarian aid and disaster relief in the Indo-Pacific region. Efforts to help those affected by natural disasters are only as good as the cooperation between civilians and the military that has been planned and practised. It is possible that the United States and India could profit from working together in the event of a natural disaster.

Conclusion : Overall, the India-USA strategic partnership has a very ambitious agenda. In today's turbulent world, there is a perseverance and there should always be a firmness of partnership. This is, in my opinion, as critical a partnership in international relations as any other, both in terms of the opportunities it presents and the ripple effects it could have across the Indo-Pacific and beyond. Both India and the United States are working hard to maintain their national sovereignty. The real importance of our relationship is that it gives us the ability to have a good impact on world affairs and to accomplish our people's highest hopes for safety and prosperity. Friendship demands that we treat one other with respect, trust, acceptance and acceptance of ourselves and each other's viewpoints as well as a high degree of flexibility and consistency.India's foreign policy towards USA has been the by-product of specific historical background in which contribution of various leaderships, diplomats, military officers and Indian Diaspora have been outstanding. This historical backdrop to a great extent has influenced the growth of various principles and theories of India's foreign policy towards USA. In this globalized world, one thing is certain that no one can overlook India due to its population, big market, software power and its commitment towards democratic beliefs. That is why, India-US ties are the need of the hour for a

better society in the world.President Trump has called India a 'True Friend' and Prime Minister Modi reiterated Prime Minister Vajpayee's statement in which he described our countries as 'Natural Friends'. Now it is up to us to further refine this terminology. We must build a strong and sustainable partnership that is flexible and friendly. Let's embrace the opportunities before us so that future generations can see this time as a real transformation of the India-USA relationship.

References :

1. PratapBhanu Mehta, "The Real Darkness on Horizon Is the Turn Indian Democracy Is Taking" (op-ed), Indian Express (Delhi), January 30, 2021; AshutoshVarshney, "India's Democratic Exceptionalism in Now Withering Away" (op-ed), Indian Express (Delhi), February 23, 2021.
2. Joe Biden, Narendra Modi, Scott Morrison, and YoshihideSuga, "Our Four Nations Are Committed to a Free, Open, Secure and Prosperous Indo-Pacific Region" (op-ed), Washington Post, March 13, 2021.
3. Jeff Smith, "Strategic Autonomy and U.S.-India Relations," War on the Rocks, November 6, 2020.
4. V.K. Saxena, "COMCASA - The Bigger Picture," Vivekananda International Foundation, September 19, 2018, https://www.vifindia.org/article/2018/september/19/comcasa-the-biggerpicture;
5. Ankit Panda, "What the Recently Concluded US-India COMCASA Means," The Diplomat, September 9, 2018, https://thediplomat.com/2018/09/what-the-recently-concluded-us-india-comcasa-means/.
6. Abhijit Singh, "The Imaginary Fears Around COMCASA," Mint, August 8, 2018, https://www.livemint.com/Opinion/tOCVbJScokDup4Vl4K9ALN/Opinion-The-imaginary-fears-around-Comcasa.html
7. Caitlin Byrne, "Can the Quad Navigate the Complexities of a Dynamic Indo-Pacific?," Observer Research Foundation (New Delhi), November 1, 2019.
8. Raja Mohan, "Confusion Reigns on What the Quad Is and Its Future in India's International Relations" (op-ed), Indian Express (Delhi), October 6, 2020.
9. "India Will Never Be Part of an Alliance System, Says External Affairs Minister Jaishankar," Hindu (Chennai), July 20, 2020.
10. IndraniBagchi, "India Boosts Its Profile in West Indian Ocean," Times of India (Delhi), October 26, 2019.
11. Jagannath Panda, ed., "Quad Plus: Form Versus Substance," Journal of Indo-Pacific Affairs 3, 5 (2020).
12. The first-ever major U.S. arms sale to India came in 2002 with the delivery of 12 counter-battery (or "Firefinder") radar sets worth $190 million (see the January 21, 2021, State Department fact sheet at https://go.usa.gov/xHkuU).
13. Joshua White, "After the Foundational Agreements: An Agenda for US-India Defense and Security Cooperation," Brookings Institution, January 2021.
14. June 7, 2016, Joint Statement at http://go.usa.gov/x8EFV.
15. U.S. Department of Defense and U.S. Department of State, "Enhancing Defense and Security Cooperation with India, Fiscal Year 2017," Joint Report to Congress, July 2017, at https://go.usa.gov/x6HfD.
16. The Senate Armed Services Committee's January 2021 transcript at https://go.usa.gov/xHKGX.
17. The Military Balance 2021 (Routledge), 2021; "Trends in International Arms Transfers 2021," SIPRI Fact Sheet, March 2021.
18. Ashley Tellis, "India: Capable, but Constrained," in Gary Schmitt, ed., A Hard Look at Hard Power: Assessing the Defense Capabilities of Key US Allies and Security Partners, 2nd ed. (US Army War College Strategic Studies Institute), October 2020.
19. https://in.usembassy.gov/u-s-and-indian-armies-participate-in-exercise-yudh-abhyas.
20. "India-US Homeland Security Plan Drafted," Press Trust India, September 3, 2018.
21. March 23, 2021, Department of Homeland Security readout at https://go.usa.gov/xHZvC.
22. Hans Kristensen and Matt Korda, "Indian Nuclear Forces, 2020," Bulletin of the Atomic Scientists 76 (July 20, 2020); Arms Control Association, "Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance," August 2020.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 48-50

The Tempest - A Study in Ethnic Disparity

Dr. Shiva Mahzavi*
Assistant Professor, Gandhi Faiz- E- Aam College, Shahjahanpur, U.P

Abstract : It is a known fact that each individual considers himself as an embodiment and example of best human lot in comparison to his counterparts. 'The Tempest', a famous play by William Shakespeare,presents the same fact as it deals with the issues of racial discrimination and class consciousness. It talks about the identity in contemporary terms. A major theme in the play is colonialism which can be described as 'the practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers and exploiting it economically'. This paper intends to discuss the issues related to race, class, gender, homelessness, nostalgia and immigration in the famous play 'The Tempest' by William Shakespeare.

Keywords : Individual, Embodiment, Identity, Colonialism, Race etc.

Introduction : William Shakespeare (1564-1616) is one of the greatest dramatists in the literature of the world. In English Literature he occupies a unique position. It is an acclaimed fact that no other poet or dramatist has received such universal recognition and fame as Shakespeare does. The miraculous charm and immortal appeal of Shakespeare's plays is due to the latent variety in it. All the plays of Shakespeare reflect the life, manners and customs of England of his own time. The then England has been truthfully reflected in the plays of Shakespeare. Social, intellectual and imaginative aspects of the age get faithfully reflected in his works. The plays of Shakespeare reflect his keen insight into human nature. He has realistically portrayed thedesires of humans for their search of identity. It is only his high imagination that has created a real world in his plays with characters breathing and living like real individuals. He is so famous that time has no effect on to his works. Even today, his works are greatly appreciated in the whole world. His universality has the power to immortalise him in this world. Ben Johnson has praised Shakespeare in the following words-

"He was not of an age, but for all time!
Nature herself was proud of his designs
And joy'd to wear the dressing of his lines'
Which were so richly spun, and woven so fit,
As, since, she will vouchsafe no other wit."[1]

Shakespeare's characters make unfailing appeal to human heart. His plays are considered to be an embodiment of real happenings in the day to day life. Shakespeare is a great humourist but his humour is different from the modern idea of humour. In his plots Shakespeare is never original. He borrowed stories from his predecessors but he presented them with such an excellence that event the original material get flavours and applauses. He has mastery in the art of presentation. His plots are embodiment of compactness and exactness. He employs different stages in the development of plot.There is unique harmony between the characters and the events can in his plots. The language employed by Shakespeare in his plays is grand and majestic. His command of language and the magic of expression cannot be easily diluted. He is unparalleled in it. The use of blank- verse and rhymed couplet is very frequent in his works. He majestically uses blank- verse andcreates an illusion of reality. It is a well- known fact that Shakespeare borrows his tales. The tale of 'The Tempest' is taken from several possible sources as SilvesterJourdan's account of the wreck of Sir George Samer's Ship called" The Sea – Venture " off the Bermudas.

Discussion : The Tempest is considered to be the last play by him published in 1611 in England. The play is a beautiful example of tragicomedy as it contains a blending of both tragic and comic forms. It shows Shakespeare's artistic technique of painting each and every character with his own individuality.'The Tempest' is considered as an allegory of European colonization. Through the character of Caliban we witness the victim of colonist tyranny.

The discovery of new land by Christopher Columbus in 1493 had signified a new era in the west. European powers exploited the territories to enhance and elevate their economic, political and social status. To generate profits from these areas European countries sent laborers and settlers to exploit resources and this process led to the establishment of colonies. During 17th century in England, when the play was written, the

terms, the new world and the old world were very prominent and important. Growing imperialism and colonialism resulted in the bondages of inhabitants and natives. These natives were in the constant control of the outward power which made them miserable and pitiable. They were negatively referred to as savage, evil, deformed, knave, wild, uneducated and several others derogatory remarks were applied to them. In 1607 colonialism had reached a new height in the western world because of the first English settlement in James town, Virginia. Some critics believe that the shipwreck off the Bermuda in 1609 has been made use by Shakespeare in 'The Tempest' and that Shakespeare has discussed 'colonial problem' in the play. 'The Tempest' explores the complex themes of European colonizer and the native colonized peoples. Exploitation and colonization led directly to slavery and the conquering of native peoples. The play also explores the fears and opportunity that colonization creates. Exposure to new and different people lead to racism and intolerance which further hurt the humanity and help in the shameless practice of slavery. The expanded territory established by colonizers thus represents the exploitations of natives without any voice of their own.

In 'The Tempest' Prospero as an imperialist exerts control over the island and the natives. Prospero can be seen as a representative of the Europeans who enslaved the natives. He has been portrayed as a complex and contradictory character. He lived in an island somewhere in a Mediterranean sea with his daughter Miranda and two servants Caliban and Ariel. Caliban, a savage monster figure was the son of Sycorax, considered to be a native and master of his island. He is half human and half monster and was forced into slavery by Prospero. His name Caliban seems to be the English source of Cannibal. His portrayal reminds us the practice of colonialism. He is conscious of his superiority over some of the white people of the colonist party who wrongly claim their superiority over the savages. It was he who introduced Prospero to his island. Caliban says-

"This island's mine, by Sycorax my mother,
Which thou takest from me. When thou came as first,
Thou strok'dst me, and mad'st much of me; wouldst give me
Water with berries in't; and teach me how
To name the bigger light and how the less,
That burn by day and night; and then I lov'd thee,
And show'd thee all the qualities o' the isle.[2]

He feels acutely that he is dispossessed off his island by Prospero. Natives shows the beauties of their islands to the civilized foreigners but the natives get devoid of their own cultural practices, sacred testimonies and language. Such inhuman treatment of civilized foreigners widens the moral gulf between them. Natives are treated merely as slaves which doubles their miseries. Prospero speaks to Caliban just as a white colonizer would speak in a snubbing tone because of the ungratefulness of the savages who are not benefitted by the culture and kindness of the colonizers. As Prospero says

"Thou most lying slave.
Whom stripes may move, not kindness! I have us'd thee,
Filth as thou art, with human care. Abhorred slave.
Which any print of goodness wilt not take,
Being capable of all ill! I pitied thee,
Took pains to make thee speak, taught thee each hour
One thing or other: when thou didst not, savage.
Know thine own meaning, but wouldst gabble like
A thing most brutish, I endow'd thy purposes
With words that made them known."[3]

Prospero himself feels alienated as he was undergoing an extremely emotional isolation or dissociation from others. He himself was trapped in the web of the fate where he was bitterly betrayed by his brother. He was in exile as he was not living in his own native country. He himself worked immensely hard to search his own identity. Though he was full of grudges and anger, he rationally controlled his emotions and feelings in order to reach to great heights.

The character of Ariel is portrayed as a spirit of all the elements like fire, water, earth and air. He performs many tasks he is a spirit of very high order and commands other spirits of inferior orders. The chief qualities which Ariel represents are lightness, swiftness, restlessness, motion buoyancy, and freedom.

Thus power and slavery both play a dominant role in the play. From the very beginning till the end of the play, the characters were entangled in a strange struggle for power. Prospero lost his Dukedom for the same reason that Dr.Faustas in the play 'Dr. Faustas' by Christopher Marlow lost his salvation, that is , his inordinate desire for knowledge. The difference between Faustus and Prosperso is that the latter only indulge in white magic. The play displays that how social structure and strata defines ones standing in the society.

Act three Scene two starts with Caliban, Stephano and Trinculo heavily intoxicated and planning to kill Prospero. Caliban says,"Lo,lo again! Bite him to death. I pritheeStephano replied,'Trinculo, keep a good tongue in your head ; if you prove a mutineer, - the next tree! The poor monster's my subject, and he shall not suffer indignity"[4].

Caliban, Trinculo and Stephano plot to kill Prospero. Caliban wished to enjoy the power that Prospero holds. Thus there was a struggle for power in the play.

Shakespeare unknowingly seems to portray Prospero in a way that he neglects Caliban and hurls him with insults. He draws a parallel between Caliban and Prospero, secretively symbolizing the colonized and the colonizer respectively. For decades slavery flourished as the primary economic driving force in New World colonization leading to import of an African and south Asian slave living in New World colonies. Prospero stands for the type of enlightened settler or colonist, while Caliban represents the aboriginal and uncivilized tribes who were being disposed in the new world by Elizabethan colonists. Amie Cesarie, an anti-colonialist visionary and prophet of negritude, in his famous post-colonial writing 'A Tempest', draws a subtle parallelisms to Shakespeare 'The Tempest' to emphasis the effects of colonialism, erasing the colonized sense of identity and viewing them inhumanly, through the use of language between Caliban and Prospero. Moreover Prospero used Caliban as an object, someone who is only helpful for gathering the resources to benefit his master, Prospero. Thus Prospero has a power hungry colonizer in him who used the colonized native, Caliban, to pull resources out of his native island with no regard to the colonized. Colonizer remains unconcerned towards the feelings, emotions and requirements of the colonized. It has been seen that the colonizer views the colonized as inferior and inhuman because they are governed with the sense of superiority, racism and biasness towards the natives who were considered uneducated. They subconsciously erase the identity of the colonized and made them use their own language and knowledge

Conclusion : It can be said that 'The Tempest' treats issues of race and class in an exhaustive manner. There are innumerable incidents and events in which we witness the practice of discrimination in the play. The quest for identity has been outlined as a major theme of the play. The identity has not only been searched by Caliban or Ariel only, even Prospero, the protagonist, yearn to regain his lost identity.His exile and alienation can be seen as very important paradigms in his search for identity. In today's context we can see that the psyche of generations of people in countries once colonized has been changed to a great extent. The search of individual for an identity has been proved immensely helpful in shaping one's personality irrespective of his ethnicity.

References :

1. Jonson Ben, To the Memory of My Beloved the Author, Mr. William Shakespeare https://www.poetryfoundation.org/poems/44466/to-the-memory-of-my-beloved-the-author-mr-william shakespeare.
2. Gupta Poonam Rani, Shakespeare's The Tempest,Vimal Prakashan Mandir, Agra.
3. Ibid.
4. Ibid.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 51-52

Paulo Freire : Investigating the role of Critical Pedagogy in the Neoliberal era

Mahima Yadav*
***Assistant Professor, Education Department, Sahu RamSwaroop Mahila Mahavidyalaya, Bareilly, U.P.

Abstract : Neoliberalism has suppressed the voices of equality and social Justice in education. Oppression and dominance continue at various levels of education. Paulo Freire, the most influential educational thinker of the twentieth century, is much needed today in an inegalitarian society like ours to understand the values of Democracy, Equality, and Social Justice. Freire's pedagogy is synonymous with critical pedagogy, critical literacy, dialogical pedagogy and praxis learning. Freire has opened a frontier of liberating education and it has to be reinvent according to one's own situations and in one's own words. Understanding, re-inventing and re-creating Freirean thinking is vital to counter the neo-liberal vision of education.

Keywords : Critical pedagogy, Critical literacy, Liberatory education, Dialogical pedagogy, Praxis learning etc.

Neoliberal forces are stifling the vision that Education has a responsibility to create a democratic, equitable and just society. Paulo Freire, the most influential educational thinker of the twentieth century, has deeply analyzed the Political character of Education. For Freire, education is inherently political, never neutral. Education either domesticates people by imposing the values and culture of the dominant class or it liberates people by helping them to become critical, creative, free, active and responsible members of society. So the Politics of Education is paradoxical. This politics can be the 'Politics of status-quoism' as well as the 'Politics of transformation'. When education works in the interest of hegemonic groups to validate, protect and preserve the existing hegemony, it serves the politics of status-quoism and oppression. Whereas when education inspires critical thinking, questions existing power-relationships and empowers to challenges the inegalitarian structures, it is the vehicle of social transformation and liberation. A liberating education has a reconstructive character: it involves a commitment to overcome the forces of oppression and thereby reconstruct society. Freire is a pedagogue of liberatory education. Freire's pedagogy is synonymous with critical pedagogy, critical literacy, dialogical pedagogy and praxis learning. It has contributed to the development of popular education, participatory-action research and transformative learning theory.

According to Freire, the social order consists of oppressors and the oppressed, and the oppressors use education as a form of oppression to maintain unequal power relations. The unjust social relations between the oppressed and oppressors results in the dehumanization of the oppressed as well as oppressor, and they must struggle to overcome this in order to restore the humanity of both. The oppressed cannot be liberated by the oppressors, but rather by themselves and "by those who are in true solidarity with them" (1970, p. 45).

Education, therefore, must take into account this power relation. The pedagogy of the oppressed is "a pedagogy that must be forged *with*, not *for*, the oppressed" (1970, p. 48). Through this pedagogy, oppression and its causes become objects of reflection by the oppressed, and from that reflection comes action towards liberation. Freire also emphasises the dynamic nature of this pedagogy, and that it will be "made and remade" over the course of this process of reflection. A key component of this reflection is the realization that reality is not a static, unchangeable world, but rather "a limiting situation which they can transform" (1970, p. 49). This understanding is necessary for liberation, and is a motivating force for taking action.

Freire's development of critical pedagogy stems from his critique of what he calls the "banking system" of education, which is found in educational settings throughout the world. In the banking concept of education, knowledge is a gift bestowed by those who consider themselves knowledgeable upon those whom they consider to know nothing. Projecting an absolute ignorance onto others, a characteristic of the ideology of oppression, negates education and knowledge as processes of inquiry. The teacher presents himself to his students as their necessary opposite; by considering their ignorance absolute, he justifies his own existence. By minimizing the creativity and critical thinking of the students, the banking system serves the oppressors by preventing the students from understanding or transforming reality.

Implicit in the banking system is the dichotomy between human beings and the world, that human beings are simply in the world and separate from it. The individual thus possesses an empty "mind" passively open to deposits of reality from the outside world (1970, p. 75). Therefore, the role of the educator in the banking system

is to regulate the way reality "enters into" the students. Education also serves to indoctrinate the students to adapt to the world of oppression. Education itself is thus a form of oppression, and serves to maintain the existing social order.

Education for the struggle of liberation, therefore, must involve the rejection of the banking system and the reconciliation of the student-teacher relationship, so that both are simultaneously teachers and students. In the banking system, the student-teacher relationship is vertical, with the teacher in a position of power and superiority. To resolve this, a more horizontal relationship between teachers and students should be promoted, as both have knowledge to share, and both have the capacity and need to teach and learn.

Friere sees problem-posing education as the antithesis of the banking system, and through problem-posing education both teachers and students can achieve liberation. The key pedagogical principle of problem-posing education is dialogue between teachers and students. Through problem-posing education, the oppressed critically question reality, and engage in acts of cognition rather than transfers of information (1970, p. 79). In order for problem-posing education to occur, the student-teacher dichotomy must be resolved. The teacher is no longer the one who teaches, but is rather engaged in dialogue with the student, who in turn teaches the teacher. Both teachers and students teach and learn through this process. Through this process of dialogue, teachers and students critically examine reality, and come to realize its dynamic, transformational nature.

Freire states that the task of the teachers, who are also learners, is both joyful and rigorous. This task demands seriousness and scientific, physical, emotional, and affective preparation. It also demands the evaluation of practice and the reform of teacher education. A teacher's success depends on a permanent commitment to learning and training, as part of an ongoing appraisal of classroom practice. By opening themselves to recognition of the different roads students take in order to learn, teachers will become involved in a continual reconstruction of their own paths of curiosity, opening the doors to habits of learning that will benefit everyone in the classroom.

A move from the banking method to dialogical method, from a just sitting and listening object to a critical subject, from conservative and traditional keepers of the status quo to a social transformer, etc. is important for a modern education system and a democratic society. We require education for democracy which can contribute to a more democratic individual and society. Democratic education that fosters critical thinking, can contribute to a more democratic society.

In the present education systems with the dominance of Neo-liberalism in the academic world, it is not uncommon to hear that education must be neutral and has nothing to do with politics. As opposed to this thought, Freire reminds us that education is deeply a Political Project. It is through dialogue with their pupil that progressive and rational teachers contribute to learning and development of knowledge. Paulo Freire's dialogical method was, is and will continue to be relevant in the teaching and learning process. It is the teacher's responsibility to "Re-invent" him to be usable in the specific context. In words of Paulo Freire,"the progressive educator must always be moving out on his or her own, continually reinventing me and reinventing what it means to be democratic in his or her own specific cultural and historical context" (Freire in McLaren, 1999: 52). Paulo Freire's critique of traditional education that suppress the oppressed and helps to keep the oppressed in subjugation need to be applied to the Indian educational scenario. There is too much emphasis for narration and memorizing in Indian system to the complete neglect of creative or critical thinking. This methodology needs to be changed completely so that learning becomes a real cognitive activity which leads to meaningful and purposeful transformative action. Although, Freire has opened a frontier of liberating education but it has to be reinvent according to one's own situations and in one's own words. Freire's philosophy is valid and useful in the world today, for there is need for critical analysis of the situation, coordination, dialogue, intervention and action. Understanding, re-inventing and re-creating Freirean thinking is vital to counter the neo-liberal vision of education.

References :

1. Freire, P (1972). *Pedagogy of the Oppressed*. Great Britain: Penguin Books.
2. Freire, P (1998). *Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach*. U.S.A: West-view Press and U.K: West-view Press.
3. McLaren, P. (1999). A Pedagogy of Possibility: Reflection upon Paulo Freire's Politics of Education. Retrieved from https://lbsu300s12.wikispaces.com/file/view/Freire,+Politics+of+education.pdf
4. Freire, P., Macedo, D. (2018). *Pedagogy of the oppressed: 50th anniversary edition* (4th ed.). New York: Bloomsbury Academic.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 53-56

Evaluation of Ground Water Problems of Jaunpur District, Uttar Pradesh

Dr. Archana Raje*
***Assistant Professor,Department of Geography,C.M.P. Degree college, University of Allahabad,Prayagraj,Uttar Pradesh

Abstract : Water is a natural gift for human and other living organisms without which they cannot survive. Water is a vital component and a prime natural basic resource required for life. Over the year due to increase in population, irrigation and industrialization the demand for water has gone up to large extent.The over exploitation of underground water often results in lowering of the water table and related problem.

Keywords : Living organisms, over exploitation, water table , Population, climatic set up etc.

Jaunpurdistrict lies between 25°24' Northto 26°12'Northlatitude and 82°7 E to83° 5' E longitude in survey of India toposheet. It is one of the important districtof eastern Uttar Pradesh which is situated on the banks of the Gomti river.Total geographical area of the district is 4038 sq. km. Altitude of Jaunpur is82m. mean sea level.District headquarter is at Jaunpur having 06 number of tehsil and 21 number of blocks. As per the 2011 census,district has a population of 4,494204. The rural and urban both populations depend upon agriculture for their livelihood. The average annual rainfall is 987 mm.About 88% of the annual rainfall is received from south west monsoon.

Geological and climatic set up : Geological conditions greatly influence the hydrological characteristics of any area.Study area comprises quaternary alluvial sediments which are heterogeneous in nature and sited over the concealed basement of Vindhhyan sandstone and shale of varying thickness. Study area comprises of Gangetic alluvium which was deposited from pleistoceent to Recent.

Objective of study : Present study has been carried out to identify the availability and utilization pattern of groundwater in Jaunpur district. Also, the problems associated with groundwater in Jaunpur is indicated.

Methodology : The study is based on secondary data which are obtained from the government and nongovernment agencies.The data from central ground water board govt. ofIndia,ground water department, govt. of Uttar Pradesh and statistical year book, govt. of India have been utilized for analysis.

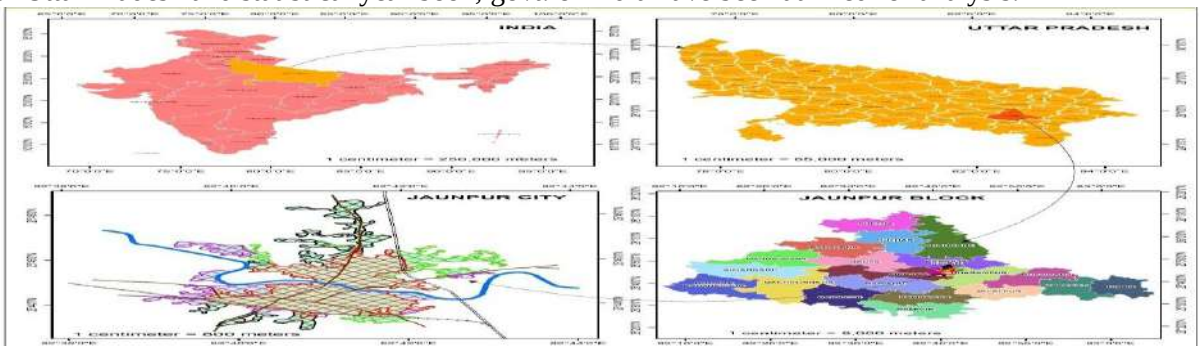

Fig.No.1- Location map of Jaunpur District ,Uttar Pradesh

Data available by Central Ground water Board, Govt. of India has been analysed to infer the JaunpurDistricts'sblockwise pattern of:

i. Annual ground water recharge.
ii. Net annual ground water availability.
iii. Existing gross ground water draft for alluses.
iv. Net ground water availability for future irrigation development.
v. Stage of ground water development.

Table-1 shows the data pertaining to above-mentioned parameter for Jaunpur district. Graphical representation of these parameters has been depicted in figure 3.1 to figure 3.5.

Spatial Distribution of parameters related to Ground Water of Jaunpur : Water table is a physical surface defining the upper limit of the zone of the saturation. Its position is indicated by the static level of water in wells.It is an indicator of the hydraulic condition prevailing in the zone of saturation. Its fluctuation results from

addition or draft from the groundwater reservoir. Thus, rising water table means excess recharge over discharge and vice versa.

Sikroni block which is situated in southern part of Jaunpur district having minimum annual ground water recharge; whereas Shahganjsituated in northern part of district indicates maximum annual ground water recharge (fig. 3.1). Shahganj has maximum net annual ground water availability while Sikroni again showing minimum availability of ground water (fig.3.2).Dharmapur, Jalalpur,M.Badshahpur,Ramnagar,Sikroni are the blocks in which ground water draft for all uses is lower whereas Shahganj, Sujanganj, Maharajganj and Badlapur have higher ground water drafts.

Net Ground Water Availability for future irrigation development is maximum in M. Badshahpur. Machhalishaher,Shahganj and Suithkalan possess moderate net ground water availability;whereas Buxa, Karanjikalan, Kirakat, Sikroni blocks are showing depletion in net ground water availability for future irrigation development as for as stage of ground water development in blocks of Jaunpur is concerned.Sikroni is showing maximum stage of ground water development.Others blocks are more or less similar stage of development except M.Badshapur blocks where it is minimum among all blocks.

Table-1.

Ground water resources of Jaunpur District, Uttar Pradesh
(Data source: Central Ground water Board, Govt. of India, 2009)

Sl. No.	**AssessmentUnits-Blocks**	**AnnualGroundWaterRecharge(inham)**	**NetAnnualGroundWaterAvailability(inham)**	**ExistingGrossGround WaterDraftFor AllUses(inham)**	**Net GroundWaterAvailability ForFutureIrrigationDevelopment(inham)**	**Stage ofGround WaterDevelopment (in%)**	**Category of Block**
1	Badlapur	7998.75	7198.88	6497.6	343.38	90.26	Critical
2	Barsathi	6385.25	5722.43	5030.79	387.54	87.91	S.Critical
3	Buxa	5591.03	5031.93	5383.48	-618.04	105.0	O.Exploited
4	Dharmapur	4084.72	3676.25	3334.42	136.41	90.7	Critical
5	Dhobi	5624.16	5342.95	4740.10	347.44	88.72	S.Critical
6	Jalalpur	5550.85	4995.77	3274.69	1487.13	65.55	SAFE
7	Karanjiakalan	5476.9	4929.21	5794.33	-1469.97	117.55	O.Exploited
8	Kirakat	5043.28	4791.12	5207.76	-632.56	108.7	O.Exploited
9	Khutan	7552.50	6797.25	6007.42	416.45	88.30	S.Critical
10	M.Badshapur	10562.35	9506.12	3565.27	5555.98	37.5	SAFE
11	Machlisahar	10982.21	9883.99	5015.91	4572.97	50.74	SAFE
12	Madiyahun	7798.32	7408.40	5175.17	1890.65	69.81	SAFE
13	Maharajganj	8352.69	7517.42	6911.96	263.58	91.91	Critical
14	Muftiganj	5104.66	4594.19	4065.13	343.72	70.93	S.Critical
15	Ramnagar	5821.79	5239.61	3079.4	1955.01	58.77	SAFE
16	Rampur	7333.37	6600.03	4658.86	1718.69	70.59	SAFE
17	Shahganj	11762.58	11174.45	7596.82	3150.6	67.98	SAFE
18	Sikrara	7324.65	6592.19	4957.75	1366.69	75.21	S.Critical
19	Sikroni	2717.35	2445.62	3821.76	-1656.83	156.21	O.Exploited
20	Suithakalan	10287.18	9772.82	6147.02	3244.90	62.9	SAFE
21	Sujanganj	9746.03	8771.43	7085.11	1381.37	80.77	S.Critical
	TOTAL	**151073.62**	**137992.06**	**107250.75**	**24189.11**	**77.72**	

Fig.No.2- Block map of Jaunpur District.

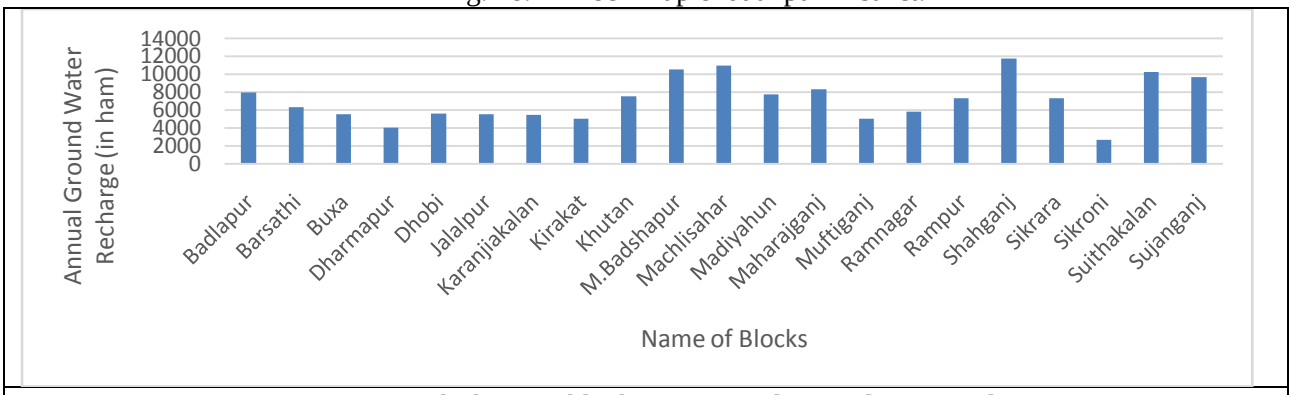

Fig.No.3.1- Graph showing block-wise annual ground water recharge

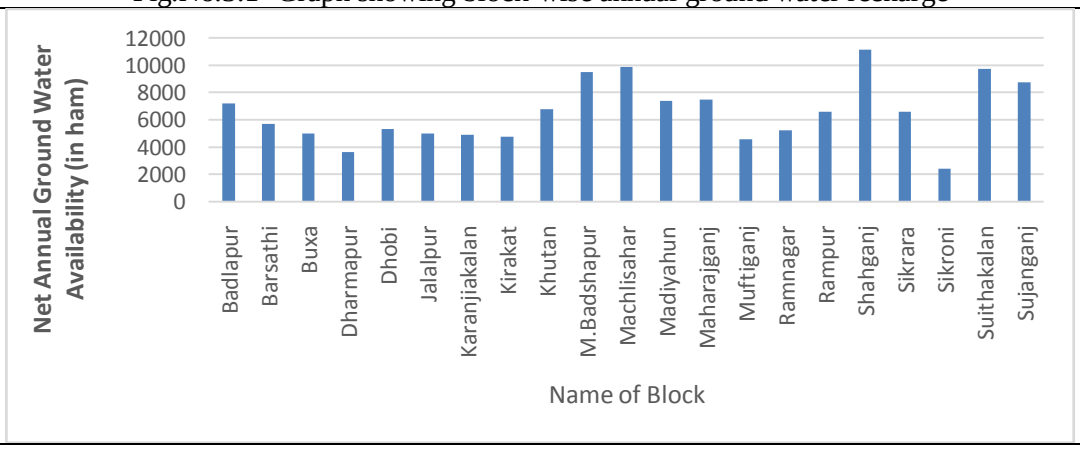

Fig.No.3.2- Graph showing block-wise Net Annual ground water Availability

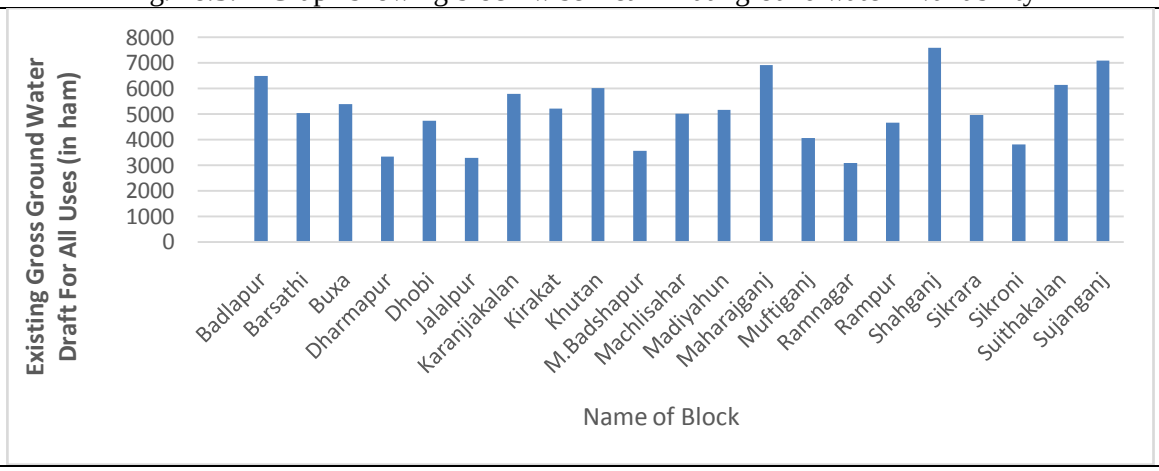

Fig.No.3.3- Graph showing block-wise Existing Gross Ground Water Draft for All Uses.

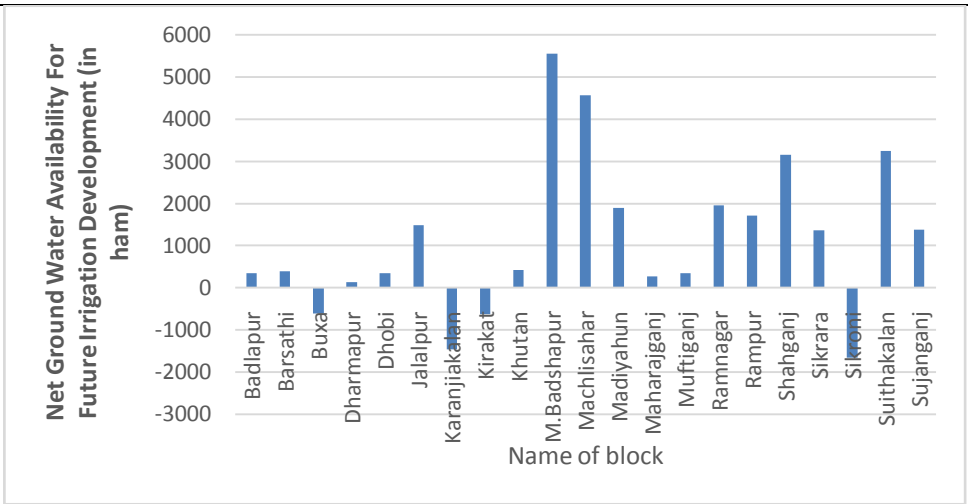

Fig.No.3.4-Graph showing block-wise Net Ground Water Availability for Future Irrigation Development.

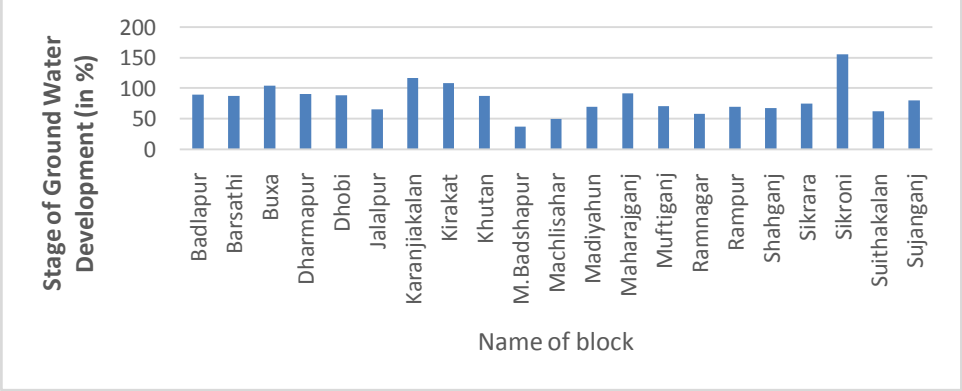

Fig.No.3.5-Graph showing block-wise Stage of Ground Water Development.

Conclusion : There is a great need to review the challenges pertaining to unplanned use of ground water resources which are arising due to over exploitation of resources because of population growth.Ground water is the main source of irrigation in the study area. About 55% area is being irrigated by ground water resources. In therecent years there is rapid growth in population and thus exploitation of ground water caused many problems particularly lowering of water table.Kirakat, Buxa, Karanjiakalan, and Sirkoni blocks falls in over exploited category. Proper ground water recharge, conservation, recycling of water and improved irrigation practices are required remedial measures. Artificial recharge technique may be adopted in the study area.Recharge pits/shafts/trenches of suitable design, should be made mandatory for all government buildings, schools and large roof top areaetc..It has been noticed that the groundwater of Dharmapur,Sirkoni and Rampur blocks ofJaunpur district and Jaunpur city were found unsuitable for irrigation.Proper water purification management is also required.

References:

1. Government of India (2017-18);Annual report ministry of water resources, NewDelhi.
2. Ground Water Brochure of Jaunpur District, U.P., AAP:2012-2013, CGWB, Government of India.
3. Annual report, 2019,UPGWBD,Ministry of water resource Government of UP, Lucknow.
4. Uttar Pradesh District Gazetteers, Jaunpur, 1980, Govt. Press, Lucknow.
5. Todd DK,1998, Ground water hydrology, Wiley, New York,second edn.,p.315.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 57-59

Dr. B.R. Ambedkar : A Path of Buddhism

Dr. Aparana*
***Assistant Professor, Mod. History D.S.M.N.R. University, Lucknow, U.P.

Abstract : Dr.B.R.Ambedkar was born in mahar caste. They were included then in the category of untouchables. The Verna system strongly prevailed in India at that time. On account of this system Ambedkar had to face different type of social discrimination in his early life. He started a struggle for untouchables to provide them a right of social equality. In this way he established BahishkritHitakarini Sabha and published a journal Mook Nayak. But when he began to draw water from that well which was exclusively used by the upper caste then the well was again purified by the upper caste. This forced Ambedkar to start a fight for the political right of untouchables. Ambedkar achieved his goal when the system of untouchability was entirely abolished by the Article 17 of constitution. After achieving his goal Ambedkar embraced Buddhism. India is a country of so many religions, what was reason behind that condition who forced Ambedkarto choose a path of Buddhism? My paper is an effort to analyze this question.

Keywords : Untouchables, Social equity, Hindu Society, Mahar Movement Buddhism etc

Introduction : Dr. B.R. Ambedkar was born in mahar caste. They were included then in the category of untouchables. The Verna system strongly prevailed in India at thattime. On account of this system Ambedkar had to face different type of social discrimination in his early life. He started a struggle for untouchables to provide them a right of social equality. In this way he established BahishkritHitakarini Sabha and published a journal Mook Nayak. But when he began to draw water from that well which was exclusively used by the upper caste then the well was again purified by the upper caste. This forced Ambedkar to start a fight for the political right of untouchables. Ambedkar achieved his goal when the system of untouchability was entirely abolished by the Article 17 of constitution. After achieving his goal Ambedkar embraced Buddhism. India is a country of so many religions, what was reason behind that condition who forced Ambedkar to choose pa path of Buddhism? My paper is an effort to analyze this question.

Ambedkar belonged to a Hindu Mahar Caste, who was treated as untouchables and subjected to intense socio-economic discrimination.[1] Before the Indian constitution abolishing untouchability, untouchable classes were divided into three categories- untouchables, unapproachable and unseeable. They numbered about sixty millions out of three hundred million Hindus. That is to say very nearly twenty percent of Hindus were untouchables.[2]

These untouchables Hindus were denied the use of public wells and were condemned to drive any filthy water they could find. Their children were not admitted to schools by the caste Hindus children. Though they worshipped the God of Hindus, observed the same festivals, the Hindu temples were closed for them.[3]

Ambedkar had to face such social discrimination from his early life. When he enter in the middle school at Satara, where he was the only untouchable, he was allowed to sit in the same room with other boys but always on the floor by himself in a remote corner. None could play with him or speak to him.[4]

During his high school he was not allowed to take up Sanskrit as the second language and was compelled to take persian against his will.[5] Even when be become professor of Political Economy in Sydenham Collage of Commerce and Economics, Bombay the inhuman behaviour continued.[6]

These types of incidents forced Ambedkar to go to the root of the problem of untouchability soon he began to publish a weekly Mook Nayak in Mumbai with the help of the Sahu (1884-1922), Maharaja of Kolhapur, 7 to remove the grievances of untouchables, since this time a bitterness could be seen in his behaviour towards Hinduism. In the first issue of Mooknayak he openly wrote that India was home of inequality. Hindu society he observed was just like a tower which has several storeyswith out a ladder or an entrance, one was to die in the story in which on was born, Hindu society he continued, consisted of three parts: the Brahmins, the non-Brahmins and untouchables, he pitied the souls of those persons who said that according to their philosophy the existed God in animals as well as in animate things and yet treated their co-religionists as untouchables.[8] He

thought that the condition of untouchables become miserable because of their lack of knowledge and power. In order to upliftment and creating a social– political awareness of untouchables he also stablished BahishkritHitakarini Sabha on 24 July 1924 at Bombay.[9] Through this organization Ambedkar not only tried to remove the problems of untouchables but also put it on the forefront of the government.

Ambedkar always raised three major issues regarding Mahar Movement: Abolition of Mahar water (on the ground that the system forced the mahar into a subordinate dependence within the village) and the compaigns to gain access to common water sources and public temples.[10]In this matter once a mahad municipality declared its Chawder water tank open to all Hindu's without discrimination but when Ambedkar drew water from the tank the orthodox Hindus duly outraged and tank was ritually purified and the end the municipal council was induced to reverse its commitment to non-discrimination.[11] Ambedkar faced this type of discrimination not only for the using of water but also for the temple entry. But his struggle against inequality remained unabated. He started a political struggle also along with social struggle. His all struggle was only for the human rights of equality. Ambedkar was sure that it is necessary to safeguard the rights of untouchables on the political ground. When he was invited to testify before the South borough committee, which was preparing the Govt. of India Act 1919 at the hearing Ambedkar argued for creating separate electorates and reservations for untouchables and other religious communities.[12]As for as the political movement was growing in India, Ambedkar bitterness for social and religious atmosphere of India was increasing and even he was reluctant that British leave India. In this matter he once said. "if majority of the people is keen to take the support of minority for bringing such a constitution which enable India to go on a path where govt. will be intend only for the people and of the people, then they will have to remit all the fear form the heart of the minorities. Ifit could not be possible then I am telling you clearly that we will again move towards the path of the Dominion States.[13]

The struggle started by Ambedkar came to an end when abolition of untouchability was adopted by the India constitution in 1950 and rights of equality was established through this.[14] After this long struggle Ambedkar embraced Buddhism in 1956.[15]

Ambedkar was attracted towards Buddhism from his early life. He tried to prove it through his research that mahar people are originally ancient Buddhist people of India. They have been forced outside a village to live like an outcaste as they refused to leave Buddhist practice and eventually they were made into untouchables.[16] He studied about Buddhism all over his life. In 1935 he declared at Yeola that he would not die a Hindu, though it took him another two decades he enact this intention.[17]

Similarly his disliking towards Hinduism was reduced at the immediate since he started to fight against social discrimination. Although he not hated Brahmas as he always remembered his one teacher of school who dropped daily a part of his meal into the hand of him during recess but his only bitterness was for the varna system of Hindu religion and he came to the conclusion that, Hindu social system is such a system which is based on verna (Colour) not on the persons. It is a system where varna have been bounded in a series to line one upon one. This is a system in which work and position of human being has been decided. Hindu social system is harsh social system. It doesn't matter for this system that post or position of person could be ever changed, regarding the other human being of other varna as member of a varna in which he has been born. The destiny of a person born in low caste is only depended on his birth caste.[18]

On the other hand when he started Buddhism profoundly then he found the solution of all the existing problem in Buddhism. He was highly impressed with these instructions of Buddha elaborated in Tripitak:[19]

1. Religion should be related with the facts and originality of life instead of baseless imagination related to God or the supreme sprit.
2. The true religion would always stay in the heart of human being not in any scripture.
3. Man and morality should always be in the forefront of religion of not the religion is only a cruel superstition.
4. The work of religion must be reconstruction of the world and make it happier instead of the elaborating its origin and end.
5. The reason behind the sorrow of the world is the clashes of selfishness and its only solution is the follow of eight-fold path.
6. Right and peace would be come in the hand of a class due to private ownership of the property and the other class suffer greatly with grief.

7. It is necessary for the society to fight against its causes for solving the reasons of its grief.
8. Every human being is a living being.
9. Quality of a man is important not his birth.
10. We should never renunciation alliance, association and fraternity towards anybody.
11. Everyman has right of achieving education. Knowledge is as essential as food for living of a human being.[20]

These are the main principals of buddha. Ambedkar thought that as much as they are older newer also and much they are extensive graver also.[21] Infacthe was troubles both social and economic discrimination and its only solution he found in Buddhism.

Conclusion : Buddha was fully in favour of uniformity. The constitution of Buddhist Monasteries was entirely based on democratic principles. He was just a simple monk amongst all monks. Moreover he was like Prime Minister between the member of his ministry. He never behaved like an autocrat.[22] As far as the question regarding Buddha opinion towards class struggle his theory of eight-fold path would recognized this fact that the class-struggle that prevails behind our sorrow and sufferings[23] and he found his only solution in Buddhism once he had studied this religion.

Lastly he came to this conclusion that the aim of aim of our society is fraternity , liberty and uniformity, there is no value of uniformity without liberty and fraternity. It seems that they thrice could only prevail if we would follow a path of Buddhism. [24]

These are the reasons behind to choose a path of Buddhism by Ambedkar.

References :

1. Waiting for a visa, **Dr. Ambedkar writing and speeches**, V-12, Part-1, Edited by Basant Moon, Education Department, Government of Maharashtra, Bombay, 1990, P. 661-691
2. DhananjayaKeer**Dr. Ambedkar: Life and Mission,**Popular Parakashan, Bombay, 1971, P.1
3. Ibid.
4. Charles A. Seldom, **Prince and outcaste as dinner in London**, New York Times, November 30, 1932, based on an interview with Dr Ambedkar.
5. Dhananjay Keer Opp. Cit., P. 18-19
6. Ibid, P. 39
7. Ramchandra Kshirasagar, **Dalit Movement in India and its leaders**, 1857-1956, M.D. Publication, New Delhi, 1994, P.82
8. Dhananjay Keer Opp. Cit., P. 41
9. Ramchandra Kshirasagar, **Dalit Movement**Opp. Cit., P. 42
10. Oliver Mendelsohn & Marika Vicziany, **The Untouchables: Subordination Poverty and the state in Modern India**, Cambridge University Press, 1998, P. 101
11. Ibid
12. Ramchandra Kshirasagar, **Dalit Movement** Opp. Cit., P. 92
13. Proceeding of the sub-committee minorities, P. 127-128, **Baba Saheb Dr. Ambedkar Vangmay(His writing and speeches),** V.5, Ambedkar Pratisthan, Samajiknyay and AdhikaritaMantralaya, Bharat Sarkar, New Delhi,8th Edition 2014,P.48
14. Article 17, Abolition of Untouchability, Part- III fundamental rights, **the constitution of India,** 1949, the parliament of India Archies, New Delhi
15. Smruti Koppikar, Magazine: BhimEklavya: From Ambaradekar to Dr. Ambedkar, The Shaping of India's dalit icon, Feb 1, 2010
16. See Baba Saheb Ambedkar Sampurna Vangamaya, V.B. who were shardaras, Publication Op.Cit.
17. Oliver Mendelssohn, Op Cit. P. 79
18. **Baba Saheb Ambedkar Sampurna Vangamaya,** V.6, Hindutya ka Darshan, Op.Cit. P. 146
19. **Baba Saheb Ambedkar Sampurna Vangamaya,**V.7, Kranti Tatha Prtikranti Budh Aur Karl Marx, Op. Cit. P. 344
20. Ibid
21. Op. Cit. P. 357
22. Op. Cit.
23. Op. Cit. P. 349
24. Op. Cit. P. 369

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 60-61

Theory and Practice of Translation in Comparative Literature

Pratyush Chandra*
*Assistant Professor, Department of English, P.S.M.P.G. College, Kannuaj

Abstract : To produce a translation is to transform into another dialect while retaining as much of the sense as feasible, says the dictionary. Translation may be described as the replacement of one dialect's literary content for another dialect's literary material. A few researchers from different places and times have described translation in distinct ways. Translation follows the first and is influenced by it. The second follows the first and is influenced by it. Although near writing is both a subject and a non-matter to some, its actuality is heavily reliant on translation. The study of comparative writing in the twenty-first century is centered on the art of translation, and translation focuses as a control that increases the cause for comparable writing in the present scenario.

Keywords : Dialect, Replacement, Influence, Comparable writing Transform etc.

Translation, according to A. H. Smith is "to make an translation of is to change into another dialect holding as a significant part of the sense as possible." Catford characterizes translation from the phonetic perspective; translation might be characterized as follows: The substitution of a literary material in one language by an identical material in another dialect. Translation has been depicted differently by a few researchers from better places at various purposes of time. For example, Theodore Appetizing characterizes translation as a workmanship; Eric Jacobsen characterizes it as a specialty, though Eugene Nida portrays it as a science, getting this idea from the German. Susan Bassnett-McGuire appropriately sees that translation includes undeniably more than the substitution of lexical and syntactic things among dialects, and as can be found in the translation of colloquialisms and illustrations, the cycle may include disposing of the essential etymological components of the content. In the Indian setting, the interpreter has a more prominent task to carry out. A few territorial literary works of the nation can arrive at all the Indian per users just through translation. So to state, India is a heaven for interpreters, and translation has an incredible breadth in our unique writing in the source language. It isn't multiplication however entertainment. It has become "new writing" might be "writing three," maybe, on account of the new disclosures in the field of etymology and abstract analysis. With the "indeterminacy of significance of a book," the requirement for translation in the advanced world is presently more noteworthy than any time in recent memory. Translation comes after the first and is subject to it. Near writing is a subject, and to certain pundits, it is a non-subject, its reality relies a great deal upon translation. In the twenty-first century, the investigation of relative writing pivots upon the craft of translation, and Translation concentrates as a control advances the reason for similar writing presently. Near writing is a response against slender nineteenth-century patriotism. The best illustration of restricted patriotism and dominion is apparent in Thomas Babington Macaulay's assertion made in 1935: I have never discovered one among them who could reject that a solitary rack of a decent European library merited the old local writing of India and Arabia. I have positively never met with any oriental's who dared to keep up the Arabic and Sanskrit verse could be contrasted with that of the incomparable European countries. (Curtin 178-79). Near writing is an investigation of inter-texuality. For example, in the event that we need to contrast a novel of English and the Oriya epic, we need to utilize either English or the Oriya as the medium, yet on the off chance that we need to analyze a French tale, we need to peruse initial an English variant of the French tale, at that point contrast it and an Oriya epic and utilize either English epic or Oriya, the two dialects we know as the vehicle of our evaluation. What I recommend here is that it is through translation that we read the writing written in a language that we don't have the foggiest idea, and in this way translation becomes visit for the investigation of relative writing. Translation carries inter-textuality as far as anyone is concerned, and that inter-textuality is the center of similar writing. Having said as much, let us look at how translation speculations and studies have modified our concept of the contrasts between the first and the deciphered content as of late. It is during the 1990s that translation considers acquired energy in the U.S.A. also, the U.K. In 1964, Paul Engle, head of Authors' Workshop at the College of Iowa, coordinated the main translation workshop. In 1965, Ted Hughes and Daniel Weissbort established Present day Verse in Translation, and in 1968, Public Translation Community distributed its first issue of Delos—a diary gave to the set of experiences and feel of translation. During the postcolonial period, there was a move in accentuation in the act of

translation in India. On the off chance that, during the pioneer time frame, English messages and creators were regularly and even arbitrarily converted into Indian dialects, in the postcolonial period, Indian language writers and language writings were being converted into English so as to contact a bigger crowd.

Here is a dumbfounding circumstance. There is an intrinsic rivalry and even clash between Indian language scholars and Indian English journalists with respect to who speaks to genuine India in their works. Language journalists run down India English authors on the ground saying that the last are inauthentic for they don't speak to the genuine Indian soul and English is an unknown dialect, etc. What's more, what is more terrible is that as per language essayists, Indian English scholars compose with the unfamiliar per- users in view, and they will in general decipher India toward the West. However, this isn't correct. Indian English scholars are as valid and reasonable as the Translation in Relative Writing.

Indian language essayists are or expected to be. They likewise write in a live expression, and in addition, one can't be a lesser Indian on the off chance that he writes in English—a language we have received as our own—and more prominent Indian in the event that he writes in bhasha language. Shouldn't something be said about the bilingual authors like Manoj Das, Kamala Das, Jayanta Mahapatra and a couple of others? Shouldn't something be said about the self-interpreters like Rabindranath Tagore and Girish Karnad? Do they become less credible when they write in English and more legitimate when they write in or transcreate into English?

The conundrum is that the greater part of the notable language essayists need to get converted into English. Because of which we have a tremendous collection of writing called Indian writing in English translation in our nation. A. K. Ramanujan, an Indian English writer and an interpreter second to none, has deciphered a huge collection of Kannada writing into English. Crafted by Prem Chand, Tagore, U. R. Ananthamurthy, Gopinath Mohanty, Vijay Tendulkar, to give some examples, are on the whole accessible in English translation. The act of translation in India is presently more from bhasha literary works into English than from English writing into Indian dialects.

References :

1. Bassnett, Susan. *Comparative Literature: A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1998.
2. Bassnett, Susan and Andre Lefevere, editors. *Translation, History and Culture*. London: Pinter, 1990.
3. Chamberlain, Lori. "Gender and Metaphorics of Translation". *Rethinking Translation*. Edited by Lawrence Venuti. London: Routledge, 1992.
4. Curtin, Philip D., editor. *Imperialism: The Documentary History of Western Civilization*. New York: Walker & Co., 1971.
5. Evan-Zohar, Itamar. "Translation Theory Today." *Poetics Today* vol. 2, no. 4, Summer/Autumn, 1981, pp. 1-8.
6. Weisstein, Ulrich. *Comparative Literature and Literacy Theory*. Bloomington: Indian University Press, 1973.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 62-64

Analysis about the role of ICT in Physical Education and Sports

Kriskna Kumar Vishwakarma*
*Assistant Professor, Physical Education, Govt.Degree College Indupur, Gauri Bazar, Deoria U.P.

Abstract : Information and communications technology (ICT) refers to all the technology used to handle telecommunications, broadcast media, intelligent building management systems, audiovisual processing and transmission systems, and network-based control and monitoring functions. This paper outlines and reports the role of Information and Communications Technology in Physical Education related to various aspects. The emergence and use of information communication technology (ICT) in this century is a significant development affecting the teaching and learning of physical education and sports. ICT applications can improve the learning process in physical education easier and accurate. The students and the teachers can both benefit.

Keywords : Physical Education, Information and Communication Technology, Computer, Telecommunications, Broadcast media etc.

Introduction : Information and Communication Technology is the technology required for the processing of data and other information. It is the combination of telecommunication and computer science for the capture, storage, and transmission of information to any nook and corner of the world. Basically ICT has to parts – computer technology and communication technology. Computer technology provides the basis for processing of data to convert it into useful information. Communication technology also called telecommunication technology; consist of electronic devices and systems for communication over long distance. The teachers are now free to use various facilities of the computer and communication advantages both in classroom and at their homework. The increased powerful and lesser cost computers and other information devices are made classrooms for most effective transactions. The teaching aids such us LCD projector and other audio visual devices make classrooms wonderful. Education is no longer limited to classrooms. Even if students and teachers are not in the same premises, they can very well communicate with others. There are many online educational courses whereby students are not required to attend classes or be physically present for lecture. Information and Communication Technology is the technology required for the processing of data and other information. Basically ICT has to parts–computer technology and communication technology. Computer technology provides the basis for processing of data to convert it into useful information. Communication technology also called telecommunication technology; consist of electronic devices and systems for communication over long distance. The teachers are now free to use various facilities of the computer and communication advantages both in classroom and at their homework. The increased powerful and lesser cost computers and other information devices are made classrooms for most effective transactions. The teaching aids such us LCD projector and other audio visual devices make classrooms wonderful. The students can interact with experts and professors of other institutions with the help of interactive instructional initiatives. A number of learning tools simulations and instructional software are available in the web teachers can now able to expose students to outside places Computer technology has made the dream of distance learning a reality. Education is no longer limited to classrooms. Even if students and teachers are not in the same premises, they can very well communicate with others. There are many online educational courses whereby students are not required to attend classes or be physically present for lecture. They can learn from the comfort of their homes and adjust timings as per their convenience.

Information Technology in Physical Education and Sport : The information age was 1970's. The change was brought to the society with the creation of world web (the web). As change in technology, changes channels of communication and message content. The early 1960's, the computer technology establish protocols which become as the internet in 1969. And later development of Hypertext Mark-up Language (HTML) in 1989 that became the basic for the development of web in 1993. The web was introduced to the public at large. During the formative days of the web lot of things was include such as email, blog, face book, twitter, lot of website, journals, you tube etc.,. Another important fact of information technologies being used in sports is seen in the trend analysis done by administrators in sports, franchises and leagues while the most basic functions are storing data used to determine statistics, disclosing the score of a game or uploading pictures for fans to view thorough

out a game. In the past, task such as developing rosters (name list) of athletes, managers, officials, timekeepers, drivers and medical staff was took much time to done the work with hand. but the institution of IT in sports, team administration was now able to not only create detailed roasters of these individuals but can schedule them for work. Also, most profession sports venues have very modern scoreboards that are programmed to update statistics and information directly to a computer system. So with the use of such modern technology, almost every area of sports has become dependent of automation due to relevance that it implies to the lives of spectators all over the world. Through the help of the internet and other web services, live feeds of sports events have become so accessible anywhere in the planet. Most of the professional sports in the world have long used instant replay and other high tech aid to help the referees to make a right call. Video replay systems to check referees call for many years. Basketball referees use replay system to make sure players is shooting wishing the time allotted by the shot clock. In international cricket, the third umpire has been used for certain situation. The umpires who are out of field can communicate via wireless technology. The third umpire is asked to adjudicate on run out decision. In Football/Soccer the replays could be used to decide off-side decisions, whether a ball passes over the goal line or not.

Benefit of IT in Sports and Physical Education :

A. Storing and watching video: Computers are used to watch video in sports. Player was playing style of other player learn more techniques and angles of performance. We can store more videos in one place.
B. Data storage: Data is very important of team, coaches, public all want to know past performance of team players.
C. Sports Media: Computers play a major role in how well media outlets lover sports event.
D. Sports Training: Trainers for sports teams can put a player's height, weight, body model into computer and develop a training program that best fits her needs. Penis can also put sensors and equipment on to a player during training and allowing computer to register result while player trains.
E. Sports Management: In old era only will trade coach and money can be a good source of managing Sports. In modern time IT can be used as a source of power to drag sports activity on desired track. Database will be right tool in sports management. We can include health details, medical conditions, performance, history, favourite technique, weakness of sports and achievement etc.
F. It helps to create full-fledged students who are able to concentrate better on both practical and theoretical work.
G. It helps students to develop a better understanding of their own body parts and that of the human body in general.
H. Throughout ICT tools, pupils can benefit from immediate feedback to improve their observational and analysis skills.
I. General improvement in the performance level of the majority of the pupils' work, as they struggle their way to look impressive especially if their performance will be analysed on digital video system.
J. It can be used to model or demonstrate what you are teaching. Therefore it acts as a great teaching tool for learning new skills and enabling your students to reach the "mastery phase" of skill development.
K. Using technology e.g.: video recording, allows for immediate feedback about student performance. This gives children positive reinforcement as they are engaging in a task and improves motivation.

Advantage and disadvantage of Information Technology : Technology in sports is constantly changing in today's era. This change is making a big impact, whether the technology is a disadvantage to the sport and slows down the speed of the game or uses the technology to an advantage and speeds the game up to help make accurate calls. People are always looking for the technology to be able to get ahead of other opponents. The use of technology has crept into the athletes' games. Technology is more of an advantage or disadvantage. One of the main reason's through which technology compromise a sports experience is that people are watching the games at home instead of watching the games that are played live. Some people would rather stay at home than spend the money to go to view the game. With the game being shown on television, means fewer supporters in attendance. Fewer supporters mean less money for the teams in terms of income and profits. The enhanced experience of technology has made it easy for teams to know and learn about the opposite teams. Some people believe that it was necessary for technology. Sometimes the referee's decision will be wrong, there technology will work and give accurate result will be given.

Conclusion : Information technology play vital role in the human being in particularly in field of sports and games. It helps to avoid mistake in organization and administration of various sports and games at world level. Information Technology in Sports has established scientific discipline, Research activities, improve Learning and coaching, Bio-mechanical analysis and field research have evolved. In future very soon the way computer with be applicable in sports with good quality and best results. Technology provides access to information, compresses information, motivate learners, and connect learners to teachers and teacher to the colleagues. There are nowadays many available technological innovations that could be inserted into the physical education lesson. The visual physical education lesson is essentially based on the connected learning environment which uses technology that are networked in structure. Physical education should avail themselves of these technology opportunities to make their lesson more real and dynamic.

References :

1. Almassy J. The Wonders of Mobile Learning, Exploration of the Sistine Chapel, Vatican, Society for Information Technology and Teacher Education International Conference. 2003; 1:2574-2575.
2. Pradeep K Sinha, Priti Sinha. Computer Fundamentals. New Delhi: Bpb Publication, 2003.
3. Cuckle P, Clake S, Jenkins I. Student teachers information and communication technology skills and their use during teacher training. Journal of information technology for teacher education, 2000.
4. Lockwood A. The role of technology in PE teaching. In Capel, S. Learning to teach Physical education in the secondary school: a companion to school experience. London: Routledge, 1997.
5. Stratton G, Finch A. Information and communication technology in Physical Education: an ITTE-school partnership perspective. The British Journal of Teaching Physical Education, spring, 2001.
6. Elboun J, Cale. Selecting computer-based resources to support learning in physical education, British Journal of Teaching Physical Education. 2001; 32(4).
7. Singh RKJ, Devi TM, Raychandhury A. Use of internet based c-resources at Manipur University: A Survey. Annals of Library and Information Studies, 2009.
8. Sansanwal DN. Information Technology and Higher Education. University News, 2000..

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 65-67

FDI in supermarkets in India : Boon or Bane?

Dr. Dhanashri Mahajan*
***Professor, Department of Economics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad

Abstract : Foreign Direct Investment comes to developing countries to exploit their cost and location advantages. A large local market, good infrastructure, cheaper labour, the opportunity to repatriate income, together work as magnet for attracting FDI (Rangrajan, 2000). India's liberal economic policy of 1991 opened doors to FDI. Many sectors were already exposed to FDI excepting retail sector However, Government of India allowed foreign direct investment to enter the single brand retail sector in 2006. Six years later, in 2012, FDIwas allowed to enter Multi Brand Retail sector in India.

Keywords: Foreign Direct Investment, Developed countries, Communist manifesto, Potential consumers, Bourgeoisie etc.

Retailing is big business in developed countries. Retailing giants find that retail market in developed countries is saturated. So they wish to enter large populous developing countries like China and India. Capitalists in developed countries seeking entry into new markets was foreseen by Karl Marx and Engles way back in the 19th century.Marx and Engles say in the communist manifesto: "The need of a Mconstantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the entire surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, and establish connexions everywhere". (Marx, Engles, 1848) Middle and High income sections are the potential consumers of large multi Brand retail megastores. According to 2004-05National Survey of Household Income and Expenditure data (NSHIE), 70% of national income of India (GDP) is enjoyed by 40% population in India.This 40% population is the target of international retailing giants such as Tesco, and Carrefour and Walmart to name a few.

In India, retail trade is unorganised. A fruit seller or a way-side shopkeeper selling grocery occupies very little space (less than 40 sq feet). Such small traders are approximately 15 million in India. They account for 98% of India's retail trade, contribute 8 to 10 % to GDP and account for 7% ofemployment (Sarma, 2005). They have no access to bank loans.These unorganised retailers in India are under constant threat of being evicted from their road-side shops by the local bodies such as municipalities. They are also under the pressure of being required to compete with organised retailers.Organised retail started in India in 2006. Since then, a few surveys have shown that 60% of unorganised retailers reported 30% decline in footfalls, 30% decline in sales and income in Bangalore which is one of the most super market penetrated cities in India (Singh, 2011).

India'sPolicy on FDI in Multi Brand Retail Trade: The policy of Govt of India that has allowed FDI to enter into Multi Brand Retail Trade was claimed as second wave of reforms in India. The provision such as mandatory 30% procurement from Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) is the only protection given. However, India being a member of WTO, it is doubtful whether this procurement will be limited to Indian MSMEs only, since India is obliged to treat foreign enterprisesat par with their domestic counterparts.

Supermarket Malpractices:

1. **Supermarket malpractices include: Threat** of delisting if supply price is not low: Agricultural produce is perishable. It requires cold storage and/or imminent market. Farmers who are listed by the super markets are under constant pressure of getting delisted as their bargaining power is low. Also they are not organised.
2. **Lowering prices at the last minute when suppliers are captivated**: What follows the apprehension of getting delisted is thethreat of lowering of price at the last minute when the suppliers to supermarkets are subjugated.
3. **Changing quality standards without notice**: Supermarket quality standards are decided unilaterally by the supermarket authorities. Any change in the said standards without prior intimation can be deliberately done with the intention of cancelling particular supply orders.

4. **Just-in-time system to pass on storage costs to suppliers:** Though just in time system happens to be a management technique, it passes on the cost of storage to suppliers. Therefore the claim that FDI in multi-brand retail would provide for storage facilities may prove to be in vain.
5. **Selling below cost for driving unorganised small retail traders in the country out of business**: In addition to buying below cost, supermarkets may as well follow the practice of selling below cost for some time to make it impossible for small vendors to be able to survive this competition, the long term strategy being that of increasing the prices once the unorganised unprotected small retailers are driven out of business.

Considering the above mentioned practices, unregulated retail trade through supermarkets is likely to seriously harm the interest of farmers and other manufacturers who are going to be the potential suppliers for these big retail outlets.

Indian Farmers as beneficiaries: Truth or Myth? The important question here is whether farmers get better prices from big retailers? Prices depend on the relative bargaining power of the buyer and the sellers. In the present case, it is a bargain between unorganised farmers and retail giants. Hence farmers are required to accept the price quoted by the retail giants. This is "Retail Darwinism" indicating survival of the fittest. The next question is whether the supermarket giants would compete with one another and benefits in terms of lower prices will pass on to the consumers?

However, there is a considerable possibility that these retail giants would rather come together (as in collusive oligopoly) to decide a policy of not selling below a certain price-belt, which is not likely to benefit the consumers.

Experience of other Asian Countries: It was claimed that FDI in Multi Brand Retail Trade will bring down food inflation. But the experienceof China, Thailand and Vietnam shows that supermarket prices of vegetables, fruits and food grain were higher than traditional markets in these countries. This evidence makes it clear that the target consumer for these retail giants is the middle and the upper middle class of the society everywhere in the world. The same appears to happen in India's case. Today food inflation has reached the highest ever mark in India in 2022. (Ministry of Finance, Government of India).

China allowed FDI in retail sector very gradually. (Guruswami, Sharma, Mohanty, Korah, 2005) China had opened retail sector for FDI in 1992 when 26% FDI was allowed in retail. It has taken 12 years for China (in 2004) to allow 100% FDI in retail in only selected cities. India also can follow suit and limit the number of metropolises where such kind of supermarkets can be encouraged.

India lacks a regulatory mechanism for ensuring fair practices and for offering protection to the unorganised farmers as well as the un-organised road-side retailers.

Conclusion: Having taken the decision to allow FDI in Multi Brand Retail Trade, the Government needs to be aware of the following issues:-

1. That FDI cannot be a regional issue: the government of India has announced that states shall have freedom to decide their policy regarding FDI in retail sector. It will result in a fragmented marketwhich is against the common market mandate of the constitution.
2. Supermarkets lead to concentration of market power and consequently lower competition leading to higher prices: Experience in other parts of the world shows that big retail giants try to dominate the market either by following predatory pricing to drive away small vendors or form collusive oligopoly with other retail giants.

Suggestions : Allowing FDI in Multi Brand Retail Trade requires a sequence of following measures to be taken carefully.

1. Government can create conditions to slow-down the entry of FDI in retail so that in the meanwhile domestic and foreign players can be brought down to an equal footing.
2. Establishing "Retail Commission" for regulating retail trade: Multi- Brand Retailers can be subjected to terms and conditions laid down by the Retail Commission from the point of view of ensuring fair business on the part of the big retailers. Periodical compliance to such terms and conditions may be made obligatory.

3. Banning buying below cost for protecting the farmers/suppliers and preventing supermarket malpractices mentioned earlier: Special initiatives need to be taken up for protecting the farmers/suppliers. There is need to organise farmers who intend to supply their produce to supermarkets.
4. Banning selling below cost for protecting the unorganised retailers who fight for survival under threatening and uncertain conditions: Local Bodies should take initiatives and provide adequate space for the small street-side shops in convenient locations.
5. **Financial Inclusion of Small Vendors:** Self-help groups of small traders should be encouraged and banks should be required to offer loans at nominal rates of interest to such groups.
6. Supporting them in all possible ways.
7. Small retailers should be given ample opportunity to be able to provide more personalised services, so that their higher costs are justified to the consumers.

References:

1. Guruswami, Sharma, Mohanty, Korah (2005): "FDI in India's Retail Sector: More Bad than Good?", Economic & Political Weekly, Feb 12, 2005 pp 623
2. Marx, Engles, (1848) Communist manifesto Chapter 1, English edition of 1888 from the Marxists Internet Archive
3. Rangrajan C (2000), " Capital Flows: Another Look",Economic & Political Weekly, Dec 9, 2000
4. Rao C, Dhar B (2012), " Vaulting over India's Retail FDI Policy Wall", Economic & Political Weekly, Vol XLVII No. 46
5. Sarma EAS (2005), " Need for Caution in Retail FDI" , Economic & Political Weekly, Nov 12, 2005 pp 4795-4797
6. Singh Sukhpal (2011), " FDI in Retail: Misplaced Expectation and Half-truths" Economic & Political Weekly, Vol XLVI No. 51 pp 13-16.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 68-72

Impact of the Implimentation of Smart Classroom at Secondary School in Bihar

Dr. Kamal Ahmad*
*Principal, L.K. Mishra, College of Teacher Education, Dilli More, Darbhanga. Bihar
Md. Mahtab Alam**
**Research Scholar, Department of Education, L.N. Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga, Bihar

Abstract : The present study is to know the mathematics achievement of secondary school teachers regarding Smart Classroom. The objectives of the study are to determine the significance of mathematics achievement of students in secondary schools in Darbhanga district based on gender, locality and types of schools. This study consisted on 200 samples (equally divided in two groups for each variable) by using stratified random sampling technique. The data was collected by a standardized tool "Mathematical Achievement Test" developed by Dr. Shivendra Pratap Singh and Dr. Ali Imam. Mean, SD and t-test were used for statistically analyzing the data. Result of this study reveals that there were no significance differences of mathematics achievements regarding gender and types of schools but on the bases of locality there was a significance difference found.

Keywords : Mathematics Achievements, Smart Classroom, Secondary School etc.

Introduction : Education has become the basic need of an individual. It has the capacity to change the society as well as individuals. A Smart Classroom is similar to a traditional way of teaching style classroom is space, that has technological equipment to be used in teaching. It has nothing special, but only use of technology as supportive like teaching aids. Technology enhances the way of classroom instruction and make understanding for learners. Classroom is categorized on the basis of the availability of technology. There is no any explanation or definition for Smart Classroom. Mostly it is categorized on the basis of smart technology specially "smart boards". Learners can assume and develop an abstract concept in the traditional classroom, but in the Smart Classroom learners can feel the actual environment and develop the real image.

Technology and equipments may vary due to requirements of the institution. Its depend on the availability of equipment, budget etc. many institution have several configuration of Smart Classroom. Smart Classroom uses more and more technology which helps learners to use multiple sense organs simultaneously. Technology makes smart to all of them such as teacher, learners, books, examinations process etc. Smart Classroom use digital technology to enhance the learning process. The various audio and visual aids enhance the learning process and have it more fun. In the age of computer, technology became the essential parts of our life. No one can ignore the use of technology. After the use of internet, the use of technology is increasing dramatically. It has some specialties i.e. speed, accuracy, strength, audio, video, 3D animation, graphics etc.

Review of the Related Literature : Jena (2013) studied the effect of Smart Classroom learning environment on academic of rural high school high achiever and low achiever in science. This research was an experimental one and conducted in Jalandhar district of Punjab. The investigator had taken 60 secondary school students from Royal Convent School by using simple random sampling technique. For conducting experiment the investigator had used two group randomized pre-test and post-test design. For collection of data the investigator had used an achievement constructed and standardized by the investigator and t-test has also used for analysis and interpretation data. The result of the study revealed that smart class learning environment was better to teach both low achievers and high achievers than traditional class.

Menon (2015) conduct a research on "the effectiveness of smart classroom teaching on the achievement in Chemistry of secondary school students. The research investigated 320 Class IX students from Amritsar city. Achievement test in Chemistry of 50 items was used to gather the data. Experimental group was taught in smart classrooms and control group was taught by conventional mode of instruction. The results found that students achieved higher when taught in smart classes as compared to conventional mode of instruction. Learning styles of students did not affect their achievement in experimental and control group. No interaction effect of instructional strategies and learning styles was found."

Natesan (2001) in his study compared, "the effectiveness of teaching concepts in mathematics through video-cassette" with that of traditional method and Experimental method (equivalent group design) was adopted for the study. The sample taken was 45 boys and 45 girls, using probability sampling for the study. Results of the study

revealed that the increased level of academic achievement of experimental group was due to the teaching of Mathematical concept through video-cassette."

Significance Of The Study : There is no any area that left using computer and technology. It has an important role in every sphere of life. Education sector also now accepting the use of technology everywhere. The corona pandemic shows the importance of technologies. Technology helps us to learn from home or isolated place too. A pilot study has done in Banka district, after the result of this study Smart Classroom applied all secondary schools of Bihar. This is the new practices which may be a mile stone of education in Bihar. Very few researches have been done in this area. One most important thing is that Bihar government starts a program for smart classroom in each secondary school of Bihar. Government is emphasizing for using Smart Classroom in every secondary school and issued separate budget for this. This one is a smart project of Bihar Government. So, the researcher has decided to know the impact of the implementation of smart classroom at secondary schools in Bihar.

Objectives of the Study : 1. To determine the significance difference of mathematics achievements between boys and girls students of secondary school. 2. To determine the significance difference of mathematics achievements between urban and rural students of secondary school. 3. To determine the significance difference of mathematics achievements between government and private students of secondary school.

Hypothesis : 1. There is no significance difference of mathematics achievements between boys and girlsstudents of secondary school. **2.** There is no significance difference of mathematics achievements between urban and rural students of secondary school. **3.** There is no significance difference of mathematics achievements between government and private students of secondary school.

Operational Definition :

Smart classroom : Smart Classrooms are technology enhanced classrooms that foster opportunities for teaching and learning by integrating learning with technology oriented devices such as computers, specialized software, audience response technology, assistive listening devices, networking and audio-visual capabilities. In this present study, smart classroom means such a classroom where smart board like smart board, projector, television or computer etc is used as source and teaching aids when teaching.

Secondary school : Secondary schools refers to the school imparted the education to students between age group of 14 to 18 years. In this study, secondary schools refers both the governments and private school affiliated with any board where students learn for class 9^{th} and 10^{th} .

Methodology of the Study :

Research design : The research design of this study is descriptive research.

Population : The population of this research is the students of secondary school in Darbhanga district of Bihar.

Sample: The sample of this research is 200 secondary school students. It has been divided on the basis of Gender, Locality and Types of schools.

Table-1

GENDER	EXPEXTED	RESPOND
BOYS	100	94
GIRLS	100	76

Figure-1

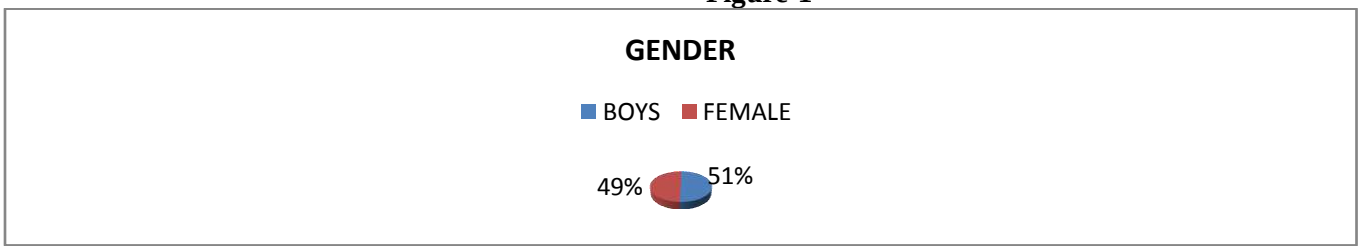

Table-2

LOCALITY	EXPEXTED	RESPOND
RURAL	100	100
URBAN	100	90

Figure-2

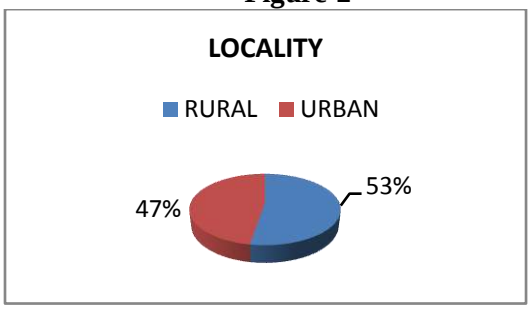

TABLE-3

TYPES OF SCHOOL	EXPEXTED	RESPOND
GOVERNMENT	100	98
PRIVATE	100	92

Figure-3

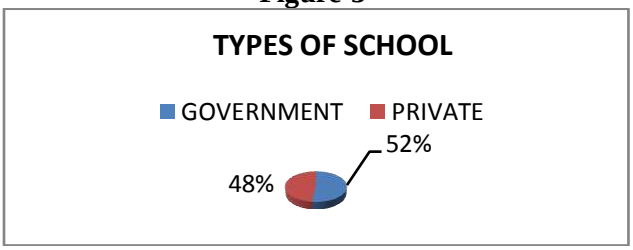

Tool : For the collection of data, a standardized tool "Mathematical Achievement Test" developed by Dr. Shivendra Pratap Singh and Dr. Ali Imam were used.

Statistical Technique : For analyzing of data, Mean, SD and t-test were used as statistical technique.

Analysis and Interpretation of Data :

Objecctive : To determine the significance difference of mathematics achievements between boys and girls students of secondary school.

Hypothesis : There is no significance difference of mathematics achievements between boys and girls students of secondary school.

Table -4

VARRIABLE	NUMBER OF STUDENTS	MEAN	SD	df	T-TEST	SIGNIFICANCE
BOYS	100	47.70	12.35	198	0.219	Not Significant @ (0.05)
GIRLS	100	48.08	11.31			

The table shows that the mean and SD score of boys students are 47.70 and 12.35 while the mean score and SD of girls students are 48.08 and 11.31 respectively. The degree of freedom of teachers is 198 and t-test is 0.219. The tabulated t-value for df 198 is 1.962 at 0.05 significant level. Hence, the calculated t-value is less than the tabulated value at 0.05 level. So, the null hypothesis is accepted.

Figure-4

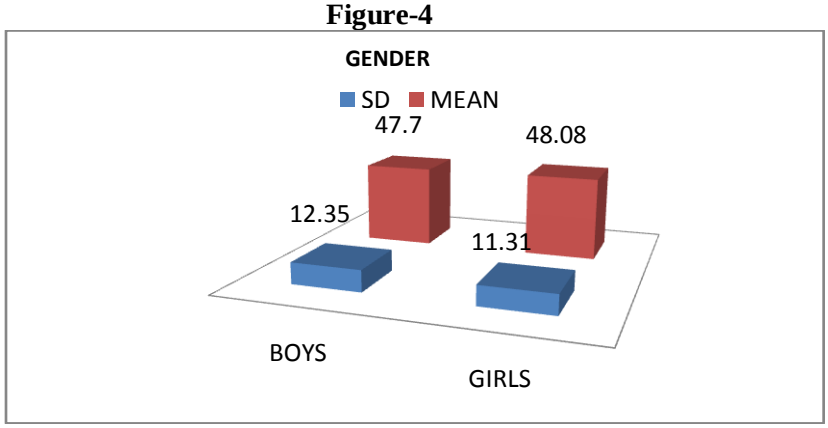

Objecctive - To determine the significance difference of mathematics achievements between urban and rural students of secondary school.

Hypothesis- There is no significance difference of mathematics achievements between urban and rural teachers of secondary school.

Table -5

VARRIABLE	NUMBER OF STUDENTS	MEAN	SD	df	T-TEST	SIGNIFICANCE
URBAN	100	49.73	11.41	198	2.275	Significant @ (0.05)
RURAL	100	45.85	11.48			

The table shows that the mean and SD score of urban students are 49.73 and 11.41 while the mean score and SD of rural students are 45.85 and 11.41 respectively. The degree of freedom of students is 198 and t-test is 2.275. The tabulated t-value for df 198 is 1.962 at 0.05 significant level. Hence, the calculated t-value is greater than the tabulated value at 0.05 level. So, the null hypothesis is rejected.

Figure-5

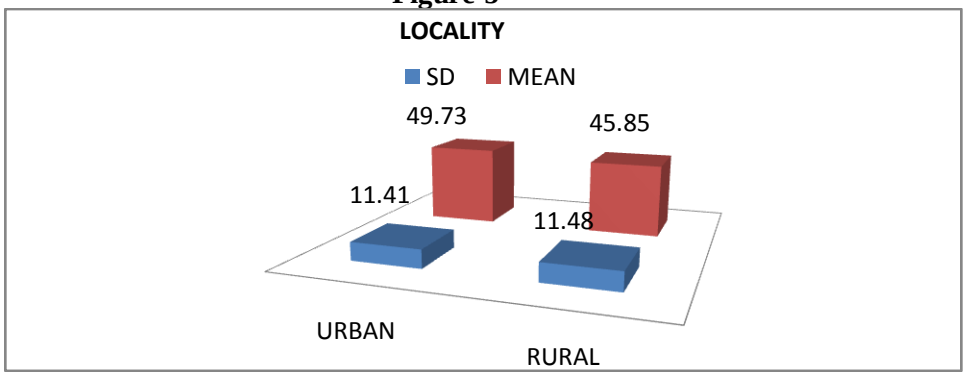

Objecctive : To determine the significance difference of mathematics achievements between government and private students of secondary school.

Hypothesis : There is no significance difference of mathematics achievements between government and private students of secondary school.

Table -6

VARRIABLE	NUMBER OF STUDENTS	MEAN	SD	df	T-TEST	SIGNIFICANCE
GOVERNMENT	100	47.84	11.46	198	0.057	Not Significant @ (0.05)
PRIVATE	100	47.94	12.24			

The table shows that the mean and SD score of government students are 47.84 and 11.46 while the mean score and SD of private students are 47.94 and 12.24 respectively. The degree of freedom of students is 198 and t-test is 0.057. The tabulated t-value for df 198 is 1.962 at 0.05 significant level. Hence, the calculated t-value is less than the tabulated value at 0.05 level. So, the null hypothesis is accepted.

Figure-6

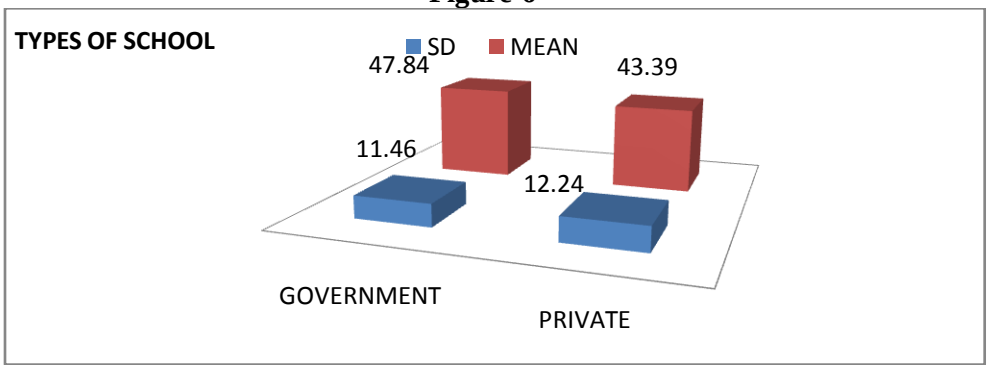

Findings :

1. Regarding the mathematics achievement of students, there is no significance difference between boys and girls students. It shows very little difference in mean score. Girls students have more achievements in mathematics.

2. Regarding the mathematics achievement of students, there is significance difference between urban and rural students. It shows significance difference in mean score. Urban students have more achievement in mathematics.

3. Regarding the mathematics achievement of students, there is no significance difference between government and private students. It shows little difference in mean score.

Conclusion : The concept of Smart Classroom is being important facility in the schools as it helps learners mind mapping and cognitive developments. This study tries to find out that the mathematics achievement of secondary school students when they taught in Smart Classroom. The null hypotheses have been made based on research objective and reaching to the result. 200 students are selected as sample from Darbhanga district. For the analyzing of data, Mean, SD and t-test were used in statistical technique. After analyzing and interpreting of data, found that there is no significant difference of the mathematics achievement of secondary school students in relation to gender and types of school, but there is significance difference between urban and rural school students. Urban students use technology frequently. Urban school has many resources and facility. They continue use Smart Classroom. So, the mathematics achievement is better is urban schools.

References :

1. Best, J. W. and Kahan, J. V. (1992). Research in Education (6th ed.). New Delhi : Prentice Hall India.
2. Jena, P. C. (2013). Effect of Smart Classroom Learning Environment oncademic Achievement of Rural High Achievers and Low Achievers in Science.*International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 3 (2013) 1-9 ISSN 2300-2697.
3. Kumar, K. L. (2005). Educational Technology. New Delhi : New Age International (P) Ltd., 241-250.
4. Lindeman, R. H. (1969). Educational measurement. Atlanta : Scott Foreman and Company.
5. Menon, A. (2015). Effectiveness of smart classroom teaching on the achievement inchemistry of secondary school students. *American International Journal of Researchin Humanities, Arts and Social Sciences*, 9(2), December 2014-February 2015, pp.115-120.
6. Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.
7. Natesan, N. (2001). Teaching Concepts in Mathematics through Video Cassette – AnExperiment. *Journal of EducationalResearch and Extension*, 38, (1).
8. Pancholi, A. (2015), "Effectiveness of smart classroom among secondary schools students of Ankur Vidyalaya, Ahmadabad"; International Journal of Research in Education, Volume: 04, Issue: 07, Oct-Nov.: 2005.
9. Singh,Y.K.(2019), Indian philosophy and education. A.P.H.Publishing corporation, New Delhi.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 73-76

A Study of Teacher's Opinion Regarding CCE System of Evaluation

Mr. Mohit Kumar Bharti*
*Assistant Professor, Institute of Professional Studies, Dasna, Ghaziabad, U.P.
Dr. Bhed Pal Gangwar *
*Assistant Professor, Institute of Professional Studies, Dasna, Ghaziabad, U.P.

Abstract : In India, various commissions and committees have felt the need for examination reforms. The Hunter Commission (1882), Calcutta University Commission (1944), Mudaliar Commission (1952-53) have all made recommendations regarding reducing emphasis on external examinations and encouraging internal assessment through continuous and comprehensive evaluation. Position paper on examination reforms by NCERT 2006 says," If evaluation is seen as an integral part built into the teaching-learning process' it will become continuous like both teaching and learning. Keeping all those recommendations and need for innovation in evaluation system in mind, The Central Board of Secondary Education (CBSE),India has implemented a new scheme of evaluation system Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) from the session 2009-10 up to class 10^{th} emphasizing on evaluation as the learner know and learn it. It is a comprehensive pattern of evaluation in which each and every activity of the learner is evaluated by using different devices of evaluation. In CCE system, the students have been evaluated throughout the year. This system assesses the child not only in terms of his knowledge about a subject (scholastic area) but his participation in co-scholastic area also. Now, there is already twelve year of practice of CCE system of evaluation and the implementation has been generated mixed responses among teachers and students both. Some have welcomed it while some other feel that it is no good over the previous one, the traditional method of evaluation. As the traditional method is there in practice for so many years so it can be understand that the teachers are having problems in the practice of CCE system. To find out those problems and there solutions according to the teachers, this study has been designed and done.

Keywords : Continous Comprehensive Evaluation (CCE), CBSE, Opinionnaire, KendriyaVidyalaya, etc.

Introduction : In teaching-learning process, a teacher has to teach and a learner has to learn. Both works as independent and dependent variables in the process of teaching–learning midway between them lie the intervening variables, the teaching-learning situations and the facilities and resources for teaching and learning. The teacher-learning both aim towards the same thing such that achieving the desired objectives by helping the learner to bring desired changes in his/her behavior.

In teaching-learning process, the goal is the realization of the set teaching-learning objectives or instructional objectives. To know, how far this goal has been achieved the measurement and evaluation is to be done. Such measurement and evaluation is to be done. Such measurement can work as a controlling factor for the proper functioning of teacher learning process.

The measurement and evaluation should be planned and carried out effectively. Modern educational procedure divides the responsibility of the teacher into three aspects:

1. Planning instruction, which includes the setting up of objectives
2. Directing instruction, and
3. Evaluating instruction

The most skillful teachers have not carried his task to its ultimate conclusion until he has evaluated the actual result of his instructional procedures in terms of pupil achievement and growth.

Learning Objectives :

1. To construct a tool to collect teacher's opinion regarding CCE pattern of evaluation
2. To find out the strength and weak point of CCE system, the way it is being practiced in the schools in teacher's opinion
3. To compare the opinion of teacher's working in KENDRIYA VIDYALAYA and private CBSE affiliated schools regarding CCE system of evaluation.

Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) : Continuous and comprehensive evaluation (CCE) refers to a system of school based evaluation that covers all aspects of student development. It is a development process of assessment which emphasis on two folds objectives which are:-

- Continuity of evaluation and,
- Assessment of broad based learning and behavioral outcomes of the student.

In this system, the term **continuous** is meant to emphasis that evaluation of identified aspect of student's growth and development is a continuous process rather than an event, built into the total teaching- learning process and spread over the entire span of academic session. It means of regularity of assessments, frequency of unit testing, diagnosis of learning gaps, use of corrective measure ,retesting and feed back of evidences to teacher's and student for their self evaluation.

The second tern **comprehensive** means that the students attempts to cover both the scholastic and co-scholastic aspects of the student's growth and development. The scheme is thus a curricular initiative, attempting to shift emphasis from testing to holistic learning.

Delimitations : This study delimited to the CBSE Schools of Ghaziabad city only. This study limited to kendriyavidyalaya in govt. schools.

The Method of the study : The method or the strategy of action is guided by the nature of the problem and basic requirements, to approach the problem. The method of research study is the procedure, which a researcher follows to achieve the goals of that study. There are several research method available for research, but all of them do not suit to serve each type of problem. The research method is generally determined by the objectives of the study, the theory and concepts under the study, the resources available to the researcher etc.

The present study is planned and designed to study the teacher's opinion about CCE system of evaluation. Considering the nature and objectives of the present study as well as resources of investigator, the investigator has come to the conclusion that survey method is quite suitable for the purpose of the study. The investigator has followed all steps and characteristics, which are essential for survey method of research.

The Population : Population or universe means the entire mass of observation within the present group from which a sample is to be drawn. The sample observation provides only an estimation of the population characteristics. In other words, population in broad sense is to include all sets of individual objects or reaction that can be described as having a unique pattern of qualities. (Guilford, 1950)**.**The population for this study includes all the teachers working in CBSE schools at Ghaziabad. It consists the teachers working in public schools and central schools.

Comparison of opinion of the teachers working in Kendriya Vidhalya and Private CBSE Schools : Here to compare the opinion of teacher's working in Kendriya Vidyalaya and private CBSE affiliated schools regarding CCE system of evaluation we needed some samples.

Sample : A sample is a miniature of the entire group or aggregate from which it has been taken. It is not feasible to count each and every element of the population within a given range of time. Hence, quite often, the researcher selected only a few units from the population for his /her study purpose. The units so selected are called sample. A lot of time, energy and money are saved by the sampling. To draw out the sample from the population "***Random Cluster sampling***" technique has been adopted by the researcher.

Selection of schools : First of all the public schools and KV has been listed down by the researcher. After then the researcher has selected two-two schools from both the groups using lottery method.

Selection of teachers : 15 teachers have been taken from each of the schools, thus the sample size become of 60 teachers

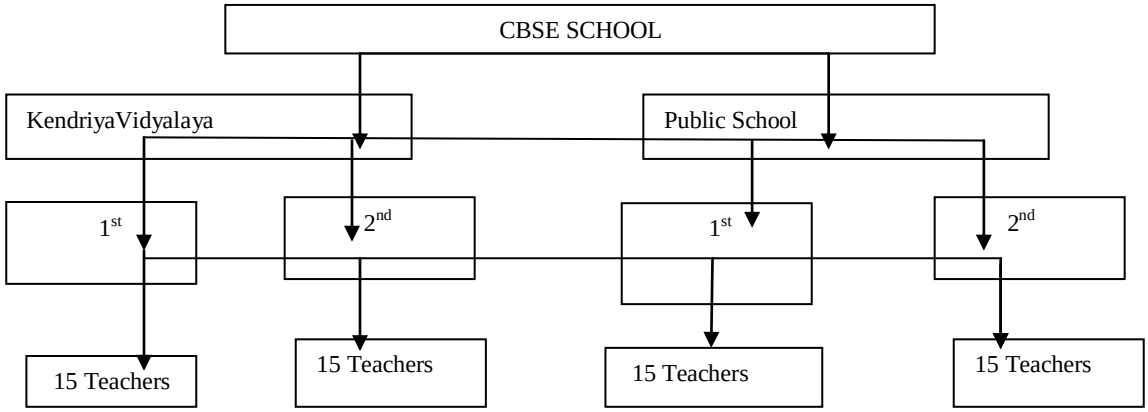

The Tools Used : The selection of a tool for a particular study depends upon various considerations such as the objectives of the study, the amount of time for disposal, availability of suitable test, personal competence of the examiner to administer, score and interpret the result.

According to Arvil S. Barr, "Like the tools in the carpenter's chest, each research tool is appropriate in a given situation to accomplish a particular purpose." Selection of a tool is very important and careful work for researcher because use of research tool directly effect the validity of results and conclusions of the study.

As per this study demanded, there was no tool available to collect the opinion of teachers regarding CCE system of evaluation. Therefore a opinionnaire was constructed by the researcher titled as "***an opinionnaire on CCE system of evaluation***".

Opinionnaire : Aopinionnaire is a series of statements, on which the opinion of the subject is recorded about any particular process, situation or thing on a fixed scale. It can be a three point, five points or a seven point scale. The opinionnaire was made keeping in mind, the objectives of the study. As the sample unit was a qualified teacher, so the tool has been prepared in English language.

Construction of the Opinionnaire : The researcher has first decided the various dimensions of a teacher's opinion about CCE. The main dimensions are as follows:

1. Knowledge of CCE system to teachers.
2. Effect of CCE system on learners.
3. Effect of CCE system on teachers.
4. Advantages of CCE system.
5. Disadvantages of CCE system.
6. Training of CCE system

Collection and editing of statements :

- In starting the researcher has written 61 statements about the CCE system. Those statements have been given to 8 teachers for assigning their opinion for analyzing and modify the language difficulties and ambiguity of items. In this process, 12 statements were rejected and others were modified and rewritten in the form of likert type four point scale.
- The constructed opinionnaire has been kept in front of the expert for their advice. After expert's discussion, 8 more statements were rejected. Thus the try out draft of the opinionnaire was consist total 41 statements, among them 24 statements were positive while 17 statements are of negative nature.

Major Findings of The Study : The findings of the study are systematically arranged here. This study was conducted on the teachers of CBSE schools, therefore the findings of the study is perfectly applicable for all the teachers. On the basis of data analysis it may be concluded:-**1.**The teachers working in KV and public schools have same opinion regarding CCE system of evaluation. No significant difference has found between the above two groups**. 2.** The teachers, trained for CCE and teachers, not trained for CCE, have same opinion regarding CCE system of evaluation as no significant difference has found between the above two groups.

1. 25.55% teachers are completely agree,42.77% teachers are agree while 20.55% teachers are disagree and 11.22% teachers are completely disagree on the Ist dimension , knowledge of CCE system to teachers. It shows that most of the teachers are implementing CCE system of evaluation with proper knowledge.
2. 26.33% teachers are completely agree, 54% are agree while 13% teachers are disagree and 6.67% are completely disagree with the IInd dimension of CCE system which shows the effect of CCE system on learners. It indicates that the teachers found this system favorable to the students.
3. 32.67% teachers are completely agree, 46.33% teachers are completely agree while 13.67% teachers are disagree and 7.33% teachers are completely disagree with the IIIrd dimension of CCE system, effect of CCE system on teachers. In this dimension, the opinion of teachers is same on one aspect i.e. the CCE has increased the responsibility of the teachers.
4. 31.11%Teacheras are completely agree, 52.59% teachers are agree while 12.71% teachers are disagree and 3.51% teachers are completely disagree with the IVth dimension , the advantages of CCE system of evaluation. It shows that the teachers found the CCE system more successful than the traditional system of evaluation.

The main successes of CCE system of evaluation: The teachers were asked the main advantages of CCE system according to them. The main successes found are as follows :

1. It evaluates each aspect of students' personality comprehensively.
2. Interaction between teacher and taught has been increased.
3. The CCE system has decreased the stress and anxiety of examination among students.
4. Students are building habit of searching extra material/ knowledge apart from books due to project technique of evaluation.
5. It helps the teachers to know more about the students and their behavioral changes.
6. The CCE system has provided the students a platform to show and enhance their potential and creativity.
7. The CCE system has helped in making the teaching –learning process more students centric.
8. The CCE system has enhanced the activity based learning.
9. The CCE system has promoted the overall development of the student.
10. The CCE system has improved the performance of the students by identifying their learning differences at regular time-intervals.

Summary : In this study the comparison of the teacher's opinion has done with the objective to construct a tool to collect teacher's opinion regarding CCE pattern of evaluation and to find out the strength and weak point of CCE system, the way it is being practiced in the schools in teacher's opinion. Here we have compared the opinion of teacher's working in Kendriya Vidyalaya and private CBSE affiliated schools regarding CCE system of evaluation. Considering the nature and objectives of the present study as well as resources of investigator, the investigator has come to the conclusion that survey method is quite suitable for the purpose of the study. The investigator has followed all steps and characteristics, which are essential for survey method of research. We find that the CCE system has decreased the stress and anxiety of examination among students. It helped the teachers to know more about the students and their behavioral changes. It promoted the overall development of the student. It has improved the performance of the students by identifying their learning differences at regular time-intervals.

References:

1. CBSE**,** CCE GUIDELINES, retrieved on 12 DECEMBER, 2011 B \WWW.icbse.com\october 2010.
2. NJCLD (2010), "Continuous and Comprehensive Evaluation of students having learning disabilities." Retrived on 13th march,2012 from www.thefreelibrary.com/CCE.
3. NCF-2005, retrieved on 24th December, 2011 by http.//www.ncert.nic.in//ncf-2005/html.
4. Position paper on examination reforms-2006, retrieved on 24th December, 2011 by http.// www.ncert.nic.in/examination reforms/html.
5. Singh, A and Singh, A., (2012), "Attitude of school teachers towards CCE: Role of gender'', Edutrack vol.1, June, 2012, PP-35-37.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 77-79

Contribution of Women Organisations in the Emancipation of the Status of Women in India : 1900 to 1947

Dr. Rachana Singh*
***Associate Professor, Department of History, Iswar Saran Degree College, University of Allahabad, Prayagraj, U.P.

Abstract : During 1900 to 1947 the number of social organizations for women grew expeditiously. This period produced a new woman that went beyond the confinement of household.This was the era of formation of several organisations.*Sakhi Samiti* by Swarna Kumari in Calcutta and *Sarda Sadan* by Pandit Ramabai Saraswati at Poona, *Sewa Sadan* by Rama Bai Ranade at Poona etc. The Women Indian Association,The National Council of Women and All India Women's Conference worked significantly to elevate the status of women and bring about notable changes in their legal and constitutional rights.Women related issues were of prime importance.They also enlightened the common masses on the aspects of education,health and sanitation and raised a voice for equal rights of women in franchise.This paper aims at understanding how various women's associations arose in India and who were its leaders, what were their objectives and what issues they were advocating.

Keywords: Women, Education, Organisations, Association, Conference etc.

In the nineteenth century, social reforms movements played significant contribution in emancipation of degenerated state of women and Indian society.This first organisations that came up during this time were initiated by progressive thinking men.They adopted positive approach and championed cause of women to uproot the social evils.Many reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotiba Phule fought for the upliftment of Women in the early 19th century. Many women reformers helped the cause.Women's issues became the focal point of this crusade.The reformers took up the issues of child marriage, female infanticide, polygamy, purdah, dowry, widow remarriage and women's education..They indeed paved a way for women to play an import role in the social and political life of the country

As far as the inception of women's organisation in Bengal is concerned, the lead was taken by Swarn Kumari Devi, sister of Ravinder Nath Tagore the first lady who formed the *Sakhi Samiti* in 1882 at Calcutta.Eventually, it became a craft center for widows.[1]

Pundita Ramabai founded the Arya Mahila Sabha in 1882. She also set up Mukti Mission for young widows, Krupa Sadan and Sharda Sadan in 1889 at Poona,to provide education and employment for women.*Seva Sadan* was another organisation which was founded by Ramabai Ranade in 1909 at Poona. This organisation aimed at imparting education to the women and training them in industry, teaching, nursing and midwifery.In 1917, it became an independent registered organisation.Shri Zorastrian Mandal was established in 1903 at Bombay with an aim to help the women in general and the parsi women in particular. It laid emphasis on women to become economically independent.[2]

Gujrati Hindu Stree Mandal which was formed by Shri B.N. Motiwala in 1908 at Bombay worked with an object to promote contact among Gujrati women in order to provide them appropriate education and to raise their social status in different fields. Besides, it conducted classes in sewing, embroidery, painting, leather work and imparting training to teachers. It also developed a library for women and children.[3]

The idea of nationalism had started emerging and Indian intelligentsia was the main carrier for its propagation. But in the case of women,they began their strife for release from social constraints and stand on par with men. In the beginning of nationalism we find a lesser role of women in the political scene, it was determined as that, owing to an ignominious historical social background in which she was kept victimised for centuries. In the coming years she was to fight on two fronts (i) to get herself released from the social bindings (ii) to fight in cooperation with men for the freedom of the country.In the early stages it was the first front, i.e. improvement of social status, that dominated the scene. Because understanding the prevailing political atmosphere in the absence of the background of education, was impractical. It was only through getting education that she could take her steps forward and march towards the political road.

Realizing the need, a number of women's organizations came into existence whose main orientation was the education of women and improvement of their social condition . A ladies section was added to the Indian

National Social Conference in 1903 and under its ageis a women's conference was held in 1909. It resolved to organize a separate association Bharat Stri Maha Mandal for women and held another conference in Allahabad in 1910 with Mrs.Sarala Devi Chaudhurani as Secretary.[4] The objective of Bharat Stri Maha Mandal was to bring together the women of all castes and creeds on the basis of their common interests in the virtuous and substantial progress of women in India.[5] Soon many branches in Delhi ,Karachi, Amritsar, Lahore, and Hyderabad were set up and it addressed many issues problems including Purdah, which to them was a stumbling block to accept female education.

Sarala Devi, a well-educated woman, a radical nationalist and one of the prominent personalities of this era toured extensively to rouse women from passivity. At the Arya Samaj Girls' School in Saharanpur while addressing a meeting, she said, "knowledge is the great remedy for fear. Give knowledge to your womenfolk. Get them rid of fear and they will impart fearlessness to your veins. Do not let all this remain mere talk, a theme for speaking, clapping only, but be sincere, be alert, arise awake and having achieved the goal, rest."[6] She is remembered for raising her voice in favour of women's right to vote.She was involved not only petitioning the government to grant women the right to vote but also in bringing about changes in laws pertaining to marriage,property rights,and divorce.

Between 1910-20 the number of social organizations for women grew rapidly i.e. women Mahila Samitis, Women Clubs, Ladies Societies etc. They mainly came into existence in the cities and towns of British India and the native states. In 1917 **Women Indian Association** with an all India base was founded, with its headquarters at Madras.[7] Annie Besant, Margaret Cousin and Dorothy Jinarajadasa were the chief architects of the association. They declared that "the present ignorance of the women is a blot over the fair fame of Indian social fabric. Statistics show that only two out of hundred Indian women can read and write in their own language"[8]. The main objectives of the organisation included, to present women to accept their responsibility as daughters of India. To help them to realize that the future of India lies primarily in their hands, for as wives and mothers they have the task of training, guiding and forming the character of the future generation of India. The Association succeeded in opening a number of branches all over the country.By 1923-24, the Association had 51 branches and 2500 members. They gradually continued to increase.[9] Stri Dharma, was its monthly English journal.This journal focussed on the issues of women welfare.Eventually during 1930's Stri Dharma increasingly addressed nationalist themes.

The National Council of Women (NCWI), founded in 1925and the **All India Women's Conference** (AIWC), founded in 1926 finally emerged as the most important women's organisation in years to come. The main objective of these organisations was the upliftment and furtherance in the condition of women in the society and for this sake initially they kept themselves faraway from the political activities.AIWC managed to open several girls' schools, With the launch of he Civil Disobedience Movement AIWC decided to work in the political arena and execute its energies for the country's cause.During this period, the struggle against British rule intensified. Nationalism became the pre-eminent cause. Gandhi ji validated and expanded Indian women's public activities by initiating their energy into the non-violent civil disobedience movement.

The NCWI worked under the aegis of the International Council of women,so it was the first women's organisation which was associated with an international organisation. It provided an opportunity to voice Indian opinion on international platforms. Initially it was limited to collection of information on women, formulating memoranda and presenting them to the appropriate higher authorities. It advocated legislation to raise the status of women and so it was focused on petition politics.The organisation was nurtured by Herabai Tata, Tarabai Premehand and Dowager Begum of Bhopal.It was basically an elitist organisation and did not become broad based.

The AIWC declared that women's education was foremost on its agenda. Organisation was fostered by women like Margaret Cousins and Maharani Chimnabai of Gaekwad.later it amplified its scope to cover issues pertaining to the advancement of women and children's education and social welfare. They, were also interested in the question of women's right to vote and were largely responsible for organising the Suffragette movement.[9] AIWC published Roshni in 1941, a monthly in Hindi and English. In pre-independence days it was the main force for articulation of womens issues, and its message of liberal feminism reached innumerable parts of the country through its various branches.The women leaders of AIWC generally belonged to the affluent and intelligentsia class of India. Raj Kumari Amrit Kaur, Hansa Mehta, Abdul Qadir, Ramabai Neelkanth, Mrs. P.K.

Ray, were prominent figures of AIWC. Leading Congress women such as Sarojini Naidu, Vijay laxmi Pandit and Kamla Devi Chattopadhyay were also members of A.I.W.C.In 1928 the Conference collected funds for opening the Lady Irwin College in Delhi.The AIWC played an active role in initiating and campaigning for social legislation that would improve the position of women. It helped in getting the The Sarda Act, passed successfully in 1929.

At times these organisations jointly initiated certain issues.Margaret Cousins and Muthulakshmi Reddy from the WIA, Mrs. Hamid Ali and Rani Rajwade from the AIWC, and Tarabai Premchand from the NCWI jointly under the leadership of Sarojini Naidu issued a joint memorandum in favour of universal adult franchise.Sarojini Naidu represented the women's organisation at the Second Round Table Conference in 1931 where Gandhi ji was representing the Indian National Congress.

Programs and issues undertaken by the different organisations brought about fundamental changes in the status of women. Though women were not actively associated with the reform movement in the early phase, but as education advances in the later phase, women became actively involved.They advocated promotion of education for women, abolition of the purdah system,win female suffrage and attain the female right to elected office and emancipation in the socio-economic and political status of women all over India.The daunting task for women's organisation was to bring women out of their homes and channelised their energy into the platform of action.Women's education became more accepted during these years and the widespread campaign of women's organisation played an important role in this.Later when the nationalist vibes deeply entrenched, they went on to play a significant role in the freedom struggle.

References:

1. Taneja, Anoop, *Gandhi, women and National Movement* (1920-47) p.37
2. Desai, Neera, *Women in Modern India*, p.158
3. *Ibid*, p. 161.
4. Majumdar R.C. (ed.) History and Culture of the Indian People, Bharatiya Vidhya Bhawan, Bombay, Vol. XI, p. 994
5. Modern Review, October 1911, p. 344
6. Home Political Confidential Proceedings, File No. 46-52, January, 1910, NAI
7. Geraldine H. Forbes Social Movements in India, Vol. II ed. M.S.A.Rao 1979 op. cit. p. 150
8. Jaykar Press Clippings 'Women' accession No. 23 NAI
9. Sharma, Radha Krishan, Nationalism, Social reforms and Indian women, p.109

Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 80-83

School Climate in Relation to Students Satisfaction and Academic Performance : A Study

Dr. Anuja Saluja*
***Associate Professor, Department of Education, Iswar Saran P. G. College, University of Allahabad, Prayagraj, U.P.

Abstract : The overall purpose of the present study was to make a survey of the perceived climate of various schools in Prayagraj and study how the school climate affects both the student satisfaction and academic performance and to find out the relationship between the variables. The findings of the study are based on the responses obtained from 210 students from different kinds of schools. It was found that all the schools differed from each other as far as the school climate was concerned. There existed a positive relationship between school climate and satisfaction, whereas academic performance was found to be not significantly related to school climate.

Keywords : School climate, Productivity, Satisfaction, Academic achievement, Interactions etc.

In today's world where economic and social progress is the end towards which nations are working, it is natural that education or schooling not only becomes the key but also the largest investment in human capital. Thus, all the nations are aspiring to make education more productive. Rao (1967) rightly asserts that Indian educational system as it exists today is not giving as positive a return as it is expected to give. When the teacher and student community is discontented, restive and reactive, when in educational institutions all kinds of protests are being made, then there is definitely something wrong with the education system. Why is education not as productive as it should be? Why are the teachers and the students so restive? Why do they disrupt the functioning of educational institutions? The problem according to Srivastava (1983) before people concerned with the system of education is to seek answers to questions such as the above, to retrieve the educational scene from the mess that it is in today. Answers to these questions perhaps can be found in the system of education itself. Therefore there is a need to examine the education content, the organization, management and the climate of educational institutions, including discipline and other such factors that could be related to productivity. The identification of factors responsible for the crisis in education could help to suggest how the system of education can be made more productive, useful and satisfying to students, teachers and members of the community, whose interests are at stake in the disturbed functioning of the educational institutions.

It has been observed that the school climate is one of the important factors in making the system of education more productive and satisfying. Therefore in order to raise the returns on education one of the best way suggested is to improve the climate of educational institutions.

School is more than a place where academic skills are taught and learned; it is a miniature community in itself where remembers interact and influence the behaviour of each other (Shoben,1962).It is one of the most important places for organising children's attitudes and behaviour and the influence that a school exerts on a child's behaviour cannot be undermined. Thus, the nature of interactions and experiences in the school is an important factor in determining the learner's perceptions of the school environment and his attitudes towards school related persons and activities. Of late the main function of the school has become of providing a suitable environment to encourage proper growth of the students. Research is being conducted on all the aspects which have a bearing on this important function of the school. One such area is that of perceived climate of the school.

What perceived climate of a school is will be readily understood when reference is made to what everyone must have experienced on entering a school. Each school has a subtle though clearly noticeable atmosphere pervading it. In spite of the similarity of structure, facilities and functions, schools differ in the impact they make on both the external observer and internal participants. Such differences are elusive of description and in many cases defy identification. Nevertheless, there is a feel and an atmosphere or a tone unique to each school. This individuality is called the schools climate or the schools personality. Each school has its own climate which in turn is made up of a whole spectrum of more or less recognizable subcultures which might affect the satisfaction of the students and consequently their academic performance. Chamberlain (1971) rightly suggests there is a subtle spirit that exists in a school both in the minds of the teachers and students and in

every act which may never be exactly described or analysed but which even the most experienced observer recognises when he enters a school or a classroom.

Halpin (1969), a pioneer in school climate research has given a perfect analogy for defining climate "personality is to the individual what organizational climate is to the organization."Just as there are many ways to define personality there are also a variety of ways to define school climate. It includes all the interactions between and among pupils, teachers and principals which are possible within the school.

On the basis of the studies conducted in the field (Katsyurba,2015;Noor,2020) it is considered that school climate is significantly related to the efficiency of an institution meaning thereby that schools which have good climate should achieve better. In other words, schools which achieve better, that is, in which students do very well in examination should have a good climate. If results and outcomes of a school are not good then we can say that there is wastage and stagnation in the field of education. The more unfavourable the school climate is, the more hurt and pain the students experience when learning and the more they show their dissatisfaction with the school in general, the more likely they are to show a decline in their academic performance .Students can work with their full capacity if they are provided with the right type of school climate and are satisfied with their schools.

Pervin (1967) is right when he says that social science research has often attempted to account for behaviour in terms of the transactions between the individual and the environment. Thus understanding the phenomenon such as satisfaction an academic performance requires an analysis of the interactions or transactions between the individual and his environment. As student satisfaction and performance is an important aspect of education and relatively a serious problem, how schools in general can promote this and help in better satisfaction and academic performance of pupils is of both practical and theoretical significance.

In Universities in India and abroad , many researches have been done on school climate and its relationship with other factors such as satisfaction, participation ,academic achievement ,school safety, well being and so on. To cite a few , researches done abroad by Pervin (1967), Berdie (1970), Beelick (1973), Zelig, Huebner &Patton (2010) deal with relationship of perceived institutional climate to student satisfaction and those done by Hanson and Warner (1970),Agnew (1981),Marsh(1982),Jones (1982),Kutsyurba, et.al. (2015) Noor (2020) are concerned with the study of the relationship of school climate with students' academic performance.

Some of the researches done in India in the area of perceived school climate are by Bhasin (1974), Kumar (1976), Srivastava (1982), which deal with academic achievement, satisfaction and participation and satisfaction respectively.

Keeping in view the significance of the interactions between the individuals and the environment and the need for a best fit between the individual and the situation, the present study of school climate in relation to student satisfaction and academic performance attempts to reveal facts regarding the existing school climate of various schools of Prayagraj and understand how it affects the students satisfaction and academic performance which would lead to more effective and productive running of the educational institutions.

Objectives of the study :

1. To find out the existing climate of various schools in Prayagraj as perceived by the students.
2. To find out the relationship between perceived school climate and academic performance of students
3. To find out the relationship between student satisfaction and academic performance.
4. To compare the perceived climate of government schools aided schools and those run on public school lines.
5. To compare the perceived climate of boy schools and girls schools.

Hypothesis of the study :

a) There will be a positive correlation between school climate scores and student satisfaction scores
b) The school climate scores will be positively correlated with the student academic performance scores and see there will be a positive correlation between student satisfaction and academic performance.
c) There will be a positive correlation between student satisfaction and academic performance.

The instruments used for data collection were TAPE FORM B (transactional analysis of personality and environment) developed by Pervin (1967) is based on semantic differential technique, and adapted to Indian conditions by Jindal (1978) was used for measuring the school climate. A satisfaction scale was used in the study for measuring the satisfaction of students with their school. This scale is a part of Pervin's TAPE which is

adapted to Indian conditions by Srivastava (1982).Data for academic performance was obtained from the records of the students previous year's annual examination results. The analysis of data was done using statistical measures like means, standard deviation, product moment coefficient of correlation and t-test for significance of difference between means wherever considered relevant. The findings of the study are based on the responses obtained from 210 students of seven different kinds of schools. Almost all types of schools were included in the sample like government schools, aided schools and public schools.

Findings and Conclusions :

- The overall perceived climate of all the schools under study was found to be favourable and congenial although there existed a difference in the degree of their being favourable.
- The t value of 2.66 at df 6o showed that there was a significant difference in the perceived school climate of government schools and aided schools at.01 level of confidence. This indicated that the climate of government schools was perceived less favourably than the climate of aided schools.
- Comparison between government and public schools also revealed the t values of 5.32 indicated that there was a significant difference between the perceived climate of government schools and public schools at .01 level of confidence. It was found that the school climate was perceived to be more congenial in public schools than in government schools.
- It was found that that t value 0.37 showed no significant difference between the perceived climate of aided schools and that of public schools at both .05 and .01 levels of confidence.
- In the comparison between boys' schools and girls' schools, the t values of 6.37 showed a significant difference between the means at .01 level of confidence. This indicated that the climate of girls' school is perceived to be more favourable than that of boys' schools which is also related to the findings of Bhasin (1974).
- The correlation between overall school climate scores and overall satisfaction scores was found to be significant .792 at .01 level of confidence. In other words when the school climate was perceived to be favourable, the students were more satisfied and when the school climate was perceived to be unfavourable the students were less satisfied with the school.
- The correlation valueof.027 between school climate scores and academic performance scores was found to be of no significance at both .05 and .01 level of confidence. This was related to the findings of Marsh (1982). Hence it can be surmised that academic performance is related to other factors of which school climate may be a small factor .The other factors according to Ray(1974) may be socio-economic factors, individual differences in intelligence, motivation, health, availability of various facilities in school such as recreational library and laboratory facilities; parental attention and interest in the school related activities of the children; medium of instruction; management pattern of the school; teachers qualifications and the methods of instruction.
- The correlation value of .710 between the satisfaction scores and academic performance scores was found to be significant at both .01 levels of confidence.

  Thus it was found in this study that the relationship of school climate with satisfaction, and satisfaction with academic performance was found to be significant, while the relationship between satisfaction and academic performance was found to be not significant and suggested that perhaps the smaller number of sample accounted for the not significant correlation and indicated a problem for further inquiry and research.

References :

1. Agnew, E.M. (1982). A study of relationship between elementary school climate and student achievement, Dissertation Abstracts. Vol.43, No. 2
2. Bayti, J. L. (1970) A Comparative study of organisational climate of Rajasthan schools, Indian Educational Review. Vol.5, No. 2
3. Beelick, DB (1973) Sources of student satisfaction and dissatisfaction; Journal of Educational Research, Vol. 67 No.1.
4. Berdie R.F., Pilapil, B. (1970) Entrance Correlates of University Satisfaction; American Education Research Journal.Vol.7, No.2
5. Cohen J., McCabe E.M., Michelli N. & Pickerel T.(2009). School Climate: research, policy, practice, and teacher education. Teach Coll Records. 111(1)180-213.

6. Chamberlain, L.G. (1971). Effective instruction through dynamic discipline.Columbus Ohio. C.P.Merrill. Pg. 221.
7. Ghavifekr, S.&Pillai, N.S.(2015). The relationship between schools organizational climate and teachers' job satisfaction: Malaysian experience. Asia Pacific Educational Review.17(1), 87- 106.
8. Cohen, J.(2013) Creating a positive school climate: a foundation for resilience. In S.Goldstein &R.B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children (pp. 411-423).New York, NY:Springer US.
9. Halpin,A.W.(1969)Theory and Research in Administration, The Macmillan Co., New York.
10. Hanson, JC. & Warner, R.W. (1970) Students needs an Academic Adjustment; Journal of Educational Research, Vol. 63 No. 9
11. Jindal,S.K.(1978) Students perception of college environment as related to the satisfaction in the colleges of Haryana. Indian Dissertation Abstracts, ICSSR, July- Sept. Vol. 6 No. 3
12. Jones G.L. (1982) A Study of relationship between school environment and student achievement. Dissertation Abstracts. Sept.Vol.43 No. 3
13. Kutsyurba, B., Klinger,D. & Hussain, A.(2015) Relationships among school climate, school safety and student achievement : A review of related literature. Review of Education. Volume 3, Issue 2.
14. Marsh,F.(1982) A Study of alternative relationship between school climate and academic achievement. Dissertation Abstracts. Vol.43, No.2
15. Noor,S.(2020) The relationship between TQM and school climates .In book: School Climate and Academic Performance. Oxford University Press, USA .pg.1-23
16. Pervin, L.A. (1967) A Twenty College Study of Student x College Interaction using TAPE: Rationale Reliability and Validity. Journal of Educational Psychology.Vol.58, No.5
17. Rao,V.K.R.V.(1967) Education as Investment in Baljeet Singh (Ed) Education as Investment. Meenakshi Prakashan.pg 4-16
18. Rao, T.V.(1971) Research on Institutional Environment -A Review; Indian Educational Review. Vol. 6, No. 1
19. Srivastava, R.C. (1983) Educational Decision Making, Metropolitan Book Company Pvt. Ltd.
20. Zullig, K.J., Huebner E.S. & Patton J.M. (2010) Relationships among school climate domains and school satisfaction.Psychology of Schools, Vol. 48, Issue 2. Pg 133-145.

Discourse (ISSN 2277-2014) : An Intl. Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by:** SARDI, Vns. U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :** 6.650, Vol. XI , No. IV, **OCT. – DEC. 2021,** Page No. : 84-86

A Study on Difference Between Financial Performance of Shahbad Co-Operative Sugar Mill and Karnal Co-Operative Sugar Mill in Haryana

Parul Bamel*
***Research Scholar, Department of Economics, Baba Mastnath University, Rohtak, Haryana, India

Abstract : The focus of the study is on accessing the difference between the financial performances of the Shahbad Co-operative sugar mill and Karnal Co-operative sugar mill in Haryana. According to the questions asked to the employees of the two sugar mills and results from the raw data it is concluded that the financial performances of the Shahbad Co-operative sugar mill and Karnal Co-operative sugar mill in Haryana is almost same..

Keywords : Co-Operative, Indian National economy, Industry, Primary data, Chi-sqaure test etc

Introduction : Sugar Industry is very important to the Indian National economy, because of its multiple contributions in the shape of employment and provision of raw materials to other industries. Sugar is made by some plants to store energy that they don't need straight away, rather like animals make fat. People like sugar for its sweetness and its energy. So, some of these plants are grown commercially to extract the sugar. Sugar is produced in 121 Countries and global production now exceeds 120 Million tonnes a year. Approximately 70% is produced from sugarcane, a very tall grass with big stems which is largely grown in the tropical countries. The remaining 30% is produced from sugar beet a root crop resembling a large parsnip grown mostly in the temperate zones of the north.

The industry provides employment to about 35 million cultivations and 3.6 lakhs skilled and unskilled workers. Further, it accounts for providing employment to crores of thousands in the sugar trade, in the transport of sugarcane and sugar etc. It‘s by -products are used as raw materials in industries such as alcohol, plastics, synthetics, rubber, and fiberboard Pharmaceuticals, paper, etc. The sugar industry in recent years has begun to export sugar, thus earning valuable foreign exchange. Besides it provides Rs. 300 crores in the form of taxes to the exchange consisting many facts of important of the industry.

Capacity of co-operative sugar mills in Harayana :

Sr. No.	Factory Name, Harayana	Capacity	Short Name	Factory Code
1.	The Karnal Coop. Sugar Mills Ltd., Karnal, Distt. Karna	Coop. 3500	Karnal	1301
2.	Shahbad Coop. Sugar Mills Ltd. Thaneswar, Distt. Kurukshetra	Coop. 5000	Shahbad	1501

Statement of the problem : “A study on difference between financial performance of Shahbad Co-operative sugar mill and Karnal Co-operative sugar mill in Haryana is almost same.”

Research methodology: The process of finding a systematic solution to the research problem is called research methodology. It is also understood as finding a way out the research problem in a systematic way.

Objective of the study : To study financial performances of Shahbad co-operative sugar mill and Karnal co-operative sugar mill in Haryana.

Hypothesis of the study: H_{01} There is no significant difference between financial performances of Shahbad co-operative sugar mill and Karnal co-operative sugar mill in Haryana.

Sample selection : In the present study, purposive sampling has been used by researcher. On the basis of primary and secondary data, the researcher selected Shahbad and Karnal co-operative sugar mills of Haryana state. Researcher selected 50 employees from the sugar mills i.e. 25 employees from each sugar mill based on availability.

Data collection : Primary data is been collected with the help of questionnaires and interviews. Primary data can be quantitative as well as qualitative in nature. Secondary data is been collected with already existing study material in the form of research/reports/ articles/ newspapers etc.

Statistical techniques used : Chi-sqaure test has been used for the data analysis.

Data analysis and iterpretation : H_{01} There is No Significant Difference Between Financial Performances of Shahbad Co-Operative Sugar Mill and Karnal Co-Operative Sugar Mill in Haryana.

Table – 1

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
In which sugarmill do you work * Performance	50	100.0%	0	0.0%	50	100.0%

In which sugarmill do you work * Performance Crosstabulation

			Performance												
			1.00	1.14	1.29	1.43	1.57	1.71	1.86	2.00	2.14	2.29	2.43	2.57	2.71	Total
In which sugarmill do you work	Shahbad	Count	1	0	1	4	3	0	3	3	3	3	2	2	0	25
		Expected Count	1.0	.5	1.0	2.5	2.0	1.0	2.5	4.0	4.0	3.5	1.5	1.0	.5	25.0
	Karnal	Count	1	1	1	1	1	2	2	5	5	4	1	0	1	25
		Expected Count	1.0	.5	1.0	2.5	2.0	1.0	2.5	4.0	4.0	3.5	1.5	1.0	.5	25.0
Total		Count	2	1	2	5	4	2	5	8	8	7	3	2	1	50
		Expected Count	2.0	1.0	2.0	5.0	4.0	2.0	5.0	8.0	8.0	7.0	3.0	2.0	1.0	50.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.476[a]	12	.574
Likelihood Ratio	12.987	12	.370
Linear-by-Linear Association	.115	1	.735
N of Valid Cases	50		

a. 26 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.416	.574
N of Valid Cases		50	

Figure 1

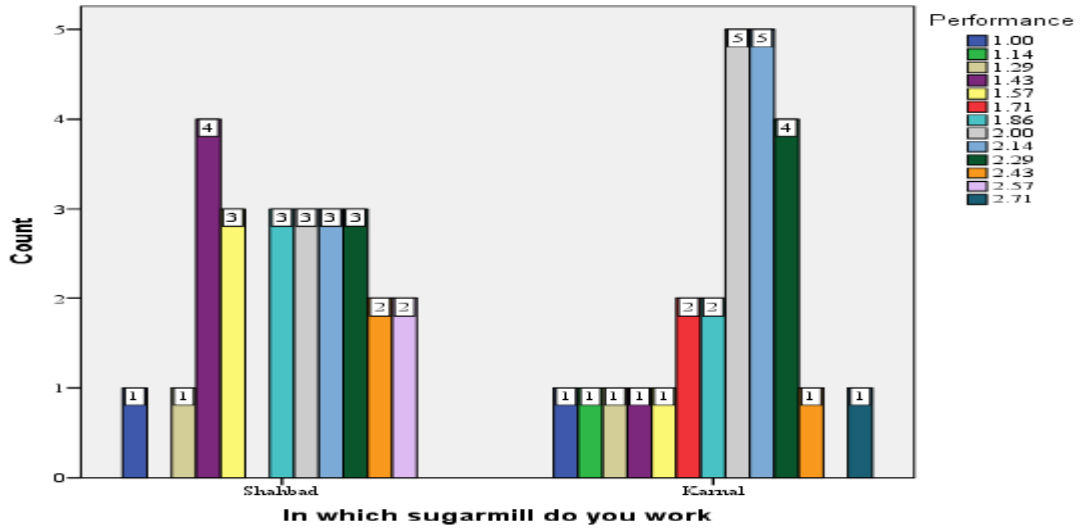

Interpretation : Table shows the district wise Comparison of sugar mills between their performances with the help of Chi-square test. Statistically, the result shows the significant value of .574 which is higher than .05 (level of significance) described that there is no significance difference between the performances of sugar mills. Therefore, the null hypothesis (H_{01}), i.e. There is no significant difference between financial performances of Shahbad Co-operative sugar mill and Karnal Co-operative sugar mill in Haryana, is accepted.

Conclusion : According to the questions asked to the employees of the two sugar mills and results from the raw data it is concluded that the financial performances of the Shahbad Co-operative sugar mill and Karnal Co-operative sugar mill in Haryana is almost same.

References:

1. "Global Sugar Manufacturing"- Global Industry Report, 2010.
2. "Indian Sugar Industry Report", CARE Research, January 2010.
3. Ahmad, N.B (2014) "The International Sugar Trade and Sustainable Development: Curtailing the Sugar RushN.C.J. INT'L L. &COM." REG. Vol. XXXIX http://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/968/.
4. Aiyadurai.K. and Michael John Peter. S. "Effective industrial utilization of sugarcane" Kissan World, October 1998, Vol. 25, No.11, p.56.
5. Ancient Geography of India, ed. Majumdar, Calcutta, 1924, p. 55.

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज़तंत्र - डॉ० मिताली देव
- **Effects of Migration on Rural Labour Houscholds at Origin - Indra Kant Bharti**

Published by :

South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Email : researchdiscourse2012@gmail.com
Mob. 09453025847, 08687778221

ISSN 2277-2014